सप्तम माला, खंड 23, अंक 21, सोमवार, 21 दिसम्बर, 1981/30 अग्रहायण, 1903 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

(सातवां सत्र)

सत्यमेव जयते

(खंड 23 में अंक 21 से 24 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय,
नई दिल्ली।

मूल्य : चार रुपये

विषय–सूची

अंक 21, सोमवार, 21 दिसम्बर, 1981/30 अग्रहायण, 1903 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		2–19
*तारांकित प्रश्न संख्या	414, 416, 418, 419 और 423.	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		20–237
*तारांकित प्रश्न संख्या	415, 417, 420 से 422, 424 से 429 और 431 से 435.	
अतारांकित प्रश्न संख्या	4664 से 4701, 4703 से 4818, 4820 से 4840, 4842 से 4898 और 4898 (क)	
विशेषाधिकार के प्रश्न आदि के बारे में		238–253
सभा पटल पर रखे गए पत्र		254–258
प्राक्कलन समिति-विवरण		259
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति— छब्बीसवां प्रतिवेदन		259
आयात के कारण रसायन उत्पादों की भरमार के बारे में 15 सितम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 439 के उत्तर को शुद्ध करने वाला वक्तव्य		259–260
प्रकाश चन्द सेठी		250–260
कतिपय वस्तुओं पर विक्रय-कर के बदले अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क लगाने और घोषित माल की सूची में सम्मिलित करने सम्बन्धी प्रस्ताव के वित्तीय प्रभावों के अध्ययन हेतु एक विशेषज्ञ समिति गठित करने के बारे में एक वक्तव्य		260–263
श्री आर० वेंकटरामन		260–263
राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) विधेयक— पुरःस्थापित		263

किसी नाम पर अंकित यह * चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय		पृष्ठ
नियम 377 के अधीन मामले		263–269
(एक)	प्रस्तावित विजय नगर स्पात संयंत्र की स्थापना के कार्यक्रम को शीघ्र क्रियान्वित करना श्री के० लकप्पा	263–264
(दो)	रेल विभाग के नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित करना श्री समर मुखर्जी	264
(तीन)	कपास खरीदने में भारतीय कपास निगम की कथित असफलता प्रो० एन० जी० रंगा	264–265
(चार)	सबाई घास के मूल्यों में कथित गिरावट, जिससे उड़ीसा के मयूरगंज जिले के आदिवासियों की जीविका के मुख्य स्रोत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है श्री अर्जुन सेठी	266
(पांच)	तमिलनाडु में एक आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना करने सम्बन्धी कार्यवाही डा० ए० कलानिधि	266–267
(छः)	"मेरी आवाज सुनो" फिल्म पर लगाए गए प्रतिबन्धका हटाया जाना श्री अटल बिहारी वाजपेयी	267-268
(सात)	समेकित भूमि विकास कार्यक्रम को विशेष रूप से बैंकों द्वारा सहायता दिये जाने के संदर्भ में कारगर ढंग से लागू करना श्री वी० डी० सिंह	268–269
असम राज्य में असम विद्युत बोर्ड के अधीन आने वाली सेवाओं को अनिवार्य सेवायें घोषित करने वाली अधिसूचना का अनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प		269
और		
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (असम) 1981-82		269
और		
असम के बारे में की गई उद्घोषणा को जारी रखने का अनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प		269

विषय	पृष्ठ
श्री योगेद्र मकवाना	269
श्री सोमनाथ चटर्जी	270-276
श्री सन्तोष मोहन देव	276-282
श्री बी० डी० सिंह	282–286
श्री जेनुल बशर	286–288
श्री के० मायातेवर	288-289
श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत	289-292
श्री अटल विहारी वाजपेयी	292–298
श्री समीनुद्दीन	298–299
आचार्य भगवान देव	299–302
श्री रवीन्द्र वर्मा	302–308
श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी	309–310
श्री नगनंगोम मोहेन्द्रा	310–313
श्री चित्त बसु	313–315
श्री जी० एम० बनातवाला	316–319
श्री आर० वेंकटरामन	324–326
असम विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक :	326
विधेयक पुर:स्थापित करने तथा उस पर विचार करने का प्रस्ताव	
श्री आर० वेंकटरामन	526–327
खण्ड 2, 3 और 1 :	
पारित करने का प्रस्ताव	327
श्री आर० वेंकटरामन	
सदस्य की गिरफ्तारी तथा रिहाई	327–328
श्री हरीश कुमार गंगवार	

विषय	पृष्ठ
आधे घण्टे की चर्चा	328–347
रेल समितियों के सदस्यों को स्थायी रेल कार्ड, पास तथा चैक पास जारी करने के बारे में	
श्री बापूसाहिब परूलेकर	328–334
श्री जनार्दन पुजारी	334–339
श्री केदार पांडे	339–341
श्री राम विलास पासवान	341–343
श्री विजय कुमार यादव	343–347
प्रधान मन्त्री तथा उनके परिवार के सम्बन्ध में कतिपय भविष्यवाणियों के बारे में वक्तव्य	
श्री पी० वेंकटसुब्बया	347–349

लोक सभा

सोमवार, 21 दिसम्बर, 1981/30 अग्रहायण, 1903 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, मैंने 388 का नोटिस दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है ।

श्री राम विलास पासवान : श्री जाटिया के साथ जो घटना घटी है ···

अध्यक्ष महोदय : कोई भी चीज रिकार्ड नहीं की जायेगी ।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार कर रहा हूं ।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सब काम हिसाब से होते हैं । ये कानून आप ही ने बनाए हैं, मैंने तो बनाए नहीं । नियम आपके ही बनाए हुए हैं ।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने उसी का उपयोग किया है ।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप किसी की बात मत सुनिये और केवल···प्रयत्न करिये ।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्रीमान जी, मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर उनको दर्द है, तो मुझे भी दर्द है । अगर किसी मेम्बर को कुछ होता है···

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने अभी उस पर कोई विरोध नहीं किया है । मैं इस पर विचार कर रहा हूं और कल मैं इसके बारे में निर्णय करूंगा ।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

राज्यों की जल विकास योजनाएं

*414. **श्री समर मुखर्जी** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्र के इस विचार का विरोध किया है कि अन्तर्राज्यीय जल विकास योजना बनाई जाये और इसके बजाय केन्द्र से वित्तीय सहायता प्राप्त करके अपनी निजी जल विकास योजनाएं बनानी चाही हैं; और

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा तत्संबंधी कारण क्या हैं ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) माननीय सदस्य संभवत: केन्द्र द्वारा तैयार किए गए जल संसाधनों के विकास के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य का उल्लेख कर रहे हैं। केरल राज्य सरकार ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है। अन्य राज्य ऐसे किसी प्रस्ताव की आवश्यकता के बारे में सिद्धांत रूप में सहमत हो गए हैं।

अन्तर्राज्यीय नदियों के मामले में, उपलब्ध सीमित बांध स्थलों से पूर्ण लाभ प्राप्त करने हेतु, संचयन स्थलों की क्षमता और सारे क्षेत्र या सम्पूर्ण देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर, इष्टतम विकास के लिए योजनाएं तैयार की जानी होंगीं । ऐसी योजनाएं केन्द्र द्वारा तैयार की जानी होंगीं। इस तथ्य को दृष्टि में रखकर, केन्द्रीय सरकार ने इस प्रयोजन के लिए एक अलग अभिकरण स्थापित करके, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के प्राय:द्वीपीय भाग के सर्वेक्षणों तथा अन्वेषणों का कार्य आरम्भ करने का निर्णय किया है। यह अभिकरण संबंधित राज्य सरकारों के साथ निकट सहयोग तथा परामर्श कार्य करेगा।

श्री समर मुखर्जी : केवल केरल सरकार अथवा केरल या पश्चिम बंगाल···

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : सिर्फ केरल ।

श्री समर मुखर्जी : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि इस केन्द्रीय योजना के विरोध में उन्होंने क्या कारण दिए हैं और क्या यह योजना जो आप अब प्रस्तुत कर रहे हैं, राज्य सरकार को जल सम्बन्धी अधिकारों से वंचित करत है, क्योंकि इसका आशय है उसके जल सम्बन्धी उन अधिकारों में कटौती करना जिसका उपयोग वह इस समय कर रही हैं।

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा सिंचाई तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : उनके इस प्रस्ताव का विरोध करने का कोई कारण नहीं है। परन्तु यदि फिर भी कोई बिना वजह इसका विरोध करता है तो मेरे पास उसका कोई उत्तर नहीं है।

श्री समर मुखर्जी : यह उनकी अपनी राय है। मैंने यह पूछा है कि उन्होंने क्या कारण बताये हैं।

राव वीरेन्द्र सिंह : ठीक है जैसा कि मैंने बताया है कि उनके पास कोई ठोस कारण नहीं है। उनका दृष्टिकोण अनुचित है। मैं यह कैसे कह सकता हूं कि इसमें कोई कारण है।

श्री समर मुखर्जी : मैं उनकी राय नहीं पूछ रहा हूं।

राव वीरेन्द्र सिंह : यह केवल विचारधारा सम्बन्धी कारण है।

श्री समर मुखर्जी : उन्होंने इसका विरोध करते हुये क्या कोई कारण दिये हैं या नहीं।

(आप तो अपनी राय बता रहे हैं।)

राव वीरेन्द्र सिंह : जैसाकि इस समय माननीय सदस्य महसूस कर रहे हैं, इसी प्रकार उन्होंने भी सारी स्थिति को गलत तरीके से समझा है। यह एक गलत धारणा है कि केन्द्र राज्यों के अधिकारों को अपने हाथ में ले रहा है। वर्तमान प्रस्ताव तो केवल जांच करने से सम्बन्धित है। जल संसाधनों की जांच करने और सर्वेक्षण करने के बाद यदि किसी प्रकार का वितरण किया जायेगा तो यह राज्यों के परामर्श से किया जायेगा। राज्यों के अधिकारों पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसीलिये मेरे ख्याल से केरल सरकार का दृष्टिकोण अनुचित है।

श्री समर मुखर्जी : मैं स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं कि राज्यों के जल संबंधी वर्तमान अधिकारों ··

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने अभी स्पष्ट किया है।

श्री समर मुखर्जी : मैं यह चाहता हूं कि उनकी धारणा को स्पष्ट किया जाये।

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : वास्तव में, केरल सरकार ने राष्ट्रीय संदर्शी योजना का ही विरोध किया है। उन्हें राष्ट्रीय संदर्शी योजना की मूल भावना पर ही आपत्ति है और उन्होंने इसके लिए कुछ कारण भी बताये हैं। एक कारण तो यह है कि यह राष्ट्रीय संदर्शी योजना केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तावित की गई है जबकि 'जल' राज्य का विषय है। इसलिये, केन्द्र को किसी भी राष्ट्रीय संदर्शी परियोजना का प्रस्ताव नहीं करना चाहिये। दूसरा कारण यह है कि केन्द्र का कोई प्रत्यक्ष अधिकार इस पर नहीं होना चाहिये। एक और कारण यह बताया गया है कि जहां तक अतिरिक्त जल का सम्बन्ध है उनकी राय में, केरल के पास अतिरिक्त जल बिलकुल भी नहीं है जिसे केरल से तमिलनाडु भेजा जाए। यह जांच का विषय है। राष्ट्रीय संदर्शी योजना को सभी बातों का ध्यान रखते हुए तैयार किया गया है और इस बात की सम्पूर्ण जांच-पड़ताल करने के बाद ही यह तय किया जायेगा कि किसी राज्य के पास अतिरिक्त जल है या नहीं। केरल ने इन दोनों आधारों पर ही इस योजना का विरोध किया है।

श्री समर मुखर्जी : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस प्रयोजन के लिए आप विधेयक कब ला रहे हैं ?

राव वीरेन्द्र सिंह : राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण स्थापित करने के लिये किसी विधेयक की आश्यकता नहीं है। प्रविष्टि 56 के अन्तर्गत कोई विधान बनाने के बारे में हमने कोई निर्णय नहीं किया है। हम इस बारे में राज्य सरकारों से परामर्श कर रहे हैं। यह बिल्कुल अलग विषय है।

श्री एच० एन० नन्जे गौड़ा : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार प्राथमिकताओं का निर्धारण करते हुए कोई राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा करेगी । उदाहरण के लिये, यदि कोई विवाद न्याय अधिकरण के पास जाता है तो इस समय इस बारे में ऐसे कोई मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं हैं । क्या भारत सरकार जनसंख्या-वार प्रतिशत आदि जैसी प्राथमिकताओं का निर्धारण करते हुए कोई राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा करना चाहती है ताकि यह मानदण्ड सभी राज्यों के लिये अपनाया जा सके । क्या सरकार इस दिशा में कुछ सोच रही है ।

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : महोदय, सरकार इस दिशा में विचार कर रही है । कर्नाटक सरकार ने सुझाव दिया है कि एक राष्ट्रीय जल नीति होनी चाहिये । हम इस विषय पर विचार कर रहे हैं ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : राष्ट्रीय जल संदर्शी योजना तैयार करने का विचार बहुत ही अच्छा है । परन्तु मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या इस तथ्य को देखते हुए कि दक्षिणी राज्यों को उत्तरी राज्यों की तुलना में इस दृष्टिकोण से भारी नुकसान है कि दक्षिणी राज्यों में नदियों का उपयोग 90 से 95 प्रतिशत तक किया जाता है जबकि उत्तरी राज्यों में जल का उपयोग इससे कम किया जाता है, सरकार कुछ समय पूर्व सुझायी गई गंगा-कावेरी सम्पर्क योजना पर अभी भी विचार कर रही है या इसे रद्द कर दिया गया है ?

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : वास्तव में राष्ट्रीय संदर्शी योजना डा० के० एल० राव और दस्तूर द्वारा सुझाये गये पिछले दोनों प्रस्तावों को सुधरे हुए रूप में । इस राष्ट्रीय संदर्शी योजना के दो पहलू हैं । पिछले दोनों प्रस्तावों में उत्तरी नदियों को दक्षिणी नदियों से जोड़ने का सुझाव था । अब उत्तरी क्षेत्र में जल एकत्र करने के स्थानों को विकसित करने में कुछ कठिनाइयां हैं ।

अब इस राष्ट्रीय संदर्शी योजना के दो पहलू हैं । एक पहलू है हिमालय से निकलने वाली सभी – नदियों गंगा-ब्रहमपुत्र बेसिन का विकास करना और दूसरा पहलू है प्रायःद्वीपीय नदियों का विकास करना । जहां तक हिमालय की नदियों का सम्बन्ध है, इसमें एक अन्तर्राष्ट्रीय पहलू भी शामिल है । इसलिये यदि हम दोनों पर एक साथ विचार करें तो इसमें आपेक्षित विलम्ब हो जायेगा । इसलिये राष्ट्रीय संदर्शी योजना इस तरह से बनाई गई है कि उसे सबसे पहले तो प्रायद्वीपीय नदियों का विकास करने, उनकी जांच पड़ताल करने और अतिरिक्त जल वाले क्षेत्रों से पानी को कमी वाले क्षेत्रों में पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिये । तब हमें हिमालय की नदियों को विकसित करने के दूसरे पहलू पर विचार करना चाहिये और तभी हम उन दोनों को जोड़ सकते हैं ।

पानी की लाइनें बिछाने के लिए वन काटने पर लगे प्रतिबन्ध को हटाना

*416. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने, वन (संरक्षण) अध्यादेश (1980 की संख्या 17) द्वारा, अपनी पूर्वानुमति बिना, वनों को अनारक्षित करने अथवा वन्य-भूमि का गैर-वन्य प्रयोजन के लिए

उपयोग करने के प्रतिबंधों को निदेशित करने वाले कोई भी आदेश जारी करने से सभी राज्य सरकारों को मना कर रखा है;

(ख) क्या पेय जल सप्लाई योजनाओं के लिए पाइप बिछाने के लिए भी वन्य-भूमि के उपयोग अथवा वनों को काटने पर वन अधिकारियों द्वारा आपत्ति की गई थी;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार पेय जल सप्लाई तथा स्वच्छता दशक (1981-90) को दृष्टि में रखते हुए इस आदेश के कारण हुई कठिनाइयों पर ध्यान देगी तथा वन्य-भूमि के उपयोग अथवा वनों को काटने की छूट ऐसी स्थिति में देगी जहां पेय जल सप्लाई योजनाओं के निर्माण के लिए अनिवार्य हो जाये;

(घ) यदि हां, तो इस बारे में निर्णय कब लिया जायेगा;

(ङ) क्या कोई नियम तैयार किये गये हैं जैसाकि उक्त अध्यादेश में परिकल्पना की गई है; और

(च) यदि हां, तो उन नियमों का स्वरूप और प्रभावित क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा सिंचाई तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, जिसने 25 अक्तूबर, 1980 को लागू किए गए वन (संरक्षण) अध्यादेश का स्थान ले लिया है, में यह व्यवस्था है कि कोई भी राज्य सरकार अथवा अन्य प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना, कोई भी ऐसा आदेश नहीं देगा जिसमें यह निदेश हो कि कोई आरक्षित वन अथवा उसका कोई भाग आरक्षित नहीं रहेगा या कोई वन-भूमि अथवा उसका कोई भाग किसी "गैर-वानिकी प्रयोजन" का अर्थ किसी वन-भूमि या इसके किसी भाग को पुनः रोपण के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए अलग करना अथवा पेड़ों की कटाई करना है ।

(ख) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उपबन्ध किसी वन-भूमि अथवा इसके किसी भाग को किसी गैर-वानिकी प्रयोजन के लिए उपयोग में लाने के मामले में लागू होते हैं । सरकार को पीने के पानी की किसी सप्लाई योजना के बारे में वन अधिकारियों द्वारा उठाई गई आपत्ति के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट नहीं मिली है ।

(ग) तथा (घ) सरकार पीने के पानी की सप्लाई योजनाओं पर प्राथमिकता के आधार पर विचार करती है । वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत अब तक प्राप्त सभी प्रस्तावों को जिसमें पीने के पानी की सप्लाई योजनाओं के लिए वन भूमि के उपयोग को अपरिहार्य समझा गया है, गुण-दोष के आधार पर स्वीकार किया गया है ।

(ङ) तथा (च) वन (संरक्षण) अधिनियम,1980 की धारा 4 (1) के अन्तर्गत बनाए गए वन (संरक्षण) नियम, 1981, को 24 अगस्त, 1981 को सभा पटल पर पहले ही रखा जा चुका है । नियम की एक और प्रति सभा पटल पर पुनः रखी जा रही है ।

[ग्रंथालय में रखी गई देखिये संख्या एल०.टी०-3163/81]

प्रो० नारायण चन्द्र पराशर : मेरा प्रश्न पेय जल सप्लाई योजनायें बनाने में आनेवाली कठिनाइयों के सम्बन्धित है। मैं अपने अनुभव से यह कह सकता हूं कि यदि इसे पूरी तरह से रद्द न भी किया जाये तो भी जिला स्तर पर एक समिति के गठन की प्रक्रिया में काफी विलम्ब हो जायेगा। उसके पश्चात् राज्य सरकार केन्द्र सरकार के पास उन योजनाओं को भेजती है और अंत में नियम 5 के अनुसार उपबंधित एक समिति इस पर विचार करती है और अंततः इन सब बातों में यदि अधिक नहीं तो कम से कम एक वर्ष का विलम्ब तो हो ही जाता है। पेय जल उपलब्ध कराने की आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुये क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछ सकता हूं कि उन मामलों में जहां पेय जल सप्लाई योजनायें शामिल हैं और उनमें विलम्ब की आशंका हो तो क्या कोई ऐसी समय अवधि निर्धारित की गई है जिसके द्वारा केन्द्रीय सरकार इन प्रस्तावों के प्राप्त होते ही इन पर अपनी सहमति दे दे।

राव वीरेन्द्र सिंह : मुझे नहीं मालूम कि माननीय सदस्य को क्या परेशानियां दिखाई दे रही हैं। हमें अभी तक जल सप्लाई योजनाओं के दो प्रस्ताव मिले हैं और वे दोनों ही प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकार के हैं। इन दोनों ही प्रस्तावों को शीघ्र ही अनुमति दे दी गई है और इस समय हमारे पास कोई प्रस्ताव विचारार्थ नहीं है। यदि विचार करने में कोई विलम्ब होता है तो वह केवल राज्य सरकार के स्तर पर ही होता है। राज्य सरकार इस सम्पूर्ण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए अपने नियम निर्धारित कर सकती है। हमने तो केवल यही व्यवस्था की हुई है कि राज्य सरकार हमें प्रोफार्मा सूचना भेज दे। राज्य के अभिकरण कितनी इस शीघ्रता से प्रोफार्मा सूचना तैयार करके केन्द्र के पास भेजते हैं, यह राज्य सरकार पर निर्भर करता है। जहां तक केन्द्र सरकार का सम्बन्ध है, मैं सदन को यह विश्वास दिलाता हूं कि सभी विकास योजनाओं और विशेष रूप से पेय जल सप्लाई से सम्बन्धित योजनाओं में किसी भी प्रकार का विलम्ब नहीं होगा।

प्रो० नारायण चन्द्र पराशर : मेरा प्रश्न समयावधि के बारे में था, क्या वह व्यवहारिक है ?

दूसरे, नियमों की धारा (2) और (5) में एक समिति का प्रावधान किया गया है। समिति की संरचना कैसी है ? क्या यह किसी राज्य विशेष से सम्बन्धित है ?

राव वीरेन्द्र सिंह : ये नियम सभा पटल पर रखे जा चुके हैं। उन्हें पहले भी उपलब्ध कराया गया था। केन्द्र की समिति के शीर्षस्थ अधिकारी महानिरीक्षक हैं, तथा पर्यावरण जैसे अन्य मन्त्रालयों के प्रतिनिधि इसके सदस्य हैं। यह अधिकारियों की समिति है। विधेयक को प्रस्तुत करते हुये मैंने पहले भी यह बताया था कि हमने यह भी व्यवस्था की है कि राज्य से प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात् यदि समिति द्वारा इसमें कोई पूछताछ की जाती है तो राज्य सरकारों को इसका उत्तर छः सप्ताह के भीतर भेजना होगा। इसका केवल यही आशय है कि हम इस सम्पूर्ण प्रक्रिया में तेजी लाना चाहते हैं ताकि यह केन्द्रीय स्तर पर पड़ी न रह जाये। परन्तु मैं पेयजल सप्लाई योजनाओं के बारे में कोई समयावधि निर्धारित नहीं कर सकता।

यह चीज प्रत्येक योजना के गुणावगुणों पर निर्भर करती है। जो कुछ भी मैं कह सकता हूं वह यह है कि इन्हें प्राथमिकता दी जायेगी।

श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति : वन संरक्षण अधिनियम में, जिसे संसद द्वारा हाल ही में पास किया गया है, कोई भी सिंचाई परियोजना शुरू करने अथवा यहां तक कि ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम शुरू करने पर भी प्रतिबंध है। वन विभाग ने बिजली की लाइनें बिछाने पर भी विरोध करना प्रारम्भ कर दिया है। इस तथ्य को देखते हुये, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार सिंचाई परियोजनायें और विद्युतीकरण कार्यक्रमों को प्रारंभ करने की व्यवस्था करने के लिये इस अधिनियम में कोई छूट देने के लिये तैयार है या नहीं ?

राव बीरेन्द्र सिंह : इस अधिनियम का मूल प्रयोजन ही समाप्त हो जायेगा यदि राज्यों को इस मामले में अपनी शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार दे दिया जाये। इसीलिये हमने इस कानून को संसद में पारित किया है क्योंकि हमने यह देखा कि पेड़ों की अन्धाधुन्ध कटाई हो रही है और वनों का सफाया किया जा रहा है और इसमें केन्द्रीय स्तर पर निगरानी की आवश्यकता है। हालाँकि हम अभी भी संतुष्ट नहीं हैं। हम इस विषय में एक व्यापक कानून संसद के समक्ष लाने की बात सोच रहे हैं।

श्री शिव कुमार सिंह ठाकुर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जैसा कि उन्होंने बताया है कि केवल महाराष्ट्र से दो प्रस्ताव आपके पास अनुमति के लिए आए हैं, लेकिन क्या यह सही नहीं है कि मध्य प्रदेश से एक कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्री के लिए एक प्रस्ताव राज्य शासन की ओर से 4 माह पूर्व आया है ?

राव वीरेन्द्र सिंह : यह प्रश्न केवल पेयजल सप्लाई योजनओं से ही संबंधित है। मेरे पास कुल प्राप्त प्रस्तावों और उनमें से कितने आवेदन रद्द किये गये और कितने स्वीकार किये गये के बारे मे सूचना है परन्तु किसी कारखाने विशेष के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है।

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी : मैं माननीय मंत्री जी से जानना चहता हूं कि हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र से मिट्टी कट कर नीचे पंजाब और हरियाणा के इलाके में आती है, क्योंकि ऊपर पेड़ काट लिए गए हैं। इस मिट्टी से डैमों को नुक्सान होता है और लोगों को परेशानी होती है। वहां पर ज्यादा से ज्यादा वन लगाने और वनों की कटाई रोकने के लिए राज्य सरकार को किस तरह से मदद दी जा रही है ?

राव वीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, यह तो हाउस में कई बार बताया जा चुका है कि हमारा फोरेस्ट्री प्रोग्राम काफी तेजी से चला है। जो टारगेट हमने इस साल के लिए रखे थे, वे सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने प्रधान मंत्री के आदेश से फिर स्टेट्स में जहां कहीं कम दरख्त लगाने थे वहां फिर अपवर्ड रिवीज़न के लिए काफी पैसा दिया जा रहा है और एफारेस्टेशन के लिए तो अब बहुत रकम बढ़ा दी गई है। पहले प्लान की निस्बत 10-11 गुनी तेज करने का फैसला किया गया है। कोई 10-11 गुना हमने यह प्रोग्राम तेज कर दिया पैसा इस प्लान में दे कर। 100 जिलों को छांटा जा रहा है जिनमें इंटेंसिव फोरेस्ट्री प्रोग्राम चलाया जायगा। सोशल फोरेस्ट्री पर बहुत जोर है, और हिमाचल प्रदेश में तो इसके लिये खास तौर से धनराशि दी गई है।

तमिलनाडु को खाद्यान्नों की सप्लाई

श्री एन० डेनिस : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

*418 (क) क्या सरकार को तमिलनाडु में सीमान्त क्षेत्रों में तथा कुछ अन्य क्षेत्रों में खाद्यान्न की गंभीर कमी की जानकारी है;

(ख) क्या तमिलनाडु सरकार द्वारा इस प्रकार की कोई सूचना भेजी गई थी;

(ग) क्या तमिलनाडु सरकार ने खाद्यान्नों की अधिक मात्रा की सप्लाई के लिये प्रस्ताव भेजे हैं; और

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1981 में तमिलनाडु राज्य को मांग के अनुसार अनाज की कितनी मात्रा की सप्लाई नहीं की गई और राज्य की मांग को पूरा न किये जाने के क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा सिंचाई तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) जी हां। राज्य सरकार से उत्तर-पूर्वी मानसून से पूर्व चल रही सूखे की स्थिति के कारण राज्य में खाद्यान्नों की कमी के बारे में रिपोर्ट प्राप्त हुई थी।

(ग) और (घ) राज्य सरकार की 1981 के दौरान खाद्यान्नों की मांग लगभग 16.2 लाख मीटर टन थी जब कि उन्हें 10.2 लाख मीटरी टन खाद्यान्न आबंटित किए गए थे। राज्यों को केन्द्रीय पूल से खाद्यान्नों का आवंटन केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों की समूची उपलब्धता और राज्य सरकारों से प्राप्त मांग, राज्य सरकारों के पास उपलब्ध चावल का स्टाक और अतीत में स्टाक उठाने की प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर मासिक आधार पर किया जाता है।

श्री एन० डेनिस : तमिलनाडू के सीमावर्ती क्षेत्रों—जो केरल जिले के निकट हैं—अर्थात् कन्याकुमारी में खाद्यान्न की कमी का इस उत्तर में कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। ये स्थान तथा कुछ अन्य स्थान खाद्यान्न की भारी कमी से पीड़ित हैं तथा खुले बाजार में मूल्य बहुत ही अधिक हैं। इन क्षेत्रों में सदा व्याप्त खाद्यान्नों की कमी को देखते हुए पिछली राज्य सरकार ने उचित दर दुकानों के द्वारा खाद्यान्नों की पर्याप्त मात्रा के वितरण की व्यवस्था की जिसमें प्रत्येक सदस्य के लिए विशिष्ट मात्रा निर्धारित कर दी गई है। अब यह व्यवस्था खत्म कर दी है तथा इस मात्रा में कमी करके वास्तविक मात्रा की आधी मात्रा कर दी गई है। इसलिए बहुत अधिक मात्रा में आन्दोलन और गिरफ्तारियां हुईं।

मैं यह जान सकता हूं कि क्या सरकार ने आवश्यकता को पूरी करने की मात्रा और राज्य को सप्लाई की जाने वाली मात्रा के अन्तर की जांच की है और क्या सरकार तमिलनाडू राज्य को आवश्यक मात्रा की सप्लाई करेगी तथा इन क्षेत्रों में पर्याप्त वितरण के निदेश जारी करेगी ?

राव बीरेन्द्र सिंह : तमिलनाडू में चावल का पर्याप्त स्टाक है। अब तो वह उन्हें आवंटित की गई मात्रा को भी नहीं उठा रहे हैं। प्रश्न यह नहीं है कि किसी राज्य सरकार ने कितनी मांग

की है, परन्तु हम यह भी देखते है कि आवंटित हुई मात्रा में से कितनी मात्रा का उपयोग किया जा रहा है। अप्रैल से नवम्बर तक हम उन्हें औसतन 60,000 टन प्रति माह चावल दे रहे हैं परन्तु वह 20,000 से 35,000 टन चावल उठा रहे हैं अर्थात् तमिलनाडू को दी गई मात्रा की लगभग आधी मात्रा। जब भी उन्हें कोई कठिनाई होती है तो हम हमेशा तमिलनाडू की सहायता करते हैं। शायद माननीय सदस्य को ध्यान होगा कि पिछली बार जब खरीद जारी थी और हम समस्त रेलवे क्षमता का उपयोग भारतीय खाद्य निगम के लिए खाद्यान्न ले जाने के लिए कर रहे थे तब तमिलनाडू सरकार को विशेष रियायत दी गई थी और हमने उन्हें 50,000 टन चावल ले जाने की अनुमति दे दी थी जो उन्हें आन्ध्र प्रदेश से वाणिज्यिक आधार पर खरीदा था। ऐसा केवल उनकी स्टाक की स्थिति को बढ़ाने के लिए किया गया था जैसा कि मैंने कहा हैं कि तमिलनाडू में चावल का बहुत अच्छा स्टाक है, 1-12-1981 को तमिलनाडू में 3,54,000 टन का स्टाक था।

श्री एन० डेनिस : प्रश्न तो केरल के पास तमिलनाडू के सीमावर्ती क्षेत्रों में कमी से सम्बद्ध है। यह आरोप लगाया गया है कि अपर्याप्त वितरण इस सरकार द्वारा राज्य सरकार को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न सप्लाई न करने के कारण हुआ है। इसलिए खाद्य मंत्रालय अथवा भारतीय खाद्य निगम के अधीन वितरण व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि यह देखा जा सके कि कमी वाले क्षेत्रों में पर्याप्त वितरण हुआ है अथवा नहीं। इसलिए क्या मैं यह जान सकता हूं कि किस आधार पर प्रत्येक राज्य को खाद्यान्न दिए जाते हैं। क्या वितरण के संबंध में कोई सामान्य या विशिष्ट निदेश दिए गए हैं और क्या मैं यह जान सकता हूं कि वितरण ठीक से किया जा रहा है अथवा नहीं इसकी जांच के लिए क्या कोई जांच या निरीक्षण किया जाता है और क्या सरकार केरल के निकटवर्ती तमिलनाडू के कमी के इलाकों जैसे कन्याकुमारी में पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न वितरण के विशिष्ट निदेश देगी।

राव बीरेन्द्र सिंह : राज्य के भीतर वितरण का दायित्व राज्य सरकार का ही है। यह आशा की जाती है कि वह राज्य के प्रत्येक क्षेत्र में उनकी आवश्यकताओं को उचित ढंग से पूरा करेंगे। अभी तक हमें कोई ऐसी शिकायत नहीं मिली है कि किसी विशेष क्षेत्र में वितरण करने में भेदभाव बरता गया है। अब, चूंकि माननीय सदस्य ने इस ओर ध्यान दिलाया है, इसलिए हम पूरा ध्यान रखेंगे। किसी राज्य को वितरण या एक महीने का आवंटन कुछेक मानदण्डों के अनुसार किया जाता है और यह मैं अपने मुख्य उत्तर में बता चुका हूं।

श्री जितेन्द्र प्रसाद : महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि अमरीका का गेहूं जो हमारे 'बफर स्टाक' को पूरा करने के लिए आयात किया गया था, वह तमिलनाडू को सप्लाई किया जा रहा है तथा क्या यह शिकायत भी आई है कि सप्लाई किया जाने वाला गेहूं अच्छी किस्म का नहीं है।

राव बीरेन्द्र सिंह : महोदय, मैं यह बताने की स्थिति में नहीं हूं कि सरकार के पास किसी भी स्तर पर ऐसी कोई शिकायत आई है। परन्तु माननीय सदस्य ने जो मामला उठाया है

उसी संबंध में एक समाचार मैंने समाचार पत्र में देखा था और मैंने मंत्रालय से इसकी जांच कर के लिए कह दिया है।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न, प्रश्न सं० 419, श्रीमती माधुरी सिंह, वह अनुपस्थित हैं। श्री सिदनाल।

किसानों को कृषि ऋण

*419. **श्री एस० बी० सिदनाल :**

श्रीमती माधुरी सिंह : क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में स्थित भिन्न-भिन्न ऋण निकायों तथा वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किसानों को गत तीन वर्षों में कितना कृषि ऋण दिया गया;

(ख) क्या यह सच है कि किसानों की कृषि ऋण में गिरावट आ रही है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसानों की ऋण संबंधी वार्षिक मांग तथा उनको प्राप्त होने वाली राशि के बारे में कोई मूल्यांकन किया गया है; और

(घ) इस बारे में विगत तीन वर्षों के ब्यौरे क्या हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा सिंचाई तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) से (घ) सभा पटल पर एक विवरण रख दिया गया है।

विवरण

(क) तथा (ख) कृषकों को तीन प्रमुख संस्थागत एजेंसियां, अर्थात् सहकारी समितियां, वाणिज्यिक बैंक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कृषि ऋण प्रदान करती हैं। नवीनतम तीन वर्षों (जिनके संबंध में जानकारी उपलब्ध है) के दौरान इन एजेंसियों द्वारा वितरित किए गए ऋण निम्नलिखित है :—

(करोड़ रुपए)

ऋण की किस्म	निम्नलिखित वर्षों की उपलब्धियां		
	1977-78	1978-79	1979-80
सहकारी समितियां :			
अल्पावधि	1111.22	1261.91	1300.00*
मध्यम-कालीन	160.47	193.07	187.00*
दीर्घावधि	237.90	240.57	308.21
वाणिज्यिक बैंक :			
अल्पावधि	288.10	365.05	233.72**
आवधिक ऋण	202.75	308.09	170.33**
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक :			
(जनवरी से दिसम्बर तक)	122.02 (1978)	167.41 (1979)	243.38 (1980)

* अनन्तिम।

** छः महीने की उपलब्धि को दर्शाता है।

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि संस्थागत एजेंसियों द्वारा प्रदान किए गए कृषि ऋण की कुल मात्रा में वृद्धि हुई है।

(ग) तथा (घ) कृषकों की वार्षिक ऋण की मांग के बारे में भारत सरकार ने कोई विशेष मूल्यांकन नहीं किए हैं। कृषकों की वार्षिक ऋण की मांग अनेक पहलुओं पर आधारित होती है जिनमें कृष्य भूमि का क्षेत्र, भूमि की किस्म, फसल की किस्म, मौसम की स्थितियां आदि शामिल होती हैं। संस्थागत एजेंसियां कृषकों को संबंधित राज्य सरकारों/एजेंसियों द्वारा प्रत्येक फसल के लिए निर्धारित वित्त पैमाने के आधार पर उत्पादन ऋण प्रदान करती हैं, जिसमें विभिन्न आदानों तथा कृष्य भूमि की मात्रा को ध्यान में रखा जाता है। इन एजेंसियों द्वारा भूमि सुधार, जिसमें सिंचाई सुविधाएं भी शामिल हैं, तथा मशीन और पशुधन जैसी पूंजीगत परिसम्पत्तियों को प्राप्त करने के लिए आवश्यकता तथा योजना की व्यवहार्यता सहित विशिष्ट पहलुओं के आधार पर निवेश ऋण दिया जाता है।

श्री एस० बी० सिदनाल : महोदय, मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न के भाग (ग) का उत्तर नहीं दिया है कि क्या किसानों की ऋण संबंधी वार्षिक मांग तथा उनको प्राप्त होने वाली राशि के बारे में कोई मूल्यांकन किया गया है।

आगे मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या सरकार के पास किसानों को दी जाने वाली ऋण सुविधाओं की राज्यवार आवश्यकताओं तथा क्षेत्रवार आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने का कोई प्रस्ताव है क्योंकि आधुनिक किसानों ने कृषि के पुराने तरीकों के स्थान पर कृषि का वैज्ञानिक तरीका अपनाया है।

राव बीरेन्द्र सिंह : महोदय, कृषि में ऋण देने की दर तेजी से बढ़ रही है। हम प्रत्येक राज्य के अल्पावधि, मध्यकालीन और दीर्घावधि ऋणों की आवश्यकता का मूल्यांकन करते हैं और यह ऋण सहकारी संस्थाओं द्वारा दिया जाता है और पिछले दो वर्षों से इसकी मात्रा बढ़ती जा रही है। कुछेक ऐसे तरीके हैं जिनके द्वारा हम वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन करने की कोशिश कर रहे हैं। इस जानकारी के साथ ही अन्य जानकारी हम इकट्ठी कर रहे हैं तथा देश में दस वर्षों के बाद कृषि संगणना की जा रही है। इन सब चीजों को ध्यान में रखा जाएगा और हमें कृषि की आवश्यकताओं का पता चल जाएगा।

श्री एस० बी० सिदनाल : महोदय, माननीय मंत्री ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। एक तो क्या सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव है कि कृषि में प्रयोग किए जा रहे वैज्ञानिक और नए उपकरणों को ध्यान में रखते हुए कोई विशिष्ट मूल्यांकत किया जाए। दूसरे यह ध्यान में रखते हुए कि भारी सिंचाई और अन्य मौसम के परिवर्तनों से जमीन अधिक उपजाऊ नहीं रही है तो क्या किसानों को दी जाने वाली ऋण सुविधाओं की कुल आवश्यकताओं का मूल्यांकन करते समय क्या सरकार ने इस स्थिति को भी ध्यान में रखा है।

राव बीरेन्द्र सिंह : मैं पहले ही कह चुका हूं कि कृषि को मिलने वाले ऋण में काफी वृद्धि हुई है। वर्ष 1973-74 में यह 1,034 करोड़ रु० था जो 1979-80 में बढ़ कर 2,621 करोड़ रु० हो गया, 1984,85 में यह बढ़ कर 5,415 करोड़ हो जाएगा।

श्री के० लक्प्पा : महोदय, माननीय मंत्री ने बताया है कि कुछेक कारणों से हम किसानों को दी जाने वाली ऋण सुविधाओं की प्रणाली का मूल्यांकन नहीं कर सकते । इसके दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं । पहला तो यह कि वाणिज्यिक तथा अन्य बैंकों द्वारा दी जाने वाली ऋण सुविधाओं की प्रक्रिया को आसान नहीं किया गया है और एक कठिन प्रक्रिया बनाई गई है । दूसरे किसानों की श्रेणियों, जिसमें मध्यम और भूमिहीन किसान भी सम्मिलित हैं, के विश्लेषण के अभाव में, उन तक सही समय और सही मौसम में पैसा नहीं पहुंच पा रहा है । क्या माननीय मंत्री एक वैज्ञानिक मूल्यांकन और विश्लेषण करेंगे और सभी श्रेणी के किसानों को ऋण मिल गया है अथवा नहीं यह देखने के लिए प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा । इसके लिए सरकार तंत्र का गठन करेगी ? महोदय, मुझे मालूम है आपको यह प्रश्न ठीक लगेगा ।

राव बीरेन्द्र सिंह : इस प्रक्रिया को आसान करने का प्रश्न भारतीय रिजर्व बैंक के साथ समय समय पर उठाया गया है ।

श्री के० लक्प्पा : समय समय पर से आपका क्या तात्पर्य है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : महोदय, यह सभी बैंक अर्थात् वाणिज्यिक और सहकारी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के अधीन आते हैं । किसानों की महसूस होने वाली कठिनाई और समस्याओं पर ध्यान देते हैं और भारतीय रिजर्व बैंक प्रक्रिया को अधिक से अधिक आसान बनाने की कोशिश कर रहा है । परन्तु यदि माननीय सदस्य के पास कोई विशिष्ट उदाहरण अथवा सुझाव हों कि कौन सी प्रणाली सबसे आसान है तो वह उसे मुझे भेज सकते हैं और हम उसे वित्त मंत्रालय को भेज देंगे ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : इस हाउस में इन दो सालों में कम से कम छः सात बार किसानों को ऋण देने और उसकी प्रक्रिया को आसान बनाने के बारे में बातचीत हुई है । इस विषय पर कई बार वित्त मंत्री जी ने भी कहा है और आज माननीय कृषि मंत्री भी बात कर रहे हैं । मैं जानता हूं कि किसान जब कभी ऋण के लिए एप्लाई करता है, तो उसको समयानुसार ऋण नहीं मिलता है, या जब उसकी जरूरत पूरी हो जाती है, तब उसको बैंक से ऋण देने की बात होती है । ऋण देने के भी अलग अलग बैंकों में अलग अलग नियम और व्यवस्थायें हैं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या किसानों को ऋण देने के बारे में सभी बैंकों को एक ही किस्म का निर्देश है या अलग अलग निर्देश हैं । कृषि बैंक भूमि बंधक बैंक, और अन्य बैंकों की ऋण देने की प्रक्रिया और प्रणाली अलग अलग है या एक ही प्रकार की है ? यदि अलग अलग है तो क्या आप उसको एक प्रकार का बनाने के लिए कोई व्यवस्था कर रहे हैं ? यदि हां, तो यह व्यवस्था आप कब तक कर देंगे और कब तक आपने कृषकों को ऋण देने की जो सुविधाएं बतायी हैं उसके अनुसार कितना आपने दिया है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : ऋण देने के लिए अलग अलग एजेंसियां अपने कायदे कानून स्थानीय तौर पर बना सकती हैं, लेकिन जो ओवर-आल गाइडलाइन्स रिजर्व बैंक ने रखी हैं उसके बाहर नहीं जा सकतीं । 95 हजार से ऊपर तो कोआपरेटिव क्रैडिट सोसाइटीज़ हैं प्राइमरी लेवेल पर । 300 से ऊपर डिस्ट्रिक्ट के सैंट्रल बैंक्स हैं कोआपरेटिव के । देश में 27 स्टेट कोआपरेटिव बैंक हैं । यह तो कोआपरेटिव सैक्टर है । कोआपरेटिव स्टेट सबजैक्ट है । कोआपरेटिव डिपार्टमैंट सब स्टेट्स के हाथ में हैं । तो वह अपने-अपने यहां अलग तरीके अपना सकते हैं । लेकिन रिजर्व बैंक की

नीति से बाहर वह नहीं जा सकते । प्रोसीजर के लिए हरएक स्टेट के अन्दर वह अपने अपने कायदे बना सकते हैं और कोआपरेटिव बैंक के लिए । इसी तरह कमर्शियल बैंक्स अलग अलग हैं । 25 हजार से ऊपर कमर्शियल बैंक्स की ब्रान्चेज हैं जो ऐग्रीकल्चर के लिए ऋण देती हैं । तो उनके लिए एक नीति तो ऊपर से रिजर्व बैंक लागू करता है लेकिन हरएक बैंक अपनी अपनी जगह के ऊपर प्रोसीजर क्या इस्तेमाल करता है, क्या सुविधाएं किसानों को देता है, यह वह तय करता हैं । बहुत से बैंक तो जगह जगह मेले लगा कर सारे लोगों को बुला कर और डिस्ट्रिक्ट आफिसर्स के साथ मिल कर सब एजेंसियों से बात करके सब मामला तय कर देते हैं । यह भी एक तरीका चल रहा है । कोआपरेटिव बैंक्स के लिए अलग कायदे कानून हैं, कमर्शियल बैंक्स के अलग अलग कायदे कानून हैं । सारी चीजों का ब्यौरा मेरे पास नहीं है और न मैं डीटेल में बता सकता हूं ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मैं यह पूछ रहा हूं कि ये सारी जो रीतियां और नियम हैंइन से किसानों को असुविधा होती है, तो क्या इनको एक आप कर सकते हैं और कोई ऐसी प्रणाली बना सकते हैं जिसमें सारे देश के अंदर ऋण देने के सम्बन्ध में एक नियम हो और किसान को कोई परेशानी न हो ?

राव बीरेन्द्र सिंह : आप का यह सुझाव है, इसे मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास रिजर्व बैंक के कंसिडरेशन के लिए भेज दूगा ।

श्री के० मायातेवर : महोदय, इस देश के किसान मुख्यत: दक्षिण के किसान जो कि धान की खेती करते हैं, उन्हें अपने उत्पादन के लिए उचित प्रोत्साहन मूल्य अथवा उचित मूल्य नहीं मिलता है । धान के लिए उन्हें उचित वसूली मूल्य या लैवी मूल्य नहीं मिलता है । उन्हें जो भी मिलता है वह धान उगाने के लिए उन्हें लाभकर नहीं होता । भारत सरकार उन्हें उत्तम श्रेणी के धान के लिए 115 रु० देती है । दूसरी श्रेणी के लिए उससे कम और निम्न श्रेणी के लिए और भी कम मिलता है । इसलिए उनकी हमेशा यही मांग रहती है कि धान का वसूली मूल्य और लैवी मूल्य बढ़ाया जाना चाहिए जिससे कि किसानों के हितों की रक्षा हो सके ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न 'लाभकर मूल्य' का नहीं है वरन "किसानों को ऋण" दिए जाने का है । इसका लाभकर मूल्य से कोई ताल्लुक नहीं है ।

श्री के० मायातेवर : मैं ऋण की बात भी कर रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : आप बड़े घुमाफिरा कर आरहे हैं ।

श्री के० मायातेवर : किसान तो हमेशा ऋण में ही दबा रहता है । महोदय, आप तथा सदन के सभी सदस्य जानते हैं कि किसानों को कितनी कठिनाई उठानी पड़ती है·····

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पूछें ।

श्री के० मायातेवर : अब तो किसानों की कमर ही टूट गई है । हमें इसे गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए । इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार किसानों को दिए जाने वाले

धान के लाभकर मूल्यों और वसूली मूल्य को बढ़ाने को तैयार है ? महोदय, मैं मद्रास से वापस आरहा था और मैंने 'हिन्दू' में यह देखा कि (व्यवधान) हम भारतीय हैं, भारत में रह रहे हैं । मैंने 'हिन्दू' समाचार पत्र में आज सुबह यह शीर्षक देखा : 'राज्यों ने अवज्ञा की, भारतीय रिजर्व बैंक से अधिक ब्याज लेने को कहा गया ।" कुछेक राज्य किसानों को उपकर मूल्य के रूप में सहायता दे रही हैं । तीन राज्यों–कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश—ने किसानों को उनके उत्पाद पर उपकर मूल्य देकर सहानुभूति प्रकट की हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार रिटर्व बैंक से अपने निदेश वापस लेने के लिए कहेगी जो उसने विभिन्न राज्यों को ब्याज की दर बढ़ाने के संबंध में दिए हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपसे प्रश्न पूछने के लिए कहा था परन्तु आपने तो पूरा वक्तव्य दे दिया है ।

अगला प्रश्न ।

प्रश्न सं० 420, 421 और 422 के संबंध में

प्रश्न सं० 420—श्रीमती संयोगिता राणे—अनुपस्थित ।

प्रश्न सं० 421—श्री ए० के० राव – अनुपस्थित ।

प्रश्न सं० 422—श्री त्रिलोक चन्द—अनुपस्थित :

यह तो एक अनोखी बात है ।

गेहूं का आयात

*423. **श्री जितेन्द्र प्रसाद :**

डा० कृपा सिंधु भोई : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का चालू वित्तीय वर्ष के दौरान विदेशों से गेहूं का कितना आयात करने का विचार है और 31 अक्तूबर, 1981 तक अमरीका से गेहूं का कितना आयात किया गया है और बम्बई के लिए गेहूं का प्रति क्विंटल मूल्य क्या था;

(ख) क्या सरकार का विचार गेहूं का और आयात करने का है; यदि हां, तो इसका लक्षय क्या है तथा प्रति क्विंटल कितना मूल्य दिये जाने का अनुमान है; और

(ग) क्या यह सच है कि पिछले एक वर्ष के दौरान गेहूं के मूल्य में लगभग 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुर्नानर्माण तथा सिंचाई तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, सरकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका से 15.15 लाख मीटर टन गेहूं और आस्ट्रेलिया से 7.50 लाख मीटरी टन गेहूं का आयात करने के लिए ठेका किया है । आयातित गेहूं की प्रति मीटरी टन अनुमानित लागत तथा भाड़ा मूल्य अमरीकी गेहूं के मामले में 213.47 यू० एस० डालर और आस्ट्रेलियाई गेहूं के मामले में 212.11 यू० एस० डालर बैठता है । संयुक्त राज्य अमेरिका और आस्ट्रेलिया से आयात किए गये गेहूं के उतारने के बारे में समुद्री भाड़ा, बीमा और प्रासंगिक खर्चे समेत औसत उतरान लागत (एक यू० एस० डालर-

9.22 रुपये मानकर) अनुमानतः क्रमशः 203.65 रुपये और 202.40 रुपये प्रति क्विंटल है। संयुक्त राज्य अमेरिका के 1.1 लाख मीटरी टन गेहूं की 31 अक्तूबर, 1981 तक निकासी हो चुकी है। जहां तक और आयात करने का संबंध है, सरकार आवश्यकता और परिस्थितियों पर निर्भर करते हुए गेहूं का आयात कर सकती है।

(ग) जी नहीं। देश में 28.11.81 को गेहूं का थोक मूल्य सूचकांक, पिछले वर्ष की तदनुरूपी सूचकांक की तुलना में केवल 2.1 प्रतिशत तक अधिक था।

श्री जितेन्द्र प्रसाद : अध्यक्ष जी, मन्त्री जी ने अपने जवाब में "जहां तक आयात का संबंध है, सरकार आवश्यकता और परिस्थितियों पर निर्भर करते हुए गेहूं का आयात कर सकती है।" 23 लाख टन का सौदा किया है जिसमें से सिर्फ 1 लाख टन गेहूं अभी तक आया है। मैं जानना चाहता हूं बाकी 22 लाख टन गेहूं कब तक मंगा लेंगे ?

राव बीरेन्द्र सिंह : यह तो जिस गेहूं के लिए कांट्रैक्ट हो चुका है उसकी फीगर्स हमने दे दी है। वह गेहूं आना शुरू हो गया है। सितम्बर से आना शुरू हुआ है और आगे मार्च तक आयेगा। कोई जहाज थोड़ा बहुत लेट भी हो सकता है।

श्री जितेन्द्र प्रसाद : सरकार ने दो सौ करोड़ का गेहूं खरीदा है। एक सवाल के जवाब में यह पहले कहा जा चुका है। कुछ प्रेस रिपोर्ट्स हैं, कुछ अखबारों में यह खबर छपी है कि यह गेहूं सब-स्टैण्डर्ड क्वालिटी का है जिसको ज्यादा दिन तक स्टोर नहीं किया सकता है जबकि यह गेहूं बफर-स्टाक मेनटेन करने के लिए खरीदा गया था। यदि यह प्रेस रिपोर्ट्स सही है तो क्या सरकार ने इस सौदे को निरस्त करने के लिए सोचा है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : जो सौदा हो चुका है उसको खत्म करने के लिए सरकार बिल्कुल नहीं सोच रही है।

श्री जितेन्द्र प्रसाद : क्या आप सड़ा हुआ गेहूं लेंगे ?

राव बीरेन्द्र सिंह : यह बात भी सही नहीं है कि सड़ा हुआ गेहूं आ रहा है। जो गेहूं आता है वह देखकर लिया जाता है, हमारी अपनी एजेन्सीज उसकी निगहदास्त करती हैं। अगर कहीं से कोई शिकायत है तो हम उसकी जांच कराने के लिए तैयार हैं—आनरेबल मेम्बर इस मामले में अपनी इन्फार्मेशन हमारे पास भेज दें।

डा० कृपा सिंधु भोई : माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में आयातित गेहूं की लागत भाड़ा कीमत यू० एस० डालर में बताई है। उन्होंने आगे भूति की औसत कीमत, जिसमें समुद्री भाड़ा, बीमा भी शामिल है और इस गेहूं की उतराई का आकस्मिक व्यय रुपयों में बताया है। यह काफी अस्पष्ट है। या तो यह यू० एस० डालर में बताया जाना चाहिए था या रुपयों में, साथ ही मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या आयातित गेहूं की खाद्यान्न प्रयोगशाला में जांच की जाती है कि वह मनुष्यों के खाने लायक है या नहीं। क्या ऐसा भी होता है कि गेहूं या अन्य खाद्यान्न की उतराई के समय ही पत्तन पर जांच की जा सकती है कि वह मनुष्यों के खाने लायक है अथवा नहीं।

हमारे देश में गेहूं के उत्पादन और मांग के बीच कितना अन्तर है जिससे कि 'बफर स्टाक' रखने की आवश्यकता पड़ सकती है। यदि कोई अन्तर है, तो क्या हम पर्याप्त मात्रा में गेहूं आयात कर रहे हैं जिससे कि बाजार मूल्य स्थिर हो जाए तथा देश में कालाबाजारी और जमाखोरी को खत्म किया जा सके।

राव बीरेन्द्र सिंह : लदान के समय गेहूं की ठीक से जांच होती है और हमारे देश में आने के बाद इसे उतार कर गोदामों में ले जाया जाता है तथा वहां भी ठीक से जांच की जाती है। उतराई की लागत में समुद्री भाड़ा, बीमा, माल उतारने का आकस्मिक व्यय भी शामिल है। परन्तु, देश के भीतर गोदाम तक ले जाने का प्रभार इसमें शामिल नहीं है। यह माल उतराई की लागत है। यह कहना तो मुश्किल है कि हमारे उत्पादन और देश की मांग में आगे क्या अन्तर होगा। परन्तु हमें उम्मीद है कि इस आयात से हम मूल्य स्थिर कर सकें हैं। मूल्यों में वृद्धि नहीं हुई है; कालाबाजारी करने वाले बाजार का फायदा नहीं उठा सके हैं। पिछले वर्ष पड़ने वाले सूखे से जो स्टाक गिर गया था उसे भी हम पूरा कर पाए हैं और इससे उपभोक्ताओं के हित में फायदा रहा है।

डा० कृपा सिंधु भोई : मैं खास तौर पर जानना चाहता हूं कि क्या हमारे देश में ऐसा कोई कायदा है कि खाद्यान्नों की जांच की जाए जिससे कि देखा जा सके कि यह मनुष्यों के खाने लायक है अथवा नहीं।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने बताया है कि बिना जांच के यह नहीं लिया जाता है।

राव बीरेन्द्र सिंह : इसकी अच्छी तरह जांच की जाती है। जो मनुष्यों के खाने लायक नहीं है उसका हम आयात नहीं करते।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, सरकार का आंकड़ा हमेशा बतलाता है कि पैदावार बढ़ रही है और इस साल 130 मिलियन टन बढ़ रही है और दूसरी तरफ सरकार के मंत्री बड़े फक्र के साथ विदेशों से 25 मिलियन टन गल्ला मंगा चुके हैं और अभी भी रास्ता खुला हुआ है कि भविष्य में कितना गल्ला मंगाना है। इन दोनों में कौन सा आंकड़ा सही है—सरकार जो आंकड़ा देती है कि पैदावार द्रुतगति से बढ़ रही है या इन्होने जो गल्ला मंगाया है, यह सही है?

अध्यक्ष महोदय : पैदावार दोनों तरफ बढ़ रही है।

श्री राम विलास पासवान : यह प्रश्न है और दूसरा मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या आप गेहूं आयात कर रहे हैं, तो चावल भी निर्यात कर रहे हैं, चूंकि पैदावार सभी क्षेत्रों में बढ़ रही है? भारत के किसान को ए० पी० सी० कहता है कि 142 रु० प्रति क्विंटल देंगे और आप बाहर से 205 रु० प्रति क्विंटल मंगा रहे हैं, यह कौन से दिमाग की उपज है, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है? इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि आप क्यों नहीं अपने किसानों को तरजीह देते हैं···आप अपने किसान को प्रोत्साहन क्यों नहीं देते हैं। आप विदेशी मुद्रा खर्च

करने में क्यों फंस गये हैं ? मैं जानना चाहूंगा—ये दोनों एक दूसरे के विरोधा-भास हैं, इसका जवाब दें ?

राव वीरेन्द्र सिंह : जनाब, यह इसलिये मंगाना पड़ा कि हमारी गेहूं की स्टाक-पोजीशन काफी नीचे चली गई थी। मैं बार-बार बतला चुका हूं - अगर यह गेहूं न मंगाया जाता तो हमें खतरा था कि गेहूं की कीमतें खुले बाजार में बहुत ऊंची चली जाती, इससे सरकार कीमतें कन्ट्रोल करने में कामयाब रही है। 7-8 मिलियन टन के करीब गेहूं पीछे आता रहा है जिसका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिये इस्तेमाल होता रहा है। अगर इतना गेहूं हमारे पास इकट्ठा हो जाय, देश के अन्दर, तो वितरण प्रणाली ठीक से चल सकती है, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हम किसानों को मजबूर नहीं करना चाहते हैं कि जितना पैदा करे, वह सारे-का-सारा सरकारी भण्डार में आ जाय, लेकिन साथ ही हम यह भी चाहते हैं कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ठीक से चलता रहे ताकि रीजनेबिल कीमत पर उपभोक्ताओं को गेहूं और चावल मिलता रहे।

श्री राव विलास पासवान : आप किसान को कितना दे रहे हैं ?

राव वीरेन्द्र सिंह : आपने जितना बतलाया है उतना ही दे रहे हैं। 130 रुपये दे रहे हैं, लेकिन आगे के लिये अभी कीमत तय नहीं की है, जब तय करेंगे तो जो कुछ आपने कहा है उन बातों का ध्यान रखेंगे।

श्री राम विलास पासवान : मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि भारत के किसान को 130 रुपया दे रहे हैं, जब कि बाहर से 205 रुपये पर मंगा रहे हैं—ऐसा क्यों ?

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं—यदि यह तर्क मान लिया जाय—बावजूद इसके कि 130 मिलियन टन अनाज इस साल पैदा हुआ और जितनी हमारीजरूरत थी उसके मुताबिक हम समझते थे कि हम खाद्य पदार्थों में आत्म-निर्भर हो गये हैं, लेकिन फिर भी आपको 24 लाख टन गेहूं अमरीका या आस्ट्रेलिया से मंगाना पड़ा है और आपने अभी यह भी कहा है कि अभी रास्ता खुला हुआ है, हम नहीं कह सकते कि आगे नहीं मंगाना पड़ेगा। आप इस समय भारतीय किसान को 130 रुपये फी क्विंटल दे रहे हैं, लेकिन विदेशी गेहूं 205 रुपये लैंडिंग-कास्ट पर मंगा रहे हैं—इससे किसानों का मन टूटता है, हौसला टूटता है, यह देश के लिये अच्छी बात नहीं है, न्यायसंगत बात नहीं है। चूंकि सरकार ने फर्टिलाइजर, पानी और बिजली की कीमत इतनी ज्यादा कर दी है कि उसके मुताबिक किसान को सही दाम नहीं मिला, इसीलिये किसान ने प्रोक्योरमेन्ट स्कीम में सरकार को सहयोग नहीं दिया। अगर किसान को सरकार से ऊंची कीमत मिलती तो सरकार को बाहर से फारन-एक्सचेंज खर्च करके मंगाने की जरूरत न पड़ती। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए—फर्टिलाइजर, बिजली और पानी की कीमतों को ध्यान में रखते हुए—किसान को दी जाने वाली कीमतों को फिर से रिवाइज करें, जिस तरह से इण्डस्ट्रीज में तमाम इनपुट्स को ध्यान में रखकर कीमतें तय होती हैं, उसी तरह से किसान को इनपुट्स को ध्यान में रख कर सरकारी कीमत तय करें।

दूसरे—क्या सरकार इस बात में अपनी असफलता को स्वीकार करेगी कि प्रोक्योरमेंट ठीक से नहीं कर पाई है और आगे से उनको अच्छी कीमत दे ताकि प्रोक्योरेमेंट पूरा हो सके और बाहर से गेहूं न मंगाना पड़े ? क्या सरकार इन सुझावों पर विचार करेगी ?

राव बीरेन्द्र सिंह : इन सब बातों पर सरकार हमेशा विचार करती रही है। गेहूं की जो कीमत बाहर से आने के बाद बतलाई है उसमें ज्यादातर समुद्र के जरिये दूर से लाने का किराया भी शामिल है।

श्री चन्द्रजीत यादव : बाहर से जो गेहूं आप मंगाते हैं, उसके लिए किराया देकर आप को 205 रुपये प्रति क्विंटल देना पड़ता है। इतने में आप यहां से क्यों नहीं खरीदते ? यहां 160 रुपये ही देते हैं।

राव बीरेन्द्र सिंह : गेहूं की कीमत जो अमेरिका और आस्ट्रेलिया में दे रहे हैं, ऐसी ही कीमत हम हिन्दुस्तान में किसानों को दे रहे हैं। उसमें मेरी निगाह में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। ..(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : मैं आपका फैसला करवा दूं, दोनों का ?

राव बीरेन्द्र सिंह : मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जितनी बार फर्टिलाइजर्स की कीमत बढ़ाई है, उतनी बार किसानों के गेहूं के और चावल के भी दाम बढ़ाए हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : नहीं बढ़ाए हैं।... (व्यवधान)...

राव बीरेन्द्र सिंह : पिछले सालों में और 1976 के बाद हमने कोई गेहूं नहीं मंगाया था और इसलिए हम अब यह कह सकते हैं कि अनाज के मामले में हिंदुस्तान करीब-करीब आत्म-निर्भर हो गया है।

श्री चन्द्रजीत यादव : आप मंगा रहे हैं बाहर से। यहां पर 160 रुपये प्रति क्वींटल मांगे गये थे और वे आपने नहीं दिये और 205 रुपये क्वींटल पर आप इम्पोर्ट कर रहे हैं।

राव बीरेन्द्र सिंह : हमने चावल बहुत ज्यादा बाहर भेजा है। चावल एक्सपोर्ट किया है और सा गेहूं सिर्फ इस साल मंगाया है लेकिन सारा अनाज देखा जाए कि कितना एक्सपोर्ट किया है और कितना इन पिछले चार-पांच सालों में मंगाया है, तो उसको देखते हुए यह मानना पड़ेगा कि हमें ज्यादा अनाज बाहर से मंगाने की जरूरत नहीं है।

श्री चरण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से दो बातें जानना चाहता हूं। एक तो यह है कि क्या उनको यह मालूम है या नहीं कि जिस साल भी प्रोक्योरमेंट की प्राइस कम रखी गई उसके अगले साल व्हीट एक्रेज कम हो गई। अगर आप 15-20 सालों के आंकड़े देखें,

तो उनसे यह साबित होता है कि जब माकूल प्राइस किसान को दी गई, तो किसान ने गल्ला दिया और अगले साल उसने ज्यादा बोया और उसके अगले साल उससे भी ज्यादा बोया लेकिन जब प्राइस कम कर दी, तो अगले साल उत्पादन गिरा और उसके बाद भी गिरा। तो क्या मंत्री जी को यह मालूम है या नहीं कि जब वे अपने किसानों को इन्सेंटिव नहीं देंगे और इसके बजाय दूसरे किसानों को सब्सीडाइज करते हैं, तो यह जो एक नीति है, उसी का नतीजा है जो सामने आया है।

दूसरी बात यह है कि क्या वे मानने के लिए तैयार हैं कि जहां अपोजीशन ने 170 रुपये प्रति क्वींटल की मांग की थी, तो 170 रुपये आपने नहीं दिये और 205 रुपये प्रति क्वींटल दे कर आप बाहर से गेहूं मंगा रहे हैं। अगर आप उनको 170 रुपये प्रति क्वींटल दे देते, तो जो आपके स्टाक में कमी है, उसको यहां के किसान पूरा कर देते।

राव बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, जो चौधरी साहब ने नीति हमें सिखाई है, उसी नीति पर हम चल रहे हैं। इसीलिए गन्ने की पैदावार हम बढ़ाने में कामयाब हुए हैं और जो नीति चौधरी साहब हमें समझा रहे हैं, उस पर वे नहीं चले, इस वास्ते गन्ने को आग लगानी पड़ी थी किसानों को।...(व्यवधान) ..गन्ने का मामला तो हमने संभाल लिया है और दूसरे मामले को भी संभाल लेंगे।

श्री चन्द्रजीत यादव : गेहूं के मामले में इन्सेंटिव देने की यहां बात है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : गन्ना अलग है, गल्ला अलग है।...(व्यवधान)

राव बीरेन्द्र सिंह : फर्टिलाइजर्स के ऊपर आज भी सरकार 450 करोड़ रुपये के करीब साल में सब्सीडी खर्च कर रही है और हम चौधरी साहब की इस बात से इत्तिफाक नहीं कर सकते कि किसान को जितने ऊंचे दाम दिये जाएंगे, तो उससे हमारा प्रोक्योरमेंट बढ़ जाएगा। इसमें बहुत सी चीजें देखनी पड़ती हैं। अगर 170 रुपये प्रति क्वींटल प्रोक्योरमेंट की प्राइस सरकार रख दे और यह मिनीमम प्राइस हो, तो बाकी चीजों की कीमतें उसी हिसाब से ऊपर हो जाएंगीं और सिर्फ गेहूं की नहीं बल्कि हर चीज की कीमत बढ़ जाएगी और एकदम इन्फ्लेशन बढ़ेगा और इससे देश के अन्दर बहुत से खतरे पैदा हो जाएंगे। इसलिए सिर्फ किसान की पैदावार को देखकर नहीं चलते हैं बल्कि और चीजों को भी देखना होता है। अगर सरकार 170 रुपये प्रति क्वींटल खरीदना भी चाहेगी, तो फिर भी चौधरी साहब किसानों को समझा देंगे कि अब भी मत बेचो और व्यापारियों को 172 रुपये लेकर बेच दो। व्यापारी 2 रुपये ज्यादा देकर खरीद लेगा और अपोजीशन फिर भी यही कहेगा कि कीमत काफी नहीं है। इसलिए हमें तो सब चीजों का बैलेंस रखना पड़ता है।

———

प्रश्नों के लिखित उत्तर

कृषि सेवा केन्द्र

*415. **श्री जायनल अबेदिन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि सेवा केन्द्रों को लघु उद्योगों की श्रेणी में रखा गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन केन्द्रों को विभिन्न वित्तीय संस्थानों से लघु उद्योग के अन्य एककों के समान राजसहायता अथवा ऋण प्राप्त हो रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि तथा पुनर्निर्माण तथा सिंचाई तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) से (ग) कृषि सेवा केन्द्र मुख्यत: कृषि मशीनरी के कस्टम भाड़े तथा कृषि आदानों के व्यापार के काम में लगे हुये हैं। इन कार्यकलापों को औद्योगिक कार्यकलापों के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। तदनुसार ये केन्द्र लघु उद्योगों के लिए उपलब्ध वित्तीय लाभ प्राप्त करने के हकदार नहीं है।

सौराष्ट्र में मूंगफली के उत्पादन में गिरावट

*417. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि सौराष्ट्र में गत दस वर्षों से मूंगफली के उत्पादन में गिरावट आती जा रही है;

(ख) क्या उत्पादन में उक्त प्रति हैक्टेयर कमी की जांच करने के लिये कोई गहन अध्ययन किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार इस समस्या पर विचार करने के लिये क्या कदम उठाने की सोच रही है ?

कृषि तथा पुनिर्माण तथा सिंचाई तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) तथा (ख) सौराष्ट्र में मूंगफली अधिकतर वर्षा सिंचित फसल के रूप में उगाई जाती है और पिछले वर्षों में इसके उत्पादन एवं पैदावार में मौसम की परिस्थितियों के अनुसार उतार-चढ़ाव आता रहा। 1980-81 में इसका 15.1 लाख मीटरी टन उत्पादन हुआ जबकि 1971-72 में 13.2 लाख मीटरी टन उत्पादन हुआ था।

(ग) सरकार मूंगफली की पैदावार तथा उत्पादन से संबंधित समस्याओं को जानती है। तिलहन विकास की विभिन्न केन्द्रीय तथा केन्द्र द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं के माध्यम से विभिन्न राज्यों और विशेष रूप से गुजरात में मूंगफली के उत्पादन तथा पैदावार को बढ़ाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। पिछले वर्ष से सौराष्ट्र में मूंगफली विकास से संबंधित एक विशेष परियोजना आरम्भ की गई है।

विश्व खाद्य कार्यक्रम से मिली सहायता

*420. **श्रीमती संयोगिता राणे** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में इस वर्ष दिसम्बर के पहले सप्ताह में विश्व खाद्य कार्यक्रम की एक सेमिनार आयोजित की गई थी जिसमें खाद्य सहायता के उपयोग और विश्व कार्यक्रम द्वारा दी जाने वाली सहायता के बारे में नए विचारों पर चर्चा हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा भारत की विकास परियोजनाओं के लिए कितनी खाद्य सहायता दी जायेगी ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा सिंचाई तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी हां।

(ख) विश्व खाद्य कार्यक्रम विचार गोष्ठी पूर्णतया एक आंतरिक क्षेत्रीय विचार गोष्ठी तथा विश्व खाद्य कार्यक्रम की कार्यशाला थी। इसमें एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्र और रोम स्थित इसके मुख्यालय में कार्य कर रहे विश्व खाद्य कार्यक्रम के 41 अधिकारियों ने भाग लिया।

(ग) प्राप्त जानकारी के अनुसार, भारत में विकास परियोजनाओं के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा दी जाने वाली खाद्य सहायता के बारे में इस विचार गोष्ठी में विचार नहीं किया गया था।

धनबाद जिले और छोटा नागपुर में पानी के अकाल की आशंका

*421. **श्री ए० के० राय** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि बिहार के धनबाद जिले और छोटा नागपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में इस साल के भयंकर सूखे के कारण आने वाले महीनों में पानी के विनाशकारी अकाल पड़ने की आशंका है,

(ख) क्या यह सच है कि सुंदर जंगली इलाकों में पानी की अत्यधिक कमी होगी जिसका आदिवासी लोगों तथा जंगल के सभी जीवों पर प्रभाव पड़ेगा;

(ग) क्या सभी नहरों और धाराओं पर उनके सूखने से पहले अस्थाई बांधों का निर्माण करके वहां पर तत्काल पानी का जमाव करना जीवन बचाने के लिए आवश्यक है;

(घ) क्या यह सच है कि अभी तक इस बारे में कुछ नहीं किया गया है, और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा सिंचाई तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) से (ङ) बिहार राज्य सरकार से जानकारी मांगी गई है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली की यमुना पार कालोनियों को गंदा जल की सप्लाई

*422. **श्री त्रिलोक चन्द** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की यमुना पार कालोनियों को पेय जल की सप्लाई करने के लिए गंगा का पानी लाने हेतु कोई पानी की लाइन बिछाई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस पर कब काम शुरू हुआ था, यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) इस योजना के अन्तर्गत दिल्ली के लोगों को पानी की सप्लाई कब तक किए जाने की सम्भावना है; और

घ) यदि इसमें विलम्ब होने की सम्भावना है तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (घ) 30.70 करोड़ रुपये की लागत से शाहदरा में स्थापित किए जारहे जलशोधन संयत्र में कच्चा पानी गंगा नहर से आयेगा। दिल्ली जल सप्लाई तथा जल व्यय संस्थान की ओर से उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा कच्चे पानी लाने के लिए एक कन्ड्यूट लाईन विछाई जा रही है। इस सम्बन्ध में आवश्यक मंजूरी उत्तर प्रदेश जल निगम को 1975 में दी गई थी । कन्ड्यूट निर्माण का 90 प्रतिशत से अधिक कार्य पूरा कर लिया गया है।

शाहदरा का जल शोधन संयंत्र मुख्यतः शाहदरा तथा दक्षिण दिल्ली के निवासियों को आवश्यकता की पूर्ति के लिए है। जल शोधन एककों के निर्माण तथा वितरण पद्धति की लाइन बिछाने का कार्य प्रगति पर है। संयत्र को चालू होने की निर्धारित तिथि 1983 है। तथापि इस संयंत्र के प्रथम चरण को चालू करने की तिथि को एडवान्स करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं।

कृषि मूल्य आयोग की रिपोर्ट

*424. **प्रो० पी० जे० कुरीयन** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि मूल्य आयोग ने 1982-83 के विपणन काल के लिए अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इसकी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(न) इस पर सरकार के विचार क्या हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा सिंचाई तथा नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) से (ग) कृषि मूल्य आयोग ने 1982-83 के मौसम में मण्डी में आने वाली 1981-82 फसल के लिए गेहूं की मूल्य नीति से सम्बन्धित रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इस रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित हैं :—

(1) 1981-82 की फसल के लिए गेहूं का अधिक प्राप्ति मूल्य 142 रुपये निर्धारित किता जाए;

(2) कुछ गिनी-चुनी किस्मों पर ध्यान केन्द्रित करने की वजाय वि पर्यावरण सम्बन्धी स्थितियों के लिए उपयुक्त विविध प्रकार की किस्मों के अनुसन्ध पर जोर दिया जाना चाहिए और ज्यादा पैदावार देने वाली ऐसी किस्मों के बीज· प्राथमिकता दी जाए जो नए किस्म के रतुआ तथा करनल बंट की प्रतिरोधी हों;

(3) महत्वपूर्ण आदानों जैसे उर्वरकों, डीजल और कीटनाशियों के को विशेष रूप से उन परिस्थितियों में. जब कि अर्थ-नीति का मूल आधार काबू पाना हो, नियंत्रित रखा जाए ।

यह रिपोर्ट गेहूं के उत्पादन और खपत वाले प्रमुख राज्यों के मुख्य-: विचार जानने के लिए भेज दी गई है । राज्यों के विचार जानने और सम्बन्धि से परामर्श करने के बाद सरकार द्वारा अधिप्राप्ति मूल्यों के स्तर के बारे जायेगा ।

कृषि मूल्य आयोग ने 1982-83 के विपणन मौसम के लिए धान की मूल में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है क्योंकि अभी यह सम्भव नहीं है ।

खाद्यान्न के उत्पादन की तुलना में जनसंख्या में हुई वृद्धि का अनुप

*425. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित जानका विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पिछले तीन वर्षों में जनसंख्या तथा खाद्यान्न के उत्पाद का अनुपात क्या है; और

(ख) क्या हमारे देश में उक्त अवधि के दौरान इन दोनों में वृद्धि का पूर्वी एशियाई देशों की तुलना में अधिक रहा है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा सिंचाई तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव (क) और (ख) देश में गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में जनसंख्या : औसत वृद्धि की प्रतिशतता की तुलना में खाद्यान्न उत्पादन में हुई वार्षिक वृद्धि का अनुपात नीचे दिया गया है:—

1978—79	1979—80	1980 –
1.94	-7.51	8.21

दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों के सम्बन्ध में गत 3 वर्षों की तुलनात्मक जान नहीं है ।

खादी के उत्पादन तथा इसके परिणाम-स्वरूप रोजगार उपलब्ध कराने में अत्यधिक कमी

*426. **श्री रेणुपद दास** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

पिछले तीन वर्षों में इन वर्षों के लिये निर्धारित लक्ष्य की अपेक्षा खादी के उत्पादन में तेजी से कमी होने तथा इसके परिणामस्वरूप लोगों को रोजगार कम मिलने के क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निमाण तथा सिंचाई तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : गत तीन वर्षों के दौरान खादी के उत्पादन जहां तक इसकी मात्रा तथा उसके मूल्य का सम्बन्ध है, में निरंतर वृद्धि हुई है । इसके साथ-साथ रोजगार में भी वृद्धि हुई है जैसा कि निम्नलिखित आंकड़ों से पता चलता है:—

वर्ष	उत्पादन		रोजगार
	मात्रा (मिलियन वर्ग मीटर)	मूल्य (करोड़ रुपये में)	(लाख व्यक्ति)
1978-79	71.50	76.54	10.34
1979-80	82.27	92.03	11.20
1980-81	91.00 (अनंतिम)	106.85 (अनंतिम)	12.06 (अनन्तिम)

तथापि, आयोग द्वारा प्राप्त उत्पादन तथा रोजगार के स्तर उनके द्वारा प्रस्तावित लक्ष्यों से कम हैं । यह इस वजह से हुआ है कि आयोग को सरकारी आबंटनों के अतिरिक्त संस्थागत वित्त में वृद्धि करने की आशा थी और इसके परिणामस्वरूप आयोग ने उच्च परिव्ययों के आधार पर ये लक्ष्य रखे थे । तथापि, वे इन उच्च लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपेक्षित पर्याप्त संस्थागत वित्त में वृद्धि नहीं कर सके । आयोग द्वारा प्रस्तावित लक्ष्य, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सुझाए गए परिव्यय तथा सरकार द्वारा किए गए वास्तविक आंवंटन नीचे दिए गए हैं :—

वर्ष	आयोग द्वारा प्रस्तावित लक्ष्य			लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सुझाए गए परिव्यय (करोड़ रुपये में)	सरकार द्वारा किए गए वास्तविक आबंटन (करोड़ रुपये में)
	उत्पादन		रोजगार		
	मात्रा (मिलियन वर्ग मीटर)	मूल्य (करोड़ रुपये में)	लाख व्यक्ति		
1978-79	85.00	82.00	11.28	57.60	38.00
1979-80	95.05	95.25	12.05	51.47	45.50
1980-81	90.91	111.00	11.86	45.00	39.00

आयोग की उपलब्धियों को संतोषजनक माना गया है तथा वे किए गए वित्तीय आवंटनों के अनुकूल हैं ।

दिल्ली में टैक्सी स्टैंड

*427. श्री निहाल सिंह : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कितने टैक्सी स्टैंड हैं और उन्हें अपनी टैक्सियां खड़ी करने के लिए कितनी जगह दी गई है;

(ख) क्या दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर पालिका इन टैक्सी स्टैंडों से कोई किराया वसूल करती है; और

(ग) यदि हां, तो उनसे कितना वार्षिक राजस्व प्राप्त होता है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि दिल्ली में 496 टैक्सी स्टेण्ड हैं । प्रत्येक स्टेण्ड पर खड़ी की जाने वाली अनुमेय टैक्सियों की संख्या भिन्न-भिन्न है और जनता की आवश्यकता/पार्किंग के स्थान की उपलब्धता के आधार पर निर्धारित की जाती है ।

(ख) दिल्ली नगर निगम तथा नई दिल्ली नगर पालिका ने सूचित किया है कि उनके अपने-अपने सीमा क्षेत्रों के टैक्सी स्टेण्डों पर टेलीफोन बूथों के लिए ही तहबाजारी फीस वसूल की जा रही है ।

(ग) दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा क्रमश: 56,000 रुपये और 80,100 रुपये का वार्षिक राजस्व प्राप्त किया गया ।

खादी और ग्रामोद्योग में उत्पादन

*428. श्री एन० ई० होरो : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि खादी और ग्रामोद्योगों का उत्पादन बहुत ही संतोषजनक है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के उत्पादन के सम्बन्ध में (राज्यवार) ब्यौरा क्या है; और

(ग) खादी और ग्रामोद्योगों के श्रमिकों को अलग-अलग औसत कितनी दैनिक मजूरी दी जाती है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा सिंचाई तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) 1977-78, 1978-79 तथा 1979-80 के वर्षों के दौरान खादी तथा ग्रामोद्योगों के उत्पादन का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण विवरण में दिया गया है । वर्ष 1980-81 के दौरान प्राप्त किए उत्पादन के सम्बन्ध में अन्तिम आंकड़े संकलित किए जा रहे हैं ।

(ग) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के कार्यक्रम में शामिल सभी उद्योगों के संबंध में मजदूरी/अर्जन का अलग से अखिल भारत औसत प्रस्तुत करना संभव नहीं है । मोटे तौर पर, इस क्षेत्र में 8 घण्टों के कार्य के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की आय लगभग 4 से ५ रुपये है ।

क्र० सं०	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	विवरण उत्पादन लाख रुपए में								
		खादी	ग्रामोद्योग 1977-78	कुल	खादी	ग्रामोद्योग 1978-79	कुल	खादी	ग्रामोद्योग 1979-80	कुल
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1. राज्य —									
1.	आन्ध्र प्रदेश	326.13	849.99	1176.12	402 52	1098.93	1501.45	543.90	1859.95	2403.85
2.	असम	51.29	227.39	278.68	59.36	206.81	266.17	45.44	289.44	334.88
3.	बिहार	433.42	1197.15	1630.57	496.19	1380.07	1876.26	699.03	2057.22	2756.55
4.	गुजरात	378.09	721.63	1099.72	549.89	1311.82	1861.71	679.39	2250.88	2930.27
5.	हरियाणा	133.78	874.68	1008.46	168.85	1064.12	1232.97	168.46	1382.44	1550.90
6.	हिमाचल प्रदेश	39.82	221.28	261.10	45.51	242.55	288.06	59.85	401.48	461.33
7.	जम्मू तथा काश्मीर	100.92	295.87	296.79	118.32	328.22	446.54	108.38	379.31	487.69
8.	कर्नाटक	366.50	1643.51	2010.01	379.03	1756.14	2135.17	444.39	2129.87	2574.26
9.	केरल	149.15	861.51	1010.66	129.16	1221.20	1350.36	177.52	1612.90	1790.42
10.	मध्य प्रदेश	85.20	480.94	566.14	95.81	284.61	380.42	135.90	485.61	621.51
11.	महाराष्ट्र	143.37	2391.61	2534.98	206.32	3399.56	3605.88	258.95	3998.61	4257.56
12.	मणिपुर	0.73	187.03	187.76	1.94	215.37	217.31	1.32	239.19	250.51
13.	मेघालय	—	5.70	5.70	—	7.20	7.20	—	12.81	12.81
14.	नागालैण्ड	—	2.12	2.12	—	4.64	4.54	—	2.76	2.76
15.	उड़ीसा	43.11	340.60	383.71	45.16	303.04	349.20	67.24	547.39	614.63
16.	पंजाब	334.61	834.43	1169.04	447.72	1068.04	1515.76	501.18	1320.11	1821.29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17. राजस्थान	863.25	964.00	1827.25	1096.33	1161.40	2257.73	1384.64	1574.46	2959.10
18. सिक्किम	2.07	*	2.07	2.03	0.24	2.27	0.49	0.14	0.63
19. तमिलनाडु	1345.24	3017.21	4362.45	1216.40	4237.13	5453.53	1327.73	6330.16	7657.89
20. त्रिपुरा	1.15	51.69	52.84	10.71	71.84	82.55	13.56	122.82	136.38
21. उत्तर प्रदेश	1325.68	3607.90	4933.58	1693.06	4305.87	5998.93	1972.54	6935.19	8907·73
22. पश्चिम बंगाल	363.20	367.63	730.83	449.75	441.78	891.53	579.29	624.54	1203.83
योग I :	6486.71	19143.87	25630.58	7615.06	24110.48	31725.54	9169.20	34567.28	43736.48
II. केन्द्र शासित क्षेत्र—									
1. अरुणाचल प्रदेश	1.80	—	1.80	—	0·14	0.14	—	—	—
2. चण्डीगढ़	0.42	35.09	36.41	—	69.62	69.62	—	104.98	104.98
3. दादर तथा नागर हवेली	—	0.09	0.09	0.05	2.56	2.61	0.12	3.26	3.38
4. दिल्ली	—	21.99	21.99	36.94	38.96	75.90	33.37	47.64	81.01
5. गोवा, दमन तथा द्वीव	—	3.70	3.70	0.03	12.90	12.93	—	14.61	14.61
6. पाण्डिचेरी	—	16.48	16.48	1.69	12.07	13 76	—	12.25	12.25
योग II :	2.22	78.25	80.47	38.71	136.25	179.96	33.49	182 74	216.23
III. विविध—									
1. विभागीय	—	31.30	31.30	—	50.60	50.60	—	48.43	48.43
2. अन्य मदें	—	0.39	0.39	—	—	—	—	—	—
योग III.	—	31.69	31.69	—	50.60	50.60	—	48.43	48.43
योग : I+II+III :	6488.93	19253.81	25742.74	7653.77	24297.33	31951.10	9202.69	34798.45	44001.14

दिल्ली में पट्टा व्यवस्था को समाप्त करना

*429 **श्री भीखू राम जैन :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली के कुछ भागों में भूमि को पट्टे पर दिए जाने की व्यवस्था समाप्त कर दी है;

(ख) क्या जनता की निरन्तर मांग के कारण सरकार का विचार इस व्यवस्था को पूर्णतया समाप्त करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। तथापि सरकार एक सीमित प्रस्ताव पर विचार कर रही है कि क्या दिल्ली में रिहायशी सम्पत्तियों के मामले में विद्यमान लीजहोल्ड पद्धति को समाप्त कर दिया जाय या इसको बदल दिया जाय।

(ग) उपर्युक्त पर निकट भविष्य में निर्णय ले लिए जाने की सम्भावना है।

यंत्रीकृत नौकाओं के अधिक प्रयोग का परम्परागत मछेरों पर प्रभाव

*431. **श्री डी० पी० जदेजा :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तटीय रेखा के पास यंत्रीकृत नौकाओं और मत्स्य नौकाओं के अधिक प्रयोग किये जाने का परम्परागत मछेरों की स्थिति पर, मछली पकड़ने और आय की दृष्टि से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार छोटे मछेरों के लाभ के लिए परम्परागत नौकाओं, यंत्रीकृत नौकाओं और गहरे समुद्र में जाने वाले पोतों के लिये क्षेत्रों को स्पष्ट तौर पर सीमा निर्धारित करने का विचार है ?

कृषि ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख) समुद्र तट के पास यंत्रीकृत नौकाओं तथा बड़े मत्स्यन जलयानों के मत्स्यन कार्यों से परम्परागत मछुओं की मछली पकड़ने तथा आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। परम्परागत मछुओं के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से सरकार ने सभी समुद्र-तटीय राज्यों के लिए समुद्री मत्स्यन विनियमन के संबंध में एक आदर्श विधेयक की सिफारिश की है और उन्हें सलाह दी है कि वे परम्परागत मछुओं, यंत्रीकृत नौकाओं तथा गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जलयानों के कार्य क्षेत्रों का सीमांकन करें। केरल, महाराष्ट्र तथा गोवा की सरकारों ने इस संबंध में पहले ही उपयुक्त कानून बना रखे हैं। सरकार समुद्र-तट से 12 सागरीय मील तक की क्षेत्रीय जल सीमा में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जलयानों को मछली पकड़ने की अनुमति नहीं देती है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों का कोटा

*432. **मोहम्मद असरार अहमद :**

श्री हीरालाल आर० परमार : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिए आवास योजना के अन्तर्गत कोई कोटा निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने व्यक्तियों को मकान आबंटित किये गये हैं; और क्या उन्हें भविष्य में भी मकान आबंटित करने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक आवास योजना में रिलीज किये गये मकानों का 25 प्रतिशत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को आवंटन के लिए आरक्षित होता है ।

(ख) और (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित व्यक्तियों को विभिन्न वर्षों के 1318 मकान आबंटित किये गये हैं । इन वर्गों को भावी आबंटन भी उसके लिए निर्धारित कोटे के अन्तर्गत किये जायेंगे ।

राज्यों में भूमि सुधार कानूनों का कार्यान्वयन

*433. **श्री राम विलास पासवान :** क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी पंचवर्षीय योजना को सफल बनाने के लिये विभिन्न राज्यों में लागू भूमि सुधार कानूनों के क्रियान्वयन का पुनरीक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में इन कानूनों का कार्यान्वयन संतोषजनक नहीं पाया गया है; और

(ग) उन राज्यों में भूमि सुधार कानूनों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) से (ग) भूमि सुधार कानूनों के कार्यान्वयन को उन सभी राज्यों में प्राथमिकता वाला कार्यक्रम

समझा गया है जहां कृषि भूमि का सामुदायिक स्वामित्व भूमि काश्तकारी पद्धति की घोषित विशिष्टता नहीं है। भूमि में सम्पत्ति के अधिकारों से संबंधित मामलों में कुछ विलम्ब होना स्वाभाविक है तथा सभी राज्यों में कार्यान्वयन की गति एक जैसी नहीं होगी क्योंकि अलग-अलग राज्यों में प्रचलित परिस्थितियों के अनुसार समस्याएं भिन्न-भिन्न हैं।

चूंकि भूमि सुधार राज्य का विषय है अतः केन्द्र सरकार राज्य सरकारों से शीघ्र कार्यान्वयन के लिए आग्रह कर रही है।

उत्तर प्रदेश में काम के बदले अनाज कार्यक्रम

*434. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों से उत्तर प्रदेश राज्य में काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत कितनी योजनायें चल रही हैं और इन योजनाओं में कितने लोगों को काम मिलता रहा है;

(ख) क्या गेहूं और चावल की अनुपलब्धता के कारण काम में कई बार विलम्ब हुआ है या बाधा पहुंची है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) योजनाओं की संख्या के बारे में केन्द्रीय स्तर पर सूचना नहीं रखी जाती है। तथापि, इन दो वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त की गई भौतिक उपलब्धियों को दर्शाने वाला विवरण-1 सभा-पटल पर रखा जाता है। कार्यक्रम के अन्तर्गत इन दो वर्षों के दौरान सृजित रोजगार को दर्शाने वाला विवरण-2 सभा-पटल पर रखा जाता है।

(ख) और (ग) भारतीय खाद्य निगम कुछेक गोदामों में खाद्यान्नों की अनुपलब्धता, कभी-कभी खाद्यान्नों के होने में आई कठिनाइयों आदि के कारण कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माण कार्यों के निष्पादन में कुछ बाधा पहुंची थी।

विवरण-1

गत दो वर्षों के दौरान काम के बदले अनाज कार्यक्रम/राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत सृजत भौतिक परसिम्मम्पत्तियों को दर्शाने वाला विवरण।

क्र० सं०	मद	1979-80	1980-81+
1	2	3	4
1.	भू-संरक्षण के अन्तर्गत क्षेत्र (हैक्टेयर)	38,238	34,827
2.	पौधरोपण के अन्तर्गत क्षेत्र (हैक्टेयर)	361	1,204

+दिसम्बर 1980 तक की अवधि से सम्बन्धित है।

1	2	3	4
3.	सड़क निर्माण-कार्य :		
	(क) रखरखाव/सुधारी गई/मरम्मत की गई (कि० मी०)	46,212	1,18,037
	(ख) निर्मित नई सड़कें (कि० मी०)	32,188	5,772
4.	अन्य निर्माण-कार्य (संख्या)	3,388	53,838

विवरण-2

गत दो वर्षों के दौरान कार्यक्रम के अन्तर्गत सृजित रोजगार निम्न प्रकार है :—

वर्ष	सृजित रोजगार (लाख श्रम दिन)
1979-80	819.52
1980-81 (सितम्बर, ६0 तक)	479.36

बिहार में सिचाई योजनाओं के लिये वित्तीय सहायता

*435. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या सिचाई मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विहार सरकार ने केन्द्रीय सरकार को नई सिचाई योजनायें भेजी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने इन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिये वित्तीय सहायता मांगी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा सिचाई तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) बिहार सरकार ने 1976 से 1981 तक की अवधि के दौरान 23 बृहद और 22 मध्यम सिचाई स्कीमें योजना आयोग को स्वीकृति प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत की हैं। इन स्कीमों का ब्यौरा दिखाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

(ग) जी, नहीं।

(ध) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

क्रम सं०	परियोजना का नाम	केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त होने की तारीख	अनुमानित लागत (लाख रुपयों में)	लाख (1000 हैक्टेयर)
1	2	3	4	5
	क· बृहद स्कीमें :			
1.	*बिलासी जलाशय स्कीम	31.7.76	146.38	2.306
2.	अजगेंइबेनाथ पम्प नहर स्कीम	22.12.78	1716.20	16.397
3.	सुवर्णरेखा बहूप्रयोजनीय परियोजना	दिसम्बर, 1980	48090.09	241.873
4.	सिकतिया बराज	अक्तूबर, 1976	6603.0	40.59
5.	बरारो पम्प नहर स्कीम	20.7.76	855.08	9.37
6.	लीलाजन जलाशय स्कीम	5.8.77	1985.26	36.923
7.	कोनार जलाशय से सिचाई	26.12.77	2976.00 (विद्युत भाग को छोड़कर)	62.82
8.	अपर सकरो जलाशय स्कीम	10.4.78	5975.23	58.20
9.	कोइल-कारो-सुवर्णरेखा अन्तः वेसिन सिचाई परियोजना	5.4.80	10592	302.23
10.	बिहार में बाणसागर जल के समुपयोजन पर परियोजना रिपोर्ट	30.7.80	2263.00	दृढ़ोकरण
11.	सोन नहर का आधुनिकीकरण	4.2.81	25244.00	443.00

*योजना आयोग द्वारा पहले ही अनुमोदित की जा चुकी ।

1	2	3	4	5
12.	सुखसेनाघाट पम्प नहर स्कीम	22.8.81	1229.69	24.36
13.	पुनपुनदारधा सिंचाई स्कीम	30.4.81	2077.67	57.88
14.	बागमती परियोजना	19.8.81	18543	121.2
15.	कांची सिंचाई स्कीम का पुनरूर्पण	अगस्त, 81	192.60	4.08
16.	उत्तरो कोइल जलाशय स्कीम	30.11.79	11377.00	109.42
17.	पुनासी जलाशय स्कीम	11.11.78	2609	24.29
18.	मासान जलाशय परियोजना	अक्तूबर, 80	3472	27.075
19.	औरंगा जलाशय स्कीम	9.12.81	11212	64.30
20.	बुरहई जलाशय स्कीम	4.9.78	2820.42	17.52
21.	जमानिया पम्प नहर स्कीम	22.12.78	2154.3	26.75
22.	दुर्गावती नहर प्रणाली का पुनरूर्पण और आधुनिकीकरण	5.11.79	1246.00	17.57
23.	करमनासा नहर पुनरूर्पण स्कीम	7.6.80	704	उपलब्ध नहीं
क्र० सं०	परियोजना का नाम	केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त होने की तारीख	अनुमानित लागत (लाख रुपयों में)	लाभ (1000 है०)
ख. मध्यम स्कीम-1 :				
1.	मुराहिर जलाशय स्कीम*	1.1.76	189.70	2.10

*योजना आयोग द्वारा स्वीकृत ।

1	2	3	4	5
2.	पंडारवा जलाशय स्कीम*	22.7.76	51.44	0.49
3.	बटेश्वरस्थान पी० सी०* चरण-II	22.2.77	297.10	6.59
4.	डकरानाला चरण-II*	26.2.77	475.95	4.02
5.	बदुआ अपर नाला जलाशय स्कीम*	9.3.77	90.54	0.831
6.	खुदिया जलाशय स्कीम	9.6.77	134.60	3.846
7.	सिंघवर्नी जलाशय स्कीम*	18.7.77	445.30	10.00
8.	डोमीनिया नाला जलाशय स्कीम	22.10.77	195.545	2.486
9.	सोनुआ जलाशय स्कीम*	7.9.79	892.37	8.01
10.	तोरलो जलाशय स्कीम*	29.8.79	573.55	2.67
11.	भैरवा जलाशय स्कीम	12.6.80	303.00	4.01
12.	नन्दिनी जलाशय स्कीम*	सितम्बर, 1980	447.62	4.88
13.	तपकारा जलाशय स्कीम*	सितम्बर, 1980	203.71	2.70
14.	लटराटू जलाशय स्कीम*	सितम्बर, 1980	1098.18	10.20
15.	सुरंगी जलाशय स्कीम	सितम्बर, 80	214.85	1.53
16.	पंचखारो जलाशय स्कीम	20.12.80	407.00	2.75
17.	इज्जरी जलाशय स्कीम	26.2.81	640.23	7.81
18.	वासकी सिंचाई जल सप्लाई स्कीम	अप्रैल, 81	1302.00	5.67
19.	कसजोरे जलाशय स्कीम*	6.6.81	866.26	6.34
20.	रामरेखा जलाशय स्कीम	6.6.81	686.00	4.16
21.	अपर शंख जलाशय स्कीम*	1.7.81	918.94	7.14
22.	भापस जलाशय स्कीम*	20.7.81	367.31	2.55

*योजना आयोग द्वारा स्वीकृत ।

दिल्ली में लेवी की चीनी

4664. **श्री के० ए० राजन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के लिए मद्रास से 800 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 27,000 टन लेवी की चीनी खरीदी गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि वह चीनी अभी तक मद्रास के गोदामों में पड़ी हुई है और उसके एक भाग को वहाँ मद्रास में ही बेचने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त बिक्री से कितनी हानि होगी ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) दिल्ली राज्य नागरिक पूर्ति निगम ने अप्रैल, 1981 में त्यौहार संबंधी मांग को पूरा करने के लिए बफर स्टाक तैयार करने के लिए तमिलनाडु नागरिक पूर्ति निगम के माध्यम से तमिलनाडु की सहकारी चीनी फैक्ट्रियों से 847.12 रुपये प्रति क्विंटल (उत्पादन शुल्क सहित) के औसत मूल्य पर 715.6 मीटरी टन गैर-लेवी चीनी खरीदी थी।

(ग) और (घ) इस चीनी को अक्तूबर, 1981 को तमिलनाडु में ही बेच दिया गया था क्योंकि त्यौहार के मौसम के दौरान दिल्ली में चीनी की कोई कमी नहीं थी जैसा कि अतीत के अनुभव के आधार पर पहले अनुमान लगाया गया था।

(ङ) लगभग 26.35 लाख।

प्रशिक्षण निदेशालय को भूमि का आबटन

4665. **श्री केयर भूषण** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शिक्षण निदेशालय को दो एकड़ का एक प्लाट आबंटित किया गया था;

(ख) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा प्रशिक्षण निदेशालय को आबंटित एक अन्य प्लाट एक एकड़ से भी कम था; और

(ग) क्या यह भी सच है कि भूमि कम होने के कारण निर्माण कार्य रद्द कर दिया गया था ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सांस्थानिक भवन का निर्माण करने के लिए संघ राज्य सिविल सेवा (प्रशिक्षण) निदेशालय को 2 एकड़ माप का भूमि का एक प्लाट आबंटित किया था। इस

निदेशालय के पुनः अनुरोध पर दिल्ली विकास प्राधिकरण ने पहले आबंटित प्लाट के बगल में ही 0.7 एकड़ अतिरिक्त भूमि आबंटित की है। चूंकि यह निदेशालय सन्तुष्ट नहीं था अतः कुल 4 एकड़ भूमि क्षेत्र (2.7 एकड़ के बदले में) आबंटित किया गया है तथा इस निदेशालय को प्लाट का कब्जा 26 नवम्बर, 1981 को दिया गया। इस निदेशालय ने इस बात से इन्कार किया है कि निर्माण का कार्यक्रम समाप्त कर दिया गया है। निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग, दिल्ली प्रशासन को दे दिया गया है।

त्रिलोकपुरी में राष्ट्रीय उद्यान (नेशनल पार्क) का विकास

4666. **श्री ईरा अनबारासु** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिलोकपुरी क्षेत्र में स्वर्गीय संजय गांधी के नाम में एक राष्ट्रीय उद्यान (नेशनल पार्क) का विकास किया जा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस परियोजना के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है; और

(ग) इस परियोजना के पूरा होने में हो रहे विलम्ब के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

गन्दी बस्तियों के सुधार के लिए राज्यों को केन्द्रीय अनुदान

4667. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता तथा मद्रास जैसे महानगरों में गन्दी बस्तियों के सुधार तथा वहां रहने वाले लोगों के पुनर्वास के लिए केन्द्रीय अनुदान राशि में वृद्धि करने का कोई प्रयास है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये संबंधित राज्यों को कितनी वित्तीय सहायता देने की संभावना है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) जी, नहीं। गन्दी बस्ती सुधार राज्य क्षेत्र का एक विषय है और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य योजना में महानगरीय शहरों और अन्य कस्बों ने गन्दी बस्ती के पर्यावरण में सुधार हेतु निधियां दी जाती हैं। इस कार्यक्रम के लिए दिल्ली से संबंधित निधियों का नियतन संघ राज्य क्षेत्र योजना में किया जाता है।

बुद्ध बिहार कालोनी, दिल्ली में अनधिकृत निर्माण

4668. **श्री एल० एस० तुर** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली में बुद्ध बिहार कालोनी में जिसे दिल्ली के उप राज्यपाल ने अनधिकृत बस्ती घोषित कर दिया है; अनधिकृत निर्माणों को रोकने तथा निर्मित ढाँचों को गिराने के लिए क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं;

(ख) उस कालोनी में अनधिकृत निर्माण कार्य में किसने पूरा सहयोग दिया तथा वहां किसकी सिफारिश पर मकानों के निर्माण के लिए सीमेंट की सप्लाई की गई तथा उचित दर दुकानें, डाकघर आदि खोले गये; और

(ग) उन अधिकारियों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने वहां अनधिकृत निर्माण में योगदान दिया है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उसने कृषि योग्य क्षेत्रों में रिहायशी प्रयोजनों के लिए भूमि की गैर कानूनी बिक्री/खरीद के विरुद्ध समाचार पत्रों के माध्यम से सार्वजनिक चेतावनी जारी की है ।

दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि अनधिकृत निर्माण को दिल्ली नगर निगम अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज किया जाता है और पुलिस की सहायता से समय-समय पर कार्यवाही की गई है ।

(ख) दिल्ली प्रशासन के खाद्य तथा सम्भरण विभाग ने सूचित किया है कि :—

(i) प्रशासन की नीति के अनुसार जहां तक सम्भव हो प्रत्येक 4000 अनाज इकाइयों के लिए एक उचित दर की दुकान होनी चाहिए । तदनुसार विज्ञापन के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित करके एक उचित दर की दुकान आवंटित की गई थी ।

(ii) जहां तक मकानों इत्यादि के निर्माण के लिए सीमेंट सप्लाई करने का संबंध है नीति के अनुसार अनुमोदित नक्शों के लिए पंजीकृत निर्माताओं को सीमेंट जारी किया जाता है । गांवों के लाल डोरा क्षेत्र में मकानों इत्यादि के निर्माण तथा आम मरम्मत के लिए भी पूर्ण जांच करने के बाद सीमेंट जारी किया जाता है । तथापि, जिन मामलों में आवेदक की आवश्यकता को वास्तविक समझा जाता है उनमें बिना किसी जाँच के पांच बोरी सीमेंट जारी की जाती है । ये सुविधाएं लोगों की वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हैं ।

डाकतार विभाग ने सूचित किया है कि बुद्ध बिहार कालोनी में कोई डाकघर भवन नहीं है । तथापि वहां एक अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर है जो 23-9-1981 को खोला गया था ।

यह अतिरिक्त विभागीय शाखा पोस्टमास्टर डाकघर को अपने मकान के एक भाग में चला रहा है जो कि 17-6-1981 के अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर को मंजूर करने के पूर्व ही बना हुआ था।

(ग) सम्बन्धित विभागों ने इस बात से इन्कार किया है कि उपर्युक्त कालोनी में अनधिकृत निर्माण में अधिकारियों द्वारा कोई भूमिका अदा की गई है।

उड़ीसा में सफारी पार्क की स्थापना

4669. **श्री के० पी० सिंह देव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि परीक्षणों से पता चला है कि उड़ीसा में सिंह की वंशवृद्धि की जा सकती है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने भारत में सिंहों की संख्या में वृद्धि करने के लिए अपनी ही कोई योजना शुरू करने अथवा राज्य सरकार को एक सफारी पार्क स्थापित करने में मदद देने में रुचि ली है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबन्ध में तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) उड़ीसा में अफ्रीकी सिंहों की सफलतापूर्वक वंशवृद्धि हुई है।

(ख) तथा (ग) देश के कुछ चिड़ियाघरों में रखे गये सिंहों का प्रजनन पहले से ही किया जा रहा है। चुने गए चिड़ियाघरों के विकास के लिए वित्तीय सहायता देने हेतु केन्द्रीय सरकार की एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है। इस योजना के तहत बन्दी प्रजनन कार्यक्रमों को भी सहायता मिल सकती है।

पक्षी विहारों के लिए स्थान

4670. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कितने पक्षी विहार हैं तथा कहां-कहां पर हैं;

(ख) क्या देश में और अधिक पक्षी विहार बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) *वन्य प्राणि (संरक्षण) अधिनियम 1972 के अन्तर्गत पक्षी आश्रय स्थलों/राष्ट्रीय पार्क के रूप में स्थापित किये गये आरक्षित क्षेत्रों* का विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) राज्य सरकारों को वन्य प्राणि (संरक्षण) अधिनियम के अन्तर्गत आश्रय स्थलों को स्थापित करने की शक्ति दी गई है और इस सम्बन्ध में प्रस्तावों पर राज्य स्तर पर विचार किया जाता है ।

भारत में पक्षी आश्रय स्थलों के रूप में स्थापित किये गये आरक्षित क्षेत्र

विवरण

क्र० सं०	आश्रय स्थल का नाम	राज्य
1.	नीलपट्टू पक्षी बिहार	आन्ध्र प्रदेश
2.	कोलीरू जल पक्षी बिहार	आन्ध्र प्रदेश
3.	पूलीकट पक्षी बिहार	आन्ध्र प्रदेश
4.	नारकोंडम पक्षी बिहार	अण्डमान और निकोवार द्वीप समूह
5.	उत्तरी रीफ द्वीप समूह पक्षी बिहार	अण्डमान और निकोवार द्वीप समूह
6.	तोपचानाही वन्य प्राणी बिहार	बिहार
7.	नाल सरोवर पक्षी बिहार	गुजरात
8.	सुलतानपुर झील पक्षी बिहार	हरियाणा
9.	शंकराचारी वन्य प्राणी पक्षी बिहार	जम्मू तथा काश्मीर
10.	गोविन्दसागर पक्षी बिहार	हिमाचल प्रदेश
11.	घाटाप्रभा पक्षी बिहार	कर्नाटक
12.	रगांनाथीटू पक्षी बिहार	कर्नाटक
13.	सिरपार पक्षी बिहार	मध्य प्रदेश
14.	गांधी सागर पक्षी बिहार	मध्य प्रदेश
15.	कारनाला पक्षी बिहार	महाराष्ट्र
16.	ग्रेट इण्डियन बस्टर्ड बिहार	महाराष्ट्र
17.	चिलका पक्षी बिहार	उड़ीसा
18.	हरिके हैडवर्क्स पक्षी बिहार	पंजाब
19.	केलोदेव पक्षी बिहार	राजस्थान
20.	वेदान्थागल पक्षी बिहार	तमिलनाडु
21.	वेतानुगुडी पक्षी बिहार	तमिलनाडु
22.	सुखना झील पक्षी बिहार	चण्डीगढ़
23.	नवाबगंज पक्षी बिहार	उत्तर प्रदेश

दिल्ली में पक्षी-बिहार

4671. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में एक पक्षी-विहार खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना की रूप रेखा क्या है;

(ग) इसके लिए किस स्थान का चुनाव किया गया है; और

(घ) तत्सम्बन्धी कार्य कब शुरू करने तथा कब तक पूरा करने की संभावना है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) से (घ) दिल्ली प्रशासन वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत आश्रय-स्थलों का निर्माण करने के लिए विभिन्न सुझावों पर विचार कर रहा है । अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

आदिवासी क्षेत्रों के लिये प्लांट प्रोटेक्शन रसायनों तथा फार्म-औजारों की सप्लाई के लिये योजना

4672. **श्री चिंगवांग कोन्याक** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आदिवासी क्षेत्रों में प्लांट प्रोटेक्शन रसायनों और फार्म-औजारों की सप्लाई करने की कोई योजना बनाने का है;

(ख) क्या उक्त प्रयोजन के लिये ऋण देने हेतु वित्तीय संस्थानों को अनुदेश जारी किये जायेंगे; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) आदिवासी क्षेत्रों में पौद रक्षण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गंगतोक (सिक्किम), दीमापुर (नागालैंड), ऐजल (मिजोरम) तथा पोर्ट ब्लेयर (अन्दमान) में चार केन्द्रीय पौद रक्षण केन्द्र स्थापित किए गए हैं । ये केन्द्र ' बिना-लाभ-हानि'' के आधार पर किसानों को कीटनाशी औषधियों की सप्लाई करते हैं । आदिवासी क्षेत्रों को फार्म-औजारों की सप्लाई करने के बारे में इस मंत्रालय द्वारा किसी योजना का क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है ।

(ख) तथा (ग) वित्तीय संस्थायें कृषि आदानों तथा मशीनों की खरीद करने के लिए ऋण देने संबंधी अपने सामान्य कार्यक्रम के तहत किसानों को ऋण देती हैं ।

''डाइरैक्टिव आन बरसाती रूम्स ए जल्ट'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार

4673. **श्री चन्द्रभान आठरे पाटिल** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 14 नवम्बर, 1981 के इण्डियन एक्सप्रेस में "डाइरेक्टिव आन बरसाती रूम्स ए जोल्ट" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो दिनांक 9 फरवरी, 1976 को दिल्ली के म्यूनिस्पल कमिश्नर ने मकान मालिकों द्वारा 1,000 रुपयों का भुगतान करने पर बरसाती रूम को पार्टीशन लगाने की 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर का भुगतान करने पर रसोई को नियमित करने की अनुमति दी थी;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या दिल्ली नगर निगम ने बरसाती रूम में पार्टीशन लगाने और बरसाती फ्लोर पर रसोई के निर्माण की अनुमति को अब वापस ले लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसा निर्णय करने के क्या कारण हैं तथा ये आदेश किस तिथि से लागू हुए हैं तथा इस तिथि से पूर्व किये गये निर्माण की क्या स्थिति है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

"काम के बदले अनाज" कार्यक्रम के लिये वर्षवार तथा राज्य-वार खर्च की गई राशि

4674. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "काम के बदले अनाज" कार्यक्रम पर वर्षवार तथा राज्यवार कितनी राशि खर्च की गई तथा उससे कितने लोगों को लाभ पहुंचा;

(ख) क्या बाहरी देशों द्वारा दान दिये गये अनाजों का उपयोग "काम के बदले अनाज" योजना के लिये किया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं, उनके द्वारा दान स्वरूप कितनी मात्रा में खाद्यान्न तथा अन्य सामग्री दी गई ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) उपयोग में लाए गए संसाधनों तथा सृजित रोजगार के सम्बन्ध में राज्य-वार तथा वर्ष-वार स्थिति को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

"काम के बदले अनाज" कार्यक्रम/राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत उपयोग में लाए गए खाद्यान्नों तथा सृजित रोजगार को दर्शाने वाला विवरण

क्र० सं०	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	1977-78		1978-79		1979-80	
		उपयोग में लाए गये खाद्यान्न (मी० ट०)	सृजित रोजगार (लाख श्रम दिन)	उपयोग में लाए गए खाद्यान्न (मी० टन)	सृजित रोजगार (लाख श्रम दिन)	उपयोग में लाए गए खाद्यान्न (मी० टन)	सृजित रोजगार (लाख श्रम दिन)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	—	—	93430	186·79	1,96,690	532.91
2.	असम	3718	6.11	2445	4·06	9,372	115.86
3.	बिहार	7735	14.76	182140	641.42	3,01,355	753.39
4.	गुजरात	—	—	15000	301.00	46,345	523.84
5.	हरियाणा	—	—	15903	30.03	71,542	124.19
6.	हिमाचल प्रदेश	304	0.70	1434	2.72	29,355	43.47
7.	जम्मू और काश्मीर	—	—	6000	10.99	33,389	29.83
8.	कर्नाटक	563	5.02	4459	20.15	30,653	12.13
9.	केरल	3761	21.43	11997	40.69	36,100	57.26
10.	मध्य प्रदेश	8780	44.00	125000	450.00	2,91,762	456.02
11.	महाराष्ट्र	—	—	52240	143.00	1,70,540	499.12
12.	मणिपुर	—	—	—	—	457	—
13.	मेघालय	—	—	—	—	—	असूचित
14.	नागालैंड	—	—	—	—	1,480	असूचित
15.	उड़ीसा	23106	68.69	180746	362.39	2,09,888	552.27
16.	पंजाब	297	0.14	36713	49.93	25,850	32.28
17.	राजस्थान	3928	6.87	250379	500.74	2,25,458	400.35
18.	सिक्किम	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	तमिलनाडु	—	—	—	—	58,232	222.54
20.	त्रिपुरा	—	—	8000	29.65	23,056	99.97
21.	उत्तर प्रदेश	32684	58.19	131436	223.32	4,63,913	819.52
22.	पश्चिम बंगाल	44959	218.43	126356	533.44	1,49,597	540.50
	केन्द्र शासित क्षेत्र :						
23.	अन्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	—	—	—	—	216	असूचित
24.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	180	0.15
25.	चण्डीगढ़	—	—	—	—	—	—
26.	मिजोरम	—	—	1200	2.00	150	—
27.	पाण्डचेरी	—	—	—	—	550	1.50
	योग :	129835	444.34	12 44,878	3532.32	23,76,130	5817

क्र० सं०	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	1980-81		1981-82	
		उपयोग में लाए उये खाद्यान्न (मी० टन)	सृजित रोजगार (लाख श्रम दिन)	उपयोग में लाए गये खाद्यान्न (मी ० टन)	सृजित रोजगार (लाख श्रम दिन)
1	2	9	10	11	12
1.	आन्ध्र प्रदेश	87,047	476.99	—	असूचित
2.	असम	4,615	असूचित	शून्य	असूचित
3.	बिहार	1,37,183	280.74	1537	असूचित
4.	गुजरात	26,070	9.75	शून्य	5.60
5.	हरियाणा	30,211	257.17	667	असूचित
6.	हिमाचल प्रदेश	20,719	15.46	—	असूचित
7.	जम्मू और काश्मीर	13,563	34.77	62	असूचित
8.	कर्नाटक	28,472	3.32	—	असूचित

1 2	9	10	11	12
9. केरल	13,576	5.69	—	असूचित
10. मध्य प्रदेश	1,41,226	661.31	—	असूचित
11. महाराष्ट्र	1,27,324	असूचित	—	असूचित
12. मणिपुर	2,343	असूचित	—	असूचित
13. मेघालय	—	—	—	असूचित
14. नागालैंड	4,033	असूचित	—	असूचित
15. उड़ीसा	1,23,460	321.67	10304	असूचित
16. पंजाब	5,688	6.40	520	0.02
17. राजस्थान	1,97,329	154.75	7239	23.54
18. सिक्किम	79	असूचित	—	शून्य
19. तमिलनाडु	47,378	147.53	24429	123 57
20. त्रिपुरा	3,848	77.45	813	3.91
21. उत्तर प्रदेश	2,33,105	479.36	—	असूचित
22. पश्चिम बंगाल	83,250	328.51	8126	44.85
केन्द्र शासित क्षेत्र :				
23. अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	1,740	2.55	—	असूचित
24. अरुणाचल प्रदेश	93	0.30	—	असूचित
25. चण्डीगढ़	—	असूचित	—	असूचित
26. मिजोराम	80	असूचित	—	असूचित
27. पाण्डिचेरी	592	1.26	शून्य	शून्य
योग :	13,33,024	3264.98	53697	201.49

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कार्य-प्रभारित कर्मचारियों के लिए अर्द्ध स्थायी दर्जा

4675. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्य प्रभारित कर्मचारियों को तीन वर्ष का सेवा काल पूरा करने पर अर्द्ध स्थायी दर्जा पाने का पात्र बनाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में ऐसे कितने कर्मचारी उक्त दर्जा पाने के पात्र हैं और कितने लोगों के मामले में उक्त दर्जा देने के आदेश जारी किए गये हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

दक्षिणी दिल्ली की कतिपय कालोनिलों के लिये नक्शे

4676. **श्री मनोहर लाल सेनी** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिणी दिल्ली में गौतम नगर, अर्जुन नगर तथा कृष्णा नगर के लिए नक्शे तैयार कर लिये गये तथा जनता में प्रचारित कर दिये गये हैं;

(ख) यदि नहीं, तो उक्त कार्य पूरा करने में आबांछित विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) उक्त नक्शे कब तक जनता में प्रचारित कर दिये जाने की आशा है; और

(घ) क्या सरकार ने इन कालोनियों को नियमित करने के बारे में कोई सार्वजनिक अधिसूचना जारी कर दी है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि अर्जुन नगर तथा कृष्णा नगर के लिए विन्यास नाशों को अन्तिम रूप, अनुमोदित और प्रदर्शित कर दिया गया है । गौतम नगर का विन्यास नक्शे को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

(ख) अनधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण विषयक नीति के अन्तर्गत अपने वाले कार्य दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली नगर निगम द्वारा सामान्यतया चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है ।

(ग) इस बारे में कोई समय सीमा निर्धारित करना व्यवहार्य नहीं है ।

(घ) अनधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण नक्शे दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा दिल्ली नगर निगम द्वारा अनुमोदित किये जाते हैं और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा कोई सार्वजनिक अधिसूचनायें जारी नहीं की जातीं ।

सेवा निवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को सरकारी आवास का आवंटन

4677. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत से आश्रित सरकारी कर्मचारियों ने अपने आवंटी माता/पिता की सेवा निवृत्ति से पहले मकान किराया भत्ता वसूल किया था और बाद में पूर्ववर्ती छः मास की माता/पिता के साथ रिहायश के स्थान पर हाल ही में तीन वर्ष की रिहायश के पुनरीक्षित आदेश के अधीन सरकारी आवास के तदर्थ आवंटन की पात्रता पाने के लिये उसे लौटा दिया था;

(ख) क्या कुछ आश्रित सरकारी कर्मचारियों तथा उनके माता/पिता ने उनके आवेदन पत्र प्रायोजित करते समय, आवंटन प्राप्त करने हेतु, उक्त तथ्य का उल्लेख नहीं किया है;

(ग) क्या ऐसे आश्रित सरकारी कर्मचारियों को सरकारी क्वार्टर आवंटित कर दिये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसे कुछ शेष बचे आश्रित सरकारी कर्मचारियों को, जिनके बारे में मकान किराया भत्ता लौटा देने के तथ्य का उनके/उनके मूल कार्यालय द्वारा उल्लेख कर दिया गया है, आवंटन पाने वाले उनकी श्रेणी के अन्य लोगों के समान ही क्वार्टर आवंटित कर देने का है ताकि उन्हें भी लाभ मिले और उनके साथ कोई भेद-भाव न हो;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) सरकार के ध्यान में ऐसे चार मामले आये हैं।

(ख) ऐसा कोई मामला ध्यान में नहीं आया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) विद्यमान नियमों में यह अनुमेय नहीं है।

चण्डीगढ़ में वनस्पति का अभाव

4678. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ में आजकल वनस्पति का भारी अभाव है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ में वनस्पति सरलता से उपलब्ध करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब्रजमोहन महन्ती) : (क) इस प्रकार की कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़ को मई–अक्तूबर, 1981 के दौरान हर मास औसतन 716 मीटरी टन मात्रा भेजी गयी, जो मांग के ज्ञात पैटर्न के अनुसार पर्याप्त है।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

खाद्यान्नों के भण्डार तथा भण्डारण क्षमता

4679. **श्री दया राम शाक्य** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्तूबर, 1981 तक केन्द्र सरकार के पास गेहूं का कितना भण्डार था और उसकी कितनी मात्रा भण्डारों में है और कितने खुले में पड़ी है; और

(ख) सरकार के पास खाद्यान्नों की भण्डारण क्षमता कितनी है और उक्त भण्डारण क्षमता को बढ़ाने के लिये बनाये गये द्रुत कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) भारतीय खाद्य निगम के पास 31.10.1981 को केन्द्रीय खाते में 28.45 लाख मीटरी टन गेहूं का स्टाक था जिसमें से 1.72 लाख मीटरी टन स्टाक खुले काम्पलेक्सों में रखा गया था और शेष स्टाक ढके गोदामों में पड़ा था ।

(ख) : भारतीय खाद्य निगम, जोकि खाद्यान्नों का बफर स्टाक का प्रबन्ध करने के लिए जिम्मेदार है, के पास 31.10.1981 को उपलब्ध कुल भण्डारण क्षमता 190.94 लाख मीटरी टन है (अपनी, किराये और कवर तथा प्लिंथ) ।

छठी पंचवर्षीय योजनावधि (1980-85) के दौरान भारतीय खाद्य निगम का 35.60 लाख मीटरी टन की खाद्यान्न भण्डारण क्षमता का निर्माण करवाने का विचार है ।

राजस्थान नहर क्षेत्र के विकास के लिये विश्व खाद्य कार्यक्रम की स्थापना

4680. **आचार्य भगवान देव** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान नहर क्षेत्र में काश्तकारों को बसाने के लिये विश्व खाद्य कार्यक्रम के अधीन सहयोग के लिये कोई बातचीत चल रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) जी, हां । राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में बसने वाले नये लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए खाद्य सहायता नीतियों और कार्यक्रम समिति ने, जो कि विश्व खाद्य कार्यक्रम का शासी निकाय है, भारत को खाद्य सहायता देना स्वीकार किया है । कार्यक्रमों की ड्राफट योजना को, जिस पर कि भारत सरकार और विश्व खाद्य कार्यक्रम के बीच समझौता होना है, अंतिम रूप दिया जा रहा है ।

(ख) कुल सहायता में 131 लाख डालर (11.8 करोड़ रुपए) का प्रावधान है, जिसमें 31,018 मीटरी टन गेहूं, 2,482 मीटरी टन वनस्पति तेल और 2,482 मीटरी टन दालें शामिल हैं । विश्व खाद्य कार्यक्रम की सहायता से राजस्थान नहर द्वारा नये सिंचित क्षेत्र में व्यवस्थापन की दर में तेजी आने की आशा है । पांच वर्ष की अवधि से 1,90,000 हैक्टार भूमि में सुधार व खेती

करने वाले तीस हजार परिवारों को उनके व्यवस्थापन के प्रारंभिक 18 महीनों के दौरान, इस परियोजना से लाभ पहुंचने की आशा है ।

ब्यूरो आफ फिश जैनेटिक रिसोर्सिज

4681. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रस्तावित ब्यूरो आफ फिश जैनेटिक रिसोर्सिज मत्स्य अनुवांशिक श्रोतों संबंधी जानकारी एकत्रित करने तथा उनके वर्गीकरण के लिये देश के कुछ चुने हुए केन्द्रों में अपनी शाखायें खोलेगा;

(ख) यदि हां, तो देश के उन स्थानों के नाम तथा संख्या कितनी है जहां उक्त केन्द्र कार्य करेंगे;

(ग) क्या सरकार का विचार उड़ीसा स्थित धौली को ऐसे ही एक उपयुक्त केन्द्र के रूप में चुनने का है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की क्रियान्विति में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) इस ब्यूरो के अन्तर्गत तीन केन्द्रों को स्थापित करने का प्रस्ताव है । ताजे पानी की प्रजातियों से संबंधित समन्वय केन्द्र केन्द्रीय अन्त: स्थलीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान के अन्तर्गत ताजे पानी का जलजंतु अनुसंधान तथा प्रशिक्षण केन्द्र ढोली (उड़ीसा) में स्थापित किया आयेगा जबकि खारे पानी का केन्द्र काक द्वीप (पश्चिम बंगाल) में भी केन्द्रीय अन्त: स्थलीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान के अन्तर्गत तथा केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान के अन्तर्गत कोचीन में समुद्री केन्द्र स्थापित किया जायेगा ।

(ग) जी हां, श्रीमान ।

(घ) छठी पंचवर्षीय योजना के प्रस्ताव क्लीयर कर दिये गये हैं । ताजे पानी का जलजंतु अनुसंधान और प्रशिक्षण केन्द्र में एक विज्ञानी के अधीन, जो वर्तमान समय में एक कार्यक्रम समन्वयक के रूप में कार्य करेगा, समन्वय केन्द्र को स्थापित करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं ।

बस्तर में चौड़ बागानों के बारे में गहन अध्ययन करने वाला दल

4682. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या कृषि मन्त्री बस्तर में चौड़ बागानों के बारे में गहन अध्ययन करने वाले दल के बारे में 23 नवम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 114 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बस्तर में चीड़ बागानों के बारे में गहन अध्ययन करने वाले दल की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) बस्तर के आदिवासियों के लिये इस अध्ययन दल ने किन सुरक्षा उपायों की सिफारिश की है;

(ग) उन मंत्रालयों/विभागों के क्या नाम हैं जिनसे उनके मंत्रालय ने इस बारे में मंत्रणा की है और उनके मंत्रालय ने अन्तिम रूप से कौन से निर्णयों का प्रस्ताव किया है;

(घ) बस्तर में चीड़ बागान परियोजना के आरम्भ होने के बाद से मध्य प्रदेश सरकार ने वहां के आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिये क्या कदम उठाये हैं तथा क्या उपाय किये हैं; और

(ङ) उपरोक्त प्रश्न के उत्तर में बताई गई शर्तों के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा उक्त गहन अध्ययन दल का गठन किये जाने के कारण तथा आवश्यकता क्या हैं ?

कृषि ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) बस्तर जिले में साल वनों की पूर्व कटाई के उपरान्त उष्ण कटिबन्धीय चीड़ के बागानों के उगाने से पड़ने वाले सम्भावित प्रभावों का गहन अध्ययन करने वाले दल की सिफारिशों, जिसमें दल द्वारा सुझाए गये सुरक्षा के उपाय भी शामिल हैं का ब्यौरा अनुबंध-एक में दिया गया है ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल. टी.-3164/81]

(ग) पर्यावरण विभाग, गृह मंत्रालय के आदिवासी विकास प्रभाग तथा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से विचार-विमर्श किया गया था । मंत्रालय द्वारा लिये गये निर्णय अनुबंध-दो में दिये गये हैं ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल. टी.-3164/81]

(घ) राज्य सरकार से जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ङ) "मध्य प्रदेश वानिकी तकनीकी सहायता परियोजना बस्तर" नामक विश्व बैंक से सहायता प्राप्त वानिकी परियोजना के अन्तर्गत बस्तर जिले में उष्ण कटिबन्धीय चीड़ के पेड़ लगाने के लिए साल वनों की पूर्ण कटाई की स्थानीय जनता व सार्वजनिक नेताओं ने कुछ हद तक आलोचना की थी । वास्तव में, साल वनों की जगह उष्ण कटिबन्धीय चीड़ के बागान उगाने की बाबत प्रकट की गई, चिन्ता ने विवाद का रूप ले लिया । इस विवाद को दृष्टि में रखते हुए भारत सरकार ने इस दल को गठित करने का फैसला किया ।

अन्दमान व निकोबार द्वीप समूह में पादुक इमारती लकड़ी

4683. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह में गैर सरकारी मालिकों के पास पादुक इमारती लकड़ी भारी मात्रा में लम्बे समय से जमा पड़ी है, और कार्यकारी अनुदेशों के अनुसार उक्त लकड़ी सरकार के अतिरिक्त किसी अन्य को नहीं बेची जा सकती, यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्यों का ब्यौरा क्या है और समूचे द्वीप समूह में गैर सरकारी तथा सरकारी कूपों के विभिन्न डिपुओं में कितनी मात्रा में पादुक इमारती लकड़ी पड़ी हुई है तथा कब से; और

(ख) रायल्टी की दरें कब पुनरीक्षित की गई थीं और पादुक लकड़ी की रायल्टी की क्या दरें निश्चित की गई हैं और यदि कोई दरें निश्चित नहीं की गई हैं तो यह मामला कब से तथा किन के पास लम्बित पड़ा हुआ है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) यह सही है कि इस विभाग द्वारा जारी किए गए कार्यकारी अनुदेश के अनुसार कूपों के मालिक वन विभाग की अनुमति के बिना सरकारी विभाग के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को पादुक के लट्ठे नहीं बेच सकते हैं। विभिन्न डिपुओं तथा कूपों में पड़ी पादुक इमारती लकड़ी की मात्रा संबंधी जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है।

(ख) पादुक इमारती लकड़ी की रायल्टी की दरें नवम्बर, 1975 में संशोधित की गई थीं। सरकार पादुक इमारती लकड़ी की रायल्टी दर संशोधित करने के बारे में विचार कर रही है। अंदमान तथा निकोबार द्वीप समूह से अन्तिम जानकारी नवम्बर, 1981 में प्राप्त हुई थी।

लेवी चीनी के मूल्यों का आकलन

4684. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981-82 के मौसम के लिये सरकार द्वारा अधिसूचित चीनी के लेवी मूल्यों में जोन-वार आकलन का आधार तथा ब्यौरा क्या है;

(ख) उच्च स्तरीय समिति (बी० आई० सी० पी०) द्वारा जोनवार किस लागत अनुसूची की सिफारिश की गई है; और

(ग) उपरोक्त मूल्यों के आकलन के लिये जोन-वार कौन सी अवधि तथा चीनी प्राप्ति की किस प्रतिशतता को आधार बनाया गया है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वमीनाथन) : (क) सरकार द्वारा 1981-82 मौसम के लिए अधिसूचित किए गए लेवी चीनी के निकासी मूल्यों का आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3-3 ग के उपबन्धों के संदर्भ में हिसाब लगाया जाता है। एक विवरण संलग्न है जिसमें लेवी चीनी के जोन-वार निकासी मूल्यों के हिसाब-किताब का ब्यौरा दिया गया है। इनका हिसाब 1981-82 के मौसम के लिए लागू अवधि, रिकवरी और गन्ने के न्यूनतम मूल्य के संदर्भ में चीनी उद्योग से संबंधित उच्च स्तरीय समिति द्वारा अभिस्तावित मूल रूपान्तरण लागत और अन्य प्रकार की लागत से लगाया गया है।

(ख) उच्च स्तरीय समिति द्वारा अभिस्तावित जोनवार मूल रूपान्तरण लागत का ब्यौरा संलग्न विवरण के स्तम्भ 10 में दिया गया है।

(ग) ऊपर उल्लिखित लेवी मूल्यों का हिसाब लगाने के लिए अपनायी गई रिकवरी और अवधि का ब्यौरा संलग्न विवरण के क्रमशः स्तम्भ (3) और (4) में दिया गया है।

चीनी वर्ष 1981–82 के लिए 10.11.1981 को अधिसूचित डी–30 ग्रेड की चीनी के निकासी मूल्यों का हिसाब बताने वाला विवरण

क्रम सं०	जोन	रिकवरी %	अवधि दिने	रुपये प्रति क्विंटल चीनी गन्ने की लागत गन्ने का मूल्य (सूखने समेत)	क्रयकर/गन्ना उपकर/ सहकारी क्षेत्र का मन	रूपांतरण लागत बिक्री की	लाभ	अधिसूचित कुल निकासी मूल्य*	मूल रूपांतरण लागत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	पंजाब	9.26	128	145.46	3.06	123.73	31.27	303.52	105.35
2.	हरियाणा	8.50	145	157.76	18.66	109.16	31.27	316.85	97.54
3.	राजस्थान	9.24	81	157.39	—	143.60	31.27	332.26	106.77
4.	पश्चिमी उ० प्र०	9.70	146	154.34	14.95	75.44	31.27	276.00	71.67
5.	मध्य उ० प्र०	9.60	158	156.63	15.10	86.96	31.27	289.96	83.43
6.	पूर्वी उ० प्र०	9.34	101	154.39	15.52	111.63	31.27	312.81	100.43
7.	उत्तरी बिहार	9.09	111	157.96	12.65	113.55	31.27	315.43	118.25
8.	दक्षिणी बिहार	8.50	75	153.79	13.53	164.87	31.27	363.46	147.83
9.	गुजरात	9.82	160	158.95	13.99	79.54	31.27	283.75	78.43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	मध्य प्रदेश	8.89	84	153.35	6.20	172.94	31.27	363.76	129.76
11.	महाराष्ट्र	10.89	160	153.89	15.24	81.39	31.27	281.79	78.78
12.	कर्नाटक	10.09	148	156.85	18.63	74.67	31.27	281.42	74.54
13.	आन्ध्र प्रदेश	9.18	125	152.76	17.43	92.39	31.27	293.85	101.88
14.	तमिलनाडु और पांडिचेरी	8.65	160	159.78	25.92	85.93	31.27	302.90	86.51
15.	असम, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल और नागालैण्ड	8.50	113	158.20	—	123.65	31.27	313.12	137.54
16.	केरल और गोआ	8.60	106	158.19	7.37	103.31	31.27	300.14	94.02

* नोट : मूल्य सम्बन्धी अधिसूचना की अनुसूची–6 में शामिल किए गए कमजोर यूनिटों के मामले में मूल्य में 26/- रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से अतिरिक्त राशि की अनुमति दी गई है।

धार्मिक संस्थाओं को भूमि का आबंटन

4685. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसी धार्मिक संस्थाओं की संख्या कितनी है जिन्हें केन्द्र सरकार दिल्ली प्रशासन ने पूजा के स्थानों के लिए भूमि का आबंटन किया है तथा उसकी दर का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त आबंटन से कितनी मस्जिदों, मन्दिरों, गुरुद्वारों तथा गिरजाघरों को लाभ पहुंचा है और तत्संबंधी शर्तें क्या हैं;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

छोटा नागपुर में साल-वनों को काटने पर विरोध

4686. **श्री ए० के० राय** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के छोटा नागपुर क्षेत्र में साल के वनों को बड़े पैमाने पर काटे जाने के कारण आदिवासियों ने कड़ा विरोध प्रकट किया है; और

(ख) यदि हां, तो देश में साल वनों के विकास के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) :

(क) जी नहीं ।

(क) प्रश्न ही नहीं होता । फिर भी बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल आदि संबंधित राज्यों में, जहां साल होता है, दूसरी प्रजातियों के साथ साल के वन भी पुनः लगाए तथा संरक्षित किए जाते हैं ।

केन्द्रीय मत्स्य निगम का बन्द होना

4687. **श्री जार्ज फर्नान्डीस** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्ता सरकार का विचार केन्द्रीय मत्स्य निगम को बन्द करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्यों;

(ग) उसके बन्द होने पर कितने श्रमिक बेरोजगार हो जायेंगे; और

(घ) विस्थापित श्रमिकों को वैकल्पिक रोजगार देने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख) जी हां । निगम को लगातार हानि होती रही है, अतः इसके समूचे कार्य निष्पादन की समीक्षा करने के बाद यह निर्णय लिया गया है ।

(ग) निगम में इस समय 197 नियमित तथा 31 नैमित्तिक कर्मचारी हैं।

(घ) कर्मचारियों की सेवाओं की उन्हें देय सेवान्त लाभों की अदायगी पर समाप्त किए जाने का प्रस्ताव है।

राज्यों को रेपसीड आयल और पाम तेल का नियतन

4688. **श्री ए० सी दास** : क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1981-82 के दौरान विभिन्न राज्यों को रेपसीड तेल और पाम आयल का कुल कितना नियतन किया गया;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष में केन्द्र द्वारा किये गये नियतन में से उड़ीसा सरकार ने कुल कितना रेपसीड आयल और पाम आयल रिलीज किया;

(ग) क्या उस रेपसीड आयल और पाम आयल को उड़ीसा में उचित दर दुकानों से वितरित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उड़ीसा के विभिन्न जिलों में ऐसी कुल कितनी उचित दर की दुकानें हैं जो रेपसीड आयल और पाम आयल का वितरण करती हैं ?

नागरिक पूर्त्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री ब्रजमोहन महन्ती) : (क) तेल वर्ष नवम्बर से अक्तूबर तक होता है। तेल वर्ष 1981-82 अभी शुरू हुआ है। तथापि, तेल वर्ष 1980-81 के दौरान विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को पायोलीन, आर० बी० डी० ताड़ के तेल और रेपसीड तेल का कुल मिलाकर 4,80,366 मीटरी टन आबंटन किया गया।

(ख) से (घ) राज्य सरकार से सूचना अभी प्राप्त होनी रहती है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

1980-81 के दौरान ग्रामीण विकास कार्यक्रम

4689. **श्री के० प्रधानी** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1980-81 के दौरान ग्रमीण विकास कार्यक्रम के लिये नियत की गई धनराशि के लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उपर्युक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत उस वर्ष में कितने ग्रामीण परिवारों को लाभ मिला तथा विशेषकर उड़ीसा राज्य में बजट में निर्धारित राशि का उपयोग न करने के कारण कितनी धनराशि व्यापगत हुई ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) 1980-81 में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत उड़ीसा सहित विभिन्न राज्यों में

निधियों के आवंटन, बंटन तथा व्यय और भौतिक लक्ष्य तथा उपलब्धियों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ख) निधियों का कोई व्यपगमन नहीं हुआ है क्योंकि निधियां एजेंसियों को सीधे ही बंटित की जाती हैं और उन्हें व्यय न किए अधिशेषों को अगले वर्ष ले जाने के लिए भी अनुमति है ।

विवरण

1980-81 के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की राज्यवार प्रगति दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपये में)

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	आवंटन का केन्द्रीय अंश	बंटन (केन्द्रीय अंश)	राज्य अंश सहित कुल व्यय+	लाभभोगियों का लक्ष्य (संख्या)	उपलब्धियां (संख्या)
1	2	3	4	5	6
1. आन्ध्र प्रदेश	810.00	715.39	1656.07	194400	147962
2. असम	335.00	26.60	27.25	80400	5594
3. बिहार	1467.50	551.59	1034.77	352200	138956
4. गुजरात	545.00	466.87	842.56	130800	74261
5. हरियाणा	217.50	161.15	356.28	52200	52700
6. हिमाचल प्रदेश	172.50	167.55	107.12	41400	48090
7. जम्मू तथा काश्मीर	187.50	59.05	37.42	45000	9357
8. कर्नाटक	437.50	376.86	956.13	105000	63906
9. केरल	360.00	351.66	460.27	86400	33510
10. मध्य प्रदेश	1145.00	708.94	1356.00	274800	135598
11. महाराष्ट्र	740.00	713.79	1272.11	177800	85414
12. मणिपुर	65.00	32.50	32.50	15600	2768

1	2	3	4	5	6
13. मेघालय	60.00	13.28	38.58	14400	5267
14. नागालैंड	52.50	73.42	150.27	12600	16721
15. उड़ीसा	785.00	680.34	322.68	18600	101781
16. पंजाब	292.50	277.50	647.66	70200	102694
17. राजस्थान	580.00	580.00	1078.38	159200	155232
18. सिक्किम	10.00	3.00	3.76	2400	29
19. तमिलनाडु	992.50	655.75	1420.80	226200	219688
20. त्रिपुरा	42.50	41.26	90.33	10200	11006
21. उत्तर प्रदेश	2190.00	1407.66	2823.84	525600	1510716
22, पश्चिम बंगाल	837.50	42.08	224.36	201000	37415
केन्द्र शासितक्षेत्र :					
23. अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	25.00	—	अप्राप्य	3000	अप्राप्य
24. अरुणाचल प्रदेश	240.00	52.00	4.96	28800	अप्राप्य
25. चंडीगढ़	5.00	5.00	अप्राप्य	600	अप्राप्य
26. दादरा तथा नागर हवेली	5.00	—	अप्राप्य	3000	1259
27. दिल्ली	25.00	17.83	23.94	7200	12426
28. गोवा, दमन तथा द्वीप	60.00	52.73	60.74	3000	अप्राप्य
29. लक्षद्वीप	25.00	3.00	अप्राप्य	12000	अप्राप्य
30. मिजोरम	100.00	15.00	अप्राप्य	600	अप्राप्य
31. पांडिचेरी	20.00	6.66	16.11	2400	272
योग :	12780.00	8258.45	15044.90	3006600	2775613

+अनंतिम

ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि सेवा योजना केन्द्र

4590. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृषि सेवा योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे केन्द्र स्थापित करने का विचार किया गया था जिनमें हजारों इन्जीनियर, भूतपूर्व सैनिकों और कृषि-स्नातकों को रोजगार देना है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अब तक हुई प्रगति का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां ।

(ख) इस योजना के तहत 31 मार्च, 1979 तक 5086 उद्यमियों को प्रशिक्षित किया गया और 3086 केन्द्र स्थापित किए गए थे ।

(ग) यह योजना 1 अप्रैल, 1979 से राज्य क्षेत्र को हस्तांतरित कर दी गई थी। 31 मार्च, 1979 तक की प्रगति प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है ।

कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना की प्रगति को प्रदर्शित करने वाला विवरण

क्रम सं०	राज्य कृषि उद्योग निगम	31-3-1977 को		31-3-1978 को		31-3-1979 को	
		प्रशिक्षित उद्यमी	स्थापित कृषि सेवा केन्द्र	प्रशिक्षित उद्यमी	स्थापित कृषि सेवा केन्द्र	प्रशिक्षित उद्यमी	स्थापित कृषि सेवा केन्द्र
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आन्ध्र प्रदेश	318	229	318	237	341	249
2.	असम	62	6	64	10	64	10
3.	बिहार	532	229	553	240	584	242
4.	गुजरात	226	88	249	101	263	120
5.	हरियाणा	180	108	202	123	211	127
6.	हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—
7.	जम्मू व काश्मीर	6	6	6	6	6	6
8.	कर्नाटक	454	159	454	169	463	177
9.	मध्य प्रदेश	422	300	447	319	459	325
10.	केरल	23	10	23	10	23	10
11.	महाराष्ट्र	390	344	390	360	390	360
12.	उड़ीसा	69	34	93	38	102	42
13.	पंजाब	364	207	470	247	516	275
14.	राजस्थान	445	311	507	322	541	342
15.	उत्तर प्रदेश	336	181	377	203	424	238
16.	तमिलनाडु	225	177	269	191	279	204
17.	पश्चिम बंगाल	399	315	400	317	420	309
	कुल योग :	4451	2704	4822	2893	5086	3036

छठी पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास कार्यक्रम

4691 श्री ए० निलालोहिथादसन नाडार : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना में केन्द्र द्वारा प्रायोजित कौन-कौन से कृषि विकास कार्यक्रमों को क्रियान्वित किये जाने का विचार है; और

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान केरल में ऐसे कौन से कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने का विचार है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) 35 केन्द्रीय प्रायोजित कृषि विकास कार्यक्रम हैं, जिन्हें छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान क्रियान्वित किया जाना है। ये कार्यक्रम संलग्न विवरण-1 में दिए गये हैं।

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान केरल में क्रियान्वित किये जाने वाले केन्द्रीय प्रायोजित कृषि विकास कार्यक्रमों की सूची संलग्न विवरण-2 में दी गई है।

विवरण-I

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान क्रियान्वित किये जाने वाले
केन्द्रीय प्रायोजित कृषि विकास कार्यक्रम

क्रम संख्या	विकास शीर्ष/योजना का नाम
	कृषि सांख्यिकी :
1.	फसल सांख्यिकी में सुधार।
2.	प्रमुख फसलों के क्षेत्र तथा उत्पादन के अनुमानों को समय पर रिपोर्ट देना।
3.	केरल, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल में कृषि सम्बन्धी सांख्यिकी एकत्र करने हेतु एक एजेन्सी की स्थापना।
	वनस्पति रक्षण :
4.	खरपतवार नियंत्रण सहित महामारी वाले क्षेत्रों में कृषि महत्व के कीटों तथा रोगों का नियंत्रण तथा उन्मूलन।
	कृषि संबन्धी उपकरण तथा मशीनरी :
5.	कृषक कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना।

क्रम सं०	विकास शीर्ष/योजना का नाम

फसल अभिमुख कार्यक्रम :

6. गहन कपास विकास कार्यक्रम ।
7. गहन पटसन विकास कार्यक्रम ।
8. गहन तिलहन विकास कार्यक्रम ।
9. दलहन विकास कार्यक्रम ।
10. पांडिचेरी तथा गोआ में गन्ना विकास ।

बागवानी :

11. नारियल विकास हेतु पैकेज कार्यक्रम ।
12. काजू का विकास ।
13. संघ शासित क्षेत्रों में बागवानी (फल वाली फसलों) का विकास ।
14. संघ शासित क्षेत्रों में मसालों का विकास ।
15. चुनीन्दा बड़े शहरों के आस पास वनस्पति उत्पादन में तेजी लाना ।

मृदा तथा जल संरक्षण:

16. नदी घाटी परियोजनाओं के स्रवण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण ।
17. मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में जल उपयोगी प्रोद्योगिकी का प्रचार ।
18. भारतीय गंगा बेसिन की बाढ़ प्रवण नदियों के स्रवण क्षेत्रों में समेकित पनधारा प्रबंध ।

पशुपालन :

19. पशु प्लेग का उन्मूलन ।
20. खुरपका तथा मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम ।
21. चारा-फसलों का मिनीकिट परीक्षण कार्यक्रम ।
22. रोग मुक्त जोन बनाने सहित, राष्ट्रीय महत्व के पशु रोगों का क्रमबद्ध नियंत्रण ।

डेरी विकास :

23. अन्तर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण की सहायता से समेकित पशु एवं डेरी विकास परियोजना ।
24. 5 राज्यों में समेकित डेरी विकास परियोजनाएं ।

क्रम सं०	विकास शीर्ष/योजना का नाम
मात्सिकी :	
25.	एक्वाकल्चर का विकास एफ. एफ. डी. ए-1.
26.	लघु पत्तनों पर मछली पकड़ने वाले जलयानों के उतरने तथा लादने की सुविधायें।
27.	समुद्री राज्यों में प्रान हेचरी तथा प्रान पालन की स्थापना हेतु त्वरित कार्यक्रम।
28.	विश्व बैंक की सहायता से अन्तर्देशीय मात्स्यिकी परियोजना—एफ. एफ. डी. ए-2.
वानिकी :	
29.	राष्ट्रीय उद्यानों तथा आश्रय-स्थलों के विकास हेतु सहायता।
30.	बाघ परियोजना।
31.	हिमालय के क्षेत्रों में मृदा, जल तथा वृक्ष संरक्षण (मृदा निगरानी कार्यकलाप)।
32.	ग्रामीण ईंधन वृक्षारोपण सहित सामाजिक वानिकी।
कृषि ऋण :	
33.	कृषि ऋण स्थिरता निधि।
सहकारिता :	
34.	सहकारी संस्थाओं में परिसंस्करण सहकारिताओं की शेयर पूंजी :—
	(1) शर्करा कारखाने।
	(2) कताई मिलें।
35.	सहकारी विकासशील राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में सहकारी विपणन, परिसंस्करण, भण्डारण आदि का विकास।
	(1) विपणन।
	(2) परिसंस्करण।

विवरण-2

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान केरल राज्य में क्रियान्वित किये जाने वाले केन्द्रीय प्रायोजित कृषि विकास कार्यक्रम

क्रम सं०	विकास शीर्ष/योजना का नाम
कृषि सांख्यिकी :	
1.	केरल, उड़ीसा तथा पश्चिमी बंगाल में कृषि संबंधी सांख्यिकी एकत्र करने हेतु एक एजेन्सी की स्थापना।

क्रम सं०	विकास/शीर्ष योजना का नाम

वनस्पति रक्षण :

2. खरपतवार नियंत्रण सहित महामारी वाले क्षेत्रों में कृषि के महत्व के कीटों तथा रोगों का नियंत्रण तथा उन्मूलन ।

फसल अभिमुख कार्यक्रम :

3. दलहन विकास कार्यक्रम ।

बागवानी :

4. नारियल हेतु पैकेज कार्यक्रम ।
5. काजू का विकास ।
6. चुनीन्दा बड़े शहरों के आस पास वनस्पति उत्पादन में तेजी लाना ।

मृदा तथा जल संरक्षण :

7. नदी घाटी परियोजनाओं के स्रवण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण ।
8. मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में जल उपयोगी प्रोद्योगिकी का प्रचार ।

पशु पालन :

9. पशु प्लेग का उन्मूलन ।
10. खुरपका तथा मुंहपका रोग नियंत्रण ।
11. चारा फसलों का मिनीकिट परीक्षण कार्यक्रम ।
12. रोग मुक्त जोन बनाने सहित राष्ट्रीय महत्व के पशु रोगों का क्रमबद्ध नियंत्रण ।

मात्स्यिकी :

13. एक्वाकल्चर का विकास—एफ. एफ. डी. ए०
14. लघु पत्तनों पर मछली पकड़ने वाले जलयानों के उतरने तथा लादने की सुविधायें ।

वानिकी :

15. राष्ट्रीय उद्यानों तथा आश्रय-स्थलों के विकास हेतु सहायता ।
16. बाघ परियोजना ।
17. ग्रामीण ईंधन वृक्षारोपण सहित सामाजिक वानिकी ।

क्रम सं०	विकास शीर्ष/योजना का नाम
कृषि ऋण :	
18.	कृषि ऋण स्थिरता निधि ।
सहकारिता :	
19.	सहकारी संस्थाओं में परिसंस्करण सहकारिताओं की शेयर पूजी :—
	(1) शर्करा कारखाने ।
	(2) कताई मिलें (उत्पादक) ।

गैर-सरकारी व्यापारियों के माध्यम से खाद्य तेल का आयात

4692. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या **नागरिक पूर्ति मन्त्री** खाद्य तेल आयात नीति के बारे में 23 नवम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 34 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-सरकारी व्यापारियों के माध्यम से कितना खाद्य तेल के आयात की अनुमति दी गई जो पाइप लाइन में है अथवा जिसे चालू वर्ष में अभी जहाजों पर चढ़ाया जाना है तथा जिनसे आयात हो रहा है उन देशों के नाम क्या हैं तथा उन गैर-सरकारी व्यापारियों के नाम क्या हैं तथा इसको यहां पहुंचने पर किस प्रकार बिक्री की गई अथवा की जायेगी;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ व्यापारियों ने कुछ समय पूर्व कदाचार किये थे तथा समुद्र में ही जहाज में लदे तेल को अन्यत्र भेज दिया था तथा भारी लाभ कमाया था तथा व्यापारियों द्वारा इस प्रकार के कदाचार को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इन बेईमान व्यापारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई थी ?

नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री ब्रजमोहन महन्ती) : (क) प्राइवेट पार्टियों को खाद्य तेलों के लिए आयात लाइसेंस, 2 दिसम्बर, 1978 के आयात व्यापार नियंत्रण सार्वजनिक सूचना संख्या 91 के अनुसरण में उक्त तारीख से पूर्व खुले आम लाइसैंस के तहत की गई वचन-बद्धताओं के आधार पर दिये गये थे । इस प्रकार, लगभग 3.56 लाख मी० टन की कुल मात्रा का आयात करने की अनुमति दी गई । पार्टियों के नाम तथा जारी किये गये लाइसेंसों का अन्य ब्यौरा मुख्य नियंत्रक, आयात व निर्यात द्वारा जारी किए जाने वाले आयात लाइसेंसों, निर्यात लाइसेंसों तथा औद्योगिक लाइसेंसों के साप्ताहिक बुलेटिनों में प्रकाशित किया जाता है, जिनकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं । सरकार को इन लाइसेंसों पर किये गये आयात, मार्गस्थ माल अथवा अभी जहाजों पर चढ़ाई जाने वाली मात्रा तथा उन देशों के नामों, जिनसे आयात किया जा रहा है, की कोई जानकारी नहीं है । इस प्रकार के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं ।

(ख) और (ग) इस प्रकार की रिपोर्टें मिली थीं कि कुछ आयातकों ने समुद्र में से ही तेल को अन्यत्र भेज दिया है, लेकिन की गई जांच से यह शिकायत अभी तक प्रमाणित नहीं हुई है। तथापि, एक सामान्य नियम के तौर पर आयात नियंत्रण आदेश में उन आयातकों के खिलाफ कार्यवाही करने की व्यवस्था कर दी गई है, जो बिना पर्याप्त कारण के अपने आयात लाइसेंसों का पूरा-पूरा उपयोग नहीं करते हैं।

कर्नाटक में बाढ़ नियंत्रण के लिये सहायता

4693. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कर्नाटक सरकार की ओर से राज्य में बाढ़ नियंत्रण के लिये वित्तीय सहायता के लिए कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) गत तीन वर्षों में वर्षवार दक्षिण कनारा और उत्तर कनारा में बाढ़ से कुल कितनी हानि हुई; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान बाढ़ नियंत्रण के लिये कर्नाटक को वर्षवार कुल कितनी वित्तीय सहायता दी गई ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान दक्षिण कनारा और उत्तर कनारा में बाढ़ों के कारण निम्नलिखित कुल हानि हुई :—

कुल क्षति (लाख रुपयों में)

	1979	1980	1981
दक्षिण कनारा	13.262	87.59	118.78
उत्तर कनारा	0.047	58.26	16.37

(ग) बाढ़ नियंत्रण एक राज्य-विषय है तथा बाढ़ नियंत्रण स्कीमों का आयोजन, कार्यान्वयन तथा वित्त-पोषण राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। कर्नाटक सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान बाढ़ नियंत्रण के क्षेत्र में निम्नलिखित परिव्यय रखा गया है :—

1979-80	—
1980-81	50 लाख रुपये।
1981-82 (प्रस्तावित)	36 लाख रुपये।

प्रत्येक राज्य में बांध सुरक्षा सेल का खोला जाना

4694. **श्री अजित कुमार साहा :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष अक्तूबर में कर्नाटक में गोपीनाथम में हुई दुर्घटना राज्य सरकार द्वारा नवम्बर, 1980 में आयोजित राज्य मंत्रियों के पांचवें सम्मेलन में प्रत्येक राज्य में सिंचाई और जलमार्ग निदेशालय के अधीन बांध सुरक्षा सैल खोले जाने की सिफारिश की उपेक्षा का प्रत्यक्ष परिणाम है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, नहीं। गोपीनाथम लघु सिंचाई टैंक, जिसका कार्य पूर्ण नहीं हुआ था, पर हुई दुर्घटना बांध (बंध) में दरार पड़ने के कारण नहीं हुई है और इस बांध के अक्षत होने की सूचना मिली है। यह दुर्घटना बांध के अनुप्रवाह में जलमार्ग के गाइड बंध में हुई है।

(ख) बांध सुरक्षा सेल के, जिसको नवम्बर, 1980 में हुए राज्यों के मंत्रियों के पांचवें सम्मेलन द्वारा सिफारिश की गई थी, स्थापना राज्य सरकार द्वारा अगस्त, 1981 में की गई है। यह सेल मूलरूप से राज्य में सभी पूरे किए जा चुके वर्क्स के कार्यकरण की मानीटर करने के लिए स्थापित किया गया है। चूंकि यह परियोजना अभी भी निर्माणाधीन है, इसलिए यह राज्य सरकार द्वारा स्थापित बांध सुरक्षा सेल के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आती थी। तथापि केन्द्रीय जल आयोग के बांध सुरक्षा संगठन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दुर्घटना के शीघ्र बाद स्थल का दौरा किया था। राज्य सरकार ने उन उपायों की सूचना भेजी है, जो उनके द्वारा किए जा रहे हैं। दुर्घटना के कारण/कारणों का विस्तृत अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है।

भा तीय मानक संस्थान में कैडर ग्रेड एक और दो के अधिकारियों के लिए भर्ती और पदोन्नति सम्बन्धी नियम

4695. **श्री बनवारी लाल :** क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय मानक संस्थान में कैडर और नान कैडर ग्रेड एक और दो के अधिकारियों के लिये भर्ती और पदोन्नति के नियम क्या हैं;

(ख) क्या ये नियम गृह मंत्रालय तथा कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुरूप हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब्रजमोहन महन्ती) : (क) से (ग) भारतीय मानक संस्था की स्थापना 1946 में भारत सरकार के संकल्प के अन्तर्गत की गयी थी। यह संस्था अपने कर्मचारियों के संबंध में भर्ती तथा पदोन्नति आदि के लिए अपने नियम बनाती है, किन्तु

ऐसे वेतनमान में नियुक्त किए जाने वाले कर्मचारियों, जिनके वेतनमान का अधिकतम 1600/- रु० प्रतिमास से अधिक है, की नियुक्ति तथा पदोन्नति और सेवा संबंधी अन्य मामलों के लिए भारत सरकार की मंजूरी लेना आवश्यक है।

ग्रेड-I के संवर्ग पदों पर भर्ती तथा पदोन्नति भारतीय मानक संस्था सेवा, संवर्ग, 1972 के नियमों के अन्तर्गत की जाती है। गैर-संवर्ग के ग्रेड-I पदों पर भर्ती तथा पदोन्नति के लिए, हर पद के लिए प्रक्रियायें निर्धारित की गयी हैं। जहां तक ग्रेड-II पदों पर भर्ती और पदोन्नति करने का सम्बन्ध है, उन पर भर्ती तथा पदोन्नति ग्रेड-II, III और IV के पदो से सम्बन्धित भारतीय मानक संस्था (नियुक्ति तथा पदोन्नति) नियम, 1972 के अनुसार की जाती है।

यद्यपि, ये नियम आम तौर पर, भारत सरकार में सदृश स्थिति के कर्मचारियों को लागू सेवा शर्तों के अनुरूप ही हैं, तथापि, संस्था के स्वरूप तथा कार्यकलापों को ध्यान में रखते हुये, जहां कहीं जरूरी समझा जाता है, उपयुक्त परिवर्तन कर लिया जाता है।

पौली पैकों में घी का मूल्य

4696. **श्री के० मालन्ना** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना में घी की सप्लाई हाल में पौली पैकों में आरम्भ की गई है जिसका मूल्य 35 रुपये प्रति कि० ग्राम ही है जो कि इसके सील बन्द टिन के गिब्बे का था;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार इसका मूल्य कम करेगी; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुर्नानर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) घी बनाने की लागत 31-7-1981 के बाद बढ़ गई है। घी का वर्तमान विक्रय मूल्य तभी निर्धारित किया गया था। इस दृष्टि से तथा दूसरे ब्राण्डों के घी के विद्यमान अधिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली दुग्ध योजना के घी का विक्रय मूल्य घटाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। दिल्ली दुग्ध योजना के घी का विक्रय मूल्य दिल्ली के खुदरा बाजार में अत्याधिक प्रतियोगी रहा है।

भारत सरकार के मुद्रणालयों को आधुनिक बनाना

4697. **श्री गुलाम मोहम्मद खान** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय मुद्रणालयों को आधुनिक बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) फार्मों की छपाई के लिए अब तक उपयोग में लाई जा रही परम्परागत स्टीरियों प्लेटों के स्थान पर अब फोटो पौलिमर प्लेटों का प्रयोग किया जा रहा है। विभिन्न मुद्रणालयों में फार्मों के छापने के लिए लैटर प्रैस फ्लैट बैड/रोटेरीज के स्थान पर बैब आफसैट प्रिंटिंग मशीनें लगाई गई हैं। फोटो-लीथो मुद्रणालय फरीदाबाद में परम्परागत कम्पोजिंग मशीनों अर्थात् मोनो तथा लीथो मशीनों के स्थान पर फिल्म सैन्टर भी लगाया गया है।

सहकारी बैंकों द्वारा समाज के ग्रामीण निर्धन व्यक्तियों तथा कमजोर वर्गों को दिया गया ऋण

4698. श्री आर० पी० गायकवाड़ : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है और इन सहकारी बैंकों द्वारा निर्धन ग्रामीणों तथा समाज के कमजोर वर्गों को कितना ऋण दिया गया; और

(ख) सहकारी बैंकों को उनकी गतिविधियां बढ़ाने के लिये प्रोत्साहित करने हेतु क्या उपाय किये जाने का विचार है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) देश में 19 केन्द्रीय भूमि विकास बैंक जिसकी 867 शाखाएं हैं तथा 890 प्राथमिक भूमि विकास बैंकों के अतिरिक्त 27 राज्य सहकारी बैंक, 337 केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा 95187 प्राथमिक कृषि ऋण समितियां कृषि ऋण प्रदान कर रहे हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार वर्ष 1978-79 के दौरान सहकारी समितियों द्वारा भुगतान की गई 1,699 करोड़ रुपए की कुल राशि में से 585 करोड़ रुपए ग्रामीण गरीबों तथा समाज के कमजोर वर्गों को दिए गए। तथापि, 12 राज्यों में समाज के कमजोर वर्गों को दिए गए दीर्घ-कालिक ऋणों का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

(ख) प्राथमिक कृषि ऋण समितियों, जो संस्थागत तंत्र को सहायता देने वाली महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, के पुनर्गठन का कार्य अनेक राज्यों में आरम्भ किया गया है ताकि इन समितियों को सक्षम बनाया जा सके जिनमें एक व्यवसायिक पूर्णकालिक अर्हता प्राप्त प्रबन्धक होगा ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषकों को पर्याप्त ऋण एवं सेवाएं प्रदान की जा सकें। इस कार्यक्रम को तेज करने के लिए वैतनिक सचिवों की नियुक्ति करने हेतु इन समितियों को सहायता प्रदान करने के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की एक योजना चलाई जा रही है। केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के तहत गैर-अतिदेय की कमी को पूरा करने के लिए सहकारिता क्षेत्र में अल्पविकसित राज्यों तथा आदिवासी वाले क्षेत्रों, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम वाले क्षेत्रों में तथा अन्य राज्यों में अनुसूचित जनजाति के बाहुल्य वाले क्षेत्रों में केन्द्रीय सहकारी बैंकों तथा राज्य सहकारी बैंकों, जो भी सम्बन्धित हों, को वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है ताकि वे अधिक संख्या में ऋण प्रदान करने वाले कार्यक्रम आरम्भ कर सकें। राज्य सरकारों के साथ बराबर-बराबर के आधार पर भूमि विकास बैंकों के ऋण पत्रों में निवेश करने की केन्द्रीय क्षेत्र की एक योजना भी कार्यरत

है ताकि भूमि विकास बैंकों के ऋण संबंधी कार्यक्रम को जारी रखा जा सके । राज्य सरकारें भी कानूनी उपायों, वित्तीय सहायता, तकनीकी सेवाओं आदि के जरिए सहकारी समितियों को सहायता देने के लिए समुचित कदम उठा रही हैं । अनेक राज्यों में ऋण देने की पद्धतियों को सरल कर दिया गया है ताकि ऋण स्वीकृत करना तथा सदस्यों द्वारा ऋण लेना सुविधाजनक हो सके ।

"बी० जे० पी० अलेजेज बिग लैण्ड स्कैंडल" शीर्षक समाचार

4699. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 21 नवम्बर, 1981 के इण्डियन एक्सप्रेस में "बी० जे० पी० अलेजेज बिग लैण्ड स्कैण्डल" (बड़े भूमि घोटाले का भारतीय जनता पार्टी का आरोप) शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है, जिसमें इन बातों पर प्रकाश डाला गया है :—

(एक) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा रोहिणी योजना के अन्तर्गत 4 कि० मी० की परिधि में पश्चिम दिल्ली के रिठाला और पूठ कलां गांव में 40 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की लगभग 1000 एकड़ कृषि भूमि को आवासीय प्रयोजनों के लिए अधिग्रहण हेतु निर्धारित भूमि की बिक्री;

(दो) संसद सदस्य द्वारा 23 सितम्बर, 1981 को यथा उद्घाटित सड़कों, बिजली के खम्बों, प्राथमिक विद्यालय, मदर डेयरी बूथ तथा डाक घरों का उपबन्ध करना;

(तीन) मुख्तयार नामे के जरिये कृषि भूमि के स्थानान्तरण पर प्रतिबंध के बावजूद किसानों से 10 रुपये से 15 रुपये प्रति वर्ग गज की दर से खरीदी गई भूमि को 150 रुपये से 400 रुपये प्रति वर्ग गज भूमि की बिक्री; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि आवासीय प्रयोजनों के लिए कृषि क्षेत्रों की भूमि की गैरकानूनी खरीद /बेचने के विरुद्ध समाचार पत्रों द्वारा सार्वजनिक चेतावनी जारी कर दी गई है । दिल्ली नगर निगम भी क्षेत्र में अनधिकृत निर्माण के विरुद्ध कार्रवाई कर रहा है ।

सरकारी आवासों के आबंटन के लिए पूल

4700. **श्री केशव राव पारधी** : क्या निर्माण और आवास मंत्री सरकारी आवासों के आबंटन के लिये पूलों के बारे में 14 सितम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4191 के उत्तर

के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित विभागीय पूलों के नाम क्या हैं;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : उपलब्ध सूचना के अनुसार निम्नलिखित विभागों के अपने विभागीय वास हैं :—

(i) डाक व तार विभाग,

(ii) रेलवे,

(iii) रक्षा मंत्रालय,

(iv) आयकर सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग,

(v) नागर विभानन विभाग,

(vi) विदेश संचार सेवायें,

(vii) दिल्ली प्रशासन,

(viii) दिल्ली पुलिस,

(ix) लोक सभा सचिवालय,

(x) सफदरजंग, लोक नायक जयप्रकाश नारायण तथा डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल,

(xi) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा ।

तुंगभद्रा-जलाशय में गाद

4701. **श्री एच० जी० रामलू** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तुंगभद्रा जलाशय (कर्नाटक) में गाद जमा हो रही है;

(ख) गाद निकालने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) जलाशयों में गाद का जमा होना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और परियोजना का अभिकल्प तैयार करते समय इसे ध्यान में रखा जाता है । 1962-63 में प्रायोजित एक स्कीम के अन्तर्गत जलाशय के वाह-क्षेत्र में भू-संरक्षण के उपाय, जिनमें समोच्च बंध-निर्माण और वन-रोपण भी शामिल हैं किए जा रहे हैं । तुंगभद्रा बोर्ड ने भी, जलाशय में तलछट के अन्तर्वाह को कम करने के लिए, पूर्ण जलाशय स्तर के ऊपर, जलाशय के तटाग्र (फोरशोर) पर वन-रोपण के लिए कार्यवाही शुरू कर दी है ।

पुष्प विहार कालोनी, दिल्ली में कियोस्क और मूत्रालयों की व्यवस्था

4703. **श्री ओस्कर फर्नान्डीस निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा पुष्प विहार कालोनी में मुख्य सड़कों पर कियोस्क और मूत्रालय जैसी सुविधाएं भी नहीं दी गई हैं, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में पुष्प विहार निवासियों को ये सुविधाएं उपलब्ध कराने का है;

(ग) यदि हां, तो कब तक; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (घ) किसी क्षेत्र के लोगों की सहूलियतों के लिए मुख्य सड़कों पर कियोस्क तथा पेशावघरों जैसी सुविधाएं संस्थानीय निकायों द्वारा जब कभी जरूरी समझी जाती हैं तो उपलब्ध करा दी जाती हैं। पुष्प विहार कालोनी, दिल्ली में अभी तक ऐसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं की गई है।

मधुबनी (बिहार) के लिये गेहूं चावल और कपड़ा

4704. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में मधुबनी जिले के लिए गत जुलाई, अगस्त और सितम्बर के महीनों के लिये आवंटित लगभग 20 हजार क्विंटल गेहूं और चावल का राशन का कोटा तथा तीन लाख रुपयों के मूल्य के कपड़े का कोटा मारा गया और सरकारी दुकानों में नहीं दिया गया जिससे कमी के महीने में जरूरतमंदों को भारी असुविधा हुई तथा मुनाफाखोरों को भारी मुनाफा हुआ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इसके लिए कौन उत्तरदायी है; और

(ग) क्या मधुबनी के लिए दस लाख रुपयों का नकद आबंटन भी अन्यत्र अन्तरित कर दिया गया था; यदि हां, तो क्यों ?

नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री ब्रजमोहन महन्ती) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

ऊर्जा का संरक्षण

4705. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आधुनिक वास्तुकला ने जिसमें अच्छी इमारतों की डिजाइनें भी सम्मिलित हैं दिन में भी कृत्रिम प्रकाश का होना अनिवार्य कर दिया है जिससे भारी ऊर्जा नष्ट होती है;

(ख) यदि हां, तो ऊर्जा की बरबादी रोकने के लिए इमारतों की डिजाइनों में सुधार करने के बारे में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ग) इस मामले में यदि कोई निदेश जारी किये गये हैं, तो वे क्या हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जबकि भवन की राइट एंगल पर गहराई बाहरी खिड़कियों से 20 फुट से अधिक हो तो कृत्रिम प्रकाश का प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है। डिजाइन उत्तमता को बढ़ाने तथा प्रयोजनीय कार्यालय क्षेत्रों से सम्बन्धित परिगमन की जगह को कम करने के लिए, कमरों की गहराई को बढ़ा दिया जाता है।

(ख) तथा (ग) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के वास्तुकों को यह सलाह दी गई है कि जहां तक व्यवहारिक हो कार्यालय के कमरों के डिजाइन 23 फुट और कार्यालय केविन 15 फुट से अधिक गहरे न हों। इन अनुदेशों का पालन किया जा रहा है। कृत्रिम प्रकाश की आवश्यकता तभी पड़ेगी जब आसमान में बादल छाये हों।

काजू का उत्पादन

4706. **श्री वी० के० नायर** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में भारत में राज्यवार कुल कितने काजू का उत्पादन हुआ;

(ख) उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) उसके क्या परिणाम निकले तथा भविष्य के लिए क्या योजना बनाई गई है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुर्नानर्माण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) भारत में वर्ष 1977-78, 1978-79 तथा 1979-80 में हुए काजू उत्पादन की राज्यवार अनुमानित मात्रा निम्नलिखित है।

वर्ष 1980-81 के उत्पादन के अनुमानों को अभी अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

राज्य	1977-78 (मीटरी टन)	1978-79 (मीटरी टन)	1979-80 (मीटरी टन)
आन्ध्र प्रदेश	12600	12600	14000
केरल	92151	89983	123890
कर्नाटक	15666	15666	15300
महाराष्ट्र	3634	3634	4520
उड़ीसा	940	940	3000
तमिलनाडु	10520	10260	11000
पश्चिम बंगाल	नाममात्र	नाममात्र	600
गोवा	6500	6500	7500
अन्य	229	229	190
योग :	142240	139812	180000

(ख) छठी योजना में काजू के उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से 77,100 हैक्टार क्षेत्र में नये रोपण करने तथा 1,12,875 हैक्टार क्षेत्र में काजू का विकास करने का एक कार्यक्रम केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके अलावा विश्व-बैंक के सहयोग से एक बहु-राज्य काजू परियोजना को 1980-81 से केरल, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्यों में चालू किया गया है। परियोजना के अन्तर्गत 52,775 हैक्टार क्षेत्र में नया रोपण किया जाएगा और 7500 हैक्टार क्षेत्र में सुधार कार्यक्रम लागू किया जायेगा।

(ग) उठाये गये कदमों से उत्पादन काफी बढ़ जायेगा। आशा है कि 1984-85 तक काजू का उत्पादन बढ़कर 3 लाख मीट्री टन हो जायेगा।

उद्योगों एवं मार्केन्टाइल गृहों के लिये प्रस्ताव

4707. **श्री डी० एस० ए० शिव प्रकाशम** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों को कहा गया है कि औद्योगिक तथा मर्केन्टाइल गृहों द्वारा ग्रामीण विकास के लिये प्रस्तुत किये गये प्रस्तावों की जांच के लिये समितियां गठित की जायें;

(ख) यदि हां, तो क्या तमिलनाडु में ऐसी कोई समिति काम कर रही है;

(ग) कितने औद्योगिक गृहों और मर्केन्टाइल गृहों ने ग्रामीण विकास कार्यक्रम अथवा परियोजनाएं पेश की हैं; और

(घ) पेश किये गये तथा समिति द्वारा मंजूर किये गये कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में उचित दर दुकानों को राशन एककों का आबंटन

4708. **श्री सज्जन कुमार** :

श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डेय : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में प्रत्येक उचित दर दुकान को कम से कम 4000 राशन एककों का आबंटन करने का निर्णय किया गया था;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में 1981 के दौरान सर्किलवार खोली गई उन उचित दर दुकानों का ब्यौरा क्या है जिनके पास अभी तक 4000 से कम एकक हैं; और

(ग) सरकार द्वारा पुरानी उचित दर दुकानों से, विशेष रूप से उनसे जिनके पास 4000 एककों से अधिक एकक हैं, कुछ एकक लेकर ऐसी उचित दर दुकानों को देने हेतु जिनके पास 4000 एकक हैं; क्या कार्यवाही की जा रही है ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब्रजमोहन महन्तो) : (क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने तथा उचित दर की दुकानों पर भीड़ कम करने के लिए, दिल्ली प्रशासन ने निर्णय किया था कि जहां तक संभव हो, हर 4000 अनाज यूनिटों के लिए एक उचित दर की दुकान होनी चाहिए। यह निश्चित नहीं किया गया था कि हर उचित दर की दुकान को कम से कम 4000 अनाज यूनिट आवंटित किये जाने चाहिए।

(ख) एक विवरण संलग्न है, जिसमें वर्ष 1981 में खोली गई उन उचित दर की दुकानों की संख्या दी गई है, जिनके पास 4000 से कम अनाज यूनिट हैं।

(ग) दिल्ली प्रशासन द्वारा पुरानी उचित दर की दुकानों से उन अनाज यूनिटों को जो 4000 से अधिक हैं, नयी खोली गई उचित दर की दुकानों को अन्तरित करने के लिए आवश्यक अनुदेश जारी किये गये हैं।

विवरण

वर्ष 1981 के दौरान हर मंडल में मंजूर की गयी उचित दर की दुकानों की कुल संख्या और उन उचित दर की दुकानों की संख्या दर्शाने वाला विवरण जिनके पास 1-12-1981 को 4000 से कम अनाज यूनिट थे

मंडल संख्या	वर्ष 1981 के दौरान मंजूर की गयी कुल उचित दर की दुकानों की संख्या	1981 में मंजूर की गयी उन उचित दर की दुकानों की संख्या जिनके पास 4000 से कम अनाज यूनिट थे।
1	2	3
1	52	38
2	32	17
43	32	18
3	31	21
4	23	21
5	45	24
6	7	5

1	2	3
7	4	2
8	8	6
9	23	21
10	2	2
11	14	13
12	34	13
44	17	15
13	31	18
14	11	6
42	1	1
15	15	10
15	27	21
16	23	18
17	7	7
18	15	7
19	5	4
20	24	21
21	24	16
22	26	20
23	10	10
24	7	7
25	5	2
26	11	9
27	7	4
28	4	3
29	2	1
30	1	1
31	4	2

1	2	3
32	22	12
33	54	28
34	28	14
35	31	22
36	14	11
37	3	1
38	11	4
39	20	17
40	12	10
योग :	779	523

"प्लेनिम कमीशन एम्पलाईज कोप-रेटिव हाऊस बिल्डिग सोसाइटी" की भवन निर्माण योजना

4709. **श्री भीखा भाई** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्लेनिंग कमीशन एम्पलाईज कोप-रेटिव हाऊस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड के भवन निर्माण योजना विकास प्लान, लीज पेपर को जिन्हें काफी पहले ही स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है, शीघ्र ही रिलीज कर देगी;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार इस योजना को रिलीज करने में हो रहे विलम्ब के कारण बताएगी ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि इस समिति को निर्माण गतिविधि की अनुमति पहले ही दे दी गई है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

हौज काजी, दिल्ली में अनधिकृत निर्माण

4710. **श्री काजी सलीम :**

श्री नवीन चंद्र रवाणी :

श्री मंगल राम प्रेमी :

श्री उत्तम भाई एच० पटेल : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के चान्दनी चौक निर्वाचन क्षेत्र में हौज काजी के अत्यन्त भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में (संख्या 3442 से 3470) वर्ष 1980 और 1981 के दौरान बहुमंजिला वाणिज्यक काम्पलैक्सों का अनधिकृत तथा गैर कानूनी निर्माण हुआ है अथवा हो रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस क्षेत्र के चहुंओर रहने वाले निवासियों तथा दिल्ली स्टील्स टूल्स एण्ड हाईवेयर ट्रेडर्स एसोसिएशन (रजि०) दिल्ली ने इस मामले के संबंध में केन्द्रीय आवास मंत्री तथा दिल्ली नगर निगम, दिल्ली प्रशासन, केन्द्र सरकार तथा दिल्ली विकास निगम के प्राधिकारियों को कुछ विस्तृत पत्र एवं ज्ञापन भेजे थे, यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अनधिकृत और गैर-कानूनी निर्माण को गिराने के लिए क्या कार्यवाही की गई है और इसके मालिकों एवं अन्तर्ग्रस्त लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है।

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह (क) : जी, हां।

(ख) दिल्ली नगर निगम ने इस सम्बन्ध में कुछ पत्र प्राप्त किये थे। दिल्ली स्टील टूल्स एण्ड हाईवेयर ट्रेडर्स एसोशिएशन (पंजीकृत) के महा सचिव, श्री इन्द्रराज छाबड़ा ने आरोप लगाया है कि निर्माण में निम्न कोटि की सामग्री का प्रयोग किया जा रहा था जिसके परिणाम-स्वरूप दुर्घटना हो सकती है। उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि इस अनधिकृत निर्माण के सम्बन्ध में जांच की जाय।

(ग) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि मकान सं० 3442 से 3470/VI हौजकाजी, चौक दिल्ली में अनधिकृत निर्माण को दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 के सम्बन्धित उपबन्धों के अन्तर्गत दर्ज किया गया है। न्यायालय द्वारा दिये गये स्थगन आदेश की समाप्ति के बाद दिनांक 4.8.81 को दिल्ली नगर निगम ने गिराने की कार्यवाही भी आरम्भ की थी। भू-मंजिल और पहली मंजिल पर स्वीकृत भवन नक्शों से बाहर 44 दुकानों पर बने शटरों और एक विभाजक दीवार को तोड़ दिया था। तथापि उसी दिन अर्थात् 4.8.81 को किसी भी तोड़ने की कार्यवाही करने के लिए दिल्ली नगर निगम को रोकने के लिए मालिक दूसरा स्थगन आदेश ले आया। दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि इस समय इस सम्पत्ति के सम्बन्ध में चार स्थगन आदेश प्रचलन में हैं।

पंजाबी बाग, दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण

भूमि का हथियाना

4711. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**

श्री सूरजभान : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैस्ट पंजाबी बाग दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण के पार्क के लिए निर्धारित लगभग 2 एकड़ सरकारी भूमि को हथियाने दिया है कब्जे को हटाने से डरते हैं क्योंकि वहां कुछ गुन्डों ने बड़ी चालाकी से नेताओं के दिये हैं;

(ख) इस सम्बन्ध में तथ्यों का ब्यौरा क्या है ?

(ग) दोषी अधिकारियों तथा उसका लाभ उठाने वालों के नाम क्या हैं क्या कार्यवाही की गई; और

(घ) भूमि को साफ कराने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण जी. नहीं । हां दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि यह भूमि दिल्ली विका दिल्ली प्रशासन की नहीं है अपितु शरणार्थी सहकारी गृह निर्माण सोसाइटी पं

(ख) से (घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं

दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि पर अवैध निर्माण

4712. **श्री तारिक अनवर** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने कि :

(क) क्या कुछ व्यापारियों ने अपने द्वारा चलाई जाने वाली दुकानों लाइसेंस शुल्क के रूप में दिल्ली विकास प्राधिकरण को 25 लाख रुपये देने हैं;

(ख) क्या इन व्यापारियों ने दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि पर अ मकानों का निर्माण किया है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने अब तक क्या कदम उठाये हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नाराय दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि अन्तर्राज्यीय बस टर्मिनल कम्प्ल के कुछ लाइसेंसधारियों ने लाइसेंस फीस का भुगतान नहीं किया है जिसके फल फीस का बकाया का भारी मात्रा में जमा हो गया है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि कानून में दिये ग अनुसार पार्टियों से भुगतान प्राप्त करने के लिए इन मामलों पर कार्यवाही की ज

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, दिल्ली में दैनिक मंजूरी पर काम कर रहे ढोलवार

4713, **श्री के० लकप्पा** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के दिल्ली/नई दिल्ली स्थित विभिन्न डिवीजनों में कुल कितने व्यक्ति दैनिक मंजूरी पर बेलदार के रूप में काम कर रहे हैं सर्किलवार ब्यौरे बताए जाएं ।

(ख) उनमें से कितने व्यक्ति मूलतः रोजगार केन्द्रों के माध्यम से नियुक्त किये गये थे और गृह मंत्रालय द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार नियमित कार्य प्रभारित प्रतिष्ठानों में नियुक्ति के लिए पात्र हैं;

(ग) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के दिल्ली/नई दिल्ली स्थित विभिन्न सर्किलों में इस समय कितने पद खाली हैं, सर्किलवार ब्यौरे बतायें; और

(घ) दैनिक मजूरी पर और बेलदार के रूप में काम करने वालों को जो सरकारी नियमों के अनुसार नियमित कार्य प्रभारित प्रतिष्ठानों के लिए पात्र हैं कब तक नियंत्रित किया जायेगा ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग) यह सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

(घ) काफी समय से काम कर रहे मस्टर रोल के कर्मचारियों में से कुछ को रोजगार कार्यालय द्वारा नहीं भेजा गया था परन्तु उन्हें रोजगार कार्यालय द्वारा किये गये पंजीकरण कार्डों के आधार पर नियुक्त किया गया था । रोजगार कार्यालय द्वारा भेजे जाने वाली पद्धति में ढील देने के लिये सम्बन्धित प्राधिकारियों को लिखा गया है । जैसे ही यह मामला तय हो जायेगा इस पर आगे कार्यवाही की जायेगी ।

विवरण

निम्नलिखित से सम्बन्धित आंकड़े

क्र० सं०	परिमण्डल का नाम	प्रश्न का (क) भाग	प्रश्न का (ख) भाग	प्रश्न का (ग) भाग
1.	डी. सी. सी. I	432	32	100
2.	डी. सी. सी. II	814	शून्य	131
3.	डी. सी. सी. III	36	शून्य	शून्य
4.	डी. सी. सी. IV	54	4	4
5.	डी. सी. सी. V	20	19	(—) 23**
6.	सी. सी. सी. VI	397	शून्य	233
7.	डी. सी. सी. VII	43	43	18
8.	डी. सी. सी. IX	583	शून्य	114
9.	पी. डब्ल्यू. डी. सी I	185	102	17
10.	पी. डब्ल्यू. डी. सी. II	866	40	14
11.	पी. डब्ल्यू. डी सी. III	42	28	12
12.	पी. डब्ल्यू. डी. सी. IV	127	शून्य	17
13.	उद्यान निदेशालय	शून्य	शून्य	19
14.	पी. डब्ल्यू. डी. सी. V	261	12	29
		3860	280	690

**विद्यमान एककों के पुनः समायोजन के कारण अधिक स्टाफ इसके अन्य रिक्तियों के बदले में पुनः समायोजित किया जा रहा है ।

वाणिज्य प्रयोजनों से गाँधी जी के नाम तथा चित्र का उपयोग

4714. **श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत :** क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा 2 अक्तूबर, 1981 को जारी किए गए एक वाणिज्यिक विज्ञापन में गांधी जी के नाम तथा चित्र का प्रयोग किया गया जो कि 1950 में संसद द्वारा पारित किए गए संप्रतीक और नाम का (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम का पूरी तरह उल्लंघन है; और

(ख) क्या सरकार ने वाणिज्य लाभ के लिए बापू के नाम के इस गलत उपयोग के लिए जिम्मेदार दिल्ली विकास प्राधिकरण अथवा विज्ञापन एजेंसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि 2 अक्तूबर, 1981 को 'गरीब तथा कमजोर वर्गों को सामाजिक सुरक्षा देने की हमारी सतत् खोज के पीछे भावना' नामक शीर्षक का विज्ञापन कमजोर वर्गों की उन्नति तथा कल्याण के लिए निष्ठा तथा समर्पण की भावना से रिलीज किया गया था। दिल्ली विकास प्राधिकरण की कमजोर वर्गों के लिए सहायता प्राप्त आवास योजनाएं हैं ताकि सरकारी अभिकरणों द्वारा अपने निजी घर के लिए दिए गए अवसरों का लाभ गरीब लोग उठा सकें।

(ख) तथापि, दिल्ली विकास प्राधिकरण को भविष्य में ऐसी कार्रवाई न करने के लिये सलाह दी गई है। उन्होंने इसको अनुपालन के लिए नोट कर लिया है।

भूमिहीनों का भूमि का आवंटन

4715. **श्री राम लाल राही :** क्या **ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों में देश में भूमिहीनों को भूमि का आवंटन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरे क्या हैं;

(ग) क्या राजस्थान सरकार ने अभी तक उन सभी लोगों को कब्जा नहीं दिया है; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह सच है कि राजस्थान में विशेष रूप से जिला जोधपुर में ग्राम कानोडिया, पुरोहिता आदि में कुछ शक्तिशाली लोगों ने आवंटित भूमि पर कब्जा कर लिया है और प्रभावित हुए लोगों ने केन्द्र तथा राज्य सरकार को इस बारे में शिकायतें की हैं परन्तु इस बारे में कोई कार्रवाई नहीं की गई है; और

(ङ) उसके क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) व (ख) राज्य सरकारें अपने अधिकार की बंजर भूमि तथा अपने पास उपलब्ध अधिकतम सीमा से फालतू भूमि को भूमिहीनों में आवंटित करती हैं । भारत सरकार संशोधित अधिकतम भूमि सीमा कानूनों के कार्यान्वयन की प्रगति की पुनरीक्षा करती है । इन कानूनों के अन्तर्गत वितरित किए गए क्षेत्रों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ग) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

विवरण

(क्षेत्र एकड़ में)

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	संशोधित अधिकतम भूमि सीमा कानूनों के अन्तर्गत वितरित क्षेत्र	लाभभोगियों की संख्या	अवधि जिससे सूचना संबंधित है
आन्ध्र प्रदेश	84,703	59,203	1.1.79 से 31.8.81 तक
असम	13,032	6,034	1.8.78 से 30.6.81 तक
बिहार	6,362	14,156	1.1.79 से 31.8.81 तक
गुजरात	5,190	1,199	1.1.79 से 30.9.81 तक
हरियाणा	15,781	4,579	1.1.79 से 30.9.81 तक
हिमाचल प्रदेश	166	301	1.11.80 से 30.7.81 तक
जम्मू तथा काश्मीर	—	—	—
कर्नाटक	16,437	4,083	1.1.79 से 31.10.81 तक
केरल	7,313	15,440	1.1.79 से 30.9.81 तक
मध्य प्रदेश	22,984	9,077	1.1.79 से 31.8.81 तक
महाराष्ट्र	5,780	1,819	1.2.79 से 31.10.81 तक
मणिपुर	—		1.1.79 से 31.7.81 तक
उड़ीसा	6,729	6,940	1.1.79 से 30.9.81 तक
पंजाब	3,159	644	1.1.79 से 30.9.81 तक
राजस्थान	2,824	641	1.4.79 से 30.6.81 तक
तमिलनाडु	26,251	15,486	1.1.79 से 31.10.81 तक
त्रिपुरा	489	462	1.1.79 से 30.9.81 तक
उत्तर प्रदेश	37,760	23,229	1.1.79 से 30.9.81 तक
पश्चिम बंगाल	20,446	84,304	1.1.79 से 30.6.81 तक
दादर तथा नगर हवेली	214	100	1.1.79 से 31.8.81 तक
दिल्ली	—	—	1.1.79 से 31.7.81 तक
पाण्डिचेरी	113	108	1.1.79 से 31.10.81 तक
योग :	2,75,733	2,47,805	

तमिलनाडु अधिकतम भूमि सीमा अधिनियम

4716. श्री के० राममूर्ति : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु अधिकतम भूमि सीमा अधिनियम को जो राष्ट्रपति की सहमति के लिये विचाराधीन है, सहमति दिये जाने के संबंध में पुनर्विचार किया जा रहा है;

(ख) क्या तमिलनाडु अधिकतम भूमि सीमा अधिनियम राष्ट्रीय मार्गदर्शी निदेशों के अनुरूप नहीं है; और

(ग) इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) तमिलनाडु भूमि सुधार (भूमि पर अधिकतम सीमा का निर्धारण) अधिनियम में कोई संशोधन राष्ट्रपति की सहमति हेतु लम्बित नहीं है।

(ख) तमिलनाडु भूमि सुधार (भूमि पर अधिकतम सीमा का निर्धारण) अधिनियम, 1961 के कुछेक प्रावधान राष्ट्रीय मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरूप नहीं हैं। उदाहरणार्थ, अधिकतम सीमा के अतिरिक्त स्त्रीधन भूमि का अवधारण जिसे इस अधिनियम में अनुमति दी गई है, मार्गदर्शी सिद्धान्तों के प्रतिकूल है।

(ग) राज्य सरकार से आवश्यक संशोधन प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया गया है।

डेरी बोर्ड द्वारा दिए गए निर्माण के ठेके

4717. श्री रशीद मसूद :

श्री बी० डी० सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि डेरी बोर्ड देश भर में बहुत अधिक दरों पर निर्माण के बहुत अधिक ठेके दे रहा है जिसका लोक निर्माण विभाग अथवा राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम द्वारा दिये जाने वाले मूल्यों से कोई सम्बन्ध नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सार्वजनिक धन का दुरुपयोग रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है या किए जाने का विचार है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) सरकार को ऐसे किसी मामले की जानकारी नहीं है कि राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड बहुत अधिक मूल्यों पर ठेके दे रहा है।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर खादी ग्रामोद्योग को राज सहायता

4718. **श्री राम नगीना मिश्र :** क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी ग्राम उद्योग को महात्मा गांधी के जन्म दिवस समारोहों पर केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा कोई राज सहायता दी जाती है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्र में तथा राज्यों में काम करने वाले खादी ग्रामोद्योगों को कितनी राज सहायता दी और इस बारे में राज्यवार ब्यौरे क्या हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) व (ख) जी हां। प्रति वर्ष गांधी जयन्ती की अवधि के दौरान केवल खादी (सूती, ऊनी तथा सिल्की) के लिए विशेष छूट संस्वीकृत की जाती है। इस धनराशि के कोई राज्यवार आबंटन नहीं हैं क्योंकि दी जाने वाली छूट की धनराशि प्रत्येक राज्य में बिक्री की मात्रा पर निर्भर करती है।

नदियों के पानी का प्रदूषण

4719. **श्री डी० एम० पुत्ते गोडा :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान द्वारा किये गये एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में 70 प्रतिशत नदियों का जल प्रदूषित है और पीने के आयोग्य है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे क्या हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस मामले में क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) जी, नहीं। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान ने यमुना, गंगा तथा हुगली नदियों के कुछ भागों के जल का अध्ययन किया था और उनका जल अशोधित अवस्था में पीने के लिए उचित नहीं पाया।

बड़ी मात्रा में अशोधित मल जल तथा औद्योगिक अपशिष्ट के कारण जो कि मुख्यतया प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के शहरों द्वारा प्रवाहित किया जाता है उसमें देश की जल राशि में प्रदूषण होता है।

(ग) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 विभिन्न राज्यों में लागू है जहां से होकर यमुना, गंगा तथा हुगली नदियां बहती हैं। सम्बन्धित राज्य बोर्ड इस अधिनियम के उपबन्धों का कार्यान्वयन कर रहे हैं।

इन नदियों में छोड़े जाने वाले अशोधित मल जल के शोधन के लिए सम्बंधित स्थानीय निकायों द्वारा सम्बन्धित राज्य सरकारों के सहायोग से कार्रवाई की जानी है और जल प्रदूषण के नियंत्रण के बिए राज्य बोर्डों द्वारा उनको इस बारे में कहा जा रहा है।

आंध्र प्रदेश में नये चीनी कारखाने को वित्तीय सहायता

4720. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नए चीनी कारखानों को वित्तीय सहायता दे रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उन चीनी कारखानों को सहायता देने के लिये आन्ध्र प्रदेश सरकार के अनुरोध को स्वीकार करेगी जिनके लिये शेयर पूंजी एकत्रित की जा चुकी है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) चीनी यूनिटों को प्रोत्साहन प्रदान करने की संशोधित योजना की अक्तूबर, 1980 में घोषणा करने के बाद नयी चीनी परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता सुलभ करने के लिए आवेदन पत्रों की मन्जूरी देने का कार्य अखिल भारत वित्तीय संस्थानों द्वारा शुरू किया गया है। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आई० एफ० सी० आई०) ने सूचित किया है कि अब तक उन्होंने आन्ध्र प्रदेश में नयी चीनी फैक्ट्रियो को वित्तीय सहायता के रूप में 749 लाख रुपये की राशि मन्जूर की है । भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के पास आन्ध्र प्रदेश में किसी नयी चीनी परियोजना को वित्तीय सहायता देने के बारे में कोई आवेदन पत्र लम्बित नहीं पड़ा है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन० सी० डी० सी०) भी राज्य सरकारों को ऋण सहायता सुलभ करता है ताकि वे केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अधीन सहकारी क्षेत्र में नयी चीनी फैक्ट्रियाँ स्थापित करने के लिए शेयर पूजी अंशदान के प्रति अपने संसाधनों में वृद्धि कर सकें। इस योजना के अधीन राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा नयी सहकारी चीनी फैक्ट्रियों के लिए लगभग 416 लाख रुपये मन्जूर किए गए हैं। जब कभी किसी राज्य से नये चीनी यूनिटों के बारे में वित्तीय सहायता के लिए आवेदन प्राप्त होंगे तब अखिल भारत वित्तीय संस्थानों और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा शेयर पूजी एकत्रित करने के बारे में स्थिति समेत प्रत्येक मामले के गुण-दोष पर निर्भर करते हुए उन्हें वित्तीय सहायता सुलभ करने के बारे में विचार किया जाएगा।

आडापुर, बिहार में एक चीनी कारखाने की स्थापना की आवश्यकता

4721. **श्री कमल मिश्र मधुकर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के पूर्वी चम्पारन जिले में एक चीनी कारखाने की स्थापना की आवश्यकता है जिससे क्षेत्र के किसान को अपनी गन्ने की फसल को नेपाल बेचने की आवश्यकता न रहे;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में बिहार सरकार के साथ कोई बातचीत की गई है अथवा कोई पत्र व्यवहार हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) केन्द्रीय सरकार किसी भी राज्य में किसी स्थान पर नयी फैक्ट्रियां स्थापित करने के लिए शुरूआत नहीं करती है। नयी चीनी फैक्ट्री लगाने के लिए सरकार द्वारा 4 जुलाई, 1980 को जारी किए गए प्रेस नोट में उल्लिखित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार और योजना में लाइसेंसिंग के समूचे लक्ष्यों के आधार पर राज्य सरकारों द्वारा प्रस्ताव भेजे जाने होते हैं। फिलहाल, केन्द्रीय सरकार के पास बिहार के पूर्वी चम्पारन जिले में स्थित आडापुर में मिल स्थापित करने के बारे में विचार करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

नागरिक पूर्ति निगम, दिल्ली में आई. एम. एफ. एल. डिवीजन में काम कर रहे व्यक्ति

4722. **श्री बाल कृष्ण वासनिक :** क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली नागरिक पूर्ति निगम के आई. एम. एफ. एल. डिवीचन में काम करने वाले कर्मचारियों की पद-वार संख्या कितनी है और प्रत्येक वर्ग का वेतनमान क्या है; और

(ख) उपरोक्त निगमों द्वारा उपरोक्त वर्गों में अपने कर्मचारियों को अन्य क्या लाभ दिये जा रहे हैं ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब्रजमोहन महन्ती) : (क) : दिल्ली राज्य नागरिक पूर्ति निगम के आई. एम. एफ. एल. प्रभाग में कार्य कर रहे व्यक्तियों की पद-वार कुल संख्या तथा उनके वेतन मान नीचे दिए जा रहे हैं :—

क्र. सं.	पद	वेतनमान (रुपयों में)	व्यक्तियों की सं०
1.	उप प्रबंधक	900-1400 रु.	1
2.	सहायक प्रबंधक	550-900 रु०	1
3.	विक्रय अधिकारी/दुकान प्रबंध	1000/- रु. प्रतिमास समेकित (425-700 रु०)	15
4.	खजांची	330-560 रु०	15
5.	सहायक ग्रेड-II	350-560 रु०	10
6.	बिक्री सहायक	450 रु. प्रतिमास समेकित	51
7.	हेल्पर	300/- रु. प्रतिमास समेकित	43

(ख) नियमित वेतनमान में कार्य कर रहे सभी कर्मचारियों को वेतन के अलावा दिल्ली प्रशासन के कर्मचारियों को देय मंहगाई भत्ता, अतिरिक्त मंहगाई भत्ता, नगर प्रतिपूर्ति भत्ता और छुट्टी यात्रा रियायत की सुविधा प्राप्त है तथा साथ ही वे 30 प्रतिशत मकान किराया भत्ता भी ले रहे हैं। समेकित वेतन प्राप्त करने वाले तथा नियमित वेतनमानों में कार्यरत सभी कर्मचारी प्रति तिमाही 150 रु. का नियत चिकित्सा भत्ता लेने के पात्र हैं।

ग्रामीण पुनर्वास के लिये जन-बल

4723. श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव :

श्री डी० पी० यादव : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आने वाले वर्ष में ग्रामीण पुनर्वास के लिये पर्याप्त संख्या में जन-बल को प्रशिक्षित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक कार्यान्वित किया जायेगा ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) व (ख) भारत सरकार ने युवकों में व्याप्त बेरोजगारी को दूर करने के प्रमुख उद्देश्य से ग्रामीण युवकों के स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण की राष्ट्रीय योजना (ट्राइसेम) 15 अगस्त, 1979 से शुरू कर दी है । योजना में मुख्य बल ग्रामीण युवकों को आवश्यक कुशलताओं तथा प्रौद्योगिकी से सज्जित करने पर दिया गया है ताकि वे स्वरोजगार के व्यवसायों को शुरू कर सकें । इस योजना के अन्तर्गत देश के सभी खण्डों में विभिन्न कुशलताओं में प्रति वर्ष लगभग 2 लाख ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षित करने का प्रस्ताव है ।

2 अक्तूबर, 1980 से इस योजना को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में मिला दिया गया है । योजना की अब तक की प्रगति यह है कि 1979-80 के दौरान 43572 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया तथा 12,565 व्यक्ति स्वनियोजित हुए । 1980-81 के दौरान 1,03,124 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया तथा 31,285 व्यक्ति स्वनियोजित हुए ।

भारत-बुलगारिया संयुक्त आयोग की बैठक

4724. श्री एच० एन० नन्जे गौडा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-बुलगारिया संयुक्त आयोग की एक बैठक आर्थिक और व्यापारिक सहयोग के प्रसार और दुतरफा व्यापार बढ़ाने तथा उसके विविधकरण हेतु चर्चा करने के लिए नवम्बर के महीने में आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो किन विषयों पर चर्चा हुई और उसमें क्या निर्णय लिए गये; और

(ग) क्या व्यापार बढ़ाने के किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता ।

दिल्ली यमुनापार क्षेत्र में भूमि पर जबरदस्ती कब्जा

4725. **श्री सूरज भान :**

श्री एन० के० शेजवलकर :

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली यमुनापार के आजाद नगर क्षेत्र में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने एक युवा संगठन सेवा को पूर्वी आजाद नगर में रामलीला मैदान में दिल्ली विकास प्राधिकरण की आधा एकड़ भूमि पर कब्जा करने, दिल्ली विकास प्राधिकरण का बोर्ड और तार का घेरा हटाने, एक पक्की चार-दीवारी बनाने तथा एक रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति दे दी है;

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमति दिये जाने के क्या कारण हैं, लाभान्भोगी व्यक्तियों का विवरण क्या है तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण के दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) भूमि का कब्जा लेने के लिये क्या निदानात्मक उपाय किये जा रहे हैं; और

(घ) इस भूमि का बाजार मूल्य क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि इस क्षेत्र से सम्बन्धित मामले न्यायाधीन हैं । तथापि, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने भूमि को गैरकानूनी रूप से बेचने के लिए विशेष सैल में दिनांक 14.9.1981 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई ।

(घ) इस मंत्रालय द्वारा मुख्यतया सरकारी पट्टे के प्रशासन के लिए निर्धारित विकसित भूमि के बाजार दर सूची जो कि 1.4.1981 से लागू है के अनुसार, शाहदरा के झील कुरेंजा क्षेत्र के लिए बाजार दर 800/- रुपये प्रति वर्ग मीटर है और क्रमशः रिहायशी तथा वाणिज्यिक स्थलों के लिए 1600/-रुपये प्रति वर्ग मीटर है । आजाद नगर के लिए ऐसी कोई विशिष्ट दर निर्धारित नहीं की गई है ।

लेखन सामग्री की सप्लाई तथा प्रयोग संबन्धी नियम

4726. **श्री बी० डी० सिंह :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लेखन सामग्री के प्रयोग के नियमों के बारे में 23 नवम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 138 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लेखा सामग्री स्टोर की सप्लाई तथा प्रयोग संबंधी नियम 1924 में भारत सरकार, वन विभाग के प्राधिकार के अधीन जारी किए गए थे और 29 फरवरी, 1940 तक

संशोधित रूप में 1904 में पुन: मुद्रित किए गये थे और तब से उन नियमों को अद्यतन नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) इन नियमों को अद्यतन बनाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(घ) इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं कि सरकारी विभागों और सरकारी उपक्रमों द्वारा लेखन सामग्री तथा अन्य प्रकार के सामान की पूरी आवश्यकताओं की खरीदारी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड, नई दिल्ली से की जाये और अपनी आवश्यक वस्तुएं सीधे सप्लायर्स से न खरीदें ताकि कदाचारों को रोका जा सके ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) स्टाफ की कमी के कारण लेखन सामग्री नियंत्रक इस कार्य को करने की स्थिति में नहीं था।

(ग) लेखन सामग्री नियंत्रक के कार्यालय के एक उच्च अधिकारी को नियमों का अद्यतन कार्य करने को कहा गया है।

(घ) गृह मंत्रालय द्वारा यह आदेश जारी किये हैं कि दिल्ली/नई दिल्ली स्थित सरकार के विभागों/निजी क्षेत्र उपक्रमों और दूसरे संगठनों को जिनकी वित्त व्यवस्था/नियंत्रण सरकार के अधीन है। वे लेखन सामग्री इत्यादि की स्थानीय खरीद केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड, नई दिल्ली से करें। दिल्ली से बाहर स्थित सरकारी कार्यालयों पर ये आदेश लागू नहीं होते क्योंकि इस समिति की कोई शाखा दिल्ली से बाहर नहीं है।

मत्स्य बन्दरगाह परियोजनाएं

4727. **श्री के० बी० चौधरी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में अनेक मत्स्य बन्दरगाह परियोजनाओं को पूरा करने में विलम्ब हो रहा है;

(ख) सरकार ने निर्धन परम्परागत मछुओं को लघु बन्दरगाहों के रूप में लघु मत्स्य अवतरण केन्द्रों के लिये सहायता देने के लिये क्या कदम उठाये हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार मत्स्य बन्दरगाहों के लिये अलग प्रशासकीय प्राधिकरण की स्थापना करने का है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) अपरिहार्य तकनीकी कठिनाइयों के कारण कुछ मत्स्यन बन्दरगाह परियोजनाओं के निर्माण में नियत समय से अधिक समय लगा है।

(ख) गत 18 महीनों में लगभग पांच स्थानों पर ऐसे मत्स्य अवतरण के छोटे केन्द्रों को मंजूर किया गया है। स्थानों का पता लगाने व प्रस्तावों को तैयार करने के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है।

(ग) ऐसे बन्दरगाहों का प्रशासन राज्य पतन विभाग या मात्स्यकी विभाग जैसे संबंधित विभाग करते हैं।

सरकारी कालोनियों का रखरखाव

4728. **श्री राजेश कुमार सिंह** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि सरकारी कालोनियों में पहुंच सड़कों के पुनः बिछाये जाने का प्रश्न इस सदन में प्रश्नोतर काल में अनेक बार उठाया गया है परन्तु कोई परिणाम नहीं निकले हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार स्थिति का जायजा लेने के लिए और यह देखने के लिये कि उनका रखरखाव किस प्रकार का है, संसद सदस्यों के फ्लैटों के क्षेत्रों सहित सरकारी कालोनियों में चक्कर लगाने के लिए संसद की एक समिति गठित करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो सड़कों को पुनः बिछाये जाने सहित वहां की स्थिति को सुधारने के लिए क्या ठोस एवं प्रभावी कदम उठाने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां। लेकिन संसाधनों की कमी के कारण सम्पर्क मार्गों में तारकोल बिछाने में कठिनाई है।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ग) निधियों के उपलब्ध होने पर मार्गों पर तारकोल बिछाने/मरम्मत का कार्य चरणबद्ध रूप से किया जाएगा।

चिर नदी पर बांध

4729. **श्री समीनुद्दीन** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कछमछिया राजदोर से निकलने वाली तथा बिहार के जिला भागलपुर के बारहाट विकास खण्ड से होकर बहने वाली चिर तथा सुखानिया नदियों से बारहाट खण्ड में विशेष रूप से धोरैया खण्ड में लगभग 50,000 एकड़ भूमि की सिंचाई करते है;

(ख) क्या चिर नदी पर एक बांध बनाने और चालना गांव, धोरैया खण्ड के निकट राजदोर में वितरण प्रपात बनाने की योजना सिंचाई विभाग को पेश की गई है;

(ग) क्या बांध तथा वितरक के न बनाये जाने के कारण से सम्पूर्ण धोरैया खण्ड में सूखा की स्थिति है; और

(घ) यदि उपरोक्त मांगों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार धोरैया खण्ड को भविष्य में सूखा की स्थिति से बचाने के लिये बांध तथा वितरण प्रपात का निर्माण करेंगे ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (घ) राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है ।

लघु किसान विकास एजेंसी कार्यक्रम को क्रियान्वित करना

4730. **श्री मनमोहन टुडु** : क्या **ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लघु किसान विकास एजेंसी कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिये उड़ीसा को पिछले तीन वर्षों में कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ख) उड़ीसा के विभिन्न जिलों में कुओं की खुदाई के लिए उन वर्षों में वस्तुत: कितनी राशि वितरित की गई;

(ग) उड़ीसा के मयूरभंज जिले के कितने छोटे किसानों ने इन वर्षों में कुओं की खुदाई के लिये सरकार से ऋण लिये थे;

(घ) क्या मयूरभंज जिले के इन सभी लाभार्थियों ने ऋणों की अदायगी कर दी है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) 1978-79 तथा 1979-80 में लघु कृषक विकास एजेंसी कार्यक्रम तथा 1980-81 में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (जिसमें लघु कृषक विकास एजेंसी कार्यक्रमों को मिला दिया गया था) के कार्यान्वयन के लिए पिछले तीन वर्षों में भारत सरकार द्वारा उड़ीसा को 936.61 लाख रुपये की धनराशि बंटित की गई थी ।

(ख) अपेक्षित सूचना उड़ीसा सरकार से एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) लघु कृषक विकास एजेंसी कार्यक्रम मयूरभंज जिले में नहीं चल रहा था ।

(घ) व (ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

सिंचाई का विकास

4731. **श्री गुलाम रसूल कोचक** :

श्री बी० वी० देसाई : क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यद्यपि भारत में विश्व की विशालतम सिंचाई व्यवस्था है फिर भी यहां सिंचाई और जल प्रबन्ध के स्तर में अभी भी भारी सुधार की आवश्यकता है;

(ख) क्या पांचवीं योजना अवधि के दौरान सिंचाई की विकास दर एक वर्ष में लगभग 25 लाख हैक्टेयर थी; और

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सिंचाई विकास की स्थिति क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां।

(ख) पांचवीं योजनावधि के दौरान सिंचाई की विकास दर औसतन लगभग 2.0 मिलियन हैक्टेयर प्रतिवर्ष थी।

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना के लिए 13.74 मिलियन हैक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है।

गन्ने की जल्दी पेराई और चीनी उत्पादन पर उत्पादन कर में छूट

4732. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या कृषि मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सरकार ने संबंधित मिलों द्वारा गत वर्ष की वैसी ही अवधि में उत्पादित चीनी की मात्रा के अतिरिक्त 28 अक्तूबर से 30 नवम्बर, 1981 तक उत्पादित खुली बिक्री की चीनी पर 23.25 रुपये प्रति क्विंटल तथा लेवी चीनी पर 19.30 रुपये प्रति क्विंटल की उत्पाद-कर छूट की पेशकश की थी;

(ख) यदि हां, तो इस प्रोत्साहन के परिणामस्वरूप पिछले वर्ष की उसी अवधि के दौरान किये गये उत्पादन की अपेक्षा इस वर्ष कितनी अधिक मात्रा में चीनी का उत्पादन हुआ; और

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान प्रदर्शित बढ़े हुए उत्पादन को ध्यान में रखते हुए चालू वर्ष के मौसम में चीनी उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां, लेकिन मुक्त बिक्री की चीनी के मामले में रिबेट 23.55 रुपये प्रति क्विंटल है और न कि 23.25 रुपये।

(ख) लगभग 1.6 लाख मीटरी टन। तथापि, हालांकि यह उत्पादन के बारे में समूची स्थिति है, लेकिन पात्रता के बारे में निर्धारित की गई शर्तों के संदर्भ में इसमें से जो भाग प्रोत्साहनों के लिए हकदार होगा, उसके बारे में फैक्ट्रियों द्वारा रिबेट के लिए दावे करने के बाद और उन पर सरकार द्वारा निर्णय लेने के बाद ही जानकारी प्राप्त हो पाएगी।

(ग) कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। तथापि, आशा है कि चीनी का उत्पादन 65 से 67 लाख मीटरी टन तक पहुंच जाएगा।

वृहत कलकत्ता दुग्ध सप्लाई योजना को चिकनाई रहित दुग्ध चूर्ण की सप्लाई

4733. **श्री नीरेन घोष** :

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वृहत कलकत्ता दुग्ध सप्लाई योजना को चलाने के लिए चिकनाई रहित (स्किम्मड) दुग्ध चूर्ण और बटर आयल की न्यूनतम मासिक आवश्यकता क्रमश: 600 मीटरी टन और 195 मीटरी टन की है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान वृहत कलकत्ता दुग्ध योजना को ऐसे दुग्ध चूर्ण और बटर आयल की कितनी मात्रा सप्लाई की गई;

(ग) क्या इस अवधि में इनकी कोई कमी रही; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) भारतीय डेरी निगम द्वारा डेरियों को सप्रेटा दुग्ध चूर्ण तथा बटर आयल सप्लाई करने की निर्धारित पद्धति के आधार पर वृहत कलकत्ता दुग्ध सप्लाई योजना चालू वर्ष 1981 के दौरान 3456 मीटरी टन सप्रेटा दुग्ध चूर्ण तथा 1152 मीटरी टन बटर आयल पाने का अधिकारी है। इस मात्रा की मासिक औसत 288 मीटरी टन सप्रेटा दुग्ध चूर्ण तथा 96 मीटरी टन बटर आयल बैठती है। इसके विपरीत, भारतीय डेरी निगम ने प्रति मास औसतन 547 मीटरी टन सप्रेटा दुग्ध चूर्ण तथा 148 मीटरी टन बटर आयल की सप्लाई की है।

(ख) गत दो वर्षों के दौरान वृहत कलकत्ता दुग्ध सप्लाई योजना को सप्लाई किए गए सप्रेटा दुग्ध चूर्ण तथा बटर आयल की मात्रा निम्नलिखित है :—

(आंकड़े मीटरी टनों में)

वर्ष	सप्रेटा दुग्ध चूर्ण	बटर आयल
1979-80	5906.780	1564.329
1980-81	5104.360	1287.107

(ग) राज्य सरकार से सप्रेटा दुग्ध चूर्ण तथा बटर आयल की सप्लाई के संबंध में कोई शिकायत नहीं मिली है।

(घ) प्रश्न नहीं होता।

चावल का निर्यात और मूल्य वृद्धि

4734. **श्री चित्त बसु** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वर्ष के दौरान चावल का निर्यात करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो अनुमानत: कितनी मात्रा में निर्यात किया जाएगा;

(ग) क्या निर्यात अभियान से घरेलू मूल्यों में वृद्धि होगी; और

(घ) यदि हां, तो चावल के मूल्यों में संभावित वृद्धि को रोकने के लिए क्या कदम उठाएं जाने का विचार है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) सरकार का चालू वर्ष के दौरान बासमती चावल, जो कि खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत आता है, के अलावा लगभग 6 लाख मीटरी टन चावल निर्यात करने का विचार है।

(ग) और (घ) चावल का केवल उतनी मात्रा में निर्यात करने की अनुमति दी गई है जिससे देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली को खतरा पहुंचने की सम्भावना न हो या जिससे आन्तरिक मूल्यों में अनुचित रूप से वृद्धि न होने पाए। इसके अलावा, सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से जारी करने के लिए केन्द्रीय भण्डार मे खाद्यान्न सप्लाई करने की व्यवस्था करती है ताकि खाद्यान्नों के खुले बाजार के मूल्यों पर नियंत्रण रखा जा सके।

गेहूं का आयात

4735. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गेहूं की और खरीद के बारे में वार्ता करने के लिये खाद्य सचिव ने अमेरिका का दौरा किया;

(ख) यदि हां, तो कितने गेहूं का आयात किया जायगा और यह खेप कब तक भारत पहुंचेगी;

(ग) यह सौदा सरकारी स्तर पर किया गया है अथवा निजी पार्टियों के स्तर पर और इन सौदे के सम्बन्ध में वाशिंगटन स्थित भारतीय राजदूतावास ने क्या भूमिका निभाई; और

(घ) क्या लदान से पूर्व, किस्म के सम्बन्ध में कोई जांच की गई, यदि हां, तो किस एजेन्सी ने यह जांच की ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) खाद्य सचिव की अध्यक्षता में एक तीन सदस्यीय दल जून, 1981 के अन्त को संयुक्त राज्य अमेरिका गया था और उसने संयुक्त राज्य अमेरिका से 15.15 लाख मीटरी टन गेहूं आयात करने के लिए एक सौदे को अन्तिम रूप दिया था। इस गेहूं की सुपुर्दगी 15.8.81 से 31.1 82 की अवधि में की जानी है।

(ग) गेहूं उन नौ यू० एस० ग्रेन फर्मों से खरीदा गया था, जिनके नाम संयुक्त राज्य के कृषि विभाग की अनुमोदित सूची में थे। इस सौदे में वाशिंगटन में स्थित भारतीय दूतावास के सप्लाई विंग का पूर्ण सहयोग प्राप्त किया गया था।

(घ) जी हां। संयुक्त राज्य अमेरिका से जहाज द्वारा भेजे गए गेहूं की किस्म की यू० एस० फैड्रेल ग्रेन इन्सपैक्शन सर्विस की समूची देख-रेख में लदान के समय संयुक्त राज्य के फैड्रेल/राज्य के निरीक्षकों द्वारा जांच की जाती है। पूरी-पूरी सावधानी बरतने के एक उपाय के रूप में भारत को माल भेजने से संबंधित निरीक्षण कार्य की ओर अधिक देख-रेख करने के लिए हमने अपना तकनीकी स्टाफ भी संयुक्त राज्य अमेरिका भेजा है।

आंध्र प्रदेश में "काम के बदले अनाज" कार्यक्रम

4736. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1981 से नवम्बर, 1981 तक की अवधि के दौरान आंध्र प्रदेश को "काम के बदले अनाज" कार्यक्रम के लिए कितनी मात्रा में गेहूं और चावल आवंटित किया गया;

(ख) उसे वस्तुत: कितनी मात्रा भेजी गई;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने कोई प्रस्ताव भेजा है कि उसे चालू वित्तीय वर्ष के शेष महीनों के लिए गेहूं और चावल की अधिकमात्रा आवंटित की जाये;

(घ) यदि हां, तो उसने इनकी कितनी मात्रा की मांग की है; और

(ङ) उनके अनुरोध पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम जिसे पहले काम के बदले अनाज कार्यक्रम कहा जाता था, के कार्यान्वयन के लिए आन्ध्र प्रदेश को 15.750 मीटरी टन चावल की मात्रा आवंटित की गई थी।

(ख) राज्य सरकार द्वारा अब तक कुल 11,875 मीटरी टन चावल की मात्रा उठाये जाने की सूचना मिली है।

(ग) जी नहीं।

(घ) व (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

गेहूं तथा चावल के लिए कम वसूली मूल्य

4727. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने इस वर्ष धान और गेहूं की वसूली के लिए कम मूल्य निर्धारित किए हैं;

(ख) क्या इसके कारण अधिक अनाज का आयात करना पड़ेगा और इसके परिणामस्वरूप सरकारी वितरण तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम योजनाओं के लिए अनाज की कम सप्लाई होगी; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) जी, नहीं। गेहूं का आयात मुख्य रूप से सरकार के पास आरक्षित भण्डार में वृद्धि करने के लिए किया गया है। गेहूं विपणन मौसम 1981-82 के दौरान 11 दिसम्बर, 1981 तक 66 लाख टन गेहूं खरीदा गया था जबकि गत वर्ष में इसी अवधि के दौरान 59 लाख टन गेहूं खरीदा गया था। 1981-82 की खरीफ फसल से 17 दिसम्बर, 1981 तक 36 लाख टन चावल खरीदा गया है जबकि गत वर्ष में इसी अवधि के दौरान 33 लाख टन की खरीद की गई थी। खरीफ धान्यों की पर्याप्त खरीद सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने लेवी प्रणाली को और अधिक कारगर व सुदृढ़ बनाया है तथा राज्य सरकारों को सुझाव दिया है कि वे खरीद लेवी की कमी को दूर करें। भारतीय खाद्य निगम व राज्य खरीद एजेंसियों ने भी खरीद संबंधी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया है।

सरकारी आवासों की व्यवस्था वाली दिल्ली की आवासीय कालोनियां

4738. **श्री वी० एस० विजयराघवन :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन सरकारी आवासीय कालोनियों के नाम क्या हैं जहां दुकानों के ऊपर बने आवासीय फ्लैट सरकारी कर्मचारियों को आबंटित किए गए हैं;

(ख) वे फ्लैट किस श्रेणी के हैं;

(ग) क्या यह सच है कि श्रीनिवासपुरी आदि जैसी कालोनियों में इस तरह के फ्लैटों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था नहीं की गई है; और

(घ) यदि हां, तो स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) श्रीनिवासपुरी, एडूजगंज, रामकृष्णपुरम्, नानकपुर, किदवई नगर तथा लांसर रोड।

(ख) टाइप "सी" तथा "डी"

(ग) बिजली, जलपूर्ति तथा मल निर्यास जैसी न्यूनतम सुविधायें मुहैया की गई हैं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

पलानी (तमिलनाडु) स्थित शुष्क खेती अनुसंधान केन्द्र की स्थापना

4739. **श्री ए० सेनापति गौंडर :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तमिलनाडु के मदुरई जिले के पलानी और वेदासेन्दुर स्थानों में एक शुष्क खेती अनुसंधान केन्द्र शुरू करने का है क्योंकि वहां पर बहुत कम वर्षा होती है; और

(ख) यदि नहीं, तो तमिलनाडु में पलानी के, जो कि एक सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र है, किसानों के लाभ के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी नहीं, श्रीमान ।

(ख) शुष्क खेती की समस्या को ध्यान में रखकर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तमिलनाडु राज्य के कोविलपट्टी में एक केन्द्र चला रही है । यह केन्द्र तमिलनाडु राज्य के मदुराई, रामनाथपुरम और तिरूनेलवेली जिलों में क्षेत्रीय समस्याओं पर अनुसंधान कार्य कर रहा है । इस केन्द्र में अब तक किये गये अनुसंधान कार्य के परिणाम स्वरूप, उपयुक्त शुष्क प्रौद्योगिकी का विकास किया गया है और इस क्षेत्र में इसे अपनाने की सिफारिश की गयी है । शुष्क प्रौद्योगिकी के पैकेज में उपयुक्त फसलें और किस्में, शुष्क सस्य विज्ञान, वर्षा के जल और उर्वरकों का कारगर उपयोग शामिल है ।

केन्द्रीय जल आयोग के उप-निदेशक/निदेशक का स्थानान्तरण

4740. **श्री सोमजीभाई डामोर** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय जल आयोग के उपनिदेशकों और निदेशकों को एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानान्तरण करने के लिये सरकार ने क्या मानदण्ड निर्धारित किया है;

(ख) क्या यह सच है कि अनेक मामलों में, केन्द्रीय जल आयोग के उप-निदेशकों/निदेशकों का स्थानातरण करते समय, दिल्ली में उपर्युक्त मानदण्डों का सख्ती से पालन नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय जल आयोग के उन उप-निदेशकों/निदेशकों की संख्या (उप-निदेशकों के रूप में उनकी अवधि सहित) कितने हैं जो दिल्ली में उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित अवधि से अधिक ठहरे हैं; और

(घ) इन अधिकारियों का दिल्ली से बाहर स्थानान्तरण करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) उप-दिशकों को, उक्त ग्रेड में प्रोन्नति होने पर, जहां तक संभव होता है, तीन वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए उसी कार्य पर तैनात करना होता है । उप-निदेशक के रूप में पहले पांच वर्षों की सेवा में अधिकारियों को कम से कम दो वर्ष की अवधि के लिए फील्ड में सेवा करनी होती है । निदेशकों को भी मुख्य इन्जीनियर के ग्रेड में प्रोन्नति के लिए पात्र बनने से पूर्व, अपने ग्रेड में कम से कम दो वर्षों के लिए फील्ड में सेवा करनी अपेक्षित होती है । निदेशकों को प्रत्येक पांच वर्ष की अवधि के पश्चात केन्द्रीय जल आयोग के विभिन्न निदेशालयों में बारी-बारी से नियुक्त किया जा सकता है । जिन स्थानान्तरणों/तैनातियों में स्थान बदलना पड़ता है, वे प्रायः शिक्षा सत्र के समाप्त होने के पश्चात

और अगले शिक्षा सत्र के प्रारम्भ होने से पूर्व प्रभावी होते हैं ताकि बच्चों की शिक्षा में व्यवधान न पड़े।

(ख) अधिकारियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर तैनात करते समय मार्गदर्शी-सिद्धांतों को अनिवार्य रूप से ध्यान में रखा जाता है।

(ग) जिन उप-निदेशकों/कार्यकारी इन्जीनियरों ने पिछले पांच वर्षों के दौरान दिल्ली से बाहर कोई फील्ड सेवा नहीं की है, उनकी संख्या 31 है और 17 निदेशक/अधीक्षक इन्जीनियर ऐसे हैं जिन्होंने अपने ग्रेड में अभी तक फील्ड सेवा नहीं की है।

(घ) उप-निदेशकों/कार्यकारी इन्जीनियरों और निदेशकों/अधीक्षक इन्जीनियरों को फील्ड में अनुभव प्राप्त करने के लिए दिल्ली से बाहर स्थानान्तरित करने के बारे में पहले ही कार्यवाही की जा रही है और अप्रैल-मई, 1982 के आगामी शिक्षा सत्र के प्रारम्भ होने के समय स्थानान्तरण करने पर विचार किया जाएगा।

बम्बई में सामान्य पूल के सरकारी आवास

4741. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने बम्बई तथा देश में अन्यत्र किसी स्थान पर सामान्य पूल के स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण के कार्यक्रम को स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बम्बई में कितने क्वार्टरों का निर्माण किया जाएगा और उन पर कुल कितनी लागत आएगी और उनकी कब तक पूरे हो जाने की आशा है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाये जाने वाले प्रस्तावित मकानों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान बम्बई में होस्टल वास सहित 3870 क्वार्टर बनाए जाने हैं। इसकी कुल लागत 16 करोड़ रुपये है और इस परियोजना के सन् 1982-83 के अन्त तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है। 260 क्वार्टर पहले ही तैयार हो गये हैं।

विवरण

छठी पंचवर्षीय योजना (1980-81) के दौरान बनाये जाने वाले प्रस्तावित श्रेणीवार मकानों का विवरण

क्र० सं०	स्टेशन	मकान का टाइप	1980-85 के दौरान लक्षित पूर्ण कि जाने वाले मकानों की संख्या
1	2	3	4
1.	दिल्ली	i/ए	1012
		ii/बी	5192
		iii/सी	10678
		iv/डी	72
		v/ई	120
		होस्टल	184
2.	कलकत्ता	i/ए	816
		ii/बी	1480
		iii/सी	1048
		होस्टल	84
3.	बम्बई	i/ए	1040
		ii/बी	1800
		iii/सी	870
		iv/डी	80
		होस्टल	80
		बम्बई के लिए कुल	3870
4.	बंगलौर	i/ए	128
		ii/बी	276
		iii/सी	96
5.	मद्रास	i/ए	216
		ii/बी	207
		iii/सी	96

1	2	3	4
6.	शिमला	i/ए	24
		ii/बी	64
		iii/सी	16
7.	हैदराबाद	i/ए	83
		ii/बी	144
		iii/सी	96
8.	गाजियाबाद	iii/सी	64
9.	चण्डीगढ़	i/ए	100
		ii/बी	52
		iii/सी	148
10.	शिलांग	i/ए	20
		ii/बी	32
		iii/सी	24
11.	अगरतला	i/ए	40
		ii/बी	12
		iii/सी	16
12.	कोहिमा	i/ए	8
		ii/बी	16
		iii/सी	40
13.	इम्फाल	i/ए	4
		ii/बी	16
		iii/सी	16
14.	लखनऊ	i/ए	32
		ii/बी	48
		iii/सी	32
		iv/डी	16

खेती योग्य भूमि का क्षेत्र

4742. **श्री रास बिहारी बहेरा :**

श्री कैयर भूषण : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में खेती योग्य भूमि का कुल क्षेत्र कितना है और इस समय वस्तुतः भूमि के कितने क्षेत्र में खेती होती है और सिंचित तथा असिंचित भूमि का जिस पर इस समय खेती होती है, क्रमशः क्षेत्र कितना है; और

(ख) इसका राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) 1978-79 के लिए उपलब्ध नवीनतम अखिल भारतीय भूमि उपयोग आंकड़ों के अनुसार स्थिति नीचे दी गई है :

	लाख हैक्टार
कुल कृषि योग्य क्षेत्र	1858
खेती के तहत क्षेत्र	1429
(निवल कृष्य क्षेत्र)	
निवल सिंचित क्षेत्र :	380
निवल असिंचित क्षेत्र	1049

(ख) संलग्न विवरण में राज्यवार ब्यौरे दिए गये हैं।

विवरण

1978-79 में कृषि योग्य भूमि का क्षेत्र

(हजार हैक्टार)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल कृषि योग्य भूमि@	खेती के तहत वास्तविक क्षेत्र		
		बोया गया निवल क्षेत्र	निवल सिंचित सिंचित क्षेत्र	निवल असिंचित क्षेत्र (3-4)
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	15787	11349	3655	7694
असम*	3288	2679	572	2107
बिहार	11700	8532	2960	5572
गुजरात*	12449	9543	1715	7628
हरियाणा	3800	3650	1918	1732

हिमाचल प्रदेश	797	561	89	472
जम्मू व काश्मीर	1069	724	305	419
कर्नाटक	12752	10315	1409	8906
केरल	2463	2204	228	1976
मध्य प्रदेश	22631	18847	2315	16532
महाराष्ट्र	21119	18245	1896	16349
मणिपुर*	164	140	65	75
मेघालय	1105	193	48	145
नागालैंड	705	150	54	96
उड़ीसा	7515	6097	1148	4949
पंजाब	4234	4177	3262	915
राजस्थान	26418	15471	2895	12576
सिक्किम*	67	61	10	51
तमिलनाडु	8521	6251	2873	3678
त्रिपुरा*	350	246	29	217
उत्तर प्रदेश	21038	17482	8892	8590
पश्चिम बंगाल*	6282	5539	1489	4050
अण्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह	72	32	—	32
अरुणाचल प्रदेश	377	112	24	88
दादर तथा नगर हवेली	23	20	1	19
दिल्ली	99	73	61	12
गोवा, दमन तथा दीव	228	134	13	121
लक्ष्य द्वीप	3	3	—	3
मिजोरम*	584	77	8	69
पाण्डिचेरी	36	31	27	4
अखिल भारत	185786	142938	37961	104977

*—वर्ष 1978-79 के संबंध में आंकड़े उपलब्ध न होने के कारण नवीनतम उपलब्ध जानकारी उपयोग की गई है।

@—इसमें बोया गया निवल क्षेत्र, परती भूमि, विविध वृक्ष फसलों व पुष्पोधान के अन्तर्गत क्षेत्र तथा खेती योग्य बंजर भूमि शामिल है।

संसद सदस्यों से प्राप्त पत्र

4743 **डा० एस० यू० आजमी:** क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीने के दौरान मंत्रालय को संसद सदस्यों से कितने पत्र प्राप्त हुये थे;

(ख) वे पत्र कब प्राप्त हुए थे और कब उनकी पावती भेजी गई थी और अंतिम रूप से कब उनका उत्तर दिया गया; और

(ग) क्या संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों पर विचार करते समय निर्धारित प्रक्रिया अपनायी गई है, यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब्रज मोहन महन्ती) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

कृषि सम्बन्धी वस्तुओं के लिए उपभोक्ता मूल्य सुझाने हेतु समिति

4744. **श्री चित्त महाटा** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न कृषि वस्तुओं के लिए न्यूनतम उपभोक्ता मूल्य निश्चित करने हेतु कृषि श्रमिकों, किसानों और उपभोक्ताओं के प्रतिनिधियों की एक समिति बनाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो सरकार ने विभिन्न कृषि वस्तुओं के न्यूनतम उपभोक्ता मूल्य निश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब्रज मोहन महन्ती) : (क) जी, नहीं ।

(ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित की जाने वाली आवश्यक वस्तुओं, जैसे अनाज, चीनी आदि के उपभोक्ता मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित किये जाते हैं ।

गुजरात में चक्रवात

4745. **श्री नरसिंह मकवाना :**

श्री सुन्दर शर्मा : क्या कृषि मंत्री चक्रवात से फसलों को हुई क्षति के बारे में 30 नवम्बर, 1981 के तारांकित प्रश्न संख्या 101 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'एपल' उपग्रह, चक्रवात की संभावना की भविष्यवाणी करने में किसी तरह सहायक सिद्ध हुआ;

(ख) क्या इस चक्रवात के बारे में लोगों को चेतावनी दे दी गई थी और उसके बाद व्यवस्थाएं कर दी गई थीं; और

(ग) उन मछुआरों की, जिनकी नौकायें चक्रवात के दौरान समुद्र में क्षतिग्रस्त हो गई थीं, दी गई राहत का ब्यौरा क्या है और किस दर से उन्हें राहत प्रदान की गई ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी नहीं। 'एपल' उपग्रह एक प्रायोगिक संचार उपग्रह है। इसे उष्णकटिबन्धी समुद्री तूफानों की खोज के लिए तैयार नहीं किया गया है।

(ख) भारतीय मौसम विज्ञान ने राज्य अधिकारियों और आकाशवाणी के माध्यय से सम्बन्धित लाभानुभोगियों को चेतावनी दे दी थी:—

(1) 30-10-1981 को आकाशवाणी के समाचार में सम्मिलित करने के लिए प्रथम तटीय चेतावनी बुलेटिन जारी किया गया था।

(2) 30-10-1981 को भारतीय समयानुसार रात्रि के 8.40 बजे से बन्दरगाह अधिकारियों को चेतावनी देना शुरू किया गया। 30-10-1981 को भारतीय समयानुसार रात्रि के 10 30 बजे से मंगरौल से गोवा तक समस्त बन्दरगाहों पर विकट संकट के सिगनल दिए। गए

(3) 31-10-81 को प्रातः क्षेत्रीय समुद्री तूफान चेतावनी केन्द्र, बम्बई ने गुजरात राज्य अधिकारियो को खतरे के प्रति सचेत किया। इसके पश्चात् 30-10-1981 को भारतीय समयानुसार रात्रि के 10 00 बजे से सभी लोगों को बार-बार समुद्री तूफान के खतरे की सूचना दी गई।

(4) 31-10-1981 की दोपहर से मछुआरों के लिये चेतावनियां जारी की गईतथा इस के उपरांत क्षेत्रीय समुद्री तूफान चेतावनी केन्द्र, बम्बई द्वारा दिन में तीन बार चेतावनी दोहराई गई। गुजरात में आकाशवाणी के स्थानीय केन्द्रो द्वारा समाचारों में हिंदी, अंग्रेजी, मराठी और गुजराती में कई तटीय समुद्री तूफान चेतावनी बुलेटिनों के अतिरिक्त आकाशवाणी, नई दिल्ली द्वारा क्रमानुसार कुल मिलाकर आठ बुलेटिन जारी व प्रसारित किए गए।

(5) टेलीफोन, तार और पुलिस वेतार के जरिए मौसम-विज्ञान केन्द्र, अहमदाबाद और राज्य सरकार अधिकारियों के बीच घनिष्ठ सम्पर्क बनाए रखा गया। समुद्री तूफान की गतिविधि के बारे में प्रेस, आकाशवाणी समाचार एव दूरदर्शन कार्यक्रम के माध्यम से व्यापक प्रचार किया गया।

गुजरात सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

नागरिक आपूर्ति, पुलिस, होमगार्ड, स्वास्थ्य, परिवहन तथा सिचाई, लोक निर्माण और संचार विभागों सहित विभिन्न सरकारी विभागों को निर्देश दिये गये कि वे प्रभावित होने वाले जिलों में खतरे में पड़े गांवों को खाली कराने के लिए आवश्यक कदम उठायें, आवश्यक जिन्सों को जमा करें, परिवहन और संचार साधनों की पुनः व्यवस्था शीघ्रता से करें ताकि समुद्री तूफान के प्रभाव को कम किया जा सके।

मुख्य मन्त्री, गृहमन्त्री, कृषि मन्त्री और अन्य वरिष्ठ मन्त्रियों तथा अधिकारियों ने समय-समय पर स्थिति की समीक्षा की।

10 गांवों के 11,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया।

(ग) गुजरात सरकार की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

नई दिल्ली की यमुना-पार कालोनियों को नियमित किया जाना

4746. **श्री फूलचंद वर्मा** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यमुना-पार कालोनियों में, अनधिकृत कालोनियों के निवासियों को दी गई सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन कालोनियों के निवासियों को इन कालोनियों को नियमित किये जाने की जानकारी है;

(ग) क्या उन्हें, अनधिकृत कालोनियों के निवासियों की भांति परिमिट पर सीमेंट, लोहा प्राप्त करने की सुविधा दी गई है;

(घ) इन कालोनियों के सम्बन्ध में विकास-प्रभार क्या निश्चित किए गए हैं; और

(ङ) तत्सम्बन्धी पूरा ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली जल पूर्ति तथा मल व्ययन संस्थान ने सूचित किया है कि यमुना-पार क्षेत्र में दिल्ली नगर निगम के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत 68 नियमित और अनधिकृत कालोनियों में जल सप्लाई विद्यमान है। दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने सूचित किया है कि वह किसी विशेष अनधिकृत कालोनी की रेजिडेन्टस वेलफेयर एसोशियेशन के विशेष अनुरोध पर अनधिकृत कालोनी में सामान्य वाणिज्यिक सुविधाओं के पूर्ण होने और विकास प्रभारों के भुगतान की शर्त पर पिछले समय में ऐसी कालोनियों के विद्युतीकरण की उसकी नीति के अनुसार वह अनधिकृत कालोनियों का विद्युतीकरण का कार्य करता आ रहा था। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि इन कालोनियों के नियमितीकरण नक्शों को बनाते समय स्कूलों के स्थल, पार्क, खुले स्थान, विपणन केन्द्रों इत्यादि जैसी सामूहिक सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि अनुमोदित नक्शे प्रदर्शित किये जाते हैं।

(ग) **सीमेंट** : दिल्ली प्रशासन के खाद्य तथा सम्भरण विभाग ने सूचित किया है कि अनधिकृत कालोनियों के निवासियों को सीमेंट मरम्मत के लिए दिया जाता है और न कि किसी परिवर्धन या परिवर्तन या बिना स्वीकृत नक्शे के नये निर्माण के लिए।

लोहा : स्पात तथा खान मंत्रालय (स्पात विभाग) ने सूचित किया है कि अनधिकृत कालोनियों के निवासी लोहा व स्पात सामग्रियों की सप्लाई के मार्ग-निर्देशनों के अन्तर्गत नहीं आते हैं क्योंकि वे अनुमोदित भवन नक्शों को पेश करने की स्थिति में नहीं होते हैं ।

(घ) और (ङ) अब नियमित की जा रही अनधिकृत कालोनियों के सम्बन्ध में विकास प्रभार अभी तक तय नहीं किये गये हैं ।

पेय जल की सप्लाई हेतु राज्यों को धनराशि आबंटित करने की कसौटी

4747. **श्री वृद्धि चन्द जैन** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे मानदण्ड और कार्यक्रम क्या हैं जिनके अन्तर्गत केन्द्र सरकार विभिन्न राज्य सरकारों को पेय जल की सप्लाई के लिए धनराशि आबंटित करती है;

(ख) क्या यह सच है कि राजस्थान के एक गांव में पेय जल की सुविधा देने पर खर्च मैदानी क्षेत्र में होने वाले खर्च की तुलना में 5 से 10 गुना अधिक आता है क्योंकि इस राज्य में आधा क्षेत्र रेगिस्तानी है और वहां कुओं की गहराई 200 से 400 फीट तक है और एक गांव से दूसरे गांव की दूरी दस से बीस मील तक है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार राजस्थान रेगिस्तानी क्षेत्रों में पेय जल की सप्लाई हेतु धनराशि के आबंटन के लिए उपयुक्त मानदण्ड अपनाने का है और यदि हां, तो कब से और किस रूप में ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) लोगों को पेय जल की सप्लाई करना राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है और जल सप्लाई योजनाओं के निष्पादन के लिए निधियां राज्य योजनाओं में दी जाती हैं । तथापि, केन्द्रीय सरकार पता लगाये गये समस्याग्रस्त ग्रामों को शीघ्रता से जल मुहैया करने के लिए केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय सहायता देकर राज्य सरकारों के संसाधनों में वृद्धि करती है ।

इस केन्द्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकारों को निधियों के नियतन के लिए विद्यमान मानदण्ड इस प्रकार हैं:–

(i) 75 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता राज्य में पता लगाये गये समस्याग्रस्त ग्रामों की संख्या और उनकी जनसंख्या पर आधारित है ।

(ii) शेष 25 प्रतिशत को पता लगाये गये समस्याग्रस्त ग्रामों को पेय जल मुहैया कराने के लिए राज्यों के संसाधनों की कमी को पूरा करने के उपयोग में लाया जाना होता है ।

(ख) राज्य के रेतीले क्षेत्रों में पेय जल मुहैया कराने की लागत अधिक है।

(ग) केन्द्रीय कार्यक्रम में निधियां सीमित हैं और सभी राज्यों, जिनमे से कइयों की विशेष समस्यायें हैं, को समान रूप से बांटी जानी हैं। पेय जल के लिए निधियों का अधिक भाग राज्य योजनाओं में दिया जाता है और उसकी मात्रा और उपयोग राज्य सरकारों की अग्रताओं और प्रयासों के ऊपर निर्भर करता है।

"फोडर दैट कैन ब्रिंग टु वाईट रिवोल्यूशन" शीर्षक से समाचार

4748. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 5 नवम्बर, 1981 के 'इण्डियन एक्सप्रेस' में "फोडर दैट कैन ब्रिंग इन वाईट रिवोल्यूशन" (चारा जो श्वेत क्रांति ला सकता है) शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान, संस्थान, करनाल के वरिष्ठ चारा वैज्ञानिक डा० एच० के० सिंह के इस सम्बन्ध में क्या-क्या दावे हैं और डा० सिंह द्वारा उठाये गये प्रत्येक मुद्दे के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) विज्ञानियों द्वारा मक्का और टिओसिंटी (मकचरी) का वर्षा पर्यन्त संकरण करके नये चारे "टिओमेज" का विकास किया गया है। इस संकरण से बनाये गये चयन में पत्तों, रस और उच्च प्रोटीन रखने की विशेषता तो मक्का की और अधिक अंकुरण और कड़ाई मकचरी की होती है। "टिओमेज" को मार्च से जुलाई तक बोया जा सकता है। मार्च के महीने में की गई अगेती बुवाई मई-जून की चारे कमी वाली अवधि में चारा प्रदान करती है और जुलाई में की गयी पिछेती बुवाई अक्तूबर, नवम्बर हेतु चारे की आवश्यकता को पूरा करती है। इस "टिओमेज" ने, इन दोनों कठिनाइयों की अवधि के दौरान, प्रचुर चारे के उत्पादन को सम्भव बना दिया है (अच्छी वर्षा के क्षेत्रों में 40 से 50 टन प्रति हैक्टर और सिंचित दशाओं में 60 से 70 टन प्रति हैक्टर), जो बहुत महत्वपूर्ण है। चारा बोने की यदि इस पद्धति को अपना लिया जाता है तो किसान वर्ष पर्यन्त पशुओं को पोषक हरा चारा देने में समर्थ हो सकते हैं। इससे दूध के उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी।

यह नया चारा अभी परीक्षण की दशा में है और देश की विभिन्न कृषि-जलवायु पट्टियों में किसानों द्वारा इसको स्वीकार करने और अपनाने के मामले में उनकी प्रतिक्रिया जानने के लिए इसका परीक्षण अभी किसानों के खेतों में किया जाना है।

लोगों की आवास सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिए सर्वेक्षण

4749. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोगों की आवास सम्बन्धी आवश्यकताओं का सर्वेक्षण कराने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा; और

(ग) लोगों की आवास सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जाने हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) आवास राज्य का विषय है । राज्यों के योजना प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकारें अपनी आवश्यकताओं तथा अग्रताओं के अनुसार निधियों के अन्तरक्षेत्रीय नियतन के लिए स्वतंत्र हैं ।

छठी योजना में आवास के लिए सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय 1490.87 करोड़ रुपये है । राज्य में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में ग्रामीण आवास स्थल व मकान निर्माण सहायता के अन्तर्गत 1985 तक अनुमानित सभी 145 लाख पात्र परिवारों को आवास-स्थल व मकान निर्माण सहायता देने के लिए उन 77 लाख परिवार जिन्हें पहले ही आवास स्थल दिये गये हैं, के अतिरिक्त शेष 65 लाख पात्र परिवारों को आवास-स्थल दिये जाने हैं । इस योजना में 36 लाख परिवारों को भी मकान-निर्माण सहायता देने पर भी विचार किया गया है । इस योजना में हुडको द्वारा 600 करोड़ रुपये के परिव्यय की भी व्यवस्था है जिसका 55 प्रतिशत समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों व निम्न आय वर्ग के लिए होगा । हुडको ने 1970 में अपने आरंभ काल से 31.10.1981 तक देश में अधिकांशत: समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों और निम्न आय वर्ग के लिए 9.74 लाख रिहायशी एककों के निर्माण के लिए ऋण स्वीकृत किये ।

चीनी नीति के बारे में सेन आयोग की सिफारिशें

4750. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**

श्री बी० वी० देसाई : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गन्ना उत्पादकों तथा मिल मालिकों के नोटिस को ध्यान में रखकर चीनी की एक समान नीति तैयार करने में असमर्थ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सेन आयोग ने एक समेकित नीति पर बल दिया है;

(ग) सेन आयोग की अन्य सिफारिशें क्या हैं; और

(घ) उनमें से कितनी सिफारिशों को अब तक क्रियान्वित कर दिया गया है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) सरकार का गन्ना उत्पादकों, मिल-मालिकों तथा उपभोक्ताओं के हितों को साथ-साथ ध्यान में रखते हुए चीनी उद्योग के समन्वित और संतोषजनक विकास के लिए चीनी की युक्तियुक्त नीति बनाने का प्रयास रहता है। तथापि, ऐसी नीति तैयार करते समय गन्ने, जो कि चीनी तैयार करने के लिए एक प्रमुख कच्चा माल है, के उत्पादन, उसकी उपलब्धता और मूल्यों आदि में प्रत्येक वर्ष व्यापक घट-बढ़ के कारण विभिन्न बाधाओं और स्वयं जिन्स के उत्पादन, उसकी उपलब्धता और मूल्यों को भी ध्यान में रखा जाता है क्योंकि उनके कारण ऐसी समस्याएं पैदा होती हैं जिनको दूर करने के लिए अल्प-कालिक सुधारात्मक उपाय करना और नीति विषयक पैरामीटरों में अस्थायी परिवर्तन करना आवश्यक हो जाता है ताकि भिन्न-भिन्न स्थितियों का सामना किया जा सके। सरकार ने चीनी नीति विषयक पैरामीटरों के विभिन्न वैकल्प, अर्थात पूर्ण नियंत्रण, विनियंत्रण और आंशिक नियंत्रण को अजमाया है और वह यह समझती है कि दोहरी मूल्य निर्धारण प्रणाली के साथ चीनी पर आंशिक नियंत्रण की नीति में मूलतः बदलती हुई परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए अपेक्षित लचीलापन है।

(ख) जी हां, सामान्यतया।

(ग) तथा (घ) चीनी जांच आयोग, जिसके अध्यक्ष डा० एस० आर० सेन थे, की रिपोर्ट 1965 में प्रकाशित की गई थी। इसमें बहुत बड़ी संख्या में सिफारिशें की गई हैं। काफी समय बीत जाने और संगत रिकार्ड उपलब्ध न होने के कारण आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के बारे में विस्तृत सूचना देना सम्भव नहीं है।

सरकारी आवास का किराया वसूल करने का मानदण्ड

4751. श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : क्या निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक कर्मचारी को आबंटित आवास का क्षेत्र या फ्लोर उसकी इच्छा का न होने के कारण उसके द्वारा उसे लेने से इन्कार किए जाने पर भी उससे उस टाईप के आवास का किराया वसूल कर लिया जाता है और इस तथ्य को भी ध्यान में रखा जाता है कि वह उस आवास में रहने लगा है या नहीं और वह आवास दूसरे व्यक्ति को दे दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और कर्मचारियों की क्षेत्र और फ्लोर की इच्छा मानने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) एक कर्मचारी द्वारा दिये जाने वाले टाईप 'बी' और 'सी' के किराए में क्या शुद्ध अन्तर है?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) आबंटन नियमों के अनुसार यदि किसी अधिकारी के दखल में उसकी पात्रता से छोटे टाइप का क्वार्टर हो और उसे उसकी पात्रता का क्वार्टर आबंटित या पेशकश की जाती है तो उक्त आबंटन को अस्वीकार करने पर उसे पहले आबंटित क्वार्टर में रहने की अनुमति होगी और

उसे वही लाइसेंस फीस देनी होगी जो कि उसे आबंटित या पेशकश किए गये मकान के लिए एफ-आर-45-ए के अन्तर्गत देनी पड़ती या उसके दखल में पहले वाले वास के लिये देय लाइसेंस फीस, इसमें से जो भी अधिक हो।

(ख) पात्र वर्ग में प्रथम आबंटन के समय प्रत्येक आबन्टी को उसकी इच्छा की कालोनी/फ्लोर में आबंटन करना सम्भव नहीं है। तथापि, आबंटन स्वीकार करने के पश्चात कर्मचारी अपनी इच्छा के अनुसार कालोनी/फ्लोर की बदली के लिए आवेदन कर सकता है।

(ग) सामान्यत: सभी अधिकारियों को उनको आबंटित सरकारी वास के लिए अपनी परिलब्धियों का 10 प्रतिशत या स्टैन्डर्ड लाइसेंस फीस, इसमें से जो भी कम हो, देनी अपेक्षित है। सम्बन्धित मकान के निर्मित क्षेत्र के अनुसार स्टैंडर्ड लाइसेंस फीस भिन्न-भिन्न होती है।

ढलवां लोहे के पाइपों का अभाव

4752. **श्री वी० वी० देसाई :** क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ढलवां लोहे के पाइपों के अभाव में ग्रामी पेय जल योजना के कार्य को खतरा पैदा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि पेय जल योजना के लिए भूमिगत कार्य हेतु पाइप बहुत महत्वपूर्ण सामग्री है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) जी, नहीं। ग्रामीण जल पूर्ति योजनाओं के लिये सी. आई. पाइपों की प्राय: आवश्यकता नहीं होती। यहां तक कि उन योजनाओं के मामलों में भी जिनमें कि इन पाइपों की आवश्यकता है वैकल्पिक निर्माण सामग्री के उपयोग करने के लिये उपाय किये जा रहे हैं।

(ग) जल पूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है जो कि मान्यता प्राप्त उपक्रमों से ढले हुए लोहे के पाइप लेते हैं। यह नोट किया गया है कि कतिपय आकार के लोहे के पाइपों की कमी है। भारत सरकार द्वारा यह निश्चित करने के लिए सभी प्रयत्न किये जाते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जल पूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों को उनकी आवश्यकता के अनुसार ढले लोहे के पाइप उपलब्ध किये जायें। इस मंत्रालय द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय पेय जल पूर्ति तथा सफाई दशक पर नियुक्त एपेक्स समिति द्वारा पेय जल पूर्ति योजनाओं के प्रथम चार वर्षों (1981-85) तथा अन्तर्राष्ट्रीय पेय जल पूर्ति और सफाई दशक (1981-1990) के अगले 6 वर्षों के कार्यान्वयन की आवश्यकता के लिए सी. आई. पाइपों सहित विभिन्न प्रकार के पाइपों तथा अन्य सामग्रियों की जरूरतों का मूल्यांकन किया है और आगे इसी प्रकार की सप्लाई को सुनिश्चित करने के प्रश्न को सम्बन्धित अधिकरणों के साथ उठाया जा रहा है।

केन्द्रीय भाण्डागार निगम द्वारा छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और बिहार में भाण्डागारों का निर्माण

4753. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भाण्डागार निगम छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान लगभग चार लाख टन की अतिरिक्त भण्डारण क्षमता का निर्माण करने की योजना बना रहा है;

(ख) यदि हां, तो पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, उड़ीसा और त्रिपुरा के लिए योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन राज्यों में 30 नवम्बर, 1981 को भाण्डागारों की संख्या कितनी है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) छठी पंचवर्षीय योजनावधि (1980-85) के दौरान, सैन्ट्रल वेयर हाऊसिंग कारपोरेशन का सामान्य भाण्डागार कार्यक्रम के अन्तर्गत 16.25 लाख मीटरी टन भण्डारण क्षमता का निर्माण करने का विचार है ।

(ख) सैन्ट्रल वेयर हाऊसिंग कारपोरेशन ने छठी पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान पश्चिमी बंगाल, असम, बिहार, उड़ीसा और त्रिपुरा में क्रमशः 67,000 मीटरी टन, 5,000 मीटरी टन, 1,08,750 मीटरी टन, 19,640 मीटरी टन और 14 750 मीटरी टन क्षमता के भाण्डागारों का निर्माण करने के लिए अस्थायी रूप से केन्द्रों का पता लगाया है ।

(ग) पश्चिमी बंगाल, असम, बिहार, उड़ीसा और त्रिपुरा के राज्यों में 30 नवम्बर, 1981 को केन्द्रीय भाण्डागारों की संख्या क्रमशः 45, 8, 17, 9 और 2 है ।

केन्द्रीय जल आयोग में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक

4754. **श्री सत्य साधन चक्रवर्ती** : क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय जल आयोग में तदर्थ आधार पर काम कर रहे 200 से अधिक सहायक निदेशकों/सहायक कर्मचारी इंजीनियरों की पदोन्नति/नियमित करने के लिये विभागीय पदोन्नति समिति की मार्च, 1975 के बाद कोई बैठक नहीं बुलाई गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) आज तक कितने पद खाली पड़े हैं ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, हां ।

(ख) केन्द्रीय जल आयोग में अतिरिक्त सहायक निदेशक/सहायक इंजीनियर के पोषक ग्रेड की वरीयता सूची संकलित की जा रही थी । 1-3-81 की विद्यमान स्थिति के अनुसार वरीयता सूची को पहले ही अन्तिम रूप दिया जा चुका है और विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक शीघ्र आयोजित किए जाने की संभावना है ।

(ग) उक्त तारीख को 101 पद रिक्त थे ।

गोबर गैस संयंत्र

4755. **श्री के० ए० स्वामी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1977 के पश्चात स्थापित किए गए गोबर गैस संयंत्रों की वर्षवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार इस सस्ते तथा प्रचुर ऊर्जा स्रोत को लोकप्रिय बनाने में किए जा रहे प्रयासों से संतुष्ट है; और

(ग) क्या सरकार का विचार और अधिक सहायता तथा आकर्षक प्रोत्साहन देने का है ताकि अधिक से अधिक लोग गोबर गैस संयंत्र स्थापित करें ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जानकारी निम्न प्रकार है :—

वर्ष	स्थापित किये गये बायो-गैस एककों की संख्या
1977-78	16,261
1978-79	14,756
1979-80	15,506
1980-81	15,430
कुल :	61,953

(ख) और (ग) कार्यक्रम की प्रगति तेज करने के लिये कृषि मंत्रालय ने छठी योजना अवधि में 50 करोड़ रुपये के परिव्यय से "बायो-गैस विकास के लिए एक राष्ट्रीय परियोजना" केन्द्रीय क्षेत्र परियोजना के रूप में शुरू की है । वर्तमान परियोजना का लक्ष्य 400,000 बायो-गैस एकक स्थापित करने का है जो पांचवीं योजना के लक्ष्यों से चार गुना अधिक है ।

इस परियोजना में निम्न व्यवस्थायें हैं :—

(1) छोटे व सीमान्त किसानों व अनुसूचित जनजातियों व पहाड़ी क्षेत्रों के लिए ऊंची दरों पर सभी लाभानुभोगियों को राज-सहायता देना । राज-सहायता की दर सामान्य रूप में पांचवी योजना में दी गयी राज-सहायता की दर से ऊंची है ।

(2) कार्यक्रम को बढ़ावा देने व उसके निरीक्षण के लिए ग्राम स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहन देना ।

(3) कार्यक्रम के टर्न की क्रियान्वयन के लिए नियमित निकायों व मान्यता प्राप्त पंजीकृत समितियों को शुल्क देना ।

(4) राज्य मुख्यालयों व जिला स्तरों पर वायो-गैस कक्षों की स्थापना करना ।

(5) ग्रामीण दस्तकारियों के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षकों के संवर्ग का सृजन करना ।

(6) कार्यक्रम को प्रचार तथा विस्तार संबंधी समर्थन देना ।

(7) कार्यक्रम को तकनीकी व प्रशिक्षण संबंधी समर्थन प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय आधार पर कृषि विश्व विद्यालयों व अन्य संस्थानों को सहायता प्रदान करना ।

उर्वरक, बीज तथा कीटनाशक औषधियों के लिए ऋण

4756. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए उर्वरक, बीज और कीटनाशक औषधियों की खरीद और वितरण हेतु राज्य की अल्पावधि के लिए राज्यों को ऋण मंजूर किए जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो पिछले वर्ष तथा इस वर्ष, अलग-अलग उर्वरक, बीज और कीटनाशक औषधियों के लिए राज्य-वार कितनी धनराशि मंजूर की गई है और उस ऋण की शर्तें क्या हैं और इस चालू वर्ष में यह ऋण किस तारीख को स्वीकृत किया गया था ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मत्री (श्री आर० बी० स्वामीनाथन) : (क) जी, हां ।

(ख) खरीफ तथा रबी मौसमों के लिए अलग से अल्पकालीन ऋण मंजूर किये जाते हैं, जिसे ऋण लेने की तारीख से छह माह के भीतर ब्याज की 6 प्रतिशत की सामान्य दर के साथ वापिस करना पड़ता है । चालू वर्ष 1981-82 के दौरान अल्पकालोन ऋण जून, 1981, सितम्बर, 1981 तथा दिसम्बर, 1981 में मंजूर किए गए थे । वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 के दौरान राज्य सरकारों को निर्मुक्त किये गये अल्पकालीन ऋणों को प्रदर्शित करने वाला विवरण संलग्न है ।

विवरण

1980-81 तथा 1981-82 के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों को मंजूर किया गया अल्पकालीन ऋण

(करोड़ रुपए)

क्र० सं०	राज्य	1980-81	1981-82 (दिसम्बर, 1981 तक)
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	26.00	19.00
2	असम	3 00	3.50

1	2	3	4
3.	बिहार	13.00	14.00
4.	गुजरात	8.00	10.00
5.	हरियाणा	12.00	13.50
6.	हिमाचल प्रदेश	1.00	0.15
7.	जम्मू तथा काश्मीर	1.50	1.75
8.	कर्नाटक	12.00	11.00
9.	केरल	2.00	3.00
10.	मध्य प्रदेश	19.00	12.00
11.	महाराष्ट्र	11.00	10.00
12.	मणिपुर	—	1.28
13.	मेघालय	0.47	1.15
14.	नागालैंड	0.03	—
15.	उड़ीसा	8.00	5.00
16.	पंजाब	11 00	14.50
17.	राजस्थान	16.50	20.00
18.	सिक्किम	—	—
19.	तमिलनाडु	—	—
20.	त्रिपुरा	—	0.67
21.	उत्तर प्रदेश	39.00	42.00
22.	पश्चिम बंगाल	16 50	17.50
	योग :	200.00	200.00

गया जिले में फल्गू पर जलाशय की योजना

4757. **श्री आर० पी० षाडंगी** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में लाखों एकड़ असिंचित भूमि को, जिसे हर वर्ष सूखे के कारण क्षति पहुंचती है, सींचने के लिए सरकार ने बिहार के गया शहर में फल्गू नदी पर वर्षा का पानी इकट्ठा करके एक बांध बनाकर एक जलाशय बनाने की योजना बनाई है;

(ख) क्या इस योजना को लागू करने पर लाखों एकड़ भूमि की सिंचाई की जा सकेगी, जलाशय में मछली पकड़ने का काम किया जा सकेगा, पानी का अभाव दूर हो जाएगा तथा गया में भीषण गर्मी में कमी आएगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या सरकार का विचार इस महत्वपूर्ण योजना को छठी पंचवर्षीय योजना में शामिल करने का है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) फल्गू की दो सहायक नदियों नामशः लीलाजान और मोहाने पर सिंचाई के लिए दो जलाशय स्कीमों पर बिहार सरकार विचार कर रही है ।

(ख) दोनों जलाशय परियोजनाओं से संबंधित प्रस्तावों को बिहार सरकार द्वारा अभी अन्तिम रूप दिया जाना है ।

(ग) राज्य सरकार ने इन दोनों स्कीमों को छठी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने का प्रस्ताव किया है ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के "वर्क चार्ज स्टाफ" को नियमित करना

4758. **श्री नगनगोम मोहेन्द्रा** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का "वर्क चार्ज स्टाफ" तीन वर्ष की सेवा पूरी करने पर अर्द्ध-स्थायी किये जाने का हकदार है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अरुणाचल प्रदेश जोन के "वर्क चार्ज स्टाफ" पर भी ये नियम लागू होते हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस नियम को उन पर भी लागू करने पर विचार कर रही है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हाँ ।

(ख) जी, नहीं, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश अंचल के कार्यप्रभारी स्टाफ, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के संवर्ग में नहीं हैं ।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा सरकारी मकानों की देखभाल

4759. **श्री राम सिंह शाक्य** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आवासीय भवनों के अनुरक्षण के लिए निर्धारित धनराशि के उपयोग तथा कार्यवाही की वार्षिक योजना तथा मूल्यांकन करने की दृष्टि से केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पूछताछ कार्यालयों से अपेक्षा की जाती है कि वे निवारक अनुरक्षण करें;

(ख) यदि हां, तो इसकी नियमित रूप से देखभाल की जाती है;

(ग) यदि हां, तो अधिकतर निर्माण कार्य वर्षों तक न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) निर्धारित नीति को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) जी हां, निधियों की सीमा के भीतर ।

(ग) वित्तीय संसाधनों की कमी ।

(घ) दिल्ली/नई दिल्ली में निवारक/विशेष मरम्मतों के कार्यों के लिए 4.2 करोड़ रुपये की लागत से तथा चार वर्ष के अन्तर्गत एक चरणबद्ध कार्यक्रम स्वीकृत किया गया है और वह प्रगति पर है ।

निजाम सागर जलाशय में गाद का भरना

4760. **श्री जी० नरसिन्हा रेड्डी** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निजाम सागर ललाशय में तेजी से गाद भरती जा रही है;

(ख) क्या इस जलाशय में गाद के भरने की गति के बारे में कोई अनुमान लगाया गया है;

(ग) क्या इस जलाशय में गाद के भरने को रोकने तथा चरणबद्ध ढंग से गाद निकालने के लिए, जिससे कि इस जलाशय की जल-वहन क्षमता को बढ़ाया जा सके, कोई केन्द्रीय सहायता दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या योजनाएं तैयार की गई हैं ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) निजाम सागर जलाशय में वाह क्षेत्र के प्रति 100 वर्ग किलोमीटर से प्रति वर्ष 6 77 हैक्टेयर मीटर की दर से गाद भर रही है ।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान नदी घाटी परियोजनाओं के वाह-क्षेत्रों में केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक भू-संरक्षण स्कीम आरम्भ की थी । निजाम सागर जलाशय का वाह-क्षेत्र उक्त स्कीम में सम्मिलित है । जलाशय के 2.169 मिलियन हैक्टेयर के कुल वाह-क्षेत्र में से, भू-संरक्षण उपायों द्वारा सुरक्षित किए जाने के लिए 0.317 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र को प्राथमिकता क्षेत्र के रूप में निर्धारित किया गया है । 1979-80 तक 0.018 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र को सुरक्षित किया जा चुका है ।

खाद्यान्नों का सार्वजनिक वितरण–राज्यों द्वारा अर्जित लाभ

4761. **श्री जी० एस० रेड्डी** : क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र उचित दर की दुकानों के माध्यम से सप्लाई करने के लिए राज्यों को खाद्यान्न तथा अन्य वस्तुओं की सप्लाई करता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि राज्य इन वस्तुओं को कुछ प्रतिशत लाभ से बेच रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जो यह कार्य कर रहे हैं और ऐसे प्रत्येक राज्य ने पिछले तीन वर्ष में कितना लाभ कमाया है; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने इसकी अनुमति दी है और यदि हां, तो इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री ब्रजमोहन महन्ती) : (क) जी, हां।

(ख) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

हिन्दी के कार्य तथा हिन्दी की पत्रिकाओं के लिये सृजित श्रेणी एक तथा दो के पद

4762. **श्री आर० पी० यादव** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों में मंत्रालय तथा इसके संबंध तथा अधीनस्थ कार्यालयों में हिन्दी के कार्य तथा हिन्दी की पत्रिकाओं के लिए सृजित श्रेणी एक तथा दो के पदों की संख्या क्या है तथा किन कार्यालयों में ये पद सृजित किए गए थे और ये पद कब सृजित किए गए थे तथा इन पदों पर की गई नियुक्तियों का स्वरूप क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार ने हिन्दी विशेषज्ञों का एक साक्षात्कार बोर्ड गठित किए बिना इन पदों पर तदर्थ नियुक्तियां की हैं; और

(ग) सरकार द्वारा श्रेणी एक और दो के सभी हिन्दी पदो, विशेष रूप से सिंचाई विभाग और केन्द्रीय जल आयोग में, को भरने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) गत दो वर्षों के दौरान हिन्दी के कार्य तथा हिन्दी पत्रिकाओं के लिए श्रेणी एक तथा श्रेणी दो के निम्नलिखित पद सृजित किए थे गए :—

कार्यालय का नाम	सृजित पद	पदों के सृजन की तारीख
केन्द्रीय जल आयोग	सम्पादक भगीरथ (हिन्दी)	1.9.1980
	उप-सम्पादक	1.9.1980
	कलाकार (हिन्दी तथा अंग्रेजी, दोनों पत्रिकाओं के लिए)	1.9.1980

उपर्युक्त तीनों पद अभी तक भरे नहीं गए है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) तीन पदों के संबंध में भर्ती नियमों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है । तथापि, सम्पादक, भगीरथ (हिन्दी) के पद को तदर्थ आधार पर भरने के लिए कार्यवाही पहले ही की जा रही है । उप-सम्पादक तथा कलाकार के पदों को, इन पदों के भर्ती नियमों के अधिसूचित किए जाने के शीघ्र बाद भर लिया जाएगा ।

संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय जल सप्लाई तथा सफाई (1981-90) दशक

4763. **श्री एन० सेल्वा राजू** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय जल सप्लाई तथा सफाई (1981-90) दशक में संयुक्त राष्ट्र द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रम के प्रति भारत वचन-बद्ध है;

(ख) यदि हां, तो देश के साढ़े पांच लाख गांवों को पेय जल मुहैया कराने के बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(ग) तीन वित्तीय वर्षों के दौरान राज्यों को (राज्यवार) इन प्रयोजनों के लिए कितती राशि आबंटित की गई है;

(घ) अब तक बेंधन-कूपों के द्वारा कितने गांवों को पेय जल मुहैया कराया गया है और क्या हाल में यह कार्यक्रम धीमा कर दिया गया, और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) कितने गांवों और अर्द्ध नगरी केन्द्रों में सफाई का प्रबन्ध है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय दशक में जल पूर्ति तथा सफाई सुविधाओं पर अधिक ध्यान देने का विचार है । भारत में यह कार्यक्रम अप्रैल, 1981 से मार्च, 1991 की अवधि तक चलेगा । यह कार्यक्रम पंचवर्षीय योजना में किए गए पूंजी निवेश के अनुसार चलाया जाएगा । छठी योजना (1980-85) के दौरान ग्रामीण जल पूर्ति (समस्याग्रस्त गांव) के लिए पूंजी निवेश को पंचवर्षीय योजना (1974-79) में 429.27 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश की तुलना में पर्याप्त रूप से 2007.11 करोड़ रुपये तक बढ़ा दिया गया है । 2007.11 करोड़ रुपये की राशि में से 1407.11 करोड़ रुपये की राशि राज्य योजनाओं (एस. एन. पी.) में है तथा 600.00 करोड़ रुपये की राशि केन्द्रीय योजना (ए. आर. डब्ल्यू. एस. पी.) के लिए है । छठी योजना के दस्तावेजों में यह विचार किया गया है कि अनुमानतः 1.90 लाख समस्याग्रस्त ग्रामों को मार्च 1985 तक पेय जल का एक स्रोत मुहैया कराया जाएगा । शेष ग्रामों में पेय जल मुहैया कराने के लिए पूंजी निवेश इस दशक

के दौरान अगली पंचवर्षीय योजना में किया जायेगा। राज्य सरकारों के परामर्श से दशक कार्यक्रम से सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमों को बनाने के लिए भारत सरकार ने एक एपेक्स समिति का गठन किया है। जल पूर्ति राज्य का विषय होने के कारण, ग्रामीण जलपूर्ति योजनाओं को राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किया जाना है।

(ग) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम तथा त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति योजना के अन्तर्गत पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान नियतन की गई निधियां क्रमश: विवरण-1 तथा 2 में दी गई हैं।

(घ) खोदे गए कुओं से पेय जल कार्यक्रम को धीमा नहीं किया गया है। पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान पेय जल की सुविधाएं दिये गये गांवों की संख्या इस प्रकार है:–

वर्ष	राज्य क्षेत्र (न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम)	केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम
1978-79	13866×	7054×
1979-80	15182÷	7640+
1980-81	17645÷	5659÷

(ङ) अन्तर्राष्ट्रीय पेयजल पूर्ति तथा सफाई दशक 1 अप्रैल, 1981 को शुरू किया गया था तथा यह प्रगति पर है। सरकार ने इस दशक के अन्त तक प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए हैं:–

	शामिल की गई जनसंख्या
1. शहरी सफाई	कुल मिलाकर 80 प्रतिशत (प्रथम दर्जे के शहरों के मामलों में 100 प्र.श.)
2. ग्रामीण सफाई	25 प्रतिशत

× इसमें उड़ीसा को आंशिक रूप से जल मुहैया कराए गए तथा तमिलनाडु के हैमलेटों के सम्बन्ध में आंशिक रूप से लाभान्वित करना शामिल है।

\+ पश्चिम बंगाल के बारे में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थल स्रोत द्वारा आंशिक लाभ शामिल नहीं है।

\+ केरल, मध्य प्रदेश तथा सिक्किम में आंशिक रूप से लिए गए लाभान्वित गांव शामिल हैं। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थल स्रोतों द्वारा पेय जल मुहैया कराये गये पश्चिमी बंगाल के गांव तथा महाराष्ट्र में पेय जल मुहैया कराये गये गांवों की रिपोर्ट इसमें शामिल नहीं है।

विवरण-1

राज्य क्षेत्र (न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम) के अन्तर्गत ग्रामीण पूंजी निवेश

(लाखों रुपयों में)

	1978-79	1979-80	1980-81
1. आन्ध्र प्रदेश	670.00	1016.94	1228.00
2. असम	274.63	244.00	500.00
3. बिहार	750.00	1000.00	1350.00
4. गुजरात	746.00	909.38	900.00
5. हरियाणा	433.00	652.80	650.00
6. हिमाचल प्रदेश	445.00	665.09	650.00
7. जम्मू तथा कश्मीर	654.65	1081.68	1130.00
8. कर्नाटक	790.00	751.98	900.00
9. केरल	313.00	386.96	824.00
10. मध्य प्रदेश	793.00	716.03	900.00
11. महाराष्ट्र	1352.10	2733.00	2310.00
12. मणिपुर	122.00	284.70	300.00
13. मेघालय	60.06	285.93	275.00
14. नागालैण्ड	83.49	125.32	198.00
15. उड़ीसा	363.00	407.46	550.00
16. पंजाब	403.00	481.16	500.00
17. राजस्थान	937.00	1438.50	1415.00
18. सिक्किम	48.34	77.70	70.00
19. तमिलनाडु	913.00	600.01	1100.00
20. त्रिपुरा	37.00	98.34	200.00
21. उत्तर प्रदेश	2576.00	4011.00	3425.00
22. पश्चिम बंगाल	352.00	430.00	600.00
23. अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	26.66	55.00	54.50
24. अरुणाचल प्रदेश	74.00	94.72	175.00
25. चण्डीगढ़	—	—	—
26. दिल्ली	8.88	121.10	200.00
27. दादर तथा नागर हवेली	—	5.90	9.00
28. गोवा दमण तथा द्वीव	27.96	33.81	20.00
29. लक्ष्यद्वीप	—	0.83	2.50
30. मिजोरम	48.02	18.97	185.50
31. पाण्डिचेरी	6.00	12.00	19.50
योग :	13307.76	18740.39	20641.00

विवरण-2

केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यों के लिए नियतन की गई तथा उपयोग की गई निधियां

(लाख रुपयों में)

	1978-79	1979-80	1980-81
	नियतन की गई निधियां	नियतन की गई निधियां	नियतन की गई निधियां
1	2	3	4
1. आन्ध्र प्रदेश	347.00	215.60	432.23
2. असम	144.13	323.15	427.11
3. बिहार	500.00	680 45	503.36
4. गुजरात	254.85	126.20	354.00
5. हरियाणा	197.00	259.00	355.00
6 हिमाचल प्रदेश	422.00	388.86	561.77
7. जम्मू और काश्मीर	200.00	181.55	313.00
8. कर्नाटक	105.00	65.00	248.81
9. केरल	275.00	282.35	328.40
10. मध्य प्रदेश	290.00	353.15	690,00
11. महाराष्ट्र	397.97	372.30	659.00
12. मणिपुर	50.00	48.55	105.00
13. मेघालय	100.00	106.60	149.00
14. नागालैण्ड	91.00	133.57	150.00
15. उड़ीसा	212.00	203.00	307.00
16. पंजाब	170.00	68.40	128.95
17. राजस्थान	348.90	205.00	559.10
18. सिक्किम	39.09	20.00	19.50
19. तमिलनाडु	402.00	213.52	500.00

1	2	3	4
20. त्रिपुरा	110.00	91.15	112.44
21. उत्तर प्रदेश	614.00	703.55	944.95
22. पश्चिम बंगाल	530.00	670.05	443.50
23. अन्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	18.50	15.00	6.00
24. अरुणाचल प्रदेश	30.00	44.20	35.00
25. चण्डीगढ़	—	—	—
26. दिल्ली	12.00	11.10	13.50
27. दादर तथा नागर हवेली	—	—	—
28. गोवा दमण तथा द्वीव	7.50	9.95	11.46
29. लक्ष्य द्वीप	—	—	—
30. मिजोरम	18.50	17.05	26.25
31. पाण्डिचेरी	15.00	12.00	7 00
योग	5901.44	5820.30	8391.33

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा रिहायशी प्लाटों की नीलामी

4764. **श्री सतीश प्रसाद सिंह** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा रिहायशी प्लाटों को नीलामी से बेचने के सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है;

(ख) क्या एक रिहायशी प्लाट के लिए सबसे अधिक बोली, जोकि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा घोषित रिजर्व मूल्य से बहुत अधिक होती है और जिसके लिए नीलामी समाप्त होने पर दिल्ली विकास प्राधिकरण बोली की धनराशि की 85 प्रतिशत धनराशि पेशगी के रूप में लेता है दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अस्वीकृत की जा सकती है और यदि हां, तो किस कारण तथा मार्ग निदेश के आधार पर ऐसा किया गया और ऐसी नीलामी किन मार्ग निदेशों के अन्तर्गत की जाती है और ऐसी अस्वीकृति के लिए समय सीमा कितनी है;

(ग) क्या ये मार्ग निदेश सरकार द्वारा स्वीकृत हैं और दिल्ली विकास प्राणिकरण द्वारा स्वीकृत ऐसी सभी नीलामियों पर लागू किये गये हैं; और

(घ) इन मार्ग निदेशों का आधार क्या है, पिछले तीन वर्षों में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा की गई कितनी नीलामी/बोलियों को अस्वीकृत किया गया है और प्रत्येक बोली को किस आधार पर अस्वीकृत किया गया ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) सरकारी नीति के अनुसार किसी एक क्षेत्र में केवल 200 वर्ग गज से अधिक माप वाले प्लाटों को सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेचा जाता है और दूसरे प्लाट निम्न आय वर्ग तथा मध्यम आय वर्ग के अन्तर्गत आने वाले व्यक्तियों को पूर्व निर्धारित दरों पर आवंटित किये जाते हैं।

(ख) और (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण के अनुसार नजूल भूमि बिक्री नियम, 1981 के अनुसार नीलामी करने वाला अधिकारी दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष की पुष्टि की शर्त पर सामान्यतया नीलामी के समय घण्टी बजने पर पेश की गई सबसे ऊंची बोली को स्वीकार करेगा और जिस व्यक्ति की बोली स्वीकृत की गई हो वह अपनी बोली का 25 प्र० श० धरोहर राशि के रूप में भुगतान करेगा और वह शेष राशि का भुगतान बोली की स्वीकृत के 15 दिनों के अन्दर या ऐसी अवधि के अन्दर करेगा जो उपाध्यक्ष ने सार्वजनिक सूचना में निर्धारित की हो या अन्य सार्वजनिक सूचना में निर्धारित करे।

नीलामी करने वाला अधिकारी लिखित रूप में दिये जाने वाले और उपाध्यक्ष को पेश किये गये कारणों के लिये उच्चतम बोली सहित किसी भी बोली को अस्वीकार कर सकता है।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित 45 बोलियों को रद्द किया गया था :—

(i) धरोहर राशि (अर्थात् बोली की राशि का 25 प्र० श०) को जमा न करने पर अस्वीकृता	28
(ii) उसी क्षेत्र में उसी नीमामी या पिछली नीलामी में अन्य प्लाटों द्वारा प्राप्त की गई औसतन दर की तुलना में बोली की राशि अत्यधिक कम होने के कारण।	15
(iii) नीलामी खरीददार द्वारा/नीलामी द्वारा आबंटन को छोड़ना	1
(iv) नीलामी खरीददार ने पहले दूसरा प्लाट खरीद लिया था	1

कृषि योग्य भूमि का आवंटन

4765. **श्री मोती भाई आर० चौधरी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या भूमिहीन खेतिहर मजदूरों और पिछड़े वर्गों के छोटे किसानों को कृषि योग्य भूमि आवंटित करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : जी, नहीं। भूमि का आबंटन राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार होता है।

रसायनिक उर्वरकों का मूल्य

4766. **श्री एन० सुन्दर राजन** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रसायनिक उर्वरकों के मूल्य कम करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के मुख्यालय से फाइलों का गायब होना

4767. **प्रो० अजित कुमार मेहता :**

श्री रशीट मसूद : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के मुख्यायल तथा उसके संस्थानों से कुछ फाइलें गायब हैं; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मुख्यालय और इसके संस्थानों से पिछले एक वर्ष में कितनी फाइलें गायब हुई हैं और गायब फाइलों का स्वरूप क्या है, गायब फाइलों के बारे में यदि कोई जांच की गई है तो उसके क्या परिणाम निकले और इस संबंध में सरकार ने क्या उपचारात्मक उपाय किए हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) :

(क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) पिछले एक वर्ष के दौरान, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मुख्यालय के विभिन्न अनुभागों से सात फाइलों के गलत स्थान पर रखे जाने/गायब होने की रिपोर्ट मिली थी । इन फाइलों के स्वरूप का संबंध परिषद में संचालित होने वाली विभिन्न विषयवस्तुओं से है ।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा के पटल पर प्रस्तुत कर दिया जाएगा ।

परिषद में फाइलों के गायब होने की संभावना को रोकने के लिए एक उपयुक्त प्रक्रिया तैयार की गयी है और उसको अनुपालन के लिए सभी संबंधित अनुभागों में परिचालित किया गया है ।

जनकपुरी, नई दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि पर अवैध कब्जा

4768. श्री शिबु सोरन : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनकपुरी, ए०-1 और ए०-1 बी ब्लाक की मारकिटों में कुछ दुकानदारों ने दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया है और बरामदों में रास्ते का दुरुपयोग किया जा रहा है;

(ख) क्या इनमें से मिठाई तथा जनरल मर्चेन्ट शाप के दो दुकानदारों ने ईंटों की दीवार को हटाकर दरवाजा लगा लिया है और सार्वजनिक पार्क के लिए निर्धारित जगह को सामान बनाने तथा जलपान आदि के लिए इस्तेमाल करने दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि का अतिक्रमण करते हुए इस पर अवैध कब्जा कर लिया है;

(ग) इन दुकानदारों का ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि हां, तो इस दुरुपयोग तथा अतिक्रमण को रोकने के लिए कोई कदम उठाने का विचार है; और

(ङ) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण का विचार उनके आवंटन रद्द करने या इन दरवाजों को ईंटों से बंद करने का निदेश देने का है?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि दुकान सं० 12 के आवंटी ने ए०-1 और ए०-1 वी ब्लाकों में बरामदों में रास्तों का दुरुपयोग करके दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि पर अतिक्रमण किया था। इस प्राधिकरण ने यह भी बताया है कि दुकान सं. 13 के आवंटी जो एक हलवाई की दुकान चला रहा है ने एक ओर की दीवार तोड़ कर और वहां पर एक सटर लगा कर प्राधिकरण की भूमि पर कुर्सियां, बैंच, भट्टी तथा अन्य सामग्रियों को रखा था।

(घ) तथा (ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि पहले मामले (अर्थात दुकान सं. 12) में अतिक्रमण को मई, 1981 में हटाया गया था परन्तु इस स्थल के हाल में किये गये निरीक्षण से पता चला है कि बरामदों के रास्तों पर फिर से अतिक्रमण/पुनः कब्जा किया गया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि इस मामले में उसका प्रस्ताव आवंटन रद्द करने का है।

2, जहां तक दूसरे मामले का सम्बन्ध है, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कहा है कि अतिक्रमण को हटाने और दीवार को तोड़ने तथा शटर को लगाने के विरुद्ध हटाने की कार्यवाही लगभग पिछले 6 महीनों में की गई थी परन्तु हाल ही में किये गये निरीक्षण से पता चला है कि इस दुकानदार ने फिर से शटर लगा दिया है और दिल्ली विकास प्राधिकरण की कुछ भूमि को भी अनाधिकृत रूप से कब्जा किये हुए है। इस आवंटी को दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इस प्राधिकरण ने यह भी बताया है कि यदि इन अतिक्रमणों को तत्काल नहीं हटाया गया तो आवंटन को रद्द करने की कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव है।

दिल्ली की मानक बिहार कालोनी में पानी की लाइन का बिछाया जाना

4769. श्री धर्म दास शास्त्री : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम दिल्ली की मानक बिहार कालोनी में पानी की लाइन बिछाने का अनुमानित खर्च कितना था;

(ख) उपर्युक्त कालोनी से उपर्युक्त काम शुरू होने में वास्तविक खर्च कितना हुआ; और

(ग) यदि वास्तविक खर्च अनुमानित खर्च से कम है तो कालोनी के निवासियों को विकास खर्च के रूप में तदर्थ और स्थाई आधार पर कमी करके बतौर सहायता देने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) 82,603.66 रुपये।
(ख) 560,700.37 रुपये।

(ग) दिल्ली जलपूर्ति एवम् मल व्ययन संस्थान ने सूचित किया है कि मानक बिहार के निवासियों को अनुमानित लागत से कम दरों पर पानी के अस्थायी कनेकशन स्वीकृत किये जा रहे हैं।

राजस्थान में छवि और बिलासी सिंचाई परियोजनाओं के लिए धनराशि

4770. **श्री चतुर्भुज** : क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 के दौरान छवि सिंचाई परियोजना (झालाबाड़, राजस्थान) और बिलासे सिंचाई परियोजना के लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई और कितने काम के लिये यह धनराशि मंजूर की गई थी; और

(ख) ये दोनों सिंचाई परियोजनाएं कब तक पूरी हो जायेगी ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) राजस्थान सरकार ने सूचित किया है कि वर्ष 1980-81 के दौरान छवि सिंचाई परियोजना के लिए 5 लाख रुपये और बिलासी सिंचाई परियोजना के लिए 10 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। यह राशि इमारतों, पहुंच सड़कों के निर्माण-और निर्माण पूर्व सर्वेक्षणों आदि जैसे प्रारम्भिक काम के लिए है।

(ख) दोनों स्कीमों के वर्ष 1984-85 में पूर्ण हो जाने की संभावना है।

उत्तर प्रदेश और बिहार की चीनी मिलों की क्षमता का उपयोग

4771. **श्री असफाक हुसैन** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच सालों में पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों की कितनी क्षमता का क्षेत्रवार उपयोग किया गया;

(ख) पिछले पांच सालों में भारत की चीनी मिलों की क्षमता का औसतन कितना उपयोग किया गया;

(ग) पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की चीनी मिलों की क्षमता का कम उपयोग होने के क्या मुख्य कारण हैं; और

(घ) सरकार का सामान्य तौर पर भारत की और विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की चीनी मिलों की अधिक क्षमता का उपयोग करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की फैक्ट्रियों की पिछले पांच वर्षों के लिए क्षमता उपयोग की प्रतिशत बताने वाला विवरण-1 संलग्न है ।

(ख) भारत की चीनी फैक्ट्रियों की पिछले पांच वर्षों के लिए उपयोग की प्रतिशतता बताने वाला विवरण-2 संलग्न है ।

(ग) पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में कम क्षमता उपयोग के मुख्य कारण इस प्रकार है :—

(1) चीनी फैक्ट्रियों के संयंत्र और मशीनरी कुल मिलाकर पुरानी और अकुशल हैं ।

(2) सूखा, बाढ़ आदि जैसी प्राकृतिक विपदाएं जिनसे गन्ने की फसल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा ।

(3) कुछ फैक्ट्री क्षेत्रों में गन्ने का कम उत्पादन और कम उपलब्धता ।

(घ) सरकार ने चीनी का उत्पादन बढ़ाने और क्षमता का बेहतर उपयोग करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं :—

(1) 1981-82 में पिराई कार्य शीघ्र शुरू करने के लिए प्रोत्साहन ।

(2) नयी स्थापित चीनी फैक्ट्रियों और विस्तार परियोजनाओं के लिए प्रोत्साहन बहाल करना ।

(3) भारत सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान देश में उत्पादित चीनी पर 50/-रुपये प्रति मीट्रिक टन उप-कर लगाने का भी फैसला किया है जिससे प्रत्येक वर्ष लगभग 25 करोड़ रुपये प्राप्त होने की आशा है । यह उप-कर निधि चीनी फैक्ट्रियों के आधुनिकीकरण और पुनर्वासन और बहुत अधिक संख्या में उन फैक्ट्रियों की मदद करने के लिए तैयार की गई है जो कि ऐसे प्रयोजनों के लिए सुगम ऋण सहायता प्राप्त करना चाहती हैं जिससे क्षमता उपयोग में सुधार होगा ।

विवरण-1

पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की चीनी फैक्ट्रियों की चीनी वर्ष 1976-77 से 1980-81 के लिए क्षमता उपयोग की प्रतिशतता बताने वाला विवरण

जोन	1976-77	1977-78	1978-79	1979-80	1980-81
पूर्वी उत्तर प्रदेश	83.15	103.94	77.50	53.17	54.81
बिहार	59.00	84.37	76.11	48.67	57.23
पश्चिमी उत्तर प्रदेश	120.78	142.79	101.33	74.62	87.15

विवरण-2

चीनी उद्योग की पिछले पांच वर्षों के दौरान क्षमता उपयोग की प्रतिशतता बताने वाला विवरण

चीनी वर्ष (अक्तू-सित०)	उपयोग प्रतिशतता
1976-77	93.77
1977-78	114.86
1978-79	98.90
1979-80	64.41
1980-81	81.16

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम पर व्यय के लिए अतिरिक्त धनराशि

4772. **श्री प्रताप भानु शर्मा :** क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने वर्ष 1980-81 के दौरान मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और काम के बदले अनाज कार्यक्रम पर हुए अतिरिक्त खर्च के लिए अतिरिक्त आबंटन नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस समय इस बारे में सरकार का क्या विचार है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) *जी, नहीं। वर्ष 1980-81* के दौरान मध्य प्रदेश को कुल 2,58,458 मीटरी टन खाद्यान्नों की

मात्रा उपलब्ध की गई थी जिसमें गत वर्ष के उपयोग में न लाए गए शेष खाद्यान्न भी शामिल थे। इसके अलावा, राज्य को 950.10 लाख रुपये की नकद निधियां भी बंटित की गई थीं। राज्य सरकार ने केवल 1,41,226 मीटरी टन खाद्यान्नों को उपयोग में लाए जाने की सूचना दी है। अतः राज्य में गत वर्ष के दौरान कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यय को पूरा करने हेतु कोई अतिरिक्त आबंटन देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) व (ग) प्रश्न नहीं उठता।

औद्योगिक भूमि विकास निगम, दिल्ली

4773. **श्री जगदीश टाइटलर** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के व्यापार और उद्योग मण्डल की ओर से दिल्ली में एक स्वतन्त्र, औद्योगिक भूमि विकास निगम बनाने के बारे में सुझाव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार क्या सोच रही है और उसकी क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पिछले तीन सालों के लिए पीने के पानी के कुओं की संख्या

4774. **श्री टी० आर० शमन्ना** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन सालों तथा वर्ष 1979-80, 1980-81 और 1981-82 (छः माह के लिए) के दौरान पीने के पानी के कितने कुओं की मंजूरी दी गई;

(ख) उपर्युक्त अवधि में कितने पीने के पानी के कुओं का निर्माण कार्य पूरा हुआ; और

(ग) ऐसे कितने गाँव हैं जहां अभी पीने के पानी की सुविधा दी जानी है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) पेय जल का प्रावधान राज्य विषय है और इस प्रयोजन के लिए निधियां राज्य योजनाओं में दी जाती हैं। तथापि, केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम के अन्तर्गत चुने हुए समस्याग्रस्त ग्रामों में स्वच्छ पेय जल की सुविधा का प्रावधान करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के संसाधनों को बढ़ाने के लिये वित्तीय सहायता दी जाती है।

त्वरित ग्रामीण पेय जल सप्लाई कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पेय जल सप्लाई की योजनायें बनाई जाती हैं और उनका निष्पादन किया जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा बनाई गई योजनाओं की जांच मेरे मंत्रालय द्वारा की जाती है। यह जांच चुने हुए समस्याग्रस्त ग्रामों की सूची तथा योजनाओं के तकनीकी पहलुओं के संदर्भ में की जाती है। 1977-78 में इस योजना के आरम्भ होने से लेकर अब तक मंत्रालय ने 39,615 समस्याग्रस्त ग्रामों की योजनाओं का अनुमोदन किया है।

(ख) केन्द्र द्वारा प्रवर्तित योजनाओं के अन्तर्गत सप्लाई के विभिन्न तरीकों के माध्यम से लाभान्वित समस्याग्रस्त ग्राम निम्नलिखित हैं :

1979-80	1980-81	1981-82 (सितम्बर, 1981 तक)
7640	5659	1121

(ग) छठी योजना प्रलेखनों (1980-85) के अनुसार 1-4-1980 की स्थिति के अनुसार कुल समस्याग्रस्त ग्रामों, जिनमें स्वच्छ पेय जल सुविधा मुहैया कराई जानी है, की संख्या 1.90 लाख आंकी गई है।

विश्व खाद्य सुरक्षा योजना

4775. **श्री जय नारायण रोट :**

श्री बी० वी० देसाई : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एक व्यापक विश्व खाद्य सुरक्षा योजना के बारे में विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या प्रस्तावित विश्व खाद्य सुरक्षा योजना के उद्देश्य और लक्ष्य निर्धारित करने के लिए कोई समिति नियुक्त की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो यह योजना कब तक शुरू की जायेगी तथा कार्यान्वित की जायेगी ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) से (घ) नवम्बर, 1974 में विश्व खाद्य सम्मेलन में विश्व खाद्य सुरक्षा की प्रणाली की आवश्यकता को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था। इस सम्मेलन ने विश्व खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय अन्डरटेकिंग की भी पुष्टि की थी। प्रस्ताव को स्वीकार करते समय, विश्व खाद्य सम्मेलन ने विश्व खाद्य सुरक्षा के उद्देश्यों की निम्न प्रकार से व्याख्या की थी :—

"प्रति व्यक्ति खपत के कम स्तर वाले देशों में खाद्य उपभोग के विस्तार को स्थिर करने और उत्पादन तथा मूल्यों में उतार-चढ़ाव को कम करने के लिए मूलभूत खाद्य पदार्थों, मुख्यतया अनाजों की हमेशा पर्याप्त सप्लाई की उपलब्धता सुनिश्चित करना ताकि व्यापक रूप से फसल के खराब हो जाने, प्राकृतिक या अन्य विपदाओं के समय खाद्यान्नों की अत्यधिक कमी को रोका जा सके।"

विश्व खाद्य सुरक्षा के विषय पर विश्व खाद्य सुरक्षा संबंधी खाद्य तथा कृषि संगठन समिति, राष्ट्र मण्डल सरकारों के अध्यक्षों की बैठक अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं परिषद, विश्व खाद्य परिषद, कनकुन बैठक आदि जैसे विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर चर्चा की गई है। तथापि, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी ठोस व्यवस्था को अभी तक कोई अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। तथापि, जहां तक भारत का सम्बन्ध है, सरकार की नीतियों का उद्देश्य देश में कृषि की पैदावार- बढ़ाना है और पर्याप्त बफर स्टाक और प्रभावी सार्वजनिक वितरण के माध्यम से खाद्यान्नों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

विश्व खाद्य संकट को दूर करना

4776. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य और कृषि संगठन के महानिदेशक ने 15 अक्तूबर, 1981 को दिल्ली में "विश्व खाद्य दिवस" के अवसर पर बोलते हुए विश्व की बढ़ती हुई खाद्य समस्या के बारे में चेतावनी दी;

(ख) क्या यह सच है कि वर्ष 1979 और 1980 के दौरान विश्व का खाद्य उत्पादन ½ प्रतिशत से अधिक नहीं बढ़ा;

(ग) देश में वर्ष 1981 की खरीफ की फसल से कुल कितना खाद्यान्न पैदा हुआ और वर्ष 1981-82 की रबी की फसल से कितना खाद्यान और दालों की उत्पादन होने का अनुमान है;

(घ) देश में 30 अक्तूबर, 1981 को (i) केन्द्रीय और राज्य सरकारों (ii) निजी गोदामों और मंडियों में अनुमानित कितना खाद्यान्न भंडार है; और

(ङ) वर्ष 1982-83 में खाद्यान्नों की अत्यधिक कमी या अभाव होने की स्थिति में खाद्यान्नों और दालों के समान वितरण का इन्तजाम करने के लिए सरकार ने क्या योजना बनाई है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी, नहीं।

(ख) खाद्य एवं कृषि संगठनों के अनुसार, विश्व खाद्य उत्पादन, 1979 में 0.9 प्रतिशत के मुकाबले 1980 में 0.5 प्रतिशत बढ़ा है।

(ग) राज्यों से खरीफ 1981 और रबी 1981-82 के लिए खाद्यानों के उत्पादन के अनुमान अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं।

(घ) 1 नवम्बर, 1981 को सभी सार्वजनिक एजेंसियों के पास खाद्यान्नों का कुल 98.82 लाख मीटरी टन का भंडार था। प्राइवेट गोदामों और मंडियों में खाद्यानों के भण्डार की सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ङ) देश में आवश्यक जिन्सों के समान वितरण के लिए एक सार्वजनिक वितरण प्रणाली पहले से है। इस समय देश में चुनींदा खाद्यान्न पदार्थ जैसे गेहूं, चावल, लेवी की चीनी, मिट्टी का तेल, आयातित खाद्य तेल और नियंत्रित कपड़ा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बिक्री केन्द्रों के माध्यम से वितरित किये जाते हैं। ये पदार्थ सार्वजनिक क्षेत्र की एजेंसियों के माध्यम से राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को केन्द्रीय निर्गम मूल्य पर आवंटित और सप्लाई किए जाते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संगठन और प्रशासन की जिम्मेदारी प्रमुख रूप से राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों की है, जो इस प्रणाली के विस्तार और सुधार के लिए आवश्यक कदम उठा रहे हैं।

सांविधिक न्यूनतम मूल्यों के अनुसार कृषि मूल्य आयोग द्वारा पटसन/धान के मूल्यों में निर्धारित किया गया अनुपात

4777. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1976-77 से 1981-82 तक कृषि मूल्य आयोग द्वारा सांविधिक न्यूनतम मूल्यों के अनुसार पटसन/धान के अखिल भारतीय स्तर पर क्या अनुपात था;

(ख) वर्ष 1981-82 के विभिन्न मदों की मूल्यानुपात को दर्शाने वाली सूची में कच्चे पटसन डव्ल्यू-5 के सांविधिक न्यूनतम मूल्य को कैसे तय किया गया; और

(ग) ये आंकड़े कब एकत्र किए गए और इनके लिए उपयोग में आने वाली विभिन्न श्रेणियों की जोतों के नमूने एकत्र करते समय क्या महत्व दिया गया ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) कृषि मूल्य आयोग द्वारा वर्ष 1976-77 से 1981-82 तक सुझाए गए सांविधिक न्यूनतम समर्थन मूल्यों के अनुसार पटसन/धान का अनुपात (अखिल भारतीय आधार पर) निम्नलिखित था :—

वर्ष	पटसन/धान का अनुपात
1976-77	1.84
1977-78	1.83
1878-79	1.76
1979-80	1.63
1980-81	1.52
1981-82	1.52

(ख) डब्ल्यू-5 श्रेणी की कच्ची पटसन के सांविधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करते समय, कृषि मूल्य आयोग ने विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखा था जैसे उत्पादन लागत के उपलब्ध आंकड़े, आदान की कीमतों में परिवर्तन, अन्तः फसल मूल्यों में विभिन्नता और कृषि तथा गैर कृषि क्षेत्रों के बीच व्यापार शर्तों में परिवर्तन। 1981-82 के लागत संबंधी आंकड़े अभी उपलब्ध किए जाने हैं।

(ग) प्रयोग में लाये गये आंकड़े उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल राज्यों में वर्ष 1978-79 के दौरान भारत में मुख्य फसलों की खेती की लागत का अध्ययन करने की व्यापक योजना के अन्तर्गत एकत्र किये गये थे। तथापि, कृषि मूल्य आयोग ने इन आंकड़ों को उपयोग में लाते समय जिस वर्ष से ये आंकड़े संबंधित हैं, उससे अगले वर्ष आदान के मूल्यों में हुए परिवर्तन को भी ध्यान में रखा था।

जहां तक विभिन्न श्रेणियों की जोतों के महत्व का सम्बन्ध है, यह उल्लेख है कि उपरोक्त योजना के अन्तर्गत तीन स्तरों पर नमूने लिए जाते हैं (तहसील प्रथम स्तर की इकाई के रूप में, प्रत्येक चुनी हुई तहसील से इकाइयों की सख्या दूसरे स्तर के रूप में और प्रत्येक इकाई से 10 जोतें तीसरी और अन्तिम स्तर की इकाई के रूप में होती हैं) और प्रत्येक इकाई में सभी जोतें 5 आकार के वर्गों में विभाजित की जाती हैं और इसके बाद प्रत्येक आकार के वर्ग से 2 जोतें यादृच्छिदक रूप से चुनी जाती हैं। इकाई स्तर पर प्रति हैक्टार के लिए प्रत्येक इकाई में विभिन्न जोत स्तरों पर अनुमानित लागत को इकाई में फसल के तहत कुल क्षेत्र की तुलना में सम्बन्धित जोत वर्गों में सभी जोतों (चुनी गई तथा अन्य) की फसल के तहत आने वाले क्षेत्र के अनुपात में महत्व दिया जाता है। इसी प्रकार उपज के अनुमान और प्रति हैक्टार प्रमुख उत्पाद तथा उपोत्पाद के मूल्य प्राप्त किये जाते हैं। क्षेत्रीय और राज्य स्तरों पर अनुमान तैयार करने के लिए इन इकाई स्तरीय अनुमानों की साधारण औसत का प्रयोग किया जाता है।

व्यापारिक फसलों के मूल्य

4778 **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच नहीं है कि केरल में नारियल और कोकोआ जैसे मुख्य कृषि उत्पादों के मूल्यों में धीरे-धीरे कमी आ रही है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक मामले में मूल्य कम होने के क्या कारण हैं;

(ग) भारत सरकार मूल्यों में कमी न होने देने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है;

(घ) क्या केरल सरकार ने इस बारे में कोई कार्यवाही करने की मांग की है; और

(ङ) यदि हां, तो मांग का ब्यौरा क्या है और केन्द्रीय सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) चालू वर्ष के दौरान नारियल के मूल्यों में उतार-चढ़ाव आता रहा है, जिसमें गिरावट की प्रवृत्ति रही है। कोका के मूल्यों में भी गिरावट आई है।

(ख) सप्लाई की स्थिति आसान होने के कारण कोका के मूल्यों में गिरावट की प्रवृत्ति रही है। कोका के मूल्यों में कमी, इस जिस के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में गिरावट आने और इसके उत्पादन में वृद्धि के फलस्वरूप हुई है।

(ग) से (ङ) केरल सरकार आयात पर प्रभावी निवारक कार्यवाही करने के उद्देश्य से गिरी और नारियल के तेल के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने अथवा आयात शुल्क में वृद्धि करने की मांग की जाती रही है। उन्होंने कोका के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने और न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने की मांग की है।

इस समय गिरी, नारियल के तेल, कोका की फलियों और चूर्ण का आयात राज्य व्यापार निगम के माध्यम से किया जाता है ताकि देशी उत्पादन और मांग को ध्यान में रखते हुये इन वस्तुओं के आयात को विनियमित किया जा सके। जहां तक गिरी तथा नारियल के तेल का संबंध है, राज्य व्यापार निगम ने न तो इनका आयात किया है, और न ही इन मदों का आयात करने का प्रस्ताव है। तथापि, पंजीकृत निर्यातकों के लिये आयात नीति के अन्तर्गत इन मदों के सीमित आयात की अनुमति दी जाती है। जहां तक गिरी का संबंध है, 1980-81 के दौरान राज्य व्यापार निगम ने गिरी की फलियों तथा चूर्ण का आयात नहीं किया है। 1981-82 के दौरान, उद्योग के चालू क्रिया-प्रचालनों में सहायता हेतु सम्मिश्रण के प्रयोजन से गिरी की फलियों की कुछ मात्रा के आयात की अनुमति दी गई है। वाणिज्य तथा कृषि मंत्रालय केरल सरकार से परामर्श करके गिरी की मूल्य स्थिति की संवीक्षा कर रही है।

राजस्थान नहर में चल रहा काम

4779. **श्री राम विलास पासवान :**

श्री राजेश कुमार सिंह :

श्री जगदीश टाइटलर :

श्री कृष्ण कुमार गोयल :

श्री मनफूल सिंह चौधरी : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान नहर जो कि संसार की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है, का काम ठप्प पड़ा है;

(ख) क्या प्रधान मन्त्री को उनके हाल के यात्रा के दौरान फ्रांस सरकार से इस बारे में चर्चा करने के लिये इस परियोजना के बारे में कोई प्रतिवेदन दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या प्रधान मंत्री ने इस बारे में फ्रांस के अधिकारियों से चर्चा की, यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रधान मंत्री के कार्यालय को एक अनौपचारिक रिपोर्ट दी गई थी, परन्तु प्रधान मंत्री द्वारा फ्रांस के प्राधिकारियों के साथ इस मामले पर विचार-विमर्श नहीं किया गया था ।

मध्य प्रदेश में एक कृषि विश्वविद्यालय का खोला जाना

4780. **श्री केयूर भूषण** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के पास मध्य प्रदेश के धान उगाने वाले क्षेत्र में एक कृषि विश्वविद्यालय खोलने के बारे में प्रस्ताव विचार करने के लिए आया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी नहीं, श्रीमान । केन्द्रीय सरकार के पास मध्य प्रदेश के धान उगाने वाले क्षेत्र में एक कृषि विश्वविद्यालय खोलने के बारे में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

नेशनल फैडरेशन आफ एग्रो एन्टर प्रिन्योर्स से ज्ञापन

4781. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेशनल फैडरेशन आफ एग्रो एन्टर प्रिन्योर्स ने मई, 1981 में मंत्री को इस मांग का एक ज्ञापन दिया था कि यदि संबंधित एग्रो सर्विस सेंटर एंटर प्रिन्योर्स को पुन: आरम्भ नहीं किया जा सकता है तो यह प्रयास किया जाना चाहिये कि बैंक अथवा सरकारी अभिकरण जिन्होंने उद्यमियों को ऋण दिया है पूंजीगत राज-सहायता के साथ बिना ब्याज के मूलधन स्वीकार कर ले; और

(ख) यदि हां, तो इस मांग पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और क्या सरकार के विचाराधीन कोई पुनर्वास योजना है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी, हां ।

(ख) यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है । कृषि सेवा उद्यमियों के अधिवक्ता द्वारा दिये गये सुझावों के आधार पर भारत के महान्यायाभिकर्त्ता ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर सरकार के विचारार्थ एक योजना भेजी है । इस पर विधिवत विचार करने के उपरांत सरकार के विचार न्यायालय को भेज दिये जाएंगे ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा उत्तरी दिल्ली में विकसित की जाने वाली कालोनियां

4782. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा उत्तरी दिल्ली में विकसित की जा रही आवासीय कालोनियों के क्या नाम हैं; उनका कुल क्षेत्र कितना है, उनकी आवासीय क्षमता कितनी है तथा उनके विकास पर कितना व्यय होगा; और

(ख) इनमें से प्रत्येक कालोनी के संबंध में इसके अनुमानतः किस तारीख तक पूर्ण उपयोगिकरण क्षमता प्राप्त कर लेने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) जैसा दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है उत्तरी दिल्ली में विकास की जा रही आवास कालोनियों के बारे में ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

कालोनी का नाम	योजना का क्षेत्र	बृहत योजना मापदण्डों के अनुसार रिहायशी एककों की संख्या	जनसंख्या
शालीमार बाग ब्लाक ए० तथा बी०	290.56 है० ए०	19180	91554
शालीमार बाग ब्लाक सी० तथा डी०	523.00 है० ए०	5500	26163
पीतमपुरा	339.84 है० ए०	20796	93657
पीतमपुरा (समितियां)	633.20 है० ए०	32644	153428
हैदरपुरी	50.00 है० ए०	2760	13000
रोहिणी	2497.30 है० ए०	180000	850000
योग :	4333.90 है० ए०	268880	1227802

वह ठीक तारीख बतलाना सम्भव नहीं है जिस तक इन कालोनियों का पूर्ण विकास हो जायेगा क्योंकि सहकारी समितियों जिनको भूमि आवंटित की गई है तथा व्यक्तियों जिनको या तो प्लाट आवंटित किए गए हैं या नीलाम किए गए हैं, दोनों ने पर्याप्त निर्माण विकास करना है । दिल्ली

विकास प्राधिकरण ने यह भी सूचित किया है कि विभिन्न वर्गों के अन्तर्गत पंजीकृत व्यक्तियों को आवंटन करने के लिए ऐसे विकास के लिए उद्दिष्ट पाकेटों में ग्रुप आवास के आधार पर वह फ्लैटों का निर्माण कर रहा है।

सरकारी आवासों का बिना पारी आवंटन

4783. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के उन सरकारी कर्मचारियों के नाम क्या हैं जिन्हें चालू वित्त वर्षों सहित पिछले तीन सालों में चिकित्सा के आधार पर या विकलांग होने के कारण बिना पारी के आवास दिये गये; और

(ख) चालू आगामी वित्तीय वर्ष के लिये कितने कर्मचारियों को बिना पारी आवंटन के लिये रजिस्टर्ड किया गया है?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा दिल्ली के पार्कों की देखरेख

4784. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रशासित प्रदेश दिल्ली में उन पार्कों के नाम क्या हैं जिनकी देखरेख और विकास लोक निर्माण विभाग की उद्यान शाखा कर रही है; और

(ख) विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत विशेष रूप से क्या किया जायेगा और छठी पंचवर्षीय योजना में दी जाने वाली प्रस्तावित सुविधाओं का ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के उद्यान विंग द्वारा दिल्ली/नई दिल्ली में केन्द्र सरकार तथा दिल्ली प्रशासन के भवनों, शान्ति वन, विजय घाट, राजघाट परिसर, सेन्ट्रल विस्ता, बुद्ध जयन्ती पार्क आदि से संबंधित उद्यान क्षेत्रों का रख-रखाव किया जाता है। नई दिल्ली के दक्षिणी रिज में सरकार पटेल मार्ग की एक तरफ लगभग 25 एकड़ क्षेत्र के एक पार्क का विकास किया जा रहा है।

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किये जाने वाले भवन निर्माण से संबंधित उद्यान कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के उद्यान विंग द्वारा किया जायेगा।

राज्यों के लिए "काम के बदले अनाज योजना" के अन्तर्गत आवंटित अनाज

4785. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "काम के बदले अनाज योजना" अन्तर्गत विभिन्न राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को कितना अनाज आवंटित किया गया है;

(ख) इस कार्यक्रम के लागू होने के बाद से पश्चिम बंगाल में जिला-वार कितनी परियोजनाएं चलाई गईं; और

(ग) उत्तरी बंगाल के पांच पिछड़े जिलों में चलाई गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) पिछले चार वर्षों के दौरान काम के बदले अनाज/राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को आवंटित खाद्यान्नों की मात्रा को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ख) व (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

विवरण

1977-78 से 1980-81 के वर्षों के दौरान वंटित खाद्यान्नों की मात्रा को दर्शाने वाला विवरण

क्र० सं०	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	1977-78 से 1980-81 तक बंटित खाद्यान्नों की मात्रा (मी० टन)
1.	आंध्र प्रदेश	456000.00
2.	असम	28000.00
3.	बिहार	686000.00
4.	गुजरात	88000.00
5.	हरियाणा	113500.00
6.	हिमाचल प्रदेश	52440.00
7.	जम्मू तथा काश्मीर	61000.00
8.	कर्नाटक	94000.00
9.	केरल	96200.00
10.	मध्य प्रदेश	684000.00
11.	महाराष्ट्र	284940.00
12.	मणिपुर	4000.00
13.	मेघालय	750.00
14.	नागालैण्ड	10900.00
15.	उड़ीसा	561500.00

16.	पंजाब	75000.00
17.	राजस्थान	703000.00
18.	सिक्किम	500.00
19.	तमिलनाडु	133000.00
20.	त्रिपुरा	34750.00
21.	उत्तर प्रदेश	1026500.00
22.	पश्चिम बंगाल	496200.00
23.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	1225.00
24.	अरुणाचल प्रदेश	1000.00
25.	चण्डीगढ़	50.00
26.	मिजोरम	2200 00
27.	पाण्डिचेरी	1350 00
	योग :	5696005.00

आदिवासी क्षेत्र में कृषि का विकास

4786. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना के दौरान आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासी उप-योजना के अन्तर्गत कृषि के विकास के लिए राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ख) उत्तरी बंगाल के पांच पिछड़े जिलों के लिए प्रस्तावित योजना में कृषि के विकास के लिए प्रस्तावित योजना का ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) यह जानकारी राज्य सरकार के पास उपलब्ध होगी ।

विवरण

छठी योजना 1980-85 के दौरान आदिवासी उपयोजना के तहत आदिवासी क्षेत्रों में कृषि विकास के लिए राज्यवार आबंटन

(लाख रुपये)

क्रम० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राज्य योजना में आदिवासी उप-योजना के लिए	विशेष केन्द्रीय सहायता	योग
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	2357.00	1200.00	3557.00
2.	असम	4557.50	990.00	5547.50

3.	बिहार	14443.00	2338.17*	16781.00
4.	गुजरात	15048.00	355.00*	15403.00
5.	हिमाचल प्रदेश	1176.00	53.00	1229.00
6.	कर्नाटक	940.00	92.11	1032.17
7.	केरल	666.20	145.00	811.20
8.	मध्य प्रदेश	25349.87	5380.80	30,730.67
9.	महाराष्ट्र	4725.11	108.10*	4833.21
10.	मणिपुर	2075.08	325.00	2400.08
11.	उड़ीसा	8648.67	3040.00	11688.67
12.	राजस्थान	2431.99	932.53	3364.52
13.	सिक्किम	452·10	59.00	511.10
14.	तमिलनाडु	438.46	226.00	664.46
15.	त्रिपुरा	2830.23	101.65	2931.88
16.	उत्तर प्रदेश	96.80**	+	96.80
17.	पश्चिम बंगाल	6119.66	1025.00	7144.66
18.	अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह	102.29	14.47	116.76
19.	गोवा दमन तथा दीव	31.13	28.87	60.00
	योग :	92,489.09	16,414.59	108,903.68

वन क्षेत्र और वन-रोपण कार्यक्रम

4787. **श्री कैयर भूषण :**

श्री मोहन लाल पटेल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971 में देश में कुल कितना वन-क्षेत्र था और अब कितना है;

(ख) दिनांक 1 जनवरी, 1981 से 31 जुलाई, 1981 तक की अवधि के दौरान कितने वन क्षेत्र की कटाई की गई;

(ग) दिनांक 1 जनवरी, 1981 से 31 जुलाई, 1981 की अवधि के दौरान वृक्ष-रोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने क्षेत्र में वृक्ष लगाये गये हैं; और

*अस्थायी, **विशेष केन्द्रीय सहायता सहित, +कालम 3 में शामिल किया गया है।

(घ) इस अवधि के दौरान देश में पेड़ों की कटाई और उनके रोपण का अनुपात क्या रहा ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) 1971 तथा 1981 में देश में कुल वन-क्षेत्र नीचे दिया गया है :—

वर्ष	लाख हैक्टेयर में वन क्षेत्र
1971	746
1981	751

(ख) से (घ) राज्य सरकारों से जानकारी मांगी गई है और उसे यथा समय सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

आदिवासी और हरिजन बहुल क्षेत्र में मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा दिया जाना

4788. **श्री कैयूर भूषण** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आदिवासी और हरिजन बहुल क्षेत्र में मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष में इस प्रयोजन के लिये कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है;

(ग) मध्य प्रदेश में इस योजना के लिये कितनी धनराशि की मंजूरी दी गई है और राज्य में किन-किन स्थानों पर यह योजना कार्यान्वित की जा रही है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी, हां । राज्य सरकारो से यह सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध किया गया है कि मछुआ विकास एजेंसी कार्यक्रम के अन्तर्गत गैर आदिवासी जिलों में अभिज्ञात किए गए लाभानुभोगियों में से 25 लाभानुभोगी अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के होने चाहिए तथा जिन जिलों में अनुसूचित जनजातियों की जन संख्या बहुतायत में है वहां अनुसूचित जन जातियों के लाभानुभोगी 50 प्रतिशत होने चाहिए ।

(ख) उपर्युक्त योजना हेतु चालू वर्ष (1981-82) के लिए केन्द्रीय बजट में 60 लाख रुपये का आवंटन किया गया है ताकि अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जन जातियों को उपरोक्त (क) में उल्लिखित सीमा तक लाभ पहुंचाया जा सके ।

(ग) और (घ) गहन मत्स्य पालन हेतु 25,000 हैक्टार जल क्षेत्र के विकास के लिए विश्व बैंक की सहायता से अन्तर्देशीय मात्स्यिकी परियोजना के क्रियान्तक हेतु 5.464 करोड़ रुपये का परिव्यय मंजूर किया गया है, जिसमें राज्य सरकार, भारत सरकार व कृषि पुनर्वित विकास

निगम का भाग भी शामिल है। यह परियोजना मध्य प्रदेश के 6 जिलों अर्थात बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़, रायपुर, राजन्दगांव तथा शहडोल में क्रियान्वित की जा रही है, जो प्रधानत: आदिवासी जिले हैं।

मछुआ विकास एजेंसियां मछुओं को जल क्षेत्रों के बन्दोबस्त, उनके प्रशिक्षण, मत्स्य तालाबों के सुधार व आदानों के लिए राज-सहायता के रूप में वित्तीय सहायता, विस्तार समर्थन की व्यवस्था, संस्थागत वित्त आदि के मामले में सहायता प्रदान करती है ताकि वे जलाशयों और तालाबों में मत्स्य का पालन शुरू कर सकें। इसके अतिरिक्त, प्रति वर्ष 740 लाख उत्तम डिम्पोना का उत्पादन करने वाली 4 वाणिज्यिक डिम्पोना हैचरियां स्थापित की जायेंगी तथा विस्तार कार्य में लगे कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए रायपुर स्थित विद्यमान प्रशिक्षण केन्द्र सुदृढ़ किया जायेगा।

दिल्ली में झुग्गी झौंपड़ी निवासियों को उजाड़ना

4789. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली नगर में झुग्गी-झौंपड़ी निवासियों को उजाड़ने की नीति अपनाई है;

(ख) यदि हां, तो गत कुछ महीनों के दौरान उजाड़े गए झुग्गी-झौंपड़ी निवासियों से सम्बन्धित ब्यौरा क्या है;

(ग) इन निस्सहाय लोगों को किन्हीं वैकल्पिक स्थानों पर बसाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(घ) क्या झुग्गी-झौंपड़ी निवासियों ने दिनांक 26 नवम्बर, 1981 को प्रधान मंत्री के निवास स्थान के सामने प्रदर्शन किया था; और

(ङ) यदि हां, तो उनकी मांग क्या थी और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इस बात से इन्कार किया है कि उन्होंने दिल्ली शहर में झुग्गी-झौंपड़ी वासियों को हटाने की एक नीति अपनाई है। तथापि, जब कभी भी ऐसी अनधिकृत वासिता उनके ध्यान में आती है इसके प्रबन्ध के अधीन भूमि में नये अनधिवासियों को हटा दिया जाता है। नवम्बर माह में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा तुगलकाबाद औद्योगिक क्षेत्र तथा कल्याणपुरी से नई झुग्गियां हटाई गई थीं। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि अधिकांश सभी झुग्गियां खाली थीं।

(घ) जी, हां।

(ङ) प्रदर्शनकारी झुग्गियों के गिराने पर रोक, झुग्गी निवासियों के लिये पुनर्वास सुविधायें आदि की माँगें कर रहे थे। मार्च, 1977 में विद्यमान दिल्ली के अवशेष पाकिटों में शेष बचे अनधिवासियों को पुनर्वास सुविधायें मुहैया कराने की सरकार की नीति है। भूमि तथा वित्त की कमी के कारण ऐसी योजनायें अनिश्चित काल तक जारी रखना सम्भव नहीं है।

सचेतक सम्मेलन

4790. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या संसदीय कार्य मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पहले सचेतकों का सम्मेलन नियमित रूप से हुआ करता था;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह सच है कि गत कुछ वर्षों से इस सम्मेलन का आयोजन नहीं किया जा रहा है;

(ग) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ऐसे सम्मेलन की उपयोगिता का महत्व समझती है; और

(ङ) यदि हाँ, तो सरकार का विचार कब सचेतक सम्मेलन का आयोजन करने का है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन विगत में समय-समय पर आयोजित किए जाते रहे हैं।

(ख) पिछला सचेतक सम्मेलन वर्ष 1972 में हुआ था।

(ग) विभिन्न कारणों से उसके बाद सम्मेलन का आयोजन करना सम्भव नहीं हुआ है।

(घ) जी, हाँ।

(ङ) अगले सम्मेलन के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

सरकारी आवास में ट्यूब-लाइट के दोषों को ठीक किया जाना

4791. **श्री एन० ई० होरो :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्वार्टर का कोई अलाटी ट्यूब-लाइट के दोष के बारे में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (पूछताछ) से शिकायत करता है, तो इस शिकायत पर इस आधार पर कार्यवाही नहीं की जाती कि सरकारी नियम के अनुसार वे केवल बल्बों और लाइन के दोष को ठीक करने के लिए ही कार्यवाही कर सकते हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस दोष के बारे में भी शिकायतों पर कार्यवाही करने के लिए विद्युत प्राधिकारियों को अनुदेश जारी करने के सम्बन्ध में विचार करेगी ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) सप्लाई प्वाईन्ट से ट्यूब-लाइट तक बिजली की तारों की खराबियों को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के विद्युत स्टाफ द्वारा ठीक किया जाता है। ट्यूब में स्वयं या इसके किन्ही भी उपकरणों की खराबियों को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के विद्युत स्टाफ द्वारा ठीक नहीं किया जाता।

(ख) सरकारी क्वार्टरों में दखलकारों द्वारा लगाई गई ट्यूबों तथा इसके उपकरणों की खराबियों को ठीक करने के लिए सहमति देना सरकार के लिए सम्भव नहीं है।

दूध के वार्षिक उत्पादन के बारे में सर्वेक्षण

4792. **श्री एन० ई० होरो** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दूध के वार्षिक उत्पादन के बारे में कोई राज्यवार सर्वेक्षण कराया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में दूध की प्रति व्यक्ति खपत से सम्बन्धित ब्यौरा क्या है और सरकार ने नगरों तथा कस्बों में दूध की सप्लाई से संबधित लक्ष्य को कहां तक प्राप्त किया है?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) दुग्ध उत्पादन के आँकड़ों के लिए उपयुक्त सांख्यिकी प्रणाली विज्ञान विकसित करने के उद्देश्य से भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद) ने 1960 से शुरू होने वाले दशक के दौरान कुछ राज्यों में तदर्थ सर्वेक्षण किए थे। हाल ही में कुछ राज्य पशु पालन निदेशालयों ने भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान की प्रणाली विज्ञान का उपयोग करके दुग्ध के वार्षिक उत्पादन के आँकड़े निकालने के लिए सर्वेक्षण किए हैं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन ने अपने तीसवें दौर में, जुलाई 1975 से जून 1976 तक की अवधि के दौरान, पशुधन-संख्या, उत्पादों तथा पशु-उत्पादों के उत्पाद और खपत के संबंध में एक सर्वेक्षण किया था।

(ख) देश में उत्पादन किए जा रहे समूचे दूध की तरल दूध अथवा दुग्ध उत्पादों के रूप में खपत हो जाती है, अतः 1979-80 के अन्तिम दुग्ध उत्पादन आँकड़े तथा 1980 के प्रत्याशित जनसंख्या के आधार पर प्रति व्यक्ति दैनिक उपलब्धि के आँकड़े राज्यवार निकाले गये हैं। प्रति व्यक्ति उपलब्धि के आँकड़े उन राज्यों के संबंध में हैं जहाँ सर्वेक्षण किए गए हैं और उन अन्य राज्य के संबंध में भी हैं जहाँ सर्वेक्षण के वास्तविक अनुमान न होने से राज्यों द्वारा प्रस्तावित अन्य सरकारी अनुमानों का प्रयोग किया गया है। प्रति व्यक्ति दैनिक उपलब्धि से संबंधित आंकड़े संलग्न विवरण–I में दिए गए हैं।

उपभोक्ताओं को दूध सप्लाई करने के लिए डेरी संयंत्रों के स्थान के बारे में निर्णय संबंधित राज्य सरकारों/राज्य एजेंसियों द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ दूध की उपलब्धि पर

विचार करने के बाद निर्णय किया जाता है। 1979 के दौरान देश की सभी डेरी संयंत्रों की प्रतिस्थापित क्षमता प्रतिदिन 96.78 लाख लिटर थी। 1980 के दौरान यह क्षमता बढ़कर 111.36 लाख लिटर दैनिक हो गई। 2 वर्षों में क्रमश: 64.14 प्रतिशत तथा 62.08 प्रतिशत क्षमता का उपयोग किया गया। आपरेशन फ्लड–2 के तहत, एक लाख तथा उससे अधिक की जनसंख्या, वाले सभी शहरों, 1971 में की गई जन गणना के अनुसार, में दुग्ध विपणन व्यवस्था स्थापित करने का विचार है।

विवरण

राज्यवार प्रति व्यक्ति दूध की दैनिक उपलब्धि (ग्राम) को दर्शाने वाला विवरण

क्र० सं०	राज्य	प्रति व्यक्ति दूध की दैनिक उपलब्धि (ग्राम)
1.	आन्ध्र प्रदेश	98
2.	असम	65
3.	बिहार	76
4.	गुजरात	179
5.	हरियाणा	437
6.	हिमाचल प्रदेश	201
7.	केरल	92
8.	कर्नाटक	188
9.	महाराष्ट्र	69
10.	पंजाब	531
11.	उड़ीसा	25
12.	राजस्थान	259
13.	तमिलनाडु	109
14.	उत्तर प्रदेश	149
15.	जम्मू तथा काश्मीर	110
16.	मध्य प्रदेश	117
17.	पश्चिम बंगाल	62
18.	नागालैंड	13
19.	त्रिपुरा	21
20.	मेघालय	115
21.	मणिपुर	112
22.	सिक्किम	16
	अखिल भारत :	125

मध्य प्रदेश, उड़ीसा और बिहार में वन-क्षेत्र की प्रतिशतता

4793. **श्री एन० ई० होरो :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश, उड़ीसा और बिहार में वन-क्षेत्र की प्रतिशतता से सम्बन्धित ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार वन-क्षेत्र का अन्य किन्हीं और कामों में उपयोग कर लेने से इस क्षेत्र को हुई हानि की चरणबद्ध और नियमित ढंग से क्षतिपूर्ति की जा रही है;

(ग) क्या सरकारी गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार, वन-कटाई और वन-रोपण के क्षेत्र में हुई प्रगति के बारे में बताने की स्थिति में है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) बिहार, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा में कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में वन-क्षेत्र की प्रतिशतता नीचे दी गई है।

बिहार	16.8
मध्य प्रदेश	35.1
उड़ीसा	38.6

(ख) इस बात पर ध्यान दिये बगैर कि अन्य प्रयोजनों के लिए इस भूमि को उपयोग में लाने से वन क्षेत्र में कमी हुई है, वनों के अन्तर्गत अधिक से अधिक क्षेत्र लाने के सतत प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(ग) तथा (घ) मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा बिहार में गत तीन वर्षों के दौरान पुनर्वनरोपण तथा वन-रोपण के क्षेत्र में की गई प्रगति संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

1979-80 से 1981-82 तक वानिकी क्षेत्र में पुनर्वनरोपण तथा वन-रोपण के क्षेत्र में की गयी प्रगति

राज्यों का नाम	वन-रोपण (हैक्टार)	व्यय (लाख रुपए में)
बिहार :		
1979–80	7460	112.35
1980–81	10273	164.50
1981–82 (टी)	11727	213.00

उड़ीसा :		
1979–80	33150	254.05
1980–81	26650	207.51
1981–82 (टी)	37500	250.00
मध्य प्रदेश :		
1979–80	10635	203.42
1980–91	13300	287.00
1981–82	35500	698.60

(टी) परिव्यय/लक्ष्य से संबंधित है ।

सरकारी कालोनियों में जल प्रभार

4794. **श्री आर० एन० राजेश** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसी सरकारी कालोनियों से संबंधित ब्यौरा क्या है जिसमें पानी के मीटर नहीं लगे हुए हैं और आबंटियों के वेतन से जल-प्रभार के रूप में समान-दर वसूल की जाती है;

(ख) क्या भिन्न-भिन्न कालोनियों में जल-प्रभार की दरों में कोई अन्तर है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) पानी के प्रभार कुल वास्तविक खपत के आधार पर निकाले जाते हैं । यह खपत हर कालोनी में भिन्न-भिन्न होती है ।

विवरण

उन सरकारी कालोनियों का विवरण जिनमें पानी के मीटर नहीं लगाये गये हैं और आबंटियों से पानी के प्रभारों के लिए फ्लेट दर वसूल की जाती है

क्र. सं.	कालोनी का नाम
1.	144 टाईप-1 क्वार्टर (चार मंजिले), काली बाड़ी मार्ग, डी० आई० जेड० क्षेत्र, नई दिल्ली एच० पाकेट नं० 33-38, 97-192, 1-33 ।
2.	क्लाईव स्क्वेयर में के० पाकेट, टाईप-1 के 160 क्वार्टर (चार मंजिले) ।
3.	दिल्ली/नई दिल्ली में टाईप-1 के बिना मीटरों के क्वार्टर (चार मंजिले क्वार्टरों को छोड़कर) ।

4. दिल्ली/नई दिल्ली में टाईप-1 के दफ्तरी टाइप क्वार्टर (चार मंजिले क्वार्टरों को छोड़कर)।
5. ताल कटोरा बाग (गार्डन) में 47 माली क्वार्टरों के लिए शौचालय ब्लाक।
6. डी० आई० जेड० क्षेत्र नं० 783-446, 64 बहुमंजिले क्वार्टर।
7. डी० आई० जेड० क्षेत्र में डूम्स तथा बारादरी के लिए सांझा शौचालय ब्लाक।
8. त्यागराज नगर में नं० 1-128 (128 बहुमंजिले क्वार्टर)।
9. तिमारपुर में संख्या 665-696, 697-792 में 28 (बहुमंजिले क्वार्टर)।
10. सादिक नगर में 48 बहुमंजिले क्वार्टर संख्या 209-256।
11. एण्ड्रूजगंज में 64 बहुमंजिले क्वार्टर संख्या 105-136, 301-332।
12. मिन्टो रोड में 495 बहुमंजिले क्वार्टर।
13. महरौली-बदरपुर रोड, ब्लाक नं० 29-31, 37-40 में 105 टाईप-1 बहुमंजिले क्वार्टर (प्रत्येक ब्लाक में 15 क्वार्टर)।
14. महरौली-बदरपुर रोड, सेक्टर 3 में 168 दो मंजिले क्वार्टर संख्या 1209 से 1306।
15. महरौली-बदरपुर रोड में 400 बहुमंजिले क्वार्टर।
16. महरौली-बदरपुर रोड, सेक्टर-3 में 168 दुमंजिले क्वार्टर नं० 1209-1376=168.
17. इलगजेण्डर प्लेस (एक कमरे का) (गिराये जा चुके हैं)
18. —वही—
19. एवर्डसन रोड, चेम्बरी, रामाकृष्ण आश्रम मार्ग।
20. श्री निवासपुरी में 756 क्वार्टर।
21. तिमारपुर में 80 टाईप-11 ए० क्वार्टर संख्या 1-80.
22. तिमारपुर में 84 टाईप-2 ए० क्वार्टर संख्या 81-164
23. तिमारपुर में 56 टाईप-2 ए० क्वार्टर संख्या 309-344, 365-385.
24. तिमारपुर में 400 बहुमंजिले क्वार्टर संख्या 1015-1414.
25. तिमारपुर में 52 बहुमंजिले क्वार्टर संख्या 1889-1940.
26. डी० आई० जेड० क्षेत्र (सेक्टर-डी०) 192 बहुमंजिले क्वार्टर संख्या 451-506, 571-706.
27. उत्तर पश्चिमी मोती बाग में 96 बहुमंजिले क्वार्टर संख्या 1-96.
28. काली बाड़ी मार्ग, जे० पाकेट, डी० आई० जेड० क्षेत्र में 360 क्वार्टर सं० 193-552.
29. मंदिर मार्ग, डी० आई० जेड० क्षेत्र में 343 बहुमंजिले क्वार्टर सं० 553-717, 733-897, 948-957.
30. बाबा खड़ग सिंह मार्ग, डी० आई० जेड० क्षेत्र में 30 बहुमंजिले क्वार्टर।
31. सादिक नगर में 344 बहुमंजिले क्वार्टर सं0 177-208, 257-268.

32. एलवर्ट तथा फ्रेन्च स्क्वेयर डी० आई० जेड० क्षेत्र में सी० सेक्टर में 210 बहुमंजिले क्वार्टर सं० 141-326, 351-380

33. महरौली-बदरपुर रोड चरण-1 में 240/255 क्वार्टर सं० (ब्लाक) 1-8, 57-64 प्रत्येक ब्लाक में 15 क्वार्टर ।

34. महरौली-बदरपुर रोड में 60 बहुमंजिले क्वार्टर, ब्लाक सं० 53-56, प्रत्येक ब्लाक में 15 क्वार्टर ।

35. सादिक नगर में बहुमंजिले क्वार्टर सं० 617-744, 865-888, 841-864.

36. मोहम्मदपुर (आर० के० पुरम) में 72 दुमंजिले क्वार्टर 1-40, 73-104.

37. बाबा खड़ग सिंह मार्ग में 10 बहुमंजिले क्वार्टर, ।

38. एलेग्जेण्डर रोड (दो कमरों का) ।

39. एड्रूजगंज में 348 क्वार्टर ।

40. श्रीनिवासपुरी में 4 फ्लैट संख्या 1-4

41. श्रीनिवासपुरी में दुकानों के ऊपर के सभी फ्लैट ।

42. एन्ड्रूजगंज में दुकानों के ऊपर के सभी फ्लैट संख्या 1-7=7.

43. तिमारपुर (लैंसर रोड) 64 टाईप-2 बी० क्वार्टर संख्या 1 से 64.

44. तिमारपुर दिल्ली में 120 टाईप-2-एफ० क्वार्टर संख्या 1-120.

45. नेताजी नगर में 4 सी० एस० क्वार्टर संख्या सी० एस० 25 से सी० एस० 28.

46. डी० आई० जेड० क्षेत्र सेक्टर डी० में 168 बहुमंजिले क्वार्टर ।

47. तिमारपुर में 160 बहुमंजिले क्वार्टर संख्या 1 से 160.

48. प्रोविन्द रोड, तिमारपुर में 64 बहुमंजिले क्वार्टर संख्या 1 से 64.

49. उत्तरन्पश्चिम मोती बाग में 112 बहुमंजिले क्वार्टर संख्या 1 से 112.

50. नानकपुरा, नई दिल्ली में 144 बहुमंजिले क्वार्टर संख्या जी० 217-320, एफ० 305-320, एफ० 345-368.

51. सादिक नगर, सेक्टर-1 में 1 से 16-17 से 144, 145-224 तथा सेक्टर-2. 35-144, 336 बहुमंजिले क्वार्टर ।

52. सादिक नगर, सेक्टर-III में संख्या 153-272, 321-368 ।

53. सादिक नगर सेक्टर-III में 52-III टाईप- बहुमंजिले क्वार्टर ।संख्या 297-320, 273-296, 258-262, 266-270.

54. मिन्टो रोड में 330 बहुमंजिले मकान ।

55. बाबा खड़ग सिंह मार्ग में 140 बहुमंजिले क्वार्टर सं०। 701-714, 716-729, 746-759, 761-774, 776-799, 791-804, 806-819, 821-834, 836-840, 851-864,

56. बाबा खड़ग सिंह मार्ग में बहुमंजिले क्वार्टर संख्या 611-624, 626-639, 641-654, 656-669, 671-684, 686-699, 731-744।

57. हनुमान रोड में 192 बहु मंजिले क्वार्टर 1-192.

58. बाबा खड़ग सिंह मार्ग में 28 बहुमंजिले मकान संख्या 673-699.

59. लोधी रोड काम्पलेक्स में 399 बहुमंजिले क्वार्टर संख्या 1-240, 271-330, 331-429।

60. डी०आई०जेड० क्षेत्र में फोर स्क्वेयर में 64 बहु मंजिले क्वार्टर सख्या 1 से 64 तक।

61. महरौली-बदरपुर रोड पर 30 गहुमंजिले क्वार्टर, ब्लाक नं० 106-107, 9-17, 16-81.

62. महरौली-बदरपुर रोड पर 400 बहुमंजिले क्वार्टर सेक्टर-5, संख्या 1 से 400 तक

63. श्रीनिवास पुरी की दुकानों के ऊपर फ्लैट नं० 1.

64. एन्ड्रूजगंज की दुकान संख्या 40 के ऊपर फ्लैट संख्या 8.

65. डी० आई० जेड० एरिया, पेशवा रोड 8-मंजिले क्वार्टर टाईप-5 के 124 क्वार्टर।

66. सीमल बाग स्पाटमेंट डी० आई० जेड० क्षेत्र में 60 टाईप-4 (8-मंजिले) क्वार्टर।

67. सादिक नगर में 1 से 152 तक बहुमंजिले क्वार्टर।

68. सेक्टर-3 आर० के० पुरम में 80 क्वार्टरों के अतिरिक्त 164 बहुमंजिले।

69. उत्तर पश्चिम मोती बाग में 80 क्वार्टर।

70. उत्तर पश्चिम मोती बाग में 33-112, 80 बहुमंजिले क्वार्टर।

71. महरौली-बदरपुर रोड में 22-25=15 क्वार्टर प्रत्येक ब्लाक में कुल 60 क्वार्टर।

72. जयपुर हाउस सूट नं० 55 तथा 56, 15 सूट 2 सर्वेंट क्वार्टर, 17 सूट 51-54, 67-79, 19 सूट 2 सर्वेंट क्वार्टर, 82-119.

73. सुजानसिंह पार्क, डबल सूट, सिंगल सूट, सर्वेंट क्वार्टर।

74. एन्ड्रूजगंज में डी-II फ्लैटों के सर्वेंट क्वार्टर।

75. भारती नगर तथा रवीन्द्र नगर में डी०-1 फ्लैटों के सर्वेंट क्वार्टर।

76. चाणक्य पुरी में डी०-1 फ्लैटों के सर्वेंट क्वार्टर।

77. चाणक्य पुरी में 281-378 डी०-II फ्लैटों के सर्वेंट क्वार्टर, कार्नवालस रोड, काका नगर, किदवई नगर पश्चिमी (1-64), नेताजी नगर ए०, बी० और ए० एवेन्यू, मीना बाग, मोती बाग बी-1, बी-56, सी-1-36, पण्डारा रोड और शाहजहां रोड।

78. किदवई नगर पूर्वी में 112 सर्वेंट क्वार्टर।

79. मोती बाग में डी०-II फ्लैट ए०१29-80 के सर्वेंट क्वार्टर।

80. आर० के० पुरम बहुमजिले फ्लैटों के सर्वेंट क्वार्टर ।

81. किदवई नगर पूर्वी में सर्वेंट क्वार्टरों के अलावा डी०-II फ्लैट नं० 17-52, 77-112.

82. आर०के० पुरम में बहुमंजिले फ्लैट ।

83. शाहजहां और तिलक मार्ग में सी-II फ्लैट।

84. शाहजहां रोड में 17 बहुमंजिले फ्लैट

85, शाहजहां रोड के 17 बहुमंजिले फ्लैटों के सर्वेंट क्वार्टर ।

86. आर० के० पुरम में बहुमंजिले फ्लैट ।

87. वेलीज़ली रोड के सी०-II फ्लैटों के सर्वेंट क्वार्टर ।

विकलांग व्यक्तियों को आबंटन के लिए मकानों का कोटा

4795. **श्री आर० एन० राकेश : क्या निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने इस अन्तर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष के दौरान राजधानी में मकानों के आबंटन में विकलांग व्यक्तियों के लिए कोई कोटा निर्धारित करने संबंधी अपनी नीति की घोषणा की है;

(ख) क्या सरकार का विचार विकलांग बच्चों के मामलों पर ध्यान न देने का और इस सम्बन्ध में उनके अभिभावकों के साथ सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाने का है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितने विकलांग बच्चों के अभिभावकों के बारे में विचार किया गया है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा रिलीज किये गये फ्लैटों में से एक प्रतिशत फ्लैट शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के आबंटन के लिये आरक्षित किये जाते हैं। यह कोटा जनवरी, 1979 में निर्धारित किया गया था।

(ख) आरक्षण का लाभ उन लोगों को भी दिया जाता है जिनका कोई भी आश्रित बच्चा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के वर्ग में आता हो।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि जिन व्यक्तियों को उनके बच्चों के विकलांग होने के आधार पर फ्लैट आबंटित किये जाते हैं उनका अलग से रिकार्ड नहीं रखा जाता है।

पंजाब में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम योजना

4796. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान पंजाब में कार्यान्वित करने के लिये कोई ग्रामीण समेकित विकास और रोजगार योजनाएं बनाई गई थीं;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उनके क्या परिणाम रहे ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) जी, हां।

(ख) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम केन्द्र द्वारा प्रायोजित दो मुख्य ग्रामीण विकास/ग्रामीण रोजगार की योजनाएं हैं जो चालू वर्ष के दौरान पंजाब में कार्यान्वित की जा रही हैं। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लक्षित वर्ग के चुने परिवारों को अपनी आय निर्धनता की रेखा से ऊपर पहुंचाने के लिये सहायता सुलभ की जाती है। लक्षित वर्ग में ग्रामीण कारीगर तथा शिल्पी, कृषि श्रमिक, सीमान्त कृषक, लघु कृषक, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति आदि शामिल हैं जो कि निर्धनता की रेखा से नीचे हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषि, पशुपालन, लघु सिंचाई, कोशकीट पालन, बागबानी, मछली पालन, लघु तथा कुटीर उद्योग और वास्तविक रूप से प्राथमिक, द्वितीय तथा तृतीय क्षेत्रों में कोई भी आर्थिक गतिविधि जिससे लक्षित परिवारों की आय में वृद्धि होने की सम्भावना है, सहायता के लिये पात्र हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का उद्देश्य वर्ष के रोजगार के अभाव के समय में काम की खोज करने वालों को रोजगार के पूरक अवसर सुलभ करना है। इसके साथ-साथ, इसका उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा गरीब ग्रामीणों के आय स्तर में धीरे-धीरे वृद्धि करने हेतु स्थायी सामुदायिक परिसम्पत्तियों का सृजन करना भी है।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

चालू वर्ष (1981-82) के दौरान पंजाब में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत हुई प्रगति को दर्शाने वाला विवरण

(क) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

(लाख रुपये में)

राज्य का नाम	आबंटन का केन्द्रीय अंश	बंटित धनराशि	उपयोग में लाई गई धन-राशि	सहाय्यित लाभभोगी	जुटाया गया आवधिक
पंजाब	351.00	175.50	192.51+ + सितम्बर, 1981 तक	28371+	464.00+

(ख) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम

राज्य का नाम	आबंटित/ बंटित खाद्यान्नों की मात्रा (मीटरी टन)	उपयोग में लाए गए खाद्यान्नों की मात्रा (मीटरी टन)	बंटित नकद निधियां (लाख रुपये में)	उपयोग में लाई गई नकद निधियां	सृजित रोजगार (लाख श्रम-दिनों में)
(I)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पंजाब	2,150	520·16	126.00	129.50	0.02

नोट : 1. कालम 2 से 5 में सूचना अगस्त, 1981 तक की है ।

2. कालम (6) में सूचना जून 1981 तक की है ।

रावी, व्यास और सतलुज से राजस्थान को पानी

4797. **आचार्य भगवान देव** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 11 नवम्बर से 30 नवम्बर तक की रबी-पूर्व बुवाई की अवधि के दौरान राजस्थान को रावी, व्यास और सतलुज सिस्टम से नहरों द्वारा कितने पानी की सप्लाई की गई;

(ख) गत वर्ष के समान अवधि में कितने पानी की सप्लाई की गई थी; और

(ग) राज्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भविष्य में राजस्थान को कितना पानी दिए जाने का प्रस्ताव है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज़ियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) भाखड़ा-व्यास प्रबन्ध बोर्ड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, राजस्थान को 11 नवम्बर से 30 नवम्बर, 1981 तक की अवधि के दौरान 2,40,491 क्यूसेक दिन जल प्राप्त हुआ और पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 1,58,230 क्यूसेक दिन जल प्राप्त हुआ था ।

(ग) भविष्य में भी, राजस्थान को जल की उपलब्धता और राज्य के अधिकार के अधीन सिंचाई जल की सप्लाई की जाएगी ।

उड़ीसा के जिलों में समेकित ग्रामीण विकास परियोजनाओं को 1981-82 के दौरान लागू करना

4798. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के विभिन्न जिलों में 1981-82 के दौरान समेकित ग्रामीण विकास परियोजनाओं को लागू करने के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष में विभिन्न ग्रामीण विकास परियोजना कार्यक्रमों को लागू करने के लिये उन जिलों ने वास्तव में कितनी धनराशि खर्च की है;

(ग) ग्रामीण विकास परियोजनाओं को निर्धारित समय में पूरा करने के लिए केन्द्र या राज्य द्वारा उन जिलों को दिए गए मार्गनिर्देश क्या हैं; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) व (ख) वर्ष 1981-82 के लिए निधियों के राज्यवार आवंटन, अभी तक वंटित केन्द्रीय अंश तथा 30-9-1981 तक उपयोग में लाई गई सूचित धनराशि को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है (विवरण-1)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 3165/81]

(ग) व (घ) 7 मार्च, 1981 के अ० शा० पत्र एस० 11011/52/80-आई० आर० डी० (3) के अन्तर्गत 1981-82 के लिए वार्षिक कार्यवाही योजना के सम्बन्ध में जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों तथा 27 अप्रैल, 1981 के अ० शा० पत्र संख्या 14015/1/ 81-आई० आर० डी० (1) के अन्तर्गत निधियों के समय से उपयोग किए जाने हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित पद्धति की एक एक प्रति संलग्न है (विवरण-2 व 3)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 3165/81]

ग्रामीण पुनर्निर्माण का कार्यान्वयन

4799. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान देश में ग्रामीण पुनर्निर्माण के कार्यान्वयन के लिए कुल कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ख) उड़ीसा सरकार को इस योजना अवधि में राज्य में ग्रामीण पुनर्निर्माण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए उड़ीसा के लिए निर्धारित केन्द्रीय सहायता की कुल कितनी धनराशि अब तक प्रदान की गई है;

(ग) वहां कौन-कौन से विभिन्न ग्रामीण पुनर्निर्माण कार्यक्रम शुरू किए गए हैं; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) छठी योजना के दौरान ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय के कार्यक्रमों के लिए केन्द्रीय क्षेत्र में 2542.46 करोड़ रुपए की धनराशि सुलभ की गई है।

(ख) उड़ीसा में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम जैसे वृहद कार्यक्रमों के लिए अब तक 22.58 करोड़ रुपए की धन-राशि वंटित की गई है।

(ग) व (घ) राज्य में कार्यान्वित किए जा रहे ग्रामीण पुनर्निर्माण के मुख्य कार्यक्रम निम्न प्रकार हैं :—

(1) **समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम :—**

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है । छठी योजना के दौरान प्रत्येक खण्ड में लघु/सीमान्त किसानों, कृषकों, ग्रामीण कारीगरों आदि से सम्बन्धित कम से कम 3000 परिवारों को उपदानों तथा संस्थागत ऋण के प्रावधान के माध्यम से सहायता की जायेगी ताकि वे सक्षम आर्थिक गतिविधियों को शुरू कर सकें । उपदान की. दर छोटे किसानों के लिए परियोजना की पूंजी लागत की 25 प्रतिशत, सीमान्त किसानों, कृषि श्रमिकों आदि के लिए 33$\frac{1}{3}$ प्रतिशत है और यह अधिक से अधिक 3000 रुपये तक दिया जा सकता है । आदि-वासियों के लिए उपदान की दर 50 प्रतिशत तथा अधिक से अधिक यह 5000 रुपये तक दिया जा सकता है। कम से कम 30 प्रतिशत लाभभोगी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए जाने हैं तथा इन वर्गों को ऋण तथा उपदानों के रूप में दिए जाने वाले लाभों का कम से कम 30 प्रतिशत भाग प्राप्त होना है। यह कार्यक्रम सम्पूर्ण उड़ीसा राज्य में लागू है। सम-न्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के व्यय को केन्द्र तथा राज्य के बीच बराबर-बराबर के आधार पर बांटा जाता है।

(2) **राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम :—**

"राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम" ने 2 अक्तूबर, 1980 से "काम के बदले अनाज कार्य-क्रम" का स्थान ले लिया है। कार्यक्रम का मूल उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त रोजगार सृजित करना है तथा स्थायी सामुदायिक परिसम्पत्तियों का सृजन करना है जिससे समाजार्थिक विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाया जा सके। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के समाजार्थिक जीवन पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालने वाली परि-सम्पत्तियों के निर्माण के लिए 10 प्रतिशत परिव्यय निर्धारित किया गया है। राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों का आवंटन, कृषि श्रमिकों तथा सीमान्त किसानों की संख्या के लिए 75 प्रतिशत बल तथा राज्य में निर्धनता के प्रभाव पर 25 प्रतिशत बल देते हुए किया जाता है। यह कार्यक्रम पूरे उड़ीसा राज्य में कार्यान्वित किया जा रहा है। 1-4-1981 से योजना के व्यय को केन्द्र तथा राज्यों के बीच बराबर-बराबर के आधार पर वहन किया जाता है।

(3) **सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम :—**

इस केन्द्रीय प्रायोजित योजना के मुख्य घटक ये हैं :—

(1) सिंचाई संसाधनों का विकास तथा प्रबंध।

(2) भूमि तथा जल संरक्षण तथा वनरोपण ।

(3) फसल प्रतिमान की पुनः संरचना तथा चरागाह विकास ।

(4) शुष्क भूमि पर खेती की तकनीकों को लोकप्रिय बनाना ।

(5) पशुधन विकास, तथा

(6) लघु तथा सीमान्त कृषकों तथा भूमिहीन श्रमिकों आदि का विकास करना ।

उड़ीसा के 25 खण्डों में यह कार्यक्रम चल रहा है । इस कार्यक्रम के व्यय को केन्द्र तथा राज्य के बीच बराबर-बराबर के आधार पर वहन किया जाता है ।

विकास मिनार के कार्यालयों को अन्य स्थान पर ले जाना

4800. **श्री के० ए० राजन** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के कुछ विभागों और कार्यालयों को इसके विकास मिनार भवन से किसी अन्य स्थान पर ले जाया गया है तथा ले जाया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) पहले ही स्थानान्तरित किए गए कार्यालय — जिस जगह स्थानान्तरित किए गए

1. संयुक्त निदेशक (लाटरी)
2. समन्वय अधिकारी (हर्जाना) } अन्तर्राज्यीय बस अड्डा ।
3. लेखा अधिकारी (हर्जाना)
4. उपनिदेशक (भूमि सुरक्षा ब्रांच)
5. निदेशक (यातायात तथा परिवहन) } विकास कुटीर ।
6. अधीक्षक इन्जीनियर (परिमण्डल-5)

नजफगढ़ रोड, दिल्ली पर स्थित अनधिकृत कालोनियों के लिए पानी की लाइनों की व्यवस्था

4801. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नजफगढ़ रोड पर स्थित अनधिकृत/आंशिक रूप से स्वीकृत कालोनियों में पानी और जल निकासी की लाइनें बिछाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इन कालोनियों में यह सुविधा कब तक प्रदान कर दी जाएगी;

(ग) उसकी शर्तें क्या होंगी; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (घ) दिल्ली जलपूर्ति तथा मल व्ययन संस्थान ने कहा है कि मंजूरशुदा कालोनियों में जल तथा मल जल लाइनों की व्यवस्था करने के प्रश्न पर तभी विचार किया जा सकता है जब लाभ भोगी विकास प्रभारों का भुगतान करेंगे। गैर मंजूर शुदा कालोनियों के मंजूर होने पर विकास प्रभारों के भुगतान पर ये सेवायें उन्हें मुहैया करायी जा सकती हैं।

छठी योजना में सिंचाई परियोजनाओं का पूरा किया जाना

4802. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना के दौरान प्रत्येक राज्य में सिंचाई हेतु पूरी की जाने के लिए प्रस्तावित सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस समय प्रत्येक राज्य में कितने प्रतिशत भूमि के लिए सिंचाई की व्यवस्था है और छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कितने प्रतिशत भूमि के लिए सिंचाई की व्यवस्था हो जाने की आशा है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) तीन विवरण संलग्न हैं जिनमें उन वृहद् सिंचाई परियोजनाओं (विवरण–एक), [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 3166/81]; मध्यम सिंचाई परियोजनाओं (विवरण–दो) [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 3166/81] तथा लघु सिंचाई परियोजनाओं (विवरण–तीन) [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 3166/81] का राज्यवार ब्यौरा दिया गया है, जिनके छठी योजना की अवधि के दौरान पूरा हो जाने की सम्भावना है।

(ख) बृहद, मध्यम तथा लघु सिंचाई परियोजनाओं से राज्यवार, अन्ततः सृजनीय क्षमता, 1.4.1981 तक सृजित क्षमता तथा उसकी प्रतिशतता, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान अतिरिक्त क्षमता के लक्ष्य तथा छठी योजना के अन्त में प्रतिशतताओं को दर्शाने वाला विवरण (विवरण–चार) [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 3166/81] संलग्न है।

कागज और लुगदी मिलों के लिए बांस

4803. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने राज्यों से देश में कागज और लुगदी की विद्यमान मिलों की मांग को पूरा करने के लिए इस समय बांस की उपलब्ध मात्रा के बारे में जानकारी भेजने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार गैर सरकारी और सरकारी क्षेत्र की कागज तथा लुगदी की मिलों के नाम क्या-क्या हैं तथा इन मिलों के लिए प्रति वर्ष बांस की कितनी-कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है;

(ग) क्या देश में उपलब्ध बांस की विद्यमान मिलों को वर्तमान और भविष्य की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है या इसकी सप्लाई कम है; और

(घ) यदि विद्यमान मिलों के लिए बांस आदि सामान की सप्लाई कम है, तो बांस पर आधारित नए उद्योगों को कैसे स्वीकृति प्रदान की गई है और आशय पत्र जारी किए गए हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) राज्यों को कहा गया था कि वे 20,000 मीटरी टन से अधिक वार्षिक क्षमता वाली मिलों को सप्लाई किए गए बांस के बारे में सूचना भेजें।

(ख) अब तक मिलों द्वारा सूचित की गई आवश्यकता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दे दिया गया है।

(ग) बांस की आपूर्ति कम है क्योंकि इसे कागज और लुगदी मिलों के अलावा कई उपयोगों में लाया जाता है।

(घ) नये उद्योगों के लिए आशय पत्र उद्योग मंत्रालय द्वारा कच्चे माल की सतत आधार पर उपलब्धि का पता लगाने के बाद जारी किए जाते हैं।

विवरण

राज्य का नाम	मिल का नाम	बांस की बताई गई आवश्यकता
मध्य प्रदेश	1. नेपा मिल्स लि०, नेपानगर	60,000 मीटरी टन
उड़ीसा	2. सेवा पेपर्स, भुवनेश्वर	35,000 मीटरी टन (एयर ड्राई)
	3. स्ट्रा प्रोड्क्ट्स लि०, रायगाडा	91,289 मीटरी टन
	4. ओरियन्ट पेपर मिल्स, ब्रजराजनगर	1,22,500 टन
उत्तर प्रदेश	5. सेंचुरी पल्प एण्ड पेपर लाल-कुआं, समीप नैनीताल	1,50,000 मीटरी टन (जिसमें शंकुधारी माल भी शामिल है)
	6. स्टार पेपर मिल्स, लि० सहारनपुर	उपयोग में नहीं ला रहे, चूंकि यह उत्तर प्रदेश में उपलब्ध नहीं है।
असम	7. हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन, नौगांव	2,66,000 टन (एयर ड्राई)
	8. हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन, कछार	2,70,000 मीटरी टन
	9. अशोक पेपर मिल्स, जोधीगोपा	1,45,000 मीटरी टन (एयर ड्राई)

कर्नाटक	10. हरिहर पोली फाइबर्स, हरिहर	बांस का उपयोग बिलकुल नहीं किया जाता ।
	11. मैसूर पेपर मिल्स लि०, भद्रावती	50,000 मीटरी टन
	12. वैस्ट कोस्ट पेपर मिल्स, डाण्डेली	89,000 मीटरी टन
तमिलनाडु	13. सेशासाई पेपर एण्ड बोर्डस, लि० इरोड	47,000 मीटरी टन
केरल	14. ग्वालियर रेयन्स लि०, मवूर	60,000 मीटरी टन (एयर ड्राई)
	15. केरल न्यूज प्रिंट लि०, वेलूर	1,05,000 मीटरी टन
	16. पुनालूर पेपर मिल्स लि०, पुनालूर	1,05,000 मीटरी टन (एयर ड्राई)
महाराष्ट्र	17. लक्ष्मी बोर्ड एण्ड पेपर मिल्स लि०, कल्याण	बांस का उपयोग नहीं कर रहे हैं ।
	18. बल्लारपुर इण्डस्ट्रीज बल्लारपुर डिवीजन	1,45,000 मीटरी टन
	19. सेंट्रल पल्प मिल्स लि०, शिवाजी नगर, पुणे	1,00,000 मीटरी टन
आन्ध्र प्रदेश	20. सिरपुर पेपर मिल्स लि०, सिरपुर, कागजनगर	1,20,000 मीटरी टन
	21. आन्ध्र प्रदेश पल्प एण्ड पेपर मिल्स लि०, राजामुन्द्री	1,10,000 मीटरी टन(एयर ड्राई)
	22. रायलसीमा पेपर मिल्स लि०, आडोनी	55,000 मीटरी टन (एयर ड्राई)
	23. भद्राचलभ पेपर्स एण्ड बोर्डस लि०, भद्राचलम	70,000 मीटरी टन (एयर ड्राई)
गुजरात	24. रोहित पल्प एण्ड पेपर मिल्स, खाडकी, उडवाडा	35,000 मीटरी टन (एयर ड्राई)
हरियाणा	25. बल्लारपुर इण्डस्ट्रीज, (श्रीगोपाल डिवीजन) यमुनानगर	बांस का इस्तेमाल नहीं कर रहे ।

पश्चिम बंगाल	26. बंगाल पेपर मिल्स कम्पनी, रानीगंज	75,000 मीटरी टन
	27. इंडुआ पेपर एण्ड पल्प कम्पनी, नैहासी	48,000 मीटरी टन (बोन ड्राई)
	28. टाटाघर पेपर मिल्स, टाटाघर	73,426 मीटरी टन (एयर ड्राई)

भूमि सुधार के बारे में राष्ट्रीय मार्गदर्शी सिद्धान्त

4804. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार द्वारा अपनाए गए तथा उनके द्वारा राज्यों को कार्यान्वयन के लिए जारी किए गए भूमि सुधार सम्बन्धी राष्ट्रीय मार्गदर्शी सिद्धांत क्या हैं;

(ख) राज्यवार अधिनियमित किए गए तथा कार्यान्वित किए गए भूमि सुधार अधिनियमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने अपने राज्यों में वर्तमान अधिनियमों के संशोधनों को मंत्रालय से स्वीकृति लेने के लिए भेजा है, वे प्रस्तावित संशोधन क्या हैं और उन संशोधनों पर अब तक मंत्रालय द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या यह सच है कि कुछ राज्य भूमि सुधार कानूनों को कार्यान्वित करने में सुस्त हैं; और

(ङ) यदि हां, तो राज्य द्वारा इनके कार्यान्वयन में विलम्ब के लिए दिए गए कारण क्या हैं और इस सम्बन्ध में उनके मंत्रालय द्वारा क्या उपाय किये/अपनाए गए हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : अधिकतम भूमि सीमा से सम्बन्धित राष्ट्रीय मार्गदर्शी सिद्धांतों में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह सुझाव दिये गये हैं कि (1) उत्तम श्रेणी की भूमि अर्थात सुनिश्चित सिंचाई वाली तथा प्रतिवर्ष कम से कम दो फसलें देने की क्षमता वाली भूमि के लिए कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा 10 से 18 एकड़ के बीच होनी चाहिए; (2) घटिया किस्म की भूमि के लिए अधिकतम सीमा अधिक हो सकती है लेकिन यह किसी भी मामले में 54 एकड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए; (3) अधिकतम सीमा 5 सदस्यों के परिवार के लिए लागू होनी चाहिए; और जहाँ परिवार बड़ा है वहां 5 सदस्यों से अतिरिक्त परिवार के सदस्यों में से प्रत्येक के लिए अतिरिक्त भूमि की अनुमति इस तरह दी जा सकती है कि परिवार के पास कुल क्षेत्र अधिकतम सीमा के दुगुने से अधिक नहीं होना चाहिए; (4) अधिकतम सीमा कानून के प्रयोजनों के लिए "परिवार" को इस प्रकार परिभाषित किया जाए कि इसमें पति, पत्नी तथा नाबालिग बच्चे शामिल हों; (5) चाय, काफी, रबड़, इलायची तथा नारियल के अन्तर्गत भूमि को अधिकतम सीमा लागू नहीं होनी चाहिए; (6) निजी न्यासों को

अधिकतम सीमा से फालतू भूमि रखने की अनुमति नहीं होनी चाहिए; और (7) अधिकतम सीमा से फालतू भूमि के आबंटन में प्राथमिकता भूमिहीन कृषि श्रमिकों विशेषकर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्ध रखने वाले कृषि श्रमिकों को दी जानी चाहिए।

(ख) राज्यों के पास उनके अपने भूमि सुधार कानून हैं जिनमें इनके लिए व्यवस्था की गई है (1) बिचौलिया काश्तकारी का उन्मूलन; (2) कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा; तथा (3) काश्तकारी सुधार। विभिन्न राज्यों में संशोधित अधिकतम भूमि सीमा के कानूनों के कार्यान्वयन में प्रगति को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) वर्तमान पद्धति के अनुसार राज्य विधान मण्डलों द्वारा पारित संशोधन इस मंत्रालय की स्वीकृति के लिए प्राप्त नहीं होते हैं।

(घ) व (ङ) भूमि सुधार कानूनों के कार्यान्वयन के लिए सभी राज्य बचनबद्ध हैं। भूमि में अन्तर्निहित सम्पत्ति के अधिकारियों के मामलों में, यह स्वाभाविक है कि कुछ विलम्ब होगा और कार्यान्वयन की गति सभी राज्यों में एक जैसी नहीं होगी क्योंकि समस्याएं विभिन्न राज्यों में व्याप्त परिस्थितियों के अनुसार भिन्न-भिन्न होती हैं। राज्य सरकारों से भूमि सुधार कानूनों को शीघ्र कार्यान्वित करने और उपयुक्त प्रशासनिक व विधिक उपायों को अपनाने के लिए अनुरोध किया गया है।

———

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	विवरण			
	संशोधित अधिकतम भूमि सीमा कानूनों के अन्तर्गत फालतू घोषित क्षेत्र	संशोधित अधिकतम भूमि सीमा कानूनों के अन्तर्गत कब्जे में लिया गया क्षेत्र	(क्षेत्र एकड़ में) संशोधित अधिकतम भूमि सीमा कानूनों के अन्तर्गत वितरित क्षेत्र	
			क्षेत्र	लाभभोगियों की संख्या
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	9,80,767	4,32,113	3,00,703	2,07,150
असम	5,80,140	5,03,161	3,16,784	2,54,333
बिहार	2,33,205	1,44,008	1,37,658	1,52,725
गुजरात	1,17,906	38,800	5,190	1,199
हरियाणा	27,355	19,582	17,956	5,206
हिमाचल प्रदेश	1,35,915	1,35,293	3,417	4,500
जम्मू तथा काश्मीर	—	—	—	—
कर्नाटक	2,10,569	75,664	53,470	11,042
केरल	1,18,272	79,034	52,311	84,837
मध्य प्रदेश	2,53,039	1,40,193	78,749	31,567
महाराष्ट्र	3,70,193	2,81,586	2,81,586	76,892
मणिपुर	1,029	36	—	—
उड़ीसा	1,40,505	1,21,888	1,00,931	76,893

1	2	3	4	5
पंजाब	49,324	15,896	12,511	2,955
राजस्थान	2,46,495	2,20,643	1,22,230	26,212
तमिलनाडु	78,149	75,175	56,934	36,147
त्रिपुरा	1,842	1,469	947	869
उत्तर प्रदेश	2,81,869	2,59,773	2,31,856	1,88,601
पश्चिम बंगाल	1,52,658	1,01,748	56,512	1,59,290
दादर तथा नगर हवेली	8,958	6,180	3,406	1,512
दिल्ली	780	413	—	—
पाण्डिचेरी	2,527	976	837	960
योग :	39,91,497	26,53,631	18,34,018	13,22,830

सख्त लकड़ी और नरम लकड़ी के मूल्य

4805. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में सरकार द्वारा अण्डमान और निकोबार द्वीपों में गैर-सरकारी उद्योगों की सप्लाई की गई सख्त लकड़ी और नरम लकड़ी के प्रति घन मीटर मूल्य क्या-क्या हैं; विभिन्न डिपुओं में इनकी दरें क्या-क्या हैं;

(ख) गत तीन वर्षों से गैर सरकारी उद्योगों द्वारा वन विभाग को अपने "कूंपस" से सप्लाई की गई सख्त लकड़ी और नरम लकड़ी के प्रति घन मीटर मूल्य क्या-क्या हैं; और

(ग) क्या इन दोनों दरों में कोई अन्तर है तो, उसके क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) अण्डमान और निकोवार प्रशासन द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान निजी उद्योगों को लकड़ी की सप्लाई का, जिसमें एक्स फारेस्ट/घाट डिपो की रायल्टी भी शासिल है (चाहे जलमार्ग की दूरी कितनी ही हो) प्रति घन मीटर मूल्य रुपयों में नीचे दिया गया है :—

रायल्टी की दरों सहित मूल्य :—

लकड़ी की किस्म और आकार	वर्ष		
	1979-80	1980-81	1981-82
	रु०	रु०	रु०
गुर्जन प्लाई :			
अधिक गोलाई	385	540	600
कम गोलाई	350	490	540
अगुर्जन प्लाई :			
अधिक गोलाई	252	302	400
कम गोलाई	229	275	360
दियासलाई बनाने की लकड़ी :	252	—	366
अधिक गोलाई	—	302	—
कम गोलाई	—	275	—

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान निजी उद्योगों द्वारा वन विभाग को सप्लाई किये गए लकड़ी के लट्ठों का प्रति घन मीटर मूल्य (रुपयों में) नीचे दिया गया है :—

	1979-80 और 1980-81	1981-82
	रु०	रु०
1. पील आइलैंड	96 (जलमार्ग द्वारा)	119 (जलमार्ग द्वारा)
2. पाइनमनाला	115 (सड़क द्वारा)	—

3. चरलांगटा	110 (सड़क द्वारा)	119 (सड़क द्वारा)
4. पिचार	130 (सड़क द्वारा)	147 (सड़क द्वारा)
5. रुतलैंड	163 (जलमार्ग द्वारा)	164 (सड़क द्वारा) 184 (जलमार्ग द्वारा)
6. चेरिया टप्पा	—	123 (सड़क द्वारा)
7. पवाजिग	—	94 (जलमार्ग द्वारा)

(ग) इन दरों में अन्तर होने का कारण विभाग द्वारा सप्लाई की जाने वाली लकड़ी की दरों को विभाग के प्रपत्र लेखों में दिखाई गई उत्पादन लागत के आधार पर निर्धारित करना है जिसमें वास्तविक उत्पादन खर्च के अलावा भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए गए सिद्धांतों के अनुसार अन्य खर्च भी शामिल किये जाने होते हैं और लाने-ले जाने में निहित जल मार्ग की अलग दूरी का होना है।

एन० आर० ई० पी० के अन्तर्गत अंडमान और निकोबार प्रशासन द्वारा शुरू की गई योजनाएं

4806. **श्री मनोरंजन भक्त:** क्या **ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि: एन० आर० ई० पी० कार्यक्रम के अन्तर्गत अण्डमान निकोवार प्रशासन द्वारा कितनी योजनाएं शुरू की गई हैं; इन योजनाओं के तहसीलवार नाम क्या-क्या हैं और इनसे कुल कितने लोगों को लाभ पहुंचा है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विकासपुरी, दिल्ली में नागरिक सुविधाएं

4807. **श्री हीरा लाल आर० परमार :**

श्री केशवराव पारधी : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक मकानों का निर्माण हो जाने के परिणाम-स्वरूप गत दो वर्षों में विकासपुरी, दिल्ली का अत्यधिक विस्तार हुआ है;

(ख) क्या कालोनी के निवासियों को शापिंग काम्पलेक्स' 'स्कूलों' और कालोनी से आने-जाने के लिए सन्तोषजनक बस सेवा की अनुपस्थिति में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है; और

(ग) कालोनी की समस्याओं का हल करने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार किया गया है और इस मामले में कितना समय लग जाने की सम्भावना है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं। (ख) तथा (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि इस संबंध में इस प्रकार

के कोई अभ्यावेदन/शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं। तथापि, त्रिलोकपुरी के सामान्य विकास योजना के अनुसार वहां एक समाज सदन, 5 स्थानीय विपणन केन्द्र तथा 20 सुविधा विपणन केन्द्रों का प्रावधान है। समाज सदन के कुछ भाग का पहले ही विकास किया जा चुका है तथा सिनेमा प्लाट बेचा गया है। 20 सुविधा विपणन केन्द्रों में से 7 विपणन केन्द्रों के विन्यास नक्शों को अन्तिम रूप दे दिया गया है। एक सुविधा विपणन केन्द्र का निर्माण कार्य पूरा हो गया है तथा अन्य निर्माण के विभिन्न सोपानों में हैं। विकासपुरी के निवासियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के उद्देश्य से विभिन्न ब्लाकों में कई कियोस्क बनाए गए हैं। विकासपुरी के विभिन्न ब्लाकों में स्थित अन्य विपणन केन्द्रों के विन्यास नक्शे तैयार किये जा रहे हैं और दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बनाये जा रहे मकानों के साथ इनका निर्माण किया जायेगा।

दिल्ली परिवहन निगम ने सूचित किया है कि फिलहाल इस कालोनी के लिये 3 मिनी की सेवाओं सहित 24 बस सेवायें चलाई जा रही हैं।

देश में कृषि-जोत

4808. **श्री ए० के० राय** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में 1971 के बाद कृषि-जोतों की पद्धति के बारे में कोई और गणना की गई है, यदि हां, तो इन प्रवृत्तियों सहित ब्यौरे वार तथ्य क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि भूमि भूतपूर्व समान्तवादी भू-स्वामियों के हाथों से निकल कर कर्मचारियों या नौकरी करने वाले लोगों के पास जा रही है जिससे शोषण करने की कृषि के मूल स्वरूप में कोई अन्तर नहीं आया है;

(ग) क्या सरकार ने उस भूमि के बारे में कोई अध्ययन किया है जो उस स्थिति में वितरण हेतु उपलब्ध होगी जब नौकरी प्राप्त लोगों को "एक व्यक्ति एक रोजगार" के सिद्धान्त पर खेती के लिये कृषि रखने से रोका जाएगा, इस मामले में यदि कोई साधारण सर्वेक्षण किया गया है तो वह क्या है;

(घ) यदि हां, तो ब्योरेवार तथ्य क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार की ऐसी सर्वेक्षण कराने की कोई योजना है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) :

(क) जी, हां। नवीनतम कृषि गणना 1976-77 में की गई थी।

इस गणना के मुख्य निष्कर्ष निम्न प्रकार हैं:—

(1) प्रचालन जोत के औसत आकार में 1970-71 में 2.30 हेक्टेयर से 1976-77 में 2.00 हेक्टेयर तक गिरावट आई।

(2) प्रचालन जोत के औसत आकार में गिरावट सबसे अधिक बड़ी जोतों (10 हेक्टेयर तथा उससे ऊपर) के लिए है। उसके बाद सीमांत जोतों (1 हेक्टेयर से कम) के लिए है।

(3) जोतों की कुल संख्या में सीमान्त जोतों का प्रतिशत 1970-71 में लगभग 51 से बढ़कर 1976-77 में 54.7 हो गया।

(4) बड़ी जोतों में शामिल प्रचालित क्षेत्र में कुछ कमी आई थी तथा सीमान्त जोतों में शामिल प्रचालित क्षेत्रों में कुछ वृद्धि हुई थी।

(ख) इस सुझाव के लिए कोई प्रमाण नहीं है कि भूमि नौकरी करने वाले व्यक्तियों के पास जा रही है। सामन्तवादी भूमि-स्वामियों का पहले ही उन्मूलन किया जा चुका है।

(ग),(घ) व (ङ) इस प्रकार का कोई अध्ययन अथवा नमूना सर्वेक्षण नहीं किया गया है। चूंकि नौकरी करने वाले व्यक्तियों के पास भूमि एकत्र होने का कोई रूप दिखाई नहीं देता है और चूंकि, इस प्रकार की कार्यवाही किये जाने के परिणामस्वरूप कोई लाभप्रद परिणाम मिलने की सम्भावना नहीं है अतः कोई भी अध्ययन अथवा नमूना सर्वेक्षण करने की परिकल्पना नहीं की गई है।

सरकारी प्रतिनिधि मंडल में संसद सदस्य

4809. **श्री ए० के० राय** : क्या **संसदीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी प्रतिनिधि मंडलों में गत तीन वर्षों के दौरान कितने संसद सदस्य भेजे गये और उन पर कितना व्यय किया गया तथा उसका वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उन प्रतिनिधि मंडलों में भिन्न-भिन्न राजनीतिक दलों के कितने-कितने सदस्य थे, क्या संसद के किसी निर्दलीय सदस्य का इस प्रयोजन के लिए चयन किया गया था; गत तीन वर्षों के वर्षवार ब्यौरे सहित विस्तृत तथ्य क्या हैं; और

(ग) ऐसे चयन का क्या आधार है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली के सभी गांवों में जल की सप्लाई

4810. **श्री अनादि चरण दास** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसी कोई योजना लागू करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है जिसके अन्तर्गत छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के अन्त तक दिल्ली के सभी गांवों के लिये पेय जल सप्लाई किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो उस योजना का नाम क्या है और उस योजना को क्रियान्वित करने के लिये अनुमानत: कितनी राशि रखी गई है;

(ग) योजना को अनुमानत: कब तक क्रियान्वित किया जायेगा; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) दिल्ली नगर निगम द्वारा दी गई सूचना के अनुसार दिल्ली में 245 गांव हैं जिनमें से 148 गांवों को समस्याग्रस्त पाया गया है और शेष 97 समस्याहीन हैं । छठी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में 99 समस्याग्रस्त तथा 53 बिना समस्याग्रस्त गांवों को पेय जल की सुविधा मुहैया कराई जानी थी । निगम द्वारा बनाये गये कार्यक्रम के अनुसार सभी गांवों को वर्ष 1982-83 के अन्त तक पेय जल सुविधा मुहैया कराये जाने की आशा है । न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत समस्याग्रस्त तथा बिना समस्याग्रस्त गांवों के लिए छठी योजना परिव्यय क्रमश: 700 लाख तथा 100 लाख रुपये है । यद्यपि, 1982-83 तक दिल्ली के सभी गांवों को जल सप्लाई मुहैया करा दी जायेगी फिर भी इन गांवों में जल सप्लाई को सुदृढ़ बनाने में 1983 के बाद दो वर्ष और लग जायेंगे ।

कृषि विमानन हेतु विमानों को प्राप्त किया जाना

4811. **श्री अनादि चरण दास** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष कीटनाशी-पदार्थों के छिड़काव और बुरकने के लिए कुल कितने कृषि विमानन विमानों का उपयोग किया जा रहा है;

(ख) क्या वे विमान उनके मन्त्रालय के नियंत्रण अधीन हैं;

(ग) यदि नहीं, तो क्या उनके मन्त्रालय का विचार ऐसे कृषि-विमानन विमान प्राप्त करने और उनको कीटनाशी पदार्थों के छिड़काव और बुरकने के लिए तत्काल उपलब्ध कराने का है; और

(घ) इस मामले में सरकार का क्या कार्यक्रम है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुर्नानर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) इस वर्ष के दौरान हवाई छिड़काव करने के लिए उपयोग में लाए गए कृषि विमानन के विमानों की कुल संख्या 34 है ।

(ख) उपरोक्त 34 विमानों में से 15 विमान कृषि मन्त्रालय के नियंत्रण में हैं ।

(ग) और (घ) भाग (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं होता ।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 1980-81 में उड़ीसा के लिए प्रावधान

4812. **श्री के० प्रधानी** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार वर्ष 1980-81 में बजट में उपबंधित 340 करोड़ रुपये की व्यवस्था में से उड़ीसा के लिये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिये कितनी धनराशि की व्यवस्था करेगी;

(ख) सरकार इस काम के लिए आबंटन करते समय किन सिद्धान्तों का पालन करेगी; और

(ग) इस बारे में सरकार को उड़ीसा सरकार से क्या प्रस्ताव मिले हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) वर्ष 1980-81 के दौरान, काम के बदले अनाज कार्यक्रम/राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत उड़ीसा को दिए गए संसाधनों में 15.35 करोड़ रुपये के मूल्य के 100500 मीटरी टन चावल तथा 586.00 लाख रुपये की नकद निधियां शामिल हैं। चालू वर्ष के लिए कार्यक्रम हेतु 360 करोड़ रुपये के कुल प्रावधान (केन्द्रीय तथा राज्य बजटों दोनों में) में से राज्य में कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए उड़ीसा का कुल अंश 16.40 करोड़ रुपये बनता है।

(ख) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत आबंटन योजना आयोग तथा वित्त मंत्रालय के परामर्श से तैयार किए फार्मूलों के आधार पर किए जाते हैं जिसके अन्तर्गत 75 प्रतिशत बल राज्य में कृषि श्रमिकों तथा सीमान्त किसानों की संख्या तथा 25 प्रतिशत बल प्रत्येक राज्य में निर्धनता के प्रभाव को दिया जाता है।

(ग) कोई नहीं।

पुनरीक्षित वन रोपण नीति के विरुद्ध अभ्यावेदन

4813. **श्री के० प्रधानी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार की पुनरीक्षित वन रोपण नीति के विरुद्ध बिहार और उड़ीसा के आदिवासियों का कोई अभ्यावेदन मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि इस नीति के कारण वन उत्पादों से स्थानीय आदिवासियों की दैनिक आय में शनैः-शनैः गिरावट आई है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में इन आदिवासियों की मांगों के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता ।

देश में भूमिहीन श्रमिक

4814. **श्री डी० पी० जदेजा :** क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में भूमिहीन श्रमिकों की संख्या में दिन-प्रतिदिन वृद्धि हुई है;

(ख) इसके क्या कारण हैं;

(ग) देश में इस समय राज्यवार कितने भूमिहीन श्रमिक हैं और 31 दिसम्बर, 1975, 1978 तथा 1980 को उनकी संख्या कितनी थी; और

(घ) इस समस्या का समाधान करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) और (ख) देश में भूमिहीन श्रमिकों की संख्या का हाल ही में कोई अनुमान नहीं लगाया गया है । तथापि, द्वितीय ग्रामीण श्रमिक जांच के अनुसार, 1964-65 में 8.57 मिलियन के मुकाबले में 1974-75 में 10.53 मिलियन भूमिहीन कृषि श्रमिक परिवार थे । तथापि, उसी अवधि के दौरान कुल कृषि श्रमिक परिवारों में भूमिहीन कृषि श्रमिक परिवारों का प्रतिशत 56.1 प्रतिशत से घटकर 50.8 प्रतिशत हो गया था ।

(ग) उपलब्ध सूचना को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(घ) सुनियोजित विकास का मुख्य उद्देश्य गरीबी का उन्मूलन करना है । यद्यपि निर्धनता का निराकरण समग्र आर्थिक विकास पर निर्भर करता है, फिर भी भूमिहीनों सहित गरीब ग्रामीणों के आम स्तर में वृद्धि करने हेतु निर्देशित विशिष्ट उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) कृषि के लिए भूमि (सरकार के पास बेकार पड़ी भूमि तथा भूमि की अधिकतम सीमा से फालतू भूमि दोनों) का आवंटन;

(2) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जिसका उद्देश्य निर्धनतम व्यक्तियों को निर्धनता की रेखा से ऊपर उठने योग्य बनाना;

(3) ग्रामीण तथा कुटीर उद्योग विकास योजनाएं;

(4) व्यावसायिक कुशलताओं को प्राप्त करने/उनमें वृद्धि करने की योजनाएं;

(5) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के माध्यम से रोजगार का प्रावधान; तथा

(6) गहन कृषि का विकास जिसमें अधिक श्रम की आवश्यकता शामिल है।

विवरण

(आंकड़े हजार में)

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	1974-75 में भूमिहीन कृषि श्रमिक परिवारों की अनुमानित संख्या
आन्ध्र प्रदेश	1624
असम	125
बिहार	1238
गुजरात	497
हरियाणा	104
हिमाचल प्रदेश	2
जम्मू तथा काश्मीर	4
कर्नाटक	667
केरल	118
मध्य प्रदेश	625
महाराष्ट्र	1030
मणिपुर	1
मेघालय	4
उड़ीसा	467
पंजाब	348
राजस्थान	84
तमिलनाडु	1530
त्रिपुरा	18
उत्तर प्रदेश	1035
पश्चिम बंगाल	989
दिल्ली	—
गोवा दमन तथा द्वीव	4
पाण्डिचेरी	18
अखिल भारत :	10,532

स्रोत :—ग्रामीण श्रमिक जांच 1974-75.

काजू की खेती

4815. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों में काजू की खेती की जा रही है तथा ऐसे प्रत्येक राज्य में प्रति वर्ष अनुमानत: कितनी मात्रा में काजू का उत्पादन होता है;

(ख) क्या अन्य राज्यों में कोई सर्वेक्षण किया गया है जहां काजू की खेती की जा सके; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस उत्पाद को लोकप्रिय बनाने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) देश में काजू का उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य और वर्ष 1979-80 के दौरान प्रत्येक राज्य में काजू के उत्पादन की अनुमानित मात्रा निम्न प्रकार है :—

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	काच्चे काजू का अनुमानित उत्पादन (मीटरी टन)
1.	आन्ध्र प्रदेश	14000
2.	केरल	123890
3.	कर्नाटक	15300
4.	महाराष्ट्र	4520
5.	उड़ीसा	3000
6.	तमिलनाडु	11000
7.	पश्चिम बंगाल	600
8.	गोआ	7500
9.	अन्य	190
	योग :	180,000

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता ।

आलुओं की अधिक उपज वाली नई किस्मों के बारे में अनुसंधान

4816. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय समेकित अनुसंधान परियोजना द्वारा आलुओं की अधिक उपज वाली नई किस्मों के बारे में कोई अनुसंधान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की अखिल भारतीय समन्वित आलू सुधार प्रायोजना नयी अधिक उपज देने वाली किस्मों को विकसित करने के लिए अनुसंधान कर रही है । अखिल भारतीय समन्वित आलू सुधार प्रायोजना के द्वारा उत्पादित नयी अधिक उपज देने वाली किस्मों का विवरण संलग्न विवरण-1 में दिया गया है ।

(ग) इस प्रायोजना द्वारा विकसित किस्मों और प्रौद्योगिकियों को अनेक अभिकरणों और किसानों को नियमित रूप से प्रदान किया जाता है । उदाहरण के लिए वर्ष, 1980-81 के दौरान केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला ने विभिन्न राज्यों के कृषि विभागों और राष्ट्रीय बीज निगम को प्रमाणीकृत बीज के उत्पादन के लिए, अपनी मैदानों और पहाड़ियों में उगायी गयी फसल से उत्पन्न सुधरी किस्मों के लगभग 25,000 क्विंटल प्रजनक बीज का संवर्धन हेतु प्रदान किया ।

इन किस्मों के प्रमाणीकृत संवर्धन तथा उनको लोक प्रिय बनाने के कार्य को परिषद के परिचालन अनुसंधान तथा "प्रयोगशाला से खेत तक" कार्यक्रम के अन्तर्गत कम किया जा रहा है ।

विवरण–1

अखिल भारतीय समन्वित आलू सुधार प्रायोजना के अधीन जारी की गयी किस्में नीचे दी जा रही हैं :—

किस्में	क्षेत्र जिनके लिए सिफारिश की गयी
(i) कुफरी लवकार	पठान क्षेत्र ।
(ii) कुफरी देवा	उत्तर प्रदेश और पंजाब के तुषार-पीड़ित क्षेत्र ।
(iii) कुफरी बादशाह	सिंधु-गंगा का मैदान और पठारी क्षेत्र ।
(ii/) कुफरी बहार	उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य-प्रदेश और राजस्थान ।
(i/) कुफरी शेरपा	पश्चिम बंगाल पहाड़ी तथा मैदानी क्षेत्र के वार्ट और लेट अंगमारी रोग पीड़ित क्षेत्र ।
(i/i) कुफरी हिमालिनी	उत्तर भारतीय पहाड़ियां और नीलगिरि की पहाड़ियां ।
(i/ii) कुफरी लामिना	बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश जहां लाल रंग के आलू पसंद किये जाते हैं ।

दिल्ली में शिक्षण संस्थाओं तथा सोसाइटियों को रियायती दरों पर भूमि

4817. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने दिल्ली में जिन गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं तथा शिक्षण सोसाइटियों को उन रियायती दरों पर जो अन्य शिक्षण संस्थाओं पर लागू हैं, भूमि आवंटित की है, उनका ब्यौरा क्या है; और

(ख) ऐसे आबंटन से अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित कितनी शिक्षण संस्थाओं को लाभ मिला है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) यह सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) भूमि के आबंटन के सम्बन्ध में शैक्षणिक संस्थानों के स्वरूप के बारे में अर्थात क्या वे अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा चलाये जाते हैं, या नहीं सरकार द्वारा कोई अलग से रिकार्ड नहीं रखा जाता है ।

एकल खाद्य क्षेत्र प्रणाली

4818. **श्री ए० नीलालोहियादसन नाडार** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि एकल खाद्य क्षेत्र प्रणाली देश के सर्वोत्तम हित में है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार एकल खाद्य क्षेत्र प्रणाली क्रियान्वित करने पर विचार करेगी ?

कृषि तथा ग्रामीण पुर्नानर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) चावल/गेहूं का संचालन करने के प्रयोजन के लिए समस्त देश को एक ही ज़ोन समझा जा रहा है और सभी राज्य सरकारों को तदनुसार परामर्श दिया गया है । तथापि, धान के संचलन पर प्रतिबन्ध लगाने के बारे में कुछेक राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों का अनुमोदन कर दिया गया है ताकि धान की अधिकतम वसूली की जा सके ।

फिलहाल एकल राज्य ज़ोनों की प्रणाली को बहाल करने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

कमी वाले मौसम में हुगली में जल की सप्लाई

4820. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या सिंचाई मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी कमी वाले मौसम में हुगली नदी में जल की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये समय पर कोई कार्यवाही की गई है ताकि कलकत्ता पत्तन की नौगम्यता क्षमता को बनाये रखा जा सके; और

(ख) यदि हां, तो क्या और यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) फरक्का में गंगा के जल के बंटवारे तथा उसके प्रवाह में वृद्धि करने के संबंध में नवम्बर, 1977 के भारत-बंगलादेश करार में, सहमत अनुसूची के अनुसार, फरक्का में प्रतिवर्ष जनवरी से मई के दौरान गंगा के जल के बंटवारे के लिए अन्तरिम प्रबंधों की व्यवस्था की गई है। यह करार पांच वर्षों की अवधि के लिए लागू है।

कलकत्ता बन्दरगाह की नौगम्यता सुनिश्चित करने के लिए भी सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

एशियाड परियोजनाओं पर व्यय

4821. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशियाई खेलों से संबंधित जिन विभिन्न परियोजनाओं का कार्य दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विभागीय रूप से अथवा ठेकेदारों के माध्यम से निष्पादित किया जा रहा है उन पर अब तक कुल कितना व्यय हुआ है;

(ख) क्या अदायगियां पूर्व-लेखा परीक्षा से पहले कर दी जाती है अथवा केवल उत्तर लेखा परीक्षा की जाती है और हां, तो पूर्व-लेखा परीक्षा करने वाला प्राधिकारी कौन है;

(ग) विभिन्न परियोजनाओं के स्थापना स्थलों पर सामान के लेखों पर नियन्त्रण जांच कितनी-कितनी अवधि कें बाद की जाती है; और

(घ) क्या फालतू व्यय की घटनाओं का पता चला है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसको रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अन्तर्राष्ट्रीय जल विवादों को निपटाने के लिये पेनल

4822. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राज्यों के बीच अन्तर्राज्यीय जल-विवाद को निपटाने के लिये कोई पेनल गठित करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

कर्नाटक को बाढ़-राहत और सूखा-राहत सहायता

4823. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने 13 और 20 नवम्बर, 1981 को केन्द्रीय सहायता मांगते हुए बाढ़-राहत और सूखा-राहत के लिये कोई ज्ञापन प्रस्तुत किया था;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या कर्नाटक सरकार ने राज्य में सूखे और बाढ़ से हुई क्षति का अनुमान लगाने के लिये वहां केन्द्रीय दल भेजने के लिये अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो उक्त दल के कब तक भेजे जाने की संभावना है;

(ङ) राज्य में बाढ़ और सूखे की स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिये केन्द्र ने कर्नाटक के लिये कितनी राशि मंजूर की है; और

(च) इस मद पर कर्नाटक कितनी राशि खर्च कर चुका है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी, हां। कर्नाटक सरकार ने 13 नवम्बर, 1981 को बाढ़ के सम्बन्ध में एक ज्ञापन तथा 22 नवम्बर, 1981 को अभाव सम्बन्धी स्थिति के बारे में एक पूरक ज्ञापन भेजा है जिसमें सितम्बर, 1981 के अन्त तक राहत कार्यों के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता मांगी गई है।

(ख) से (घ) बाढ़ से क्षति हुई तथा स्थिति से निपटने के लिए जरूरी सहायता का मूल्यांकन करने के लिए बाढ़ से संबंधित एक केन्द्रीय दल ने 30 नवम्बर से 2 दिसम्बर, 1981 तक कर्नाटक का दौरा किया था।

सूखे के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के अनुरोध से सम्बन्धित ज्ञापन पर विचार किया जा रहा है।

(ङ) बाढ़ :—

बाढ़ से संबंधित केन्द्रीय दल की रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। उसके प्राप्त होने पर इस सम्बन्ध में व्यय की अधिकतम सीमा को स्वीकृति देने के बारे में आगे कार्रवाई की जाएगी।

सूखा :—

भारत सरकार ने 27 जुलाई, 1981 को सितम्बर, 1981 के अन्त तक सूखा राहत कार्यों के लिए 806 लाख रुपए के अधिकतम व्यय की सीमा स्वीकृत की थी।

1981-82 के दौरान राज्य सरकार को दी गई निम्नलिखित सामान्य सहायता भी बाढ़/सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में राहत देने के लिए उपलब्ध है :—

(1) कृषि आदानों को खरीदने एवं वितररित करने के लिए 1000 लाख रुपए का अल्पावधि ऋण (400 लाख रु० खरीफ के लिए तथा 600 लाख रुपए रबी के लिए)।

(2) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के तहत 414 लाख रुपए की पहली किश्त, जिसमें 7000 मीटरी टन खाद्यान्न भी शामिल है;

(3) त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के तहत दी गई 164.50 लाख रुपए की राशि।

सूखा :—

(च) प्राप्त पूरक ज्ञापन के अनुसार, राज्य सरकार ने सूखा सम्बन्धी राहत कार्यों पर कुल 2632.52 लाख रुपए खर्च किए, जबकि स्वीकृत व्यय की अधिकतम सीमा 806 लाख रुपए थी।

बाढ़ :

व्यय की अधिकतम सीमा स्वीकृत नहीं की गई है, अतः इसका प्रश्न ही नहीं होता। तथापि, राज्य सरकार 200 लाख रुपए की सीमान्त धनराशि से आपात खर्च पूरा करेगी।

रोजगार बनाने की योजना के लिये अधिकतम सीमा

4824. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सूखा राहत सहायता के प्रयोजन हेतु रोजगार के अवसर पैदा करने की योजना के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा इतनी कम है कि उससे सूखे की स्थिति का मुकाबला कर्नाटक में नहीं किया जा सकता;

(ख) क्या सरकार अधिकतम सीमा निर्धारण की समीक्षा करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) केन्द्रीय दल की रिपोर्ट तथा राहत सम्बन्धी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने वर्ष 1981-82 (मानसून पूर्व) के दौरान सूखे से राहत देने के उपायों के लिए कुल 806 लाख रुपए के अधिकतम व्यय की मंजूरी दी है। इसमें सितम्बर, 1981 के अन्त तक लघु तथा सीमांत किसानों तथा भूमिहीन श्रमिकों को अतिरिक्त उपयोगी रोजगार मुहैय्या करने के लिए 469 लाख रुपए का प्रावधान भी शामिल है। कर्नाटक सरकार ने एक पूरक ज्ञापन प्रस्तुत किया। जिसमें उसने 1826.54 लाख रुपए के अधिकतम व्यय की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता मांगी है। इसमें सितम्बर, 1981 के अन्त तक रोजगार सृजन सम्बन्धी कार्यों के लिए

1676.15 लाख रुपए की धनराशि भी शामिल है। राज्य सरकार ने ज्ञापन में लिखा था कि रोजगार सृजन योजनाओं के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा सूखे की स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं है।

(ख) तथा (ग) अनुरोध पर विचार किया जा रहा है।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता।

कर्नाटक में बागवानी का विकास

4825. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्नाटक राज्य सरकार ने राज्य में बागवानी के विकास के बारे में केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कर्नाटक राज्य में बागवानी के समेकित विकास के लिए परियोजना तिवदन को इस बीच अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख) वर्ष 1982-83 के लिए कर्नाटक सरकार के योजना प्रस्तावों पर योजना आयोग में विचार-विमर्श किया गया है। कृषि सम्बन्धी कार्यकारी दल ने वर्ष 1981-82 के 280 लाख रुपये के परिव्यय की तुलना में वर्ष 1982-83 के लिए राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रस्ताव के अनुसार राज्य में बागवानी विकास हेतु 300 लाख रुपए के सम्पूर्ण परिव्यय को स्वीकार कर लिया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता।

भारतीय मानक संस्था में प्रथम और द्वितीय श्रेणी के पदों पर वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति सम्बन्धी नीति

4826. **श्री बनवारी लाल** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय मानक संस्था प्रथम और द्वितीय श्रेणी के पदों के वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति के सम्बन्ध में कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग के का० ज्ञा० सं० 27/2-71/एस्ट० (एस० सी० टी०) दिनांक 27 नवम्बर, 1972 तथा का० ज्ञा० सं० 36021/7/75 एस्ट० (एस० सी० टी०) दिनांक 25 जुलाई, 1976 में निहित भारत सरकार के आदेशों का पालन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो निदेशक, उप-निदेशक, सहायक सचिव, अनुभाग अधिकारी और एस० टी० ए० (डी) श्रेणियों में 1976 से लेकर अब तक कितने व्यक्तियों को पदोन्नत किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब्रजमोहन महन्ती) : (क) जी, हां। ग्रेड-III पदों से ग्रेड II-पदों में पदोन्नति के मामले में कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग के 27 नवम्बर, 1972 के का० ज्ञा० सं० 27/2/71-एस्ट० (एस० सी० टी०) का अनुपालन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त का० ज्ञा० के विषय में सं० 36021/7/75 एस्ट० (एस० सी० टी०) तारीख 25 फरवरी, 1976 का भी अनुपालन किया जा रहा है। ग्रेड-I के लिए तथा ग्रेड-I में ही पदोन्नतियां और ग्रेड-II पदों में ही 2/3 पदों के लिए पदोन्नतियां, जहां लागू हों, वरिष्ठता का यथोचित ध्यान रखते हुए योग्यता के आधार पर चयन द्वारा की जाती हैं। ग्रेड-II में अनुभाग अधिकारी, रिपोर्टर, वरिष्ठ तकनीकी सहायक (ड्राइंग)/प्रयोगशाला/सम्पादन की श्रेणियों के एक-तिहाई पदों के लिए पदोन्नति सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से योग्यता के आधार पर की जाती है। इन पदों को 27 नवम्बर, 1972 का का० ज्ञा० लागू नहीं होता।

(ख) और (ग) कुल मिलाकर, 1976 से 110 व्यक्तियों की निदेशक, उप-निदेशक तथा सहायक सचिव के पदों पर पदोन्नतियां की गयी हैं। परन्तु भर्ती तथा पदोन्नति के नियमों तथा प्रक्रियाओं के अनुसार निदेशक, उप-निदेशक, सहायक सचिव और वरिष्ठ तकनीकी सहायक (ड्राइंग) के दो तिहाई पद योग्यता के आधार पर चयन द्वारा भरे जाने हैं, अत: इन पर 27 नवम्बर, 1972 के का० ज्ञा० के प्रावधान लागू नहीं होते। 5 जून, 1973 से कोई भी व्यक्ति वरिष्ठ तकनीकी सहायक (ड्राइंग) के पद पर नियुक्त/पदोन्नत नहीं किया गया है। तथापि, वरिष्ठ तकनीकी सहायक (ड्राइंग) का एक पद अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी के लिए आरक्षित किया गया है, जिसे सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा द्वारा भरा जाना है।

भारतीय मानक संस्था में अवर श्रेणी लिपिक के लिये न्यूनतम अर्हताएं

4827. **श्री बनवारी लाल** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय मानक संस्था में :—

(एक) सामान्य श्रेणी;

(दो) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग; और

(तीन) विकलांग

के अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में अवर श्रेणी लिपिक के पद के लिये न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं क्या हैं;

(ख) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और विकलांग अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम शैक्षिक अर्हताओं में कोई छूट है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री ब्रजमोहन महन्ती) : (क) से (ग) भारतीय मानक संस्था में अवर श्रेणी लिपिक पद के लिये न्यूनतम शैक्षिक अर्हतायें इस प्रकार हैं :—

प्रथम श्रेणी में मैट्रिक या हायर सेकेन्ड्री अथवा द्वितीय श्रेणी में इण्टरमीडिएट या बी. ए.। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और विकलांग अभ्यर्थियों को शैक्षिक अर्हताओं के मामले में कोई रियायत देना आवश्यक नहीं समझा गया है, क्योंकि इन वर्गों के निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हताओं वाले अभ्यर्थी उपलब्ध हैं। तथापि, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा विकलांग अभ्यर्थियों को वस्तुनिष्ठ तथा टाइपराइटिंग परीक्षाओं और साक्षात्कार में अर्हक अंकों में उपयुक्त रियायत दी जाती है।

भारतीय मानक संस्था में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये पदों का आरक्षण

3828. **श्री बनवारी लाल** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय मानक संस्था ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये पदों के आरक्षण की कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या उक्त योजना गृह मंत्रालय तथा कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुरूप हैं; और

(घ) यदि नहीं; तो इसके क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब्रजमोहन महन्ती) : (क) जी, हां।

(ख) सीधी भर्ती के भर्ती नियमों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। पदोन्नति के लिए भी इसी प्रकार का आरक्षण है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा, आम आयु सीमा से पांच वर्ष अधिक है। सीधी भर्ती के लिए, चाहे वह परीक्षा द्वारा हो या अन्य किसी प्रकार हो, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को निर्धारित मानदण्डों में रियायत देने की व्यवस्था है।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय मानक संस्था में चयन बोर्ड/विभागीय पदोन्नति समिति

4829. **श्री बनवारी लाल** : क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय मानक संस्था में कोई चयन बोर्ड/विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है;

(ख) यदि हां, तो ग्रेड एक, दो और तीन के पदों के चयन के लिये इस समय ऐसे कितने चयन बोर्ड/विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान हैं;

(ग) क्या इन चयन बोर्डों/विभागीय पदोन्नति समिति में किसी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारी ने इन समुदायों के हितों की भारत सरकार के आदेशों के अनुसार देखभाल करने के लिए अभ्यावेदन किया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब्रज मोहन महन्ती) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय मानक संस्था में सत्रह (17) चयन बोर्ड/विभागीय पदोन्नति समितियां हैं, जिनका ब्यौरा इस प्रकार है :—

(1)	भारतीय मानक संस्था मुख्यालय का कार्यालय, दिल्ली	चार (4)
(2)	भारतीय मानक संस्था क्षेत्रीय तथा शाखा कार्यालय	तेरह (13)

(ग) और (घ) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों को जहां कहीं वे उपलब्ध हैं, इन चयन बोर्डों/विभागीय पदोन्नति समितियों में प्रतिनिधित्व दिया गया है, ताकि भारत सरकार के आदेशों के अनुसार इन समुदायों के हितों की देखभाल की जा सके ।

राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का प्रतिवेदन

4830. **श्री के० मालन्ना** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय बाढ़ आयोग जो सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था, ने देश के विभिन्न नदी बेसिनों को शामिल करते हुए प्राधिकृत रूप से रद्द नदी बेसिनों का गठन करने की सिफारिश करते हुए अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस समय इसके कार्यान्वयन की स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस बारे में केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों की टिप्पणियां भी प्राप्त हुई थीं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) अन्तर्राज्यिक नदियों के जल संसाधनों का विकास करने के लिए, जिनमें बाढ़-नियंत्रण उपाय भी शामिल हैं, योजनाएं तैयार करने की आवश्यकता को महसूस करते हुए और उप-बेसिन, बेसिन और क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय आवश्यकताओं के संदर्भ में, परियोजनाओं के प्रचालन के प्रयोजन के लिए राज्य सरकारों की सलाह से कुछ वैधानिक उपायों पर विचार किया गया है। लेकिन अभी तक इसके कोई परिणाम नहीं निकले हैं।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के मुख्य इन्जीनियर की पश्चिम जर्मनी की यात्रा

4831. **श्री राम विलास पासवान** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के मुख्य इंजीनियर को एशियाई खेलों के लिये निर्माणाधीन 'इन्डोर-स्टेडियम' के फील्डिंग पारदर्शी और ध्वनि रोधक विभाजन का निर्माण करने की तकनीक का अध्ययन करने के लिये पश्चिम जर्मनी में भेजा गया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि उनकी यात्रा का व्यय दिल्ली विकास प्राधिकरण वहन करेगा जबकि समस्त स्टेडियम के लिए परामर्शदात्री कार्य 60 लाख रुपये के शुल्क पर एक आर्किटेक्ट को सौंपा गया है; और

(ग) यदि हां, तो दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा यह व्यय वहन करने के क्या कारण हैं और इनमें कितनी राशि अन्तर्ग्रस्त है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि इन्द्रप्रस्थ एस्टेट में इन्डोर स्टेडियम में ध्वनि रोधक विभाजन लगाने के लिये विदेशी सहयोगियों की योग्यता तथा क्षमता का मूल्यांकन करने के लिये मुख्य इंजीनियर ने पश्चिमी जर्मन का दौरा किया।

(ख) तथा (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि परामर्शदात्री सेवाओं के लिए नियुक्त वास्तुकों को दी जाने वाली फीस अनुमानित लागत/स्वीकृत निविदा मूल्य/वास्तविक मूल्य का 3½ प्र० श० की दर से इनमें जो भी सबसे कम हो देय होगी बशर्ते कि यह फीस से अधिक से अधिक 49 लाख तक होगी तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण की ओर से उनके द्वारा किये गये विदेशों के दौरों का व्यय इस इकरारनामे में शामिल नहीं है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह भी सूचित किया है कि इस मुख्य इंजीनियर के दौरे पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा लगभग 20,000 रुपये का खर्चा किया गया है।

श्री शिव हरि मंदिर सभा, लारेन्स रोड, दिल्ली को भूमि का आबंटन

4832. **श्री के० एम० मधुकर** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने श्री शिव हरि मन्दिर सभा (रजिस्टर्ड) को दिनांक 16-8-1979 को पत्र संख्या एफ०-2 (158)/78-एच० एस० जारी किया था;

(ख) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण को निवासी संगठनों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है;

(ग) उपरोक्त सभा के कब्जे में कुल कितना क्षेत्र है और दिल्ली विकास प्राधिकरण को दी जाने वाली भूमि की लागत क्या है;

(घ) क्या किसी एक न एक बहाने से धार्मिक संस्थाओं को भूमि आवंटन नियमित करने में विलम्ब करना डी० डी० ए० की नीति है; और

(ङ) यदि नहीं, तो डी०डी०ए० में उनके आने के बाद दिल्ली विकास प्राधिकरण को श्री शिव हरि मन्दिर सभा लारेन्स रोड से कितने पत्र प्राप्त हुए हैं और उनमें से कितने पत्रों का उत्तर दिया गया है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि प्रश्नाधीन पत्र 18-8-1979 को प्रेषित किया गया न कि 1978-1979 को।

(ख) जी, हां।

(ग) एक पार्क के लिए उद्दिष्ट 625 वर्ग गज का एक भू भाग इस सभा के अनधिकृत दखल में है। भूमि की कीमत अनुमानत: 38,740 रुपये है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि जनवरी, 1981 से नवम्बर, 1981 तक सभा से चार पत्र प्राप्त हुए और उन सभी के उत्तर दे दिये गये हैं।

नाफेड द्वारा मलयेशिया को प्याज का निर्यात

4833. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :**

श्री जनार्दन पुजारी :

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मलयेशिया में एक मात्र खरीदार के साथ राष्ट्रीय कृषि सहयोग विपणन महासंघ (नाफेड) द्वारा किये गये एकाधिकार स्वरूप ठेके से भारत के इस उत्पाद के मुख्य खरीदार पूर्व और पश्चिम दूर के एशियाई देशों में भारतीय प्याज के निर्यात को खतरा उत्पन्न हुआ है;

(ख) क्या एकमात्र एजेन्सी को एकाधिकार बिक्री करके 'नाफेड' ने पाकिस्तान को यह अवसर दिया है कि वह भारत के अधिकार क्षेत्र को प्रभावित करे;

(ग) क्या बहुत से खरीदारों को सतुष्ट करने में असफल होने से हमारे निर्यात बाजार के भारी हिस्से को घाटा होना अवश्यम्भावी है; और

(घ) यदि हां, तो नाफेड द्वारा किये गये इस एकाधिकार वादी सौदे को रोकने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० जी० स्वामीनाथन) : (क) सरकार ने वित्तीय वर्ष 1981-82 के दौरान मलयेशिया और सिंगापुर को निर्यात के लिए 50,000 मीटरी टन प्याज का कोटा आबंटित किया है । इस मात्रा में से 12,177 मीटरी टन का इन दोनों देशों के विभिन्न क्रेताओं को निर्यात किया गया और 18,045 मीटरी टन का निर्यात पेनांग की एक अकेली फर्म को किया गया जिसके साथ, सरकार की नीति की शर्त पर नाफेड ने मई, 1982 तक मलयेशिया और सिंगापुर को 50,000 मीटरी टन प्याज के निर्यात का समझौता किया था । मई, 1981 मे पेनांग की फर्म से समझौते के उपरांत जिससे साल का कोटा समाप्त हो गया था, मलयेशिया और सिंगापुर में किसी अन्य क्रेता को निर्यात नहीं किया जा सका । एक ही क्रेता के साथ इस समझौते से चालू वर्ष के दौरान सुदूर पूर्व और पश्चिम एशिया के देशों को प्याज के निर्यात पर प्रभाव नहीं पड़ा है ।

(ख) जैसा कि प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में उल्लेख किया गया है, इस अनुबन्ध के कारण प्याज के निर्यात पर प्रभाव नहीं पड़ा है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता ।

(घ) सरकार उपयुक्त उपाय करने के लिए समय समय पर निर्यात नीति की समीक्षा करती है ।

इन्दिरा गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठान का न्यास-पत्र

4834. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई, लोक न्यास अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत इन्दिरा गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठान के न्यास के पत्र के भाग 3 (ग) में कहा गया है कि प्रतिष्ठान इस वर्ग में लोगों की ऐसी सृजनात्मक कृतियों की विक्रय व्यवस्था करेगा अथवा उन्हें खरीदेगा जो बाजार में अपने कृतियों को बेचने में मुश्किल पाते हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि भाग (ग) में कहा गया है कि नकद सहायता आबटित करने के अतिरिक्त उपरोक्त प्रतिष्ठान, साहित्यिक कार्य के लिए मुद्रण, प्रकाशन, वितरण, निर्माण और बिक्री संगठन स्थापित करेगा; और

(ग) यदि हां, तो क्या इन्दिरा गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठान प्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग पर रोक) अधिनियम, 1950 की धारा (3) की परिधि में नहीं आता है ?

नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री ब्रजमोहन महन्ती) : (क) व (ख) न्यास पत्र के खण्ड 3 के भाग (ग) में कहा गया है कि :—

"राज्य की उदीयमान प्रतिभाओं को प्रशिक्षण प्रोत्साहन तथा वित्तीय सहायता देना।"

तथापि, खण्ड 3 के भाग (ख) में "पुस्तकों तथा कलाकृतियों आदि के विक्रय और क्रय" का उल्लेख है। यह भी कहा गया है कि यह तब किया जाएगा "जब न्यास ऐसी सहायता लाभ-अलाभ आधार पर दे"। इसी प्रकार खण्ड 3 के भाग (घ) में यह उल्लेख है कि "महाराष्ट्र या भारत के विभिन्न भागों में मुद्रण, प्रकाशन निर्माण, बिक्री केन्द्र, प्रदर्शन तथा विक्रय दीर्घायें, कार्य कक्ष तथा स्टूडियो, कला और साहित्यिक केन्द्र तथा ऐसे ही अन्य स्थल स्थापित करने के लिये सहायता देगा, बशर्ते यह लाभ-अलाभ आधार पर दी जाये।

(ग) जी, नहीं।

सेवा-निवृत्ति के बाद सरकारी आवास रखने के लिए वसूली योग्य मकान किराये को नियमित करना

4835 **श्री केशवराव पारधी** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान नियमों के अन्तर्गत सरकारी आवास रखने वाले सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारी से पहले दो महीने के लिए सामान्य किराया, आगामी छह महीनों के लिए मानक किराया और 8 महीनों के बाद बाजार किराया लिया जाता है;

(ख) सेवा-निवृत्त व्यक्ति कितनी अवधि तक सरकारी आवास रख सकता है;

(ग) क्या ये नियम भारत सरकार के अन्तर्गत आवास के सभी पूलों पर लागू होते हैं, यदि नहीं, तो इसमें विभिन्नता के क्या कारण हैं;

(घ) गत दो वर्षों के दौरान कितने मामलों में सेवा निवृत्त अधिकारियों ने एक वर्ष तक और इससे अधिक की अवधि तक आवास रखा था; और

(ङ) क्या सरकार विशेषतया दिल्ली में आवास की अत्यधिक कमी, बहुत अधिक मकान किरायों या इन व्यक्तियों के प्रति किये जाने वाले सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार को देखते हुए इन नियमों को उदार बनाने पर विचार करेगी ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) सरकारी कर्मचारी सेवा निवृत्ति के पश्चात सामान्य पूल वास को साधारण किराये पर दो माह की अवधि के लिये रख सकता है। तत्पश्चात् विशेष मामलों में उसके लिखित अनुरोध पर उसको एफ० आर० 45-ए० के अन्तर्गत दुगनी मानक लाइसेंस फीस के भुगतान या जो पूलित मानक लाइसेंस फीस वह अदा कर रहा था उसके दुगने उसमें से जो भी अधिक हों, के भुगतान

पर उसको छः महीने से अनधिक्य की अवधि के लिये रखने की इलाजत दी जा सकती है। इस अवधि के पश्चात् मकान रखना अनधिकृत है जिसके लिये बाजार दर पर लाइसेंस फीस वसूल की जाती है।

(ग) संबंधित विभागों ने अपने प्रशासनिक नियन्त्रक के सरकारी वास के सम्बन्ध में अलग-अलग नियम बनाये हैं जो कि उनकी विशेष आवश्यकताओं और परिस्थिति की अनिवार्यता को ध्यान में रख कर बनाये गये हैं।

(घ) 825.

(ङ) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

डी० डी० ए० टोल्ड मोडिफाई रोहिणी शीर्षक समाचार

4836. **श्री भीकू राम जैन** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री दिनांक 4 दिसम्बर, 1981 के 'इण्डियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित समाचार के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण की रोहिणी योजना में दिल्ली नगरीय कला आयोग द्वारा बताई गई त्रुटियों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस योजना को शुरू करने से पूर्व दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आयोग से क्या परामर्श नहीं किया गया था ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

शेख सराय, नई दिल्ली में पीठिका और प्लेक गिराया जाना

4837. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** :

श्री राजेश कुमार सिंह :

श्री रशीद मसूद : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शेख सराय में 100001 में वे मकान के अति प्रचारित ए के शीघ्र बाद ही दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा उद्घाटन की घोषणा करने के लिए बनी और संगमरमर की प्लेक गिरा दिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और प्लेक पीठिका के निर्माण और समा आयोजन पर अलग-अलग कितना व्यय हुआ था ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि कुछ बदमाशों ने इस फलक के आधार को

क्षतिग्रस्त कर दिया था तथा इस फलक के क्षतिग्रस्त होने का भी खतरा था। अत: जिस आधार पर फलक को रखा गया था उसे दोबारा पूर्ण रूपेण बनाना उचित समझा गया।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा सूचित किये गये व्यय का ब्यौरा इस प्रकार है :—

i. फलक पर	—	520 रुपये
ii. आधार के निर्माण पर	—	550 रुपये
iii. समारोह पर	—	14,000 रुपये

बिहार सरकार द्वारा उर्वरकों की मांग

4838. **श्री तारिक अनवर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार सरकार ने पिछले 2 वर्षों के दौरान कितनी मात्रा में उर्वरकों की मांग की और राज्य को उर्वरकों की वस्तुत: कितनी मात्रा की सप्लाई की;

(ख) शेष मात्रा की सप्लाई न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) राज्य को भविष्य में मांग के अनुरूप मात्रा की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) प्रत्येक फसल— मौसम शुरू होने से पहले राज्य सरकारों के परामर्श से उर्वरकों की जरूरत का मूल्यांकन किया जाता है। इस प्रकार मूल्यांकित जरूरत स्वदेशी उत्पादन तथा आयात से पूर्ण रूप से, आवंटित की जाती है। गत दो वर्षों के दौरान उर्वरकों की सकल जरूरत तथा उसकी खपत निम्नलिखित रही :—

(आंकड़े लाख मीटरी टन पोषक तत्व एन.+पी.+के.)

वर्ष	सकल जरूरत	वास्तविक खपत
1979-80	2.62	1.84
1980-81	2.15	2.05

प्रत्येक वर्ष के अन्त में बिहार में उर्वरकों का निम्नलिखित स्टाक उपलब्ध था जिससे पता चलता है कि राज्य में उर्वरकों की समग्र उपलब्धि संतोषजनक थी और सप्लाई में किसी प्रकार की बाधा नहीं थी।

(आंकड़े लाख मीटरी टन पोषक तत्व एन.+पी.+के.)

वर्ष	राज्य में स्टाक	पूल में स्टाक
1-2-1980	0.36	0.17
1-2-1981	0.17	0.17

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं होता।

नई दिल्ली नगरपालिका में वर्ग 'क', 'ख', 'ग', 'घ' में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोग

4839. **श्री भीखा भाई :** क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगरपालिका अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बारे में भर्ती, पदोन्नति के नियमों का पालन नहीं कर रही है और विभिन्न विभागों के रिक्त पदों को लम्बे समय तक नहीं भरा जाता है;

(ख) नई दिल्ली नगरपालिका में वर्ग 'क', 'ख' और 'ग' में अन्य कर्मचारियों की तुलना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों का प्रतिशत क्या है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या विशेष कदम उठाए जाने का विचार है कि नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा भर्ती तथा पदोन्नतियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों के दावों की अवहेलना न हो ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) नई दिल्ली नगरपालिका ने सूचित किया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए नौकरी में आरक्षण के बारे में सरकार की हिदायतों का पालन किया जा रहा है और खाली पदों को अविलम्ब भरने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं।

(ख) अनुसूचित जाति — 30.5 प्रतिशत; अनुसूचित जनजाति — 1.00 प्रतिशत ।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुये प्रश्न ही नहीं उठता।

भूमि सुधारों का कार्यान्वयन

4840. **श्री ओस्कर फर्नान्डीस :** क्या **ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन-कौन से राज्यों में भूमि सुधारों को कार्यान्वित किया गया है; और

(ख) उन राज्यों में, जहां अभी तक इन्हें कार्यान्वित किया जाना है. भूमि सुधारों को कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) भूमि सुधार कार्यक्रमों को उन सभी राज्यों में कार्यान्वित किया जा रहा है जहां भूमि का सामुदायिक स्वामित्व भूमि काश्तकारी योजना की घोषित विशेषता नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारत में वन्य जीवन के अध्ययन के लिए अमरीका का दल

4842. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका के दल ने हाल में ही भारत और नेपाल में वन्य जीवन का अध्ययन करने के लिए भारत का दौरा किया था;

(ख) उन्होंने किन स्थानों का दौरा किया था;

(ग) क्या हमारे अभ्यारण्यों के विकास के लिये कोई सुझाव दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) हाल में अमरीका के किसी दल ने, विशेषकर वन्य प्राणी का अध्ययन करने के लिए, दौरा नहीं किया है ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं होता ।

'डेमोम बोल' में जल निकासी योजना

4843. **श्री जायनल अबेदिन** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने व्यापक क्षेत्र को, जो इस समय फरक्का बांध परियोजना के संचालन के बाद जलमग्न है, पुनः कृषि योग्य बनाने की दृष्टि से मुर्शिदाबाद जिले में 'डेमोम बोल' क्षेत्र में एक जल निकासी व्यवस्था का निर्माण करने की एक योजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस योजना का अनुमोदन करने/मंजूरी देने का है;

(घ) यदि हां, तो इस बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां ।

(ख) इस स्कीम में दो नियामकों, एक भागीरथी से उमड़ जल-प्रवाह को रोकने के लिए खरखर नाला के संगम के निचली ओर स्थित गादिर नाला निकास पर, तथा दूसरी गादिर नाला (स्थानीय रूप से डुबरी नाला के रूप में विख्यात) के अन्तिम सिरे पर और नवम्बर के अन्त तक खेती के लिए क्षेत्र को उपयुक्त बनाने के उद्देश्य से शेष जल को पम्प द्वारा भागीरथी में ले जाने के लिए डुबरी नाला नियामक पर एक पम्पिंग केन्द्र के निर्माण की परिकल्पना की गई है । फरवरी, 1980 में राज्य सरकार द्वारा यथा-प्रस्तुत इस स्कीम की अनुमानित लागत 77.17 लाख रुपए थी ।

(ग) से (ङ) इस स्कीम की केन्द्रीय जल आयोग द्वारा जांच की गई थी और अगस्त, 1980 में केन्द्रीय जल आयोग द्वारा भेजी गई टिप्पणियों के आधार पर, स्कीम तथा अनुमान को संशोधित करने की राज्य सरकार को सलाह दी गई है ।

फरक्का बांध को पोषक नहर के कारण भूमि के जलमग्न हो जाने के लिए किसानों को मुआवजा

4844. **श्री जायनल अबेदिन** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद जिले के अन्तर्गत जंगीपुर सब-डिवीजन के किसानों को फरक्का बांध को पोषक नहर के कार्य-संचालन के परिणाम-स्वरूप उनकी भूमि के जलमग्न हो जाने के कारण उन्हें हुई क्षति का मुआवजा देने के कोई उपाय किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) राज्य सरकार से इस प्रयोजन के कोई विशिष्ट प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं ।

(ख) और (ग) ये प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

फरक्का बांध परियोजना को पोषक नहर के कारण जलमग्न हुये क्षेत्र का प्रत्यावर्तन

4845. **श्री जायनल अबेदिन** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरक्का बांध परियोजना को पोषक नहर के कार्य-संचालन के परिणामस्वरूप इस समय जलमग्न हुए व्यापक क्षेत्र को इसको बांध से पूर्व की स्थिति में फिर से लाने के लिये अभिप्रेत योजना के कार्यान्वयन के बारे में अब तक हुई प्रगति का ब्योरा क्या है;

(ख) क्या इस योजना को निर्धारित समय-सीमा के अन्दर पूरा किया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) माननीय सदस्य सम्भवत: पगला-बंसलोई बेसिन जल-निकास स्कीम का जिक्र कर रहे हैं । बंसलोई में नियामक के निर्माण का कार्य प्रगति पर है और पगला में इस कार्य के जनवरी, 1982 में प्रारम्भ किए जाने की संभावना है ।

(ख) जी, नहीं । नियामक संबंधी वर्क्स, जिन्हें पहले कार्यक्रम के अनुसार नवम्बर, 1981 तक पूरा किया जाना था, उनके अब जून, 1983 में पूरा हो जाने की संभावना है ।

(ग) ठेकेदार द्वारा वित्त, श्रमिकों और सामग्रियों की व्यवस्था करने में हुई देरी के कारण प्रारंभ में विलम्ब हुआ था। ठेकेदार ने बंसलोई स्थल पर श्रमिकों की समस्याएं होने और पगला स्थल पर राज्य द्वारा पहुंच सड़क के निर्माण पर आपत्ति किए जाने की सूचना दी थी। ये समस्याएं पहले ही हल की जा चुकी हैं।

राजकोट और सुरेन्द्रनगर में सरकारी आवास

4846. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में राजकोट और सुरेन्द्रनगर शहरों में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों (रेलवे विभाग को छोड़कर) के लिए स्टाफ क्वार्टर की वर्तमान सुविधाएं क्या हैं; और

(ख) क्या उनके लिए और क्वार्टरों का निर्माण करने के लिए कोई प्रस्ताव है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) मेरे मन्त्रालय का सम्बन्ध केवल 'सामान्य पूल' आवास की व्यवस्था करने से है। राजकोट और सुरेन्द्रनगर में फिलहाल सामान्य पूल में कोई क्वार्टर उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) राजकोट और सुरेन्द्रनगर में 'सामान्य पूल' में क्वार्टरों के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

गुजरात को पामोलीन तेल की सप्लाई

4847. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या **नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1980-81 में गुजरात राज्य के लिये पामोलीन तेल की 97,000 टन का अपेक्षित क्षमता में से केवल 56,000 टन ही उपलब्ध कराया गया था; और

(ख) वर्ष 1981-82 में यह आवश्यकता पूरी करने के लिये सरकार की योजना क्या कार्यवाही करने की है ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब्रजमोहन महन्ती) : (क) व (ख) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उपभोक्ताओं को सप्लाई करने के लिए आयातित खाद्य तेलों का आवंटन उनकी आवश्यकताओं के निर्धारण, देशीय तेलों की स्थानीय उपलभ्यता, आयातित तेलों के स्टाक की उपलभ्यता, पहले किये गये आवंटनों में से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उठाई गई वास्तविक मात्रा तथा ऐसी अन्य संबंधित बातों के आधार पर हर माह किया जाता है। यद्यपि, समूचे तेल वर्ष के लिये हर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा तेल वर्ष के आरंभ में ही अपनी अनुमानित मांग बता दी जाती है, तथापि, आवंटन बढ़ाने, तेल में परिवर्तन करने आदि के तदर्थ अनुरोध सारे वर्ष प्राप्त होते रहते हैं। माह-दर-माह के आवंटनों का निर्णय करने में इन बातों को ध्यान में लिया जाता है। गुजरात, जो एक प्रमुख तेल उत्पादक राज्य है, के मामले में, राज्य सरकार द्वारा नवम्बर, 1980 से अक्तूबर, 1981 के तेल वर्ष के

लिए पामोलीन की आवश्यकता का अनुमान 78,000 मी. टन लगाया गया था । तेल वर्ष 1980-81 के दौरान, उक्त राज्य को माह-दर-माह किया गया कुल आवंटन 56,500 मी. टन बनता है, जिसमें से राज्य सरकार ने वास्तव में 53,500 मी. टन मात्रा उठाई । 1981-82 के दौरान, गुजरात की आवश्यकताओं पर ऊपर बतायी गयी बातों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जायेगा ।

पश्चिम तट में मत्स्य पत्तनों की स्थापना

4848. **श्री एन० डेनिस :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु के पश्चिम तट में, जहां मत्स्य उद्योग के विकास के लिए व्यापक क्षेत्र और अवसर हैं, मत्स्य पत्तन अथवा पत्तनों की स्थापना का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है,

(ख) यदि हां, तो ऐसे मत्स्य पत्तन अथवा बंदरगाहों की स्थापना कब की जायेगी; और

(ग) ऐसे मत्स्य-पत्तन अथवा बंदरगाहों की स्थापना किस स्थान अथवा किन स्थानों पर की जायेगी ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) समूचे कन्याकुमारी जिले की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चिन्नामुत्तम में एक मत्स्यन पत्तन बनाए जाने का प्रस्ताव है । परियोजना तैयार की गई है और निवेश संबंधी निर्णय की प्रतीक्षा है ।

(ख) निवेश संबंधी निर्णय होने के बाद यह कार्य तत्काल शुरू किया जाएगा ।

(ग) चिन्नामुत्तम में ।

तमिलनाडु में कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम

4849. **श्री एन० डेनिस :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसा कार्यक्रम किन स्थानों पर कार्यान्वित किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या राज्य में इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए कोई प्रस्ताव है तथा इसके कार्यान्वयन के लिए किन-किन स्थानों का प्रस्ताव है और तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां ।

(ख) यह कार्यक्रम पेरियार वैगई, लोअर मवानी प्रणाली तथा कावेरी प्रणाली के कमान क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है । इन तीनों परियोजनाओं के कमान क्षेत्र (1) घंजावुर, (2) कोयम्बतूर, (3) तिरूची और (4) मदुरै जिलों में स्थित हैं ।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) को ध्यान में रखते हुए, यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मदनगीर, दिल्ली में नागरिक सुविधाओं की कमी

4850. **श्री राम लाल राही :**

श्री मोहम्मद असरार अहमद : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान श्रमिक संघ, दिल्ली नामक एक सामाजिक संगठन ने दिल्ली में उपराज्यपाल और दिल्ली का विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को विभिन्न अभ्यावेदन भेजे हैं जिनमें मदनगीर फेस-II कालोनी मे पेय जल और बिजली की अपर्याप्त और रुक-रुक कर सप्लाई, सार्वजनिक शौचालयों में टूटे दरवाजों और पानी की टंकी के चालू होने में हो रही असाधारण देरी जैसी नागरिक सुविधाओं की कमी के बारे में शिकायत की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबध में आज तक कोई सुधार न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या बिजली के कनेक्शन की मंजूरी हो जाने के बावजूद संबंधित विद्युत निरीक्षक ने भेदभावपूर्ण ढंग से केवल थोड़े से कनेक्शन लगाये हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में जांच करायेगी और संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि यह कहना सही नहीं है कि जे० जे० कालोनी मदनगीर में कोई सुधार नहीं किया जा रहा है । दिल्ली विकास प्राधिकरण ने पहले ही इस कालोनी के चरण-I तथा चरण-II में कुल 780 शुष्क शौचालयों में से 575 शौचालयों को सैप्टिक टैंक सहित अर्धजलवाही शौचालयों में बदल दिया है । दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह भी सूचित किया है कि सार्वजनिक नलों के द्वारा जल-सप्लाई की जा रही है तथा कुछ मामलों में घरेलू जल कनेक्शन भी दिये गये हैं और इस कालोनी में जल की कमी नहीं है । दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अधिकांश शौचालय के ब्लाकों में लकड़ी के दरवाजे लगा दिये हैं और मार्च, 1982 के अन्त तक जल जमा करने की टंकी चालू करने का प्रस्ताव है । दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आमतौर पर विशिष्टियों के अनुसार मरम्मत तथा अनुरक्षण कार्य किये जाते हैं । दिल्ली विद्युत सप्लाई संस्थान ने सूचित किया है कि इस क्षेत्र का पूर्ण विद्युतीकरण हो चुका है और वहां स्ट्रीट लाइट की भी सुविधा हैं और सन्तोषजनक ढंग से इनको बनाया रखा जा रहा है ।

(ग) दिल्ली विद्युत सप्लाई संस्थान ने इससे इंकार किया है ।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

टूटे हुए चावलों को स्वीकार करना

4851. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा स्वीकार किए जाने वाले टूटे चावल का प्रतिशत प्रत्येक राज्य में भिन्न-भिन्न है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय खाद्य निगम द्वारा पिछले दो वर्षों में प्रत्येक राज्य द्वारा स्वीकार किए गए टूटे चावल के प्रतिशत का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार को कुछ राज्य सरकारों से भारतीय खाद्य निगम द्वारा चावल मिलों से टूटे हुए चावल वाले अधिक चावल लिए जाने के विरुद्ध अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार इस मामले में क्या कार्रवाई करने पर विचार कर रही है और क्या सरकार इस संबध में एक ऐसी समान नीति निर्धारित कर रही है जो समस्त देश के लिए उपयुक्त होगी ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) से (घ) जी, नहीं। भारत सरकार प्रत्येक वर्ष केन्द्रीय भण्डार के लिए वसूली करने के लिए चावल के बारे में समान निर्दिष्टियां निर्धारित करती है। भारतीय खाद्य निगम सभी राज्यों में केवल इन निर्दिष्टियों के अनुरूप ही चावल की वसूली करता है। टोटे के बारे में विनिर्दिष्टियों को धीरे-धीरे कड़ा कर दिया गया है ताकि अच्छे किस्म के चावल की सुपुर्दगी सुनिश्चित की जा सके।

उत्तर प्रदेश और पंजाब की राज्य सरकारों से साधारण किस्म के कच्चे चावल में "टोटे" की सहन और अस्वीकृति सीमा में वृद्धि करने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। निर्दिष्टियों में ढील देना स्वीकार नहीं किया गया है क्योंकि चावल के स्टाक को जब सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से जारी किया जाता है तो उस समय बहुत अधिक टोटा समस्या पैदा कर देता है।

विश्व बैंक की सहायता से नलकूपों के लिए निधियों का नियतन करने के आधार

4852. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** :

श्री हीरा लाल आर० परमार : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार विश्व बैंक की सहायता से, पहले की भांति ही, विभिन्न राज्यों में नलकूपों की स्थापना के लिए निधियों का नियतन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन निधियों का नियतन प्रत्येक राज्य में असिंचित क्षेत्र तथा भूमिगत जल क्षेत्र के आधार पर किया जायेगा; और

(ग) उपरोक्त योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) लघु सिंचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत नलकूपों का प्रतिष्ठापन करना राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता है केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों में नलकूपों की स्थापना करने के लिए कोई धनराशि नियत नहीं की जाती । तथापि, उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने विश्व बैंक की सहायता से 500 सरकारी नलकूपों के निर्माण की एक परियोजना अप्रैल, 1980 में आरम्भ की थी जिसे मई, 1982 के अन्त तक पूरा करने का कार्यक्रम है ।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए, ये प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश को आवंटित धनराशि

4853. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली, मेरठ, आगरा और लखनऊ डिवीजनों में विभिन्न जिलों को आबंटित धनराशि का पूरी तरह उपयोग नहीं किया गया;

(ख) यदि हां, तो पूरे किये गए कार्यों का ब्यौरा क्या है तथा उपयुक्त डिवीजनों के प्रत्येक जिले में उपयुक्त राशि की प्रतिशत क्या है; और

(ग) धनराशि का उपयोग न करने के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम): (क) व (ख) उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि वर्ष 1980-81 के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत बरेली, मेरठ, आगरा तथा लखनऊ डिवीजनों के विभिन्न जिलों को आबंटित निधियां लगभग उपयोग में लाई जा चुकी हैं । कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में निधियों के किए गए उपयोग तथा पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों से सम्बन्धित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) निधियों का उपयोग न करने के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न तभी उत्पन्न होगा यदि यह पाया जाता है कि किसी भी जिले में निधियों का सही उपयोग नहीं किया गया है ।

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा बन्धक पत्र हासिल करना

4854. **श्री रेणु पद दास** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने उन संस्थाओं से ईक्विटेबल बन्धक पत्र प्राप्त करने के बारे में अब तक क्या कार्यवाई की है जिनके ऋण बन्धक पत्रों के अन्तर्गत नहीं थे और जिनकी राशि 33.57 करोड़ रु० है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग उन संस्थाओं द्वारा ईक्विटेबल बन्धक पत्रों को शीघ्र प्रस्तुत करने के लिए

प्रभावकारी ढंग से लगा हुआ है जिनके ऋण पहले ऐसे बन्धक पत्रों के अन्तर्गत नहीं थे और उसके परिणामस्वरूप उनमें से अधिकांश ने बन्धक पत्र प्रस्तुत कर दिए हैं।

बकाया ऋणों और उपयोग न किए गए अनुदानों की वसूली

4855. **श्री रेणु पद दास** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा सीधे वित्त पोषित, पश्चिम बंगाल के तीन सबसे बड़े संस्थानों अर्थात् मालदा का गांधी आश्रम, मुर्शिदाबाद की चन्द्रकान्ता ललित मोहन रेशम खादी समिति और बांकुरा का भगवानदास शरद की, इन संस्थाओं के एकदम प्रारम्भ से अब तक एकत्रित होती गई वसूल न किए गए ऋणों और अनुदानों की राशि कितनी है; और

(ख) इन संस्थानों से बकाया ऋणों और उपयोग न किए गए अनुदानों की वसूली करने हेतु सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) तीन संस्थाओं के बारे में अतिदेय ऋणों की धनराशि तथा उपयोग में न लाई गई निधियां निम्न प्रकार हैं :—

संस्था का नाम	31-3-80 को खादी के लिए अतिदेय ऋण	31-3-79 को ग्रामोद्योगों के लिए अतिदेय ऋण	खादी के लिए 31-3-79 तक उपयोग में न लाई गई निधियां	ग्रामोद्योगों के लिए 31-3-79 तक उपयोग में न लाई निधियां
1. मालदा का गांधी आश्रम (क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम जलाल, मालदा)	—	—	*	*
2. चन्द्रकान्ता ललित मोहन रेशम खादी समिति, मुर्शिदाबाद	0.82	0.06	0.24	0.01
3. सिल्क खादी सेवा मण्डल विशनुपुर (श्री भगवान दास शरद संस्था के सचिव हैं)	1.58	0.20	0.12	**

* 1976-77 तक संस्था को कोई अनुदान नहीं दिया गया था। 1977-78 तथा 1978-79 के वर्षों के लिए कोई खर्च की गई निधियां नहीं थीं। वर्ष 1979-80 के दौरान दिये गये अनुदानों के बारे में उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रतीक्षा की जा रही है।

** संस्था को ग्रामीण तेल उद्योग के लिए अनुदान के रूप में 0.1 लाख रुपये की धनराशि दी गई थी जिसके लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ख) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने संस्थाओं से अतिदेय ऋणों तथा उन्हें अनुदानों की उपयोग में न लाई गई निधियों का शीघ्र वापिसी भुगतान करने के लिए कह खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने कलकत्ता में अपने राज्य कार्यालय को भी सलाह दी संबंधित संस्था के छूट/उपदान सम्बन्धी दावों से अतिदेयों की वसूली करें।

केन्द्रीय जल आयोग में हिन्दी अधिकारियों की भर्ती

4856. **श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या केन्द्रीय जल आयोग को संघ लोक सेवा आयोग के इन मार्ग निदेशों की कारी है कि लिखित परीक्षा और इसके पश्चात् साक्षात्कार आदि के आधार पर विभिन्न पत्रित पदों के लिए भर्ती से पहले उम्मीदवारों को, वर्तमान पद तथा पिछले आंतरिक्त को ध्यान में रखे बिना, समान समझा जाए;

(ख) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय जल आयोग ने हाल ही में हिन्दी अधिकारि लिए लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार लेते समय संघ लोक सेवा आयोग के अनुदेशों/मार्गो को अनदेखी करने से प्रतिभाशाली उम्मीदवार पिछड़ गए; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, नहीं। के जल आयोग को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किए गए ऐसे मार्गदर्शी-सिद्धांतों की कारी नहीं है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

1981 तक पूरी होने वाली सिंचाई परियोजनाएं

4857. **श्री निहाल सिंह** : क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित जानकारी देशाने एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में जिलावार ऐसी कितनी सिंचाई परियोजनाएं चल रही हैं जिन्हें 1980 1981 में पूरा होना था परन्तु निर्धारित समय के अनुसार पूरी नहीं हो सकीं, तत्संबंधी क्या है; और

(ख) इन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जो आबंटित राशि से निर्धारित समः पूरी नहीं हो सकीं लेकिन जिनके लिए अतिरिक्त धनराशि मंजूर करनी पड़ी ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली में जमीन के भाव

4809. **श्री भीकूराम जैन :** क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में हाल के वर्षों में जमीन के भावों में काफी बृद्धि हुई है;

(ख) क्या इसका मुख्य कारण यह है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण दिल्ली में अत्यधिक ऊंचे भावों पर जमीन बेच रहा है;

(ग) क्या दिल्ली में तथा अन्य नगरों में शहरी भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम का लागू होना भी जमीनों के भावों में हो रही वृद्धि का एक सहयोगी कारण है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रवृत्ति को नियंत्रित करने के लिए और राजधानी में जमीन के भावों को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) जी, नहीं। सामान्य मुद्रास्फीति तथा खुली खरीद के लिये प्लाटों की कम उपलब्धता के कारण मूल्यों में बृद्धि हुई प्रतीत होती है।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा 31 मार्च, 1981 तक निम्न आय वर्ग तथा मध्यम आय वर्ग के लोगों को पूर्व निर्धारित दरों पर लगभग 23,000 प्लाट आवंटित किये गये थे। इसके अतिरिक्त पुनर्वास कालोनियों में नाम मात्र लाइसेन्स फीस के आधार पर 25 वर्ग गज तथा 80 वर्ग गज के लगभग 2 लाख प्लाट आवंटित किये गये थे।

दिल्ली प्रशासन तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आवास निर्माण समितियों को लगभग 28,000 रिहायशी प्लाटों के विकास के लिये लगभग 3670 एकड़ भूमि आवंटित की गई है।

इसके अतिरिक्त दिल्ली प्राधिकरण में निम्न आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग तथा जनता वर्ग के अन्तर्गत 1,17,000 तथा ग्रुप आवास के लिए। 17,000 रिहायशी एककों के आवंटन के लिये "रोहिणी" नामक एक महत्वाकांक्षी योजना चलाई है। इस कार्यक्रम से रिहायशी समस्याओं को बड़े पैमाने पर हल करने में सहायता मिलने के अलावा दिल्ली में भूमि के मूल्यों में कमी होने की आशा भी है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने वर्ष 1979-80 तथा 81 में पंजीकृत ग्रुप आवास समितियों से भूमि के आवंटन के लिये आवेदन पत्र भी मांगे हैं। उक्त उपायों से यह सुनिश्चित हो जायेगा कि मध्यम तथा निम्न आय वर्ग तथा आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों से सम्बन्धित लोगों को उचित मूल्य पर भूमि प्राप्त होगी।

दिल्ली में आवासीय मकानों को वाणिज्यिक दुकानों में बदला जाना

485. **श्री भीकू राम जैन :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वाणिज्यिक स्थानों की अत्यधिक आवश्यकता और दबाव के कारण चांदनी चौक और पुरानी दिल्ली नगर क्षेत्र में आवासीय मकानों को तेजी से वाणिज्यिक दुकानों में बदला जा रहा है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि यह सारा कार्य अव्यवस्थित ढंग से किया जा रहा है;

(ग) क्या इस बात को तथा उपरोक्त क्षेत्रों में दुकानों की भारी मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मकानों में भूमि तल में दुकान बनाने की सरकारी अनुमति देने के बारे में विचार किया है जिससे कि विभिन्न सरकारी विभागों की जानकारी में हो रहे अनधिकृत निर्माण को रोका जा सके तथा समुचित विकास सुनिश्चित किया जा सके; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि चांदनी चौक सहित पुरानी दिल्ली में अव्यवस्थित रूप से रिहायशी मकानों के वाणिज्यिक एककों में अनधिकृत रूप से बदले जाने के कई मामले उनके ध्यान में आये हैं। दिल्ली नगर निगम ने पहले ही इस अनधिकृत परिवर्तन के विरुद्ध दिल्ली नगर निगम अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही शुरू कर दी है।

(ग) तथा (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि भवनों के भूतल पर दुकानों के निर्माण के लिये आज्ञा देने का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

उड़ीसा में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम

4860. **श्री लक्ष्मण मलिक :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामाजिक वानिकी कार्यक्रम कार्यान्वित करने के लिए वर्ष 1981-82 में उड़ीसा को कुल कितनी राशि आवंटित की गई है;

(ख) इस वर्ष उपरोक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत उड़ीसा के किन जिलों को शामिल किया गया है;

(ग) उपरोक्त राज्य में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम कार्यान्वित करने के लिए विश्व बैंक, केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा कुल कितनी राशि वित्त पोषित की गई है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) :

(क) राज्य क्षेत्र की योजनाओं के अन्तर्गत 1981–82 के दौरान सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के लिए 26.58 रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, "ग्रामीण ईंधन की लकड़ी हेतु वृक्षारोपण सहित सामाजिक वानिकी" नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के लिए 1980–81 और 1981–82 वर्षों के लिए 75.24 लाख रुपये की राशि का आवंटन किया है, जिसमें केन्द्रीय अनुदान और राज्यों का हिस्सा शामिल है ।

(ख) सामाजिक वानिकी कार्यक्रम को उड़ीसा के 13 जिलों अर्थात बालासौर, बोलनगिर, कटक, धनकानल, गंजम, कालाहाण्डी, क्योंझर, कोरापुट, मयूरभंज, फूलबानी, पुरी, सम्बलपुर और सुन्दरगढ़ में क्रियान्वित किया जायेगा ।

(ग) विश्व बैंक ने उड़ीसा में किसी सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के लिए धन नहीं दिया है। केन्द्र ने 1980–85 योजना अवधि के लिए ग्रामीण ईंधन की लकड़ी के वृक्षारोपण की योजना सहित केन्द्रीय प्रायोजित सामाजिक वानिकी हेतु 213 लाख रुपये की धनराशि का प्रावधान किया है । राज्य ने सामाजिक वानिकी कार्यक्रम हेतु 1980-85 योजना अवधि के लिए 713 लाख रुपये उपलब्ध कराये हैं, जिसमें केन्द्रीय प्रायोजित योजना में राज्य का हिस्सा भी शामिल है ।

(घ) सामाजिक वानिकी के राज्य क्षेत्र के कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य वन विभाग छठी योजना अवधि के दौरान 500 लाख रुपये की लागत से लगभग 1,25,800 हैक्टार क्षेत्र में वृक्षारोपण करेगा । "ग्रामीण ईंधन की लकड़ी के वृक्षारोपण सहित सामाजिक वानिकी" की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत लगभग 20,000 हैक्टार में वृक्षारोपण करने और बोलनगिर, बालासौर, कटक और पुरी नामक चार चुनींदा जिलों में वितरण हेतु 230 लाख पौद लगाने के लिए छठी योजना अवधि के लिए 426 लाख रुपये की धनराशि मंजूर की गई है ।

छठी योजना के दौरान सिंचाई योजनाओं के लिए धन

4861. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान सिंचाई योजनाओं पर खर्च के लिए सरकार ने राज्य-वार कितने धन को व्यवस्था की है; और

(ख) तत्संबंधी राज्य-वार ब्योरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) दो विवरण संलग्न हैं, जिनमें छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यवार सिंचाई सेक्टर के लिए परिव्यय (विवरण-एक) और सिंचाई स्कीमों से अतिरिक्त लाभों के लक्ष्य (विवरण-दो) में दिए गए हैं ।

विवरण-1

सिंचाई सेक्टर में छठी योजना (1980-85) के लिए परिव्यय

(करोड़ रुपए)

क्रम सं०	राज्य	बृहद और मध्यम	लघु	सांस्थानिक	जोड़	कमान क्षेत्र विकास	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	791.29	79.00	225.00	304.00	35.00	1130.29
2.	असम	62.50	74.50	9.50	84.00	1.60	148.10
3.	बिहार	850.00	168.70	198.00	861.70	32.00	1243.70
4.	गुजरात	980.00	88.00	37.00	145.00	18.80	1043.80
5.	हरियाणा	362.25	23.71	45.30	39.01	69.05	500.31
6.	हिमाचल प्रदेश	10.45	21.00	1.40	22.40	—	32.85
7.	जम्मू तथा काश्मीर	67.94	43.50	0.50	44.10	9.00	120.04
8.	कर्नाटक	440.50	100.00	60.00	160.00	13.00	313.50
9.	केरल	256.05	40.00	57.00	97.00	7.25	360.30
10.	मध्य प्रदेश	780.00	267.75	250.00	517.75	94.75	1392.50
11.	महाराष्ट्र	1138.66	164 65	189.00	293.65	26.70	1459.01
12.	मणिपुर	40.00	8.52	0.70	9.20	0.50	49.70
13.	मेघालय	1.00	6.00	0.70	6 70	—	7.70
14.	नागालैंड	—	10.00	0.70	10.70	—	10.70
15.	उड़ीसा	360.00	85.00	111.00	196.00	10.00	566.00
16.	पंजाब	327.29	9.43	47.00	56.43	38.81	428.58
17.	राजस्थान	375.00	34.00	35.00	119.00	94.26	588.26

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	सिक्किम	—	4.00	0.50	4.50	—	4.50
19.	तमिलनाडु	149.79	39.40	25.00	64.40	8.00	222.19
20.	त्रिपुरा	19.00	13.10	0.60	13.70	—	32.70
21.	उत्तर प्रदेश	1049.74	279.96	203.00	482.96	85.00	1617.70
22.	पश्चिम बंगाल	240.00	150.00	111.00	261.00	13.20	540.30
	उप-जोड़ राज्य						
	संघ राज्य क्षेत्र	8,301.46	1710.70	1693.00	3403.70	555.92	13,261.08
1.	अण्डमान और निकोबार	—	1.20			—	
2.	अरुणाचल प्रदेश	2.00	13.00			—	
3.	चण्डीगढ़	—	0.64			—	
4.	दादर तथा नगर हवेली	9.00	0.55				
5.	दिल्ली	4.10	2.00				
6.	गोवा, दमन और द्वीप	40.00	6.00			0.35	
7.	लक्ष्यद्वीप	—	—				
8.	मिजोरम	—	3.00				
9.	पाण्डिचेरी	1.80	3.21				
	उप-जोड़ संघ राज्य क्षेत्र	56.90	29.60	7.00	36.60	0.35	93.85
	केन्द्रीय सेक्टर	90.00	70.00	—	70.00	300.00	460.00
	कुल जोड़:	8448.36	1810.30	1700.00	3510.30	856.27	12814.93
							(अर्थात् : 12,815)

विवरण-2

छठी योजना (1980-85) के दौरान अतिरिक्त सिंचाई लाभों के लक्ष्य

(हजार हेक्टेयर)

क्रम सं०	राज्य	क्षमता			उपयोग		
		बृहद और मध्यम	लघु	जोड़	बृहद और मध्यम	लघु	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	520	350	870	335	350	385
2.	असम	119	107	226	99	107	206
3.	विहार	635	1015	1680	683	1015	1703
4.	गुजरात	260	193	453	224	193	417
5.	हरियाणा	151	147	298	166	147	313
6.	हिमाचल प्रदेश	6	22	28	5	22	27
7.	जम्मू और काश्मीर	40	25	65	45	25	70
8.	कर्नाटक	400	315	715	320	315	635
9.	केरल	208	95	303	207	95	302
10.	मध्य प्रदेश	533	500	1033	601	500	1101
11.	महाराष्ट्र	550	325	875	450	325	775
12.	मणिपुर	46	15	61	43	15	52
13.	मेघालय	—	15	15	—	15	15

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	नागालैंड	—	10	10	—	10	10
15.	उड़ीसा	254	406	660	254	406	660
16.	पंजाब	170	240	410	160	240	400
17.	राजस्थान	330	150	482	314	150	464
18.	सिक्किम	—	8	8	—	8	8
19.	तमिलनाडु	66	167	233	65	167	232
20.	त्रिपुरा	3	10	13	2	10	12
21.	उत्तर प्रदेश	1200	3350	4550	1459	3350	4709
22.	पश्चिम बंगाल	197	490	687	251	490	741
	उप-जोड़ राज्य	5720	7955	13675	5588	7955	13543
	संघ राज्य क्षेत्र	21	45	66	12	45	57
	कुल जोड़ :	5741	8000	13741	5600	8000	13600
	अर्थात्:	6000	अर्थात् :	14000			

छठी योजना के दौरान नलकूप लगाना और नहरें बनाना

4862. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा

(क) छठी पंच वर्षीय योजना के दौरान राज्यवार कितने नलकूप लगाये जा लम्बी नहर बनाये जाने का विचार है; और

(ख) प्रत्येक राज्य में उन पर व्यय का क्या प्रावधान किया गया है और लागत आने का अनुमान है ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और वर्षीय योजना के निर्मित की जाने वाली नहरों की लम्बाई के बारे में कोई सूचना की गई है। शेष सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

गेहूं का पिछले पांच वर्षों का समर्थन मूल्य

4863. **श्री राम विलास पासवान** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे

(क) सरकार ने 1976 से 1981 के बीच प्रति वर्ष रबी फसल के लिये गेहूं का मूल्य निर्धारित किया था;

(ख) क्या समर्थन मूल्य में वृद्धि के लिए समता के सिद्धांत को आधार बनाया गया

(ग) उपरोक्त प्रत्येक वर्षों में 30 जून, तथा 31 दिसम्बर, को राशन की दुकान गेहूं का निर्गमन मूल्य क्या था; और

(घ) समर्थन मूल्य और निर्गमन मूल्य के बीच उस भारी अन्तर को कम करने कार द्वारा क्या कदम उठाये जाने हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्व

(क) 1976-77 से 1981-82 के वर्षों के दौरान सरकार द्वारा निर्धारित किये गये खरी दिये गये हैं :—

रुपये प्रति क्विंट
वर्ष (विपणन मौ

	1976-77	1977-78	1878-79	1979-80	1980-81
गेहूं का खरीद मूल्य	105.00	110.00	112.50	115.00	117.00

(ख) अन्य बातों के साथ-साथ गेहूं के उत्पादन की लागत व आदान लागतें समर्थन मूल्य निर्धारित करने में महत्वपूर्ण रही है। समर्थन मूल्य की सिफारिश करते

1980 से कृषि मूल्य आयोग कृषि व गैर-कृषि क्षेत्रों के बीच होने वाले व्यापार सम्बन्धी परिवर्तनों पर भी ध्यान देता रहा है।

(ग) 1976 से 30 जून तथा 31 दिसम्बर को गेहूँ के निर्गम मूल्य नीचे दिये गये हैं :—

(रुपये प्रति क्विंटल)

	30 जून	31 दिसम्बर
1976	125.00	125.00
1977	125.00	125.00
1978	125.00	130.00
1979	130.00	130.00
1980	130.00	130.00
1981	145.00	—

(घ) खरीद मूल्य व निर्गम मूल्य में अधिक अन्तर नहीं है बल्कि संभाल, परिवहन, भंडारण आदि के कारण आयी लागत पर पर्याप्त राजसहायता देकर यह अन्तर बहुत कम रखा गया है।

दिल्ली में राशन कार्ड धारकों के गेहूं और चीनी के कोटे में कमी करना

4864. **श्री राम विलास पासवान**
डा० ए० यू० आजमी
श्री एच० एन० नन्जे गौडा
श्री बी० वी० देसाई
श्री हरीश कुमार गंगवार : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी में उचित दर की दुकानों में गेहूं और चीनी की वास्तविक मांग और आवंटन में अन्तर के कारण इन वस्तुओं की लगातार कमी हो रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार राजधानी में राशन कार्ड धारकों के गेहूं और चीनी के कोटे में कमी करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने जनवरी, 1981 से (अब तक) (माहवार) उचित दर की दुकानों के लिए मांग के विपरीत कितना गेहूं और चीनी सप्लाई की और सप्लाई में कमी के क्या कारण थे; और

(घ) कार्ड धारकों के राशन के कोटे में कमी करने के क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी नहीं।

(ख) दिल्ली प्रशासन को परामर्श दिया गया है कि यदि 40,000 मीटरी टन गेहूं का वर्तमान आवंटन पर्याप्त नहीं है तो राशन के कार्डधारियों के गेहूं के कोटे को कम कर दिया जाय और उसके स्थान पर चावल जारी किया जाये ।

जहां तक चीनी का सम्बन्ध है, दिल्ली में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिये आवंटन को 6104 मीटरी टन प्रतिमास के स्तर पर बनाये रखा जा रहा है और दिल्ली प्रशासन को सलाह दी गई है कि यदि आवश्यक हो तो वे राशन के कोटे में मामूली समायोजन कर दें ।

(ग) और (घ) एक विवरण संलग्न है जिसमें 1981 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिये गेहूं और चीनी की मांग, उसके आवंटन और उठान का ब्यौरा दिया गया है ।

दिल्ली प्रशासन को प्रतिमास 40,000 मीटरी टन गेहूं का आवंटन प्राप्त हो रहा है। उन्होंने हाल ही में अनुरोध किया था कि उनके आवंटन को बढ़ाकर 60,000 मीटरी टन कर दिया जाय। गेहूं की कठिन उपलब्धता स्थिति को देखते हुए, उनके इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सका था और दिल्ली प्रशासन को परामर्श दिया गया है कि वे राशन के कार्डधारियों के गेहूं के कोटे को कम कर और चावल का कोटा बढ़ाकर आवश्यक समायोजन कर दें ।

चीनी के बारे में भी दिल्ली प्रशासन से अनुरोध किया गया है कि वे आवंटन के अनुसार ही मामूली समायोजन कर दें क्योंकि फिलहाल उनके आवंटन में वृद्धि करना सम्भव नहीं है ।

विवरण

1981 के दौरान, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिये गेहूं और चीनी की मांग, उनके आवंटन और उनकी उठाई गई मात्रा को बताने वाला विवरण

(हजार मी० टन में)

मास	मांग		आवंटन		उठान	
	गेहूं	चीनी	गेहूं	चीनी	गेहूं	चीनी
1981		कृपया				
जनवरी	40.0	नीचे	40.0	5.33	45.9	5.40
फरवरी	40.0	दिए	40.0	6.12	36.5	5.65
मार्च	64.0	गए	40.0	6.12	40.3	6.52
अप्रैल	64.0	नोट को	40.0	6.12	35.3	5.94
मई	66.0	देखें	40.0	6.12	28.7	6.08
जून	60.0		40.0	6.12	28.9	6.04

1	2	3	4	5	6
जुलाई	60.0	40.0	6.12	35.5	7.63
अगस्त	60.0	40.0	6.12	37.9	6.98
सितम्बर	60.0	40.0	6.12	38.4	5.85
अक्तूबर	60.0	40.0	6.13	38.0	6.00
नवम्बर	60.0	40.0	6.12		5.36
दिसम्बर	60.0	40.0	6.12		उपलब्ध नहीं

नोट : – दिल्ली प्रशासन से लेवी चीनी के मासिक कोटे में वृद्धि करने के लिये समय-समय पर अनुरोध प्राप्त हुए थे। उन्होंने जनवरी, 1981 में 6,100 मीटरी टन, जुलाई, 1981 में 6,290 मीटरी टन और अक्तूबर, 1981 में 6,500 मीटरी टन के मासिक कोटे के लिये अनुरोध किया था।

शंकर गार्डन दिल्ली में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था

4865. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली की विभिन्न अधिकृत/अनधिकृत कालोनियों में स्ट्रीट लाइट जैसी एक आधारभूत नागरिक सुविधा की व्यवस्था करने हेतु क्या नीति है;

(ख) क्या यह सच है कि पश्चिम दिल्ली की शंकर गार्डन कालोनी, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित और अधिकृत कालोनी है फिर भी इसे स्ट्रीट लाइट की आधारभूत सुविधा से वंचित रखा गया है; और

(ग) यदि हां, तो इन कालोनियों के निवासियों द्वारा दिल्ली बिद्युत प्रदाय संस्थान को बार-बार इसके लिए अनुरोध किये जाने के बावजूद इन कालोनियों में स्ट्रीट लाइट न दिये जाने के क्या कारण हैं;

(घ) इन कालोनियों में शीघ्र स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने बतलाया है कि किसी भी कालोनी का विद्युतीकरण करना कालोनाइजर/विकास अभिकरणों का उत्तरदायित्व है कालोनी में स्ट्रीट लाइट के लिए अनुमान दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान से प्राप्त किये जाते हैं और उनकी 100 प्र० श० लागत अग्रिम रूप से दी जानी होती है जिसके

पश्चात दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था करता है। स्ट्रीट लाइट में बिजली की खपत तथा किसी कालोनी में स्ट्रीट लाइट के अनुरक्षण के व्यय का भुगतान भी कालोनाइजर/विकास अभिकरण द्वारा वहन किया जाता है। यह उस समय तक किया जाता है जब तक कि कालोनी की सेवाएं औपचारिक रूप से दिल्ली नगर निगम द्वारा सम्भाली जाती है, जिसके पश्चात ऐसा भुगतान दिल्ली विद्युत संस्थान को दिल्ली नगर निगम द्वारा किया जाता है।

(ख) से (घ) यह सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

सरकारी क्वार्टरों में विद्युत प्रभार की वसूली

4866. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार सरकारी क्वार्टरों के प्रत्येक आवंटिती के वेतन से प्रतिमाह किराये के साथ-साथ समान दर पर बिजली प्रभार वसूल करती है;

(ख) क्या यह भी सच है कि ये प्रभार आवंटिती को बताये बिना ही वसूल कर लिये जाते हैं।

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार को पता है कि बस्तियों के बहुत से ब्लाकों में विशेषकर डी० आई० जेड० एरिया, मन्दिर मार्ग सीढ़ियों की बिजली बहुत दिनों तक खराब पड़ी रहती है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सीढ़ियों की बिजली ठीक तरह चलती रहने की जांच करने के सम्बन्ध में आवंटिती के हस्ताक्षर करवाने के लिए कोई प्राधिकारी नियुक्त करने का है।

संसदीय तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) सरकारी क्वार्टरों में पावर सप्लाई के प्रभार स्थानीय निकायों द्वारा सीधे वसूल किये जाते हैं। बहुमंजिले सरकारी क्वार्टरों में सीढ़ियों की लाइट के प्रभार समान दर पर प्रत्येक माह प्रत्येक आवंटिती के वेतन से क्वार्टर के किराये के साथ-साथ सम्पदा निदेशालय द्वारा वसूल किया जाता है।

(ख) जी, नहीं। ये प्रभार सम्पदा निदेशालय द्वारा प्रस्तुत किये गये मांग विवरण में स्पष्ट रूप से दिखाये जाते हैं।

(ग) प्रत्येक पूछताछ-कार्यालय में शिकायत रजिस्टर रखा जाता है और सीढ़ियों की लाइट की शिकायतों को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के विद्युत स्टाफ द्वारा शीघ्र ही दूर किया जाता है।

(घ) जी, नहीं। सीढ़ियों की लाइट की शिकायत को दूर करने के पश्चात केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का विद्युत स्टाफ शिकायत दूर करने के प्रमाण में सम्बन्धित आवंटिती के हस्ताक्षर करवाते हैं।

कार्य प्रभारित (वर्कचार्ज्ड) कर्मचारियों का खपाया जाना

4867. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भर्ती के सामान्य नियमों में ढील देकर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के मास्टर रोल के कर्मचारियों को प्रभारित पदों पर नियुक्त करने के बारे में जुलाई, 1981 में आदेश जारी किये गये थे;

(ख) क्या यह सच है कि अधिकतर स्थानों में ये आदेश अभी तक कार्यान्वित नहीं किये गये हैं;

(ग) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी संघ ने उन मुद्दों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया था जिनके बारे में अग्रेतर स्पष्टीकरण अपेक्षित हैं; और

(घ) यदि हां, तो वे मुद्दे क्या हैं और उनमें से प्रत्येक के बारे में क्या स्पष्टीकरण जारी किया गया है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की कार्य प्रभारित स्थापना में मस्टर रोल के मजदूरों को उनके द्वारा कतिपय मानदण्डों को पूरा करने और सीधी भर्ती कोटा में रिक्तियों की उपलब्धता की शर्त पर खपाने पर विचार करने के आदेश जुलाई, 1981 में जारी किये गये थे।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, हां।

(घ) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के मजदूर संघ द्वारा उठाये गये मुद्दे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। अभी तक कोई स्पष्टीकरंण जारी नहीं किए गए हैं।

विवरण

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग मजदूर संघ द्वारा उठाये गये विभिन्न मुद्दों का विवरण।

1. 8-7-1981 को या इससे पहले जिन लोगों को मस्टर रोल पर रखा गया था उनके बारे में रोजगार द्वारा प्रायोजित करने की शर्तें समाप्त होनी चाहिए।
2. 240 दिनों की सेवा की शर्त 1-7-1979 से नहीं होनी चाहिये अपितु यह शर्त 1978 में हुई पहली नियुक्ति की तारीख होनी चाहिये।
3. मस्टर रोल कर्मचारियों के नियमित स्थानान्तरित श्रेणी पदों अर्थात् सफाईवाला, सीवरमैन, चौकीदार, लिफ्ट आपरेटर आदि पर भी यह आदेश लागू होना चाहिए।
4. यह आदेश अंशकालिक कर्मचारियों पर भी लागू होना चाहिए।

5. उद्यान निदेशालय में आरम्भ की गई प्रशिक्षण योजना जारी रहनी चाहिये तथा जुलाई, 1981 के आदेश के अनुसार समावेशन के पात्र मस्टर रोल मालियों को वृत्तिका पर प्रशिक्षण प्रणाली के रूप में समयोजित करना चाहिए तथा प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर उन्हें कार्य-प्रभारित मालियों के रूप में समायोजित किया जाना चाहिये।

6. वेलदार एवम् खलासी के रूप में कार्यरत मस्टर रोल कर्मचारियों के मामलों पर उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर किसी भी पद के लिए विचार किया जाना चाहिये।

7. 8-7-1981 के आदेश को दूसरे कर्मचारियों को भी समायोजित करने के लिये संशोधित किया जाना चाहिये जो कि 8-7--1081 को ही नहीं अपितु इससे पहले की तारीख से कार्यरत थे।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कर्मचारियों के स्थानान्तरण के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत

486. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में जूनियर इंजीनियरों के स्थानान्तरण सम्बन्धी नियमों के बारे में दिनांक 24 अगस्त, 1981 को दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या 1164 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के मैनुअल वैल्यूम—1 के पैरा 10 में निहित मार्गदर्शी सिद्धांतों में यह व्यवस्था की गई है कि जूनियर इंजीनियर किसी विशेष डिवीजन अथवा ग्रुप में चार वर्ष से अधिक समय तक नहीं करेंगे।

(ख) यदि हां, तो क्या स्थानांतरण के सम्बन्ध में वित्त मन्त्रालय द्वारा लगाये गये प्रतिबन्ध में भी यह कहा गया है कि जूनियर इंजीनियरों को दिल्ली जैसे स्थानों में एक प्रभाग अथवा वर्ग से दूसरे प्रभाग अथवा वर्ग में स्थानांतरण नहीं किया जा सकता है, और

(ग) यदि नहीं तो मार्गदर्शी सिद्धांतों के इस मांग को कार्यान्वित करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं।

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) कनिष्ठ इंजीनियरों सहित इंजीनियरिंग कार्मिकों को कार्य की आवश्यकता अनुसार उसी स्टेशन पर एक एकक से दूसरे एकक में स्थानान्तरित किया जाता है।

दिल्ली में सहकारी समितियों के कर्मचारियों के वेतनमान सेवा शर्तें

4869. **श्री बी० डी० सिंह** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत दिल्ली के

प्रशासक की उपभोक्ताओं सहित दिल्ली में विभिन्न सहकारी समितियों में कार्य कर रहे कर्मचारियों के वेतनमान और सेवा शर्त निर्धारित करने के लिये शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं ?

(ख) यदि हां, तो क्या वेतनमानमान और सेवा-शर्त बनायी गई हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या इनमें से प्रत्येक की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और इस बारे में आवश्यक कार्यवाही कब की जायेगी ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 1972 की धारा 96 में उप राज्यपाल को सहकारी समितियों के विभिन्न वर्गों के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की एक सामान्य सेवा गठित करने तथा इस प्रकार के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संख्या और पदों को सुनिश्चित करने, और सहकारी समितियों के ऐसे अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की अर्हताओं, पारिश्रमिक, भत्तों, भर्ती और अन्य सेवा शर्तों के विनियमित करने के नियम बनाने की शक्तियां प्रदत्त की गई है।

(ख) प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों के बारे में सेवा नियम दिल्ली प्रशासन द्वारा अधिसूचित किए जा चुके हैं। प्रशासन सहकारी समितियों के अन्य वर्गों के कर्मचारियों के लिए नियम बना रहा है। दिल्ली की सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार ने 1-1-1982 से निम्नलिखित वर्गों की सहकारी समितियों के लिपिक वर्गीय, प्रबन्धकीय और पर्यवेक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति के लिये दिल्ली राज्य सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र से सहकारिता में डिप्लोमा एक आवश्यक अर्हता के रूप में निर्धारित की है :—

1. प्राथमिक सहकारी मितव्ययिता तथा ऋण समितियां,
2. सहकारी बैंक।
3. संघीय समितियां।
4. प्राथमिक सहकारी औद्योगिक (उत्पादन) समितियां।
5. उपभोक्ता सहकारी समितियां। स्टोर
6. बहुउद्देशीय सहकारी समितियां।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

अपर कृष्णा परियोजना

4870. **श्री के० वी० चौधरी** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अपर कृष्णा परियोजना में कई वर्षों का विलम्ब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) देरी के कारण उसकी अनुमानत: कितनी लागत बढ़ गई है; और

(घ) और अधिक विलम्ब न होने देने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जिया उर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां।

(ख) देरी मुख्यत: पूर्व के वर्षों में अपर्याप्त वित्तीय परिव्ययों की व्यवस्था किये जाने के कारण हुई है।

(ग) अपर कृष्णा परियोजना चरण-एक की योजना आयोग द्वारा 1963 और 1978 में यथा अनुमोदित प्रारम्भिक और संशोधित लागतें क्रमश: 58.20 करोड़ रुपये और 283.65 करोड़ रुपये है। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि लागत-अनुमानों का और आगे संशोधन किया जा रहा है।

(घ) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि विश्व बैंक से सहायता प्राप्त हो जाने के परिणाम स्वरूप इस परियोजना पर कार्य की गति में तेजी आई है और राज्य सरकार द्वारा अधिक धनराशि और अतिरिक्त कर्मचारियों की व्यवस्था करके वर्क्स में तेजी लाने के लिए आवश्यक कदम उठाये गये हैं।

कार्य के बदले अनाज कार्यक्रम

4871. **श्री० डी० पी० जदेजा** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कार्य के बदले अनाज कार्यक्रम का लाभ कमजोर वर्गों के बजाये केवल अधिक सम्पन्न वर्ग को मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिये सरकार द्वारा क्या उपाय किए गये हैं कि कार्य के बदले अनाज कार्यक्रम केवल समुदाय के कमजोर वर्ग के लिये लागू किया जाये।

कृषि तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) से (ग) जी नहीं। योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा किये गये मूल्यांकन के अनुसार, 50.6 प्रतिशत लाभभोगी कृषि श्रमिक पाये गये थे, 19.7 प्रतिशत गैर-कृषि श्रमिक और 22.5 प्रतिशत काश्तकार पाये गये थे। 42 प्रतिशत लाभभोगी अनुसूचित जातियों तथा 13 प्रतिशत अनुसूचित जन जातियों के थे। कार्यक्रम के अन्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियों से न केवल अधिक सम्पन्न-वर्ग को ही लाभ पहुंचा था बल्कि सम्पूर्ण ग्रामीण समुदाय को भी लाभ पहुंचा है।

सहकारी ऋणों को बट्टे खाते डालना

4872. **श्री गिरीधर गोमांगो** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य समाज के कमजोर वर्गों द्वारा लिये गये तथा उसके नाम में वर्षों से बकाया पड़े सहकारी ऋणों को बट्टे खाते में डाल देते हैं;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने यह उपाय किये हैं और इस प्रकार कितनी धनराशि बट्टे खाते में डाली है;

(ग) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के ऋणों को बट्टे खाते डालने के बारे में उनके मंत्रालय ने राज्यों को क्या मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये हैं; और

(घ) क्या किसी राज्य ने हाल के वर्षों में ऐसे ऋणों को बट्टे खाते डालने के बारे में उनके मंत्रालय से अनुरोध किया है और उस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क)से (घ) 14 दिसम्बर, 1981 को लोक सभा में पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 3629 के उत्तर में बताया गया है कि महाराष्ट्र और तमिलनाडु की राज्य सरकारों ने समाज के कमजोर वर्गों के लोगों द्वारा दिए जाने वाले संस्थागत ऋण को बट्टे-खाते में डालने का निर्णय लिया है। तमिलनाडु सरकार द्वारा बट्टे खाते में (अक्तूबर, 1981 तक) डाली गई राशि 42.0 करोड़ रुपये और महाराष्ट्र सरकार द्वारा (जुलाई, 1980 तक) 49.00 करोड़ रुपये थी। अन्य राज्यों द्वारा ऋण को बट्टे खाते में डालने के निर्णय का पूर्ण विवरण प्राप्त नहीं हुए हैं। तथापि, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों ने ऋण पर ब्याज माफ करने, ऋण को पुनः नियमित करने और जुर्माने के रूप में ब्याज माफ करने जैसे राहत के उपाय शुरू किए हैं।

तमिलनाडु सरकार ने उक्त ऋणों को बट्टे खाते में डालने के लिए केन्द्र सरकार से 40 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मांगी है। चूंकि भारत सरकारी सहकारी ऋणों को बट्टे खाते में डालने के पक्ष में नहीं है, अतः तमिलनाडु सरकार को सूचित किया गया था कि इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सहायता नहीं दी जा सकती है।

भारत सरकार संस्थागत ऋणों को पूर्णतया बट्टे खाते में डालने के लिए कोई भी उपाय करने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि इस से ऋण वसूली का वातावरण दूषित होने की प्रवृत्ति बढ़ती है, जानबूझ कर भुगतान में चूक होने को प्रोत्साहन मिलता है और ऋण संस्थाओं की विश्वसनीयता समाप्त होती है। राज्य सरकारों को इस सम्बंध में चौकसी बरतने की आवश्कयता के बारे में सलाह दी गई है। तथापि, भारत सरकार इस बात से सहमत है कि विशेष परिस्थितियों में राहत के रूप में कुछ सहायता की जरूरत होती है। अतः अल्पावधि ऋणों को मध्यावधि ऋणों में बदल कर, संस्थागत ऋणों को पुनः नियत करने तथा कमजोर वर्गों द्वारा जहां देयता उनके द्वारा अदायगी करने की क्षमता से बहुत अधिक है, ऐसे विशेष मामलों में देय ऋणों के कुछ अंश के बट्टे खाते में डालने जैसे राहत के उपायों का प्रावधान किया गया है।

दिल्ली में सहकारी स्टोरों के माध्यम से पनघट वनस्पति घी की सप्लाई

4873. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, 1981 में यह निर्णय लिया गया था कि डी० सी० एम० के स्टाकिस्टों को कोटा कम करके 57,000 टिन पनघट वनस्पति घी की सप्लाई एक टिन प्रति व्यक्ति की दर से दिल्ली के सहकारी स्टोरों के माध्यम से उपभोक्ताओं को कराई जाये किन्तु बाद में उसे केवल लाइसेंसधारी खुदरा व्यापारियों के माध्यम से मुहैया कराने से उसका मिलना कठिन हो गया;

(ख) क्या ऐसा करने से खुले बाजार में घी की कमी हो गई जिसके परिणाम स्वरूप उसकी भारी काला बाजारी हुई और अनेक थोक विक्रेताओं की अनावश्यक जांच की गई और उपभोक्ता को छोटे पैकिंग में घी खरीदना पड़ा;

(ग) क्या कुछ संसद सदस्यों द्वारा लिखे गये पत्रों का सरकार पर कोई खास असर नहीं हुआ; और

(घ) यदि हां, तो गलत निर्णय लेने, अवांछित स्थिति पैदा करने और उपभोक्ताओं को कठिनाई में डालने के लिये कौन उत्तरदायी है ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब्रजमोहन महन्ती) (क) उपभोक्ताओं को खुला वनस्पति उपलब्ध कराने के लिये दिल्ली प्रशासन ने पनघट वनस्पति के उत्पादक, डी० सी० एम० कैमिकल वर्क्स लि० को हर मास वनस्पति के 40,000 टीन 16·5 किलोग्राम के पैकों में सप्लाई करने का निदेश दिया था। इसका इस उत्पाद की उपलभ्यता पर अच्छा प्रभाव पड़ा था।

(ख) दिल्ली में वनस्पति की उपलभ्यता कुल मिलाकर संतोषजनक थी, क्योंकि त्यौहार के मौसम में इसकी सप्लाई 175 मीटरी टन की प्रतिदिन की अनुमानित मांग के मुकाबले औसतन 197 मीटरी टन के लगभग थी। थोक व्यापारियों की कोई अनावश्यक जांच नहीं की गई।

(ग) व (घ) माननीय संसद सदस्य द्वारा लिखे गये पत्र पर तुरंत कार्यवाही की गई थी।

उचित दर की दुकानों द्वारा आयातित खाद्य तेलों की बिक्री का बन्द किया जाना

4874. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उचित दर की दुकानों द्वारा आयातित तेल की बिक्री पर रोक/बिक्री समाप्त नहीं कर देनी चाहिये क्योंकि उसका 95 प्रतिशत मिलावट के लिये प्रयोग में लाये जाने के लिये खुले बाजार में ब्लैक में निकाल दिया जाता है; और

(ख) यदि नहीं, तो उनके क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब्रजमोहन महन्ती) : (क) व (ख) : आयातित खाद्य तेलों का आवंटन, राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को सार्वजिनक वितरण प्रणाली के माध्यम से उपभोक्ताओं के बीच वितरित करने के लिए किया जाता है। इस प्रणाली के कार्यकरण की राज्य सरकारों तथा केन्द्र सरकार द्वारा निरन्तर पुनरीक्षा की जाती है। केन्द्रीय सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुप्रवाही बनाने के लिए भी अनुदेश जारी किये गये हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाद्य तेलों के मासिक आवंटनों को बढ़ाने की मांग सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से निरन्तर प्राप्त हो रही है, जिससे यह पता चलता है कि आयातित खाद्य तेल उपभोक्ताओं के बीच लोकप्रिय होते जा रहे हैं। यदि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आयातित खाद्य तेलों की आपूर्ति बन्द कर दी जाती है तो उपभोक्ताओं को परेशानी होगी।

"कर्ब्स आन सेल आफ वनस्पति इन दिल्ली"
(दिल्ली में वनस्पति की बिक्री पर रोक) शीर्षक से समाचार

4875. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 2 अक्तूबर 1981 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "कर्ब्स आन सेल आफ वनस्पति इन दिल्ली" (दिल्ली में वनस्पति की बिक्री पर रोक) शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या आयातित खाद्य तेल की बक्री उन व्यक्तियों के लिये सीमित नहीं कर देनी चाहिये जो नियंत्रित कपड़ा प्राप्त करने के हकदार हैं जिससे उसका समुचित उपभोग सुनिश्चित किया जा सके जो कि अब उचित दर की दुकानों और वनस्पति के निर्माताओं द्वारा खुले बाजार में निकाला जा रहा है;

(घ) क्या वनस्पति निर्माताओं को घी छोटे पैक की अपेक्षा, जिसके लिये अधिक मांग वाले उपभोक्ता को अधिक कीमत चुकानी पड़ती है 16½ किलो के बड़े पैक में सप्लाई करने को नहीं कहा जाना चाहिये; और

(ङ) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब्रजमोहन महन्ती) : (क) व (ख) : जी हां। यह समाचार उपभोक्ताओं को वनस्पति उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली प्रशासन द्वारा अपनाये गये विभिन्न नियामक उपायों के संबंध में है। इन उपायों से विशेष रूप से त्यौहार के मौसम के दौरान वनस्पति आसानी से उपलब्ध हो सका।

(ग) : आयातित खाद्य तेल, खाद्यान्नों और चीनी की तरह ही आवश्यक वस्तुएं हैं, जिनकी जरूरत हर व्यक्ति को होती है। इसीलिए ये आम राशन कार्डधारियों को बेचे जाते हैं।

(घ) व (ङ) : दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली के वनस्पति उत्पादकों को वनस्पति की और अधिक सप्लायी बड़े पैकों में करने के लिए कहा है ।

उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों को घाटा

4876. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 21 नवम्बर, 1981 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित सेन्ट्रल उत्तर प्रदेश शुगर मिल्स एसोसिएशन के प्रेसीडेंट के इस आशय के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि चीनी मिलों को बहुत अधिक घाटा होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले की उनके द्वारा कथित रूप में जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस मामले में की गयी जांच का क्या परिणाम निकला ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार सरकार के नोटिस में आया है।

(ख) और (ग) इस प्रकाशित समाचार में यह राय जाहिर की गई है कि अनुमान है कि राज्य सरकार के परामर्श पर गन्ने का ऊंचा मूल्य देने के कारण मध्य उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों को 1981-82 के वर्तमान मौसम के दौरान लगभग 28 करोड़ रुपये की हानि उठानी पड़ेगी। इस समाचार में इस प्रकार के कार्यकारी परिणाम किस आधार पर निकाले गये हैं, इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

जहां तक मध्य उत्तर प्रदेश जोन में लेवी चीनी के मूल्य में वृद्धि करने के सुझाव का सम्बन्ध है, इस रिकवरी और अवधि की प्रत्याशा में और अक्तूबर, 1980 में एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर निर्धारित किया गया है जैसाकि अन्य जोनों के मामले में किया गया है।

समाचार में उल्लिखित अन्य मामले राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र में आते हैं।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन

4877. **श्री एस० बी० सिदनाल** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन में शामिल संगठनों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या ग्रामीण समुदाय के विकास पर इन संगठनों के प्रभाव और उनकी कारगरता के बारे में कोई अध्ययन किया गया है,

(ग) सरकार का विचार शीघ्र समेकित ग्रामीण विकास के लिए कौन-सी और अधिक प्रभावकारी व्यवस्था करने का है, और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को जिला ग्रामीण विकास एजेन्सियों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है जो सोसायटीज पंजीकरण अधिनियम के अधीन पंजीकृत अधिशासी निकाय हैं तथा जिनमें समाहर्ता/उप-आयुक्त/जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं।

(ख) चूंकि जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का 2-10-1980 से देश के सभी खण्डों में विस्तार किए जाने के पश्चात ही गठित किया गया है अत: इतनी जल्दी ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया जा सकता है।

(ग) व (घ) भाग (ख) के अन्तर्गत बताई गई स्थिति को देखते हुए, अधिक प्रभावकारी तन्त्र पर विचार करने का प्रश्न नहीं उठता। तथापि, खण्ड स्तर पर प्रशासनिक तन्त्र को सुदृढ़ करने हेतु राज्यों को बराबर-बराबर आधार पर सहायता दी जा रही है।

सभी मौसमों में चलने वाली (आल वेदर) सड़कों से जोड़े गांव

4878. **श्री चित्त बसु**
श्री निहाल सिंह } : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में 35,000 से अधिक ग्राम सड़कों को सभी मौसमों में चलने वाली सड़कों से जोड़ा जाना शेष है,

(ख) यदि हां, तो इन ग्रामीण सड़कों का राज्यवार ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस प्रयोजन के लिए छठी योजना में (राज्यवार) कितना आवंटन किया गया है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री(श्री बालेश्वर राम) : (क) जी हां।

(ख) व (घ) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र० सं०	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	उन गांवों की संख्या जिन्हें सभी मौसमों में चलने वाली सड़कों से जोड़ा जाना शेष है (31-3-81 तक की स्थिति)	छठी योजना परिव्यय (करोड़ रु० में)
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	16594	15.00
2.	असम	12917	36.00

1	2	3	4
3.	बिहार	48472	140.00
4.	गुजरात	9584	135.00
5.	हरियाणा	181	3.50
6.	हिमाचल प्रदेश	10536	35.00
7.	जम्मू तथा कश्मीर	3038	16.00
8.	कर्नाटक	19423	45.00
9.	केरल	शून्य	13.00
10.	मध्य प्रदेश	56811	40.00
11.	महाराष्ट्र	26479	94.00
12.	मणिपुर	1606	10.00
13.	मेघालय	2398	5.20
14.	नागालैंड	332	3.25
15.	उड़ीसा	53889	30.00
16.	पंजाब	364	20.00
17.	राजस्थान	28018	65.00
18.	सिक्किम	अप्राप्य	9.00
19.	तमिलनाडु	11517	70.00
20.	त्रिपुरा	3945	11.00
21.	उत्तर प्रदेश	103480	315.00
22.	पश्चिम बंगाल	21204	37.80
केन्द्र शासित क्षेत्र			
23.	अण्डेमान तथा निकोबार द्वीप समूह	145	3.00
24.	अरुणाचल प्रदेश	3463	4.50
25.	चण्डीगढ़	शून्य	0.10

1	2	3	4
26.	दादर तथा नगर हवेली	17	0.40
27.	दिल्ली	—	0.30
28.	गोवा दमन तथा द्वीव	33	0.25
29.	लक्षद्वीप	—	0.10
30.	मिजोरम	237	7.20
31.	पाण्डिचेरी	47	0.60
		434730	1164.90

उड़ीसा राज्य में सूखे की स्थिति

4879. **श्री के० प्रधानी** : क्या ग्रामीण पुर्नानिर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य में गत वर्ष की और वर्तमान सूखे की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कूप निर्मित करने का कोई कार्यक्रम तैयार किया है,

(ख) क्या राज्य में छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान भी कुओं के लिए कोई व्यवस्था की गई है,

(ग) क्या इस कार्यक्रम में लाभप्रद जल स्रोत का विकास करने के लिए मौजूदा कुओं को गहरा बनाने और उनका जीर्णोद्धार करने का काम भी शामिल है, और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुर्नानिर्माण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) से (घ) सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, जो कालाहान्डी तथा फुलबैनी के जिलों में चल रहा है, के अन्तर्गत छोटे तथा सीमान्त किसानों को खातकूपों के निर्माण के लिए उपदान सुलभ किया जाता है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य में सभी जगह चुने लाभ भोगियों के लिए उपदान उपलब्ध हैं। तथापि, राज्य सरकार खातकूपों के लिए सहायता के प्रावधान सहित लघु सिंचाई के लिए समग्र कार्यक्रम का निर्धारण करती है।

"24 प्रतिशत फूड स्टफ कैरीज पेस्टीसाइड्स" शीर्षक समाचार

4880. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी**
श्री एच० एन० नन्जे गौडा } : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 24 नवम्बर, 1981 के "फाइनेन्शियल एक्सप्रेस" में "23 प्रतिशत फूड स्टफ कैरीज पेस्टीसाइड्स" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां।

(ख) निवारक तथा सामाजिक औषधि विभाग, अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य और केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला, कलकत्ता द्वारा "मानव आहार में कीटनाशी अवशेष" पर किए गए एक अध्ययन में डी० डी० टी० बी० एच० सी० (लिण्डेन) तथा मेलाथियान का पता लगाने के लिए कलकत्ता के विभिन्न बाजारों से कुल 400 खाद्य नमूनों की जांच की गई। अध्ययन के परिणाम नीचे दिए गए हैं :—

क्र० सं०	खाद्य-सामग्री	जांच किए गए नमूनों की सं०	धनात्मक सं०	प्रतिशत
1	2	3	4	5
1.	पशु मूलक उत्पाद (दूध, मांस, मछली तथा अण्डे)	40	12	30
2.	धान्य (अनाज तथा दलहन)	110	29	26.3
3.	सब्जियां	200	48	24.0
4.	मसाले	10	2	
5.	तेल तथा वसा	10	1	
6.	फल	10	1	
7.	पेय	10	0	
8.	जल	10	2	
	कुल	400	95	23.7

(ग) भारत सरकार द्वारा खाद्य अपमिश्रण निवारक अधिनियम, 1954 के तहत भिन्न-भिन्न खाद्य पदार्थों में विभिन्न कीटनाशी औषधियों की सह्य-सीमा निर्धारित की गई है। अधिनियम को लागू करना राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय राज्य सरकारों को समय-समय पर सलाह देता रहा है कि वे अधिक संख्या में नमूने लेकर आहारों में कीटनाशी अवशेषों का पता लगाने तथा उन्हें दूर करने के लिए उपाय करने के लिए अपने कार्यकलापों को तेज करें।

"कानपुर से नेपाल को चावल की तस्करी" शीर्षक समाचार

4881. **श्री जयराम वर्मा** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान लखनऊ से प्रकाशित दिनांक नवम्बर, 1981 के "स्वतंत्र भारत" में "कानपुर से नेपाल को चावल की तस्करी, 330 बोरा बरामद" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; यदि हां, तो इस मामले में तथ्य क्या हैं,

(ख) क्या उक्त मामले में कोई जांच कराई गई है,

(ग) यदि हां, तो इसमें शामिल पाये गये सरकारी अधिकारियों, व्यापारियों तथा अन्य लोगों के नाम क्या हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है, और

(घ) क्या ऐसी घटना पहले भी घटित हुई है और यदि हां, तो इसका पता कैसे चला था और ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या सावधानी बरती गई है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुर्नानिर्माण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) से (घ) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचनानुसार "कानपुर से नेपाल को चावल की तस्करी, 330 बोरे बरामद" के शीर्षक से लखनऊ से प्रकाशित दिनांक 9 नवम्बर, 1981 के "स्वतन्त्र भारत" में छपी रिपोर्ट सही नहीं पायी गयी है।

दिल्ली की उचित दर दुकानों में गेहूं और चीनी की सप्लाई

4882 **श्री ए० के० राय** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में उचित दर दुकानों की संख्या क्या है, उनकी गेहूं और चीनी की मांग क्या है तथा उन्हें इसकी वास्तविक कितनी सप्लाई की जाती है तथा वर्ष 1981 में अक्तूबर तक महीनावार ब्यौरा क्या है,

(ख) संघ शासित क्षेत्र दिल्ली की जनसंख्या क्या है और राशन कार्डों के अनुसार यूनिटों की संख्या क्या है,

(ग) क्या उन्हें ग्रीन पार्क क्षेत्र में चीनी की अपर्याप्त सप्लाई के बारे में उपायुक्त खाद्य तथा सम्भरण, दिल्ली प्रशासन द्वारा दिनांक 26 सितम्बर, 1981 के एक संसद सदस्य को लिखे पत्र की जानकारी है, और

(घ) यदि हां, तो विस्तृत तथ्य क्या हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुर्नानिर्माण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) दिल्ली संघ शासित प्रदेश में 1-11-1981 को 2830 उचित मूल्य की दुकानें थीं। दिल्ली की उचित मूल्य दुकानों को अक्तूबर 1981 तक गेहूं और चीनी की मासवार मांग, आबंटन और वास्तविक सप्लाई का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) दिल्ली प्रशासन के अनुसार राशन कार्डों के आधार पर दिल्ली संघ शासित प्रदेश की जनसंख्या 1-18-1981 को 72.29 लाख थी। चीनी और अनाज यूनिटों की संख्या उसी तारीख को इस प्रकार थी :—

चीनी यूनिट	72,29,614
गेहूं यूनिट	1,10,61, 986
चावल यूनिट	18,73,614
कुल अनाज यूनिट	1,29,35,500

(4 वर्ष की आयु से कम व्यक्ति 1 यूनिट अनाज का हकदार है और अन्य सभी 2 यूनिट अनाज के हकदार हैं। जहां तक चीनी का सम्बन्ध है, प्रत्येक व्यक्ति को एक यूनिट माना जाता है चाहे उसकी कितनी भी आयु हो।)

(ग) जी हां।

(घ) दिल्ली प्रशासन द्वारा दिये गए स्पष्टीकरण के अनुसार, वे चीनी की मांग और आवंटन में अन्तर के कारण अपने कार्डधारियों की सारी जरूरतें पूरी नहीं कर सकते। तथापि, यह अन्तर बहुत ही कम था और प्रतिमास 6104 मीटरी टन चीनी के आवंटन स्तर से प्रति व्यक्ति जो उपलब्धता मिलती है वह अन्य किसी राज्य से अधिक है।

विवरण

अक्तूबर, 1981 तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए गेहूं और चीनी की मांग, उनके आवंटन और उनकी उठाई गई मात्रा को बताने वाला विवरण।

	मांग		आवंटन		उठान	
मास	गेहूं	चीनी	गेहूं	चीनी	गेहूं	चीनी
1781						
जनवरी	40.0	कृपया	40.0	5.33	45.9	5.40
फरवरी	40.0		40.0	6.12	36.5	5.65
मार्च	64.4	नीचे	40.0	6.12	40.3	6.52
अप्रैल	64.8		40.0	6.12	35.3	5.94
मई	66.0	दिए गए	40.0	6.12	28.7	6.04
जून	60.0		40.0	6.12	28.9	6.04

1	2		3	4	5	6
जुलाई	60.0	नोट को	40.4	6.12	35.5	7.63
अगस्त	60.0		40.0	6.12	37.9	6.98
सितम्बर	60.0	देखें	40.0	6.12	38.4	5 85
अक्तूबर	60.0		40.0	6.13	38.0	6.00

नोट :—दिल्ली प्रशासन से लेवी चीनी के मासिक कोटे में वृद्धि करने के लिए समय समय पर अनुरोध प्राप्त हुए थे। उन्होंने जनवरी, 1981 में 6,190 मीटरी टन जुलाई, 1981 में 6,290 मीटरी टन और अक्तूबर, 1981 में 6,500 मीटरी टन के मासिक कोटे के लिए अनुरोध किया था।

मिट्टी के तेल के लाइसेंस जारी करने के मामले की जांच

4883. **श्री चन्द्र देव प्रसाद वर्मा** : क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ सांसदों ने अनुरोध किया है कि दिल्ली प्रशासन द्वारा चालू वर्ष में मिट्टी के तेल के डिपो के लिये जारी किये गये लाइसेंस के मामले की जांच की जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री ब्रजमोहन महन्ती) : (क) जी हां।

(ख) माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये विशिष्ट मामलों की जांच की गयी थी और जांच करने पर सामने आये तथ्यों के आधार पर दिल्ली प्रशासन द्वारा सम्बन्धित मामलों में उपयुक्त कार्रवाई की गयी।

एक्शन फार फूड प्रोडक्शन, दिल्ली

4884. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली के संगठन "एक्शन फार फूड प्रोडक्शन" संगठन के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;

(ख) विदेशी सरकारों और विदेशी संगठनों को इसकी स्थापना के उपरांत आर्थिक सहायता के बतौर कितनी धनराशि मिली है;

(ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए इसने कितनी धनराशि खर्च की है; और

(घ) उन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संगठनों के नाम क्या हैं जिन्हें एक्शन फार फूड प्रोडक्शन के अन्तर्गत सहायता दी गई है और इसके अन्तर्गत नकद/वस्तुओं/दोनों के रूप में कितनी धनराशि दी गई है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) "एक्शन फार फूड प्रोडक्शन", नामक भारत में एक गैर-लाभ, संयुक्त सेवा एजेंसी है। यह एक पंजीकृत भारतीय समिति है जो ग्रामीण समुदाय के कमजोर वर्गों के लाभ के लिए काम करने हेतु अन्तर्राष्ट्रीय सहायता एजेंसियों व भारत में स्वैच्छिक एजेंसियों के बीच व्यावसायिक सेवा के संबंध में कड़ी का काम करने के लिए 1966 में स्थापित की गई थी। इसकी स्थापना वंश, जाति, समुदाय या धर्म को ध्यान में न रखते हुए खाद्य उत्पादन परियोजनाओं का समन्वय, समर्थन मूल्यांकन करने व तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए की गई है। इसका उद्देश्य निम्नतम स्तरों के सभी तन्त्रों को इकहरे खाद्य उत्पादन कार्यक्रम के रूप में जुटाना है। एक्शन फार फूड प्रोडक्शन संगठन के कार्य राहत या धर्मार्थ कार्यक्रमों से सम्बन्धित न होकर विकास कार्यक्रमों तक ही सीमित है। ईसाइयों की यह धर्मनिरपेक्ष एजेंसी ग्रामीण समुदाय के कमजोर वर्गों के लाभ के लिए वित्तीय संसाधनों व स्वैच्छिक एजेंसियों को एक साथ मिलाने का प्रयास करती है।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दे दिया गया है।

(ग) और (घ) : एक्शन फार फूड प्रोडक्शन संगठन एक तकनीकी सेवा संबंधी संगठन है जो जाति या धर्म को महत्त्व न देते हुए कमजोर वर्गों के विकास में लगी स्वैच्छिक एजेंसियों को मार्गदर्शन तथा समर्थन प्रदान करता है। अतः यह संगठन अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को दी गई सहायता के रिकार्ड अलग से नहीं रखता है।

विवरण

एक्शन फार फूड प्रोडक्शन संगठन द्वारा प्रारम्भ से विदेशी सरकार व विदेशी संगठनों से प्राप्त की गई वित्तीय सहायता की राशि।

वर्ष	एक्शन फार फूड संगठन (मुख्यालय)	एक्शन फार फूड प्रोडक्शन संगठन भू-जल विज्ञान संबंधी जांच दल	एक्शन फार फूड प्रोडक्शन (प्रशिक्षण)	परियोजनाएं
अप्रैल, 1966 31 दिसम्बर, 1973 (लगभग 8 वर्ष)	45,97,600.00	परियोजनाओं के अन्तर्गत सम्मिलित	परियोजनाओं के अन्तर्गत सम्मिलित	1,76,09,000.00

1974	7,60,776.65	5,03,848.45	परियोजनाओं के अन्तर्गत सम्मिलित	14,34,478.64
1975	9,12,283.49	10,41,318.67	परियोजनाओं के अन्तर्गत सम्मिलित	8,23,231 67
1976	12,78,769.30	13,04,597.15	1,72,131.71	5,43,371.00
1977	9,96,972.43	14,84,749.72	1,81,946.92	—
1978	12,67,623.48	11,16,009.25	60,070.57	2,80,008.25
1979	11,93,836 04	18,55,616.23	1,77,286.53	2,93,020.00
1980	15,98,490.16	18,69,673.31	91,235.93	15,15,000 00
1981 (17-12-81 को)	15,93,824.85	25,68,301.20	1,85,527.22	18,65,000.00

रिफ्यूजी बरक्स वेलफेयर एसोसिएशन, किंग्जवे कैम्प को आश्वासन

4885. **श्री राम जेठमलानी** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिफ्यूजी बैरक्स वेलफेयर एसोसिएशन, किंग्जवे कैम्प को यह आश्वासन दिया गया था कि निम्नलिखित उपाय किए जाएंगे;

(ख) कि आउटरम और हडसन लाइनों में रह रहे 645 परिवारों को विकसित भूखण्ड आबंटित किए जाएंगे;

(ग) कि क्षेत्र के किराएदारों और झुग्गी झोपड़ी निवासियों के 1000 परिवारों को किन्हीं उपयुक्त क्षेत्रों में उतनी ही संख्या में विकसित भूखण्ड दिए जाएंगे;

(घ) उन परिवारों को औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए तथा दुकानें और कार्यालय खोलने के लिए उपयुक्त भूखण्डों के आबंटन की व्यवस्था की जाएगी;

(ङ) कि मुखर्जी नगर में 204 भूखण्डों का विकास किया जाएगा;

(च) कि मुकदमेबाजों को वैकल्पिक भूमि दिलाने की व्यवस्था करने के द्वारा भूमि विवाद के उन मामलों को वापिस कराने के प्रयास किए जाएंगे, जो अदालतों में लम्बित पड़े हैं, और

(छ) इनमें से प्रत्येक मुद्दे के सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है और आगामी तीन महीनों के दौरान कितनी प्रगति होने की आशा है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि इस प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिया गया था ।

(ख) जैसा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि हडसन तथा औटरम लाइनों में रहने वाले पात्र परिवारों को प्लाटों का आबंटन करने के लिए विकास किया जा रहा है ।

(ग) झुग्गी-झोपड़ी आवासीय योजना के अन्तर्गत पात्र झुग्गी-झोपड़ी निवासियों को उपयुक्त वैकल्पिक प्लाट देने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विचार किया जायेगा ।

(घ) इन वाणिज्यिक अनधिवासियों को वैकल्पिक आबंटन देने का मामला दिल्ली विकास प्राधिकरण के विचाराधीन है ।

(ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पहले ही 202 प्लाटों का विकास किया गया है तथा हाईटेन्शन लाइनों से 2 प्लाट प्रभावित हुए हैं ।

(च) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि कोर्ट के समझौते के बाहर यदि कोई अनुरोध किया जाता है तो उसकी गुणावगुण के आधार पर जांच की जायेगी ।

(छ) उपर्युक्त भाग (ङ) के उत्तर में उल्लिखित 202 प्लाटों के अतिरिक्त अब तक 80 वर्ग गज के 125 प्लाटों का भी विकास किया गया है । 202 प्लाटों के आबंटियों को कब्जा देने के लिए पत्र जारी किए जा रहे हैं ।

दिल्ली में अनधिकृत वाणिज्यिक मार्किट

4886. **श्री रामजी भाई मावणि** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन के भूतपूर्व महानगर पार्षद के 21 नवम्बर, 1981 और 27 सितम्बर 1981 के विस्तृत पत्र प्राप्त हुए हैं जिसमें बताया गया है कि दिल्ली प्रशासन पुरानी (वोल्ड) दिल्ली में अनधिकृत वाणिज्यिक मार्किटों के निर्माण को रोकने में पूरी तरह असफल रहा है जिसके परिणाम-स्वरूप जान-माल को गम्भीर खतरा पैदा हो गया है,

(ख) यदि हां, तो इस पत्र का पाठ क्या है और इसका क्या उत्तर दिया गया है;

(ग) क्या यह सच है कि यह मामला दिल्ली नगर आयुक्त को सौंपा गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है और इसके क्या परिणाम निकले ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) ये पत्र चौक हौजकाजी, सब्जी मार्किट, वार्ड-6 (पारिसर संख्या 3442 से 3470), दिल्ली में बने एक चौ मंजिले वाणिज्यिक परिसर तथा गांधी गली, फतेहपुरी, दिल्ली में बने एक चौ मंजिले मार्किट के सन्दर्भ में है। 27-9-81 के पत्र की पावती उप राज्यपाल के सचिव ने भेजी थी।

(ग) जी, हां।

(घ) सम्पत्ति संख्या 3442 से 2470/6 हौजकाजी में बने अनधिकृत निर्माण को दिल्ली नगर निगम द्वारा दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 के सम्बन्धित उपबन्धों के अन्तर्गत दर्ज किया गया था और न्यायालय द्वारा दिये गये स्थगन आदेश की समाप्ति के बाद दिनांक 4-8-1981 को इसके द्वारा गिराने की कार्यवाही भी आरम्भ की गई थी। तथापि, उसी दिन अर्थात् 4-8-1981 को किसी भी तोड़ने की कार्यवाही करने से दिल्ली नगर निगम को रोकने के लिए मकान मालिक दूसरा स्थगन आदेश ले आया।

2. गांधी गली, फतेहपुरी में बने अनधिकृत निर्माणों का जहां तक सम्बन्ध है, दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि उनके बारे में भी स्थगन आदेश है।

लघु कृषक विकास एजेंसी खण्डों तथा सूखे से प्रभावित क्षेत्रों की वित्तीय तथा उर्वरक आवश्यकता

4887. **श्री एन० ई० होरो** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु कृषक विकास एजेंसी कार्यक्रम के अन्तर्गत कितनी लघु कृषक विकास एजेंसी खण्ड तथा सूखे से प्रभावित क्षेत्र आए हैं और उनकी वित्तीय तथा उर्वरक आदि संबंधी आवश्यकतायें क्या हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत कितना धन तथा उर्वरक उपलब्ध कराये गए हैं; और

(ग) क्या इन एजेंसियों में लगे किसानों द्वारा उर्वरक के मूल्यों में वृद्धि के कारण उन पर पड़ने वाले असंतोषजनक प्रभावों को सरकार के ध्यान में लाया गया है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) (क) 1-10-1980 तक लघु कृषक विकास एजेंसी कार्यक्रम के अन्तर्गत देश में 1818 खण्डों को लाया गया था। 2-10-1980 लघु कृषक विकास एजेंसी कार्यक्रम को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में मिला दिया गया था तथा बाद वाले कार्यक्रम का विस्तार देश के सभी खण्डों में कर दिया गया था। सूखा-ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत फिलहाल 554 खण्डों को लिया गया है।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत छठी योजना अवधि (1980-85) के दौरान प्रति खण्ड 35 लाख रुपए तथा का आवंटन किया गया है—प्रथम वर्ष में 5 लाख रुपए, द्वितीय वर्ष में 6 लाख रुपए तथा छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के अन्तिम तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष प्रति खण्ड

8 लाख रुपये। सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रति खण्ड प्रति वर्ष 15 लाख रुपए का आवंटन है। हमारे पास उनकी उर्वरक आवश्यकताओं के बारे में कोई सूचना नहीं है।

(ख) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1978-81 के दौरान भारत सरकार द्वारा लघु कृषक विकास एजेंसी समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 20957·79 लाख रुपए तथा सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत 11441·12 लाख रुपए बंटित किए गए थे। जहां तक उर्वरक का संबंध है, लघु कृषक विकास एजेंसी समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत पोटासीय तथा फासफैटिक उर्वरकों के लिए उपदान उपलब्ध था।

नयम्बर, 1979 से 31-3-1981 तक की अवधि हेतु लक्षित वर्ग के लिए 1979 के सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में सभी किस्मों के उर्वरकों सहित सभी निवेशों के लिए सामान्य दर पर उपदान उपलब्ध किया गया था।

उर्वरकों के लिए सुलभ किए गये उपदान की मात्रा अथवा लक्षित वर्ग द्वारा खरीदे गये उर्वरकों की मात्रा के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) उर्वरक के मूल्य में वृद्धि के प्रभाव को उपभोग पर अलग-अलग बताना कठिन है। चूंकि यह अनेक कारणों पर निर्भर करता है जैसे फसल वाले क्षेत्र की सीमा, सिंचाई सुविधाएं, ऋण की उपलब्धता, फसल मूल्य आदि।

विस्थापित व्यक्तियों की भूमि को अधिग्रहण से छूट

4888. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन की 13 नवम्बर 1958 की सामान्य अधिसूचना के भाग-4 के अन्तर्गत विस्थापित व्यक्तियों की भूमि को अधिग्रहण से छूट प्रदान की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण से वेस्ट डक्स रोड, विश्वास नगर, शाहदरा में विस्थापित व्यक्तियों की भूमि, जिसे पुनर्वास मन्त्रालय ने 12 अगस्त 1959 को विस्थापितों को सार्वजनिक नीलामी में प्लाटों के रूप में बेचा था, पर काफी दूर तक चारों ओर तार लगा दिए हैं,

(ग) यदि (क) और (ख) का उत्तर सकारात्मक है तो प्लाटों को तार लगाने वाले प्राधिकारी कौन हैं और इसके बदले में मालिकों (विस्थापित व्यक्तियों) को वैकल्पिक प्लाट/मुआवजा देने के लिए क्या निवारक उपाय किए गए हैं, और

(घ) यदि ऊपर (क) में उल्लिखित दिल्ली प्रशासन की सामान्य अधिसूचना के अन्तर्गत इन प्लाटों का अधिग्रहण नहीं किया गया है तो 1980 में मालिकों (विस्थापित व्यक्तियों) से छीने गए प्लाटों को पुनः वापस कब लौटाया जाएगा ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (घ) : सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

"पामिरा टेपिंग"

4889. **श्री एन० डेनिस** : क्या **ग्रामीण पुनर्निर्माण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने "पामिरा टेपिंग" व्यवसाय से नष्ट होने से बचाने तथा ताड़-गुड़ के उत्पादन और इससे सम्बन्धित व्यवसायों में लगे असंख्य लोगों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) क्या सरकार ताड़-गुड़ तैयार करने के लिए बर्तन और ईंधन लकड़ी खरीदने तथा उससे सम्बन्धित अन्य व्यवसायों में वृद्धि करने के लिए उन्हें राज्य सहायता और ऋण देकर उनकी सुरक्षा करेगी ?

कृषि तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) व (ख) ताड़ गुड़ तथा उससे सम्बद्ध उत्पादों के विनिर्माण को खादी तथा ग्रामोद्योग अधिनियम की अनुसूची में एक उद्योग के रूप में शामिल किया गया है और आयोग इस उद्योग में लगी इकाइयों और सम्बन्धित राज्य खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के पास पंजीकृत इकाइयों को सहायता के अपने अनुमोदित प्रतिमान के अनुसार वित्तीय सहायता सुलभ करता है।

डेयरी बोर्ड द्वारा बायलरों की सप्लाई

4890. **श्री रशीद मसूद**
श्री बी० डी० सिंह } : क्या **कृषि** मन्त्री यह बह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान विश्व बैंक से सहायता प्राप्त राजस्थान की डेयरी परियोजना से प्राप्त हाल की रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है जिसमें डेयरी बोर्ड द्वारा परियोजना के गलत ढंग से क्रियान्वयन के कारण उत्पन्न हुई कुछ गम्भीर समस्याओं और बाधाओं का उल्लेख किया गया है।

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में बायलरों की गलत सप्लाई के बारे में जिसे विशेषकर डेयरी बोर्ड द्वारा गलती से प्रमाणित कर दिया गया है, सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है या किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) क्या सरकार डेयरी बोर्ड अथवा विश्व बैंक और आप्रेशन फ्लड 1 और 2 परियोजनाओं द्वारा की गई गलत सप्लाई के समान मामलों की जांच करेगी ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) यद्यपि राजस्थान में विश्व बैंक द्वारा सहायता प्रदत्त डेयरी परियोजना के सम्पूर्ण कार्यान्वयन के सम्बन्ध में किसी समस्या अथवा बाधा होने की कोई जानकारी नहीं

मिली है, तथापि मैसर्ज ए० सी० सी० वीकर्स बाबकोक लि० द्वारा सप्लाई किये गये ईंधन से चलने वाले बायलरों में अलवर डेरी में जहां इन्हें सर्वप्रथम स्थापित किया गया था, कुछ बाधाएं सामने आई थीं।

राष्ट्रीय डेरी बोर्ड ने इस मामले को विनिर्माताओं के साथ उठाया था, जिन्होंने, यह समझा जाता है कि कुछ आवश्यक मरम्मत की थी, जिसके परिणामस्वरूप बायलर सन्तोषजनक काम करने लगे। कार्य में और सुविधा के लिये बायलर में मैकेनिकल ऐश निकालने वाला संयंत्र लगाने और बायलर को तेल द्वारा चालित बनाने के बारे में भी विचार किया जा रहा है।

(ग) सरकार को अब तक इस प्रकार की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

लोधी कालोनी, दिल्ली में घुसपैठ

4891. **श्री हरिकेश बहादुर : क्या निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सितम्बर, 1980 में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के लोधी रोड के पूछताछ कार्यालय के कुछ लोग लोधी कालोनी के एक मकान में आबंटी की अनुपस्थिति में बलात घुस गए और वहां उन्होंने तोड़-फोड़ की;

(ख) यदि हां, तो क्या इस घुसपैठ के सम्बन्ध में अब तक कोई कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) लोधी रोड, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग पूछ-ताछ कार्यालय के कर्मचारी सी-3/एफ-39 लोधी कालोनी में आवंटी द्वारा इस क्वार्टर में बनाई गई अनधिकृत संरचनाओं को गिराने के लिये सरकारी ड्यूटी पर सितम्बर, 1980 में गये। आबंटी का उप-किरायादार उस समय वहां उपस्थित था।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठता।

बागों के विकास के लिए धनराशियों का आबंटन

4892. **श्री चित्त महाटा : क्या निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छठी योजना में विभिन्न राज्यों में बाग परियोजनाओं के विकास के लिए धनराशियों का आबंटन किया है; और

(ख) यदि हां, तो धनराशियों का राज्यवार आवंटन क्या है और बागों के क्या नाम हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बंसधारा नदी में बाढ़ के बाद मरम्मतों तथा पुनर्वास के लिए केन्द्रीय सहायता

4893. **श्री गिरधर गोमांगो** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा सरकार को वर्ष 1980-81 और 1981-82 के दौरान बंसधारा नदी में तथा अन्य नदियों में वर्ष 1980 में आई बाढ़ के बाद मरम्मतों और पुनर्वास ने लिए अब तक कितनी केन्द्रीय सहायता रिलीज की गई है;

(ख) विभिन्न बाढ़ ग्रस्त जिलों के उप-डिवीजनों में केन्द्र सरकार को धनराशियों के अतिरिक्त बाढ़ की क्षति कार्यों के लिये अन्य क्षेत्र से उड़ीसा सरकार द्वारा कितनी धनराशियां दी गई; और

(ग) इस क्षेत्र के लोगों के पुनर्वास के लिये अब तक कितने छोटे और बड़े काम पूरे किए जा चुके हैं और कितने अभी आरम्भ किये जाने हैं तथा विभिन्न बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अभी आरंभ किये जाने वाले अन्य महत्वपूर्ण कार्य क्या है ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : (क) और (ख) केंद्रीय सरकार ने बाढ़ राहत उपायों तथा वर्ष 1980-81 के दौरान बाढ़ों द्वारा क्षतिग्रस्त सार्वजनिक सम्पत्तियों की मरम्मत तथा उनके जीर्णोद्धार के लिए वर्ष 1980-81 के दौरान उड़ीसा सरकार को 2820.39 लाख रुपये का योजना-भिन्न अनुदान दिया है। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि उपलब्ध सूचना के अनुसार, अब तक 3820.40 रुपये व्यय किये जा चुके हैं।

1981-82 में अब तक कोई अनुदान नहीं दिया गया है।

(ग) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि बाढ़ों से क्षतिग्रस्त 771 सड़कों, 1250 भवनों 1602 नदी तथा नहर तटबंधों और 107 लघु सिंचाई परियोजनाओं का पूर्णतया जीर्णोद्धार कर दिया गया है। नये भवनों सहित, 725 स्कूल भवनों का जीर्णोद्धार कार्य भी पूरा हो चुका है। 2140 पी० एस० तथा जी० पी० सड़कों और 1245 लघु सिंचाई परियोजनाओं तथा टैंकों, 2005 कूपों और 428 भवनों की मरम्मत का कार्य भी सामुदायिक विकास तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण कार्यक्रम के अन्तर्गत पूरा किया जा चुका है।

अपूर्ण कार्यों का विवरण राज्य सरकार के पास इस समय उपलब्ध नहीं हैं। गुणुपुर सब-डिवीजन में लोगों के पुनर्वास के लिए आवास स्कीमों हेतु स्वीकृत राज्य सरकार द्वारा अक्तूबर, 1981 में प्राप्त कर ली गई थी और ये कार्य आरंभ कर दिए गए हैं।

केरल में कोकोआ उत्पादकों द्वारा उठाई जा रही समस्यायें

4894. **श्री ए० नीलालोहिथा दासन नाडार** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार की केरल के कोकोआ उत्पादकों द्वारा अनुभव की जा रही समस्याओं की जानकारी है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और समस्या को हल करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : जी, हां। केरल के कोका उत्पादकों के लिए विपणन की मुख्य समस्या है। केरल की राज्य सरकार उत्पादकों से कोका अधिप्राप्त करने और सहकारी क्षेत्र में उसके प्राथमिक संशोधन के लिए एक योजना कार्यान्वित कर रही है। इस कार्य के लिए 20 सहकारी समितियां पहले ही मंजूर कर ली गई हैं और विपणन और सुखाने की सुविधा प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता की गई है। केरल राज्य सरकार ने इन सोसाइटियों से बिना किसी लाभ हानि के आधार पर माल उठाने के लिए केरल विपणन संघ और केंद्रीय सुपारी विपणन तथा परिसंस्करण सहकारी लि० मंगलौर का गठन किया है। केरल सरकार तैयार उत्पाद या कोका बटर जैसे मध्यवर्ती उत्पाद के विनिर्माण के लिए परिसंस्करण संयन्त्र स्थापित करने के प्रश्न पर विचार कर रही है।

इसके अलावा, मार्डन बैकरीज (इंडिया) लि० जो सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है, केरल में कोको फली परिसंस्करण संयन्त्र लगाना चाहती है। केरल उद्योग विकास निगम भी एक नया परि-संस्करण एकक स्थापित करना चाहता है।

नारियल के तेल की आवश्यकता और उसका उत्पादन

4895. **श्री ई० के० इम्बोचीबावा** : क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में नारियल के तेल की कितनी मांग है; और

(ख) भारत में इसका उत्पादन कितनी मात्रा में होता है ?

नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री ब्रजमोहन महन्ती) : (क) देश में नारियल के तेल की विशिष्ट रूप से कितनी मांग है इसका निश्चित अनुमान नहीं है। तथापि, खाने के तेलों की कुल वार्षिक मांग का अनुमान 36 व 38 लाख मीटरी टन के बीच लगाया गया है।

(ख) नारियल के तेल की लगभग 1.7 लाख मीटरी टन मात्रा का उत्पादन किए जाने का अनुमान है।

सहकारी ऋणदाता संस्थानों का कार्य निष्पादन

4896. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी ऋणदाता संस्थानों का कार्य-निष्पादन बहुत ही असंतोषजनक रहा,

(ख) क्या उस धनराशि का कोई अनुमान लगाया गया है जो प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों की ओर बकाया है,

(ग) क्या सरकार ने सहकारी ऋणदाता संस्थाओं में बकाया धनराशि के कारणों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया है,

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ङ) क्या उपर्युक्त भाग (क) को ध्यान में रखते हुए सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में वाणिज्यिक बैंकों के अवस्थापन को सुदृढ़ बनाने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो उसका ब्यौरा ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) से (च) जी नहीं। सहकारी समितियों द्वारा प्रदान की जा रही कृषि ऋण की मात्रा में वृद्धि हो रही है, जैसाकि नीचे दर्शाया गया है :—

ऋण की किस्म	(करोड़ रुपये) के दौरान प्राप्ति		
	77-78	78-79	79-80
सहकारी समितियां			
अल्पावधि	1111.22	1261.91	1300.00
मध्यावधि	160.47	193.07	187.00
दीर्घावधि	237.90	240.57	308.21
			(अनन्तिम)

सहकारी समितियों की देय राशि व अतिदेय की प्रतिशतता नीचे दी गई है :—

(करोड़ रुपये)

	77-78	78-79
बकाया ऋण	1798.00	2049.00
मांग की तुलना में अतिदेयता की प्रतिशतता	43	43

सहकारी ऋण संस्थाओं में अतिदेय के कारणों के संबंध में पहले अनेक अध्ययन किए गए हैं। अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण पुनरीक्षण समिति की रिपोर्ट (1969) में अन्य बातों के साथ-साथ इस

समस्या की जांच की गयी थी। 1972 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विशेषतौर पर सहकारी ऋण संस्थानों की अतिदेय धनराशि के संबंध में एक अध्ययन दल गठित किया गया था। इस अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट 1974 में प्रस्तुत की। इन अध्ययनों से पता चला है कि सहकारी समितियों के कई आंतरिक तथा बाह्य कारणों के फलस्वरूप उनकी देय राशि के भुगतान में खामियां आईं। इसका एक प्रमुख कारण यह पाया गया कि किसानों में अदायगी करने की इच्छा तथा एतत संबंधी अनुशासन की कमी थी जिसकी वजह से जानबूझ कर भुगतान संबंधी चूक होती थीं। इसके अलावा सहकारी समितियों की ऋण संबंधी त्रुटिपूर्ण नीतियों, प्रबंधकों की अनुशासनहीन सदस्यों के खिलाफ तुरन्त कार्रवाई करने के मामले में उदासीनता तथा वसूली के लिए अनुकूल वातावरण का अभाव इसके सहायक कारण थे।

वाणिज्यिक बैंकों के अतिदेय 1977-78 में 48.8 प्रतिशत तथा 1978-79 में 46.9 प्रतिशत थे, जिससे यह पता चलता है कि सहकारी समितियों तथा वाणिज्यिक बैंकों दोनों के संबंध में वसूली की स्थिति लगभग एक जैसी है।

बहु एजेंसी नीति के तहत कृषि ऋण की नीति कुल मिलाकर प्रगामी संस्थानीकरण की है, जिसमें सहकारी समितियां वाणिज्यिक बैंक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक परस्पर सहायक होंगे। अतः किसी संस्थागत एजेंसी को दूसरी एजेंसी में बदलने का प्रश्न ही नहीं होता।

महापुरुषों के नाम पर संस्थाओं की स्थापना

4897. **श्री बी० डी० सिंह** : क्या **नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऐसे कोई मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित किए हुए हैं, जिनके अनुसार केन्द्रीय और राज्य सरकारें देश के महापुरुषों के नाम पर संस्थाओं आदि की स्थापना करती हैं।

(ख) यदि हां, तो इन मार्गदर्शी सिद्धांतों का ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित करने हेतु इस मामले पर ध्यान देने का है ?

नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ब्रजमोहन महन्ती) : (क) से (ग) संप्रतीक तथा नाम का (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम (1950 का बारहवां) में व्यवसायिक और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए कुछ संप्रतीकों तथा नामों के अनुचित प्रयोग को रोकने की व्यवस्था की गई है। इस संबंध में इस अधिनियम के उपबंध स्पष्ट हैं।

इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कोई मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं बनाये गये हैं, क्योंकि विगत में इनकी आवश्यकता नहीं पड़ी थी। तथापि, एक अन्तर-मन्त्रालय समिति इस अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित आम प्रश्न की जांच कर रही है, जिसमें इस प्रयोजन के लिए नियम तथा मार्गदर्शी सिद्धांत तैयार करने की जरूरत पर भी विचार किया जायेगा।

राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम

1898. **श्री जैनुल बशर** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 31 अक्तूबर, 1981 को समाप्त होने वाली अवधि में राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत हुई प्रगति और उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है,

(ख) क्या इस कार्यक्रम के लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं, और

(ग) यदि प्रगति धीमी है तो तत्संबंधी कारण क्या हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार उपयोग में लाये गये संसाधनों, पैदा किए रोजगार तथा सृजित भौतिक परिसम्पत्तियों के बारे में काम के बदले अनाज कार्यक्रम/राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक की प्रगति तथा उपलब्धियों को दर्शाने वाले तीन विवरण संलग्न है ।

(ख) व (ग) जी हां । योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा किए गए मूल्यांकन अध्ययन की रिपोर्ट के अनुसार कार्यक्रम के उद्देश्य कुल मिलाकर पूरे किए जा रहे हैं ।

विवरण—1

1977-78 से 1981-82 के वर्षों के दौरान काम के बदले अनाज कार्यक्रम/राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत उपयोग में लाए गये संसाधनों को दर्शाने वाला विवरण :

वर्ष	उपयोग में लाए गये खाद्यान्नों की मात्रा (मी० टन)	उपयोग में लाई गई नगद राशि (लाख रु० में)
1977-78	1,29,835	—
1978-79	12,44,878	—
1979-80	23,76,130	—
1980-81	13,33,024*	931.25*
1981-82	53,697	3167.81*

*अपूर्ण सूचना

विवरण 2

1977-78 से 1981-82 के वर्षों के दौरान काम के बदले अनाज कार्यक्रम/राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत सृजित भौतिक परिसम्पत्तियों को दर्शाने वाला विवरण।

मदें	1977-78	1978-79	1979-80	1980-81 ©	1981-82 ×
1. भूमि संरक्षण के अंतर्गत लिया गया क्षेत्र (हैक्टेयर)	24516	464021	398603	101279	2548
2. वृहद/लघु सिंचाई के माध्यम से सिंचाई के अंतर्गत लाया गया क्षेत्र (हैक्टेयर)	75988	612380	322731	246612	8196
3. बाढ़ बचाव के माध्यम से कृषि योग्य बनाया गया क्षेत्र (हैक्टे०)	102534	175234	154374	57904	
4. पौधरोपण के अंतर्गत लाया गया क्षेत्र (हैक्टेयर)	2313	91563	177386	200414	611
5. निर्मित/मरम्मत किए स्कूल भवन (सं०)	967*	34062	63493	14615	4269*
6. निर्मित पंचायत घर/सामुदायिक भवन (सं०)	—	879	240	885	—
7. सड़क कार्य					
(क) रखरखाव की गई/सुधारी गई (कि० मी०)	47391**	57222	188057	186970	9025**
(ख) निर्मित नई सड़कें (कि० मी०)	—	114968	100042	17561	—
8. सिंचाई कमाण्ड क्षेत्रों में मध्यवर्ती मुख्य नालियों, खेत की नालियों के निर्माण तथा भूमि समतलीकरण आदि के माध्यम से लाभान्वित क्षेत्र (हैक्टेयर)	—	78245	79033	2806	—

9. अनु० जातियों/अनु० जनजातियों के लिए पेयजल कुएं, सामुदायिक सिंचाई कुएं, सामूहिक आवास तथा भूमि विकास (सं०)	—	—	—	—	896
10. ग्रामीण तालाबों का निर्माण (सं०)	—	—	—	—	776
11. अन्य कार्य (सं०)	826	39185	122861	212001	26744

©अपूर्ण सूचना

×सूचना राजस्थान, पश्चिम बंगाल, पांडिचेरी के बारे में जून, 1981 को समाप्त हुई अवधि से संबंधित है और असम, गुजरात, तमिलनाडु तथा अरुणाचल प्रदेश के बारे में 30-9-81 को समाप्त हुई अवधि की है।

*पंचायत घर भी शामिल हैं।

**निर्मित नई सड़कें भी शामिल हैं.

विवरण 3

1977-78 से 1981-82 के वर्षों के दौरान काम के बदले अनाज कार्यक्रम/राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत रोजगार सृजन को दर्शाने वाला विवरण।

वर्ष	सृजित रोजगार (लाख श्रम दिनों में)
1977-78	444.34
1978-79	3532.32
1979-80	5817.10
1980-81	3264.98*
1981-82	201.49*

*अपूर्ण सूचना

बंगला देश के साथ फरक्का समझौता

4898-क **श्री अमर राय प्रधान**
श्री चित्त बसु
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया
श्री बालासाहिब दिखे पाटिल : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फरक्का तथा अन्य मामलों का बंगलादेश सरकार के साथ निपटारा हो गया है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं तथा ये मामले बंगलादेश सरकार के साथ कब से लम्बित है ;

(ग) क्या यह सच भी है कि बंगलादेश ने फरक्का के किसी समझौते में नेपाल को एक पक्ष बनाने की मांग की है: और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) भारत और बंगलादेश ने फरक्का में गंगा के जल के बंटवारे और उसके प्रवाह में वृद्धि करने के लिए 5 नवम्बर, 1977 को एक करार पर हस्ताक्षर किए थे, जो 5 वर्षों की अवधि के लिए वैध है। जैसाकि दो पड़ौसियों के बीच मामले में होता है, भारत तथा बंगलादेश की सरकारों के बीच, फरक्का सहित, कुछ द्विपक्षीय प्रश्नों पर मतभेद रहे हैं। तथापि, दोनों सरकारें इस बात पर सहमत हो गई हैं कि इन समस्याओं को शांतिपूर्ण द्विपक्षीय बातचीत द्वारा सर्वोत्तम तरीके से हल किया जा सकता है। फरक्का तथा अन्य मुद्दों पर बंगलादेश सरकार के साथ सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है और यद्यपि उनका तत्काल समाधान नहीं हो पा रहा है, तो भी हमें आशा है कि उनका कोई ऐसा समाधान ढूंढ़ लिया जाएगा जो उन्हें स्वीकार्य होगा।

(ग) और (घ) : 1977 के भारत-बंगलादेश करार में यह व्यवस्था है कि भारत-बंगलादेश संयुक्त नदी आयोग को शुष्क ऋतु में गंगा के प्रवाह में वृद्धि करने के लिए दोनों में से किसी भी सरकार द्वारा प्रस्तावित स्कीमों का अन्वेषण तथा अध्ययन करना चाहिए और किसी ऐसे हल की सिफारिश करना चाहिए जो किफायती तथा व्यवहार्य हो। मार्च, 1978 में दोनों देशों द्वारा अपने-अपने प्रस्तावों का आदान-प्रदान किए जाने के बाद बंगलादेश ने एक पूर्व-शर्त यह रखी थी कि बंगलादेश के प्रस्ताव का अध्ययन करने के लिए नेपाल को भारत-बंगलादेश संयुक्त नदी आयोग या इसकी समिति का एक सदस्य बनाया जाए। भारत सरकार ने यह विचार व्यक्त किया कि यह आवश्यक नहीं है कि बंगलादेश के प्रस्ताव का अध्ययन करने के लिए नेपाल को संयुक्त नदी आयोग का जो एक द्विपक्षीय निकाय है, या इसकी समिति का सदस्य बनाया जाए, क्योंकि यह अध्ययन जिसकी प्रकृति से द्विपक्षीय है, 1977 के करार की शर्तों के अन्तर्गत किया जाना है। फरक्का के बारे में किसी करार में नेपाल को शामिल करने के सम्बन्ध में बंगलादेश सरकार से कोई नया प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

विशेषाधिकार के प्रश्न आदि के बारे में

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मैंने एक बहुत गम्भीर प्रश्न उठाया है·····।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात सुनिये।

प्रो० मधु दण्डवते : आप हमें बैठने के लिए मजबूर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब आप खड़े हो जाते हैं तो मुझे बैठना पड़ता है ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे आपका पत्र मिल गया है।

प्रो० मधु दण्डवते : मुझे इसके बारे में कुछ कहने का मौका दीजिए। विगत में, अध्यक्ष महोदय ने इसकी अनुमति दी है।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात सुनिये। मैं प्रो० दण्डवते और श्री रामजेठ मलानी के विरुद्ध लाए गए इस मामले के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूं। उन्होंने मुझे सूचना दी है।

श्री राम जेठ मलानी (बम्बई उत्तर-पश्चिम) : जब आप अपनी बात समाप्त कर लें, तो हमें भी एक मिनट का समय दें।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात सुनिये, और तब यदि जरूरत होगी·····।

प्रो० मधु दण्डवते : उसके बाद आप हमें बोलने से न रोकें।

अध्यक्ष महोदय : नहीं; यदि नियम अनुमति देते हैं तो अनुमति दूंगा। मैं किसी बात पर प्रतिबंध नहीं लगाता। मैं नियमों के अनुसार चलता हूं।

प्रो० मधु दण्डवते ने मुझे शनिवार, 19 दिसम्बर, 1981 को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने **'हिन्दुस्तान टाइम्स'** में छपी इस रिपोर्ट का हवाला दिया है कि उनके तथा एक अन्य संसद सदस्य श्री जेठ मलानी के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव को महाराष्ट्र विधान सभा ने अनुमति दे दी है।

हमें अभी तक महाराष्ट्र राज्य विधान सभा से इस विषय में कोई सरकारी पत्र नहीं मिला है।

मैंने पहले ही उनका ध्यान उस प्रक्रिया की ओर दिलाया है जिसके अनुसार ऐसे मामलों पर कार्यवाही की जाती है। संक्षेप में, प्रक्रिया यह है कि :

> "यदि राज्य विधान सभा अथवा भारत की किसी अन्य विधान सभा का कोई अधिकारी अथवा कर्मचारी इस सभा के अवमान अथवा कथित विशेषाधिकार के भंग के मामले में अन्तर्ग्रस्त हो तो अध्यक्ष/सभापति उस मामले को उस सभा के पीठासीन अधिकारी के पास भेजेगा, जब तक कि जिस सदस्य ने वह प्रश्न उठाया है उसको सुनकर, अथवा जहां शिकायत किसी दस्तावेज पर आधारित हो, अध्यक्ष/सभापति इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि कोई विशेषाधिकार भंग नहीं हुआ है अथवा मामला इतना मामूली है कि उस पर ध्यान देने की

जरूरत नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वह विशेषाधिकार भंग के प्रस्ताव को अस्वीकार कर सकता है।

यही नहीं, जब राज्य सभा अथवा भारत की किसी अन्य विधान सभा के विरुद्ध अवमान अथवा किसी कथित विशेषाधिकार भंग का कोई मामला, जिसमें इस सभा का कोई अधिकारी अथवा कर्मचारी अन्तर्ग्रस्त हो, संबंधित सभा अथवा विधान सभा के पीठासीन अधिकारी द्वारा इस सभा को भेजा जाता है तो इस सभा का अध्यक्ष/सभापति उस मामले पर उसी तरह विचार करेगा मानो कि वह इसी सभा के विशेषाधिकार का भंग होने का मामला हो, और उस पीठासीन अधिकारी को जिसके द्वारा मामला भेजा गया था, जांच की रिपोर्ट तथा प्राप्त हुए पत्र पर की गई कार्यवाही की सूचना देगा।"

मैं प्रो० दण्डवते से अनुरोध करूंगा कि वह अभी इस मामले में आगे कार्यवाही न करें। बस मुझे इतना ही कहना है। मुझे वह मामला अभी प्राप्त होना है और तब मैं उस पर ध्यान दूंगा।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं कुछ कहना चाहता हूं, क्योंकि यह मेरी सूचना थी जिस पर आपने कुछ विचार व्यक्त किए हैं, जो कि अन्तिम नहीं हैं, क्योंकि आपने कहा है, "मैं महाराष्ट्र विधानसभा से पत्र की प्रतीक्षा कर रहा हूं।" मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं। मैं इस मामले के गुणावगुणों में नहीं जाऊंगा।

अध्यक्ष महोदय : मुझे तथ्य प्राप्त हो जाने दीजिये, क्योंकि मैं तथ्य जाने बिना कुछ नहीं कह सकता।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या आप जानते हैं कि महाराष्ट्र विधान सभा द्वारा अपनाई गई तकनीक क्या होगी ?

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता।

प्रो० मधु दण्डवते : जब संसद का अधिवेशन समाप्त हो जायेगा तब वे अन्तुले सम्बन्धी मसले को यहां आने देंगे···।

अध्यक्ष महोदय : मैं तथ्य जाने बिना कोई निर्णय नहीं ले सकता।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं आपको इस मामले की अवलम्बनीयता के बारे में बताऊंगा। मैंने पहले ही श्री अन्तुले के विरुद्ध उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर दी है। वह संसदीय प्रक्रिया की सहायता से हमारी आवाज दबाना चाहते हैं। हम यह कभी नहीं होने दे सकते। मैं महाराष्ट्र विधान सभा के क्षेत्राधिकार के समक्ष कभी नहीं झुकूंगा, बैरिस्टर अन्तुले की तो बात ही दूर है।

अध्यक्ष महोदय : यह मामला इस सभा में आना चाहिए।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं एक पूर्व दृष्टान्त दूंगा। जब आपको समाचार पत्रों से रेल-दुर्घटना का समाचार मिला था तो आपने सरकार से कोई पत्र प्राप्त हुए बिना ही स्थगन प्रस्ताव की अनुमति दे दी थी।

अध्यक्ष महोदय : विशेषाधिकार का जो भी प्रस्ताव है, हमें उस पर विचार करना है। मुझे तथ्य जानने हैं और तब निर्णय देना है। (**व्यवधान**)। मैं कुछ नहीं जानता।

प्रो० मधु दण्डवते : आप हमें निवेदन करने की अनुमति क्यों नहीं देते ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे सम्मुख कोई मामला नहीं है।

प्रो० मधु दण्डवते : जो कुछ समाचार-पत्रों में छपता है, आप उसको कोई महत्त्व नहीं देते ?

अध्यक्ष महोदय : इस मामले में मैं कुछ नहीं सुनूंगा, जब तक कि मुझे·····प्राप्त नहीं हो जाते·····।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं आपका निर्णय चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मेरा निर्णय यह है कि मुझे सरकारी पत्र प्राप्त होना चाहिए। जब तक कि मैं इसके ठोस प्रमाण न देख लूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। (**व्यवधान**) कुछ नहीं; मैं अनुमति नहीं देता हूं।

श्री राम जेठमलानी : मैं कम से कम अपने स्थगन प्रस्ताव के बारे में तो कुछ पूछ सकता हूं ? मेरे स्थगन प्रस्ताव का क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : स्थगन प्रस्ताव का कोई प्रश्न नहीं है (**व्यवधान**)। मैंने इसे स्वीकार नहीं किया है।

श्रीराम जेठ मलानी : मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं। निजी स्पष्टीकरण के प्रश्न पर मुझे आपको यह बताना है कि मैंने यह स्थगन प्रस्ताव इसलिए प्रस्तुत नहीं किया है कि मैं आपका संरक्षण चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मेरा संरक्षण हमेशा उपलब्ध है।

श्री राम जेठमलानी : मैं जानता हूं कि मुझे**·····श्री अब्दुल रहमान अन्तुले से अपनी लड़ाई कैसे लड़नी है।

अध्यक्ष महोदय : यह अपशब्द है। इसे रिकार्ड में नहीं लाया जायेगा। आप व्यक्तिगत मामले बाहर उठा सकते हैं, सभा में नहीं। आप ये बातें सभा से बाहर कहें, इस सभा में नहीं।

श्री राम जेठमलानी : मैं ऐसी कोई बात इस सभा में नहीं कहता जिसे बाहर दोहराने के लिए मैं तैयार न हूं। मैं इसे बाहर दोहराऊंगा·····।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री राम जेठमलानी : **·····

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता । मैं यह नहीं करूंगा । मैं ऐसी बातो की माननीय सदस्यों से आशा नहीं करता । (**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी रिकार्ड में नहीं आयेगा । (**व्यवधान**)* मैं खड़ा हूं । आप बैठ नहीं रहे हैं ? आप क्या कर रहे हैं ? कृपया बैठ जाइये । आप मेरी बात सुनिए । आप मुझे कुछ कहने क्यों नहीं देते ? (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठते क्यों नहीं हैं ? मुझे कहने क्यों नहीं देते कुछ ? (**व्यवधान**) मैं कुछ कहना चाहता हूं, आप कहने नहीं देते । (**व्यवधान**)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, हमारी आपसे बातचीत हो रही है । आप एक्सपंज कर दें, मैम्बर को कहें कि विदड्रा करे, जो चाहे करे । कार्रवाई में से भी आप निकाल सकते हैं । लेकिन इस तरह से तो नहीं चल सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : कोई सुने तो कहूं । किसको कहूं ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह गलत बात है । (**व्यवधान**)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण । बड़ा अफसोस होता है मुझे यह देखकर कि क्या हो रहा है । थोड़े से संयम की आवश्यकता है । आपके विचार कुछ भी हो सकते हैं । विचारों का टकराव कुछ हो सकता है । पोलिटिकल फील्ड में आप जिस तरीके से चाहते हैं बाहर करें, लेकिन अगर शब्दों का उपयोग यहां थोड़ा सा संयम से कर लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, न किसी की सेहत पर असर यहां पड़ने वाला है और न बाहर लोगों पर पड़ेगा । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठते क्यों नहीं ? जो कुछ उन्होंने किया है आप उससे कोई बेहतर काम नहीं कर रहे हैं । मैं इस बात के लिए कोई भेदभाव नहीं रखता । इनको यही बात कह सकता था लेकिन अगर आपने कहने दिया होता तो । मैं यह कह सकता था, मैं सभा में यह कहने की हिम्मत रखता हूं । यह सभी सभा की मर्यादा के प्रतिकूल है । जिसने भी यह किया है, गलत है और मैं आप सभी से अपील करता हूं कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए । आप यह बात एक सभ्य ढंग से कह सकते हैं, लेकिन ऐसी अनावश्यक भद्दी भाषा का प्रयोग क्यों किया जाए, जो सभा की मर्यादा को भंग करती हो ? यही मैं कहता हूं । हो सकता है, मैं इस पर चर्चा करवाता, मैं नियमों की भीतर हर बात की अनुमति दे सकता हूं लेकिन यह नहीं हो सकता कि मुझे किसी भी दिशा में जैसे भी कोई चाहे, धकेले, फुसलाए । मुझे सभा का मार्गदर्शन करना है । जब तक मैं यहां हूं मैं वही करूंगा जो नियमों के अनुसार सही हो । यह कितना आसान है । कुछ भी, जो असंसदीय होगा, रिकार्ड नहीं किया जाएगा । यह सब कार्यवाही वृतान्त से निकाला जाता है । (**व्यवधान**)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह बात आप मानेंगे कि संसद के किसी मैम्बर को कोई मुख्य मंत्री धमकाए तो आप बरदाश्त नहीं करेंगे ।

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

अध्यक्ष महोदय : सारा सुनने के लिए मैं तैयार बैठा हूं। प्रिवलेज मोशन हो सकता है, सब कुछ हो सकता है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : प्रिवलेज मोशन आया। आपने बोलने ही नहीं दिया। एडजर्नमेंट मोशन आया, आपने रिजेक्ट कर दिया।

अध्यक्ष महोदय : कब किया है प्रिवलेज मोशन रिजेक्ट ? रिजेक्ट थोड़े किया है। मैंने कहा कि मेरे विचाराधीन है। मुझे कोई कागज आने दो, कुछ देखने दो। बगैर देखे कैसे कह दूं।

श्री आरिफ मोहम्मद खां (कानपुर) : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे हर चीज का अध्ययन कर लेने दो। मैंने कहा है कि मैंने कोई प्रिवलेज मोशन आपका रिजेक्ट नहीं किया है। जो सुना है देख रहा हूं, और जब तक मेरे पास कोई चीज नहीं आएगी तो फैसला कैसे करूंगा ? हवा में क्यों मरवाते हो।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : नहीं, अध्यक्ष जी, महाराष्ट्र की विधान सभा में प्रस्ताव पास करके.....

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास आएगा मैं देखूंगा। मैं इसे प्राप्त करूंगा। मैं तद्नुसार कार्यवाही करूंगा। मैं अपना निर्णय तद्नुसार दूंगा और उसे आपके सामने रखूंगा।

श्री मधु दण्डवते : मैं पीठासीन अधिकारी की अवज्ञा नहीं करूंगा। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात सुनूंगा।

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है.....

अध्यक्ष महोदय : अब और क्या चाहते हैं आप ? आप मेरे से और क्या चाहते हैं ? मैंने किया नहीं क्या ? (**व्यवधान**) श्री लकप्पा, मैंने अपना कर्तव्य निभा दिया है। कृपया बैठ जाइए। अपन स्थान ग्रहण कीजिए।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं अध्यक्ष पीठ की अवज्ञा कभी नहीं करने वाला हूं। मैं अध्यक्ष पीठ की अवज्ञा करने के बजाए सभा से उठकर बाहर जाना पसंद करूंगा। मैं आपकी सहायता करने के लिए कुछ निवेदन करना चाहता हूं। मैं इसके गुणदोषों में नहीं जाना चाहता।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं इसे स्वीकार करता हूं। प्रक्रिया के बारे में चर्चा के दौरान मैं केवल एक बात लोक सभा वाद-विवाद में से आपके ध्यान में लाऊंगा। मेरे पास 12 मई 1954 के लोक सभा वाद-विवाद की प्रति हैं। मेरे पास 1954 के वाद-विवाद की प्रति है। मैंने उसका अध्ययन कर लिया है।

प्रो० मधु दण्डवते : जब राज्य सभा में श्री एन० सी० चटर्जी के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव आया, तो दादा साहिब मावलंकार.....

अध्यक्ष महोदय : विशेषाधिकार समिति का एक प्रतिवेदन है जो 27 वर्ष पुराना है।

प्रो० मधु दण्डवते : उन्होंने कहा कि वह अपने सदस्यों को अन्य सभा के क्षेत्राधिकार के समक्ष झुकने नहीं दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उसका अध्ययन कर लिया है।

प्रो० मधु दण्डवते : कृपया उसे ध्यान में रखें।

अध्यक्ष महोदय : मेरे ध्यान में है। समिति का प्रतिवेदन भी है। उसके पश्चात्, विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन भी है। मैं उस हर बात पर विचार करूंगा जो आप प्रस्तुत करेंगे।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : अध्यक्ष जी, मैं आपकी भावना के साथ अपने को जोड़ता हूं। सही बात है कि जो कुछ सदन में घटा है इससे देश भर में सदन की मर्यादा घटी है।

एक माननीय सदस्य : इनको माफी मांगनी चाहिए।

श्री चन्द्रजीत यादव : सही बात है, माफी मांगनी चाहिए।..... **(व्यवधान)**। मैं समझता हूं कि यह बात सही है यह प्रिवलेज का मोशन सीरियस है। माननीय जेठमलानी जी सीरियस मैम्बर हैं। उनको इस तरह के शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। पहली बात तो यह है।

मैं देख रहा हूं कि इस सदन में किसी भी मिनिस्टर या सदस्य को इविन प्राइम मिनिस्टर को बराबर कह देना**

इससे सदन की मर्यादा बहुत ही गिरती है। इसीलिए कुछ नियम बने हुए हैं, सदन के संचालन के लिए.....। **(व्यवधान)**

श्री राम जेठमलानी : वह कह रहे हैं पहले। मैंने पहले नहीं कहा।

श्री चद्रन्जीत यादव : साथ ही अध्यक्ष महोदय, जिस तरह हमारी रूलिंग पार्टी के सदस्य अपनी सीट से उठ कर धमकी देते हुए आये यह भी उचित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने सब को कहा है।

श्री चन्द्रजीत यादव : क्या यह लोग अपने मंत्री की बात भी नहीं मानेंगे ? आप अध्यक्ष महोदय, इस बारे में बैठक बुलायें, और सदन में कैसे काम होगा यह तय किया जाए।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, मैं बुलाऊंगा।

श्री राम जेठमलानी : मैंने वह कभी नहीं कहा है**

** अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष जी, प्रधान मंत्री सदन की लीडर हैं और पार्टी की भी लीडर हैं। प्रधान मंत्री सदन में नहीं हैं। हम तो इन्हें रोकने के लिये हैं, मगर कांग्रेस के मेम्बरों को कौन रोकेगा···(**व्यवधान**)

ससंदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह, : आप पहले अपने दल के बुजुर्ग सदस्य को सम्भालिये, हम अपने दल के सदस्य को सम्भाल लेंगे।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष जी, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात सुनूंगा।

प्रो० मधु दण्डवते : जब श्री एन० सी० चटर्जी ने यह प्रश्न उठाया तब पंडित जवाहरलाल नेहरू सदन में उपस्थित थे।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : श्रीमन्, आपने जो कुछ कहा है सदन की परम्पराओं के बारे में उससे मैं पूरी तरह सहमत हूं, और अगर हमारी तरफ से कोई अपशब्द या अनपार्लियामेंटरी शब्द कहा गया तो उसके लिये खेद है। और आपने यह भी कहा कि जो कुछ गैर-संसदीय है उसको कार्यवाही से निकाल दिया जाएगा। मगर आपने स्पष्ट नहीं किया कि क्या गैर-संसदीय है। माननीय जेठमलानी जी ने श्रीमन्, एक बार नहीं तीन बार·····

श्रीमन्, 3 बार इन्होंने·····(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : वह अब क्या कर रहे हैं? रिकार्ड में कुछ भी नहीं है। अब आप क्या करने का प्रयत्न कर रहे हैं?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : अध्यक्ष जी, हम आपसे स्पष्ट व्यवस्था चाहते हैं, इसलिये कि इनकी आदत बन गई है, (**व्यवधान**) इन्होंने जो लफ्ज इस्तेमाल किया है,

अध्यक्ष महोदय : कोई लफ्ज यहां नहीं है। रिकार्ड में कुछ नहीं है। कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाना था।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : अध्यक्ष जी, आप यह कहिये कि यह रिकार्ड में असंसदीय है। हम यह चाहते हैं कि इनकी भर्त्सना कीजिये, इन्होंने इस प्रकार के शब्द प्रयोग किये। (**व्यवधान**)

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक दूसरे विषय पर एडजार्नमैंट मोशन दिया है। प्रिविलेज का मामला तो अलग है, लेकिन श्री सत्य नारायण जटिया जी के सम्बन्ध में गृह-मंत्री यहां बैठे हुए हैं·····

अध्यक्ष महोदय : एडजर्नमैंट मोशन नहीं बनता, मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है। (**व्यवधान**)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मकवाना साहब यहां बैठे हैं।

---

*अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

श्री राम विलास पासवान : श्री सत्य नारायण जटिया को बुरी तरह मारा गया है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको कहा कि यह विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं है। मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है।

श्री रामविलास पासवान । मैं प्रविलेज नहीं उठा रहा हूं, प्रविलेज का अलग मामला है, सरकार का अलग मामला है।

अध्यक्ष महोदय : क्या उन्होंने यह कहा था ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : जी हां।

श्री रामविलास पासवान : जिस एस० पी० ने बुरी तरह एक संसद सदस्य को पीटा है, यह कहते हुए कि हरिजन है, तुमको एस० पी० बनने का कोई अधिकार··· (**व्यवधान**)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : कार्यवाही पूरी पढ़ी है ?

अध्यक्ष महोदय : पढ़ी है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मकवाना जी ने आश्वासन दिया था कि सदस्य चाहेंगे, तो अदालती जांच होगी। मकवाना जी बैठे हैं, बतायें कि क्या कार्यवाही हुई है ? मैं आपको पढ़कर बताता हूँ।

गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : सभा से जाते ही मैंने तुरन्त राज्य सरकार को टेलेक्स सूचना भेज दी थी। आज मुझे राज्य सरकार से सूचना मिली है कि उज्जैन में भारी वर्षा हो रही है तथा रविवार होने के कारण भी अपेक्षित जानकारी एकत्र करना सम्भव नहीं है। इसलिये वे कल दो अधिकारियों को दिल्ली भेज रहे हैं जो सुबह दिल्ली पहुंच जाएंगे और जानकारी प्रदान करेंगे। इस जानकारी को मैं वक्तव्य के रूप में सभा को दूंगा। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मुझे बोलने दीजिये।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, यह लीपापोती की जा रही है, मकवाना साहब का आश्वासन बिल्कुल स्पष्ट है। मैं उनकी याददाश्त को ताजा करता हूं—

> "यदि माननीय सदस्य चाहते हैं कि इसकी न्यायिक जांच हो, तो इसमें कोई सन्देह नहीं है कि हम राज्य सरकार को न्यायिक जांच शुरू कराने के लिए न कहें।"

इसमें पानी और बरसात कहां से आ गई ?

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : उन्होंने ऐसा कहा है।

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैं मामले के तथ्यों का हवाला दे रहा था जिन्हें मैं सभा के समक्ष पेश करना चाहता था।

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, सबको ऐसा काहे करते हैं ? आपके प्रति हम सब यहां बैठे हैं। मेम्बर को देखा है, किस प्रकार से बुरी तरह घायल किया है ?

अध्यक्ष महोदय : कल फैसला करूंगा, मैंने बताया।

श्री राम विलास पासवान : आप फैसला कीजिये प्रिविलेज मोशन पर, जो सरकार ने कहा है हाउस में कि हम जुडिशियल इन्क्वायरी करायेंगे, कई मेम्बर की लाइफ पर खतरा है, उस पर क्या हो रहा है ? आपका प्रिविलेज मोशन अलग है, सरकार का अलग है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : क्या उन्होंने और कुछ कहा था ? क्या आपने कुछ कहा था ? क्या आपने उस मामले पर कोई आश्वासन दिया था ? क्या कोई ऐसी बात है ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : जो कुछ भी मैंने कहा था वह सभा की कार्यवाही में दर्ज है। जहां तक आपके कार्यालय से प्राप्त हुए पत्र का सम्बन्ध है···

अध्यक्ष महोदय : नहीं, सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या आप उस आश्वासन पर अभी तक कायम हैं या नहीं।

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैं अपने वक्तव्य पर अडिग हूं। मैंने सभा को आश्वासन दिया था कि "मैं राज्य सरकार को लिखूंगा कि वह इस मामले की जांच कराये।" (**व्यवधान**)

श्री राम विलास पासवान : यह इतना आसान नहीं है··· (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महदोय : मुझे इस मामले से निपटने दीजिए।

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैंने तुरन्त राज्य सरकार को सदन की कार्यवाही के सम्बन्ध में लिख दिया था। मैं सभा की समूची कार्यवाही राज्य सरकार को भेज चुका हूं और मैं उन्हें इस आशय की सूचना भी भेज चुका हूं कि मैं सभा को एक आश्वासन दे चुका हूं "अतः आप जांच कराने की व्यवस्था करें," मैं पहले ही राज्य सरकार को लिख चुका हूं। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे इस मामले से निपटने दीजिये, मुझे पता तो करने दीजिये। (**व्यवधान**) मैं भ्रमित नहीं हूं और न ही मुझे भ्रमित किया जा रहा है। मैं इस सम्बन्ध में स्पष्ट बात करना चाहता हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : आपने अध्यक्षपीठ से कल जो कुछ कहा था उसके बारे में आपको सदस्य को उत्तर देना होगा।

अध्यक्ष महोदय : मैंने क्या कहा था ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आपने सभा में आश्वासन दिया था कि यदि किसी सदस्य पर कोई हमला किया गया या उन्हें रोका गया है···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : क्या आपको पक्का विश्वास है कि मैंने ऐसा कहा था ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : श्री योगेन्द्र झा के मामले में । मैं उस मामले का हवाला देता हूं । जब वह घायल अवस्था में यहां आये थे तो इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपा गया था । आपने कहा था कि मामला विशेषाधिकार समिति को भेजा गया था । मुझे न्यायिक जांच की कोई चिन्ता नहीं है । कल भी एक विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया गया था । आपने कहा था कि आप अवश्य ही इसकी पड़ताल करेंगे और यदि किसी सदस्य पर हमला किया गया है या इस प्रकार से रोका गया है तो इसे विशेषाधिकार भंग होने का एक गम्भीर मामला समझा जायेगा । उसके बाद श्री जाटिया सदन में आये जो बहुत अधिक घायल थे और उन पर पट्टियां बंधी हुई थीं । बात मेरी समझ में नहीं आती कि इस प्रकार अब इधर-उधर की हांकने का क्या अर्थ है इस मामले को सीधे विशेषाधिकार समिति के पास भेज दिया जाना चाहिए । श्री मकवाना····· (**व्यवधान**).

अध्यक्ष महोदय : आप दो बातों को परस्पर मिला रहे हैं । मैं गृह मन्त्री से पूछूंगा कि क्या वे अभी न्यायिक जांच कराने की बात पर कायम हैं या नहीं । आप दो बातों को परस्पर क्यों मिलाते हैं ? विशेषाधिकार प्रस्ताव का मामला मेरे अधिकार क्षेत्र में है इस मामले को मैं देखूंगा ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यदि मैं कोई संसद सदस्य हूं तथा पुलिस मुझे पीटती है तो आप केवल न्यायिक जांच से ही संतुष्ट हो जायेंगे । तब संसद सदस्य के रूप में मेरे विशेषाधिकारों का क्या होगा ?

अध्यक्ष महोदय : आप दो बातों को परस्पर क्यों मिला रहे हैं ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह एक खतरनाकपूर्ण उदाहरण है । मैं नहीं जानता कि इसके बाद क्या होगा । पुलिस प्रतिदिन सदस्यों को पीटना शुरू कर देगी ।

अध्यक्ष महोदय : आप केवल विशेषाधिकार प्रस्ताव ही लाना चाहते हैं ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : विशेषाधिकार प्रस्ताव आपको दिया गया था और वह अभी तक आपके पास अनिर्णित पड़ा है ।

अध्यक्ष महोदय : न्यायिक जांच से आपको कोई सरोकार नहीं है ? क्या मैं इसे समाप्त कर दूं ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सदन को देखने दीजिये कि वह अपने आश्वासन पर कायम रहते हैं या नहीं ।

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैं बार-बार यह बात कह चुका हूं कि जो कुछ मैंने आश्वासन यहां दिया है उसकी सूचना मैं राज्य सरकार को भेज चुका हूं तथा उनसे जांच शुरू कराने के लिए कह भी चुका हूं । इससे ज्यादा आप क्या चाहते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : तब ठीक है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यदि वह ऐसा नहीं कहते हैं तो ?

अध्यक्ष महोदय : यह उसी समय देखेंगे।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : इतना विलम्ब क्यों हो रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : समय आने पर यह सब कार्य होंगे।

राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा एक निवेदन है। अभी मकवाना साहब ने जो कुछ कहा है,...(**व्यवधान**) **

अध्यक्ष महोदय : सभा की कार्यवाही वृतांत में इसे सम्मिलित नहीं किया जाए।

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैं केवल संवैधानिक औपचारिकताओं (मान्यताओं) का पालन कर रहा हूं। संविधान में जो कुछ लिखा है, हमें उसके अनुसार ही चलना है।

प्रो० के० के० तिवारी : आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : तो क्या हो गया ? मैं कहीं चला तो नहीं गया, तिवारी जी।

प्रो० के० के० तिवारी : मैं आधे घंटे से खड़ा हूं। आप हरेक को बोलने का समय दे रहे हैं। आप हमारी तरफ देख भी नहीं रहे हैं। मैं बार-बार चिल्ला रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी ओर देख रहा हूं।

प्रो० के० के० तिवारी : मैं एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं...

अध्यक्ष महोदय : प्रत्येक माननीय सदस्य यही सोचता है कि वह अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला उठा रहा हूं।

प्रो० के० के० तिवारी : सभा में हमारा भी अस्तित्व है। (**व्यवधा**)

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : आपने उनपर दृष्टिपात किया। वह एक वक्तव्य देने वाले थे। आपने उनकी बात ही नहीं सुनी (**व्यवधान**)

श्री के० लकप्पा (टुमकुर) : हम धैर्य पूर्वक आपकी बात सुन रहे हैं परन्तु, आप हमें बुला ही नहीं रहे हैं।

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष जी, मैं तो दो बातें आपसे चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय : मुझे एक ही बात बताइये कि आप क्या चाहते हैं। आपका पायंट आफ आर्डर क्या है ?

श्री मनीराम बागड़ी : एक बात से काम चलने वाला नहीं है। मेरा विचार बिल्कुल अलग

** कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

है। फर्ज करो, मैं खड़े होकर एक बड़े-से-बड़े आदमी के खिलाफ आरोप लगाता हूं, तो क्या मुझे इस सदन में आरोप लगाने का अधिकार है या नहीं ? आप, जो सदन का आदमी है···

अध्यक्ष महोदय : कौन-सी बात कर रहे हैं आप ?

श्री मनीराम बागड़ी : मैं यह बात कह रहा हूं···

अध्यक्ष महोदय : कोई अधिकार नहीं है किसी को।

श्री मनीराम बागड़ी : आप इस तरीके से नहीं कर सकते। मुझे सुने बगैर कैसे···

अध्यक्ष महोदय : आप दोबारा सारा काम शुरू करवाना चाहते हैं ?

श्री मनीराम बागड़ी : किसी आदमी ने कहा कि * ·····यह मुझे कहने का अधिकार है या नहीं ? मेरे खिलाफ एक्शन लीजिए। अगर मैं गलत बात कहता हूं, तो मेरे खिलाफ···

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात सुनिए।

श्री मनीराम बागड़ी : नहीं अध्यक्ष जी, आप डेमोक्रेसी को खत्म कर रहे हैं। मुझे यह अधिकार है। अगर मैं गलत आरोप लगाता हूं, तो मेरे खिलाफ एक्शन लेना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाए।

श्री मनीराम बागड़ी : *

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात सुनिए। आप मेरी बात सुनते क्यों नहीं ?

श्री मनीराम बागड़ी : *

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाए। (**व्यवधान**)** मेरी बात सुनिए।

अध्यक्ष महोदय : एक फैसला हुआ है कि जो सारे विधायक हैं, उनके जो नेता हैं उनकी मीटिंग करेंगे, उसमें यह बात तय करेंगे।

श्री मनीराम बागड़ी : मैं उस को मानता हूं।

अध्यक्ष महोदय : तो फिर और क्या नहीं मानते हैं ?

श्री मनीराम बागड़ी : मैं यह कहता हूं कि अगर मैं कह दूं कि फलां मिनिस्टर करप्ट है तो

---

* कार्यवाही वृतान्त से सम्मिलित नहीं किया।

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

[श्री मनीराम बागड़ी]

मेरी जिम्मेदारी है कि सुबूत दूं या मैं माफी मांगूं। लेकिन अगर यह कहें कि मुझे अधिकार ही नहीं है कहने का तो फिर डेमोक्रेसी क्या है और यह लोक सभा क्या है?···(व्यवधान)···चंद्रजीत कहते हैं कि यह गलत है। कैसे है गलत। और आप सबने कह दिया कि ठीक है, तो फिर बैठे किस लिए हैं? भ्रष्टाचार के आरोप हैं अन्तुले के खिलाफ···

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वगैर पूरा साबित किए किसी को कुछ नहीं कह सकते। कुछ नहीं किया जा सकता। हम सुनी-सुनाई बातों पर विश्वास नहीं कर सकते।

श्री आर० एन० राकेश (चैल) : अध्यक्ष महोदय, मेरी सुनेंगे आप? श्री रामलाल राही को···

अध्यक्ष महोदय : वह मेरे पास है। इस पर मैं विचार कर रहा हूं। इस बात पर गंभीरतापूर्वक ध्यान दूंगा। मुझे यह मिल चुका है। इस बारे में और कुछ नहीं कहा जाएगा। (व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अरे बाबा, मेरे पास है। मैंने सुन लिया है। मेरे पास है।

प्रो० के० के० तिवारी : महोदय, मैं सार्वजनिक महत्व का एक मामला उठा रहा हूं··· (व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने प्रो० तिवारी को अब अनुमति दे दी है मेरे पास आ गया है। आप अब चिल्ला क्यों रहे हैं? कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। अब आप क्यों बैठे हैं? क्या कर रहे हैं आप? (व्यवधान)* इसे कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाये। क्या मजाक है? मेरे पास है, मैं देख रहा हूं, पूरे गौर से देख रहा हूं और ठीक करूंगा। (व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी : मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वह मेरी बात सुनें; यह मेरी उनसे करबद्ध प्रार्थना है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात सुन रहा था तो वह इंटरप्ट कर रहे थे, अब मैंने उनको एलाऊ किया तो आप नहीं सुनने देते।

श्री आर० एन० राकेश : अध्यक्ष महोदय, मैं खड़ा था, आपने कहा कि मैं देख रहा हूं, पता नहीं क्या देखते रह गए आप?

अध्यक्ष महोदय : आपकी शक्ल।

श्री आर० एन० राकेश : हमारी शक्ल क्या देखेंगे? मिनिस्टरों की शक्ल देखिये, सरकार की शक्ल देखिए, मेरी शक्ल क्या देखेंगे?

अध्यक्ष महोदय : और क्या करूं? आप तो काम ही नहीं करने देते।

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री आर० एन० राकेश : मेरी शक्ल क्या देखेंगे आप ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे भाई तो आप ही लगते हैं न ?

श्री मनीराम बागड़ी : रामलाल राही के बारे में क्या कहा आपने

अध्यक्ष महोदय : देख रहा हूं पूरे गौर से, पूरा ठीक काम करूंगा

प्रो० के० के० तिवारी : एक समाचार छपा है···

अध्यक्ष महोदय : हरिकेश बहादुर, यह कल परसों तक कर देंगे। आज ही आया है मेरे पास।

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, यह पांच मिनट का भी

अध्यक्ष महोदय : अरे बाबा, पांच मिनट की बात करते हैं, मेरे क्या ? मुझे यहां से छुट्टी दे दीजिये, अभी चला जाता हूं। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : बीच में मत बोलिए। वह आपको इंटरप्ट न नहीं, ऐसा मत कीजिए।···(**व्यवधान**)··· मैं आपकी बात सुन लूंगा ज्यादा कुछ कर रहे हैं क्या ? आपकी आवाज ज्यादा है क्या उनसे ? यह

यदि सीमा से बाहर कोई बात की जाती है तो यह अच्छी बात न करना चाहें।

प्रो० के० के० तिवारी : मैं सदन के सदस्यों से अनुरोध करता हूं। भावना से ऊपर उठकर गम्भीरतापूर्वक लें···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं जानना चाहता हूं कि यह किसके बारे में है

प्रो० के० के० तिवारी : यह मामला प्रधानमन्त्री के जीवन से सम

अध्यक्ष महोदय : मैं जानना चाहता हूं कि मामला क्या है ?

प्रो० के० के० तिवारी : एक समाचार छपा है···

अध्यक्ष महोदय : किस नियम के अन्तर्गत आप यह मामला उठाने (**व्यवधान**)

श्री जनार्दन पुजारी (मंगलौर) : किस नियम के अन्तर्गत आपने उ (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : रूल है 376।

प्रो० के० के० तिवारी : यह समाचार गोरखपुर के एक अत्यन्त लो में छपा है।

अध्यक्ष महोदय : आप इस पर कोई मोशन दे दीजिये ।

प्रो० के० के० तिवारी : यह मामला प्रधानमन्त्री के जीवन से सम्बन्ध रखता है तथा विपक्ष के कई नेताओं ने यह भविष्यवाणी की है कि 1982 में देश में भारी उथल-पुथल होगी । एक व्यक्ति है·····

अध्यक्ष महोदय : आप मोशन क्यों नहीं दे देते ?

प्रो० के० के० तिवारी : उन्होंने प्रधानमन्त्री के जीवन के बारे में भविष्यवाणी की है ।

अध्यक्ष महोदय : आपको कोई प्रस्ताव पेश करना होगा ।

प्रो० के० के० तिवारी : मैं प्रस्ताव आपको दे चुका हूं ।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, मैं इस पर विचार करूंगा ।

प्रो० के० के० तिवारी : महोदय, प्रधानमन्त्री के जीवन को निश्चित रूप से ही खतरा है । एक व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रेस सम्मेलन बुलाया था और उसमें यह कहा था । एक दिन श्री वाजपेयी ने एक सार्वजनिक सभा में कहा था, देश में उथल-पुथल होगी···(**व्यवधान**) इसमें विपक्ष का भी हाथ है ।

अध्यक्ष महोदय : सार्वजनिक बैठक का इस बात से क्या सम्बन्ध है ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं इस बात का घोर विरोध करता हूं···(**व्यवधान**)

प्रो० के० के० तिवारी : एक तांत्रिक ने भविष्यवाणी की है । इसलिए हम चाहते हैं कि इस मामले की जांच करायी जाये···(**व्यवधान**) यह व्यक्ति भविष्यवाणी कर रहा है और उसके विरुद्ध कोई कार्रवाही नहीं की जा रही ।

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित न किया जाये । (**व्यवधान**)**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप गृह मन्त्री से क्यों नहीं कहते कि वह इस बात की जांच करायें कि क्या प्रधानमन्त्री के जीवन को कोई खतरा है ?

प्रो० के० के० तिवारी : मैं चाहता हूं कि गृह मन्त्री इस बात की जांच करायें ।

अध्यक्ष महोदय : इस पर नियमानुसार कार्यवाही की जानी चाहिए ।

प्रो० के० के० तिवारी : मैं इस तांत्रिक का परिचय प्राप्त करना चाहता हूं । मैं जानना चाहता हूं कि यह व्यक्ति कौन है ?

अध्यक्ष महोदय : आप क्यों समय खराब कर रहे हैं ?

**कार्यवही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

प्रो० के० के० तिवारी : निश्चय ही, इस व्यक्ति का विपक्षी ग्रुप के कुछ व्यक्तियों से कोई गठजोड़ है और यह व्यक्ति देश भर में भय फैलाता घूम रहा है।

अध्यक्ष महोदय : आप गृह मन्त्री को क्यों नहीं लिखते ?

प्रो० के० के० तिवारी : इसकी जांच होने दीजिये। प्रत्येक सदस्य का जीवन कीमती और महत्वपूर्ण है परन्तु जब प्रधानमन्त्री का जीवन ही खतरे में हो तो क्या हमें अपनी चिन्ता व्यक्त नहीं करनी चाहिए ? यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला है और इसकी जांच करायी जानी चाहिये। यह व्यक्ति कौन है—मैं यह जानना चाहता हूं। यह व्यक्ति गोरखपुर में ठहरा हुआ है। वह प्रेस सम्मेलन कर रहा है। वह वक्तव्य जारी कर रहा है और उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

अध्यक्ष महोदय : मेरी समझ में एक बात नहीं आती। इसके लिए स्टेट गवर्नमेन्ट है, होम-मिनिस्ट्री है। कानून आपने बनाया है और उसकी देखभाल करना उनका काम है।

प्रो० के० के० तिवारी : जब अपोजीशन के लीडर्स प्राइम मिनिस्टर के बारे में ऐसी बात कहते हैं तो सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट उसकी इन्क्वायरी क्यों नहीं करती है कि वे कौन आदमी हैं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह सरकार का काम है, पुलिस का काम है उनको पकड़ना।

प्रो० के० के० तिवारी : हम जानना चाहते हैं कि वे कौन से आदमी है ? **(व्यवधान)**

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : प्रो० तिवारी ने मेरे चुनाव क्षेत्र से प्रकाशित होने वाले एक समाचार पत्र के बारे में कहा है। इसलिए, मैं चाहता हूं कि गृह मन्त्री इस मामले की जांच करे और सभा में एक स्पष्ट वक्तव्य दे कि वह व्यक्ति कौन है और उसके पीछे कौन से नेतागण हैं। महोदय मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि मामले की जांच करायी जाये तथा गृह मन्त्री सभा में एक बयान दें।

श्री सोमनाथ चटर्जी : प्रो० मधु दण्डवते द्वारा उठाये गये मामले के बारे में, मैं मामले के गुणदोषों के बारे में कुछ नहीं कहूंगा। सभा का सत्रावसान 24 को हो रहा है···

अध्यक्ष महोदय : यह कोई बात नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आधा मिनट।

अध्यक्ष महोदय : मेरे सामने कुछ नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं प्रश्न नहीं पूछ रहा।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, जब तक मेरे पास कोई तथ्य नहीं है, मैं आगे नहीं चल सकता। मैं तथ्यों का पता लगा रहा हूं। तब मैं नियमानुसार आगे कार्यवाही करूंगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : केवल आधा मिनट।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं।

श्री भीष्म नारायण सिंह

सभा पटल पर रखे गए पत्र

सातवीं लोकसभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गए विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा की गई प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को दर्शाने वाले विवरण

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : मैं सातवीं लोकसभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा की गई प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभापटल पर रखता हूं :

(1) विवरण संख्या 15	तीसरा सत्र, 1980
(2) विवरण संख्या 8	चौथा सत्र, 1980
(3) विवरण संख्या 8	पांचवां सत्र, 1981
(3) विवरण संख्या 2	छठा सत्र, 1981

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 31/27/81]

श्री राम विलास पासवान(हाजीपुर) : अध्यक्ष जी, मेरा आब्जेक्शन आइटम नं० (3) पर है।

अध्यक्ष महोदय : वह आयेगा—मेरे पास लिखा हुआ है । मैं भी आदमी हूं । मैं एक इन्सान हूं । आखिरकार, मैं आपमें से एक सदस्य हूं । मुझे इस तरह से परेशान करने का प्रयास न करें ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : महोदय, मैंने जो विशेषाधिकार प्रस्ताव का नोटिस दिया था उसका क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : उसकी अनुमति नहीं दी गई है । मैंने उसे स्वीकार नहीं किया है ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैंने आपको डाक को सैंसर करने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार हनन का एक नोटिस दिया था ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने बार-बार आपसे कहा है । मैंने उच्चायुक्त को आस्ट्रेलियाई संसद । रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए लिखा है ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : भारतीय दूतावास में टेलेक्स करने में केवल 24 घण्टे लगते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं पूरी रिपोर्ट चाहता हूं ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : एयर इण्डिया विमान द्वारा केवल 24 घण्टे लगते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : कोई बात नहीं । मैं प्रत्येक बात पर विचार करूंगा । यही आश्वासन मैं ने बार-बार आपको दिया है ।

श्री एन० के० शेजवलकर (ग्वालियर) : महोदय, मैंने एक स्थगन नोटिस दिया

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है। मैंने स्वीकृत नहीं किया है। (व्यवधा बात सुनिये। आपको भी शायद दया आती है, किसी पर नहीं आती है। मैं तो एक आप पांच सौ खड़े हो जाते हैं। इस संसार में भी आखिर कोई न्याय होता है। मैंने आ ली है, आपका नोटिस आ गया है और मैं इस पर कार्यवाही कर रहा हूं। इसके अतिरि क्या चाहते हैं ? आखिर मैं भी इन्सान हूं। क्या आप यह समझते हैं कि मैं एक मशीन बुरी बात है, बहुत ही बुरी बात है। श्री रामलाल जी, मेरे पास सब कुछ है। वहां चाहिये; किसी प्रकार की गरिमा होनी चाहिए; किसी प्रकार का सहयोग होना चा बोल रहे हैं जैसे सारा कुछ एक ही दिन में हो जायेगा। आसमान थोड़ी गिर रहा है।

श्री एन० के० शेजवलकर : महोदय, मैंने एक स्थगन नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उसे स्वीकार नहीं किया है।

श्री एन० के० शेजवलकर : मेरी स्थगन सूचना इन्दौर गोली कांड के बारे में

अध्यक्ष महोदय : मैंने उसकी अनुमति नहीं दी है।

श्री एन० के० शेजवलकर : प्रथा यह है कि आप स्थगन नोटिस को पढ़कर सुन

अध्यक्ष महोदय : ऐसी कोई प्रथा नहीं है। मैंने ऐसा कभी नहीं किया। मैं दे

श्री रामलाल राही (मिसरिक) : अध्यक्ष महोदय, शुक्रवार को···

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपका नोटिस ले लिया है।

श्री रामलाल राही : नोटिस तो आपने ले लिया, लेकिन···

अध्यक्ष महोदय : आप इस पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं।

श्री रामलाल राही : नोटिस मेरे बारे में हैं।

अध्यक्ष महोदय : नोटिस आप ही के बारे में है।

श्री रामलाल राही : इसीलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप मेरी बा (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप इस पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं। (व्यवधान) अनुमति नहीं दी है। श्री बागड़ी कृपया उन्हें बैठायें। (व्यवधान)** कुछ भी नि जायेगा।

**कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मैं सुन रहा हूं, लेकिन आप अतिश्योक्ति कर रहे हैं। आपको तो दया धर्म नहीं आती है। ···व्यवधान··· मैं आपकी बात सुनूंगा, आपका नोटिस मेरे पास है। आप जिद् कर रहे हैं और बिला-वजह जिद् कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं, मैंने आपको यकीन दिलाया है। मैं आप की बात सौहार्दपूर्ण और ध्यान से सुनूंगा और सहानुभूतिपूर्वक करूंगा।

श्री रामलाल राही : आप बगैर मेरी विटनैस के कैसे कर लेंगे। (व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जो कुछ कह रहे हैं, वह मेरी अनुमति के बिना है। यह रिकार्ड नहीं होगा। (व्यवधान)** जो कुछ वे कर रहे हैं वह मेरी अनुमति के बिना है। मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं। मैंने आपका प्रीवलेज मोशन सुन लिया।

श्री रामलाल राही : नहीं, आपने नहीं सुना। आप सुनना नहीं चाहते हैं, तो हम सदन से वॉक आउट करते हैं।···(व्यवधान)···*

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी रिकार्ड नहीं होगा।

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं, विरोध में, वाक आउट करता हूं

(इसके पश्चात श्री मनीराम बागड़ी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से उठकर बाहर चले गये।)

श्री रामविलास पासवान : (हाजीपुर) : अध्यक्ष जी, स्वामीनाथन जी जिस चीज को यहां रखने जा रहे हैं, मैं उन से जानना चाहूंगा कि यह प्रतिवेदन 22 अप्रैल, 1974 को सभा पटल पर अंग्रेजी में रखा गया था। अध्यक्ष महोदय, आप हमारी रक्षा कीजिये, मैं आप को हमेशा लिखता रहा हूं कि अंग्रेजी और हिन्दी में कितनी असमानता है, किस तरह से हिन्दी को ह्यूमिलिएट किया जा रहा है यह उसका एक ज्वलन्त उदाहरण है यह 22 अप्रैल, 1974 को अंग्रेजी में रखा गया था और 8 साल के बाद उस का हिन्दी संस्करण रख रहे हैं इस से ज्यादा हिन्दी का अपमान नहीं हो सकता है। मैं आप के द्वारा मंत्री जी से जानना चाहता हूं - क्या कारण है कि 8 साल तक इस का हिन्दी अनुवाद नहीं रखा गया, जब कि यह साथ-साथ आना चाहिए था ?

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : अध्यक्ष महोदय, जो सवाल पासवान जी ने उठाया है, यह हिन्दी और अंग्रेजी भाषा के संघर्ष का सवाल नहीं है, जैसा कि कुछ लोगों के दिमागों में है। यह 8 साल पहले 22 अप्रैल, 1974 को यहां पर अंग्रेजी में रखा गया था। आम तौर से तरीका यह है कि हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों साथ-साथ रखे जाते हैं···

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : तरीका नहीं नियम है।

**कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री हरिकेश बहादुर : नियम है। हमेशा ऐसा हुआ है। अब क्या वजह है कि यह रिपोर्ट 1974 में अंग्रेजी में रखी गयी और अब 8 साल बाद उस को हिन्दी में रखा जा रहा है। क्या इस विभाग के अन्दर इसी प्रकार डिस्क्रीमिनेशन होता रहेगा या मंत्री जी इसको रोकेंगे ? क्या भविष्य में भी यही नीति अपनाई जायेगी ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : कानूनी व्यवस्था को अपनाया जाना चाहिये और उसके अनुसार दोनों प्रतिवेदन साथ-साथ आने चाहिए। मैं एक बात का उल्लेख और करना चाहता हूं—आप जरा आर्डर-पेपर को देखिए—हिन्दी वर्शन में इस आइटम में "अन्तरिम प्रतिवेदन" के बाद परसेन्टेज का निशान लगा हुआ है ? इस का क्या मतलब है ?

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : यह परसेन्टेज नहीं है। फुटनोट देखिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : वहां इसके लिखने की जरूरत नहीं थी, आखिर में या शुरू में लिखा जा सकता था।

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : महोदय, विलम्ब के लिए स्पष्टीकरण सभा पटल पर रखे गए विवरण में दिया गया है।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, ये क्या कह रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही की जानी चाहिए ···

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण और सिंचाई और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : महोदय, ऐसे विलम्ब के लिए मुझे खेद है किन्तु यह भी सच है कि इतनी बड़ी रिपोर्टों का हिन्दी में अनुवाद करवाने की हमारे पास पूरी व्यवस्था नहीं है। हम देखेंगे कि···

अध्यक्ष महोदय : मैं चाहूंगा कि आप इसके बारे में भविष्य में ध्यान रखेंगे। जो ठीक होगा उसे हम मान लेंगे। हमें इसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए।

राव बीरेन्द्र सिंह : जी हां श्रीमान।

राष्ट्रीय कृषि आयोग के वन अनुसंधान तथा शिक्षा सम्बन्धी अन्तरिम प्रतिवेदन और मरुस्थल विधान, विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण और मध्य प्रदेश राज्य डेरी विधान निगम, भोपाल के वर्ष 1977-78 के लेखाओं की समीक्षा

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) राष्ट्रीय कृषि आयोग के वन अनुसंधान तथा शिक्षा सम्बन्धी अन्तरिम प्रतिवेदन *(हिन्दी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 31/28/81]

*प्रतिवेदनों के अंग्रेजी संस्करण 22 अप्रैल, 1974 को सभा पटल पर रखे गये थे।

[श्री० आर० वी स्वामीनाथन]

(2) राष्ट्रीय कृषि आयोग के मरुस्थल विकास सम्बन्धी अन्तरिम प्रतिवेदन *(हिन्दी संस्करण) की एक प्रति ।

(3) उपर्युक्त (1) और (2) में उल्लिखित प्रतिवेदनों के हिन्दी संस्करण सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 3129/81]

(4) मध्य प्रदेश राज्य डेरी विकास निगम लिमिटेड, भोपाल के वर्ष 1977-78 के लेखाओं की महालेखाकार, मध्य प्रदेश द्वारा **समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी० 3130/81]

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत अधिसूचना

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरमन) : महोदय मैं श्री मणनभाई बारोट की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 659 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 14 दिसम्बर, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जो पोलोप्रोपिलीन रस्से पर उत्पाद शुल्क से छूट देने के बारे में है ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 3131/81]

भारतीय मानक संस्थान, नई दिल्ली का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बृजमोहन महन्ती) : मैं निम्नलिखित सभा पटल पर रखता हूं :

भारतीय मानक संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 3132/81]

**मध्य प्रदेश राज्य डेरी विकास निगम लिमिटेड, भोपाल के वर्ष 1977-78 के वार्षिक प्रतिवेदन में, जिसकी प्रतियां 7 सितम्बर, 1981 को सभा पटल पर रखी गयी थीं, यह समीक्षा छपी हुई नहीं थी ।

प्राक्कलन समिति

विवरण

श्री एस० बी० पी० पट्टभि रामा राव (राजामुन्द्रि) : महोदय, मैं प्राक्कलन समिति के निम्न-लिखित विवरणों के हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) पूर्ति और पुनर्वास मन्त्रालय (पुनर्वास विभाग)—दंडकारण्य परियोजना अधिवासियों का पलायन, (1978) के संबंध में प्राक्कलन समिति के की-गई-कार्यवाही सम्बन्धी दूसरे प्रतिवेदन के अध्याय-पांच में अंतर्विष्ट सिफ़ारिशों के सम्बन्ध में सरकार के अंतिम उत्तर और अन्य अध्यायों के सम्बन्ध में अग्रेतर जानकारी दर्शाने वाला विवरण।

(2) वित्त मन्त्रालय—आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग)—समाज के कमजोर वर्गों को तथा पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए ऋण सुविधाओं के सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति के की-गई-कार्यवाही सम्बन्धी सातवें प्रतिवेदन के अध्याय-पाँच में अंतर्विष्ट सिफारिशों के सम्बन्ध में सरकार के अंतिम उत्तर और अन्य अध्याओं के संबंध में अग्रेतर जानकारी दर्शाने वाला विवरण।

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

26 वां प्रतिवेदन

श्री रवीन्द्र वर्मा (बम्बई उत्तर) : महोदय, मैं आवास तथा शहरी विकास लिमिटेड—ग्रामीण आवास के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का छब्बीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा समिति की तत्सम्बन्धी बैठकों के कार्यवाही-सारांश प्रस्तुत करता हूं।

आयात के कारण रासायन उत्पादों की भरमार के बारे में 15 सितम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 439 के उत्तर को शुद्ध करने वाला वक्तव्य

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : उपर्युक्त प्रश्न पर वाद-विवाद के दौरान माननीय श्री भीकू राम जैन द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में यह उल्लेख किया गया था कि जहां तक मांग का सम्बन्ध है, डी० जी० टी० डी० के अनुमानों के अनुसार सोडा-ऐश की सम्भावित मांग, लघु स्तर के उपभोक्ताओं के अतिरिक्त, 6.80 लाख टन होगी।

[श्री प्रकाश चन्द्र सेठी]

वास्तव में, 6.80 लाख टन की मांग का अनुमान सभी प्रयोक्ताओं की अपेक्षाओं को शामिल करके होता है।

इस स्थिति को स्पष्ट करने में हुई गलती के लिए खेद है।

कतिपय वस्तुओं पर विक्रय कर के बदले अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाने और घोषित माल की सूची में सम्मिलित करने सम्बन्धी प्रस्ताव के वित्तीय प्रभावों के अध्ययन हेतु एक विशेषज्ञ समिति गठित करने के बारे में एक वक्तव्य

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : जैसा कि विदित है, देश में बिक्री-कर की विद्यमान प्रणाली में बुनियादी सुधार के लिये विभिन्न वाणिज्य मण्डलों, उद्योग तथा व्यापार संघों और जन-साधारण से एक व्यापक और पुरानी मांग चली आ रही है। इस मसले पर संसद के दोनों सदनों में भी समय-समय पर चर्चा हुई है।

2. महोदय, बिक्री-कर संविधान के अन्तर्गत मुख्यत: राज्य क्षेत्राधान का विषय है, इसलिये बिक्री-कर की प्रणाली में कोई भी सुधार राज्यों के साथ परामर्श करके और उनके सहयोग से ही किया जा सकता है। इसलिये इस समस्या के सभी पहलुओं पर विचार करने के लिये मैंने सितम्बर 1980 में और अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिये पुन: फरवरी 1981 में मुख्य मंत्रियों और बिक्री-कर सम्बन्धी कार्य देखने वाले मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाया था। फरवरी 1981 में आयोजित सम्मेलन ने एक संकल्प पारित किया जिसमें यह सिफारिश की गयी थी कि केन्द्रीय सरकार द्वारा एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की जाए जिसका अध्यक्ष वित्त आयोग का अध्यक्ष बनने योग्य कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हो और उसके सदस्यों में से एक अर्थ-शास्त्री और एक प्रशासक हो और यह समिति वनस्पति, औषध-द्रव्यों और दवाइयों, सीमेंट, कागज और गत्ता तथा पेट्रोलियम उत्पादों को घोषित वस्तुओं की सूची में शामिल करने और उन पर लगने वाले बिक्री-कर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पादन-शुल्क लगाने सम्बन्धी प्रस्ताव के वित्तीय प्रभावों का और इस बात का अध्ययन करे कि राज्यों के वित्तीय हितों की किस प्रकार रक्षा की जा सकती है। इस संकल्प पर पश्चिम बंगाल, केरल और जम्मू तथा काश्मीर राज्यों द्वारा सिद्धान्तत: असहमति व्यक्त की गयी थी।

3. मुझे इस सम्मान्य सदन में यह घोषित करते हुए प्रसन्नता है कि उपर्युक्त संकल्प के अनुसरण में, सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने का निर्णय किया है जिसके अध्यक्ष श्री मोहन लाल सुखाड़िया, संसद-सदस्य होंगे और डा० पी० एच० प्रसाद, प्राचार्य, अर्थशास्त्र, अनुग्रह नारायण सिन्हा इन्स्टीच्यूट ऑफ सोशल स्टडीज, पटना, अर्थशास्त्री-सदस्य और श्री वी० एन० कृष्णन, वर्तमान में संयुक्त-सचिव (योजना वित्त), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, प्रशासक-सदस्य होंगे। श्री कृष्णन् समिति के सदस्य-सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे।

4. समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार होंगे :—

(i) वनस्पति, औषध-द्रव्यों और दवाइयों, सीमेंट, कागज और गत्ता तथा पेट्रोलियम उत्पादों को घोषित विषयों की सूची में शामिल करने और उन पर लगने वाले बिक्री-कर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाने सम्बन्धी प्रस्ताव के वित्तीय प्रभावों का और इस बात का अध्ययन करना कि राज्यों के वित्तीय हितों की किस प्रकार रक्षा की जा सकती है;

(ii) समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए संगत केन्द्रीय तथा राज्य कर कानूनों में आवश्यक संशोधन सुझाना; और

(iii) किसी भी अन्य सम्बन्धित मामले के बारे में सिफारिशें करना।

5. समिति अपने कार्य के लिए अपनी ही कार्य-विधि बनायेगी और अपने अध्ययन के निमित्त केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों से ऐसी सूचना मांग सकेगी जो आवश्यक हो।

6. समिति की रिपोर्ट मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी जो इस निमित्त बुलाया जाएगा।

7. समिति को नियुक्त करने सम्बन्धी संकल्प जारी किया जा रहा है। **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : महोदय, यह काफी महत्त्वपूर्ण मामला है। सदन को इस मामले पर विचार-विमर्श करने का अवसर नहीं दिया जा रहा है। माननीय वित्त मंत्री ने बताया है कि मामले को मुख्य मन्त्रियों के समक्ष रखा जायेगा। क्या होगा, हम नहीं जानते। यह काफी महत्त्व-पूर्ण मामला है।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं स्पष्ट करूंगा। **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : मेरा मुद्दा यह है.....

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। वह स्पष्ट करने जा रहे हैं। **(व्यवधान)** वह स्पष्ट कर रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : सदन को इसके लिए अवसर नहीं मिला है.....

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो आप कह रहे हैं। वह स्पष्ट करने को तैयार हैं।

श्री आर० वेंकटरामन : जो मुद्दा आपने उठाया है उस पर आप स्पष्टीकरण चाहते हैं। यदि आप मेरा स्पष्टीकरण चाहते हैं तो आप बैठ जाइए। मैं इसे स्पष्ट करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने मामले को उठाया है। वह इसे आपको स्पष्ट करने को तैयार हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि सदन की अवहेलना की जा रही है।

श्री एन० के० शेजवलकर (ग्वालियर) : उन्हें स्पष्ट न करने दो। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप पूर्वानुमान क्यों लगाते हैं ? कृपया उन्हें स्पष्ट करने दें।

श्री राम जेठमलानी (बम्बई उत्तर-पश्चिम) : उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। जो कुछ उन्होंने कहा है उस पर हमने कुछ कहा है। अब आप चाहते हैं कि वह कुछ कहें।

श्री आर० वेंकटरामन : आपने एक प्रश्न उठाया है।

श्री एन० के० शेजवलकर : महोदय, आप इस पर चर्चा करने के लिए हमें अवसर तो दें। यह अति महत्त्वपूर्ण मामला है श्रीमान। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त रहें। यदि एक सदस्य बोलता है तो अध्यक्ष उसे सुन सकता है। किन्तु 4 अथवा 5 सदस्य एक ही साथ बोल रहे हैं।

अब, श्री सोमनाथ चटर्जी ने एक मामला उठाया है जिसके लिए माननीय वित्त मन्त्री जवाब देंगे। कृपया बैठ जाइए। मैं किसी और को अनुमति नहीं दे रहा।* (**व्यवधान**) शेजवलकर जी, आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री एन० के० शेजवलकर : महोदय, माननीय मंत्री हमारे द्वारा उठाए गए सभी प्रश्नों का जवाब दे सकेंगे। आखिरकार, समिति का गठन माननीय मंत्री की मर्जी पर किया जाता है। लेकिन इस विशेष समिति में कम-से-कम उन लोगों के विचार—जो अलग मत रखते हों, शामिल किए जाने चाहियें। (**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, इन्होंने समिति के गठन की बात कही है। हमें यहां कुछ बातें कहनी हैं। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : आपने अपनी सभी बातें कह ली हैं। वह उनका जवाब देंगे। कृपया बैठ जाइए।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुरा) : महोदय, हमें पूरी चर्चा करनी चाहिए। हमें इसके लिए एक समिति का गठन करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं।

श्री आर० वेंकटरामन : महोदय, इस समिति का प्रतिवेदन और एन० डी० सी० अथवा मुख्य मन्त्री का निर्णय मानने के लिए यह सभा बाध्य नहीं है। बिक्री कर की राज्य सूची से कुछेक मदें केन्द्र द्वारा उत्पाद शुल्क की अतिरिक्त लेवी में ट्रांसफर करने के लिए संसद द्वारा अधिनियम पास किया जाना चाहिए। (**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम यह जानते हैं।

श्री आर० वेंकटरामन : इसलिए संसद के समक्ष, इन सभी बातों पर विचार-विमर्श करने

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

और किसी निर्णय पर पहुंचने के पूरे अवसर होंगे । अगर यह सभा इसे स्वीकार नहीं करती तो यह पूरी बात ही समाप्त हो जाती है । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आप को अनुमति नहीं दे रहा । कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाएगा । (व्यवधान)

राज्यपाल (परिलब्धियां, भत्तें और विशेषाधिकार) विधेयक

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राज्यपालों की परिलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार निर्धारित करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि

"राज्यपालों की परिलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार निर्धारित करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं ।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) प्रस्तावित विजयनगर इस्पात संयंत्र की स्थापना के कार्यक्रम को शीघ्र क्रियान्वित करना

श्री के० लकप्पा (टुमकुर) : विजयनगर इस्पात संयन्त्र काफी वर्ष पहले आरम्भ किया गया लेकिन इसमें अधिक प्रगति नहीं हुई ।

प्रस्तावित संयंत्र के बारे में एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट 1977 के आरम्भ में तैयार की गई । इसके अनुसार लगभग 1579·6 करोड़ रु० की अनुमानित लागत से एक समेकित इस्पात संयंत्र स्थापित किए जाने की व्यवस्था थी ।

तीन वर्षों से रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं की गई । वर्तमान सरकार के निदेशों के अनुसार परियोजना रिपोर्ट को पिछले साल अद्यतन किया गया और इसकी अनुमानित लागत, 1981 के मूल्यों के आधार पर बढ़कर 2962.9 करोड़ रु० हो गई ।

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

[श्री के० लकप्पा]

यह बताया गया है कि अन्तर-विभागीय कार्य दलों के साथ एक उच्च स्तरीय समिति अभी भी विजयनगर के प्रस्तावित इस्पात संयंत्र के लिए लौह अयस्क, कोयला, विद्युत और रेलवे परिवहन सम्बन्धी सुविधाओं की उपलब्धता सम्बन्धी समस्याओं की जांच कर रही है।

जबकि समिति, इस्पात परियोजना के लागू किए जाने के बारे में सरकार को अपनी सिफारिशें देने के लिए काम कर रही है। प्रारम्भिक कार्य जैसे भूमि का अधिग्रहण, कच्चे माल की जांच, मृदा अनुसंधान, पानी की सप्लाई आदि के लिए योजनाओं के तैयार किए जाने में तेजी लाने की जरूरत है।

प्रस्तावित संयंत्र की कोयले की आवश्यकता पश्चिम बंगाल, बिहार क्षेत्र से पूरी होगी। वैगनों और अन्य सुविधाओं की कमी के कारण रेलवे को देश में पहले ही परिवहन की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। विजयनगर संयंत्र को कोयले की अबाध और शीघ्र सप्लाई सुनिश्चित किए जाने के लिए एक योजना तैयार करनी होगी।

विजयनगर इस्पात संयंत्र एक ऐसी परियोजना है जिसमें काफी देरी हो चुकी है तथा इसका निष्पादन एक समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार जल्दी किया जाना चाहिए।

(दो) रेल विभाग के नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित करना

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : उपाध्यक्ष, महोदय, मैं रेलवे विभाग के नैमित्तिक मजदूरों की ओर इस सभा का ध्यान दिला रहा हूं। उन्होंने अपनी सेवा से सम्बन्धित बातें प्रस्तुत की हैं—किस प्रकार अधिकारी लोग उन्हें नियमित रिक्ति में खपाने के लिए सभी नियमों और सिद्धान्तों की अवहेलना कर रहे हैं, किस प्रकार जानबूझ कर उनकी सेवायें समाप्त की जाती हैं और किस प्रकार नियमों में हेरफेर करके यात्रा-भत्ते आदि लाभों से उन्हें वंचित रखा जाता है।

यह उचित समय है जब सरकार उनकी समस्याओं का गहराई से अध्ययन करे तथा उनके अधिकारों और विशेषाधिकारों को सुरक्षित करने के मार्गोपाय खोजे। कम-से-कम उन पर लागू विद्यमान नियमों को उचित रूप से लागू किया जाना चाहिए।

मैं यह मांग करता हूं कि सम्बन्धित मंत्री इस सभा को, इस बारे में की गई कार्यवाही से अवगत कराएं।

(तीन) कपास खरीदने में भारतीय कपास निगम की कथित असफलता

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : महोदय, मुझे निम्न तार प्राप्त हुआ है :

"भारतीय कपड़ा निगम ने जानबूझ कर प्रारम्भिक चरणों में खरीद बन्द कर दी जिससे निजी व्यापारियों को अन्य कपास उत्पादकों का शोषण करने का मौका मिला है।

कृषि मूल्य आयोग ने आज तक कपास के मूल्य निर्धारित नहीं किए हैं। एकाधिकार

व्यापार के कहने पर कपड़ा निगम ने खरीद करने से मना कर दिया । हालांकि किसान लोग एम० सी० यू० 5 किस्म की कपास 500 रु० प्रति क्विंटल पर बेचने को तैयार है, जबकि 1974 में इस किस्म की कपास इस मूल्य पर हाथों-हाथ बिक गई थी । हमें किसी को यह याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है कि 1974—1981 के बीच निर्मित उत्पादों जैसे उर्वरकों, कीटनाशकों के मूल्यों में कितना भारी अन्तर आया है । भारतीय कपड़ा निगम के अचानक बाजार से हट जाने से कपास उत्पादक बहुत ही असन्तुष्ट हैं । स्थिति काबू से बाहर न हो इसके लिए यह अनुरोध किया जाता है कि कपास उत्पादकों की सहायता के लिए तुरन्त कार्य-वाही की जाए ।" कर्नाटक और गुजरात के किसानों की भी यही दुर्दशा है ।"

मुझे 'दि हिन्दू' के विशेष स्टाफ रिपोर्टर से निम्नलिखित बातें पता चलीं जो कि उनके 20 दिसम्बर के अंक में प्रकाशित हुई थी । पिछले वर्ष एम० सी० यू० 5 किस्म की एक क्विंटल कपास के 550 रु० प्राप्त हुए, जब कि इस समय केवल 500 रु० की घोषणा की गई है लेकिन खरीदी नहीं जा रही । पिछले वर्ष भारतीय कपास निगम ने एक जिले में 23 केन्द्रों से खरीद की थी, लेकिन इस बार दस से भी कम केन्द्र खोले गए और वह भी दो या तीन दिन में एक बार । यह अनुदेश जारी किए गए कि 600 क्विंटल से अधिक की खरीद न की जाए जब कि पिछले साल इस समय एक दिन में 10,000 क्विंटल तक की कपास की खरीद की गई । दूसरी ओर खराब मौसम के कारण उपज में भी कमी हुई है । खेती के वर्तमान मौसम में खेती की लागत बढ़ गई है । मजदूरी 5 रु० प्रति दिन से बढ़कर 8 रु० प्रति दिन हो गई है । 50 कि० ग्रा० उर्वरक की बोरी अब 185 रु० में आती है जब कि पिछले साल यह 150 रु० की थी । इस समय 25 कि० ग्रा० कीटनाशक का पैकेट 160 रु० में आता है जब कि पिछले साल इसका भाव 125 रु० था । कपास चुनने की मजदूरी पिछले वर्ष में 25 रु० से बढ़कर इस साल 140 रु० हो गई । किसानों का जीवन-यापन स्तर भी बढ़ा है । इसलिए किसानों को दोनों तरह से नुकसान हुआ है – कम उपज और महंगी लागत ।

इस प्रकार भारतीय कपड़ा निगम द्वारा कपास नहीं खरीदे जाने से एम० सी० यू० 5 के मूल्यों में गिरावट आई है और इसलिए किसान बहुत अधिक निराश हैं ।

किसानों ने पिछले साल के 9.82 लाख एकड़ के मुकाबले इस साल 11.53 लाख एकड़ में कपास उगाकर देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी पूरी की हैं । प्रतिकूल मौसम के बावजूद इस वर्ष का उत्पादन 6.5 लाख गांठें होने का अनुमान है । जब कि पिछले साल यह संख्या 5.54 लाख गांठें थी । यह सब फसल की निरन्तर देखभाल और उर्वरक और कीटनाशकों जैसे निवेश की बढ़ी हुई मात्रा के कारण संभव हो सका ।

इसलिए, भारतीय कपास निगम द्वारा कम से कम निर्धारित मूल्यों पर अधिक मात्रा में खरीद नहीं किए जाने से किसानों को भारी धक्का पहुंचा है ।

कर्नाटक और गुजरात में कपास का उत्पादन करने वाले किसानों की दुर्दशा भी आन्ध्र प्रदेश के किसानों के समान ही है । इसलिए मैं भारत सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि भारतीय कपास निगम पर्याप्त मात्रा में खरीद करे तथा निजी व्यापारियों को उन का शोषण करने का अवसर न दे ।

(चार) सबाई घास के मूल्यों में कथित गिरावट से उड़ीसा के मयूरभंज जिले के आदिवासियों की जीविका के मुख्य स्रोत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है

श्री अर्जुन सेठी (भद्रक) : सबाई घास की खेती और इस घास से रस्सी बनाना एक महत्त्वपूर्ण कुटीर उद्योग है जो उड़ीसा में मयूरभंज जिले की जनजाति का प्रत्येक व्यक्ति इसी द्वारा अपनी रोजी-रोटी जुटाता है। इस साल भरपूर फसल होने तथा घास और रस्सियों के दामों में भारी गिरावट आने से कबीली लोगों को भारी संकट का सामना करना पड़ रहा है तथा जनजातीय लोगों की अर्थ-व्यवस्था संकट में पड़ गई है।

वर्ष 1979 में 40 कि० ग्रा० रस्सी के मूल्य 80 रु० से 90 रु० के बीच थे जबकि इस साल मूल्यों में भारी गिरावट आई और वे घट कर 18 रु० और 20 रु० के बीच ही रह गए। इसी प्रकार घास के मूल्य भी 1979 में प्रति 40 कि० ग्रा० 35 रु० से 40 रु० के बीच थे जो अब 6 रु० से 10 रु० के बीच हैं। इसके परिणाम स्वरूप ज्यादातर उत्पादकों को मजबूरन बिक्री करनी पड़ रही है। क्योंकि इस व्यापार पर प्रमुख रूप से नियंत्रण और एकाधिकार कुछेक निजी व्यापारियों का है। इस प्रकार, यह घास जनजातीय अर्थव्यवस्था में काफी सहायक थी परन्तु मूल्यों में इस समय अचानक कमी आ जाने से वे और अधिक ऋण से दब जाएंगे।

केवल मयूर भंज जिले में, एक साल में, रस्सी-व्यापार में 10 करोड़ रु० का लेने-देन हुआ। इस जिले में निजी व्यापारियों ने केवल मात्र इन्हीं सामग्रियों के व्यापार से काफी धन बटोर लिया है। सरकारी और अर्ध-सरकारी संगठन, जिन्हें कबीली लोगों के हितों को फायदा पहुंचाने के लिए, इस घास की खरीद करनी चाहिए थी, इस तरह किए जा रहे शोषण को चुपचाप देखते रहे। अतः मैं सरकार से यह आग्रह करता हूं कि वह जनजातीय लोगों के इस प्रकार हो रहे शोषण से उन्हें तुरंत बचाए। वह जनजातीय लोगों से सीधे सामान खरीदे तथा उन्हें उनके उत्पादकों के लिए लाभकारी मूल्य देकर उनकी सहायता करे।

(पांच) तमिलनाडु में एक आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना करने सम्बन्धी कार्यवाही

डा० ए० कलानिधि (मद्रास मध्य) : व्यवासायिक शिक्षा में सुधार लाने के वर्तमान तरीकों से पता चलता है कि व्यवसाय के आधार पर विश्वविद्यालयों को चलाने से शिक्षा के स्तर में काफी सुधार हुआ है और देश के विकास में ऐसी शिक्षा की उपयोगिता में भी सुधार हुआ है। कृषि विश्वविद्यालयों के चालू होने से न केवल कृषि कार्यों के विकास में प्रगति हुई है, बल्कि अनुसंधान में भी प्रगति हुई है।

इसी प्रकार, इंजीनीयरी से सम्बंधित विश्वविद्यालय से आशा की जाती है कि वह न केवल स्नातक से कम शिक्षा में, बल्कि स्नातकोत्तर और उद्योग की सहायता से व्यवाहारिक अनुसंधान में भी संतोषजनक परिणाम हों

अब समय आ गया है जब राज्य आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय शुरू करने की सोचे जिससे स्नातक से कम चिकित्सा शिक्षा में सुधार लाने का अधिक सामर्थ्य मूल्य होगा और स्नातकोत्तर शिक्षा और अनुसंधान को भी बढ़ावा मिलेगा। औषध विज्ञान के व्यवसाय में शिक्षा में इतनी प्रगति हुई है कि यदि इसे अलग न किया जाए तो वर्तमान बहु-उद्देश्यीय विश्वविद्यालयों में चालू हालात के अन्तर्गत स्रोतों के सदुपयोग में अनुसंधान होने की बहुत कम सम्भावना होगी। मेडीकल शिक्षा के मामले में तमिलनाडु राज्य ने बहुत प्रगति की है। तमिलनाडु में अब मेडिकल कालेज हैं, जिसमें से मद्रास शहर में तीन, तंजावूर, मदुरै तिरुनेलवेल्ली, कोयम्बटूर और चिंगलपेट में एक-एक मेडिकल कालेज है। इसके अतिरिक्त वेल्लोर और पांडिचेरयार के दो मैडिकल कालेज भी मद्रास विश्व-विद्यालय से सम्बद्ध हैं। इस प्रकार स्नातकोत्तर विभागों वाले 10 मैडिकल कालेज हैं। यह भी विचार है कि योजना के अंत तक, ग्रामीण क्षेत्रों में दो और मैडिकल कालेज खोले जाएं। इससे मैडिकल शिक्षा के लिए सुविधाओं में प्रसार तो पूरा हो जाएगा, परन्तु अध्ययन की विभिन्न शाखाओं में इन सभी कालेजों के विकास में, वर्तमान हालात के अधीन जब तक अधिक जानकारी और तत्परता के साथ स्थिति से निपटने के लिए उनकी देखभाल किसी मैडिकल विश्वविद्यालय के अधीन नहीं हो जाती, काफी देरी होगी और रूकावट पड़ेगी। अतः, यह महसूस किया जाता है कि कृषि विश्वविद्यालय की भांति एक अलग आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय का होना भी बहुत अनिवार्य है।

तमिलनाडु में यह प्रस्तावित मैडिकल विश्वविद्यालय के लिए बड़े पैमाने पर आवास की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि यह विश्वविद्यालय संबद्ध कालेजों के माध्यम से अपनी बहुत सी गतिविधयां जारी रखेगी। यह महसूस किया जाता है कि ऐसा आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए उपाय बहुत जल्दी किए जाने चाहिए। इस तरह का विश्वविद्यालय स्थापित करने की लागत भी अधिक नहीं होगी। प्रारम्भिक स्तर पर जरूरी अनुदान लगभग 5/- लाख रुपये से अधिक नहीं होगी। मैडिकल शिक्षा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्र का विषय नहीं है। अतः, इस मामले में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का परामर्श लेना अनावश्यक होगा। इस प्रकार का विश्वविद्यालय प्रारम्भ करना सरकार पर निर्भर हैं और प्रमुख बात यह है कि यह विश्वविद्यालय अपने किस्म का पहला विश्वविद्यालय होगा और इसलिए भी सरकार को इसकी स्थापना करने से रोका नहीं जाना चाहिये।

(छ) "मेरी आवाज सुनो" फिल्म पर लगाये गये प्रतिबन्ध का हटाया जाना

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : भारत सरकार ने एक आदेश द्वारा फिल्म "मेरी आवाज सुनो" के सार्वजनिक प्रदर्शन पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। यह फिल्म पिछले तीन हफ्ते से दिल्ली के सिनेमाघरों में दिखाई जा रही है। फिल्म का कन्नड रूपांतर पिछले 8 महीने से प्रदर्शित हो रही है। यह फिल्म तेलगू भाषा में भी चल रही है।

सरकार ने फिल्म पर रोक लगाने के जो कारण दिये हैं वे हास्यास्पद हैं। सरकार का कहना है कि फिल्म में हिंसा, यंत्रणा तथा कामवासना के दृश्य हैं। यदि यह सच है तो फिल्म को सेंसर ने स्वीकृति क्यों दी ? सेंसर ने फिल्म को "ए" प्रमाणपत्र दिया है इसी से यह बात साफ है कि फिल्म

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

केवल बालिगों के लिए है। क्या सेंसर यह तय नहीं कर सकता कि किसी फिल्म में हिंसा या क्रूरता का चित्रण किस सीमा तक होना चाहिए ? क्या सरकार सुपर सेंसर का काम करेगी ?

फिल्म को प्रतिबंधित करने का असली कारण राजनीतिक है। फिल्म में एक मंत्री, एक पुलिस अफसर तथा एक प्रशासक के भ्रष्टाचार का भांड़ा फोड़ा गया है। फिल्म एक बहादुर तथा ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर की कहानी है जो तस्करों के गिरोह को खत्म करने के लिये न केवल अपनी जान को खतरे में डालता है अपितु अपनी आँखों से अपनी मां को मरते देखता है, बहिन को आत्महत्या करते देखता है और पत्नी को मां बनने के पहले ही मौत के मुंह में धकेला जाता हुआ देखता है।

मेरी मांग है कि सरकार प्रतिबन्ध आदेश को वापस ले और फिल्म को चलने दे।

(सात) समेकित भूमि विकास कार्यक्रम को, विशेष रूप से बैंकों द्वारा सहायता दिये जाने के सन्दर्भ में, कारगर ढंग से लागू करना

श्री बी० डी० सिंह (फूलपुर) : मान्यवर, मैं एतद्द्वारा माननीय कृषि एवं ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री जी का ध्यान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। बैंक इस कार्यक्रम के प्रति विशेष उदासीन हैं। 1980-81 में इस योजना के अन्तर्गत केन्द्र एवं प्रान्तीय सरकारों द्वारा दी गई अनुदान की कुल राशि 150 करोड़ रु० थी। लेकिन बैंकों द्वारा दिया गया ऋण दो सौ करोड़ रुपया था। जब कि उन्हें 300 करोड़ रु० का ऋण देना चाहिए था। वर्तमान वित्तीय वर्ष में अभी तक मात्र 56 करोड़ रु० ऋण के रूप में बैंकों द्वारा दिया गया है। जबकि वर्ष में उनके द्वारा दी जाने वाली साख का लक्ष्य 600 करोड़ रु० है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्र ने 52 करोड़ रु० अनुदान के रूप में दिया है। इतनी ही धनराशि प्रान्तीय सरकारों को देना है। इस प्रकार अनुदान के रूप में प्रान्तीय सरकारों को 104 करोड़ रु० व्यय करना था। जब कि अभी तक मात्र 48 करोड़ रु० व्यय किया गया है। नियमानुसार बैंकों को 56 करोड़ रु० साख के रूप में वितरित करना था। परन्तु मात्र 56 करोड़ रु० वितरित किया गया।

इस स्थिति में सुधार की बड़ी आवश्यकता है। वरीयता वाले क्षेत्रों में बैंक में साख की वृद्धि की जानी चाहिए। अनेक बार आश्वासन दिया जा चुका है कि 5,000 रु० तक के ऋण के लिये जमानत की कोई आवश्यकता नहीं है। जब कि अधिकांश बैंक प्रबन्धक निर्धन से निर्धन व्यक्ति से जमानत की मांग करते हैं। अतएव इस सम्बन्ध में कठोर निर्देश होने चाहिए कि भवष्यि में 5,000 रु० तक के ऋण के लिये जमानत की मांग न की जाय। मेरा यह भी अनुभव है कि प्रत्येक बैंक द्वारा दी जाने वाली ऋण की राशि का लक्ष्य निर्धारित नहीं करना चाहिये अन्यथा लक्ष्य की पूर्ति के उत्साह में उदारतापूर्वक ऋण वितरण में जोखिम उठाना पड़ सकता है। मैं अंत में माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए विशेष ध्यान दें। जो प्रांतीय सरकारें शिथिलता का शिकार हो रही हैं उन्हें आवश्यक निर्देश दें। माननीय वित्त मंत्री जी से सम्पर्क करके बैंकों की भूमिका निर्वाह करायें और देखें कि इस कार्यक्रम के मार्ग में कोई व्यवधान उपस्थित न हों।

उपाध्यक्ष महोदय : सदन 14·15 बजे पुनः समवेत होने के लिये अब स्थगित होता है।

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न-भोजन के लिये 2 बजकर 15 मिनट तक के लिये स्थगित हुई।

लोकसभा मध्याह्न-भोजन के पश्चात् 2 बजकर 20 मिनट पर पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

असम राज्य में असम विद्युत बोर्ड के अधीन आने वाली सेवाओं को अनिवार्य सेवायें घोषित करने वाली अधिसूचना का अनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प

और

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (असम), 1981-82

और

असम के बारे में की गई उद्घोषणा को जारी रखने का अनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : इससे पहले कि आप कार्रवाई शुरू करें, मैं एक बात कहना चाहता हूं। असम से सम्बन्धित तीन मदें हैं। तीसरी मद राष्ट्रपति की उद्घोषणा की अवधि बढ़ाने के सम्बन्ध में है। हम तीनों मदें इकट्ठी क्यों नहीं ले सकते ?

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : बात केवल यह है कि गृह मंत्री को इसे न्यायोचित ठहराने के लिए एक वक्तव्य देना चाहिये।

श्री योगेन्द्र मकवाना : आपकी अनुमति से, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत असम के संबंध में जारी की गई दिनांक 30 जून, 1981 की उद्घोषणा के प्रवर्तन को 30 दिसम्बर, 1981 से छः मास की और अवधि के लिये जारी रखने का अनुमोदन करती है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत असम के सम्बन्ध में जारी की गई दिनांक 30 जून, 1981 की उद्घोषणा के प्रवर्तन को 30 दिसम्बर,

[अध्यक्ष महोदय]

1981 से छः मास की और अवधि के लिए जारी रखने का अनुमोदन करती है।"

हमें यह सब आज ही पूरा करना है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री द्वारा पेश किए गये इन दोनों संकल्पों का विरोध करता हूं। जहां तक असम राज्य बिजली बोर्ड के कर्मचारियों पर अनिवार्य सेवा अधिनियम लागू करने से सम्बन्धित पहले संकल्प का प्रश्न है, हम इस संकल्प का और इसकी अवधि में वृद्धि का भी विरोध करते हैं क्योंकि यह संकल्प असम राज्य बिजली बोर्ड के कर्मचारियों और मजदूरों पर इस प्रकार के काले और क्रूर अधिनियम को कानूनी रूप देता है। कैसी भी स्थिति क्यों न हो, हमारी यह राय है कि कर्मचारियों के खिलाफ दमनकारी तरीकों से समाधान नहीं निकाला जा सकता जो यह सरकार करने की आदी है और कर रही है। हम सामान्य अव्यवस्था से भी जंगल के कानून से निपटने के खिलाफ हैं और इस सरकार में जंगल का कानून खूब पनप रहा है। आन्दोलन के नाम पर, चाहे वह आन्दोलन गलत और गैर न्यायोचित क्यों न हो, हमारी यह राय है कि कोई भी सरकार बिना मुकद्दमा चलाए लोगों को हिरासत में नहीं रख सकती। सैद्धांतिक रूप से, हम कर्मचारियों पर यह काला कानून लागू करने के खिलाफ हैं।

हमारे सामने क्या स्थिति है ? देश के एक हिस्से में, जोकि देश का एक अभिन्न अंग है, वहां संविधान सालों तक लागू या प्रवृत्त नहीं होता।

मान्यवर इस माननीय सदन में 14 में से 12 स्थान लगभग 2 साल से रिक्त पड़े हैं। लगभग इस 2 वर्ष की पूरी अवधि में सदन को असम की विधान सभा के रूप में काम करना पड़ा है। उस अवधि को छोड़कर जब से उन्होंने पुनः सरकार बनाई थी, और वह सरकार सम्भवतः कार्य नहीं चला सकी, तब से केन्द्र सरकार को असम सरकार के रूप में काम करना पड़ा।

अब यह स्थिति है कि एक प्रमुख राज्य, वैसे तो देश में हर राज्य महत्वपूर्ण है, लेकिन इस क्षेत्र से समग्र राज्य का संविधान द्वारा बनाए गए सबसे प्रमुख संगठन, जोकि लोक सभा है, में कोई प्रतिनिधित्व नहीं रहा। अब क्या किया जा रहा है ? हम देख रहे हैं कि अब स्थिति कई वर्षों तक सम्भल नहीं पायेगी। अपनी निष्क्रियता, खोखली नीतियों और स्थिति को प्रभावी ढंग से न संभालने के कारण सरकार ने इस क्षेत्र में अलगाव वाली ताकतों को सक्रिय होने दिया जिसके कारण न केवल अल्पसंख्यकों का जीवन खतरे में या विपत्ति में पड़ गया है, बल्कि अब देश की अखण्डता को भी खतरा है। लेकिन हम विश्वास नहीं करते कि केवल दमनकारी नीतियों और निरंकुश कानूनों और उपायों से कोई समाधान निकाला जा सकता है, और इसी कारण से, हमारी यह राय है कि इससे वह उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि हम उस क्षेत्र के लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने वाले अनिवार्य सेवा अधिनियम जैसे कानूनों और अन्य सुरक्षा कानूनों के खिलाफ हैं।

मान्यवर, हमने हमेशा कहा है कि असम की समस्याएं चाहे विशेष क्यों न हों, परन्तु उनका समाधान सावधानीपूर्वक किया जाए और असम के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का ध्यान

रखा जाए। न केवल असम के लोगों की आकांक्षाओं का, बल्कि समग्र पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों की आकांक्षाओं का सहानुभूति और सूझ-बूझ से ध्यान रखा जाना चाहिए। और संवैधानिक प्रावधानों और अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों, जो हमारे पास हैं, के अन्तर्गत उन समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए, और उसके लिए देश की अखण्डता को ध्यान में रखा जाना चाहिए और समस्या के मानवीय पहलुओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिये। लेकिन, मान्यवर, जो कुछ असम में होने दिया गया है, उसकी खतरनाक सम्भावनाएं हैं। यह बहुत चिन्ता का विषय है कि उस क्षेत्र में विदेशियों के होने के नाम पर कुछ क्षेत्रों में एक पृथकतावादी आंदोलन ने अपनी जड़ें काफी गहरी बना ली हैं और इसने बहुत अधिक लोगों को प्रभावित किया है जिन्हें हमारा विश्वास है, दुर्भाग्य से पथभ्रष्ट किया गया है और अब हमारे सामने वे प्रतिक्रियावादी और निहित स्वार्थ ताकतें उभर रही हैं और वे हावी हो रही हैं। उसकी अभिव्यक्ति हम हर रोज देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि आजकल उनके हमले का निशाना राजनैतिक कार्यकर्ता, वामपन्थी दलों के नेता, लोकतांत्रिक वामपंथी दल और विशेषकर मेरे दल के सदस्य, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी(मार्क्सवादी)और सी. आई. टी. यू. से सम्बद्ध ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ता और अन्य वामपंथी संगठन हैं और उनसे उनकी सुरक्षा को गम्भीर खतरा है। वहां पर जो घटनाएं घट रही हैं, मैं उनके बारे में स्थिति इस माननीय सदन के समक्ष रखना चाहता हूँ। दो दिन पहले हमारे नेता, कामरेड समर मुखर्जी, को कामरेड अचिंत्य भट्टाचार्जी, असम में दल के राज्य सचिव का तार मिला। इस तार की महत्ता के कारण मैं इसे यहां पढ़ रहा हूं :

> "आतंकवादियों ने, 16 तारीख की रात को नामरूप उर्वरक कारखाने के मजदूरों पर हमला किया जिसमें सुखनन्दन, कन्ट्रेक्ट लेबर यूनियन नेता को मार दिया और बग-रम्बोरा पुनेस्वा गोगोई, बगलु भक्त, प्रफुल्लबोरा, दल सचिव को गम्भीर रूप से घायल कर दिया। कानून तथा व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं। कृपया संसद का ध्यान इस ओर दिलाएं। कार्यकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करें।"

यह अकेली घटना नहीं है। अगस्त में गत बहस के दौरान, हमने सरकार और इस सदन को यह बताया था कि किस प्रकार वामपंथी दल के कार्यकर्ता, ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ता मारे गये और उन पर हमला किया गया। कृपया यह बात नोट की जाये कि उन्हें सरकार से शिकायत है। यह केवल सार्वजनिक या सरकारी सम्पत्ति ही नहीं है जिन पर हमला किया जा रहा है। ये केवल व्यक्ति, राजनैतिक दल के कार्यकर्त्ता और नेता हैं जो इस आंदोलन का विरोध कर रहे हैं, जो इस आंदोलन का पक्ष नहीं ले रहे, जो इस पृथकतावादी आंदोलन का विरोध कर रहे हैं उन्हें छांटा जा रहा है। ऐसी घटना तब तक नहीं हो सकती जब तक कि इस प्रकार के हमले के पीछे संगठित दल का हाथ न हो।

करीमगंज के एक अधिवक्ता श्री अब्दुल खलील तालुकदार, जोकि इस क्षेत्र के विख्यात व्यक्ति हैं, को उनकी 13 वर्षीय भतीजी के साथ गिरफ्तार करके पुलिस लॉक-अप में रखा गया क्योंकि उन्होंने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ, उनकी यन्त्रणा और निर्दयता के खिलाफ कुछ शिकायतें की थीं जो इस आंदोलन के पक्ष में की गई थीं। श्री तालुकदार पर दबाव डालने और उन्हें पुलिस के खिलाफ लगाए गये आरोपों को वापिस लेने के लिए मजबूर करने के लिए, उनको इस तरह से

[श्री सोकनाथ चटर्जी]

गिरफ्तार किया गया और उनके साथ निर्दयता से बर्ताव किया गया। करीमगंज के सभी लोगों ने इसका विरोध किया। करीमगंज के सुविख्यात नागरिकों द्वारा जारी किए गए बयान की एक प्रति मेरे पास है जिसमें उन्होंने पुलिस की कार्रवाई का विरोध किया है। कभी-कभी पुलिस कोई कार्रवाही नहीं करती, निष्क्रिय रहती है, और कभी जब विरोध प्रगट हो तो पुलिस उन लोगों पर टूट पड़ती है और इतनी अधिक यन्त्रणा देती है कि लोग निस्सहाय महसूस करते हैं। जो लोग सुरक्षा के इन्चार्ज हैं वे ही सुरक्षा भंग करते हैं।

पिछले माह कम्युनिस्ट पार्टी आफ इण्डिया (मार्क्सवादी) के जोरहाट कार्यालय पर बम द्वारा गंभीर हमला किया गया जिसमें दल एक पदाधिकारी सहित कई व्यक्ति घायल हो गए। बम द्वारा हमला दल के कार्यालय के भीतर किया गया और उसके विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाया गया है। कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और फिर छोड़ दिया गया। यह स्थानीय प्रशासन की मिली भगत के बिना नहीं हो सकता।

पिछली घटनाएं भी सरकार के ध्यान में लाई गई थीं। हमने पहले ही उन्हें सदन के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। मैं उसे ही दोहरा नहीं रहा हूँ। अब मैं केवल नई घटनाएं बता रहा हूं। अक्टूबर में कैलाश करमरकर जो कि चाय बागान में मजदूर था, पुलिस स्टेशन ले जाकर बर्बरतापूर्वक पीटा गया और पुलिस हिरासत में मर गया। वह चाय बागान मजदूर संघ का नेता था। हमने इसकी ओर गृह मंत्री का ध्यान दिलाया है। कर्मचारी की विधवा द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है परन्तु उस पर कोई प्रभावपूर्ण कार्रवाई नहीं की गई।

परिस्थिति की गंभीरता का आभास आपको 28 नवम्बर को नगरी जुली चाय बागान में पुलिस द्वारा मजदूरों पर गोली चलाए जाने की घटना की जांच के लिए जा रहे असम विधान सभा सदस्य श्री सरत सिन्हा (कांग्रेस-स), श्री दुलाल बरुआ (जनता), श्री नजमुल हक (एम० यू० सी० आई०) तथा श्री हेमेन दास एवं नरेन दत्ता (क० वा० इं० आ०) तथा उनके साथ श्री धनीराम खोसला, महासचिव एवं अखिल भारतीय चाय मजदूर संघ के तीन अन्य सदस्यों के दल पर किए गए आक्रमण की घटना से होगा। इस समय चाय बागान की ओर जा रहे असम विधान सभा के कुछ सदस्यों के साथ-साथ मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया। हालांकि समाज-विरोधी तत्वों का दल वहीं था फिर भी पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई क्योंकि आक्रमण कारियों के दल का नेतृत्व इंटक के एक राज्य स्तरीय नेता श्री जितेन दुआरा द्वारा किया गया था। श्री कृष्णकली चाय बागान के प्रबन्धक श्री दिलीप घोष ने दिनांक 4 नवम्बर, 1981 को श्री लोहारा के घर को आग लगा दी। कोई कार्रवाई नहीं की गई। यह सब, सभी गैर-इंटक मजदूर संघों की राज्य ईकाइयों के 12 अक्टूबर, 1981 को गृह सचिव तथा 15 अक्टूबर, 1981 मुख्य परामर्शदाता को मिलकर अपना विरोध प्रदर्शित करने के बावजूद हुआ।

मैंने इन सब घटनाओं का जिक्र यह बताने के लिए किया है कि वहां की समस्या को सुलझाने और इन आक्रमणों के शिकार उन व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करने के बजाए पुलिस स्वयं ही इसमें शामिल है। प्रशासन इसमें शामिल है। अब, केन्द्र में सतारूढ़ दल का एक वर्ग भी इन लोगों का साथ दे रहा है। वामपन्थी दल के कार्यकर्त्ताओं तथा मजदूर संघों के विरुद्ध ऐसी घटनाएं

क्यों हो रही हैं ? क्योंकि आप जानते हैं और आपने देखा भी है कि यह वामपन्थी दल और मजदूर संघ वहां चल रहे इस पृथकतावादी आंदोलन के बिल्कुल विरुद्ध हैं। आप यह मानेंगे कि इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि वहां इन क्रियाकलापों के पीछे एक सुसंगठित दल कार्यरत है।

अब, असम सरकार उन लोगों को सुरक्षा प्रदान करने व उनके जीवन की रक्षा में बुरी तरह असफल रही है जो वहां चल रहे आंदोलन के प्रति सैद्धांतिक विरोध के कारण निरंतर आक्रमण के शिकार हो रहे हैं। हम यह जानना चाहेंगे कि केन्द्र सरकार जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वहां की सरकार संभाले है, क्या कर रही है ? हम देख रहे हैं कि केन्द्र सरकार अपनी टांग अड़ा रही है क्यों कि यह समस्या का हल ढूंढ़ने की अपेक्षा किसी व किसी तरह वहां अपनी सरकार बनाना चाहती है भले ही वह बहुमत में हो या न हो। असम में उनका बहुमत नहीं है और हमेशा की तरह राज्यपाल की भूमिका निराशाजनक रूप से अल्पमत दल के अवसरों को बढ़ावा देन की रही है। जब अन्य दल तथा विरोधी दल संयुक्त रूप से वहां सरकार बनाना चाहते थे, आप जानते हैं किस तरह की पूर्व-शर्तें जो कि संसदीय प्रजातन्त्र में अविचारणीय हैं राज्यपाल लगा रहे थे ? वास्तव में, महोदय, हम इस सरकार से संसदीय प्रजातन्त्र के सभी अतिक्रमणों के आदी हो गए हैं। अनुच्छेद 356 संवैधानिक व्यवस्था का स्थायी कलंक बन चुका है। इसका किस तरह दुरुपयोग किया गया है ? इस पर हम घंटों बहस कर सकते हैं। फिर भी, असम में जब कभी भी कोई दल यह कहता है कि हम सरकार बनाना चाहते हैं तो राज्यपाल कहते हैं कि आपको एक सामान्य कार्यक्रम प्रस्तुत करना चाहिए। लेकिन जब कांग्रेस दल किसी अन्य के साथ मिलता है तो किसी सामान्य कार्यक्रम की आवश्यकता नहीं रहती है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : उनका सर्वमान्य कार्यक्रम सत्ता में भागीदार होना ही है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : वस्तुस्थिति यह है कि इस प्रकार का दुमुंहा या तीन मुंहा बर्ताव व्यवहार गैर कांग्रेस (आई) दलों को सरकार न बनाने देने के लिए ही है। वह सामान्य कार्यक्रम की मांग करते हैं जैसे कि इसका निर्णय उन्हें ही करना है कि सामान्य कार्यक्रम की मांग है या नहीं। अन्तिम रूप से इसका निर्णय जनता को करना है। वह जानना चाहते हैं कि सरकार में कौन-कौन शामिल होगा जैसे यह राज्यपाल का कर्तव्य हो कि वह मालूम करे कि कौन सरकार में शामिल हो और कौन नहीं। केरल में क्या हो रहा है। जैसाकि मैंने उस दिन मजाक में कहा था, अब हमारे सामने विधायकों को खरीदने के लिए अनुदान की अनुपूरक मांग भी रखी जाएंगी, यही स्थिति है। अब यह खेल असम में खेला जा रहा है। पुन उनके पास कोई विकल्प नहीं है···

श्री रामसिंह यादव (अलवर) : महोदय, मेरा विचार है व्यवस्था के प्रश्न पर इन शब्दों को कार्यवाही के वृत्तांत से निकाल दिया जाना चाहिए।

एक माननीय सदस्य : क्यों ?

श्री रामसिंह यादव : अनुप्रयुक्त हैं। असंसदीय हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इसमें असंसदीय कुछ भी नहीं है। आप इन्कार कर दें।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं वृत्तांत देखूंगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इन्हें निर्दोष वक्तव्य भी बुरे लगते हैं क्योंकि यह विषय इन्हें अप्रिय है।

श्री राम सिंह यादव : विधायक भी सांसदों के विरुद्ध ऐसा कह सकते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वे अपनी पसन्द का मुख्यमन्त्री प्राप्त करने में सफल नहीं हुए हैं, क्योंकि श्रीमती अनवरा तैमूर अब उनके किसी उद्देश्य की नहीं हैं—श्रीमती तैमूर को कभी भी बहुमत का समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। अन्य दलों के अधिकार को अनेक बहानों व दलीलों द्वारा नकारा जा रहा है। राज्य पाल ने केन्द्र की सुविधानुसार निर्णय लिए हैं। यह हमारा अनुभव है।

हम सरकार से जानना चाहेंगे कि उसके अनुसार वह वहाँ की समस्या का समाधान किस कार्य-पद्धति के द्वारा ढूंढ़ना चाहती हैं। क्या सरकार इस पर विचार नहीं करेगी कि वे कौन से दल हैं और वे कौन लोग हैं जो वहाँ चल रहे पृथकतावादी आंदोलन का दृढ़ता से विरोध कर रहे हैं, हमारे अनुसार जिन्होंने सही तौर पर वहाँ के आंदोलन की चोट सही है। जैसा कि मैंने कहा, वहाँ मजदूर, नेता और मजदूर संघ भुक्तभोगी हैं। आज, वहाँ अल्पसंख्यकों की समस्या है।

हम सरकार से मांग करते हैं कि चाहे जो भी स्थिति हो, अपनी छवि को उभारने के लिए जो भी जोड़-तोड़ उसे करना पड़े, लेकिन 25 मार्च, 1971 के आधार वर्ष व आधार-तिथि के विषय में किए गए अपने वायदे से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि समय-समय पर अनेक बातें कहीं जा रहीं हैं, एक ऐसी स्थिति उत्पन्न की जा रही है जिससे वहाँ की समस्या और भी अधिक गंभीर बनती जा रही है।

मैं इसे सदन के समक्ष लाया हूं। मैंने पहले भी इस सवाल को उठाया है और प्रधानमन्त्री जी का ध्यान कथित विदेशी ट्रिब्यूनल आदेश, 1964 के दुरुपयोग की ओर दिलाया है। असम में क्या किया जा रहा था? वे लोग भी जो 30 या 40 वर्षों से वहाँ रह रहे थे, जो वहाँ जन्मे और जो भारतीय संविधान के अनुसार, भारतीय नागरिक हैं, उनसे विदेशियों का सा व्यवहार किया जा रहा है। उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश जारी कर उन्हें जबरन असम से अनजान जगहों पर निर्वासित कर दिया गया।

मैंने इस तरह के एक मामले की ओर प्रधानमन्त्री जी का ध्यान आकृष्ट किया और उसे सदन में प्रस्तुत किया। अभी दिनांक 30 नवम्बर, 1981 को मुझे ज्ञानी जैलसिंह, गृह मंत्री की ओर से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने माना है कि गैर-कानूनी कार्य किए गए हैं। उन्होंने कहा है—

> "असम सरकार के अनुसार, पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री माखनलाल धर तथा अन्य के विरुद्ध 'भारत छोड़ो आदेश' जारी करने व उनके निर्वासन की कार्रवाई सरकार के अनुदेशों के अनुरूप नहीं थी। संबंधित अधीक्षक की मृत्यु हो गई है और सीमा के प्रभारी

उपमहानिरीक्षक को सेवा से निलंबित कर दिया गया है। असम सरकार द्वारा पुलिस को अनुदेश जारी किए गए हैं कि जो व्यक्ति 25 मार्च, 1971 से पूर्व भारत में आए हों उन्हें 'भारत छोड़ो आदेश' जारी न किए जाएं तथा इन श्रेणियों के व्यक्तियों के विरुद्ध विदेशी ट्रिब्यूनल को जारी । भेजे गए किसी भी प्रकार के नोटिसों, मामलों को वापिस ले लिया जाए।"

अतः यह मान लिया गया है कि लोगों को गैरकानूनी तौर पर विदेशी घोषित किया गया तथा इस प्रकार की कार्रवाई को करने के लिए 'विदेशी ट्रिब्यूनल' नामक ट्रिब्यूनल की सहायता ली गई जिसे असम सरकार ने प्रत्यायोजित प्राधिकार के अंतर्गत गठित किया गया, केन्द्र द्वारा प्रदत्त तथाकथित प्रत्यायोजित प्राधिकार। मैंने प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया था कि वह असम सरकार से प्राधिकार वापिस ले लें क्योंकि वह इसका दुरुपयोग कर रही है, निसंदेह वे इस प्राधिकार का दुरुपयोग उन अनेक व्यक्तियों के विरुद्ध करते रहे हैं जिनका विवरण प्राप्त नहीं है, जिनकी कोई पहचान नहीं है क्योंकि किसी प्रकार के रिकार्ड प्राप्त नहीं हैं और हालांकि इसके विरुद्ध सुरक्षा के लिए उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में अपील का प्रावधान है, परन्तु यह संभव नहीं क्योंकि जैसे ही आदेश पारित हुआ उन्हें किसी प्रकार की अपील करने या प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का मौका दिए बिना जबरन उन इलाकों से बाहर निकाल दिया गया। जैसा कि मैंने पहले कहा है, हम चाहते हैं कि असम के लोगों की समस्याओं पर विशेष ध्यान दिया जाए और उनका संतोषजनक हल निकाला जाए; उनकी विशेष समस्याओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए; उनकी इच्छाओं और आकांक्षाओं पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाना चाहिए, लेकिन इस तरीके से नहीं कि जिससे अखण्डता की जड़ें ही कट जाऐं, या देश के उस भाग में सभी प्रकार के अल्पसंख्यकों के मूलभूत अधिकारों पर प्रभाव पड़े। हम चाहते हैं कि बातचीत द्वारा कोई हल निकाला जाना चाहिए और सरकार उस पर कोई प्रभावी कार्रवाई करे। साथ ही सरकार का यह भी कर्तव्य है कि उन लोगों को सुरक्षा प्रदान करे जिन पर आक्रमण किया जा रहा है, जो पुलिस तथा प्रशासन समेत कुछ व्यक्तियों के सुनियोजित आक्रमण का शिकार हैं। हम यह सवाल उठाते रहे हैं और इसके कारण हमारे मित्र व साथी संकट में हैं। असम के लोगों तथा कुछ राजनीतिक दलों द्वारा गलत रास्ता अपनाया गया है जिससे लोगों के दिमाग में कई गंभीर संदेह उत्पन्न कर दिए हैं। हमारा विश्वास है कि इसमें सरकार भी बहुत कुछ शामिल है।

हमें मामले की गंभीरता को समझना चाहिए। हमारे नेता, श्री समरमुखर्जी ने सदन में पहले भी कई मौकों पर कहा है और असम सरकार की ओर से जिसका कोई उत्तर नहीं दिया गया कि पुलिस द्वारा खोजबीन में कुछ साहित्य पाया गया—वह भी अमरीका गुप्तचर विभाग का साहित्य, जो कि थाईलैंड से चोरी-छिपे लाया गया। सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ? हमें अभी तक मालूम नहीं हुआ। असम में पाया गया·····

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : हथियारों सहित।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वहाँ हथियार, विस्फोटक, पदार्थ, इस प्रकार का साहित्य व पर्चे पाए गए। सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है। हम यही जानना चाहते हैं कि आसाम में किसकी

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

जिम्मेदारी है ? आसाम में अल्पसंख्यकों का होना किसकी जिम्मेदारी है ? किसको इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाए ? उन्हें सुरक्षा कौन देगा ? हमारी पार्टी जिस बात पर बल दे रही है वह बिल्कुल स्पष्ट है। हम असम की विशेष समस्याओं के लिए बैठक बुलाने और उसको हल करने के विरुद्ध नहीं हैं। उनसे मिलें, बातचीत करें, और जल्दी करें, और जैसाकि मैंने कहा कि इसका संवैधानिक सीमाओं और अंतरराष्ट्रीय करारों की शर्तों के भीतर ही हमें हल ढूंढ़ना होगा। आप इसे कई-कई सालों तक विचाराधीन रख कर घसीटते नहीं रह सकते और साथ ही वहां लोगों की रक्षा की व्यवस्था किए बिना रहना भी आपके लिए ठीक नहीं है। कम से कम मानवीयता का ख्याल तो रखना ही होगा।जो लोग बिना अपनी किसी गलती के अपने घर-बार से उखड़े हुए हैं और अब कई वर्षों से वहां रह रहे हैं और यहां तक कि जो वहां गए हैं उन्हें वहां रहते दस वर्ष से भी ज्यादा हो गया है वे अब गुण्डों और असामाजिक तत्वों के रहमोकरम पर हैं, क्योंकि प्रशासन भी उनके साथ है, मैंने गृहमंत्री को पत्र पढ़ कर सुनाया है इसमें माना गया है कि पुलिस अधीक्षक और जिला मजिस्ट्रेट भी इसमें शामिल थे, उप-महानिरीक्षक शामिल थे, सभी प्रकार के हमले, और देश का कानून इस देश के अल्पसंख्यकों के खिलाफ उत्तेजनापूर्ण भाषण देने और बैर निकालने के लिए उपयोग में लाया गया था, इसलिए हम महसूस करते हैं कि समय आ गया है जबकि और विलम्ब नहीं किया जाना चाहिए और ये समस्याएं केवल राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ा कर हल नहीं की जा सकती हैं। आप अन्य प्रजातात्रिक शक्तियों को सरकार नहीं बनाने दे रहे हैं। आप सब जगह अपनी दलबन्दी के लिए सब कुछ कर सकते हैं इसलिए आप समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं। जितनी जल्दी इस समस्या का समाधान हो जाए उतना ही बेहतर होगा, अन्यथा स्थिति अधिकाधिक विस्फोटक होती जाएगी।

श्री सन्तोष मोहन देव (सिलचर): मैं 'आवश्यक सेवायें बनाए रखने का अधिनियम' के अंतर्गत जारी अधिसूचना, असम के लिए अनुदान के लिए अनुपूरक मांगों तथा असम में राष्ट्रपति शासन को और छः महीने तक बढ़ाये जाने का समर्थन करता हूँ।

असम में हमेशा से बहुजातीय समाज रहा है जिसमें अनेक समुदायों के आदिवासी और गैर-आदिवासी लोग हैं जो विभिन्न धर्मों के और अलग-अलग भाषा बोलने वाले हैं और राजनीतिक चिंतन भी भिन्न-भिन्न हैं। अभी हमने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के माननीय सदस्य श्री सोमनाथ चटर्जी से अर्थपूर्ण भाषण सुना। जहां तक मुझे ठीक-ठीक याद पड़ता है, एक दिन उन्होंने कहा था कि उनका जन्म असम के तीजपुर में हुआ था और वे भी असम की ही देन है और अब पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं। एक अन्य बहुत वाक्पटु वक्ता प्रो० सत्य सदन चक्रवर्ती भी मूलतः असम के हैं। उनका जन्म लमडिंग में हुआ था और अब वे यहाँ पश्चिम बंगाल से आए हैं।...

श्री चित बसु (टरसा) : क्या वे विदेशी हैं ?

श्री सन्तोष मोहन देव : जी नहीं, असम को गर्व है कि श्री सोमनाथ चटर्जी और प्रो० सत्य-सदन चक्रवर्ती जैसे दो वामपंथी नेता उसकी देन हैं और अब पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं।

अपने भाषण में माननीय सज्जन ने असम के राज्यपाल पर कुछ आरोप लगाए हैं। अपना भाषण शुरू करने से पहले मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि इस समय असम के भाषायी और धार्मिक अल्पसंख्यक बड़ी शान्ति से रह रहे हैं, और स्थिति जनता शासन की तुलना में बेहतर है, यहाँ तक कि पिछले राष्ट्रपति शासन में भी लोग शान्तिपूर्वक रहे हैं। स्थिति शान्तिपूर्वक रही है, क्योंकि वर्तमान राज्यपाल अपने दो सलाहकारों सहित सामान्य जनता से ही बेहतर संपर्क बनाने में समर्थ नहीं हुए हैं, वरन् सामान्य प्रशासन और पुलिस प्रशासन के सरकारी अधिकारियों से भी बेहतर संपर्क बनाने में समर्थ हुए हैं। परिणामस्वरूप और अधिक सहकारिता का विकास हुआ है। हमें उस आदमी की निंदा करनी चाहिए, जो एक अच्छा काम कर रहा है।

इसके अतिरिक्त, असम में जो सिविल अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था तब 1913 बसों में से केवल 13 बसें सिविल अवज्ञा आंदोलन प्रभावित थीं और आश्चर्य की बात है कि आंदोलनकारियों के किसी भी नेता ने बसों या ट्रेनों में यात्रा नहीं की थी। मैं इस मुद्दे पर इसीलिए चर्चा कर रहा हूं क्योंकि असम के लोग अब यह समझ गए हैं कि प्रत्येक आंदोलन में एक ऐसा मुकाम आया है जबकि उन्हें रुक जाना चाहिए और वह अब आ गया है। किन्तु ए० ए० एस० यू० के अतिवादी तत्त्व अब नियंत्रक हैं, और इसीलिए असम में विस्फोटक राष्ट्र-विरोधी गतिविधियां अन्य घटनायें घट रही हैं। ये लड़के शेर की सवारी कर रहे हैं, किन्तु वे यह नहीं जानते कि उसे पालतू कैसे बनाया जाए और उस पर से कैसे उतरा जाए क्योंकि वहाँ उसकी दुम मरोड़ने वाले भी हैं, और वह है भारतीय जनता पार्टी और जनता पार्टी। वे उसकी दुम मरोड़ रहे हैं। लड़के चाहते हैं कि शेर पर से उतरा जाए, क्योंकि वे स्वयं को बचाना चाहते हैं और कभी-कभी उसकी दुम मरोड़ने वाला भी आ जाता है। एक दिन मैंने देखा कि और लोग बर्मा से असम की ओर रुख मोड़ रहे हैं, और अब असम में अपनी सरकार बनाना चाहते हैं।

मेरे माननीय मित्र श्री चटर्जी उच्चतम न्यायालय के मजे हुए और मान्यता प्राप्त बैरिस्टर हैं। उन्होंने भी इसी की पैरवी की थी। संभवतः वे नहीं जानते कि असम में एक विधान सभा है जिसके कुल 119 सदस्य हैं, और सात सीटें खाली हैं। इन 119 में से मा० क० पा०, भा० क० पा० और जनता पार्टी के सदस्य कुल मिलाकर 52 हैं और शेष वर्तमान नेतृत्व जो श्री शरत् सिन्हा का है के अधीन हैं इसमें तीन और लगभग 12 स्वतन्त्र हैं जो किसी दल में नहीं हैं। उनका दल मान्यता प्राप्त नहीं है। इसलिए मा० क० पा० और भा० क० पा० ने घोषणा की है कि वे सरकार में शामिल नहीं होंगे और वे चाहते हैं कि राज्यपाल व विधायकों से ही सरकार संस्थापित कर दें। वे मंत्रित्व के लिए नहीं लड़ेंगे। यह बहुत अच्छा रहेगा। इतिहास स्वयं ही बोलेगा। असम में जब वर्ष 1979 में सरकार चुनी गई थी, तब मा० क० पा० दल का संघर्ष ही मुख्य आधार थी। यदि किसी कुर्सी के चार पैर हैं तो वे ही मुख्य पैर हैं। उन्होंने एक साथ ही कुर्सी के सारे पैर निकाल लिए। जनता शासन में भी ऐसा ही हुआ था। उन्होंने मा० क० पा० जितना बुरा तो नहीं ही किया था। उन्होंने केवल एक-ही पैर तोड़ा था। जब अनवर तैमूर ने लोकप्रिय सरकार बनायी तो यह कहा गया कि उनका दल समर्थन करेगा। किन्तु जब राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत 300 लोगों को कैद करने का प्रश्न सामने

[श्री सन्तोष मोहन देव]

आया, तो उन्होंने समर्थन वापस ले लिया। अनवर तैमूर की सरकार गिर गई। ये तो उनकी मित्रता का हाल है। मैं फिर से भारतीय जनता पार्टी और जनता पार्टी को जो वहां सरकार बनाना चाह रहे हैं उनको चेतावनी दे रहा हूं कि ये उचित नहीं है, क्योंकि वे भी समर्थन वापस ले लेंगे। इसलिए बेहतर है कि आप अलग रहें।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मेरे विचार से वे अपने हित की रक्षा स्वयं कर सकते हैं।

श्री सन्तोष मोहन देव : जी हां, हमें भी अपना अनुभव बताना चाहिए। उन्हें राजनीतिक दलों को देखना होगा। विरोधी पक्ष के सदस्य हमेंशा यही कहते हैं कि असम में सरकार कुछ नहीं कर रही है। जो भी दिक्कत है वह आर्थिक भेदभाव के कारण है। इसे सिद्ध करने के लिए मेरे पास असम सरकार के कार्यचालन का अध्ययन करने के लिए दस्तावेज हैं। सरकार ने एक समिति गठित की थी, जिसे मकवाना समिति कहा गया था। आप उस समिति का प्रतिवेदन देख सकते हैं। मैं यह सिद्ध करने के लिए विरोधी पक्ष को चुनौती दे सकता हूं कि मैं जो भी कह रहा हूं वह तथ्यों और आंकड़ों पर आधारित है। असम के लोगों को यह जानना चाहिए कि सरकार उनके लिए क्या कर रही है। महोदय, छठी योजना में दो संघ राज्य क्षेत्रों और 5 राज्यों तथा पूरे उत्तर-पूर्व क्षेत्र के लिए जो परिव्यय रखा गया है, उसे देखिये। वह 2,722 करोड़ रु० है। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए जो परिव्यय है, उसके अनुसार पूरे देश के अन्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की प्रति व्यक्ति 897 रु० है, जबकि उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में 1393 रु० है।

कुल परिव्यय का लगभग 87% केन्द्रीय सहायता उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए दी है। जबकि अन्य राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों के लिए यह केवल 29% है। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति खर्च 1,205 रु० है जबकि अन्य राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों के लिए यह 257 रुपये है। इन आंकड़ों से केन्द्रीय सरकार का उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लोगों के प्रति रुझान स्पष्ट है।

वर्ष 1981-82 के लिए केन्द्रीय सरकार ने योजना में 210 करोड़ रुपये नियत किए हैं। इस वर्ष असम सरकार ने 300 करोड़ रुपये की मांग की है। मेरा ख्याल है कि कार्य-दल ने 20 करोड़ रुपये के लिए सिफारिश की है। हमारी मांग है कि चूंकि भारत सरकार के वित्त मन्त्री इस समय असम के भी वित्त मन्त्री हैं, इसलिए उन्हें चाहिए कि वे योजना आयोग से कम-से-कम 275 करोड़ रुपये के लिए मांग करे, अन्यथा असम सरकार के लिए विकास कार्य विशेषत: शिक्षा के क्षेत्र में विकास कार्य मुश्किल हो जायेगा।

महोदय, हमारा राज्य बहुत पिछड़ा हुआ है, क्योंकि हमारे यहां शिक्षा का अभाव है। इसी कारण दुर्भाग्यवश असम में शिक्षण संस्थाओं को आंदोलन संस्थाओं में बदल दिया गया, क्योंकि आंदोलनकारियों ने स्थिति का लाभ उठाया। वहां ऐसे स्कूल हैं, जिसमें शेड नहीं है, चारदीवारी नहीं है। मैंने अपने निर्वाचन-क्षेत्र और राज्य के अन्य भागों में यही देखा है। राज्य सरकार पर आरोप लगाया जा सकता है, क्योंकि उनके पास धन नहीं है।

महोदय राज्य को योजना के लिए निर्धारित धन में अंशदान करना होता है। केन्द्रीय सरकार ने बजट भाषण में पहले ही इस आशय को स्पष्ट कर दिया है। रेलवे मन्त्री ने भी घोषणा की थी कि छः नई लाइनों की व्यवस्था करवाने जा रहें हैं। बड़ी लाइन को डिब्रूगढ़ तक बढ़ाने जा रहे हैं। अन्तर्देशीय जल परिवहन को कार्यरूप दिया जा रहा है। तीसरी विमान सेवा चालू कर दी गई है। मैं इसके लिए आभारी हूं, किन्तु साथ ही मैं असम की कुछ आधारभूत समस्याओं की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं।

महोदय, मैं वित्त मन्त्री से अनुरोध करूंगा कि जब मैं लगभग 12 संसद सदस्यों तथ 119विधायकों का प्रतिनिधित्व करता हूं और जब मैं यहां कुछ बोलता हूं तो असम सरकार के पदाधिकारियों और कार्यालयों को चाहिये कि वे कम-से-कम मुझे इस बात से अवगत कराये रखे कि क्या कदम उठाए गए हैं। महोदय, मैंने जितना कुछ अखिल भारतीय बजट पर बोला था उससे अधिक असम बजट पर बोल रहा हूं।

महोदय, कछार जिले में, वन क्षेत्र में मणिपुर तथा मिजोरम से लगातार शरणार्थी आ रहे हैं। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि वह इस समस्या पर विचार करे और यह सुनिश्चित करे कि इस समस्या-विशेष को और गम्भीर न होने दिया जाए क्योंकि असम भर में वनों में भूमि पर कुछ लोगों द्वारा जबरन भूमि पर कब्जा किया जाना एक अत्यधिक नाजुक मसला है। कल परामर्शदात्री समिति में माननीय मन्त्री ने हमें आश्वासन दिया है कि वे इस सम्बन्ध में एक विधेयक प्रस्तुत करने जा रहे हैं ताकि इस सम्बन्ध में असम के लोगों के दिल से डर को निकाला जा सके। यदि ऐसा कर दिया जाता है तो यह अच्छा होगा।

महोदय, हाल ही में मैं मिजोरम में था जब श्री मकवाना भी वहां थे। वहां विदेशी हाथ होने का उल्लेख किया गया था। यह सच है। यहां तक कि कुछ कागज भी पाए गए हैं। लेकिन, महोदय, मेरी कुछ लोगों से भेंट हुई जिन्होंने मुझे बताया कि असम के कुछ लड़के प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए बर्मा में किसी गोपनीय स्थान पर जा छुपे थे लेकिन प्रख्यात व्यक्तियों ने उन्हें समझाया कि वे यह रास्ता न अपनायें यही कारण है कि वे कष्ट भोग रहे हैं। देश को प्रगति की ओर ले जाने का यह रास्ता नहीं है। हम भारत से विलग नहीं हो सकते और न ही वे इस प्रकार के आतंकवादी आंदोलन का रास्ता अपना सकते हैं। महोदय, यह एक स्वागत योग्य प्रवृत्ति है लेकिन क्योंकि आन्दोलन का नेतृत्व असफल रहा है अतः ये लड़के आतंक फैलाने के रास्ते पर चल रहे हैं। प्रधान मन्त्री ने गोलमेज सम्मेलन में भारत के सभी राष्ट्रीय दलों को शामिल कर एक सही दृष्टिकोण अपनाया है। इस सम्मेलन में आंदोलनकारी नेतागण, भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक तथा असम के लोग भाग लेंगे। यह सही दिशा में एक सही कदम है। अन्ततः इस पुरानी समस्या का राष्ट्रीय महत्त्व महसूस किया गया है। हम समाचार पत्रों में, विशेषकर असम के समाचार पत्रों में, कुछ बातें देख रहे हैं। इसने हमें कुछ परेशानी में डाल दिया है। यह बताया गया है कि असम के नेताओं ने यह कहा है कि वे गोलमेज सम्मेलन में जाने का निर्णय तभी लेंगे जब वे यह जान लेंगे कि इस सम्मेलन में विपक्षी दलों का प्रतिनिधित्व किस प्रकार का है। इसका तात्पर्य है कि वे अधिक इच्छुक नहीं हैं कि श्री सोमनाथ चटर्जी,

[श्री सन्तोष मोहन देव]

श्री इन्द्रजीत गुप्त और अन्य नेताओं का दल इस गोलमेज सम्मेलन में आए, और इसके क्या कारण है, यह वही जानते हैं। वे एक दूसरे से काफी मैत्री भाव रखते हैं; उन्हें ही इसका समाधान ढूंढने दिया जाए। लेकिन असम के भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों के हित में मैं यह कहना चाहता हूं कि वे सम्मेलन में भाग लें।

महोदय, असम के लोगों की एक अन्य महत्त्वपूर्ण समस्या यह है। मैं समस्या के इस पहलू की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। अब मणिपुर तथा नागालैंड में आतंकवादियों की यह प्रवृत्ति है। सरकार ने अब कार्यवाही करनी शुरू कर दी है। अतः वे कतिपय शान्त क्षेत्रों में शरण पाने की सोच रहे हैं। वे सभी मेरे चुनाव क्षेत्र कछार में आ गए हैं। इन सभी लोगों को सेना तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस द्वारा उनके स्थानों से भगाया जा रहा है और वे मेरे जिले कछार में शरण ले रहे हैं क्योंकि यह एक शान्ति क्षेत्र है। मैंने गृह मन्त्री को कार्यवाही करने के लिए लिखा है। मैं यह भी कहूंगा, कि मुझे एक पत्र मिला है जिसमें कहा गया है कि यह सच नहीं है। मैं इसे चुनौती दे सकता हूं, सूचना का चाहे जो भी स्रोत हो। मैं अपने चुनाव क्षेत्र में चक्कर लगाता हूं। मैं कल फिर जा रहा हूं। जब मैं ग्राम क्षेत्रों में जाता हूं तो मुझे गांव के लोगों ने यह बताया है। मणिपुर के विभिन्न भागों से मणिपुरी उग्रवादी कछार जिले में आ रहे हैं। बेहतर यह होगा यदि आप शीघ्र कार्यवाही करें क्योंकि अन्यथा नागालैंड से लोग आना शुरू हो गए हैं। वे मणिपुर में आए, उन्होंने मणिपुर को बिगाड़ दिया है। मणिपुर से वे मिजोरम आ गए हैं। उन्होंने मिजोरम को भी बिगाड़ दिया है। कछार में भी वे यही करेंगे। हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। हाल ही में, समाचार पत्रों में यह बात सुनने में आ रही है। सुविख्यात पत्रकार, श्री कुलदीप नायर ने इसके बारे में बताया है। यह बताया गया है कि कुछ सरकारी पदाधिकारियों ने असम के लोगो, असम आन्दोलनकारियों, के समक्ष एक प्रस्ताव रखा है जिसमें यह कहा गया है कि कछार को बाकी असम से अलग किया जाए ताकि असम के लोगों की भावनाओं का अपशमन किया जा सके। इसके लिए यह तर्क दिया गया है कि उनका भविष्य भाषाई तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों की तुलना में बेहतर होगा, उनकी भाषा, उनकी स्वतन्त्रता, हर बात को संरक्षण मिलेगा, आदि आदि। महोदय, मैंने प्रधानमन्त्री से इसके बारे में बात की है और सदन में मैं यह कह सकता हूं कि उन्होंने इसका स्पष्ट खण्डन किया है और कहा है कि ऐसी बात नहीं है। किसी भी मंडी अथवा किसी अन्य व्यक्ति अथवा किसी सरकारी पदाधिकारी ने अखिल असम क्षेत्र यूनियन के समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं रखा है। मेरा कहना यह है कि अब अपर असम में एक और आंदोलन शुरू हो गया है। सामान्यतः कतिपय तत्त्वों द्वारा लोगों को यह कहा जा रहा है कि कछार को अलग किया जा रहा है, आप वहां जाइए, आदि आदि। मैं नहीं जानता कि इस खबर के पीछे कोई उद्देश्य है अथवा इसका गलत अर्थ लगाया जा रहा है, लेकिन इसका प्रतिरोध किया जाना चाहिए, केन्द्रीय सरकार द्वारा इसका खंडन किया जाना चाहिए। यदि यह सच नहीं है—और प्रधान मन्त्री के अनुसार यह सच नहीं है, उन्होंने हमें ऐसा बताया है - तो उन्हें इसका तत्काल खण्डन करना चाहिए।

जहां तक इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस का सम्बन्ध है वे असम में चाय के बागान तथा मजदूर बस्तियों में विद्यमान हैं। सी० पी० एम०, भारतीय जनता पार्टी और बी० एम० एस० से सम्बन्धित हमारे मित्र वहां तक पहुंचना चाहते थे लेकिन वे सफल नहीं हो सके। वे चाहते हैं कि हम चाय बागान क्षेत्रों में उनका स्वागत करें; लेकिन वे सफल नहीं हुए। वे आई० एन० टी० यू० सी० को केवल समाप्त करना चाहते थे; वे उन क्षेत्रों में बोनस के प्रश्न पर कुछ-न-कुछ समस्या खड़ी करना चाहते थे। सरकार ने इन क्षेत्रों में कार्यवाही की है, चाहे वह सही थी अथवा गलत। वहां कुछ ऐसे कार्य किए गए होंगे जो उपयुक्त नहीं थे, लेकिन इसका अभिप्राय यह नहीं कि आई० एन० टी० यू० सी० जिसका वहाँ गढ़ है, मजदूरों को संरक्षण नहीं दे रही है। श्री सोमनाथ चटर्जी जो स्वयं एक मजदूर यूनियन नेता हैं, द्वारा प्रयोग किए गए शब्द गुण्डा को मैंने ठीक नहीं समझा। ऐसी स्थिति में, हमें भी उसी प्रकार पेश आना होगा, लेकिन मैं वही शब्द नहीं कहूंगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या आप हमारे कार्यकर्ताओं को मार कर इस स्थिति से निपटना चाहते हैं ?

श्री सन्तोष मोहन देव : आप यह कैसे कह सकते हैं ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह आरोप लगाया गया है।

श्री सन्तोष मोहन देव : आप यह आरोप लगाते हैं। आपने हमारे आई० एन० टी० यू० सी० के नेता का नाम लिया है और कहा है कि वह एक गुण्डा पार्टी का नेतृत्व कर रहा है। अखिल भारतीय स्तर के 'इन्टक' के किसी नेता के बारे में यह बात कहना गलत है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वह ऐसी टिप्पणियां न करें, और यदि वह ऐसा करते हैं तो उन टिप्पणियों को प्रमाणित करने के लिए तैयार रहना चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं से कहूंगा कि वे 'इन्टक' में शामिल हो जायें।

श्री सन्तोष मोहन देव : वे 'इन्टक' में शामिल हो जायेंगे। वह दिन बहुत दूर नहीं है। आपको उन्हें कहने की जरूरत नहीं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप उनसे कैसे निपटेंगे ?

श्री सन्तोष मोहन देव : अब, महोदय, सदस्यों की सूचना के लिए मैं यह कह सकता हूं कि हमारी संख्या पहले ही 62 है और हम वहां एक लोकप्रिय सरकार बनाने जा रहे हैं। यह बहुत शीघ्र ही बनाई जा रही है। अन्य दलों की चाहे कुछ भी प्रतिक्रिया हो, हम आपको यह आश्वासन दे सकते हैं, जैसे कि पिछली सरकार ने किया है, कि हम भाषाई तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करेंगे। जो सरकार वहां कार्य संभालेगी वह ऐसा करेगी।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वह मुख्य मन्त्री बनने की प्रतीक्षा में है।

श्री सन्तोष मोहन देव : मैं केन्द्र में प्रसन्न हूं। मैं राज्य में नहीं जाना चाहता। महोदय, पिछली अनवरा तैमूर सरकार ने कानून और व्यवस्था की स्थिति से निपटने में बहुत अच्छे कार्य किए हैं। महोदय, माननीय सदस्य श्री सोमनाथ चटर्जी ने पिछली सरकार और उसके नेतृत्व का उल्लेख किया। यह हमारा घरेलू मामला है और हम जानते हैं कि हमें किसे मुख्य मंत्री चुनना चाहिए। हम यह नहीं कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में श्री ज्योति बसु को बदला जाए और उसके स्थान पर श्री ज्योतिर्मय बसु पर विचार किया जाए। यह आपकी सोचना है। इसी तरह, इस मामले को हम पर छोड़ दो। हम शीघ्र ही वहां एक लोकप्रिय सरकार बनाने जा रहे हैं।

अब, मकवाना समिति ने मेरे द्वारा उठाए गए प्रश्नों को नोट कर लिया है। उस क्षेत्र में एक पुल का निर्माण किया जाना है। 'रानी फैटी' पर यह एक महत्वपूर्ण सम्पर्क साधन है। यह पुल कछार मिजोरम और त्रिपुरा को शिलांग और गोहाटी से जोड़ता है। मैंने माननीय मन्त्री से अनुरोध किया है कि वह इस महत्वपूर्ण सम्पर्क पर विचार करें। महोदय, दो वर्ष पहले पैट्रोलियम मंत्रालय ने असम में आई० डी० पी० एल० के तत्वावधान में एक संयुक्त उद्यम के रूप में, औषधि एवं भेषज एकक स्थापित करने की सहमति दी थी। आज सवेरे मुझे असम के औद्योगिक विभाग के प्रबन्ध निदेशक से एक तार मिला है जिसमें बताया गया है कि पैट्रोलियम मंत्रालय ने अपना सहयोग वापस ले लिया है। मैं नहीं जानता कि यह निर्णय किसी तकनीकी कारण से लिया गया है अथवा किसी अन्य कारण से। मैं माननीय मन्त्री महोदय जो इस समय असम के वित्त विभाग के प्रभारी भी हैं, फिलहाल इस चर्चा के दौरान, मैं अनुरोध करूंगा कि वह इस निर्णय बदलने के लिए पैट्रोलियम और रसायन मंत्री को पत्र भेजें क्योंकि असम सरकार इस दिशा में काफी आगे बढ़ चुकी है।

अन्त में, मैं इस अवसर पर राज्य सरकार के कर्मचारियों को राज्य सरकार को दिए गये उनके सहयोग के लिये धन्यवाद देना चाहता हूं। महोदय, मैं असम सरकार के पदाधिकारियों, पुलिस कर्मचारियों तथा अन्य व्यक्तियों की आलोचना करने वाले प्रमुख व्यक्तियों में था। अब मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि निम्न तथा उच्च, दोनों ही स्तरों के पुलिस कर्मचारी तथा सरकारी कर्मचारी सरकार के साथ सहयोग कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपनी गलती महसूस कर ली। मैं केवल यही आशा करता हूं कि यह प्रवृत्ति बनी रहेगी और असम में बहुत शीघ्र सामान्य स्थिति आ जाएगी। मैं यह भी आशा करता हूं कि असम बजट विधेयक पारित करने के लिये माननीय वित्त मन्त्री को यहां फिर आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री बी० डी० सिंह (फूलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आसाम के लोग विदेशी नागरिकों के सवाल पर एक लम्बे अरसे से संघर्ष करते चले आ रहे हैं। दो वर्षों से अधिक का समय बीत रहा है लेकिन अभी तक कोई ऐसा हल नहीं निकल सका है जो सर्वमान्य हो। कुछ लोगों ने इस आंदोलन पर यह आपत्ति की है कि यह गलत है और तमाम दूसरे लोगों ने इसका समर्थन किया है और कहा है कि नहीं, यह आंदोलन सही हो रहा है। इस आंदोलन के चलने के कारण हमारे देश ने बड़ा नुकसान उठाया है। लगभग 300 से अधिक लोगों ने इस आन्दोलन की बलिवेदी पर अपनी आहुति

दी है और माननीय वित्त मन्त्री जी ने भी इसको स्वीकार किया है कि 1 हजार करोड़ रुपये से अधिक की हमारी विदेशी मुद्रा का नुकसान हुआ है।

ऐसा अनुमान है कि देश में खनिज तेलों को लेकर लगभग 1200 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है और करीब 226 करोड़ से अधिक का नुकसान उर्वरक उत्पादन में देश को हुआ है। अभी मैंने उत्तर-पूर्वी रेलवे के जनरल मैनेजर का वक्तव्य पढ़ा है जिसमें उन्होंने कहा है कि उत्तर पूर्वी रेलवे को 18 करोड़ से अधिक का नुकसानइस आंदोलन के चलते उठाना पड़ा है। इसी प्रकार से इस आन्दोलन के चलते असम में विद्यार्थियों के अध्ययन की समस्या रही है। एक प्रकार से असम के लोगों का सारा जीवन इस आन्दोलन के चलते अस्त-व्यस्त रहा है। इस सम्बन्ध में सरकार की सबसे बड़ी कमजोरी यह रही है कि प्रत्येक समस्या की तरह इस समस्या को भी वह लिगर आन करती रही है जोकि नही होना चाहिये था। जैसा कि चटर्जी साहब ने यहां पर अभी कहा है, वहां से 12 लोक सभा के सदस्यों के चुनाव होने चाहिये थे जोकि नहीं हुए हैं। अब दिसम्बर में 6 महीने के लिए पुनः आप राष्ट्रपति का शासन बढ़ाने जा रहे हैं तथा राजनीतिक दृष्टिकोण रखकर आप वहां की असेम्बली को भंग नहीं कर रहे हैं। मेरी राय से असम की असेम्बली को भंग करना चाहिये तथा वहां पर नये चुनाव कराये जाने चाहिये। लेकिन इसके उत्तर में आप यह कह देंगे कि इस आन्दोलन के चलते वहां पर चुनाव नहीं हो सकते हैं। इस समस्या के हल के सम्बन्ध मे आपने जो विपक्षी नेताओं से बात-चीत करने की बात सोची उसका हम स्वागत करते हैं। हम समझते हैं तत्काल विपक्षीय वार्ता करके इस समस्या का कोई हल निकाला जाना चाहिये।

जहां तक असम की अनुपूरक मांगों का सवाल है, मैं वहां के कुछ आर्थिक पहलू पर भी प्रकाश डालने का प्रयत्न करूंगा। असम के आर्थिक विकास के लिए प्रारम्भ से ही उपयुक्त कदम नहीं उठाये गये। जहां तक बेरोजगारी की समस्या का सम्बन्ध है, गत वर्ष जून मे साढ़े तीन लाख बेरोजगार लोग असम में थे। जहां 1965 में वहां पर 18 फीसदी मैट्रीकुलेट बेरोजगार थे उनकी संख्या आज बढ़कर 42 प्रतिशत से भी अधिक हो गई है।

(श्री सोमनाथ चटर्जी पीठासीन हुए)

देश के दो अन्य भागों की तरह असम में भी दिन प्रति दिन शिक्षित बेरोजगारों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। 1969 में जहां 19 हजार शिक्षित बेरोजगार वहां पर थे। वहां 1977 में बढ़कर 99 हजार हो गये। इस प्रकार हम देखते हैं कि वहां पर शिक्षित बेरोजगारों की संख्या में 421 प्रतिशत से भी अधिक की वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त जहां 1978-79 में असम में प्रति व्यक्ति आय 572 रुपये थी उस समय सारे देश का प्रति व्यक्ति आय का औसत 712 रुपये था। इस समय गरीबी की रेखा की जो बात की जाती है और एक रुपये का जो मानदण्ड रखा है उससे मैं एग्री नहीं करता क्योंकि आजकल एक रुपये की कोई कीमत नहीं रह गई है। फिर भी 1978-79 में जहां पूरे देश में 49 फीसदी लोग गरीबी की रेखा के नीचे थे वहां 51 फीसदी से अधिक लोग असम में गरीबी की रेखा के नीचे थे। आज बिजली किसी भी क्षेत्र के विकास लिये आवश्यक समझी

[श्री बी० डी० सिंह]

जाती है। असम में प्रति उपभोक्ता बिजली की खपत 30 यूनिट थी जबकि सारे देश का औसत 130 यूनिट रहा। इसी प्रकार से जहां सारे देश में ग्राम विद्युतीकरण का औसत 41 प्रतिशत गांवों का था वहां असम में औसतन 15 फीसदी गांवों का विद्युतीकरण हुआ। इसके बावजूद वहां पर बिजली की सप्लाई ठीक नहीं है। शाम पांच बजे के बाद गांवों में अंधेरा छा जाता है। ऐसी भी रिपोर्टें मिल रही हैं कि वहां पर ढाई और तीन रुपये बोतल पर भी मिट्टी का तेल नहीं मिल रहा है।

इस प्रकार असम के आर्थिक विकास की उपेक्षा बराबर हुई है, इसको दूर किया जाना चाहिये। करीब 45 मेगावाट पावर असम को मेघालय से दी जाती है लेकिन पिछले चार वर्षों से सरकार ने ऐसा आदेश कियो है कि असम में पावर इंटेन्सिव इन्डस्ट्री न लगाई जाये। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान हैंडलूम इन्डस्ट्री की ओर भी आकर्षित करना चाहता हूँ। असम में घर-घर में हैंडलूम इन्डस्ट्री बहुत बड़े पैमाने पर चलती है, वहां की औरतें, महिलाएं और लोग कपड़ा तथा चादरें बनाने का काम करते हैं। मैंने तो यहां तक भी सुना है कि वहां पर हैंडलूम इंडस्ट्री का इतना प्रचार है कि शादियों में दहेज के रूप में करघा देते हैं। लेकिन समस्या है कि वहां पर इन करघों का 20 फीसदी इस्तेमाल हो पा रहा है, जबकि बगल का प्रदेश मनीपुर में करीब 80 फीसदी करघों का उपयोग हो रहा है। समस्या यह है कि धागा, कच्चा माल, मदुरै और अन्य दूसरे स्थानों से आता है लेकिन वहां नहीं मिलता है जिसकी वजह से करघे बेकार पड़े हुए हैं। असम की सरकार ने मांग की थी कि वहां पर 20 कताई मिल स्थापित की जाए, जिस पर कि 10 करोड़ रु० प्रति मिल के हिसाब से खर्च होना था, इसलिये मैं चाहता हूं, इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिये, जिससे कि वहां के लोगों को धागे की उपलब्धता हो सके।

हैंडलूम इंडस्ट्री के संबंध में, 1978 में जब जनता सरकार थी, तब नलवाड़ी में हैंडलूम विकास के लिये एक कार्यक्रम चलाया था, उस कार्यक्रम का विकास होना चाहिये। वहां के लोगों की ट्रेनिंग की समस्या तथा कच्चे-माल की समस्या को देखकर ही नलवाड़ी में यह कार्यक्रम चलाया गया था, इसलिये मैं चाहता हूं कि उसका विस्तार किया जाना चाहिये।

मान्यवर, असम भी कृषि प्रधान प्रदेश है, लेकिन वहां की पैदावार बहुत कम है। वहां पर 23 लाख हैक्टेयर जमीन में धान की खेती होती है, लेकिन फिर भी उसको चावल के लिये पंजाब प्रदेश या अन्य दूसरे प्रदेशों पर निर्भर करना पड़ता है। जहां तक दूध की बात है, वहां केवल प्रति व्यक्ति 50-60 ग्राम ही दूध उपलब्ध है, वहां गायें केवल एक या दो लिटर दूध प्रतिदिन देती है। इसलिए वहां इस बात की विशेष आवश्यकता है कि बजट में कृषि उत्पादन के लिए सिंचाई के नए कार्यक्रम चलाने के लिए, जिससे कि कृषि का उत्पादन बढ़े, व्यवस्था होनी चाहिये।

असम का चाय और जूट प्रमुख उत्पादन है। करीब 54-55 प्रतिशत देश की चाय के उत्पादन का असम में पैदा होता है, लेकिन चाय कम्पनी के जितने कारखाने हैं, वे सारे कलकत्ता में केन्द्रित हैं, इससे जो लाभ असम को मिलना चाहिये, वह नहीं मिलता है। इसी प्रकार मुझे यह भी सूचना प्राप्त

हुई है कि पिछले दो वर्षों में विडर्स कलकत्ता में ज्यादा आये बजाय गुहाटी के। इस तरह से भी जो लाभ असम को मिलना चाहिए वह असम को नहीं मिलता है। 1978 में असम सरकार ने सातवें वित्तीय आयोग को जो मैमोरेंडम दिया था, उसमें मैंशन है कि चाय से 137 करोड़ रु० रिवैन्यू का उपलब्ध हुआ, जिसमें से केवल 14 फीसदी यानी 19 करोड़ रु० केवल असम को मिला और केन्द्र को 86 फीसदी यानी 118 करोड़ रु० मिला। चाय बागान में आज भी जो विदेशी लोग या अन्य प्रदेशों के लोग भागीदार हैं, वे वहां से लाभ उठाते हैं, और उसको ले जाकर अपने देश में या प्रदेश में इस्तेमाल करते हैं। असम की तरक्की के लिए यह पैसा खर्च नहीं होता है।

एक नेशनल इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक फाइनेन्स एण्ड पालिसी है, उसने आसाम की समस्याओं का अध्ययन किया था और उसने अपनी रिपोर्ट में कहा है—

> "राज्य में औद्योगीकरण की खराब स्थिति होने का महत्वपूर्ण कारण यह है कि नियमित क्षेत्र मुख्यत: प्रवासियों के हाथों में है जो लाभों को राज्य से बाहर ले जाते हैं।"

इस प्रकार से उस प्रदेश में पूंजी का शोषण हो रहा है और वहां पर जो आंदोलन हो रहा है उसके पीछे एक यह भी आर्थिक कारण है।

जहां तक जूट की बात है, देश में जो जूट का उत्पादन होता है, उसका 15 से 20 फीसदी आसाम में होता है, लेकिन सिलहट में जूट के प्रोसेसिंग का केवल एक यूनिट है, बाकी जूट प्रोसेसिंग के लिये कलकत्ता भेजा जाता है। 7 वर्ष पहले वहां पर दो जूट मिलें खोलने का सरकार ने वायदा किया था, लेकिन आज तक वहां कोई जूट मिल नहीं खुली है। इसलिये जूट मिलें खोलने की तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिये।

आसाम में जहां देश के खनिज तेल का 50% प्रतिशत उत्पादन होता है, वहां प्रान्त में कोई बड़ी रिफाइनरी नहीं है। 1965 में जब इसके लिए स्टेट-वाइज एजीटेशन हुआ, तब वहां एक छोटी रिफाइनरी खोली गई। मैं वित्त मन्त्री जी का ध्यान बोनगाई गांव रिफाइनरी एण्ड पैट्रो कैमिकल्ज लि० की तरफ दिलाना चाहता हूं। इसमें जो अधिकारी काम करते हैं उसके दो-तिहाई आसाम के बाहर के लोग हैं। इस प्रकार का प्रयास होना चाहिये कि वहां के जो पढ़े-लिखे लोग हैं उनको उसमें अधिक से अधिक स्थान दिया जाना चाहिये। ऐसा अनुमान है कि वहां 30 हजार टन पोलिएस्टर का धागा तैयार होगा, उसका उपयोग पहले से योजना बनाकर आसाम में ही किया जाए जिससे वहां के लोगों को अधिक से अधिक रोजगार प्राप्त हो सके।

वहां पर यायायात तथा संचार की अधिक व्यवस्था होनी चाहिये। रेलवे लाइन, मेरा ख्याल है, आसाम ही ऐसा प्रदेश है जिसकी राजधानी तक ब्राड-गेज रेलवे लाइन नहीं है। इस ओर भी सरकार का ध्यान जाना चाहिए। मुझे ऐसा भी लोगों ने बतलाया है कि आसाम से अगर किसी दूसरे प्रदेश को ट्रंककाल करना चाहें तो उसमें एक हफ्ता लग जाता है। सम्पर्क स्थापित करने में इस प्रकार की जो समस्या है उसको दूर करने के लिये तुरन्त कदम उठाये जाने चाहिये।

[श्री बी० डी० सिंह]

इन शब्दों के साथ मैं आग्रह करूंगा कि वहां पर जो आन्दोलन चल रहा है उसको तत्काल बातचीत करके समाप्त कराया जाना चाहिये। वहां की असेम्बली भंग होनी चाहिये, नये चुनाव होने चाहिएं तथा लोक सभा के जो क्षेत्र खाली हैं तथा असेम्बली के चुनाव कराये जाने चाहिये। आप जो संकीर्ण राजनीति के चक्कर में पड़कर जोड़-तोड़ कर के अपनी सरकार बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जैसा आप केरल में भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री जेनुल बशर (गाजीपुर) : महोदय, मैं श्री मकवाना द्वारा प्रस्तुत किये गये संकल्प और वित्त मन्त्री द्वारा प्रस्तुत की गईं अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। असम में जो स्थिति चल रही थी उसके साथ अच्छी तरह निपटने के लिए मुझे सर्वप्रथम प्रधानमन्त्री और भारत सरकार को बधाई देनी चाहिए।

हमें वे दिन याद हैं जब असम जल रहा था। उन दिनों शायद ही कोई दिन ऐसा होता होगा जब असम के मसले को किसी न किसी रूप में इस सम्मानीय सदन में न उठाया जाता हो। असम वास्तव में जल रहा था। वहां अल्पसंख्यक—चाहे वे भाषाई हों अथवा धार्मिक हों—सुरक्षित नहीं थे। गुंडों द्वारा उनकी हत्याएं की जा रहीं थीं। सरकारी कर्मचारी जिनमें पुलिस कर्मचारी भी शामिल थे, हमारे साथ सहयोग नहीं कर रहे थे। वे आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग ले रहे थे। असम में सभी आर्थिक क्रियाकलाप रुक गये थे। असम से बाकी भारत को तेल की सप्लाई पूर्णतः बन्द कर दी गई थी।

देश के शेष भाग से अन्य जरूरी वस्तुएं असाम नहीं भेजी जा रहीं थी। स्थिति वास्तव में काफी खराब थी। इसका श्रेय भारत सरकार, प्रधान मन्त्री और गृह मंत्री को जाता है कि उन्होंने व्यवहारकुशलता से स्थिति पर नियन्त्रण किया। अब स्थिति सामान्य हो गई है तथापि अभी तनाव व्याप्त है। हम अभी तक असम में संसद के लिए चुनाव नहीं करा सके हैं। राज्य सरकार उचित रूप से कार्य करने में भी असमर्थ है। विधान सभा अभी भी स्थगित है। एक लोकप्रिय सरकार ने सत्ता संभाली भी थी किन्तु चल नहीं सकी। यह अशान्त स्थिति अभी भी वहां पर है किन्तु भारत सरकार के प्रयत्नों से वे दिन अब समाप्त हो गये हैं जब प्रत्येक व्यक्ति आंदोलनकारियों और असम के लोगों की मंशाओं के प्रति आशंकित रहता था।

मैं सरकार को असम आंदोलन के नेताओं के साथ वार्ता शुरू करने पर बधाई देता हूं। इससे सरकार की यह इच्छा जाहिर हो जाती है कि वह इस मामले को बैठकर बातचीत के जरिए सुलझाना चाहती है सरकार आल असम स्टूडेंट्स यूनियन और आल असम गण संग्राम परिषद के आंदोलनकारी नेताओं के साथ निरंतर विचार विमर्श कर रही है। दिल्ली और गोहाटी में वार्ता के कई दौर हुए। मैं आशा करता हूं इस दौरान काफी सुधार हुआ होगा। मैं प्रधान मन्त्री और भारत सरकार की असम के मामले को सुलझाने के लिए विरोधी दलों के नेताओं को बातचीत में शामिल पर बधाई

देता हूं। हाल ही में प्रधान मन्त्री ने विरोधी पक्ष के नेताओं की एक बैठक बुलाई थी तथा सम्पूर्ण देश को यह जानकर प्रसन्नता हुई कि अगली वार्ताओं में भी विरोधी पक्ष को शामिल किया जायेगा ताकि इस मामले में राष्ट्रीय मतैक्य हो जाये तथा इस मामले को सदा के लिए ही निपटा दिया जाये।

मैं इस अवसर पर असम में अल्पसंख्यकों, चाहे वे धार्मिक अथवा भाषायी अल्पसंख्यक हों, की आशंकाए भी व्यक्त करना चाहता हूं। असम में अल्पसंख्यकों को ही सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ा है। वे हमलों के लक्ष्य बनाये गए। उन्हें अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा और उनकी सम्पतियां लूट ली गईं। उन्हें आशंका है कि वार्ताओं के दौरान उनके हितों को नजर अंदाज कर दिया जायेगा। मैं आशा करता हूँ और मुझे विश्वास भी है कि भारत सरकार कभी भी असम में अल्पसंख्यकों के हितों को नजरअंदाज नहीं करेगी। बातचीत और गोल्मेज सम्मेलनों के दौरान, जब कोई मतैक्य अथवा हल निकाला जायेगा, असम के अल्पसंख्यकों को भी शामिल किया जाना चाहिए। किसी के द्वारा अल्पसंख्यकों के हितों को नजरअंदाज करने से देश का हित नहीं होगा। मैं आपका भी समर्थन करता हूं जब आपने कहा कि 1971 आधार-वर्ष होना चाहिए जैसा कि भारत सरकार ने घोषित भी किया है। इसे कम करने का कोई भी प्रयास अल्पसंख्यकों, भाषायी अथवा धार्मिक, के हितों के बिरुद्ध होगा। इसलिए, 1 71 ही आधार वर्ष होना चाहिए। अन्यथा, यदि आधार वर्ष 1971 के बाद का निर्धारित किया जायेगा तो काफी कठिनाईयाँ खड़ी हो जायेंगी। लोगों के लिए यह साबित करना कठिन हो जायेगा कि वे असम के हैं या नहीं। इस मामले में, अन्तर्राष्ट्रीय करारों को भी मद्देनजर रखना चाहिए। मैं समझता हूं कि असम के लोग आंदोलन का समर्थन करने की अपनी गलती को महसूस कर रहे होंगे। यह आंदोलन राजनैतिक लाभ उठाने के लिए कुछ नेताओं की उपज है। अब हम देख सकते हैं कि आंदोलनकारी नेताओं के भड़काने के बावजूद भी असम के लोग उनके साथ उस प्रकार का आंदोलन करने का समर्थन नहीं कर रहे हैं जैसा दो साल पहले किया गया था। मैं इसके लिए असम के लोगों को बधाई देता हूं। मैं आशा करता हूँ कि शीघ्र ही कोई सबको मान्य सौहार्दपूर्ण हल निकाल लिया जायेगा।

चूंकि असम की पूरक मांगे हमारे सामने हैं मैं माननीय वित्त मंत्री को यह ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि असम एक बहुत ही पिछड़ा हुआ राज्य है। असम में प्रति व्यक्ति आय काफी कम है। यद्यपि सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना में असम का बडे पैमाने पर विकास करने के लिए कदम उठाये है, मैं आशा करता हूँ कि विकास कार्य शीघ्र ही शुरू हो जायेगा। छः नई रेलवे लाइनें बिछाने का प्रस्ताव है। मैं समझता हूँ कि इन पर कार्य शुरू हो गया होगा अथवा शुरू होने वाला होगा। मुख्य बात यह है कि आर्थिक रूप से असम पिछड़ा हुआ है। यह एक सीमावर्ती राज्य है। असम का कृषि तथा औद्योगिक दोनों ही रूपों में विकास करने के लिए सरकार को सभी प्रयास करने चाहिए। पिछले वक्ता से मुझे यह सुनकर धक्का लगा कि असम से चाय के निर्यात से प्राप्त होने वाली धनराशि में से असम का हिस्सा केवल 14 प्रतिशत होता है और शेष संघ की निधि में जाता है। चाय के निर्यात से होने वाली आय में से असम का हिस्सा बढ़ाने के कदम उठाने चाहिए।

[श्री जैनुल बशर]

असम तेल का उत्पादन करता है। तेल उत्पादक राज्यों से तेल पर रायल्टी बढ़ाने की मांग हो रही है। उन्हें रायल्टी का उचित हिस्सा दिया जाना चाहिए। उन्हें अधिक हिस्सा देना चाहिए। चूंकि असम एक निर्धन राज्य है अतः उसे और भी अधिक दिया जाना चाहिए ताकि वह आत्मनिर्भर बन सके। मुझे पूरी आशा है कि सरकार इस मामले पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी। मैं आशा करता हूं कि असम के विकास के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। और यह केवल असम का विकास ही है जिससे स्थायी हल निकलेगा और इसमें असम के लोग शेष देश से जुड़ सकेंगे।

श्री के० मायातेवर (डिन्डिगल) : सभापति महोदय मैं इस संकल्प और असम राज्य के बजट के लिए पूरक मांगों का समर्थन करता हूं। मैं कुछ मुद्दों पर संक्षेप में ही बोलूंगा।

मुझे बताया गया है कि 1964 का विदेशी राष्ट्रिक अधिनियम पास किया गया था। उस अधिनियम के अनुसार जिसे संशोधित किया जा सकता है, वे व्यक्ति जो वहां पैदा हुए हैं, और पिछले 4 दशकों से वहां रह रहे हैं, विदेशी घोषित किए जायेंगे और असम से बाहर भेजे जायेंगे। मैं सरकार को यह अपील करता हूँ कि वह उन लोगों को भारत का नागरिक स्वीकार करने के बारे में मानवीय आधार पर विचार करे।

महोदय, असम राज्य की अर्थव्यवस्था काफी महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह भारतीय अर्थव्यवस्था में काफी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह कहा जाता है कि तेल की अधिकतर जरूरत असम द्वारा ही पूरी की जाती है। अब इस पर काफी प्रभाव पड़ा है। इस सरकार द्वारा आर्थिक रूकावट की अनुमति किसी भी हालत पर नहीं देनी चाहिए। कोई भी दल हो, कोई भी नेता हो, कोई भी यूनियन हों और उनके नेता हों, सरकार द्वारा उन्हें कानून को अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। उन्हें, राष्ट्र विरोधी और यदि आवश्यक हो तो असामाजिक घोषित किया जाना चाहिए क्योंकि हम इन लोगों को ऐसी सामाजविरोधी और राष्ट्र विरोधी कार्यवाहियां नहीं करने दे सकते जिससे राज्य की सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है तथा जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति तथा उसकी यथा स्थिति और शेष राज्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। मैं गृह मंत्री और भारत सरकार को यह कहूँगा कि वह इन राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लागू करे और उन तत्वों को शक्ति से दबा दे जिससे लोगों की हितों और राज्य में कानून का पालन करने वाले लोगों के जान-माल की रक्षा हो सके। पहले कानून व व्यवस्था की स्थिति काफी खराब थी। अब यह कुछ हद तक ठीक है। मैं कुछ सुझाव दे सकता हूं। (व्यवधान) "समर्थन" का अर्थ यह नहीं कि मैं अन्धा हूँ। मैं बेसमझी से सरकार पर प्रहार अथवा उसका समर्थन नहीं करता हूँ जैसे कि आप करते हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या आप तमिलनाडु में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम चाहते हैं ?

श्री के० मायातेवर : मेरा तमिलनाडु से कोई मतलब नहीं है। मेरा मतलब असम से है। मैं श्री वाजपेयी जी को आश्वासन देता हूँ कि मैं अब तमिलनाडु पर अतिक्रमण नहीं कर रहा हूं।

तमिलनाडु से—इस समय मैं एम० जी० रामचन्द्रन के बारे में नहीं बोल रहा हूँ—कोई श्री पार्थसारथी असम में प्रशासनिक अधिकारी थे। उन्हें असामाजिक तत्वों अथवा बदमाशों द्वारा बम विस्फोट में मार दिया गया था। हम नहीं जानते कि वे लोग कौन हैं। मैं माननीय गृह मंत्री से यह जानना चाहता हूँ कि इस सम्बन्ध में अपराधियों का पता लगाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है। मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि कि क्या धारा 302 के अन्तर्गत हत्या, बलवा, विस्फोट और देश के कानून के अन्तर्गत अन्य जुर्मों के लिए कोई केस दर्ज किया गया है ? मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या कानून व व्यवस्था की स्थिति और देश के इस भाग में शांतमय वातावरण बनाने के लिए उन अपराधियों को देश के कानून के अनुसार सजा दी जायेगी।

महोदय, मुझे बताया गया है कि जहां तक असम सीमा का बंगला देश के साथ सम्बन्ध है बंगला देश और भारत के बीच सीमा का न तो उचित रूप से सीमांकन किया गया है और न ही सीमा सुरक्षा बल द्वारा प्रभावकारी रूप से इनकी सुरक्षा की जाती है। क्या इसे बंगला देश के लोगों के लिए असम सीमा से भारतीय क्षेत्र में दाखिल होने के लिए खुला छोड़ा गया है। मैं यह उचित ही समझता हूँ कि बंगला देश के ऐसे सभी लोग जिन्हें उस देश में खाने के लिए भोजन नहीं मिलता शरणार्थियों के रूप में अथवा किसी अन्य प्रकार से भारत में आयेंगे। अपने हितों की सुरक्षा करना आवश्यक है। मैं चाहता हूँ कि यदि बंगला देश और असम और बंगला देश और भारतीय क्षेत्र के बीच सीमांकन नहीं किया गया है तो सरकार स्पष्ट रूप से सीमांकन करें।

अन्त में, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आर्थिक और राजनैतिक स्थितियों को इसी प्रकार जारी नहीं रहने दिया जाये। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वहां प्रतिनिधि सरकार बनायी जाये। यदि आप सरकार बना सकते हैं और आपके पास अपेक्षित समर्थन है तो आप ऐसा करें। मेरा कहने का अर्थ है कि लोगों के हितों की सुरक्षा के लिए हर हाल में एक लोकप्रिय सरकार बनायी जानी चाहिए। कानून व व्यवास्था की स्थिति बनायी जानी चाहिए। तेल का उत्पादन और अधिक किया जाये ताकि अन्य राज्यों को इसकी सप्लाई की जा सके।

इन शब्दों के साथ में इसका समर्थन करता हूँ।

श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत (अल्मोड़ा) : सभापति महोदय, माननीय वित्त मन्त्री और गृह मन्त्री जिन मैजर्ज को लेकर यहां आए हैं, मैं उनका समर्थन करता हूं। यह एक संयोग है कि जब कभी मुझे इस समस्या पर कुछ कहने का मौका मिला, तो वह मौका आपके बाद मिला जब आप बोल कर सभापति की कुर्सी पर चले जाते हैं, तो मुझे आपको ही रेफर करने का मौका मिलता है। आज भी उसी प्रकार का संयोग है।

सभापति महोदय : आपका स्वागत है।

श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत : आप जादवपुर के माननीय सदस्य के रूप में कह रहे थे कि इस लोक सभा को दो साल से आसाम की स्टेट एसेम्बली के रूप में कार्य करने का मौका मिल रहा है। निश्चित रूप से आपकी बात से हम भी सहमत हैं। हमको भी दुख है कि आसाम में सामान्य स्थिति

[श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत]

पैदा नहीं हो पायी है और लोक सभा को स्टेट एसेम्बली के रूप में कार्य करना पड़ रहा है। लेकिन जहां इसकी जिम्मेदारी हम पर आती है, वहां पर इसके लिए आप भी जिम्मेदार हैं—मेरा अभिप्राय आपकी पार्टी से है— क्योंकि जब आसाम में माननीय अनवरा तैमूर के नेतृत्व में सरकार बनी, तो वह सरकार बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही थी। यह आपकी पार्टी, मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी और उसके सहयोगी दल थे, जिन्होंने उस सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया और आज की स्थिति को पैदा किया।

आप कहते हैं कि वहां पर ला एंड आर्डर की स्थिति सामान्य नहीं है। श्रीमती अनवरा तैमूर की सरकार ने भी वहां पर एन० एस० ए० का उपयोग उन तत्वों के खिलाफ करना चाहा, जो जन-जीवन को सामान्य नहीं होने दे रहे थे, जो ला-ऐवाइडिंग लोगों के रास्ते में रुकावट खड़ी कर रहे थे और सरकार तथा सरकारी कर्मचारियों को ठीक तरह से काम नहीं करने दे रहे थे। आपने महज उसी बिंदु पर उस सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। आज जरूरत इस बात की है कि चाहे कोई भी पार्टी हो, वह अपने दोरंगेपन को यहां पर कुछ कहा जाता है और वहां पर कुछ किया जाता है, इस अन्तर को छोड़ दे। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि आसाम में, बल्कि सारे उत्तर-पूर्वा अंचल में, राइट रीएक्शनरी फोर्सिज एक्टिव हैं। लेकिन अधिक अच्छा होता कि जब आप ने इस बात को कहा था तो आप उन लोगों की तरफ इशारा भी करते, उन पार्टियों को भी बताते। असम की समस्या की जनक यही राइट रीएक्सनरी फोर्सेज हैं। दुर्भाग्य से 1977 में इन्हीं फोर्सेज को सत्ता मे आने का मौका मिला और उसी समय यह समस्या पैदा हुई। कालांतर में लोक दल की सरकार में इस समस्या को बढ़ने का और पोषित होने का मौका मिला। आज यह जिम्मेदारी माननीय गृह मन्त्री और प्रधान मन्त्री के ऊपर आ गई है कि जो चीज उस समय कंसीव हुई, और बढ़ी उस को बाहर निकालें, उसको ठीक से आपरेट करें और उसका निदान करें। इस दिशा में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है 1980 से लगातार कोशिशें की भी गई। प्रधान मन्त्री जी ने बराबर बड़े-बड़े वरिष्ठ मन्त्रियों को असम में भेजा और वहां की समस्या को हल करने की कोशिश की गृह मंत्रालय के लोगों ने लगातार कोशिश की और हमारे विरोध पक्ष के लोगों का सहयोग भी इस दिशा में लेने की चेष्टा की। मुझे इस बात की खुशी है कि कुछ नानुकर के बाद भी अभी हाल के दिनों में माननीया प्रधान मन्त्री जी के निमन्त्रण को विरोध पक्ष के लोगों ने स्वीकार किया और उन के साथ बैठ कर इस राष्ट्रीय समस्या का हल निकालने की कोशिश की। लेकिन मैं यह भी उम्मीद उन से करूंगा कि जिस तरह से प्रधान मन्त्री जी के साथ टेबल पर बातचीत करने के लिए वह गए उसी तरह उनकी भावनाओं में ईमानदारी भी होनी चाहिए। जो बात वह सदन में कहते हैं या प्रधान मन्त्री जी के सम्मुख कहते हैं या देश के अन्य भागों में कहते हैं उसी भावना को उनके लोग और उनकी पार्टी के लोग असम के अन्दर भी ईमानदारी के साथ इस्तेमाल में लाएँ। आज हकीकत यह है कि आज कुछ राष्ट्रीय पार्टियों के लोग वहाँ की समस्या को हल नहीं होने देना चाहते। वह उस समस्या को जिन्दा रखना चाहते है क्योंकि उसी में उनका हित है। चाहे वह भारतीय जनता पार्टी के लोग हों या उनके जैसे और लोग हों वे लोग वहां पर जितने ट्राइबल हिन्दूज हैं उनको अपना वेस

मानकर उनको भड़काते हैं, उनसे कहते हैं कि मुस्लिम पापुलेशन आ जाएगी तो तुम्हारी संस्कृति नष्ट हो जाएगी । वह कहते हैं कि कांग्रेस सरकार उस पापुलेशन को वहां आने दे कर इस समस्या को उलझाना चाहती है । जो कछार के इलाके में काम करने वाले लोग हैं जिनकी पार्टी वहां ऐक्टिव है वह भिन्न प्रकार की बातें वहां पर कहते हैं और यहां पर भिन्न प्रकार की बात रखते हैं ।

मैं तो अपील करना चाहूंगा अपने विपक्ष के लोगों से कि आज जरूरत इस बात की नहीं है कि हम असम की समस्या के प्रति असम के लोगों के साथ अपनी सहानुभूति को व्यक्त करें । पहाड़ के लोग किसी की दया पर जीना नहीं चाहते । असम के लोग भी किसी की दया के पात्र नहीं हैं । आज तो जरूरत है कि हम लोग ईमानदारी से काम करें । हम लोग अपनी भावनाओं को शुद्ध करके ईमानदारी के साथ जो प्रधान मन्त्री जी प्रयत्न कर रहीं हैं, जो हमारा गृह मन्त्रालय और हमारी सरकार प्रयत्न कर रही है उसमें सहयोग दें और उस समस्या का निराकरण करने की कोशिश करें ।

जो आसू और गण-संग्राम परिषद के लोग हैं सरकार को चाहिए कि उनके वास्तविक इरादे को समझे । उनका वास्तविक इरादा असम की समस्या को हल करने का नहीं । उनका इरादा है मामले को उलझा कर के किसी तरीके से अपनी राजनीति को वहां जिन्दा रखना और उस राजनीति को जिन्दा रखने में हमारे विपक्ष के लोगों से सहयोग मिल रहा है, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मिल रहा है । स्पष्ट तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लोग जब भी सरकार वहां पर कोई कदम उठाती है शांति और व्यवस्था को कायम रखने के लिए तो उसका विरोध करते हैं सरकार पर नाना प्रकार के इल्जाम लगाते हैं ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

आज असम ही एक ऐसा प्रान्त है हमारे नार्थ-ईस्ट में जिसकी कल्चरल या फिजिकल एफिनिटी शेष भारत के साथ है । यदि हमने असम की समस्या को, उसकी नागरिकता को व्यावहारिक परिप्रेक्ष्य में नहीं देखा और हमने उनके नजरिये से उनकी समस्या को नहीं देखा तो निश्चित तौर से यह समस्या बिगड़ सकती है । जो लोग आज हम पर इल्जाम लगाते हैं हमसे कहते हैं कि हम समस्या को ठीक से हल नहीं कर पा रहे हैं और जल्दी नहीं हल कर रहे हैं उनको इस बात को समझना चाहिए कि कितनी नाजुक यह समस्या है और इस समस्या को उसी नाजुकता के साथ, उसी व्यवहारिक तौर तरीके के साथ हल करना होगा । सरकार उसको हल करने की कोशिश कर रही है । मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी सरकार ने, हमारे वित्त मन्त्रालय ने, हमारे योजना और उद्योग मन्त्रालय ने उनके उस आर्थिक पिछड़ेपन की समस्या को समझा और उन्होंने उसको हल करने की कोशिश की है ।

हमारी प्रधान मंत्री के इनीशिएशन पर नार्थ ईस्ट रीजन के डेवलपमेन्ट के लिए नार्थ ईस्ट कौंसिल का निर्माण हुआ था और शायद उसकी चार मीटिंग्ज भी हो चुकी है । असम में बहुत सारे

[श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत]

नये निर्माण कार्यों की शुरुआत भी की गई है । वहां पर थर्ड लेविल एअर लाइन स्टार्ट की गई है। इसी प्रकार से वहां पर रेलवे द्वारा छोटी लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने का काम भी शुरू किया गया है। वहां पर 6 नयी रेलवे लाइनें भी इन्ट्रोड्यूस की गई हैं । इसके अतिरिक्त उद्योग मंत्रालय के माध्यम से आर्थिक विकास के बहुत सारे प्रयत्न किए जा रहे हैं। इस प्रकार से नार्थ ईस्ट रीजन के आर्थिक विकास और वहां के लोगों का जीवन-स्तर ऊपर उठाने के लिए सरकार कोई भी कसर उठा नहीं रख रही है। वहां के लिए 1205 रुपया प्रति व्यक्ति सेन्ट्रल असिस्टेंस का जो रिशियो रखा गया है, मैं समझता हूं उसको और भी बढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि वह क्षेत्र वर्षों से पिछड़ा हुआ रहा है।

श्री बी० डी० सिंह जी ने अभी यहां पर सुझाव रखा था कि वहां पर माइक्रोवेव लाइन्स कायम की जानी चाहिए—मैं भी अपने को उनकी भावना के साथ जोड़ता हूं और माननीय वित्त मन्त्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वे इंफार्मेशन ऐंड ब्राडकास्टिंग मिनिस्ट्री को सुझाव दें कि वहां पर और अधिक रेडियो स्टेशन्स खोले जायें। मिजोरम तथा मनीपुर, जिनके बार्डर बंगलादेश से लगते हैं,वहां के लोगों को दिल्ली, गौहाटी तथा कलकत्ता स्टेशन्स की आवाज़ कम सुनाई पड़ती है जबकि बंगलादेश के प्रोग्राम ज्यादा सुनाई देते हैं। वहां के रेडियो स्टेशन से जिस तरीके का प्रोपेगैण्डा होता है उसका असर उन लोगों पर ज्यादा होता है और हमारे यहां से जो विकास कार्यक्रम प्रसारित किए जते हैं उनका असर कम हो पाता है। मेरा निवेदन है कि सरकार के विभिन्न मंत्रालय एक कोआर्डिनेटेड-वे में असम के विकास के लिए काम करें।

इन शब्दों के साथ मैं गृह मंत्री जी द्वारा पेश प्रस्तावों का समर्थन करता हूं और विपक्ष के लोगों से निवेदन करता हूं कि वे ईमानदारी के साथ इस राष्ट्रीय समस्या को सुलझाने में माननीय प्रधान मन्त्री जी को अपना पूरा सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, कब तक इस सदन में असम का सही स्वर सुनाई नहीं देगा ?कब तक असम में राष्ट्रपति शासन लागू करने, उसे उठाने, सरकार बनाने और उसे बिगाड़ने का खेल चलता रहेगा ? असम से लोकसभा के 12 स्थान खाली पड़े हैं। असम की विधान सभा जनता का विश्वास खो चुकी है । लेकिन शासन चुनाव कराने की स्थिति में नहीं है ।

इसके लिए नौजवानों को दोष देना ठीक नहीं होगा। असम के नौजवानों को बधायी दी जानी चाहिए कि वे न केवल असम को बचाने के लिए लड़ रहे हैं बल्कि सारे भारत की एकता और अखण्डता की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। असम आन्दोलन विदेशियों के खिलाफ है, अन्य प्रदेशों से गए हुए भारतियों के विरुद्ध नहीं है। वह आन्दोलन असम में रहने वाले बंगलाभाषियों के खिलाफ भी नहीं है और न मुस्लिम मतावलंबियों के खिलाफ है। लेकिन कोई भी देश अपनी सीमा में विदेशियों के बेरोक-टोक प्रवेश की छूट नहीं दे सकता है। अगर असम में विदेशियों का सवाल नहीं है

तो सरकार ने 1971 को कट-आफ ईयर क्यों माना ? विदेशियों का सवाल है, मैं यहां भाषण कर रहा हूं और असम में घुसपैठ हो रही है और अब घुसपैठ केवल असम तक सीमित नहीं है, बिहार के सीमावर्ती जिलों में, पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिलों में लोग बड़ी संख्या में बंगला देश से आ रहे हैं। वे केवल रोज़गार की तलाश में नहीं आ रहे, रोज़गार की तलाश में आने वाले पासपोर्ट नहीं बदला करते, रोज़गार की तलाश में आने वाले वोटर लिस्ट में चोरी-छिपे नाम लिखाने की कोशिश नहीं करते। वे एक इरादे से आ रहे हैं और हमें उस इरादे को समझना होगा।

बंगला देश के साथ हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध रहने चाहिए, लेकिन बंगला देश अपना बोझा हमारे यहां न डाले। बंगला देश में रहने वाले अल्पसंख्यकों को भी बताने की आवश्यकता आ गयी है कि वे अपने अधिकारों की लड़ाई बंगला देश में लड़ो। हर मुसीबत में भारत की तरफ भागना ठीक नहीं है। यह सत्य है कि हमने विभाजन के समय कुछ आश्वासन दिए थे, लेकिन हमेशा के लिए कोई देश अपनी सीमा खुली रखकर नहीं चल सकता है।

सरकार इस बात को मानती है, कि 1971 के बाद जो विदेशी आए हैं, उन्हें पहचाना जाना चाहिए तथा उनके नाम मतदाता सूची में से निकाले जाने चाहिए और उन्हें जहां से आए हैं, वापिस भेज देना चाहिए। 1971 को दस साल बीत गए, हम 1981 में बैठे हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि दस साल में कितने विदेशी आए, क्या विदेशियों को पहचाना गया तथा क्या वोटर लिस्ट में से उनके नाम निकालने का काम हुआ है ? यदि ये सवाल उठाये जाते हैं तो कहा जाता है कि जब तक आन्दोलन चलेगा, तब तक यह काम नहीं हो सकता है। बीच में आन्दोलन ठण्डा पड़ गया था। सरकार बन गई थी। आन्दोलनकारियों ने बीच में आन्दोलन स्थगित भी कर दिया था। सरकार को अपनी ईमानदारी का सबूत देना होगा—क्या उसमें इच्छाशक्ति है विदेशियों को निकालने की और भविष्य में विदेशियों का प्रवेश रोकने की ?

असम का संकट विश्वास का संकट है। नौजवानों को सत्ता नहीं चाहिए। उन्हें सरकारी पार्टी में शामिल करने के पैतरे हुए हैं, मगर उन नौजवानों ने उन पैतरों को ठुकरा दिया है। वे एम० एल० ए० नहीं बनना चाहते हैं, एम० पी० बनने की उनकी आकांक्षायें नहीं हैं। असम की सारी समस्या सत्ता लोलुप नेताओं ने पैदा की है। वे असम में आंखें मूंदकर बैठे रहे और लाखों की संख्या में विदेशी असम में घुसते रहे हैं। नौजवानों की भावनाओं को समझना चाहिए। असम आज राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा से जुड़ा हुआ है। मिजोरम में क्या हो रहा है, दोहराने की आवश्यकता नहीं है। मनीपुर में नौजवान बन्दूक से लड़ रहे हैं। नागालैण्ड पहले से अशान्त है। सारा पूर्वांचल विस्फोटक परिस्थिति में है। क्या हम असम के देशभक्तों, नौजवानों को भी विघटनकारी तत्वों के हाथों में फेंक देना चाहते हैं ?, उपाध्यक्ष महोदय, दस नवम्बर से वहां जो कुछ हुआ है, मैं सरकार से जवाब मांगना चाहता हूं। सरकार कहती है कि बातचीत चल रही है। बातचीत के 14 चक्र चले, लेकिन कभी-कभी आन्दोलनकारियों को सन्देह होता है कि सरकार बातचीत इसलिए लम्बी करना चाहती है कि वे थक जायें, आन्दोलन अपनी मौत मर जाय और सवाल जहां के तहां रह जायें। मान लीजिए, नौजवान यहां कुछ बात मान लेते हैं और गोहाटी में लौट कर जाने के बाद उससे पलट

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

जाते हैं, आखिर नौजवानों को आन्दोलन चलाने का अनुभव नहीं है। आन्दोलन चलाना आसान होता है, वापिस लेना कठिन होता है। उन नौजवानों के साथ सहानुभूति की जरूरत है और उनके यहां भी ऐसे तत्व हैं तो उन्हें अतिरेक की ओर ढकेलना चाहते हैं। मान लीजिए, नौजवान यहां जो तय कर गये थे, उससे पलट गये, और फिर 10 नवम्बर को उन्होंने तय किया कि गोहाटी में रैली होनी चाहिए, तो रैली पर प्रतिबन्ध लगाने की क्या आवश्यकता थी ? मैं भी थोड़े दिन पहले गोहाटी में रैली करके आया, तब कोई गड़बड़ी नहीं हुई, आन्दोलनकारी भी रैली कर लेते। मगर शक्ति का प्रदर्शन-जजेज फील्ड पर बी० एस० एफ० का कैम्प, किसी को भी सभा करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। बहाना यह बनाया गया कि यदि हम आन्दोलनकारियों को सभा करने की इजाजत देंगे, तो उसी दिन माइनोरिटी एशोसिएशन भी सभा करना चहता है, हमें उनको भी इजाजत देनी पड़ती। माइनारिटीज एशोसियेशन को दूसरे दिन सभा करने की अनुमति दे सकते थे। असम के माइनारिटीज की बात भी सुनी जानी चाहिए, उनके वैध हितों की रक्षा होनी चाहिये। हम ने आन्दोलनकारी नेताओं से भी कहा है कि आन्दोलन में जो हिंसा हुई है, अल्प-संख्यकों को परेशान करने की घटनायें हुई हैं, उन्हें हम पसन्द नहीं करते हैं और न हम उनका समर्थन करते हैं। लेकिन मोटे तौर पर आन्दोलन शान्तिपूर्ण है, आन्दोलन देशभक्तिपूर्ण है, आन्दोलन भारत की अखण्डता के लिए हैं असम को अलग ले जाने के लिये नहीं है।

लेकिन हम वहां क्या व्यवहार कर रहे हैं ? रैली नहीं होने दी, मगर जन-समर्थन से आन्दोलनकारियों की सात सभायें हुई जिन में हज़ारों लोग आये। सारे शहर का काम-काज ठप्प हो गया, लेकिन दमन का सिलसिला शुरू हो गया। वहां जजेज़-फील्ड में बी० एस० एफ० का कैम्प बना दिया गया। रेडियो प्रचार किया गया—1-10 के बुलेटिन में—कि वहां एक बम फूट गया है। बाद में चीफ़ सैक्रेटरी से कहलाया गया कि वह बम नहीं था, लेकिन कुछ ऐसा ही विस्फोट था और बाद में पता यह लगा कि वहां कागज़ों का एक पुलन्दा मिला था। असम में आल-इण्डिया-रेडियो की क्रेडिबिलिटी आप ने खत्मकर दी। यह तरीका नहीं है असम की जनता के साथ व्यवहार करने का।

14 नवम्बर को नेहरू जी का जन्म दिन था। गोहाटी के बच्चे एक अलग स्थान पर एकत्र हुए, वहां के सरकारी समारोह में शामिल नहीं हुए। समारोह में शामिल होना जरूरी नहीं था। बच्चों में भी विदेशियों के विरुद्ध भावना है। इस आन्दोलन ने छोटे-छोटे बच्चों, पुरुषों, नारियों, साहित्यकारों, मजदूरों, कर्मचारियों सब को स्पर्श किया है। यह प्रश्न ऐसा है जो उनके मर्म को छू जाता है। हमारे लिये यह वोट का सवाल नहीं है, मगर मैंने असम की जनता के दर्द का थोड़ा सा अहसास किया है। उन्हें लगता है कि वे अपने ही घर में पराये होने वाले हैं, माइनारिटी में आने वाले हैं। असम की अलग भाषा है, उनके रहन-सहन का अलग तरीका है, उनकी सैकड़ों सालों की परम्परायें हैं क्या उसे सुरक्षित नहीं रखा जाना चाहिये ? उनके मन में जो डर है उस को निकालने की कोशिश कीजिए। लेकिन आप दमन कर रहे हैं, लोगों को पीट कर, जेलों में बन्द कर के।

उपाध्यक्ष महोदय, क्या लोगों को शान्तिपूर्ण बन्द करने का अधिकार नहीं है ? मगर ता० 19 और 20 को जब बन्द का आह्वान किया गया तो गोहाटी के जिन दुकानदारों ने अपनी दुकानें खोलने से इन्कार कर दिया, उनके खिलाफ कार्यवाही की गई। क्या पुलिस जबरदस्ती दुकान खुलवा सकती है ? वे दुकानें अगर लुट जायेगी तो उस के लिये कौन जिम्मेदार होगा ? अगर दुकानदारों की सहानुभूति आन्दोलनकारियों के साथ है तो इससे उनको कौन रोक सकता है, लेकिन 4 प्रमुख व्यापारियों को वहां गिरफ्तार कर लिया गया, गोहटी जिले से निकाल दिया गया। नतीजा यह हुआ कि बन्द और बढ़ गया।

कर्मचारी आप के साथ नहीं हैं। इस एसेन्शियल सर्विसिज मेन्टेनेन्स एक्ट को वहां लगाने की जरूरत क्यों पड़ी ? मैंने राज्य सभा में मकवाना साहब के भाषण को पढ़ा था कर्मचारी आन्दोलन के साथ हैं। अब बिजली चलाना जरूरी है, तो बिजली कौन चलायेगा, कर्मचारी चलायेगा या और कोई ? कर्मचारी क्यों आन्दोलन के साथ हैं ? उन्हें नौकरी से निकाले जाने का डर है। उनके खिलाफ कार्यवाहियां हुई हैं मगर कहीं न कहीं उनके हृदय में भाव है कि यह आन्दोलन हमारी पहचान की रक्षा के लिये किया जा रहा है, हमारे अस्तित्व की रक्षा के लिये किया जा रहा है।

बन्द पूर्णतया सफल रहा। सरकार ने बस और ट्रक चलाने की कोशिश की, लेकिन उनमें बैठने वाला कोई नहीं था। 14 नवम्बर को बच्चों की रैली को पुलिस के प्रयोग से भंग करने की कोशिश की गई, छोटे-छोटे बच्चों के विरोध को भी सहन करने के लिये आप तैयार नहीं हैं और उम्मीद यह करते हैं कि असम की जनता आप के साथ जाएगी।

यह ढंग नहीं है असम के लोगों को अपने साथ लेने का। 19 नवम्बर को धींग में सी० आर० पी० की गोलियों से एक 13 वर्ष के बच्चे की हत्या हुई। जान तो बच्चे की गई लेकिन चोट सारे असम वालों के दिल पर लगी। 28 नवम्बर की घटना को आप लें। एग्रिकलचरल आफिस में एक बम विस्फोट हुआ। मैं मकवाना जी से जानना चाहता हूं कि इस बम बिस्फोट के सिलसिले में किसे गिरफ्तार किया गया ? क्या यह सच नहीं है कि मुक्तावली नाम के एक व्यक्ति को पकड़ा गया जो आल असम मोइनोरिटीज ऐसोसिशन से सम्बद्ध है ? क्या यह सम्भव नहीं है कि आन्दोलन को बदनाम करने के लिए कुछ लोग बम विस्फोट करें ? किसने ऐसे तत्वों को भड़काया है इस सारी कहानी में मैं जाना नहीं चाहता हूँ। राष्ट्रपति राज के दौरान सरीन साहब जब वहां थे तब किस तरह से असम के आन्दोलन को बदनाम करने की कोशिश की गई, सारी कहानी मुझे मालूम है। 29 नवम्बर को सी० आर० पी०, बी० एस० एफ० ने एग्रिकलचरल यूनिवार्सिटी के वैटरनरी कैम्पस पर धावा बोल दिया। रात गुजराने वाली थी और कैम्पस पर पुलिस ने हमला कर दिया। होस्टल में रहने वाले 49 लड़के पकड़े गए। वे जेल नहीं ले जाए गए। 24 घंटे तक उन्हें बस में रोके रखा गया। पीने को पानी नहीं दिया गया। खाना नहीं दिया गया। नैचुरल काम करने के लिए भी बस से उतरने नही दिया गया। साल भर पहले गोहाटी यूनिवर्सिटी मे जो घटना हुई थी उसी की आपने पुनरावृत्ति करदी।

(श्री गुलशेर अहमद पीठासीन हुए)

सभापति महोदय, आन्दोलनकारियों का रवैया कड़ा हो रहा है, मुझे मालूम है। उन्हें भरोसा नहीं है कि सरकार ईमानदारी के साथ उनके सवाल को हल करना चाहती है। विरोधी दल अपना योग देने के लिए तैयार हैं। लेकिन ईमानदारी से प्रयत्न तो करिये। पंडित नारायण दत्त तिवारी जब असम जाते हैं तो असम के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए क्या ठोस योजनाएं हो सकती है इस पर विचार के लिए नहीं जाते हैं, जाते है इस वास्ते कि सरकार कैसे बनेगी, जो मजदूर एम० एल० ए० चाय बागान में काम करने वाले टूट कर चले गए हैं, उनको कैसे वापिस ले आया जाए, इस वास्ते जाते हैं। अनवरा तैमूर की सरकार बन गई था लेकिन वह चली नहीं । उस सरकार ने जितना नुकसान दिया आप शायद यहां बैठ कर उसका अंदाजा नहीं कर सकते हैं। साम्प्रदायिक नीतियों पर अगर कोई सरकार चलेगी तो वह असम की आत्मा को सान्त्वना नहीं पहुंचा सकती। हां, साम्प्रदायिक नीतियों पर चल कर असम को दबाया जा सकता है लेकिन दमन दमन से एक विस्फोट होगा जो असम को दूसरा नागालैंड बना सकता है। मेरा निवेदन है कि बन्द करिये, सरकार के गठन की कोशिश न करिए, असम के आन्दोलनकारियों से जल्दी से जल्दी बातचीत खत्म करके तुरन्त वहां चुनाव कराइये। आन्दोलन का हल निकालना आसान होगा अगर वहां राष्ट्रपति शासन रहेगा। जो सरकार वहां बनती है वह इस सवाल को एक तरफ रख देती है। श्रीमती अनवरा तैमूर ने भी यही किया था। उसने कहा था कि विदेशियों का सवाल केन्द्र का मामला है, मुझे तो ला एंड आर्डर मेंटेन करना है। असम में एम० एल० एज० होस्टल को एक किला बना दिया गया है। लेकिन फिर भी वहां विस्फोट हो गया। विस्फोट की जांच के लिए पुलिस से कुत्ते लाए गए एम० एल० एज० होस्टल में। कुत्तों ने विस्फोट की जगह को सूंघा सूंघ करके जानते हैं वे किस दिशा में गए ? उसी दिशा में गए। जहां मुख्य मंत्री का बंगला था। मुझे नहीं मालूम कि जांच का क्या हुआ। जांच रोक दी गई। कुत्ता रास्ता भूल गया। अगर कुत्ता मुख्य मंत्री के बंगले की तरफ जाता है तो कुत्ता भी दिग्भ्रान्त हो जाता है। कुत्ते से यह भी उम्मीद की जाती है कि वह सरकार के इशारे पर चले। सरकार के इशारे पर स्वार्थी इंसान चल सकता है, ईमानदार जानवर नहीं। मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ। हम असम की परिस्थितियों का राजनीतिक फायदा नहीं उठाना चाहते।

मैं सारी ईमानदारी के साथ इस सदन को विश्वास दिलाना चहता हूं। मगर जिस ढंग से आप असम की समस्या का हल करने की कोशिश कर रहे हैं उससे असम की समस्या हल नहीं होगी। नौजवानों को बातचीत के लिये बुलाया जा सकता है। कोई उन्हें नहीं भड़का रहा है। वह तो राजनीतिक दलों से बात तक नहीं करना चाहते। वह जानते हैं कि राजनीतिक दलों को वोट की चिन्ता है, असम की नहीं है। चिन्तावे अच्छे नौजवान हैं, चरित्रवान नौजवान हैं। उन नौजवानों पर किसी देश को रश्क होना चाहिये। मगर आपने फौज को कह दिया कि यह आन्दोलनकारी असम को हिन्दुस्तान से बाहर ले जाना चाहते हैं, इन्हें दबा दो। और फौज में एक बुलेटिन निकाल दिया गया कि बातचीत, नम्बर मुझे उस बुलेटिन का ठीक याद नहीं है, उसमें कहा गया कि असम का आन्दोलन देश भक्ति पूर्ण नहीं है, अनपैट्रीआटिक है। भगवान के लिये इसमें फौज को न लाइये। राजनीतिक लड़ाई चलेगी। असस की जनता की भावना को हम समझने की कोशिश करें और उसका हल निकालें।

1971 के बाद में तो कोई मतभेद नहीं है ? 1971 के बाद आने वाले कितने बंगला देश वापस भेजे गये, मैं जानना चाहता हूँ । यह कसौटी है सरकार की ईमानदारी की । यह भी हम समझ लें बंगलादेश किसी को लेने वाला नहीं है । मकवाना साहब ने कहीं कह दिया था कि 200, 250 निकाले गये । फिर पत्रकारों ने पूछा कहां निकाले गये ? कह दिया यह नहीं पूछो । उनको कहीं निकाला होगा, वह दूसरी जगह से अन्दर फिर आ गये होंगे । यही सिलसिला चलता रहा । मैं जानता हूँ कि सीमा की रक्षा कठिन है । मगर इतनी कठिन नहीं है कि 34 साल तक उसकी रक्षा ही न की जाय । श्री नन्दा जी के जमाने में, मैं 25 साल से असम का मामला सदन में उठाता रहा हूं, नन्दाजी ने आश्वासन दिया था कि बाव्र्ड वायर लगेगा । नहीं लगा । सीमा बन्द नहीं की गई । चौंकियां नहीं बढ़ीं ।

मैं जब विदेश मंत्री था तो मेरे सामने एक ऐसी घटना आयी, मुझे कहा गया कि आप जो पासपोर्ट देते हैं वह तो ठीक है । मगर हिन्दुस्तान और बंगाला देश की सीमा पर एक और पासपोर्ट चलता है । उसका नाम है गर्दनिया पासपोर्ट । मैंने कहा गर्दनिया पासपोर्ट क्या है ? कहने लगे कि पासपोर्ट लेने की जरूरत नहीं है । आप सीमा के उस पार जाना चाहते हैं तो सीमा पर पहुंच जाइये, कुछ रुपया निकालिये, जो चौकीदार वहां तैनात है, वह चाहे असम राइफल्स का हो या बार्डर सेक्योरिटी फोर्स का हो, वह आपकी गर्दन को एक धक्का देगा और आप बांगलादेश में पहुंच जायेंगे, पासपोर्ट की जरूरत नहीं है । अभी भी यह सिलसिला चल रहा है, इसे हम रोक नहीं सके ।

असम के लोगों में विश्वास नहीं पैदा कर सके । क्या असम को भी हम ऐक्सट्रीमिस्ट्स के हाथ में फेंक देना चाहते हैं । यह गलती न करें । असम की जनता में यह भी भावना है कि उसकी उपेक्षा हुई है । आर्थिक दृष्टि से प्रदेश पिछड़ा है । असम में तेल है, और आन्दोलनकारियों पर आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने हजारों करोड़ रु० का नुकसान कर दिया क्योंकि तेल नहीं निकालने दिया । मगर जो तेल निकला नहीं वह बर्बाद तो नहीं हुआ ? तेल फसल तो नहीं है कि अगर काटो नहीं तो नुकसान हो जाएगा । तेल जमीन में दबा हुआ है, सुरक्षित है, आगे निकाल लीजिये । मगर असम वाले पूछते हैं कि जो हजारों क्यूविक मीटर गैस रोज जल रही है उसका क्या इलाज है ? उस गैस का हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं । बरौनी रिफाइनरी विकसित की जाती है, चाय का नीलाम कलकत्ता में होता है । असम को रायल्टी कम मिलती है । गंगा पर हमने 6 पुल बनाये हैं, लेकिन ब्रह्मपुत्र पर अभी तक दो पुल ही बन सके हैं । अभी समय है इनको हल करने का । प्रधान मंत्री ने विरोधी दलों को वर्ता में शामिल किया । यह अच्छा कदम था लेकिन जब वार्ता टूटने लगी तभी विरोधी दलों की याद आयी । यह ठीक नहीं है ।

जब मैंने ज्ञानी जी से पूछा कि जब वार्ता में गति गतिरोध पैदा हो गया, तो आपने हमें क्यों बुलाया ? कहने लगे कि जब वार्ता ठीक चल रही थी, तो बुलाने की क्या जरूरत थी ?

दुख में सुमरिन सब करें, सुख में करे न कोय,
जो सुख में सुमरिन करें, तो दुख: काहे को होय ?

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

हम ईश्वर होने का दावा नहीं करते, मगर असम की समस्या एक राष्ट्रीय समस्या है, इसे दलगत समस्या नहीं बनाना चाहिए। असम की समस्या वास्तविक समस्या, उसको हल करने के लिए कदम उठाइये, नौजवानों को साथ लीजिए, जो एक्सट्रीमिस्ट्स हैं, उनको आइसोलेट करिये, अलग करिये। असम की जनता को अपने साथ जोड़िए।

असम के लोग भूले नहीं हैं, 1962 में चीनी हमले के बाद जब चीनी देश का दरवाजा खट-खटा रहे थे तो भारत के प्रधान मन्त्री जवाहर लाल नेहरू ने रेडियो पर जो कुछ कहा था असम वाले कहते हैं कि मुसीबत आई तो आप हमको छोड़ने के लिए तैयार हो गए, बाकी के देश ने कभी हमारी चिन्ता नहीं की है।

उनकी पीड़ा को हम पहचानें, उनकी वेदना को हम समझें, और इस राष्ट्रीय समस्या को, राष्ट्रीय प्रश्न को हल करने की कोशिश करें। रास्ता निकल सकता है, मगर दमन का तरीका बन्द कर दीजिये, हो सकता है कि नौजवान बातचीत के लिये आने से इन्कार कर दें, अगर यह दमन का चक्र चलता रहा।

अपने अधिकारियों को सूचना दीजिये कि समझा-बुझाकर लोगों को सही रास्ते पर लाने की जरूरत है और अगर प्रयत्न किया जायेगा तो असम की समस्या का हल भी निकाला जा सकता है, मगर यह उधर बैठने वालों पर निर्भर करता है। धन्यवाद।

श्री समीनुद्दीन (गोड्डा) : चेयरमैन महोदय, आज रह-रहकर कभी असम में, कभी पंजाब में खालिस्तान के नाम पर, कभी छोटा नगापुर में झारखंड के नाम पर कभी नागालैंड में इस किस्म की तहरीकात क्यों चल रही है ? हुकमरां पार्टी को डाक्टर की हैसियत से उसको तशखीस करना होगा कि ऐसे आन्दोलन क्यों खड़े होते हैं ?

मुझे याद है कि जिस वक्त आज़ादी के दरवाजे पर हम पहुंच चुके थे, एक बहुत बड़ा मसला देश के सामने था वन नेशन थ्योरी, टू नेशन थ्योरी। हिन्दुस्तानी तमाम के तमाम एक कौम है या दो कौम है ? अफसोस है कि हम बहुत दिनों तक बर्दाश्त न कर सके, सब्र न कर सके और टू नेशन थ्योरी को मानकर हिन्दुस्तान का बंटवारा कर दिया गया। यह परदादा की बीमारी है, अब उनके पोते और पड़पोतों में वही बीमारी पैदा हो रही हैं कभी खालिस्तान के नाम से, कभी असम में फौरनर के नाम से, कभी झारखंड के नाम से। असल वजह यह है कि हमारी गलतियों का यह खमियाज़ा है, मगर अफ़सोस तो उन लोगों पर है जो कल तक टू नेशन थ्योरी, दो कौमी नजरिये को गलत कहते थे, आज खुद ही उसी काम को कर रहे हैं।

ऐसा लगता है कि हिन्दुस्तान धीरे-धीरे मि० जिन्ना और दो कौमी नजरिये के मानने वाले महात्मा गाँधी से ज्यादा हो रहे हैं, इस लिए कि अभी-अभी अटल जी ने कहा है कि फारनर, फारनर क्या, बंगला देश से लोग आये हैं। बंगला के दो हिस्से हैं, पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल, पश्चिमी

बंगाल वालों को आप निकालना चाहते हैं, मारवाड़ियों को निकालना चाहते हैं, और सबसे बड़ा निशाना मुसलमानों पर है।

फारेनर के सही माने और सही निशाना तो वहां के अल्पसंख्यक हैं, यही पूरी बात हमको मालूम है। लेकिन अपनी तहरीक को बाजब्ता और वामानी बनाने के लिए अब कुछ और लोगों को भी शामिल किया जा रहा है कि ये फारेनर हैं। अभी-अभी बिहार में भी ये नारे लगे थे कि सारे मारवाड़ी, जो राजस्थान से आए हैं, राजस्थान चले जाएं। संथाल-परगना में झारखंड मुक्ति मोरचे की तरफ से नारा लगाया गया है कि "मन्दिर मस्जिद तोड़ो, संस्थाल-परगना छोड़ो।" हिज्व-मुखालिफ भी इस बात से इन्कार नही करेगा कि ये सारी तहरीकात देश की सालिमीयत और अखंडता के लिए खतरा हैं और उनकी वज़ह से कहीं देश के टुकड़े न हो जाएं। मगर कई पोलीटिकल पार्टियां शावदा-वाजी में लगी हुई हैं और वे बाइक्तदार जमात को नीचा दिखाने और उसे परेशान करने के लिए शीशे छोड़ती रहती हैं। आज यह मुत्तफिका फैसला हो गया है कि हिन्दुस्तान में न खालिस्तान की तहरीक चलेगी, न आसाम के फारेनर्ज की तहरीक चलेगी और न छोटा नागपुर में झारखंड की तहरीक चलेगी। अब तो ऐसा लग रहा है कि टू-नेशन थ्योरी नहीं, दर्जनों-नेशन थ्योरी का हिन्दुस्तान होने जा रहा है।

अभी अभी बहुत से वक्ताओं ने कहा है कि आसाम एक पिछड़ा हुआ सूबा है, इसलिए वहां कुछ विकास का काम होना चाहिए, वहाँ के लोगों को मराआत और सहूलियतें मिलनी चाहिए। मैं इस तरफ इशारा करना चाहता हूं कि आसाम सिल्क, मूंग और अंडी का केन्द्र है, मगर आज तक सिल्क बोर्ड में आसाम का कोई नुमाइंदा नहीं रहा है। अब तक बंगाल, बिहार और यू० पी० का शख्स उसका चेयरमैन नहीं हो सका है। सारे के सारे साउथ के चेयरमैन रहे है। वह तो ठीक है, लेकिन इन लोगों को भी मौके और मराआत मिलनी चाहिए।

इन सुझावों के साथ मैं आसाम एप्राप्रिएशन बिल की मजीद ताईद करता हूं।

आचार्य भगवान देव (अजमेर) : सभापति महोदय, सदन में जो संकल्प रखा गया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं, और उसका समर्थन करते हुए विरोधी पार्टी, और उसमें विशेषकर भारतीय जनता पार्टी, और उसमें भी विशेष रूप से आसाम आन्दोलन को हीरो, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, से एक शेर की शक्ल में कहना चाहता हूं कि 'दोरंगी छोड़ के इक-रंग हो जा, या संग हो जा या सरासर मोम हो जा"।

श्री सोमनाथ चटर्जी : तीन-रंग हो जा।

आचार्य भगवान देव : तिरंगे तो हो गए। तीन रंग तो बदल चुके हैं। जनसंघ, जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। रंग बदलते हुए इस अविवाहित नेता से मैं यह कहना चाहता हूं कि उन्होंने आसाम आन्दोलन के सम्बन्ध में कहा है कि समस्या विदेशी नागरिकों की है।

मैं आप से कहना चाहता हूं आपने आठ दस दिन इस राजधानी दिल्ली में रामलीला ग्राउंड में रैली रखी। यह तो एक साधारण विदेशी नागरिक का प्रश्न है। लेकिन उस रैली में पाकिस्तानी

[आचार्य भगवान देव]

दूतावास के एक जवाबदार अधिकारी को आपके उपाध्यक्ष रामजेठमलानी लेकर के आए और आपने खड़े होकर के उनको रिसीव किया। आपको यह बात कहते हुए चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। आप विदेशी ताकतों के साथ, विदेशी दूतावासों के साथ सांठ-गांठ करके देश में अराजकता लाना चाहते हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सभापति महोदय, मैं इसका खंडन करना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी की रैली में पाकिस्तानी दूतावास का कोई अधिकारी नहीं आया। मिस्टर बोही आए थे जो रोटरी इंटरनेशनल में भाग लेने के लिए आए थे। वह दूतावास के कोई अधिकारी नहीं थे।

आचार्य भगवान देव : कौन थे वह? आपकी पार्टी के जवाबदार उपाध्यक्ष उनको मंच पर लाए, क्यों लाए? भारतीय जनता पार्टी से उनका क्या सम्बन्ध है?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह भी रैली में आ सकते थे।

आचार्य भगवान देव : आपने उनको रिसीव किया। एक नागरिक पर आप आपत्ति उठाते हैं और उन विदेशी ताकतों के साथ सांठ-गांठ करके विदेशी एजेन्टों को अपनी रैली में बुलाते हैं। क्या भूल गए हम लोग कि आपकी पार्टी के उपाध्यक्ष रामजेठमलानी उस तानाशाह जनरल जिया के निमन्त्रण पर उसको मिलने के लिए गए, उसकी रोटियां खाकर आए जो जनरल जिया वहां चुनाव नहीं करा रहे हैं, जनता वहां की मांग कर रही है···(**व्यवधान**)···

एक मानमीय सदस्य : वहां भूखा रखना चाहिए था।

आचार्य भगवान देव : और यहां पर कहते हैं मुसीबत आ रही है, आफत आ रही है, डिक्टेटरशिप आ रही है···(**व्यवधान**)···

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : नरसिंह राव पाकिस्तान गए थे तो वहां भूखे रहे थे?

आचार्य भगवान देव : यह रैली आपको यहां करने दी गई और आपने अपने बयान में स्वीकार किया है कि रैली शांति पूर्वक हुई। तो आप कैसे कह रहे हैं कि रैली नहीं होने देते? रैली आपको करने दी गई। आपने वहां रैली की और अच्छी तरह से शांतिपूर्वक कर के आए, यह आपने अपने बयान में यहां स्वीकार किया है। फिर आप कैसे कह रहे हैं कि दमन किया जा रहा है? आप दुरंगी चाल चल रहे हैं। विदेशी नागरिकों की बात करते हैं और विदेश के जो बड़े-बड़े आका हैं उनसे आप सांठ-गांठ कर रहे हैं।

इस आन्दोलन में जो समाचार एजेन्सी घी का काम कर रही है वह है हिन्दुस्तान समाचार समिति। मैं सरकार से कहना चाहता हूं अमेरिका के अन्दर एक दीनदयाल उपाध्याय केन्द्र बनाया हुआ है जिस संगठन के मन्त्री श्री शेखर तिवारी हैं। वहां पर उसी संगठन के साथ हिन्दुस्तान समा-

चार समिति काम करती है जिसकी मदद हमारा वित्त मंत्रालय करता है। वित्त मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं, इसलिए मैं यह उनके सामने रखना चाहता हूं। वही व्यक्ति शेखर तिवारी उसका संचालक और मैनेजर है। वह एजेंसी जिसके यहां के मैनेजर आर० एस० एस० के ठोस वर्कर बालेश्वर अग्रवाल हैं, उस एजेंसी की सरकार जांच करे। असम आन्दोलन में घी का काम करने की सूचनाएं, विज्ञप्तियां उस संठन के द्वारा देकर के देश में अराजकता लाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं फिर सरकार से मांग करता हूं कि उसके बारे में वह जांच करे और पता लगाये कि इस ऐजेंसी के द्वारा क्या-क्या गतिविधियां चलायी जा रही हैं।

जब से भारत सरकार ने अपने हाथ में यह मामला लिया है और मकवाना जी की चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनी है और जबसे यह दो साल का मामला खड़ा हुआ है, हम यह देखते हैं कि सरकार ने पूरी कोशिश की है कि शांतिपूर्वक ढंग से समझा बुझा कर के इस समस्या का समाधान किया जाए। परन्तु ये विरोधी पार्टी के लोग और नेता वहां जाकर उनको भड़काने का काम करते हैं। जहाँ कमेटी बनाई गई है और कमेटी की तरफ से जब से यह जवाबदारी भारत सरकार ने अपने हाथ में ली है वहां शांति और सुरत्रा है, पैट्रोल, डीजल और रेलवे के काम में बहुत काफी प्रगति हुई है। आपने स्वीकार किया है कि 6 पुल बने हैं, ब्रह्मपुत्र पर दो बने हैं। तो बने तो हैं। आपने जिक्र किया और नन्दा जी के टाइप से उल्लेख किया। मैं आप से पूछना चाहता हूं कि जब आप विदेश मन्त्री थे तो ढाई साल के अन्दर आप ने कौन-सी घास काटी ?

आपकी सत्ता पलटने के बाद अब दूसरा वर्ष चल रहा है। उन ढाई सालों में यदि आपको अकल थी, बुद्धि थी तो वहां बार्डर पर आपने सुरक्षा का प्रबन्ध क्यों नहीं किया ? आपने उस समय विदेशी नागरिकों को क्यों नहीं निकाला ? उस वक्त क्या आपकी बुद्धि ताक पर रखी हुई थी ? उस समय तो आप यहां के मन्त्री नहीं रहे बल्कि विदेश मन्त्री बन कर आप विदेशों की सैर करते रहे आपको कुछ पता ही नहीं था और आज भी आपको अपने क्षेत्र का कुछ पता नहीं है, नयी दिल्ली के बारे में आप किसी को मुंह नहीं दिखाते क्योंकि आप तो असम में भागे फिरते हैं, वहां पर रैलियां कराने के लिए। यह आपकी दुरंगी चालें हैं।

आज आप विदेशी सत्ता से मिलकर तोड़-फोड़ के कार्य कर रहे हैं। अच्छा होता यदि, सरकार ने उस क्षेत्र को आर्थिक दृष्टि से उठाने के लिए जो योजना बनाई है, उसके सम्बन्ध में आप बातचीत करते। वहां के छात्र आन्दोलन कर रहे हैं, वे बहुत अच्छे हैं, चरित्रवान हैं लेकिन उनके चरित्र पर कौन शंका करता है ? शंका तो आपको है। सरकार ने आज तक किसी का वहां पर दमन नहीं किया है, हमेशा प्रेमपूर्वक सभी को बुलाकर बात-चीत की है। आज की जो बात-चीत का प्रयास हो रहा है उसमें संदेह आपको ही है, हमें कोई संदेह नहीं है सरकार ने इतने समय तक बार-बार बुलाकर शांतिपूर्वक बातचीत करने का अवसर दिया है।

मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि अब अन्तिम नोटिस दी जानी चाहिए। चन्द मुट्ठी भर लोग ही वहां पर आन्दोलन कर रहे हैं, वहां की जनता तो शांतिपूर्वक अपना कार्य कर रही है। अभी 10-12 दिन पहले डेफू का एक डेपूटेशन आया था। वे मिकिर हिल्स के हैं। वहां पर एक आश्रम

[आचार्य भगवान देव]

चल रहा है। मैंने भी वहां पर काम किया है। मैं दो बार बीच में वहां गया हूं। वहां पर अब जो स्थिति है वह पहले नहीं थी। अब फोड़ा फूट गया है, उसमें से मवाद भी निकल गया है, और अब उसकी थोड़ी सी और सफाई करने के लिए मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं। अब शांतिपूर्वक बातचीत करने के लिए अन्तिम चेतावनी सरकार को देनी चाहिए और यदि कुछ शक्तियां इस देश के अन्दर शांति नहीं चाहती है तो उसके साथ सरकारको कड़ाई से पेश आना चाहिए तथा जो लोग इसमें प्रोत्साहन देने वाले हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। वहां के नागरिकों के सम्बन्ध में बातें कही जाती हैं परन्तु जो लोग बड़ी-बड़ी शक्तियों से सांठ-गांठ करके इस देश में अराजकता लाना चाहते हैं ऐसे नेताओं की गतिविधियों पर वाच रखी जानी चाहिए और यह देखना चाहिए कि कौन से व्यक्ति वहां पर तोड़-फोड़ करना चाहते हैं।

इन शब्दों के साथ, सरकार की ओर से जो संकल्प यहां पेश किया गया है—मकवाना जी के द्वारा—उसका मैं समर्थन करता हूं और विरोधी पार्टियों के नेताओं से कहना चाहता हूं कि वे अपनी दुरंगी चालों को छोड़ दें और एकरंग हो जायें। धन्यवाद।

श्री रवीन्द्र वर्मा (बम्बई उत्तर) : सभापति महोदय, मैं अपने माननीय मित्र गृह राज्य मंत्री तथा उनके वरिष्ठ सहयोगी, श्री जैल सिंह द्वारा रखे गए संकल्पों का विरोध करता हूं। मैं श्री जैल सिंह की अनुपस्थिति का कारण नहीं जानता···

श्री योगेन्द्र मकवाना : नहीं मैंने संकल्प एक साथ पेश किये हैं,

श्री रवीन्द्र वर्मा : इसलिये मैंने कहा था।···द्वारा रखे गये ठीक है, मैं अपने कथन में सुधार कर लेता हूं, मेरे माननीय मित्र श्री मकवाना द्वारा रखे गये संकल्प।

महोदय, मैं इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए सदन का समय नहीं लेना चाहता कि मेरे माननीय मित्र सदन का सत्र शुरू होनेवाले दिन सरकार का आदेश सभापटल पर न रखने के लिये सरकार के सांविधिक उत्तरदायित्व को पूरा न करने के दोषी हैं। मैं इसे बहुत अधिक विलम्ब नहीं समझता। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि यह संसदीय मानदण्डों की उपेक्षा करना ही है, यह संसद के प्रति भावुक दृष्टिकोण है और आकस्मिक एवं अस्थायी बहुमत के आधार पर प्रयुक्त प्रतिरक्षा की भावना का स्पष्ट प्रदर्शन है। परन्तु मुख्य प्रश्न···(**व्यवधान**)

(**श्री लकप्पा खड़े हुये**)

श्री रवीन्द्र वर्मा : मेरे माननीय मित्र कभी-कभी सुनते हैं। परिवर्तन के लिये वह आज सुन रहें हैं। शायद वह यह बात सिद्ध कर सकते हैं कि वह सुन सकते हैं। (**व्यवधान**) मेरे प्रिय मित्र, क्या आप सुनना चाहेंगे ?

परन्तु मुख्य प्रश्न यह है कि क्या यह आदेश आवश्यक था। इस आदेश को जारी करने की क्या आवश्यकता थी ? क्या यह आदेश कोई अनन्य आदेश या अधिनियम है अथवा क्या यह लोक-

प्रिय आन्दोलन के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया का प्रतीक है ? मेरे माननीय मित्र, श्री अटल विहारी वाजपेयी ने कहा था कि यह लोक प्रिय आंदोलन के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया का प्रतीक है। मेरे माननीय मित्र श्री मकवाना ने कहा था कि इस आदेश को जारी करना आवश्यक था क्योंकि यह आशंका थी कि बंध से हो सकता है अनिवार्य सेवा जैसे बिजली का उत्पादन व सप्लाई भंग हो जायेगी। परंतु मैं उनसे पूछना चाहता हूंकि ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई कि अभियान का संचालन करने वाले नेताओं को आन्दोलन का मार्ग अपनाना पड़ा ? जैसाकि मेरे मित्र ने कहा कि कुछ महीनों से घाटी में शान्ति थी। अभियान का आंदोलनकारी पक्ष स्थगित कर दिया गया था। बातचीत चल रही थीं। बातचीत के 14 दौर चले। स्थिति को विस्फोटक क्यों होने दिया गया ? बातचीत की उचित प्रक्रिया तथा आम सहमति की आवश्यकता से क्यों मुख मोड़ा गया, और जल्दबाजी में आन्दोलनकारियों के साथ टकराव की स्थिति दोबारा क्यों पैदा होने दी गई ?

बातचीत का जिक्र करना आसान है। बातचीत के 14 दौर बहुत अधिक प्रतीत होते हैं। परन्तु बातचीत दो वर्ष से चल रही है। वे बातचीत को अनावश्यक रूप से बढ़ा रहे हैं। वे पश्चाताप की नीति अपना रहे हैं और जब उनके लिए अच्छा होता है। वे आन्दोलन को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। जब उनके लिए उचित हो आन्दोलन के नेताओं की नेकनीयती पर प्रश्न चिह्न लगाने का प्रयत्न करते हैं। फूट को बढ़ावा दिया जाता है तथा यह धारणा पैदा की जाती है। कि यह आन्दोलन देश के कुछ वर्गों के विरुद्ध है -वे भाषायी आधार पर हों या धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक हों दूसरे पक्ष से वचन लेने पर बल दिया जाता है, मांगों को चतुराई से टाल दिया जाता है, बातचीत का स्तर घटा दिया गया है, इसे नीचे कर दिया गया है। प्रधान मन्त्री से शुरू करके, यह गृह मन्त्री के पास गया तब इस कार्य को सरकारी अधिकारियों को दिया गया तथा मंत्रालय के खुशामदी व्यक्तियों पर इस राजनैतिक तथा राष्ट्रीय समस्या पर बातचीत करने की जिम्मेदारी सौंप दी गई जिसके परिणामस्वरूप उत्तर-पूर्व के सामरिक महत्व के क्षेत्रों में यह नाजुक स्थिति उत्पन्न हुई।

जब बातचीत के 14 दौर हो जाने के पश्चात् भी कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आये तो उस राज्य में कुछ तत्वों ने बातचीत की प्रक्रिया के संबंध में कटुता का वातावरण उत्पन्न कर दिया कि बातचीत द्वारा कोई हल नहीं निकाला जा सकता। सरकार समस्या का कोई समाधान निकालने का प्रयास न करके आन्दोलनकारियों के प्रतिनिधियों को युक्ति से परास्त करना चाहती है। इसलिए अतिवादी तत्वों ने, जिनका कहीं भी कोई अभाव नहीं है, चाहे वह पंजाब हो या असम या कोई अन्य स्थान, बातचीत के तरीके के बारे में लोगों के मस्तिष्क में शंकाये उत्पन्न करना शुरू कर दिया। ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर सरकार की जिम्मेदारी क्या है ? सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह यह सुनिश्चित करे कि शान्ति में विश्वास रखने वाले व्यक्तियों को सहारा दिया जाये और कि शान्तिपूर्ण तरीकों व बातचीत की क्षमता में विश्वास की जड़ न खोदी जाये। अत: विद्यार्थी रैली करना चाहते थे। मैं रैली के विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि श्री वाजपेयी बड़े भावपूर्ण व प्रभावी ढंग से इसका उल्लेख कर चुके हैं। यह कोई अवज्ञापूर्ण कार्य नहीं था। आन्दोलन के नेताओं ने

[श्री रवीन्द्र वर्मा]

गृह सचिव से यह आश्वासन देने के लिए कहा था कि रैली आयोजित करने की अनुमति दे दी जायेगी। गृह सचिव ने मुख्य सचिव, असम को कहा और मुख्य सचिव ने आन्दोलन कर्त्ताओं को यह आश्वासन दे दिया कि अनुमति दे दी जायेगी। 7 नवम्बर को दोबारा जब विद्यार्थी नेता श्री महन्त उपायुक्त से मिले तो उन्हें बताया गया कि अनुमति दे दी जायेगी। तत्पश्चात्, बारपेटा से एक तार आया कि ए० ए० एन० एस० यू० उसी दिन उसी स्थान पर सभा करना चाहती है। क्या सरकार को पहले से इस बात का पता नहीं था? सरकार ने अनुमति पहले क्यों नहीं दी? क्या सरकार को यह आशंका थी कि यदि उन्होंने ए० ए० एन० एस० यू० को अनुमति नहीं दी तो वे निषेध आज्ञा को भंग करेंगे और 'जजीज फील्ड' में दंगे की स्थिति पैदा कर देंगे? परन्तु उस क्षेत्र को सी० आर० पी० और बी० एस० पी० का जमघट बना दिया गया, जैसा कि मेरे माननीय मित्र ने कहा। मुझे वह सब कुछ बताने की आवश्यकता नहीं जो मेरे माननीय मित्र कह चुके हैं परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि 10 नवम्बर से सरकार ने अपनी नीति बदल दी थी। यह नीति थी लोगों को आतंकित करने की। सरकार ने इस प्रकार कार्यवाही करनी आरम्भ कर दी कि जैसे इस प्रकार की नाजुक परिस्थितियों से निबटने का एकमात्र तरीका शक्ति का प्रयोग ही हो।

अत: 10 नवम्बर से एक नई नीति अपनाई गई। हमने सुना है कि माओ-से-तुंग ने कहा था कि सत्ता बंदूक की नाल से प्राप्त होती है। इस सरकार के पास सत्ता तो है ही, इसलिए यह प्रतीत होता है कि सरकार सदाशयता प्रदर्शित करना चाहती है और विश्वास बंदूक की नाल से निकलता है। आन्दोलन पुन: शुरू करने की धमकी का सामना करने के लिए, असम पुलिस और पैरा सैनिक बलों का एक व्यापक गढ़ बन गया। 18 नवम्बर को सी० आर० पी० की 6 अतिरिक्त बटालियन असम भेजी गई यह सब एक शक्ति प्रदर्शन था जिससे आतंक का वातावरण पैदा हो गया, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम तथा दूसरे कानूनों के अन्तर्गत लोगों का गिरफ्तार करने 'प्रेस को डराने' लोगों को डराने, राज्य भर में धारा144 लगाने तथा लाठी चार्ज करने और गोली चलाने की पुलिस को खुली छूट थी। भोले-भाले पैदल यात्री, नागरिकों, जो अपने घर में थे, पर बुरी तरह से लाठी चार्ज किया गया। ऐसे भी मामले सामने आये जब 95 वर्षीय वृद्धा पर उसके घर में लाठी बरसाई गई। लखीमपुर में 80 वर्षीय सेवा निवृत प्रचार अधिकारी को उसके घर में पीटा गया। घर में घुसकर शान्त नागरिकों पर हमला किया गया, मकान बनाते मिस्त्री और खेतों में फसल काटते कृषि कामगारों पर हमला किया गया—मैं दमन चक्र का ब्यौरा देने के लिए सदन का समय नहीं लूंगा। मैं इस तथ्य पर आना चाहता हूं कि दमन का परिणाम उलटा ही हुआ।

अब मैं अनुच्छेद 356 के बारे में मेरे माननीय मित्र द्वारा पेश एक संकल्प की ओर आता हूं। ऐसा प्रतीत होता है कि सत्तारूढ़ दल अनुच्छेद 356 को दल-बदल कराने या पार्टी के अन्दरूनी

झगड़ों को सुलझाने के लिये एक अनमोल उपाय के रूप में देखता हूं, राज्यपाल की अस्थिर अन्तः चेतना से लाभ उठाने की कला में वे पारंगत हो चुके हैं।

श्री योगेन्द्र मकवाना : अलंकृत भाषा !

श्री रवीन्द्र वर्मा : मेरे विचार में आपसे अधिक नहीं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इस बात को छोड़िए।

श्री रवीन्द्र वर्मा : या मुझे कहना चाहिए था कि राज्यपाल की अस्थिर अन्तः चेतना से अभिप्रेरित होने व लाभ उठाने। जहां तक मंत्रिमंडल बनाने के बारे में राज्यपाल के दृष्टिकोण का संबंध है सरकार ने दोहरे मानक अपना रखे हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् असम के अलावा देश के किसी भी अन्य भाग में दोहरे मानक होने की इतनी स्पष्ट, बेल्चिक और घोर अपमानजनक घटना नहीं हुई। ठीक एक वर्ष पूर्व, राष्ट्रपति की उद्घोषणा की अवधि समाप्त होने की पूर्व संध्या पर, राज्यपाल ने श्रीमती सैयद अनवरा तैमूर को सरकार गठित करने के लिये आमंत्रित किया। विपक्षी नेतागण को श्रीमती तैमूर के शपथ ग्रहण करने के कुछ ही क्षण पूर्व तक इस बात की जानकारी नहीं थी। उन्हें बहुमत सिद्ध करने को भी नहीं कहा गया। उन्हें अपने समर्थकों की सूची पेश करने को भी नहीं कहा गया। उन्हें राज्यपाल को इस बात से संतुष्ट करने के लिए भी नहीं कहा गया कि उनके दल को सदन में बहुमत प्राप्त है और न ही उनसे ऐसे अन्य दलों से समर्थन के पत्र प्रस्तुत करने को भी कहा गया जिनसे उन्हें समर्थन मिलने की आशा थी। उन्हें किसी निर्धारित समय में सदन में अपना बहुमत सिद्ध करने को भी नहीं कहा गया था। वह विधान सभा का सामना किए बिना, अपना बहुमत सिद्ध किये बिना खुशी से मुख्यमंत्री बनी रहीं। जब तक कि संविधान के अनुसार बाध्य होकर और विधान सभा द्वारा बजट पास करने की आवश्यकता ने उसे विधान सभा की बैठक बुलाने को बाध्य न कर दिया।

और विधान सभा की उस बैठक में क्या हुआ ? वह अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पायीं। वह विधान सभा में विनियोग विधेयक पास नहीं करा सकीं। वह विधान सभा से राज्यपाल के लिए धन्यवाद प्रस्ताव को पास नहीं करा सकीं। उन्हें सत्र का अवसान करना पड़ा। मंत्रिमंडल बर्खास्त करने की बजाय, क्योंकि इसे विधान सभा का समर्थन प्राप्त नहीं था, राज्यपाल इस मंत्रिमंडल जिसने बारम्बार अवसर मिलने पर भी अपना बहुमत सिद्ध नहीं किया और इसमें बजाय एक अध्यादेश निकाल दिया जिससे उन्हें राज्य की संचित निधि से व्यय करने का अधिकार प्राप्त हो गया की सलाह पर विधान सभा का सत्रावसान करने की संवैधानिक भद्दी भूल कर बैठे। इस दल के पास कभी भी 44 से अधिक सदस्य नहीं थे। चुनाव के तत्काल बाद इसके सदस्यों की संख्या 8 थी परन्तु दल बदल द्वारा इसकी संख्या बढ़कर 44 तक पहुंच गई थी। परन्तु कभी भी इसे बहुमत प्राप्त नहीं हो सका।

[श्री रवीन्द्र वर्मा]

अतः जब सरकार ने काम करना शुरू किया तब इसका बहुतमत नहीं था और जब यह अपदस्थ हुई तब भी इसका बहुमत नहीं था। पूरी अवधि तक सरकार अल्पमत में ही रही। आज क्या स्थिति है? इस नाजुक स्थिति में जो केन्द्र का शासन है उससे राज्य में पृथक्करण का माहौल रहा है। प्रतिपक्ष को सरकार बनाने का अवसर दिया जाना चाहिए था। विरोधी दल राज्य मे एक लोकप्रिय सरकार फिर से स्थापित करने के लिए उत्सुक थे। मैं समझता हूं कि कांग्रेस (आई) भी लोकप्रिय सरकार फिर से बनाने के लिए उत्सुक है। परन्तु लोकप्रिय सरकार से उनका अभिप्राय कांग्रेस (आई) की सरकार से है। अतःएव विरोधी दलों ने संयुक्त मोर्चा बनाया था। उन्होंने सर्वमान्य नेता चुना। उन्होंने एक सर्वमान्य कार्यक्रम अपनाया और अपने दावे को राज्यपाल को प्रस्तुत किया। उनको 62 सदस्यों का समर्थन प्राप्त था। यह अस्थायी संयुक्त मोर्चा नहीं था। यह अवसरवादी संयुक्त मोर्चा नहीं था बल्कि इन्होंने एक 12 सूत्रीय कार्यक्रम स्वीकार किया था। और उससे सभी दल सहमत थे और एक सर्वमान्य नेता चुना गया था राज्यपाल ने इन दलों को सरकार बनाने का अवसर नहीं दिया। और राज्यपाल ने इस प्रकार के प्रश्न उठाये कि मंत्रिमण्डल में कौन-कौन शामिल होंगे। क्या यह राज्यपाल का विशेषाधिकार है कि वे यह निर्णय करे कि मंत्रिमण्डल में कौन-कौन लोग शामिल होने चाहिए? राज्यपाल को उन्हें सदन में अपना बहुमत सिद्ध करने का अवसर देना चाहिए था। क्या ऐसा पहले कभी हुआ है? संसद में, श्रीमती गांधी की सरकार भी जो कि अल्पमत की सरकार थी। मुझे संख्या याद नहीं आ रही कि 200 कुछ थी। उस दल ने जो कि एक अल्पमत दल था, ने इस देश में कई महीने सरकार चलाई। क्या भारत के राष्ट्रपति ने श्रीमती गांधी से डी० एम० के० और कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थन का पत्र प्रस्तुत करने को कहा था? क्या माननीय राष्ट्रपति ने यह कहा कि जब तक इन दलों के सदस्यों या प्रतिनिधियों को मन्त्रिमण्डल में शामिल नहीं किया जायेगा, वे उसे सरकार नहीं चलाने देंगे? केरल में, पी० एस० सी० की सरकार थी जिसके 19 सदस्य थे और सदन में 115 से अधिक या 120 थे और वह सरकार 15 मास से अधिक समय तक चली। इसलिए, राज्यपाल के लिए स्वयं यह विशेषाधिकार लेना या अधिकार के लिए दावा करना कि प्रत्येक दल को शामिल होना चाहिए और अनवरा तैमूर सरकार के सम्बन्ध में दिखाये गये पक्षपाती रवैये से, मेरे माननीय मित्र जो सामने बैठे हैं, उनकी राजनैतिक दर्शन में ही यह बात समझी जा सकती है। राज्यपाल को विरोधी दलों के संयुक्त मोर्चे को भी अवसर देना चाहिए।

मैं तैमूर सरकार द्वारा पैदा की गई अव्यवस्था के बारे में नहीं बोलूंगा क्योंकि आप उत्सुक हैं कि मैं अपना वक्तव्य जल्दी समाप्त करूं। मेरा विचार है, मेरे मित्र श्री वाजपेयी ने इसका कुछ जिक्र किया था परन्तु मैं बातचीत के प्रश्न पर वापिस आऊंगा क्योंकि यह समस्या बातचीत के माध्यम के बिना हल नहीं की जा सकती। यह दमनकारी तरीके से हल नही की जा सकती। इस प्रकार की समस्या का हल कड़ी आलोचना करना नहीं है। परन्तु आप इसका हल कभी भी नहीं निकाल सकते यदि आप ईमानदारों पर शक करेंगे और आन्दोलन के उद्देश्य को बदनाम करेंगे।

मैं अपने माननीय मित्र, श्री वाजपेयी जी से पूर्णतया सहमत हूं कि इस आन्दोलन में उलझा हुआ मामला एक राष्ट्रीय मामला है। इस मामले का किसी धर्म, भाषा या अलगाव से कोई सम्बन्ध नहीं है। खालिस्तानी लोग पृथकता की बात करते हैं परन्तु इस आन्दोलन के नेताओं ने कभी पृथकता की बात नहीं की। अतः इस आन्दोलन को पृथकतावादी आन्दोलन का नाम देना उपहासास्पद है, यह सच नहीं है। इसमें पृथकतावादी तत्त्व हो सकते हैं जो हमेशा घुस आते हैं और ऐसी परिस्थितियों का लाभ उठाना चाहते हैं। परन्तु जो आन्दोलन आज चल रहा है, जिस आन्दोलन ने बार-बार यह दिखाया है कि इस आंदोलन को उस क्षेत्र के लोगों का समर्थन प्राप्त है, वह आंदोलन पृथकता के लिए नहीं है, वह ऐसा आंदोलन भी नहीं है जो किसी धार्मिक अल्पसंख्यक या भाषायी अल्पसंख्यक के खिलाफ हो। यह एक ऐसा मसला है जो किसी नागरिक के दर्जे से सम्बन्धित है कि वह व्यक्ति देश का नागरिक है या विदेशी है। इस बात से कि कोई विदेशी भी वही भाषा बोल सकता है जो सीमा के इस ओर बोली जाती है या धर्म का अनुयायी हो सकता है, जो इस देश में प्रचलित है इससे उसके विदेशी होने की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः, प्रश्न किसी विदेशी के दर्जे और उसके अधिकारों का है।

मैं इस संबंध में बातचीत के विस्तृत ब्यौरे में जाना नहीं चाहता क्योंकि मैं जानता हूं कि ये नाजुक मसले हैं और मैं इन मसलों का पूर्व-निष्कर्ष नहीं निकालना चाहता। परन्तु इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि ये मामले राष्ट्रीय महत्त्व के मामले हैं और उन्हें इस आंदोलन को बदनाम करके नहीं सुलझाया जा सकता। एक मसला विदेशी नागरिकों के अधिकारों का है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि किसी नागरिक या विदेशी की हैसियत के बारे में निर्णय भावुकता के आधार पर नहीं लिया जा सकता है कोई व्यक्ति विदेशी है या देश का नागरिक है इस बात का निर्णय भावुकता की कसौटी पर नहीं किया जा सकता। इस कानून की कसौटी के आधार पर सुलझाया जाना चाहिए। आप इसे भलीभांति जानते हैं कि जब भी किसी नागरिक की हैसियत की परिभाषा का प्रश्न आता है तो आपको कानूनी परिभाषाओं का सहारा लेना पड़ता है। इन कानूनी परिभाषाओं को संविधान और नागरिकता अधिनियम में समाविष्ट किया गया है। अतः, कोई व्यक्ति संविधान और नागरिकता अधिनियम पर यह लांछन लगाये और यह कहे कि यह असंगत है रेगिस्तान में शतुर-मुर्ग का उदाहरण देने की भाँति है और इस बात से इनकार करना है कि बाहर तूफान आया हुआ है।

प्रश्न मानवीय दृष्टिकोण से सम्बन्धित है। मैं इस बात से इन्कार नहीं करता कि मानवता का दृष्टिकोण काफी महत्वपूर्ण है परन्तु इस समस्या के अन्य पहलू भी हैं जो विदेशियों का पता लगाने, उनका नाम मतदाता सूचियों से निकालने या मताधिकार से वंचित करने, उन्हें अन्य स्थानों को

[श्री रवीन्द्र वर्मा]

अलग-अलग भेजने और देश से निष्कासित करने के बारे में है। मैं किसी आधार तिथि के बारे में नहीं कहूंगा क्योंकि इस मामले पर अभी बातचीत चल रहीं है, परन्तु मैं यह कहना चहूंगा कि जहां तक विदेशियों का पता लगाने और मताधिकार से वंचित करने का प्रश्न है, इसे मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर हल करना चाहिए। मानवीय दृष्टिकोण उन व्यक्तियों के मामले में अपनाना पड़ेगा जिन्हें न्यायाधिकरण अथवा अन्य तंत्र विदेशी करार देता है। हमें उन्हें वहां से हटाते समय अथवा अन्य राज्यों को भेजते समय या निष्कासित करते समय भी मानवीय दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा परन्तु नागरिकता की परिभाषा का आधार मानवीय दृष्टिकोण नहीं हो सकता।

इसलिए, मेरा सुझाव हैं कि आज इस पर बल दिया जाना चाहिए कि आम राय बातचीत के माध्यम से ही हो। अतएव, मैं जैसाकि मेरे माननीय मित्र ने किया है, त्रिपक्षीय बातचीत करने के निर्णय का स्वागत करता हूं। द्विपक्षीय बातचीत बहुत समय से चल रही है। हमें इस सरकार के श्वेत पत्र का भी कोई लाभ नहीं मिला। सरकार से श्वेत-पत्र प्रकाशित करने के लिए मांगें की गई हैं॥ आखिरकार, यह बातचीत विदेशी शक्तियों के साथ की जाने वाली गुप्त बातचीतें नहीं हैं। इस देश के लोगों को यह जानने का अधिकार है कि आप क्या बातचीत कर रहे हैं, इस देश के लोगों को अपनी राय बताने का हक है कि क्या आप ये महत्वपूर्ण मांगें मान रहे हैं दुराग्रही कौन है आप दुराग्रही हैं या वे लोग दुराग्रही हैं, आपने श्वेत-पत्र प्रकाशित नहीं किया, आपने लोगों को भी विश्वास में नहीं लिया और आपने विपक्ष को भी विश्वास में नहीं लिया। इसलिए, त्रिपक्षीय बातचीत करने का प्रस्ताव इस दिशा में अच्छा है। अतः, मैं असम में आन्दोलन के नेताओं से यह अपील करूंगा कि वे इस निमन्त्रण को स्वीकार करें और त्रिपक्षीय बातचीत में शामिल हो। दो दिन पहले ही मुझे उनसे बातचीत करने का मौका मिला। मैं इस विश्वास से वापिस आया हूं कि उनका रुख भी नकारात्मक होगा। राष्ट्र के प्रति उनका भी कर्तव्य है कि वे भी अपनी सही प्रतिक्रिया दें। मैं आशा करता हूं कि सरकार अवश्य ऐसा माहोल बनायेगी जो इस बातचीत की सफलता के लिए जरूरी है। आप टकराव और दमनकारी नीति अपनाकर समझौता और सर्वसम्मति की आशा नहीं कर सकते। इसलिए, मैं भी अपने मित्र के साथ यह मांग करूंगा कि सरकार दमनकारी नीति को त्याग कर बातचीत के माध्यम के लिए आवश्यक वातावरण बनायेगी।

मेरे माननीय मित्र श्री मकवाना इस दमनकारी आदेश को हटा लेंगे और वे विश्वास, सद्-भावना, शान्ति का वातावरण बनायेंगे न कि शान्तिपूर्ण बातचीत के मार्ग में विक्षोभ, असन्तोष, संदेह, अलगाव, छिद्रान्वेषण का वातावरण बनायेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं सरकार से एक बार फिर अपील करूंगा कि वह इस विचार को त्याग दे कि यह नाजुक समस्या लम्बे समय तक संघर्ष चलाने से, चालाकी अथवा दमनकारी तरीकों से हल की जा सकती है,। सरकार देश को इस बात का सबूत दे कि वह इस विकट और नाजुक समस्या को हल करने के लिए उत्सुक है। मुझे उम्मीद है कि वे इस अवसर के अनुकूल काम करेंगे।

श्री कृष्ण सुल्तानपुरी (शिमला) : मैं असम विनियोग बिल का समर्थन करती हूं। हर देशभक्त भारतीय यही चाहता है कि असम में अपना काम हो। हमारी पार्टी खास तौर पर यही चाहती है कि इस प्रदेश में अमन और शान्ति रहे। इस लिहाज से वह प्रदेश बहुत पिछड़ गया था। उस प्रदेश का यह इतिहास रहा है कि जब भी वहां चुनाव हुए कभी कोई गड़बड़ी नहीं हुई। लेकिन 1977 में जो सरकार वहां पर भी बनी उस सरकार में कुछ इस तरह के तत्व शामिल हो गए कि उस प्रदेश में ही नहीं बल्कि सारे देश में झगड़े शुरू हो गए। असम भी पीछे नहीं रहा। वहां भी उस समय बड़े भारी झगड़े बढ़े। आज वे आहिस्ता-आहिस्ता समाप्त हो रहे हैं। ला एंड आर्डर की स्थिति जो खराब हो गई थी अब ठीक हो रही है। मजदूरों, गरीबों और माईनोरिटीज को बहुत पीसा जा रहा था। उन्हें अब राहत मिली है। वे महसूस कर रहे कि श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार, कांग्रेस आई की सरकार ही वहां पर अमन कायम रख सकती है।

माननीय सदस्य ने अभी कहा कि वहां के विद्यार्थियों को, नौजवानों को बधाई दी जानी चाहिए। मैं समझता हूं कि देश के वे नौजवान और विद्यार्थी बधाई के पात्र हैं जो देश के हित के लिए सोचते है। अगर असम में भी इस तरह के लोग हैं जो इस देश की एकता के लिए काम करते हैं तो वे बधाई के पात्र हैं। लेकिन जो वहां के लोगों को एक्सप्लायट करते हैं, जो देश की आर्थिक हालत को कमजोर करते हैं, वे बधाई के पात्र नहीं हो सकते हैं और न ही ऐसे लोगों की पार्टियां ही बधाई की पात्र हो सकती है।

वाजपेयी जी ने कहा कि वहां पर गर्दन पासपोर्ट चलता है। गर्दन पासपोर्ट पकड़ कर मार दिया जाता है। गर्दन पास्पोर्ट जो दूसरी पार्टियों की सरकार थी वही जारी करती होगी लेकिन जब से यह सरकार आई है इस सरकार ने विदेशी जो बड़ी तदाद में आ रहे थे उनके आने पर रोक लगाई है। मैं कहता हूं कि हमारी सरकार जब तक है तब तक कोई गड़बड़ी हम नहीं होने देंगे। असम में जो उद्योग लगे हुये हैं उनको कलकत्ते से आए हुए लोगों ने लगाया हुआ है। जो पहाड़ी लोग होते हैं वे बड़े अमन पसन्द होते हैं, असम, मिजोरम, नागालैंड के जितने पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं—सब अमन पसन्द हैं। वे कभी झगड़ा नहीं करते। उनके पास साधन भी नहीं होते है। प्लेज से जो बड़े बड़े लोग असम में गए उन्होंने असम के लोगों को नौकरियां नहीं दीं। एक तो इससे गड़बड़ी पैदा हुई। दूसरे सारा बिजनेस कलकत्ता वालो के हाथ में चला गया। वे पहाड़ी लोगों का शोषण करते रहे हैं।

यही बात है। चाहे नागालैंड हो, उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र हों, हिमाचल प्रदेश हो, काश्मीर हो, जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं इनमें जो भी बड़े-बड़े आदमी, उद्योग लगाते हैं वह स्थानीय लोगो की अपेक्षा, करके अपने ही आदमी रखते हैं जिससे लोगों में असतोष फैलता है। यही बात असम के बारे में भी है। वहां के मजदूर को असम में काम नहीं मिलता, और बंगाल में

[श्री कृष्ण सुल्तान पुरी]

अगर नौकरी के लिए जाए तो आप को पता है किस किस्म की सरकार है। असम सघर्ष समिति बनी है, जिन लोगों ने वहां कारखाने लगा रखें हैं वही यह गड़बड़ी कराते हैं। माननीय वाजपेयी जी ने कहा कि जब वह विदेश मन्त्री थे तो गर्दनिया पासपोर्ट बनता था। मैं पूछना चाहता हूं कि उन्होंने उन पर रोक क्यों नहीं लगायी ? वह हमारी सरकार पर आरोप लगाते हैं, लेकिन हमारी सरकार तो समझोता करना चाहती हैं और 14 बार आन्दोलनकारियों की वार्ता के लिए बुलाया और अब: प्रधान मन्त्री ने विरोधी दलों को भी बुलाया है। एक सदस्य ने कहा नेशनल सेक्योरिटी ऐक्ट जो पास हुआ है वह मजदूरों पर लागू होना चाहिए। दूसरे सदस्य ने कहा कि यह ठीक नहीं है, आप सख्ती से उस मूवमेंट को दबाना चाहते हैं। अब अगर सख्ती नहीं बरती जाएगी तो कैसे वहां अमन कायम होगी ? असम की समस्या सारे देश की समस्या है। अगर असम में किसी की मौत होती है तो उससे सारा देश परेशान होता है। हमको पार्टी दृष्टि कोण से नहीं बल्कि इन्सानियत से काम करना चाहिए। यह सरकार हमेशा वहां पर जम्हूरी तौर पर काम करती है। कहा गया कि अनवरा तैमूर की सरकार को बहुमत प्राप्त नहीं था। हमारी पार्टी की सरकार ने बहुमत गिरते ही रिजाईन कर दिया। लेकिन आपकी सरकार तो बगैरह वोट के भी चलती रही। इसलिए असम का जो मसला है वह सारे देश का मसला है और इसको हल करने के लिए सारे अपोजीशन को सोचना है कि देश कहीं विभाजित न हो जाय इन बातों को समझ कर इस देश की उन्नति के लिए हमें रात को काम करना चाहिए।

श्री नगनगोम मोहेन्द्रा (आन्तरिक मणिपुर) : महोदय, असम और उसके साथ लगे राज्यों के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। मैं उसका खुलासा करने के लिए अधिक समय नहीं लूंगा। जहां तक श्री मकवाना जी के वक्तव्य का प्रश्न है, मेरा यह सुझाव है कि ऐसा वक्तव्य देने का शायद यह समय नहीं है क्योंकि अभी इन संगठनों अथवा संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत चल रही है अथवा किसी समझौते पर पहुंचा जा रहा है। श्री मकवाना जी ने संकल्प प्रस्तुत करते समय अपने भाषण में इसका जिक्र भी किया था। अब, क्या यह ना समझी नहीं होगी कि उन लोगों से टकराव पैदा की जाए जबकि बातचीत के आधार पर समझोता होने वाला हो या समय समय पर समझोता करने का प्रयास किया जा रहा हो।

जहां तक सम्पूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र का प्रश्न है, मुझे प्रसन्नता है कि हमारे कुछ सभी महोदय उस क्षेत्र में जाने के लिए समय निकालते हैं और कम से कम उस समग्र क्षेत्र की गतिविधियों के बारे में चर्चा तो करते हैं। परन्तु हमें, आज तक पता नहीं लगा कि उन चर्चाओं का परिणाम क्या निकलेगा। फिर भी, उन्होंने कुछ निर्णय किए हैं और यह अच्छा भी है। तो भी, इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में, विधान सभाओं में कोई भी राजनीतिक दल दुबारा बहुमत से नहीं आया।

यह एक फैशन सा बन गया है। किसी भी दल के विरुद्ध आक्षेप करना अच्छा नहीं है।

इस क्षेत्र के लोगों ने किसी भी दल को बहुमत नहीं दिलाया। उदाहरणस्वरूप, असम में भी ऐसा ही है, और मेरे राज्य मणिपुर के बारे में भी बहुत कुछ कहा गया है। कांग्रेस (आई) के 11 या 13 विधायकों से ही वे 39 विधायकों का बहुमत बनाकर सत्ता में आने में समर्थ हो गए हैं। इस बात को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि काफी लम्बे समय से इस क्षेत्र, मिजोरम, मणिपुर और कुछ राज्य में तथा अब असम में भी कुछ व्यक्तियों का प्रभाव बनाया जा रहा है। इस प्रकार के उलट-पुलट और जोड़-तोड़ के काम को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। यह काफी हो चुका है। यहां तक कि उद्घोषणा की अवधि को बढ़ाने वाले, संकल्प का भी गलत अर्थ निकाला जा रहा है कि उन्हें अभी तक वहां की सरकार का नेतृत्व करने के लिए कोई नेता नहीं मिला है।

जो भी हो, वहां के लोग जो कुछ चाहते हैं, न केवल चाहते हैं, न केवल असम के लोग बल्कि सारे पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोग ऐसा चाहते हैं। यदि मैंने ठीक सुना है; उस क्षेत्र का भी जिक्र किया गया था और विद्रोह आदि का भी आरोप लगाया गया है। इस सम्बन्ध में, मैं सरकार को यह बताना चाहूंगा कि असम के सभी लोग या इस बात के लिए साथ के अन्य संघ राज्य क्षेत्रों या राज्यों के लोग विद्रोही नहीं हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि वहां के सभी लोग विद्रोह या पृथकता या आप इसे जो भी नाम दें, उसका समर्थन करते हैं। अतः सरकार का यह वृद्ध कर्त्तव्य है कि वह इस बात का पता लगाए कि कौन विद्रोही है, पृथकतावादी कौन है आदि। विदेशों का पता लगाने का प्रयास कठिन नहीं है। समय आने पर उनका पता चल जाएगा। परन्तु सरकार को इस बात का अवश्य पता लगाना चाहिए कि ये पृथकतावादी तत्व कौन हैं और वे कौन से दल है जो इन पृथकतावादी तत्वों का समर्थन करते हैं।

इस क्षेत्र में एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि अलगाववादी विचार धारा के सभी राजनैतिक दलों, जिसमें सत्तारूढ़ दल भी शामिल हैं की अप्रासंगिता के बारे में खुले-आम चर्चा करते हैं। अतः हमें समस्या के मूल में जीना होगा। समस्या पर लीपापोती करना अच्छा नहीं होगा। यही सब मैं सकल्प के विषय में कहना चाहता हूं।

असम को नील पर्वत और लाल नदियों का प्रदेश, मणिपुर को भारत का हीरा और मेघालय को भारत के पूर्व का कश्मीर कहकर फुसलाने वाली अनेक बातें कही गयीं हैं। यह चाल बहुत समय तक चलती रही, अब नहीं चलेगी। अब समय आ गया है कि वे सब समझने लगे हैं। 30 वर्ष की अवधि के पश्चात भी समस्या के कोई चिन्ह नजर नहीं आ रहे।

उस दिन मुझे उद्योग मन्त्रालय द्वारा आयोजित उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लघु उद्योग बोर्ड की स्थायी समिति की बैठक में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ।

हर किसी को राज सहायता चाहिए थी; अपने क्षेत्र में यायायात की अड़चनों के तर्क के आधार पर सभी को कुछ न कुछ अनुदान की आवश्यकता थी। इस विषय में पहले किसी ने नहीं सोचा। बैठक में कुछ सांसदों ने यहां तक कहा कि जब कभी बिहार तथा उत्तर प्रदेश से कोई

[श्री नगनगोम मोहेन्द्रा]

व्यक्ति रेल मन्त्री बनता है तो वहां कुछ न कुछ रेल विस्तार होता है। इसी तरह हरेक ने उप मन्त्री श्री संगमा पर जोर डाला कि उनके समय में भी किसी न किसी प्रकार के उद्योग स्थापित किये जाएं। यह अब सामान्य बात हो गई हैं। ध्यान दीजिए, यह किसी विरोधी दल के सदस्य द्वारा नहीं कहा गया, वरन् यह सब सत्तारूढ़ दल के सदस्यों द्वारा ही कहा गया। फिर, फिर वहां जन संख्या की समस्या है। जनसंख्या में निरन्तर वृद्धि का प्रश्न है। मेरे राज्य में जहां केवल 5 से 6 लाख की आबादी थी अब वहां 14 लाख व्यक्ति हैं। वे सब कहां से आए ? क्या सरकार के पास इस समस्या को सुलझाने के लिए कोई स्पष्ट दृष्टिकोण है ?

वह विवादास्पद विषय है। आप इस सिद्धान्त कहें या राजनीति लेकिन लेकर समस्त प्रदेश तक व्यक्ति अपने अस्तित्व की खोज में है। वे यह महसूस करते हैं कि उनकी कोई पहचान नहीं हैं, वे समझते हैं कि उनका ध्यान किसी को नहीं है, वे यह समझते हैं कि अन्य राज्यों के लोग उन्हें नहीं जानते, विशेषकर सिन्धु गंगा के मैदानी प्रदेशों के लोग, जो उनके अनुसार, यह समझते हैं कि विंध्य के पार राज्यों को छोड़कर बिहार उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश ही सारा भारत है। यही वह समय है जब सरकारी एजेंसियां उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लोगों के दिल में यह बात बिठा सकती है कि वे भी भारतवासी है दूसरे लोगों के बंधु बांधव हैं।

रोजगार के विषय में, दूसरी ओर के मित्रों ने कहा है। आसाम में, केन्द्रीय सरकारी संस्थाओं में आसामी तथा अन्य लोग भी यह समझते हैं कि वे विदेशी हैं। हमें ठीक बरौनी तेलशोधक कारखाने के दिनों तक जाना होगा। हमारे कुछ मित्रों ने कहा है कि असम में तेल का उत्पादन होता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है क्योंकि मैं देश के उस भाग का हूं। लेकिन जब तेलशोधक कारखाने की स्थापना का प्रश्न आया, तब असम को क्यों नहीं चुना गया जबकि वहां एक जबरदस्त आन्दोलन चल रहा था? यही तेल रसायन उद्योगों के विषय में भी है। एक कहावत है, जहां तक मुझे ठीक से याद एक वयोवृद्ध राजनीतिज्ञ और मन्त्री ने एक समय इसे कहा था।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

वयोवृद्ध नेता ने सरकार की तुलना एक शेरनी से की थी जो अपने बच्चों को अपने दांतों से बिना किसी चोट के उठाती है और अपने असम को कई बार उठाया है परन्तु हर समय जब भी अपने असम को उठाया, आपने उसे चोट पहुंचाई और उसे लहुलुहान कर दिया; केवल असम ही नहीं मणिपुर भी लहुलुहान है; सारा क्षेत्र खून से रंगा है। इसलिए अब यह देखना है कि आप किस प्रकार उनकी आहत् भावनाओं को सहलाते हैं। पिछले बजट सत्र की बहस के दौरान वित्त मन्त्री जी ने कहा था कि इस क्षेत्र के विकास के लिए धन दिया जा रहा है। लेकिन क्या अब तक कोई अनुवर्ती कार्रवाई की गई जिससे यह मालूम हो सके कि वहां इस धन को किस प्रकार खर्च किया जा रहा है, क्या वह वहां के लोगों के लाभ के लिए उचित प्रकार से ऋण खर्च किया

जा रहा है ? इसकी जांच के लिए वहां कोई समिति नहीं है । आय केवल अपने नौकरशाह व्यक्तियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सहज । सूचना से ही सन्तुष्ट हो जाते हैं । मणिपुर जैसे छोटे से राज्य ने भी इस वर्ष 22 करोड़ रुपये के अन्तरड्राफ्ट से प्रारम्भ किया है स्थिति यह है ।

उपसभाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें ।

श्री नगनगोम मोहेन्द्रा : वहां सामान्य व्यक्ति, युवा व विद्यार्थी समझते हैं कि हथियार उठाना ही लाभप्रद कार्य है । युवा लोग समझते थे कि हथियार उठाना लाभप्रद रहा है । यह निश्चय ही लाभप्रद था क्योंकि नागालैंड ने हथियारों के प्रयोग द्वारा मणिपुर से दस वर्ष पूर्व पूर्ण राज्य की स्वायत्ता प्राप्त कर ली । इसलिए, मैं सरकार से चाहूंगा कि बातचीत द्वारा फैसले की स्थिति में पहुंचने से पूर्व सरकार सभी शांतिपूर्ण कार्यवाही करे जिससे समस्या का समाधान शांतिपूर्णत स्थिर वातावरण में हो सके ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य श्री चित्त बसु और श्री बनातवाला बोलना चाहते हैं । मैं उन्हें कम से कम 5 मिनट का मौका देना चाहता हू । श्री चित्त वसु 5 मिनट बोलेंगे व श्री बनातवाला भी 5 मिनट बोलेंगे । श्री परु लेकर अपनी आधे घंटे की चर्चा 6 बजे प्रारम्भ करने पर सहमत हो गए है···

श्री योगेन्द्र मकवाना : जैसे ही यह बहस समाप्त हो ।

श्री उपाध्यक्ष महोदय : श्री मकवाना, मैं जानता हूं यह सब आप अपनी उंगलियों पर गिना सकते हैं अत: आप अधिक समय न लें । क्या इसमें सदन की सहमति है कि जैसे ही यह बहस समाप्त हो आधे घंटे की चर्चा प्रारम्भ कर दी जाए ?

कुछ माननीय सदस्य : जी हां ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चित्त वसु ।

श्री चित्त वसु : (बारसाट) : मैं श्री मकवाना के नाम से इस संकल्प का विरोध करता हूं क्योंकि सर्वप्रथम मैं इस तथ्य को अभिशांति जानता हूं कि असम अनिवार्य सेवा अधिनियम से सम्बन्धित स्थायी संकल्प और कुछ नहीं अपितु हमारे देश के कर्मचारी वर्ग के विरुद्ध सरकार का आक्रामक रवैया है स्वभावत: मेरे लिए यह संभव नहीं कि मैं इस विषय में अपना मन्तव्य स्पष्ट कर सकूं लेकिन से इस विषय कर्मचारी वर्ग के प्रति इनके आक्रामक रवैये के प्रति स्पष्ट हूं । यहां भी इस आदेश की व्यापकता के अन्तर्गत असम के कर्मचारी वर्ग को आक्रमण का निशाना बनाया गया है । इसीलिए मैं इसका विरोध करता हूं ।

[श्री चित्त बसु]

दूसरे, असम की समस्या से सम्बन्धित प्रश्न पर कई माननीय सदस्यों—विशेषकर, मेरा इशारा श्री अटल बिहारी बाजपेयी तथा श्री रवीन्द्र वर्मा की ओर है, जिन्होंने यह कहा है कि असम समस्या एक राष्ट्रीय समस्या है और मैं इससे सहमत हूं ।

लेकिन किस प्रकार असम आंदोलन राष्ट्रीय समस्या है ? यहां मैं इनसे सहमत नहीं हूं जब यह कहते हैं कि असम आंदोलन राष्ट्रीय एकता का आंदोलन है । मैं इनसे सहमत नहीं हूं जब यह कहते हैं कि असम आंदोलन उस आंदोलन का भाग है···

उपाध्यक्ष महोदय : तब आप किससे सहमत है ?

श्री चित्त बसु : मैं उसी ओर आ रहा हूं । मैं इस विषय में आपसे सहमत हो सकता हूं पर इनसे नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : वे कौन हैं ?

श्री चित्त बसु : मैं इस बात से सहमत हूं कि यह राष्ट्रीय समस्या है यह इन्होंने भी कहा है । लेकिन मैं इस रूप में दृष्टिकोण से इनसे सहमत नहीं हूं जिससे यह इसे एक राष्ट्रीय समस्या चित्रित करते हैं । मैं इनसे तब भी सहमत नहीं हूं जब यह कहते हैं कि यह अल्पसंख्यकों के और राष्ट्रीय एकता के विरुद्ध निर्दिष्ट नहीं हैं । महोदय, मैं कहूंगा कि यह राष्ट्रीय एकता व निष्ठा के विरुद्ध निर्दिष्ट होने के कारण राष्ट्रीय समस्या है । यह भाषायी व धार्मिक रूप से अल्पसंख्यकों के विरुद्ध निर्दिष्ट होने के कारण राष्ट्रीय समस्या है यह भाषायी व धार्मिक रूप से अल्पसंख्यकों के विरुद्ध निर्दिष्ट होने के कारण राष्ट्रीय समस्या है । एक कर्त्तव्य है और राष्ट्रीय समस्या, एकता की समस्या है, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा की समस्या है । यह है संवैधानिक निदेश । यह है एक संवैधानिक प्रतिवद्धता और इसी दृष्टिकोण से यहराष्ट्रीय समस्या है । यह राष्ट्रीय समस्या की आड़ में इनके द्वारा अलगाववादी ताकतों को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से राष्ट्रीय समस्या नहीं है । महोदय, इसमें इनकी कोई रुचि नहीं है । समय की मांग है कि राष्ट्रीय हित में एकता को दृढ़ किया जाए और पृथकतावादी ताकतों को बढ़ावा न दिया जाए । आन्दोलन में इनकी रुचि साम्प्रदायिक, अलगाववादी ताकतों को बढ़ावा देने तक ही है । अतः महोदय, मुझे खेद है कि मैं इनसे सहमत नहीं हूं ।

महोदय, जहां तक राष्ट्रीय दृष्टिकोण से इस समस्या के हल का प्रश्न सम्बन्धित है मेरी राय में सरकार भी ठीक नहीं है । मैं अन्दोलनकारियों से बातचीत के विरुद्ध नहीं हूं । महोदय मैं इस बात को कार्यवाही वृतान्त में शामिल करवाना चाहता हूं कि सरकार का भी आन्दोलन के प्रति सही दृष्टिकोण नहीं है । सरकार द्वारा इस लगातार विचार-विमर्श में सही दिशा व उद्देश्य को अनदेखी किया जा रहा है । अतः महोदय, उद्देश्यहीनता दिशाहीनता और स्थिति के प्रति सही दृष्टिकोण की अनदेखी के कारण सरकार पूर्व अवसरों पर अपने उद्देश्य से कहीं पीछे रह गई है । महोदय आप जानते हैं कि मंत्री जी या सदन यह मानेगा कि प्रधान मन्त्री का यह बयान

लेखबद्ध हैं कि 1971 ही आधार वर्ष हो। यही राष्ट्रीय राय थी। लेकिन आन्दोलनकारियों से बातचीत के दौरान, यह पाया गया कि इसे नकारा जा रहा है। एक निश्चित अवस्था में सरकार 1961 को आधार वर्ष मानने पर सहमत हुई थी और यही सब रिपोर्ट में कहा गया है।

महोदय, प्रमुख समस्या यह है। अलगाव स्टूडेंट्स यूनियन और गणसंग्राम परिषद का नवीनतम प्रस्ताव न केवल 1971 को स्वीकार करने, न केवल 1961 को आधार वर्ष स्वीकार करने का है अपितु वे 1951 से पता लगाने का अधिकार चाहते हैं जो कि संविधान के उपबन्ध के विपरीत है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वे हमारे संविधान में सशोधन करना चाहते हैं।

श्री चित्त बसु : वे हमारे संविधान का संशोधन चाहते हैं। यह भारत में किसी व्यक्ति को नागरिकता का अधिकार प्रदान करता है। इसलिए, महोदय, इस हिसाब से हमारे देश में किसी व्यक्ति के नागरिक होने की आवश्यक शर्त को भी वे बदलना चाहते हैं। इसलिए मुझे यह कहते हुए अफसोस है कि श्री वाजपेयी और श्री वर्मा ने जो कुछ कहा है उसके अनुसार वे राष्ट्रीय समस्या की आड़ में उस आन्दोलन का स्पष्टतया समर्थन करना चाहते हैं जो कि दुर्भाग्य पूर्ण बात है और जो ठीक नहीं है जो केवल अलगाववादी ताकतों को बढ़ावा देता है, जो देश की अखंडता के लिए खतरा है जबकि इस समय देश की अखडता को बनाए रखने की अत्यन्त आवश्यकता है।

दूसरे, महोदय सरकार ने जो रवैया अपनाया है वह भी लोकतांत्रिक ताकतों को बढ़ावा नहीं देता। वास्तव में तो आन्दोलन का प्रमुख जोर वामपंथियों, वामपंथी ताकतों और धर्म निरपेक्ष ताकतों के विरुद्ध है।

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ श्री बनातवाला के लिए भी छोड़ दीजिए—

श्री चित्त बसु : महोदय, सरकार पीछे नहीं हटना चाहती ये ताकतें, धर्म निरपेक्ष ताकतों, वामपंथी ताकतों और लोकतंत्रीय ताकतों के खिलाफ हैं और उनकी कार्यवाही से भी अखंडता समाप्त होने को बढ़ावा मिलता है।

इसलिए महोदय, इन दो कारणों से भी मैं इसका विरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बनातवाला, हमेशा की तरह अपना भाषण संक्षिप्त रखें।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : उपाध्यक्ष महोदय, महोदय.....

उपाध्यक्ष महोदय : आपका भाषण हमेशा संक्षिप्त होता है। इसलिए यहां भी आप इसे संक्षिप्त ही रखिए।

श्री जो०एम० बनातवाला : उपाध्यक्ष महोदय, महोदय, मैं असम में राष्ट्रपति शासन जारी रखने सम्बन्धी प्रस्ताव का समर्थ करता हूं। यह बात ठीक है कि किसी राज्य का राष्ट्रपति शासन के अधीन बने रहना अच्छी बात नहीं है। लेकिन, केरल की स्थिति के सदर्भ में इसके अलावा कोई चारा नहीं था। सरकार को अपना कर्त्तव्य निभाना है और हम यह आशा करते है कि जो विशाल कार्य सरकार के सामने है उसमें उसका सभी तरफ से समर्थन होगा।

महोदय, यह मानना होगा कि असम में जो गतिविधियां हो रही हैं और जो स्थिति है उसके प्रति सरकार को गहरी चिंता है। सत्ता ग्रहण करने के एक पखवाडे के अन्दर ही हमारी प्रधान मन्त्री ने विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों को इस बात के लिए आमंत्रित किया कि बैठकर स्थिति के बारे में बातचीत की जाए तथा किसी प्रकार का समझौता हो सके।

मैं इसके पूरे इतिहास में नहीं जाऊंगा लेकिन अभी हाल ही में, सरकार द्वारा यहां तक कि विपक्ष के नेताओं को भी बातचीत में शामिल किए जाने तथा विपक्षीय वार्ता करने की, इच्छा व्यक्त की गई ताकि इस स्थिति का समाधान खोजा जा सके। बहुत से कदम उठाए गए हैं और असम की स्थिति के बारे में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताना मेरा कर्त्तव्य है। महोदय इस विशेष कार्य के लिए सरकार की प्रशंसा की जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, महोदय, सीमा सुरक्षा व्यवस्था दृढ करने के लिए बहुत से कदम पर उठाए गये हैं। भारत बंगलादेश सीमा पर कंटीले तार और बाड़ लगाने के लिए कदम उठाए गए हैं। चौकियों के बीच की दूरी 7 किलो मीटर से घटाकर आधी 3 1/2 किलोमीटर कर दी गई है। वहां सड़कें बनाई गई हैं तथा मकान और वृक्ष रहित विशिष्ट क्षेत्र को 'अधिकार मुक्त' क्षेत्र का सीमांकन किया गया है। सीमा पर असम पुलिस और सीमा सुरक्षा बल द्वारा संयुक्त रूप से गश्त लगाई जाती है। इस सबसे यह पता चलता है कि सरकार इस मामले को कितनी गंभीरता से ले रही है। तथापि दुर्भाग्य से इस स्थिति में काफी उलझनें पैदा करने की कोशिश की गई है। यह कहा गया है कि यह आन्दोलन न तो अल्पसंख्यकों के खिलाफ है और न ही यह राष्ट्र विरोधी हैं। लेकिन मैंने इस सभा को विस्तार से बताया है तथा ऐसे अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं जो इस आन्दोलन को राष्ट्र विरोधी, अल्पसख्यक विरोधी, मुस्लिम विरोधी और अलगाववादी होने का खास प्रमाण है।

महोदय, जो भारत के नागरिक हैं तथा जो असम में पूरी तरह घुलमिल चुके हैं, विदेशियों की सज्ञा दी जा रही हैं। हम सभी यही जानते हैं और यह कितना पूर्भाग्यपूर्ण है कि जब दो प्रभुसत्ता सम्पन्न राष्ट्रों—भारत और पाकिस्तान का उदय हुआ तो इसके तुरंत बाद साम्प्रदायिक दंगे बने हुए। असम में साम्प्रदायिक दंगे पूरे जोर पर थे। इसके सिवा कोई लाखों असमियां लोग इसके शिकार और उनके पास

और विकल्प नहीं रह गया था कि वे सीमा पार अपने घर-बार छोड़ कर तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में शरण लेते। बाद में दोनों देशों के प्रधान मन्त्रियों के बीच बात हुई और एक समझौता किया गया—नेहरू-लियाकत अली समझौता और इस समझौते के परिणामस्वरूप असम में जिन लाखों लोगों को मजबूरन अपने घर-बार छोड़ने पड़े थे, वे वापिस असम आ गए। परन्तु इसी बीच 1951 की जनगणना हुई। राष्ट्रीय रजिस्टर तैयार किया गया तथा उनके नाम राष्ट्रीय रजिस्टर में नहीं आये। महोदय, इन लोगों को निकालने के लिए आज बड़े-बड़े षडयन्त्र और योजनाएं तैयार की जा रही हैं। यह इन लोगों का दुर्भाग्य ही है कि इन्हें उस समय भी उखाड़ फेंका गया और अब इस षडयन्त्र के परिणाम-स्वरूप इन्हें एक बार फिर निकालने को कोशिश की जा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय महोदय, बहुत से फार्मूले बताए जा रहे हैं। वास्तव में, कोई भी नहीं चाहता कि हमारे राजनीतिक ढांचे में विदेशियों का हाथ हो। लेकिन ये तो इतिहास की सच्चाइयां हैं जिन्हें याद रखना पड़ेगा। आज हर कोई समाधान की बात करता है! समाधान अवश्य ढूंढना चाहिए। लेकिन, यह समाधान कुछ सिद्धान्तों पर होना चाहिए क्योंकि किसी भी आदमी को किसी भी व्यक्ति के लिए यह छूट नहीं होनी चाहिए कि वह यह कह दे कि अमुक आदमी 'विदेशी' है। ऐसी स्थिति नहीं हो सकती। समाधान तो ढूंढना होगा लेकिन वह कुछ सिद्धान्तों पर आधारित होना चाहिए। वह सिद्धान्त क्या हो सकते हैं? यह केवल संविधान के उपबन्धों पर आधारित हो सकते हैं; इस महान देश के नागरिकता से सम्बन्धित अधिकारों के विभिन्न कानूनों के उपबन्धों पर आधारित हो सकते हैं; बंगलादेश के साथ किए गए विभिन्न समझौतों के उपबन्धों के अनुसार हो सकते हैं; और मानवीय आधारों पर आधारित हो सकते हैं। महोदय मैं इतना अमानवीय नहीं कि मानवीयता के इन आधारों को भी सीमाबद्ध कर दूं। इन सब को ध्यान में रखना होगा; संविधान के उपबन्ध, नागरिकता से सम्बन्धित विभिन्न कानूनों के उपबन्ध, राष्ट्रीय वायदे और मानवीय आधार, इन सभी को ध्यान में रखना होगा।

इन सब बातों को अच्छी तरह समझना जरूरी है। दुर्भाग्य से इस समय उग्रवादी गतिविधियों की फिर से बाढ़ सी आ गई है। यहां तक कि राज्य के उपराज्यपाल ने भी सरकारी तन्त्र के बारे में यह अपनी अप्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने यह कहा कि वे राज्य में खुपिया तन्त्र की कार्यप्रणाली से प्रसन्न नहीं है।

इसलिए, इस तन्त्र को मजबूत बनाने की जरूरत है। स्थिति से प्रभावकारी ढग से निपटने की जरूरत है। यह सही है कि वार्ता जारी रहनी चाहिये। लेकिन, इसका यह अभिप्राय नहीं है कि वे ऐसा रवैया अपनाते रहे जिसमें जान-माल की सुरक्षा न हो।

यह प्रस्ताव भी है कि जो 1961 और 1971 के बीच आए हैं उनमें शरणार्थी और घुसपैठ करके आए हुए लोगों में फर्क किया जाए। शरणार्थी कौन हैं? रिपोर्टों से हमें यह पता चलता

[श्री जी० एम० बनातवाला]

है कि उन लोगों को अधिकृत शरणार्थी कहा जाएगा जो पूर्वी पाकिस्तान के अल्पसंख्यक हैं तथा वहां से असुरक्षा के कारण सीमा पार कर के आ गए हैं। दूसरे शब्दों में 'घुसपैठ कर आए' तथा 'अधिकृत शरणार्थी' का यह वर्गीकरण धार्मिक आधार पर करने की जरूरत समझी गई और महोदय, मुसलमानों को 'घुसपैठ कर आए' कहा जा रहा है तथा जो हिन्दू वहां व्याप्त असुरक्षा के कारण उस समय के पूर्वी पाकिस्तान से सीमा पार कर भारत आए, उन्हें 'अधिकृत शरणार्थी' कहा जा रहा है। मुझे इस प्रकार किए गए भेदभाव का अवश्य ही विरोध—पूरे जोर से विरोध --करना चाहिए।

अभी हाल ही में सरकार ने असम के लोगों से यह अपील की है कि किसी भी 'विदेशी' के आने अथवा उस की उपस्थिति की सूचना पास के पुलिस स्टेशन में की जाए। अब, महोदय, असम में जो स्थिति विद्यमान है, उस सन्दर्भ में आप समझ सकते हैं कि इस अपील से कितनी गड़बड़ी हो सकती है। और यह आरम्भ हो गयी है। लोगों ने किसी को भी विदेशी कह, वहां लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। इस बारे में बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है।

महोदय, इसके अलावा साम्प्रदायिक तत्व वहां का माहौल बिगाड़ रहे हैं। यहां तक कि बिहार म भी संगठित रूप से प्रचार किया जा रहा है, द्वेष-पूर्व प्रचार किया जा रहा है कि बगला देश से लाखों लोग बिहार में घुस आए हैं। हमने अभी श्री अटल बिहारी वाजपेयी का भाषण सुना है। उनका भाषण आग में घी का काम करेगा। बिहार में पहले ही यह नारा जोरों पर है कि बंगलादेश से घुसपैठ कर आए लोगों को बिहार से बाहर निकाल फेंका जाए। बिहार में, पूर्णिया की दीवारों पर लगे इस स्लोगन का फोटो यह रहा।

"बगला देशी घुसपैठियों भारत छोड़ो।" बिहार में यह बहुत ही संगठित रूप में यह प्रचार किया जा रहा है कि लगभग 3.5 लाख लोग बंगला देश से भारत में घुस आए हैं। महोदय, मुसलमानों को 'बंगला देशी' कहा जा रहा है और उन्हें वहां परेशान किया जा रहा है, सताया जा रहा है। इस साल जुलाई से, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से सम्बन्धित लोग इन घुसपैठियों को परेशान करने पर उतर आए हैं। सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह इस विशेष स्थिति की जांच करें और यह ध्यान रखे कि परेशान करने वालों के खिलाफ उचित कार्यवाही की जाए। मैं सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि इस स्थिति, जो इस समय बिहार में उत्पन्न की गई है, की गम्भीरता को देखते हुए, देश को यह बताये कि क्या पूर्णिया कटिहार और बिहार के इस प्रकार के अन्य जिलों में कोई महत्वपूर्ण घुसपैठ ई है अथवा नहीं क्योंकि अगर आप चुप रहते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं और यह कहते हैं कि यह तो असम के बारे में बहस हो रही है, और बिहार के बारे में कुछ नहीं कहते तब इस प्रकार का प्रचार जारी रहेगा तथा इससे माहौल खराब होगा। महोदय आपने पहले ही इस सभा में श्री अटल बिहारी वाजपेयी का भड़काने वाला भाषण सुना है।

महोदय, मैं असम में राष्ट्रपति शासन जारी रहने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं लेकिन साथ ही मैं सरकार पर इस बात पर भी जोर दूंगा कि वह यह देखे कि अल्पसंख्यकों के जान-माल की रक्षा के लिए प्रभावकारी कदम उठाए जाएं और यह भी देखे कि बिहार में स्थिति काबू से बाहर न होने न पाएं ।

मुझे असम के लोगों खासतौर से उनसे जो आन्दोलन कर रहे हैं यह अपील अवश्य ही करनी चाहिए कि वे विपक्षीय वार्ता में दिलचस्पी लें । इन वार्ताओं में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधि भी शामिल किए जाएं । और इन शब्दों के साथ मुझे आशा है कि जो आन्दोलन कर रहे हैं वे सद्बुद्धि से काम करेंगे ।

गृह मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : महोदय, मैंने सभी 14 माननीय सदस्यों की बात बहुत ध्यान से सुनी है, किन्तु उन्हें सुनने के बाद मैं कह सकता हूं कि विपक्ष के लगभग सभी नेताओं जिन्होंने इस प्रस्ताव के बारे में चर्चा की है, ने एक ही पुरानी कहानी कही है, वही पुराने तर्क, वही पुराने अभियोग दोहराए हैं। कुछ भी नया नहीं है । अतः इस सभा में जो कुछ भी उन्होंने कहा है, वह नया नहीं है । फिर भी मैं अन्त में बोलने वाले वक्ताओं श्री चित्त बसु और श्री बनातवाला का आभारी हूं खासतौर से श्री बनातवाला का आभारी हूं, क्योंकि उन्होंने विपक्ष के मित्रों द्वारा उठाए गए अधिकांश मुद्दों का उत्तर देकर मेरा बोझ हल्का कर दिया है। अतः कुछ सीमा तक मेरा काफी बोझ हल्का हो गया है ।

महोदय, जैसा कि आप और सारी सभा जानती है, सरकार असम में इतने लम्बे समय से बढ़ती जा रही इस स्थिति से बहुत चिन्तित है, और सरकार ने समस्या के समाधान के लिए कई उपाय किए हैं, मैं उन ब्योरों को नहीं बताना चाहता जो संसद की दोनों सभाओं के विरोधी पक्ष के नेताओं और दलों के साथ हुई बैठक के बारे में है । परामर्श-दात्री बैठक में भी हमने सदस्यों को असम वार्ता के सम्बन्ध में हुई प्रगति की जानकारी दी थी, और दोनों सभाओं में प्रश्न और अन्य संकल्पों के रूप में इस विस्तार से वाद-विवाद किया गया है । अतः जो कुछ भी उन्होंने कहा है और जो मैं कहता हूं वह इसी की आवृत्ति है, जो पहले ही कहा जा चुका है, मुझे वही दोहराना होगा, जो मैं पहले ही कह चुका हूं, क्योंकि अपने अपने तर्कों को ही दोहराया है। आपको मुझसे वही उत्तर सुनने को मिलेंगे...(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : वे चाहते हैं कि हमारा तर्क असंगत हो । जब वे उद्घोषणा को दोहराते हैं तो हमें भी उन्हीं तर्कों को दुहराना होगा ।

श्री चित्त बसु : कुछ नया कीजिए तो हम भी नया तर्क प्रस्तुत करेंगे ।

श्री योगेन्द्र मकवाना : आन्दोलन के नेताओं से जो हमें हाल ही में हमें प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं,उसके विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता हूं । इसके बारे में विपक्ष के सदस्यों को भी मालूम है

[श्री योगेंद्र मकवाना]

और लगभग सभी इस बात से सहमत हैं कि आन्दोलन के नेताओं के सुझाव अतिवादी है।

प्रो० एन० जी० रंगा : वे क्या है ? देश को यह तो मालूम होने दीजिए कि ये लोग कितने विवेकहीन हैं।

श्री योगेन्द्र मकवाना : ठीक है, उदाहरण के तौर पर 23 सितम्बर, 1981 को अखिल असम छात्र संघ और ए० ग्री० एस० पी० ने जो हाल में प्रस्ताव रखे हैं, वे इस प्रकार है :

(एक) नागरिकता अधिनियम, 1955 में यह स्पष्टीकरण शामिल कर संशोधन किया जाए कि जिन माता-पिताओं ने असम में बिना वैध दस्तावेजों के प्रवेश किया है या वे अवैध रूप से वहां रह रहे हैं उनके वहां पैदा हुए बच्चों को वहां की नागरिकता नहीं दी जाए।

(दो) नागरिकता अधिनियम की धारा 5 (1) (क) के अन्तर्गत पहले से जारी नागरिकता प्रमाण-पत्र को भारतीय नागरिकता के प्रमाण के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।

(तीन) जो लोग विदेशी के रूप में पहचाने जाते हैं उन्हें छः महीने के भीतर असम के बाहर कर दिया जाये।

(चार) असम से बाहर निकाले गये लोगों को दुबारा न आने देने के लिए बंगाल इस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन, 1873, जिसमें 'इनर लाइन सिस्टम' लागू है, को विनियमित किया जाय।

(पांच) असम में विदेशियों के लिए न्यायाधिकरण गठित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 323ख का संशोधन किया जाए।

(छ) अन्य सभी व्यक्तियों, वर्गों अथवा संगठनों को बाहर निकालने के सम्पूर्ण कार्य के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने का अधिकार दिया जाय।

वे चाहते हैं कि संविधान, विदेशी अधिनियम, और नागरिकता अधिनियम में संशोधन किया जाए। ये सभी अतिवादी मुद्दे हैं जो आंदोलन के नेताओं ने प्रस्ताव किए हैं। विरोधी पक्ष के सदस्यों ने भी यह ठीक ही कहा है कि ये अतिवादी दृष्टिकोण हैं और इन्हें मंजूर नहीं किया जा सकता।

सरकार इस समस्या का समाधान करना चाहती है और अनेक बातों पर हमने विपक्ष की भी राय ली है। एक बार विपक्ष ने यह भी सुझाव दिया था कि त्रिपक्षीय सम्मेलन होना चाहिए और उससे हम सहमत भी हो गए थे, किंतु आंदोलन के नेताओं ने कहा है कि विपक्ष असंगत है; वे नहीं चाहते कि विपक्ष इसमें भाग ले। तो सरकार क्या कर सकती है? फिर जब हमने विपक्ष के नेताओं की कार्य बैठक आयोजित की तो उन्होंने भी इसी बात को मंजूर किया था। हमने बताया था कि हम उन्हें वार्ता में शामिल करेंगे, किंतु यहां आन्दोलनकारियों में नेताओं पर ही निर्भर था कि विपक्ष का अनुरोध माना जाए या नहीं।

जैसा कि हमने बताया, सरकार ने अभी तक आंदोलनकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए दमनकारी उपाय नहीं किए हैं। फिर भी मैं माननीय सदस्यों को वह तो बता ही सकता हूं कि इस आंदोलन के दौरान 290 लोगों की जानें गई हैं, यह कोई छोटी संख्या नहीं है इसी वर्ष के दौरान बम विस्फोट या बम पाए जाने के 120 मामले सामने आए हैं। यह देखा जा सकता है कि आन्दोलन शांतिपूर्ण नहीं रहा है, जैसा कि उन्होंने ब्यौरा दिया है, खास तौर पर जैसा कि श्री वाजपेयी ने बताया है। श्री वाजपेयी ने भाषण के दौरान बताया था कि मैंने प्रेस को बताया था कि 220 विदेशियों का पता लगा था और उन्हें वहां से बाहर कर दिया गया है, और जब उन्होंने मुझसे पूछा तो मैं जवाब नहीं दे सका था, यह बात सही नहीं है।

पूरी सभा की जानकारी के लिए मैं पिछली दशक के लिए आंकड़ों को दोहराता हूं। वर्ष 1971 में घुसपैठियों की संख्या 1013 थी जिसमें से 441 निकाल दिए गए थे। वर्ष 1972 में 51807 का पता लगा था और 51737 निकाल दिए गए थे। वर्ष 1977 में 3205 का पता लगा था और 3060 निकाल दिए गए थे।

वर्ष 1974 में 11355 का पता लगा था और उसमें से 9641 वापस भेजे गए गए थे।

वर्ष 1976 में 5,412 का पता लगा था और 5171 वापस भेजे गए थे; वर्ष 1977 में 5251 का पता लगा था और 5074 वापस भेजे गए थे; वर्ष 1978 में 8,118 का पता लगा था उसमें 8021 वापस भेजे गए थे, 1979 में जिनका पता लगा था वे 6769 थे और जो वापिस भेजे गए थे वे 6415 थें, 1980 में 2156 का पता लगा था और जो वापस भेजे गए थे वे 2041 थे।

1971-80 के दशक में जितने घुसपैठियों का पता लगा था उनकी संख्या 1,13,876 था और जितने वापस भेजे गए थे, उनकी संख्या 715 थी। वर्ष 1980 के दौरान सितम्बर तक 954 घुसपैठियों के बारे में पता लगा था और जो वापस भेजे गए थे उनकी संख्या 878 थी। सरकार के पास तो यही आंकडे हैं और जहां कहीं भी मैं या मेरे सहकर्मी आंकडे उद्धत करते हैं। वे केवल रिकार्ड और तथ्यों में ही उद्धत करते हैं।

[श्री योगेन्द्र मकवाना]

हमें असम वासियों को सामान्य जीवन जीने देने के लिए आश्वस्त करना है। सामान्य जन जीवन भंग होने नहीं दिया जा सकते। हमें यह देखना होगा कि अस्पाताल और अन्य संस्थाएं नियम पूर्वक काम करें और मरीजों का उपचार होता रहे। यहां तक कि लघु उद्योग, मामले पैमाने के उद्योग और बड़े उद्योगों में काम होता रहे। और इन सभी प्रयोजनों के लिए बिजली का उत्पादन और वितरण जारी रखना अत्यावश्यक है। इसलिए में बिजली से संबधित इस संकल्प को प्रस्तुत करने आया हूं।

यह केवल निरोधक उपाय है। हम इस संकल्प की निरोधात्मक उपाय के रूप में पास करना चाहते है ताकि वहां के लोगों का सामान्य जीवन भंग न हो।

विपक्ष के माननीय सदस्य खास तौर से श्री वाजपेयी ने यह प्रश्न किया था कि सरकार यह कार्यवाही क्यों कर रही है? वे केन्द्रीय रिजर्व पुलिस और अन्य पुलिस को वहां क्यों तैनात कर रही है? महोदय हम यह नहीं चाहते है कि स्थिति और बदतर हो जाए और तब हम कार्यवाही करें। कुछ क्षति होने से पहले ही शुरू में हमें बचाव के उपाय करने होंगे। हमें बचाव के उपाय करने होंगे और इसलिए पुलिस तथा अन्य बलों को तैनात किया गया है।

अब श्री रवीन्द्र वर्मा सरकार द्वारा अपनायी गयी नीति से दुखी हैं जिसे कि उन्होंने मुकाबला करने का रवैया बताया है सरकार ने सभी प्रयास किए हैं जैसा कि मैंने पहले बताया और हमने विपक्ष के नेताओं तक से भी ये मशविरा किया। किसी भी समय हमने आदोलनकारियों के नेताओं से मेल करने से इन्कार नहीं किया है। बल्कि हमी ने अनेक बार उन्हें वार्ता के लिए आमान्त्रित किया है और तो भी उन्होंने आने से इन्कार कर दिया और सरकार का रुख तो सहानुभूतिपूर्ण ही रहा है। हमने इसे हमेशा एक राष्ट्रीय समस्या समझा है क्योंकि सरकार अपने देश में किसी घुसपैठिए की बरदाश्त नहीं कर सकती है। अतः इसके प्रति काफी सजग और चिंतित हैं। फिर भी मेरे मित्र श्री रवीन्द्र वर्मा यही कहते हैं कि सरकार ने मुकाबला करने का रुख अपनाया हुआ है। मेरे विचार से वे ठीक नही कह रहे हैं।

मेरे सहकर्मी श्री वेंकटरामन ने कहा है कि मैं श्री रवीन्द्र वर्मा को उनकी आलंकारिक भाषा के लिए बधाई दूं।

श्री रवीन्द्र वर्मा : क्या मैं भी आपको बधाई दे सकता हूं? मेरा विचार है कि वो आप की समझ से परे नहीं होगा।

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैं छोटे से गाव का निवासी हूं और मैंने छोटे से गांव मेंही पढ़ाई की है उनको सुनना मेरे लिए सौभाग्य की बात है।

उपाध्यक्ष महोदय : मकवाना जी, प्रधान मंत्री ने जो पिछली बैठक आयोजित की थी उस में उनके दल ने भी भाग लिया था। वे सहयोग दे रहे हैं।

श्री योगेन्द्र मकवाना : वे सहयोग दे रहे हैं। किंतु सभा में जो उनका रवैया है वह मेरी समझ से बाहर है।

प्रो० एन० जी० रंगा : विपक्ष के कुछ नेताओं ने तो बैठक में भाग लेने से इन्कार कर दिया क्योंकि इसे गृह मंत्री ने बुलाया था, प्रधान मंत्री ने नहीं।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : हमारा यही अनुभव है कि यदि गृह मंत्री के साथ बैठक होती है तो कुछ परिणाम नहीं निकलता है क्योंकि वे वही करते हैं।' मैं प्रधान मंत्री से सलाह करूंगा।"

श्री योगेन्द्र मकवाना : क्योंकि श्री रवीन्द्र वर्मा श्री वाजपेयी के साथ बैठे हैं वे उनकी वाकपटुता से प्रभावित है और आज वे श्री वाजपेयी के वाकपटुतायुक्त भाषण से प्रभवित हैं। निस्संदेह उनका अपना भाषण भी आलंकारिक है।

श्री वर्मा ने कहा है कि गृह सचिव ने आश्वासन दिया है। रैली आयोजित करने का गृह मंत्री द्वारा कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। राज्य सरकार इस बारे में पूरी तरह से सक्षम है। सारी स्थिति और परिस्थितियों को देखते हुए यदि वह उचित समझें कि इसकी अनुमति देना ठीक है, तो वह अनुमति दे देंगे। वरना मना कर देंगे। इसलिए भारत सरकार के गृह सचिव से अनुमति लेने का तो प्रश्न ही नहीं है।

महोदय मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता क्योंकि आपने कहा था इसे 6 बजे तक पूरा हो जाना चाहिए। आधे घंटे की चर्चा भी अभी होनी है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : जो घटना मैंने बताई है उसका क्या हुआ ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : माननीय सदस्य ने जिस घटना का जिक्र किया था वह श्री सुख नंदन पंडित के बारे में है। इस मामले में अब तक नौ व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेठ मंजेरी : घुसपैठियों और शरणार्थियों के बीच किस प्रकार का अन्तर किया जाना है ? शरणार्थियों से उनका तात्पर्य हिन्दुओं से है तथा घुसपैठियों से उनका तात्पर्य मुस्लिम लोगों से है। गृह मंत्रालय के अधिकारों तथा आन्दोलनकारियों के नेताओं के बीच हुई बातचीत से हम यही समझ सकें हैं।

श्री योगेन्द्र मकवाना : धर्म के आधार पर कोई भेद-भाव नहीं किया गया है। जब कुछ विचार विमर्श चल रहा है तो हमें ऐसी बातें बंद नहीं करनी चाहिए। परन्तु मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन दे सकता हूं कि यह धर्म के आधार पर नहीं किया गया है।

श्री एस०ए० दोराई सेबिस्तियन (करूर) : श्री मायातेवर ने श्री पारथमार्थों का जिक्र किया था जिन पर बम फेंका गया था। क्या अपराधियों को पकड़ लिया गया है? क्या सरकार ने शोकसन्तप्त परिवार को कोई मुआवजा दिया है।

श्री योगेन्द्र मकवाना : जी नहीं, जांच चल रही है। आखिरी वक्ता श्री बनातवाला जानना चाहते थे कि बिहार में विशेषकर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की क्या व्यवस्था है। यद्यपि यह प्रश्न असम से सम्बद्ध नहीं है परन्तु फिर भी उन्होंने यह प्रश्न उठाया है।

श्री जी० एम० बनातवाला : वह बिहार में भी असम जैसा आन्दोलन चाहते हैं।

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन देता हूं कि सरकार बिहार, असम और सारे देश में अल्पसंख्यकों के जान और माल की रक्षा करने के सभी कदम उठाएगी।

इन शब्दों के साथ मैं सदन के समक्ष मद सं 10 और 14 में बताए गये दो संविधिक संकल्पों की सिफारिश करता हूं।

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : हमारी संसद के विनियमों का अनुपालन करने की यह एक औपचारिकता मात्र है। अनुपूरक प्राक्कलन 54.54 लाख रु० के हैं। यह राशि असम की समेकित निधि में से व्यय किया जा चुका है और व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए है। 3 .5 लाख रु० असम वित्तीय निगम के शेयरों में निवेश के लिए है; दस लाख रु० धान उत्पादन सामुदायिक नर्सरियों में योजना क्रियान्वयन के लिए है, 4.31 लाख गड़बड़ी से पीड़ित व्यक्तियों को अनुग्रह पूर्वक वित्तीय सहायता के लिए है और 2.34 लाख रु० असम एडमिनिस्ट्रेखि स्टांफ कालेज के भवन निर्माण के लिए है।

एक या दो सदस्यों ने यह भी जिक्र किया था कि असम की प्रति व्यक्ति आय सारे भारत से कम है। मैं यह कहना चाहूंगा कि यह सही नहीं है। असम की प्रति व्यक्ति आय 791 रु० और उत्तर प्रदेश की 645 रु०, मध्य प्रदेश की 776, रु० और उत्तर प्रदेश की 715 रु० है। बिहार में हमने केन्द्रीय निवेश में से 4,000 करोड़ रु० का निवेश किया है और मध्यय प्रदेश में बड़े बड़े इस्पात संयंत्र हैं। इसके बावजूद असम की प्रति

व्यक्ति आप काफी अधिक है। यदि आप असम को दी जाने वाली प्रति व्यक्ति योजना गत सहायता को देखें तो यह सारे भारत की औसत से काफी अधिक है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में सारे भारत की औसत 55 रु० थी असम की 78 रु० थी। चौथी पचवर्षीय योजना में सारे भारत की औसत 65 रु० थी जबकि असम की 119 रु०। पांचवी पंचवर्षीय योजना में सारे भारत की औसत 102 रु० थी जबकि असम की 166 रु० है। चालू छठी पंचवर्षीय योजना में सारे भारत की औसत 258 रु० की जबकि असम की 565 रु० है।

इन शब्दों के साथ मैं यह निवेदन करता हूं कि अनुपूरक प्राक्कलन सदन द्वारा मान लिए जाएं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं सांविधिक संकल्प को मतदान के लिए सभा में रखता हूं। प्रश्न यह है कि :—

"कि आवश्यक सेवा अधिनियम, 1981 (1981 का 40) द्वारा यथा-संशोधित आवश्यक सेवा (असम) अधिनियम, 1980 (1980 का 41) की धारा 2 की उपधारा (2) के अनुसरण में यह सभा दिनांक 17 नवम्बर, 1981 को असम सरकार राजनीतिक (ए) विभाग की अधिसूचना संख्या पी० एल० ए० 583/81/106, जिस के द्वारा विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 के अधीन गठित असम राज्य विद्युत बोर्ड के अधीन अन्य सेवाओं सहित विद्युतके उत्पादन, प्रदाय और वितरण से सम्बन्धित सेवाओं को आवश्यक सेवा (असम) अधिनियम, 1980 (1980 का 41) के प्रयोजनार्थ असम राज्य में आवश्यक सेवाएं घोषित किया गया है, को जारी किए जाने का अनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रो० मधु दंडवते : जिस समिति को असम संबंधी अधिसूचना भेजी गई थी उसका क्या हुआ ?

उपाध्यक्ष महोदय : उसका कल जिक्र किया जा चुका है। अब मैं वर्ष 1981-82 की अनुदानों की अनपूरक माँगों (असम) सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :—

"कि कार्य सूची के स्तम्भ दो दिखाई गई निम्नलिखित मांगों के संबंध में 31 मार्च 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा राशियों से अनधिक अनुपूरक राशियां मे असम राज्य की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाए।"

मांत्रा संख्या 26, 30, 55 और 63

प्रस्ताव स्वीकृति हुआ

लोक सभा द्वारा स्वीकृत असम राज्य की अनुदानों की अनुपूरक मांगें, 1981-82

मांग संख्या	मांग का नाम	मांग की रकम	
1	2	3	
		राजस्व	पूंजी
		रुपए	रुपए
26.	प्रशासनिक प्रशिक्षण	2,34,000	...
30.	राज्य लाटरियां	4,31,000	...
55.	कृषि	10,00,000	...
63.	उद्योग	...	37,50,000

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं मद सं 14 में दिये गये सांविधिक संकल्प को मतदान के लिए सभा में रखता हूं।

प्रश्न यह है। —

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत असम के सम्बन्ध में जारी की गई दिनांक 30 जून, 1981 की उद्घोषणा के प्रवर्तन को 30 दिसम्बर, 1981 से छः मास की और अवधि के लिए जारी रखने का अनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

असम विनियोग (संख्यांक-2) विधेयक

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1981-82 की सेवाओं के लिए असम राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि वित्तीय वर्ष 1981-82 की सेवाओं के लिए असम राज्य की संचित निधि में से

कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1981-82 की सेवाओं के लिए असम राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि "कि वित्तीय वर्ष 1981-82 की सेवाओं के लिए असम राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खंडवार विचार करेंगे । प्रश्न यह है :—
"कि खड 2 और 3 तथा अनुसूचित विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक में जोड़ दिये गए ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये

श्री आर० वेंकटरामन : मैं प्रस्ताव करता हूं :—
"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह हैं,

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सदस्य की गिरफ्तारी तथा रिहाई

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि अध्यक्ष को पुलिस उपायुक्त, नई दिल्ली जिला, नई दिल्ली से दिनांक 21 दिसम्बर, 1981 को निम्नलिखित आशय के सन्देश प्राप्त हुए हैं ।

[उपाध्यक्ष महोदय]

(एक)

"मुझे आपको सादर सूचित करना है कि अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैंने, श्री हरीश कुमार गंगवार, लोक सभा मदस्य को, जिन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत लागू निषेधाज्ञा का अपने दल के अन्य 15 कार्यकर्ताओं के साथ राजपथ, रफी मार्ग चौराहे पर लगभग 2.10 म० प० स्वेच्छापूर्वक उल्लंघन किया, भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत पुलिस थाना, संसद मार्ग, नई दिल्ली के मामला प्रथम सूचना रपट सख्या 654 दिनांक 21-12-81 के सम्बन्ध में गिरफ्तार किए जाने का आदेश देना अपना कर्तव्य समझा। उन्हें क्षेत्रीय जुडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जा रहा है।"

(दो)

"कृपया इस कार्यालय का दिनांक 21-12-81 का वह पत्र देखें जिसके द्वारा आपको सूचित किया गया था कि श्री हरीष कुमार गंगवार लोक सभा सदस्य को पुलिस थाना, संसद मार्ग, नई दिल्ली मामला प्रथम सूचना रपट संख्या 654 दिनांक 21-12-81 के सम्बन्ध में भारतीय दंड सहिता की धारा 188 के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया था। उक्त संसद सदस्य को उनके दल के अन्य कार्यकर्ताओं के साथ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, पटियाला हाउस, नई दिल्ली के न्यायालय में 15.40 बजे पेश किया गया। न्यायालय ने उनकी तथा लोक सभा के सदस्य की भर्त्सना की और उन्हें रिहा कर दिया।"

आधे घन्टे की चर्चा

रेल समितियों के सदस्यों को स्थायी रेल कार्ड पास तथा चेक पास जारी करने के बारे में

अध्यक्ष महोदय : अब हम आधे घन्टे की चर्चा प्रारम्भ करते हैं।

श्री बापू साहिब परूलेकर (रत्नगिरी) : उपाध्यक्ष महोदय, यह आधे घन्टे की चर्चा रेलवे समितियों के सदस्यों को दिए जाने वाले पासो और चेक पासों के जारी करने से संबंधित 10 सितम्बर 1981 के तारांकित प्रश्न संख्या 268 के उत्तर के सन्दर्भ में है। वे सम्मानार्थ पास होते हैं।

प्रश्न काल के दौरान यह बताया गया था कि इन पासों का जारी किया जाना बहुत जरूरी है क्योंकि विभिन्न समितियों के सदस्यों की सूचना इकट्ठी करने के लिए देश भर में

घूमना पड़ता है । माननीय् जी उपमन्त्री श्री मल्लिकार्जून ने यही उत्तर दिया है । जो रिकार्ड में है ।इसीलिए इस माननीय सदन को यह बताया जाना आवश्यक है कि ये विभिन्न समितियां कौन सी हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या इन समितियों के सदस्यों के लिए सूचना एकत्रित करने हेतु देश भर में घूमना तथा रेल द्वारा यात्रा करने वाले व्यक्तियों से मिलना आवश्यक है पहली समिति है कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति, दूसरी है हिन्दी सलाहकार समिति, तीसरी है हिन्दी शब्दावली समिति और चौथी है हिन्दी पुस्तक चयन समिति ।

हमें यह बताया गया है कि माननीय सदस्यों को इन सभी चारों पांचों समितियों के लिए यात्रियों से जानकारी प्राप्त करने हेतु देश भर में घूमना आवश्यक है और जिनके लिए 166 प्रथम श्रेणी के पास दिए गये है । दो अन्य समितियां और हैं यात्री सुविधा समिति और स्थाई स्वयं सेवी सहायता समिति । यदि हम इन समितियों के सदस्यों के नामों की जांच करें तो बड़े मजेदार तथ्य सामने आते हैं ।

जनता शासन के दौरान जिसके बारे में इस ओर के माननीय सदस्यों और मन्त्री महोदय ने काफी कुछ कहा है, कुल मिलाकर दस सदस्यों से अधिक सदस्यों को सम्मानार्थ पास जारी नहीं किए गए थे । महोदय, लेकिन जब से माननीय मन्त्री महोदय ने कार्यभार सम्भाला है, उन्होंने हमें एक प्रश्न के उत्तर में बताया है कि उन्होंने 156 प्रथम श्रेणी के पास जारी किए हैं और उन्होंने लगभग 460 चेंक पास दिए हैं और कृपया यह भी नोट किया जाय कि इन 460 पासों में से कितने ही पास परिवार-पास के रूप में लिए गए हैं । एक परिवार में 14 सदस्य हो सकते हैं । आपको यह जानकर आश्चर्य होगा । इस सूची में मैंने यह देखा है कि इसमें कुछ नामों के आगे लिखा है "मि० एक्स और उनका परिवार तथा दो परिचारक" (एटेन्डेंट) नौकर और परिवार के सदस्य मिलाकर कुल 7-8 व्यक्ति और उन सभी को पास दिए गए हैं । मुझे यह समझ नहीं आता कि परिचारक को निशुल्क पास देने की कौन सी अक्लमन्दी है । मैं इस मामले में और गहराई से नहीं जाना चाहता परन्तु मैं तो केवल इसका एक उदाहरण दूंगा ।

जहां तक कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति का सम्बन्ध है इसमें 29 सदस्य हैं । इनके लिए 150 पास दिए गए हैं । मुझे यह कहते हुए खेद है कि इसमें सारे देश का प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है । मुझे इसमें पांडे, पाठक, त्यागी, मिश्रा, मुखर्जी, भट्ट, त्रिवेदी, तिवारी और उपाध्याय ही दिखाई देते हैं । महोदय मैंने इस सूची की बड़ी गहराई से जांच की कि शायद इसमें कोई पासवान भी मिल जाय । लेकिन मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि इसमें न तो कोई पासवान था और न ही कोई अन्य । इनमें 38 पांडे हैं यदि मेरा हिसाब और गणना सही है तो ।

श्री चित्त बसु : क्या इसमें कोई देश पांडे भी है ?

श्री बापूसाहिब परूलेकर : जी हाँ, एक श्रीमति रोजा देशपांडे भी हैं । इतना ही नहीं

[श्री बापू साहिब परुलेकर]

कितने ही राज्यों का इसमें प्रतिनिधित्व नहीं हैं। जहां तक महाराष्ट्र का सम्बन्ध हैं, माननीय मन्त्री महोदय की हार्स्ट केवल श्रीमती रोजा देशपांडे पर ही गई है। उपाध्यक्ष महोदय जहां तक आपके राज्य का सम्बन्ध है मुझे उसमें से एक भी नाम नहीं मिला। आपको भी काफी परेशानियां होंगी इस बारे में आप मुझसे सहमत होंगे। मुझे इसमें से 40 से 45 प्रतिशत सदस्य मन्त्री महोदय के राज्य के दिखाई देते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : शायद तमिलनाडु में कोई पांडे नहीं है।

श्री बापू साहिब परूलेकर : मुझे नहीं मालूम।

श्री रवीन्द वर्मा : वहां पांडयान हो सकते हैं। पांडे नहीं।

रेल मन्त्री (श्री केदार पांडे) : कुल मिलाकर 10 पांडे हैं उसमें। इन 10 पांडे में से एक पांडे किसी और सेक्शन का है। इसलिए यह कहना गलत है कि इसमें 31 पांडे हैं। केवल 10 पांडे हैं इसमें। 156 में से कुल 10 पांडे हैं और उनमें से भी एक पांडे नहीं है जैसे कि मैं।

श्री बापू साहिब परूलेकर : मैंने कोई आरोप नहीं लगाया है। मैं इन पांडों के बारे में जानता भी नहीं। क्योंकि मैं बिहार का नहीं हूं। जानकारी न होने के कारण मेरा यह कहना नहीं है कि यह सभी पांडे आपके परिवार के हैं।

श्री केदार पांडे : इसमें मेरे परिवार का कोई सदस्य नहीं।

श्री बापू साहिब परूलेकर : मैंने कहा है 156 जमा 300। आप गिन लीजिए। मैंने यह नहीं कहा है कि 156 में से.....

श्री केदार पांडे : यह अलग बात है लेकिन आप विभिन्न समितियों के विभिन्न सदस्यों को दिए गए सम्मानार्थ पासों के बारे में कह रहे हैं। उनमें 10 पांडे हैं और उनमें भी एक पांडे अलग है।

श्री बापू साहिब परूलेकर : मुझे खेद है कि मैं अपनी बात स्पष्ट नहीं कर सका। मैंने यह कहा है कि दिए गए कुल पासों में से चेक पासों सहित 34 पांडे से अधिक हैं। मैं आपको इसका ब्योरा दूंगा। इस समय मेरे पास समय कम है, मैं आपके पास आऊंगा और सारा ब्योरा दे दूंगा।

श्री केदार पांडे : आपको कहना चाहिए केवल 10 पांडे हैं।

श्री बापू साहिब परूलेकर : यदि आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको आंकडे दे दूंगा।

श्री केदार पांडे : समिति के सदस्यों को 20 पास दिए गए हैं। (व्यवधान)

श्री बापू साहिब परूलेकर : ये पांडे व्यवधान क्यों डाल रहे हैं ? (व्यवधान)

महोदय मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे हिन्दी पुस्तक चयन समिति, हिन्दी सलाहकार समिति, हिन्दी शब्दावली समिति और सुविधा समिति तथा कार्यक्रम समिति में पांच नामों की गिनती करें।

हालांकि मेरा प्रश्न यह नहीं है। बल्कि महत्वपूर्ण प्रश्न यह है जिसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं और कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं।

जनता शासन के दौरान कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाए गए थे और जिन्हें सदन में रखा गया था। उन सिद्धान्तों का पूर्णतया पालन भी किया गया था।

मूल प्रश्न (क) का उत्तर है :—

इसमें ये मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित किए गए हैं :—

संस्थाएं : सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, साहित्यिक खेल-कूद और शैक्षिक गतिविधियों में संलग्न ऐसी संस्थाओं और संगठनों को पास दिए गए जिनका कार्यक्षेत्र अखिल भारतीय था 159 की पूरी सूची में मुझे एक भी संगठन का नाम नहीं मिला। वे सब के सब व्यक्ति नाम है। इसका भी कहीं उल्लेख नही हैं कि ये व्यक्ति किसी भी संस्था का प्रतिनिधित्व नहीं करते।

दूसरा मानदण्ड जो निर्धारित किया गया, है वह यह हैं :-

"अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों, पिछड़े और उपेक्षित वर्गों, महिलाओं, नेत्रहीनों और विकलांग व्यक्तियों के कल्याण में लगे हुए संगठन"

156 में से मुझे इस संघ का एक भी नाम नहीं मिला। इसलिए मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या ये जो पास दिए गए हैं उन्हीं अलग-अलग व्यक्तियों को दिए गए हैं जिनके नाम आपने इस 156 व्यक्तियों की विशेष सूची में बताये हैं या ये पास संस्थाओं अथवा संघों को दिए गए हैं। एक और दो दोनों ही में ये मार्गदर्शी सिद्धान्त और मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं कि संस्थाओं को किस प्रकार पास दिए जाएंगे। केवल प्रमुख व्यक्ति ही इसका अपवाद थे जिन्हें राष्ट्रीय महत्व के कार्यों के लिए यात्रा करनी पड़ती है। क्या मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से पूछ सकता हूं कि इन 156 व्यक्तियों मे से कितने व्यक्ति प्रमुख व्यक्ति है। क्या आप इन व्यक्तियों की योग्यता में उनका अनुभव और उनकी हैसियत का ब्योरा सभा पटल पर रख सकते हैं और वे

श्री बापू साहिब [परुलेकर]

क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं ? क्या आप उन महिला सदस्यों के सम्पूर्ण चरित्र के बारे में ब्यौरा सदन के पटल पर रख सकते है जिन्हें आपने पास जारी किए हैं। मैं कोई आरोप नहीं लगाना चाहता। मैं तो मन्त्री महोदय से केवल यह अनुरोध करता हूं कि वे यह ब्यौरा सभा पटल पर रख दें। वह यह करेंगे।

"मुझे जानकारी नहीं है।"

उन्होंने प्रश्न का यही उत्तर दिया था। उन्होंने यह कहा था कि "अब सारी चीजें तो या नहीं है।" यह बात रिकार्ड में है।

प्रश्न यह पूछा गया था

"इसके अलावा उन्होंने अपने जवाब में कहा है कि वे संगठन जो अनुसूचित जनजाति पीड़ित और उपेक्षित वर्ग अन्धे और विकलांग व्यक्तियों के कल्याण में लगे हैं, उन लोगों को पास दिया जाता है—मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे कितने लोगों को पास दिया गया ?

"अब सारी चीज तो याद नहीं है।"

मैं समझता हूं कि यह आधे घण्टे की चर्चा है। उन्होंने रिकार्ड को देख लिया होगा और वह हमें यह बताने की स्थिति में होंगे कि 156 पासों में से कितने पास मानदण्ड-2-के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, विकलांगों को जारी किए गए हैं ? उनमें से कितने लोग किन्हीं संस्थाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और उनमें से कितने व्यक्तिगत रूप से कार्य कर रहे हैं ?

उन्होंने रिकार्ड में यह कहा है कि जहां तक चैक पासों का सम्बन्ध है, ये पास केवल सीमित प्रयोजनों के लिए भी, दिये जाते हैं। मैं आपका ध्यान पृष्ठ 5590 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यह माननीय मन्त्री महोदय का बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य है। उन्होंने 156 पास जारी किए जाने के बारे में यह कहा है :—

आप जरा सब्र कीजिए। लोग उनसे मिलते हैं। पैमेजर्स की सब ग्रीवेंसिज क्या हैं, डिफैक्ट्स क्या है, इन सारी चीजों को ये देखते हैं। कमेटीज की मीटिंग रोज तो नहीं होती, साल में दो-बार, तीन बार मीटिंग होती है। और इसलिए, 156 व्यक्तियों को ये पास तीन साल की निरन्तर अवधि के लिए दिए गए हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि हिन्दी सलाहकार समिति, हिन्दी शब्दावली समिति और हिन्दी पुस्तक चयन समिति के सदस्यों को तीन वर्ष की अवधि के

लिए ये पास क्यों दिए गए हैं ? क्या यह आवश्यक है कि ये सदस्य अपने कार्य से सम्बन्धित सूचनाएं एकत्र करने के लिए सारे देश की यात्रा करें ।

मेरा यह कहना है कि ये पास अन्धाधुन्ध जारी किए गए हैं । मैं इस सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय रेल सम्पत्ति को अपने परिवार की सम्पत्ति समझ रहे हैं ।

मैं "सन्डे" में से पढ़ता हूं । मेरा अनुरोध है कि वह उस व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करें जिसने 'सन्डे' में इस दस्तावेज को प्रकाशित किया है । उसे जिरह का सामना करना चाहिए और इस प्रश्न का उत्तर पूछा जाना चाहिए । **

** इस देश के रेल मन्त्री पर एक आरोप है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह आरोप सत्य है और यदि झूठा आरोप है तो आप इन आरोपों के बारे में क्या कदम उठा रहे हैं ?

श्री रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : **

एक माननीय सदस्य : उनका चीनी से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री बापूसाहिब परुलेकर : महोदय, आप बहुत अच्छी प्रकार से जानते है कि एक कहावत चली आ रही है कि खामोशी का मतलब इकरार ही है । यदि आपने यह कहने के लिए ऊपर सिर हिला दिया कि "मैं कुछ नहीं करूंगा," तो क्या मैं मान लूं कि यह सब ठीक है ? इतना ही नहीं, कि वह इन मामलों से सम्बद्ध रहे हैं । मुझे दूसरे कार्यकलापों से कोई सरोकार नहीं है । महोदय, एक रिपोर्ट और भी है । **

मैं "सन्डे" पत्रिका को पढ़ रहा हूं । आपने मेरी बात नहीं सुनी । मैं यही चाहता हूं कि यह सब गलत हो । परन्तु इस बारे में आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं । और यदि नहीं तो यह सही है । अतः मेरा निवेदन है कि माननीय रेल मन्त्री जी, 156 पासों के बारे में मेरे प्रश्नों का उत्तर दें ।

मेरा पहला प्रश्न है कि ये पास लगातार तीन वर्ष तक क्यों दिए जाते हैं जबकि बैठक एक साल में केवल एक या दो बार ही होती है । दूसरा प्रश्न है कि इसमें उल्लिखित संस्थाओं को कितने पास दिए जाते हैं ।

** अध्यक्ष पीठ के आदेशा नुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया ।

[श्री बापू साहिब परुलेकर]

क्या यह सच नहीं है कि जिन व्यक्तियों को पास दिए जाते हैं वे आपके राज्य बिहार के रहने वाले होते हैं और उनके उपनाम पांडे, पटनायक और त्रिपाठी आदि नहीं होते ? यह प्रथम श्रेणी के लिए दिए जाने वाले सम्मानार्थ पासों के सन्दर्भ में है।

दूसरे पासों को लीजिए, जिसे चैक पास। यह बहुत ही दिलचस्प कहानी है। माननीय मंत्री ने कहा...

श्री रामगोपाल : यह 'आधे घन्टे की चर्चा' चल रही है या "दो घन्टे की चर्चा"? (व्यवधान)

श्री जनार्दन पुजारी (मंगलोर) : महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं। सरकार पर आरोप लगाये गये हैं। आपने आरोप पढ़ कर सुना दिए हैं और यह आरोप सदन में लगाया गया है। पढ़ने के पश्चात उन्होंने विश्वासपूर्वक आरोप लगाया है। क्या यहां इस प्रकार की अनुमति दी जा सकती है ? मेरा निवदन है कि पहले भी इस प्रकार के पूर्व उदाहरण हैं और इस सम्बन्ध में नियम बिलकुल स्पष्ट है।

श्री केदार पांडे : आप "सन्डे" पढ़ रहे हैं जिसमें यह बात प्रकाशित की गयी है। यह बहुत गलत बात है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : वह व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं।

श्री जनार्दन पुजारी : नियम 353 इस प्रकार है :

"किसी सदस्य द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध मानहानिकारक या अपराधारोपक स्वरूप का आरोप नहीं लगाया जायेगा जब तक कि सदस्य ने अध्यक्ष को तथा सम्बन्धित मन्त्री को भी पूर्व-सूचना न दे दी हो जिससे कि मन्त्री उत्तर के प्रयोजन के लिए विषय की जांच कर सके।

परन्तु अध्यक्ष किसी भी समय किसी सदस्य को ऐसा आरोप लगाने से प्रतिषिद्ध कर सकेगा ..."

मेरा प्रश्न है कि क्या इस प्रकार के अपराधारोपक आरोप अध्यक्ष को सूचित किये बिना, उनकी स्वीकृति लिए बिना तथा मन्त्री की भी जानकारी में लाये बिना सदन में लगाए जा सकते हैं ? सभी आरोप इसी बहाने से लगाए जाते हैं कि किसी विशिष्ठ समाचार पत्र में ऐसा छपा है। कुछ पत्रों को उन्होंने अनेक नामों का उल्लेख किया है। ये आरोप

सरकार सम्पूर्ण मन्त्रिमण्डल के विरुद्ध लगाए गए हैं जो सामूहिक रूप से जिम्मेदार है। अतः मेरा निवेदन है कि सरकारी पक्ष भी खामोश नहीं बैठ सकता है। इसलिए आपको इस बारे में कोई निर्णय देना होगा कि क्या इसकी अनुमति दी जाए अथवा नहीं। यह... (व्यवधान)

श्री बापूसाहिब परुलेकर : महोदय, न तो रेल मन्त्री और न ही मेरे माननीय मित्र "आरोप" शब्द को शायद ठीक समझें। मैंने कोई आरोप नहीं लगाया। मैंने कहा था, "माननीय रेल मन्त्री की निन्दा की जा रही है।" यदि आप खामोश रहते हैं, तो खामोशी इकरार को जाहिर करती है और लोग महसूस करेंगे कि जो कुछ कहा गया है वह सत्य है। इसलिए आप इस बारे में क्या कार्यवाही कर रहे हैं? इसलिए मैंने यह मामला उठाया था।

श्री जनार्दन पुजारी : किसी बात को कहने का यह बहुत ही बुद्धिमत्ता पूर्ण तरीका है। कल यह बात सभी समाचार पत्रों में प्रकाशित होगी कि संसद में यह मामला उठाया गया है कि रेल मन्त्री के विरुद्ध अमुक आरोप है।

श्री बापूसाहिब परुलेकर : यह आरोप कैसे है?

श्री जनार्दन पुजारी : माननीय सदस्य एक वकील है। वह जानते हैं कि बात कैसे कही जाती है। उन्होंने बुद्धिमत्ता पूर्ण तरीका अपनाया है। इसलिए, मैं कह रहा हूं।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : उनकी आपत्ति यह है कि उन्होंने (श्री परुलेकर) अपनी बात बुद्धिमत्ता पूर्ण तरीके से कही है। (व्यवधान)

श्री ईरा अनबारासु (चिंगलपट्टु)। यह कहा गया था कि रेल मन्त्री रेलवे तन्त्र का अपनी निजी सम्पत्ति के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। यह रेल मन्त्री के विरुद्ध, मन्त्रिमंडल और सरकार के विरुद्ध आरोप ही तो है।

उपाध्यक्ष महोदय : वास्तव में सदस्य को इसके लिए पूर्व सूचना देनी चाहिए थी। उन्होंने यह बात 'सन्डे' में से पढ़ी है। उन्हें यह सब अध्यक्ष को लिखित रूप में देना चाहिए था। चाहे यह उनके द्वारा स्वयं एकत्र की गयी कोई सामग्री हो या कोई बात समा चार पत्रों में छपी हो...

श्री बापूसाहिब परुलेकर : महोदय, आप कोई विनिर्णय दे रहे हैं। आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है ।

श्री बापूसाहिब परुलेकर : यह नियम किसी सदस्य को किसी प्रकाशन का हवाला देने तथा माननीय मन्त्री जी से उसकी सत्यता के बारे में पूछने से प्रतिषिद्ध नहीं करता। इसमें यह व्यवस्था है कि यदि मैं कोई आरोप लगाना चाहता हूं तो मुझे अध्यक्ष महोदय तथा सम्बन्धित मंत्री महोदय को इसकी पूर्व-सूचना देनी होगी ।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुन्टूर) : कारों का इस मामले से क्या सम्बन्ध है ?

श्री बापूसाहिब परुलेकर : हम सम्बन्धित होने या न होने की बात नहीं कर रहे हैं। हमारा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री जनार्दन पुजारी : अखबारों में तो कुछ भी छप सकता हैं । उस सब की पूरी जिम्मेदारी माननीय सदस्य को अपने ऊपर लेनी होगी सदन की जानकारी में लाने से पूर्व सदस्य को सामग्री पूरी तरह से पढ़नी चाहिए और उसे चाहिए कि वह उस विषय की सत्यता सुनिश्चित करे । केवल वह तभी सदन में उस सामग्री को पढ़ सकता है । यह रेल मन्त्री के विरुद्ध आरोप हैं परोक्ष रूप से यह एक आरोप ही है ।

उपाध्यक्ष महोदय : नियम 353 इस प्रकार है :

"किसी सदस्य द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध मानहानिकारक या अपराधरोपक स्वरूप का आरोप नहीं लगाया जायेगा जब तक कि सदस्य ने अध्यक्ष को तथा सम्बन्धित मन्त्री को भी पूव सूचना न दे दी हो जिससे कि मन्त्री उत्तर के प्रयोजन के लिए विषय की जांच कर सके।"

अतः मैं यह मानकर चलता हूं कि आप, जो कुछ भी आपने कहा है, उसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं ।

श्री बापूसाहिब परुलेकर : क्या मैंने कोई आरोप लगाया है ? मैंने केवल उस विषय का उद्धरण दिया था ।

उपाध्यक्ष महोदय : हो सकता है कि आपने 'सन्डे' से उद्धरण दिया हो । परन्तु इसमें आरोप लगाया गया है ।

श्री बापूसाहिब परुलेकर : मुझे समाचार पत्रों के उद्धरण देने से नहीं रोका जा सकता । किस नियम के अन्तर्गत मुझे उद्धरण देने से रोका जा सकता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप उद्धरण दे सकते हैं। परन्तु इसमें मन्त्री के विरुद्ध आरोप लगाया गया है।

बापूसाहिब परुलेकर : क्या मैंने यह कहा था कि "आपने ऐसा किया है ?" उनसे यह पूछना कि पत्रिका में जो कुछ छपा है क्या वह सही है, तो आरोप लगाना नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : सदस्य को सदन में किसी व्यक्ति पर आरोप लगाने से पूर्व स्वयं जांच पड़ताल करके सन्तुष्ट होना चाहिए कि इस आरोप का कोई आधार तो है। सदस्य को आरोप लगाने की जिम्मेदारी उठाने के लिए और उस आरोप को सिद्ध करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हो सकता है कि यह बात "सन्डे" या किसी अन्य पत्र पत्रिका में छपी हो। परन्तु प्रश्न यह है कि ये मन्त्री पर आरोप लगाये गए हैं। यदि आप इनकी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं है तो मैं इसकी अनुमति नहीं देता...

श्री बापूसाहिब परूलेकर : आरोप तो पत्रिका में लगाए गए हैं। मैंने उन आरोपों को दोहराया तो नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने ऐसा क्यों कहा।

श्री बापूसाहिब परुलेकर : क्या मैं संसद में कोई प्रश्न नहीं पूछ सकता ? संसद में नहीं तो मैं प्रश्न कहां पूछ सकता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको ये आरोप नहीं लगाने चाहिएं।

श्री बापूसाहिब परुलेकर : मैंने कोई आरोप नहीं लगाया। मैं चाहता हूं कि कार्यवाही वृतान्त में मेरी यह बात सम्मिलित की जाये कि मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं ये जानकारी मांग रहा हूं...(व्यवधान)

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बया) : आरोपों से सम्बन्धित समस्त वाद-विवाद कार्यवाही वृतान्त में से निकाल दिया जाना चाहिए।

श्री ईरा अनबरासु : इन सभी आरोपों को कार्यवाही वृतान्त में से निकाल दिया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : ये आरोप हैं। मैं रिकार्ड देखूंगा। यदि नियमों के विरुद्ध कोई बात है तो मैं उसे कार्यवाही वृतान्त में से निकाल दूंगा।

एक माननीय सदस्य : आपका विनिर्णय क्या है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं रिकार्ड देखूंगा और यदि नियम 353 का किसी प्रकार से कोई अतिक्रमण हुआ है तो मैं उस बात को कार्यवाही वृतान्त से निकाल दूंगा ।

श्री पी० वेंकटसुब्बया : परन्तु जो कुछ उन्होंने कहा है वह प्रेस में पहुंचेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह समाचार प्रेस में नहीं पहुंचेगा । प्रेस टिप्पणी को भी ध्यान में रखेगा । चिन्ता मत कीजिए । अब श्री परुलेकर अपना भाषण जारी रखेंगे ।

प्रो० मधु दंडवते : सन्डे पत्रिका के माध्यम से जो कुछ प्रेस में गया है क्या वह भी वापस ले लिया जाएगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : श्री परुलेकर ।

श्री बापूसाहिब परुलेकर : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने 156 पासों के बारे में तीन या चार प्रश्न पूछे थे । यदि माननीय मन्त्री उन प्रश्नों का उत्तर नहीं देना चाहते तो उन्हें ऐसा करने की पूरी छूट है परन्तु हम अपना अनुमान तो लगा सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं रिकार्ड देखूंगा और हो सकता है उन्हें बिलकुल भी उत्तर न देना हो ।

श्री बापूसाहिब परुलेकर : उन्हें उत्तर मत देने दीजिए । ये उनकी खुशी है मैं उन्हें मजबूर नहीं कर सकता ।

जैसा कि मैंने कहा, 600 पास दिए गए हैं । इसमें प्रथम श्रेणी में श्रीमती मीरा रानी तिवारी व परिवार, अजय प्रसाद व परिवार, राघव शर्मा व परिवार, अब्दुल्ला व परिवार तथा दो और अटेन्ड़ेन्ट शामिल है । मैंने ये नाम उदाहरण के तौर पर बनाए हैं ।

श्री मल्लिकार्जुन ने हमें निश्चित रूप से बताया था :

> "चैक पास एक सिंगल जर्नी के वास्ते हैं, जिसका मैक्सीमम पीरियड तीन महीने का है । वह तीन महीने तक वेलिड रहता है । इसमें मिनिस्टर का डिस्क्रिशन होता है ।"

माननीय उपमन्त्री ने यही कहा था कि चैक पास इक तरफी यात्रा के प्रयोग में लाया जा सकता है ।

परन्तु जो मूल उत्तर दिया गया है वह इस प्रकार नहीं है। यह कहा गया है कि :

"एक विवरण संलग्न है जिसमें उन व्यक्तियों के नाम दर्शाए गए है जिन्हें 1 जून, 1981 से 30 नवम्बर 1981 तक की अवधि मे सम्मानार्थ चैक-पास जारी किए गए।"

मैं यह पूछना चाहता हूं कि यदि किन्हीं परिस्थितियों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किसी व्यक्ति को कोई चैक-पास दिया जाना है।

मान लीजिए, कि उस व्यक्ति को रेलगाड़ी नहीं मिलती और उसे पटना जाना है, तो क्या मार्ग निर्देशक सिद्धान्तों के अनुसार अटेन्डेन्टों सहित पूरे परिवार को चैक पास जारी किए जा सकते हैं।मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या इस आशय का कोई उपबन्ध है, कोई मार्ग निर्देशक सिद्धान्त है, कोई नियम है, और यदि नहीं है तो क्या यह जारी किए गए मार्ग निर्देशक सिद्धान्तों की अवेहलना नहीं है। मैं समझता हूं कि मार्ग निर्देशक सिद्धान्तों में इस बारे में कोई उल्लेख नहीं है। अतः जहां तक चैक पासों का सम्बन्ध है, मैं यह जानना चाहूंगा कि आपको लगभग 640 व्यक्तियों को और वह भी सपरिवार, चैक पास जारी करने की क्या आवश्यकता थी तथा क्या ये पास इकतरफी यात्रा के लिए मान्य थे या छह महीने की अवधि के लिए।

रेल मन्त्री (श्री केदार पांडे) : उपसभाध्यक्ष महोदय, टोटल 7 कमेटियां हैं, जिनमें 156 लोगों को फर्स्ट क्लास के पास दिए जाते हैं।

आल दीज आर काम्लीमेंटरी पासेज और चैक-पास जो होता है, वह एक प्वाइंट से दूसरे प्वाइन्ट तक जाने लिए होता है और वह सिविल जर्नी के लिए होता है, जिसको वह कल परसों या तीन महीने के अन्दर किसी भी दिन अन्डरटेक कर सकता है लेकिन वह कम्पलीमेंटरी पास नहीं है। कम्पलीमेंटरी पास थ्रू आऊट दि इयर के लिए होता है लेकिन चैक-पास एक जगह के लिए होता है। मान लीजिए यहां से कलकत्ता के लिए एक पास दिया गया। अब वह कल जाए, परसों जाए या 10 दिन के बाद जाए, वह जा सकता है। इतने दिनों के अन्दर कभी एक बार जाना चाहे, तो जा सकता है। छः महीने के अन्दर ये पास दिये गये और छः महीने के ये चैक-पास हैं। इसमें होता यह है कि कभी कोई आता, तो उसको एक पास दे दिया और वह भी सिंगल जर्नी के लिए। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, जोकि अनयूजुवल हो। यह हम लोग देते है और हम लोग डेसीक्रेसी में काम करते हैं। आप भी करते हैं और हम भी करते हैं क्योंकि हमारे यहां जनतन्त्र है। बहुत से सोशल वर्कर्स हैं और हर पार्टी के लोग यहां पर आते हैं। उनके पास कुछ कमी भी हो जाती है, उनके पास कभी पैसे नही रहते हैं। वे आपके पास आते हैं, मेरे पास आते

श्री केवार पाण्डे]

हैं और उनके यहां भी जाते हैं और ऐसे बहुत से हमारे दोस्त हैं; जिन्होंने यह सिफारिश की कि ये शोशल वर्कर हैं और इनके लिए आप कोई इन्तजाम कर दो ।

वह मैंने किया है इसलिए 6 महीने के अन्दर चार सौ, पांच सौ, छः सौ पास दिए गए। वह भी सिंगल परसन को दिए गए हैं। और बन सिंगल जर्नी के लिये दिये गये हैं। तीन महीने के अन्दर वह यूटिलाइज हो सकता है, उसके बाद नहीं हो सकता है।

श्री बापूसाहिब परुलेकर : कई फेमिलीज को दिए गए हैं। व्हाई पासिज टु फेमिलीज ?

श्री केदार पांडे : अब किसी की वाइफ है, हरबेंड है, बेटी है, माता है। ऐसा लगता है कि आप बुर्जुवा मेन्टेलिटी के आदमी हैं। चैक पास कोई ऐसी बात नहीं है। यह मिनिस्टरी को अधिकार है, उसका डिस्क्रिशन है। इसलिए हमने उसको यूटीलाइज किया है। अब कोई सोशल वर्कर आता है, उसके पास साधन नहीं है। आपके पास तो साधन हैं, मेम्बर आफ पार्लियामेंट हैं, मैं रेलवे मन्त्री हूं। अब कोई यह नहीं है तो उसके बारे में सोचना होता है। सोशल वर्कर चाहे बंगाल का हो, उत्तर प्रदेश का हो, महाराष्ट्र का हो, बिहार का हो। रेलवे मिनिस्टर को यह अधिकार है, उसका यह डिस्क्रिशन है।

चैक पासिज के बारे में तो आपको बोलना भी नहीं चाहिए था। आपको इस पर कमेंट नहीं करना चाहिए था। हमें खुशी है कि चैक पासिज के बारे में आपको जानकारी हैं। लेकिन आप पूछते हैं कि इसका क्या क्राइटेरिया है। यह बात आपने जनरल पूछी है। इस तरह का कमेंट आपको नहीं करना चाहिए।

दूसरी बात आपने कम्पलीमेंटरी पासिज के बारे में कही। ये जो कमेटियां बनी हैं। ये मेरी क्रियेशन नहीं हैं। इनमें से कोई 1975 में बनी थी, कोई उससे भी पहले की बनी हुई है जब से ये कमेटियां बनी है तभी से उनके मेम्बरों को कम्पलीमेंटरी पासिज मिलते थे। जब से ये कांस्टीच्यूट हुई हैं तभी से मिलते थे।

अब आपने पूछा कि इन कमेटियों के मेम्बरों को मीटिंग में जाने के लिए पास मिलने चाहिए, कम्पलीमेंटरी पास देने की क्या जरूरत है ? ये मेम्बर केवल मीटिंग ही नहीं अटेंड करते हैं, इन्हें घूम-फिरकर भी देखना होता है कि कहां क्या कमी है। हम चाहते हैं कि हिन्दी का देश में प्रचार और प्रसार हो। हिन्दी के बारे में गवर्नमेंट आफ इण्डिया ने पालिसी अडोप्ट की हुई है कि धीरे-धीरे राष्ट्रभाषा बने। रेलवे में भी हिन्दी का प्रचार प्रयास करने की गवर्नमेंट की पालिसी है। रेलवे में एक रेलवे हिन्दी सलाहकार कमेटी है, एक शब्दावली कमेटी है। इसके

अलावा सेन्टर की भी एक हिन्दी सलाहकार कमेटी है। हमने हर डिवीजन में भी कमेटियां बनाई हुई हैं। इस देश की यह पालिसी है कि हिन्दी का ज्यादा से ज्यादा प्रचार-प्रसार हो और वह राष्ट्र-भाषा बने। उसके लिए हमने विद्वान आदमियों को कमेटी में रखा है। उनको फर्स्ट क्यास के पास दिये हुए हैं। उन्हें घूम-फिर कर देखना होता है कि वहां काम अच्छी तरह से हो रहा है या नही जब हम फुल्ली सटीस्फाई होते हैं तभी पास दिए जाते हैं।

आपने जातीयता की बात कही। मैं कम्युनलिज्म और साम्प्रदायिकता का घोर दुश्मन हूं मैं पक्का सेक्युलर हूं। मैंने कोई जातिवाद पर पास इशू नहीं किये। पांडे बहुत होते हैं। भूमिहार, ब्राह्मण, कायस्थ, हरिजन या मुसलमान सभी को मैंने पास दिये।

एक बात मैं कहना चाहता हूं कि हरिजन और बैकवर्ड क्लासिज की कमी को मैं कमेटियों में महसूस करता हूं। इनको मैं रिकांस्टीच्यूट करूंगा और ठीक बनाऊंगा। जो शेड्यूल्ड कास्ट्स और शड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों की कमी रह गई है उनको मैं ठीक करूंगा। इन सारे तत्वों को इनमें लाने की कोशिश करूंगा। गवर्नमेंट में आने पर, केन्द्र में आने पर कुछ नेगलीजेंस तो हो जाता है। यह बात ओवरलुक हो गयी है जो लोग छूट गए हैं उनको हम लाएंगे।

आप यहां पर कहां कहां की बात ले आए हैं। आप पार्लियामेंट में बात कीजिए तो संभल कर कीजिए। जो चीज नहीं है उसको यहां लाने की जरूरत नहीं है। मैं बराबर इस बात का कायल रहा हूं कि —

निन्दक नियरे राखिये आंगन कुटी सुभाय।

मैं पक्का डेमोक्रेट हूं और यह मेरा एटीट्यूड है डेमोक्रेट का, इसमें पूरा विश्वास करते हैं। इसलिए आपने जो बातें कहीं, मैं इपेशेंट नहीं था, मैं सोच रहा था···। (व्यवधान) आप जैसे विद्वान ने ट्रेक छोड़ दिया और दूसरी बातों में चले गए।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने गल्ती महसूस की और कहा कि हम इस पर विचार करेंगे, लेकिन एक जगह तो आपने गल्ती स्वीकार की, दूसरी जगह भी स्वीकार करनी चाहिए। अभी आजाद साहब हैं, मैं आपको देख रहा था, मुझे जाति से कोई इलर्जी नहीं है। कीर्ति आजाद बैस्ट प्लेयर हैं, यदि उनके जैसे लोगों को पास दे दीजिए तो हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आप कोई क्राइटेरिया ले डाउन करते हैं तो उसके मुताबिक चलना चाहिए। मैं आपको दोष नहीं देता, जैसा कि आपने कहा कि पब्लिक फील्ड के आदमी दबाव डालते हैं,

[श्री राम विलास पासवान]

इसलिए करना पड़ता है, लेकिन दुख तब होता है जब आप कहते हैं कि एलीगेशन गलत है। एलीगेशन सही है और आपको कहना चाहिए कि मैं इसको देखूंगा। जैसे उस दिन मैंने कहा कि 31 पाण्डे है, आज इन्होंने कहा कि 38 हैं और यह जवाब मेरा नहीं है, आपका है, इसमें आपका नाम लिखा है, आपका ही भाषण लिखा हुआ है और आपको ही मैं बतलाता हूं। जहां पर आपने 156 बतलाए हैं, 156 में से 62 एक जाति के लोग हैं जैसे—त्रिपाठी, पांडे, ओझा, पाठक इत्यादि है। (व्यवधान) बाकी साउथ का क्या मामला है और पश्चिम बंगाल में क्या···(व्यवधान) इसमें हम लोग नहीं गए। आपको यह कहना चाहिए कि इसमें गलत हो गया है और इसको देखेंगे।

श्री केदार पाण्डे : रीकंस्टीट्यूट करने के लिए कहा है तो फिर फरदर एक्स-रे क्यों कर रहे हैं ?

श्री रामविलास पासवान : इसी प्रकार से आपने उस दिन चैलेंज कर दिया कि 31 पांडे हैं, यह एलीगेशन गलत है। अब ये कहते हैं कि 38 हैं और यदि आप कहें तो मैं नाम पढ़कर सुना दूं ? (व्यवधान)

श्री कृष्ण चन्द्र पांडे (खलीलाबाद) : और ज्यादा होने चाहिए। (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : ठीक है, जितनी जगह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं, उन सब पर दूसरी जाति के लोगों को रख लीजिए।

मेरा कहने का मतलब यह है कि जो एलीगेशन लगाया गया है वह सही है और भविष्य में इन बातों को ध्यान में रखा जाए। जो क्राइटेरिया लेडाउन किया है, जैसे अन्धे, विकलांग अनुसूचित-जाति, अनुसूचित जन-जाति, पिछड़े, सांस्कृतिक आदि जो लोग हैं, ऐसे लोगों को आप ध्यान में रखेंगे। इससे आपका आत्मबल भी ऊंचा रहेगा और इन तबके लोग समझेंगे कि उनके लिए भी कुछ हो रहा है।

रेलवे कंसल्टेटिव कमेटी में एक बार यह मामला उठाया था कि संसद-सदस्यों को फर्स्ट-क्लास एयर कंडीशन पास एलाऊ नहीं है, लेकिन स्वामी हरि नारायणा नन्द को फर्स्ट-क्लास ए. सी. पास दिया हुआ है।

श्री केदार पाण्डे : अब हटा दिया है।

श्री रामविलास पासवान : जब प्वाइन्ट-आउट किया, तब हटाया।

श्री केदार पाण्डे : जब आप प्वाइंट-आउट करेंगे, तभी तो पता लगेगा।

श्री रामविलास पासवान : आप देखें, लोक सभा तथा राज्य सभा के एमपी० हैं। उनकी चयन स्थिति है। उनको टू टायर फर्स्ट क्लास का मिला हुआ है, जो मेम्बर नहीं हैं, बूढ़े हो गए हैं, रिटायर हो गए हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने में जिन को दिक्कत होती है, उनको नहीं मिलता है।

श्री केदार पाण्डे : चाहे तो दे सकते हैं।

श्री रामविलास पासवान : सब जानते हैं। जरनलिस्ट हैं, अच्छे- अच्छे। एम० पी० को फर्स्ट क्लास का ए. सी. का पास एलाउड है तो किस आधार पर आप जैसे सुलझे हुए, विद्वान आदमी हरिणानन्द जी जैसे आदमी को फर्स्ट क्लास एस. सी. का पास दे दिया। हमें सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि आप से भी ज्यादा पावरफुल आदमी हैं—

श्री केदार पांडे : हमारे वक्त से पहले से मिला हुआ था। हमारे वक्त में नहीं बहुत पहले मिला हुआ था।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : महोदय, जैसे कि श्री पाण्डे ने यह बात कही है, मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मेरे कार्यकाल के दौरान तक स्वामी को रेलवे पास नहीं दिया गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जब मैं रेल मन्त्री था तो उस समय मेरे पुत्र और पत्नी को निःशुल्क यात्रा की अनुमति नहीं दी गई थी। उन्होंने द्वितीय श्रेणी का शयन टिकट खरीदकर यात्रा की थी। (निःसन्देह) उस समय मेरी पत्नी संसद सदस्य नहीं थी।

श्री रामविलास पासवान : जो गलती हुई। आप एनाउंस करें फ्लोर आफ दी हाउस पर ही जितनी कमेटियां हैं, जितने चैक पास हैं, उनकी हम कैंसल करते और आज के बाद एक पालिसी ले डाउन करेंगे, क्राइटीरिया ले डाउन करेंगे और उसी के मुताबिक समाज के विभिन्न तबकों के जो लोग हैं उनको देंगे। क्या आप ऐसा करने के लिए तैयार हैं, यही मैं आपसे पूछना चाहता हूं।

श्री विजय कुमार यादव (बालन्दा) : सबसे पहली बात यह है कि हमको इस बात का गहरा दुख है कि पांडे जी के कुछ ऐसे फैसले हुए हैं जिनसे रेलवे डिपार्टमेंट की पूरे देश में बदनामी हुई है। ऐसी बात नहीं है कि इसकी चर्चा इससे पहले न हुई हो। पार्लियामेंट में सवाल हो चुका है। अब रेलवे पास दिए गए हैं। इसके पहले भी, जो रेलवे पास उन्होंने दिए थे उसकी चर्चा भी लोक सभा में हुई थी। उन्होंने उस मौके पर कहा था कि तमाम रेल पास हमने कैंसल कर दिए हैं। हमारी जो जानकारी है — वह यह है कि जो पास कैंसल किए गए है उनको विदड्रा नहीं

[श्री विजय कुमार यादव]

कराया गया है और अभी भी उनमें से कई लोग उनका इस्तेमाल कर रहे हैं और जर्नी उन पर ले रहे हैं। पहली बार जब यह बात यहां पर उठी तो मन्त्री महोदय को इससे लैसन लेना चाहिए था। अभी जो उत्तर दिया है उसको मैंने सुना है। एक मामलेमें उन्होंने एसीड किया है। इससे मुझे खुशी हुई। उन्होंने कहा है कि वह सही बात है। डैमोक्रेटिक तरीके से उन्होंने इस बात को मान लिया है। उन्होने कहा है कि उनकी डिस्क्रीशन है। मिनिस्टर की हैसियत से जो पावर उनकी है उस पर वह अभी भी एडामेंट है। और कहते हैं कि हम चाहे जैसे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके उत्तर का यही अर्थ निकलता है। केन्द्र के मिनिस्टर की कड़ी जिम्मेदारी होती है। वह रीजनेबली उस डिस्क्रीशन का इस्तेमाल करता है या नहीं यह देखना जरूरी होता है। आम जनता जब वह देखती है कि रीजनेबली इस्तेमाल नहीं किया गया है तो उसकी आलोचना करती है। प्रश्न उठता है कि चैक पास इन्होंने जो इशू किया फलां लेडी के लिए विद फोरटीन अदर्स उसका क्या मतलब ? कोई समाज सेवी जो गरीब होता है तो उसके वास्ते जरूरत हो सकता है। कोई पार्लिमेंट का मेम्बर इसको चैलेंज नहीं करता है। लेकिन उसके साथ एक और तथा फिर अन्य उसके साथ 14 और एक व्यक्ति, उसका बेटा, दो और। तो इस तरह से जो आपने पास जारी किया है निश्चित तौर पर गवर्नमेंट से लेकर और रेलवे विभाग का इससे नुकसान होता है। मैं माननीय पासवान की उस राय से सहमत नहीं हूं कि सब का कैंसिल किया जाय। लेकिन इसमें जो अनावश्यक है उनको कैंसिल कीजिए और सदन को ऐश्योर कीजिए कि जो आपको डिस्क्रीशन मिला है मिनिस्टर की हैसियत से उसका रीजनेबल इस्तेमाल कीजियेगा और आइंदा ऐसी बात नहीं होगी।

श्री जनार्दन पुजारी (मंगलोर) : उपाध्यक्ष महोदय, हमने देखा है कि इस मामले पर कई प्रकार से राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही हैं। खासतौर से विपक्षी दलों ने इस मामले का लाभ उठाने का प्रयत्न किया है मुझे यह कहते हुए दुख होता है, सरकार के विरुद्ध यह कह कर आरोप लगाया गया है कि सरकार इन पासों के जारी करने के मामले में पक्षपात करती है। विपक्ष द्वारा यह भी आरोप लगाया गया है कि हम पक्षपाती है और हमने इस सम्बन्ध में बनाये गये मापदण्डों को नहीं माना है। जनता शासनके दौरान हमने देखा है कि विभिन्न समितियों के लिए अनेक नियुक्तियां की गईं। इस तरह कई गैर सरकारी व्यक्तियों को नियुक्त किया गया। दुर्भाग्यवश, यहां तक कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भी यह घटना हुई जो इस प्रकार है। मैं 1977 से सदस्य हूं। मैं यह कह दूं कि विपक्षी दलों से एक भी व्यक्ति (जनता पार्टी के अलावा) को इन समितियों में नियुक्त नहीं किया गया। मैं और आगे यह भी कह दूं कि मेरे अपने निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के तत्वों को इन समितियों में नियुक्त किया गया। मेरा अपनी सरकार के विरुद्ध यह आरोप है।

श्री बापूसाहिब परूलेकर : क्या यह एक आरोप नहीं ?

श्री जनार्दन पुजारी : मैं यह पूर्ण उत्तरदायित्व के साथ कह रहा हूं। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं।

श्री बापूसाहिब परूलेकर : आप आरोप लगा रहे हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या पहले इसकी सूचना दी गई थी ? ऐसा नहीं हो सकता कि आपके लिए अलग नियम हो और मेरे लिए अलग। मुझे राष्ट्रीय स्वय सेवक संघ पर कुछ नहीं कहना है किन्तु प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक समान मानदण्ड अपनाये जाने चाहिये। आप जो कह रहे हैं वह 'आरोप' नहीं हैं किन्तु मैं जो कुछ कह रहा हूं वह एक 'आरोप' है। यह एक विचित्र बात है।

श्री जनार्दन पुजारी : यह आरोप नहीं है। मैंने किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाया है मैंने जनता सरकार के विरुद्ध आरोप लगाया है।

प्रो० मधु दण्डवते : बात को स्पष्ट करने के लिए क्या मैं आपको एक बात बता दूँ ?. आपने एक बात पर विशेष रूप से जोर दिया है। मैं आपको यह कह दूं। मैं आपको विभिन्न समितियों में उन अनेक कांग्रेस जनों के नाम देने के लिए तैयार हूं जिन्हें मैंने नियुक्त किया था। उनमें से एक विख्यात नाम है, माननीय श्री स्टीफन की पत्नी जो दक्षिण से एक प्रसिद्ध सलाहकार समिति में थी। उन्होंने मुझे एक पत्र भेजा था जिसे मैं प्रस्तुत कर सकता हूं। उसमें लिखा था कि "मुझे प्रसन्नता हुई कि आप दलगत भावना से ऊपर हैं क्योंकि आपने मुझे समिति में नियुक्त किया है। हालांकि मैं कांग्रेस (ई) से संबधित हूं।" यदि आप चाहें तो मैं वह पत्र आपको बता सकता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में कहा है।

श्री जनार्दन पुजारी : मैं रेल मंत्रालय की ओर संकेत कर रहा हूं। जहां तक आप का सम्बन्ध है मझे कुछ नहीं कहना है। मैं केवल यह कह रहा हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में क्या हुआ है। अब बात यह है जनता शासन के दौरान पुलिस और सुरक्षा में बहुत से राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन के लोग रखे गये।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना प्रश्न पूछिये।

श्री जनार्दन पुजारी : हम मानव विफलताओं और दुर्घटनाओं के बारे में सुनते आ रहे हैं। यदि ये दुर्घटनायें आजकल अधिक हो रही हैं। तो इनका कारण सिवाय इसके कुछ नहीं हैं कि आज कल देश में सुनियोजित रूप से तोड़-फोड़ चल रही है।

मुझे यह बताया गया है कि पासों के दुरुपयोग के मामले हुए हैं। मुझे यह भी बताया गया कि ऐसे पासों का सामान्य तौर से दुरुपयोग हुआ है, जिनमें कोई नाम नहीं लिखा होता है और जिनमें पास का उपयोग करने वाले व्यक्तियों की फोटो भी नहीं लगीं होती थी।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव (मधेपुरा) : यदि पास में उपयोग करने वाले व्यक्तियों के नाम नहीं होंगे तो वह पास वैध नहीं होगा ऐसा सूची में पहले ही लिखा हुआ है।

श्री जनार्दन पुजारी : मै इस तथ्य की पुष्टि कर रहा हूं। अब यह कहकर आरोप लगाए गए हैं कि समितियों में उचित व्यक्ति नियुक्त नहीं किए जाते, इसके विपरीत, मैं यह कहूंगा कि व्यक्तियों की नियुक्ति और इन पास धारियों के कारण रेल कर्मचारियों को परेशानी हो रही है। इसका मतलब है कि रेल कर्मचारी इन व्यक्तियों के कार्यों से प्रसन्न नहीं हैं, प्रभावकारी हैं। ये इसी कारण रेल कर्मचारी उन्हें नहीं चाहते। इसलिए हमें रेल मन्त्री को इस बात के लिए बधाई देनी चाहिए कि उन्होंने इन लोगों को नामजद किया है। अब मेरा प्रश्न यह है कि आप उन व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं जो पासों का दुरुपयोग करते हैं और पासों के ऊपर फोटो चिपकाने के लिए आप क्या कार्यवाही करेंगे ? मुझे बताया गया है कि इन पास-धारियों द्वारा तय की गई यात्रा का ब्यौरा नहीं रखा जाता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सत्य है और यदि सच है तो क्या इस प्रगति में सुधार किया जाएगा (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जायेगा।*

श्री केशर पांडे : उपाध्यक्ष महोदय, पहली बात माननीय पासवान ने कही कि आप यह वायदा कीजिए कि कंपलीमेंटरी पास जो कमेटी को गये, वह कैंसिल कीजिये, तो मैं उनको कैंसिल नहीं कर सकता हूं।

शुरू में इन्होंने कहा कि कमेटी को रि-कांस्टीट्यूट कीजिए, मैंने खुद कहा कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोग इसमें नहीं हैं, मैंने रियेलाइज किया। यह ओवर लुक-हमने किया और इसको रि-कांस्टीट्यूट करेंगे, लेकिन कमेटी यह रहेगी। कहा भी कि हरिजन आदिवासी को लाना चाहिये, लेकिन यह कमेटी रहेगी और इनको कम्पलीमैंटरी पास मिलेगा, हम रद्द नहीं करेंगे।

दूसरी बात चैक-पासेज के बारे में है, अब सब चैक-पास यूटिलाइज हो गये, अब कहा कि रद्द करो, एक जर्नी से दूसरी जर्नी की बात है। आगे की बात कहता हूं कि ऐसा इसको बनायें कि आल इंडिया से सब सैक्शन के लोग इसमें आयें, सब का रिप्रैजेन्टेशन हो। यही मतलब है सवाल पूछने का ? आपका मतलब ही नहीं है कि सब कमेटी रद्द कर दीजिये, इसलिये मैं कहना चाहता हूं, क्लीयर करना चाहता हूं कि कमेटी रहेगी, कम्पलीमैंटरी पास देंगे, रिकांस्टी-ट्यूट करेंगे। और जितनी बातें आपने नहीं, अपोजिशन को कहनी चाहिये भी, जो हमको सुननी भी चाहिये, जहां अपोजिशन सही बात कहे, उसको अमैंड भी करना चाहिए। (व्यवधान)

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री केदार पांडे : इसके बारे में मेरे पास कोई नोटिस नहीं आई।

इसके पहले 466 कम्पलीमैंटरी पास था थ्रू-आउट दी ईअर।

जब हमने आवाज सुनी, तो हमने सब रद्द कर दिए। उनमें अब लोग नहीं हैं। जो 466 पहले थे, जो इंस्टीट्यूशन के लोगों की संख्या था, उन सब को रद्द कर दिया है। अब शुरू किया है कि ऐसी कोई इंस्टीट्यूशन है, जिसके लिए जरूरी है, तो उसको दिया जाए। जैसे मदर टेरेसा है, दो सैंकड क्लास इन दी नेम आफ सिस्टर्ज आप कहें कि यह भी मत दीजिए। इतना रेस्ट्रिक्शन न रखें कि समाज न चले। हम मासिज में काम करते हैं। हम मासिज में रहते हैं। हम सब मासिज के आदमी है। श्री पासवान और सब माननीय सदस्यज जानते हैं कि हम सब एक ही प्रासेस से जीत कर आए हैं। हम लोगों का कांफिडेंस लेते हैं। दूसरा कोई प्रासेस नहीं है। कोई मिनिस्टर हो गया, कोई कुछ हो गया, लेकिन बेसिकली हम एम० पीज० मेम्बर्ज आफ लोक सभा हैं। हम एक ही प्रासेस, एडल्ट फेंचाइज के आधार पर चुनाव से आए हैं। न कोई बड़ा है, न कोई छोटा है। सब कामरेड्ज एंड फेंड्ज है। सब जन्तर-मन्तर हम सब को मालूम है। लेकिन चूंकि आप आपोजीशन में है। हम ऐसी डीबेट पसन्द करते हैं। हम खुद डेमोक्रेट हैं। अगर कोई समालोचना हो, तो आई रेसपांड टु इट। वैक यू बेरी मच।

———

प्रधान मंत्री तथा उनके परिवार के सम्बन्ध में कतिपय भविष्यवाणियों के बारे में वक्तव्य

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) :

उपाध्यक्ष महोदय आपकी अनुमति से मैं एक वक्तव्य देना चाहता हूं :

आज सुबह प्रो० के० के० तिवारी ने यहां यह बात उठाई कि कुछ दुर्भावना रखने वाले लोग और तंत्रिक हमारी प्रधान मंत्री के बारे में कतिपय भविष्यवाणी कर रहे हैं। उन्होंने यह इच्छा व्यक्त की कि इस गम्भीर मामले की तत्काल जांच की गयी। इसलिए मैं इस मामले के संबंध में सदन के समक्ष वक्तव्य देने के लिए आया हूं।

श्रीमती इंदिरा गांधी केवल हमारी प्रधान मंत्री नहीं है बल्कि राष्ट्र की असाधारण नेता भी है। उनके जीवन को क्षति पहुंचाने के कुछ प्रयत्न किये जा रहे है जिससे अराजकता और अनिश्चर्य की भावाना पैदा हो और राजनीतिक व्यवस्था में गड़-बड़ी पैदा हो। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें अनुमति दी है। कृपया बैठ जाइये। उन्होंने नोटिस दिया था और मैंने उन्हें अनुमति दी। मैं किसी बात की अनुमति नही दे रहा हूं। अन्य माननीय सदस्य क्या कह रहे है। उसे कृपया रिकार्ड न किया जाये।

श्री पी० वेंकट सुब्बय्या : रत्नानन्द शास्त्री के बारे में पता चला है कि उन्होंने झांसी के

[श्री पी० वेंकट सुब्बय्या]

एक दैनिक लोक पत्र नामक समाचार पत्र दि० 28 जून, 1981 में यह भविष्यवाणी की थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी की सितम्बर, 1981 तक हत्या हो जायेगी और उसके बाद श्री राजीव गांधी की । रत्नानन्द शास्त्री ने पुनः कहा कि श्री एच० एन० बहुगुणा प्रधान मंत्री बनेंगे । वे झांसी से दिल्ली के लिए 5 जुलाई, 1981 को चले ...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी रिकार्ड न करें । केवल वक्तव्य को ही रिकार्ड करें। उन्हें अपना वक्तव्य परा करने दीजिए ।

श्री वेंकट सुब्बया : क्यों कि यह भविष्यवाणियां भयावह थी अतः यह आवश्यक समझ गया कि रत्नानन्द शास्त्री का पता लगाया जाये और उनके विरुद्ध कार्यवाही प्रारम्भ करने से पूर्व उन पर नजर रखी जाये ।

उप महानिरीक्षक पुलिस उ० प्र० को तत्काल सावधान किया गया और उनसे कहा गया कि वे रत्नानन्द शास्त्री का पता लगाकर उनका जवाब तलब करें।

अपराध जांच विभाग के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त दिल्ली से भी कहा गया कि वे रत्नानंद शास्त्री के पता करने के लिए यथासंभव प्रयास करें और आवश्यक कार्यवाही करें।...(व्यवधान) **

उपाध्यक्ष महोदय : मैं किसी प्रकार के व्यवधान की अनुमति नहीं दे रहा हूं...पहले उन्हें अपना वक्तव्य पूरा करने दें ।

श्री पी० वेंकट सुब्बय्या : रत्नानन्द शास्त्री ने ऐसी भविष्यवाणी गोरखपुर, उ० प्र० में भी की, जो 15 दिसम्बर, 1981 के स्थानीय हिन्दी दैनिक में प्रकाशित हुई थी । उसमें उन्होंने कहा था कि श्रीमती इंदिरा गांधी या तो किसी दुर्घटना में मारी जायेगी या दिसम्बर, 1981 में उनकी हत्या कर दी जाएगी । उन्होंने पत्रकारों से यह भी कहा कि लोक सभा के लिए मध्यावधि चुनाव 1982 में होंगे जिसमें श्रीमती मेनका गांधी श्री राजीव गांधी को पराजित करेंगी और श्री बहुगुणा प्रधान मंत्री बनेंगे । उन्होंने यह भी भविष्यवाणी की कि श्री राजीव गांधी की दिल के दौरे से मृत्यु होगी...(व्यवधान) **

उपाध्यक्ष महोदय : व्यवधान रिकार्ड न किये जायें ।

श्री पी० वेंकट सुब्बय्या : रत्नानन्द शास्त्री को इन भविष्यवाणियों के लिए 21 दिसम्बर को पुलिस ने गिरफ्तार किया । उनसे पूछताछ की जा रही है और एक विस्तृत रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है ।

** कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

जांच से पता चलता है कि रत्नानन्द शास्त्री जिनका वास्तवित नाम राम अवतार गुप्ता है, जिला फर्रुखाबाद, उ० प्र० के रहने वाले हैं उन्होंने 1968 से 1972 तक सेना में सेवा की थी किन्तु स्वास्थ्य के आधार पर उन्हें सेवा से डिस्चार्ज कर दिया गया था। उन्हें सेना अस्पताल आगरा में भी भर्ती किया गया...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : व्यवधान रिकार्ड न किये जायें।

(तत्पश्चात श्री राम विलास पासवान और कुछ अन्य माननीय सदस्य सदन से बाहर चले गये।)

श्री पी० वेंकट सुब्बय्या : उत्तर प्रदेश के आसूचना विभाग द्वारा आगे यह बताया गया कि शास्त्री जी की भविष्यवाणी राजनीति से प्रेरित थी और उसका आशय प्रधान मंत्री तथा उनके परिवार के सदस्यों को बदनाम करना था। वह अवांछनीय चरित्र का व्यक्ति है और उनके विरुद्ध अनेक अपराधी शिकायतें विचाराधीन है। यह भी बताया गया कि कुछ समय पहले उन्हें गौहाटी में गिरफ्तार किया गया था।

आपकी सूचना के लिए, रत्नानन्द शास्त्री श्री एच.एन. बहुगुणा के एक कट्टर समर्थक हैं और फर्रुखाबाद उ० प्र० में 'यूथ फार डैं मोक्रेसी' की जिला यूनिट के उपाध्यक्ष हैं।

7.05 म. प.

तत्पश्चात लोक सभा मंगलवार, 22 दिसम्बर, 1981/1 पौष, 1903 (शक) के 11.00 बजें तक के लिए स्थगित हुई।

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

मुद्रक : सनलाईट प्रिन्टर्स, दिल्ली-6.